Sherkhan
9825 696 131

जामेअ सुनन तिर्मिजी

0001-0964

جامع سنن ترمذی

تالیف : الامام الحافظ ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ

जामेअ सुनन तिर्मिज़ी

मय शरह

तालीफ़

इमाम हाफ़िज़ अबू ईसा मुहम्मद
बिन ईसा अत्तिर्मिज़ी (रह.)

तहक़ीक़

अल्लामा नासिरूद्दीन अल्बानी (रह.)

तख़रीज

फ़ज़ीलतुश्शैख़ हाफ़िज अबू सुफ़यान मीर मुहम्मदी

उर्दू तर्जुमा

फ़ज़ीलतुश्शैख़ मौलाना अली मुर्तज़ा ताहिर

بِسْــــــمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

अस्सलामु अलयकुम व-रहेमतुल्लाही व-बरकातुहू

बाद सलाम के मालुम हो की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल-व-करम से हदीसों की 6 मोअतबर किताबें सिआ सत्ता / सिआ कुतुब पढ़ने में, समझने में और दावत पहुंचाने में आसानी हो इस नेक मक़सद से उम्मत-ए-मुस्लिमा के ख़िदमात में PDF की शकल में पेश है।

तफसीर ईब्ने क़सीर (8 जिल्द)

1. सहीह बुख़ारी (8 जिल्द)
2. सहीह मुस्लिम (8 जिल्द)
3. सुनन अबु दाऊद (6 जिल्द)
4. ज़ामेअ सुनन तिर्मिज़ी (4 जिल्द)
5. सुनन नसाई शरीफ़ (6 जिल्द)
6. सुनन इब्ने माजह (1 जिल्द)

इन PDF बनाने में हदीस नंबर,पेज नंबर, स्केनींग वगैरा मे कोई भूल हुई हो तो बराए मेहरबानी नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर इत्तेला करे।

अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किताबों की PDF बनाने में और इसमे ता'ऊन करने वाले हजरात की ख़िदमात को कुबुल फरमाए ओर लोगों के लिए हिदायत का सबब बनाए।

शेरख़ान (अहमदाबाद-गुजरात) M.: +91 9825 696 131

جامع سنن ترمذی

تالیف : الامام الحافظ ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ

जामेअ सुनन तिर्मिज़ी

मय शरह

तालीफ

इमाम हाफ़िज़ अबू ईसा मुहम्मद
बिन ईसा अत्तिर्मिज़ी (रह.)

तहक़ीक़

अल्लामा नासिरूद्दीन अल्बानी (रह.)

तख़रीज

फ़ज़ीलतुश्शैख़ हाफ़िज अबू सुफ़यान मीर मुहम्मदी

उर्दू तर्जुमा

फ़ज़ीलतुश्शैख़ मौलाना अली मुर्तज़ा ताहिर

ज़िल्द नम्बर

1

हदीस नम्बर 1 से 964

नाम किताब	**जामेअ सुनन तिर्मिज़ी (जिल्द - 1)**
तालीफ़	**इमामुल हाफ़िज़ अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा अत्तिर्मिज़ी**
उर्दू तर्जुमा	**मौलाना अ़ली मुर्तज़ा ताहिर (हफिजहुल्लाह)**
हिन्दी तर्जुमा	**दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त** **जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)**
तहक़ीक़	**मौलाना मुहम्मद नासिरुद्दीन अल्बानी (رحمه الله)**
तख़रीज	**हाफ़िज़ अबू सुफ़यान मीर मुहम्मदी**
तस्हीह व नज़रे सानी	**मौलाना जमशेद आलम सल्फ़ी** (97857-69878)
लेज़र टाइपसेटिंग	**मोहम्मद शकील, (9351998441)**
मेनेजिंग डायरेक्टर	**अली हम्ज़ा,** (82338-55857)
प्रिण्टिंग	**आदर्श आफसेट**, स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर 92144-85741
बाइंडिंग	**कमाल बाईण्डिंग हाउस** मो. शाहिद भाई 93516-68223 0291-2551615

तादाद पेज	656	तादाद कॉपी	500 (पांच सौ)
प्रकाशन (प्रथम संस्करण)	जुलाई 2020	क़ीमत	600/- (छः सौ रुपये)

प्रकाशक	**मर्कज़ी अन्जुमन खुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर**
जेरे निगरानी	**शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान**

मिलने के पते

मकतबा तर्जुमान, 4116 उर्दू बाजार, नई दिल्ली
फोन: 011-23273407

इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल जामा मस्जिद, दिल्ली 090153-82970

मदरसा दारूल उलूम सलफिया,
मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.)

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती,
जबलपुर, (एम.पी.) 89595-13602

हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद,
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 70146-75559

तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 सीकर (राज.)

कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 70148-98515

नईम कुरैशी, 2 सी.एच.ए. 18 हाउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, भट्टा बास, पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर (राज.) 82091-64214

अल कौसर ट्रेडर्स, जोधपुर 94141-920119

अमरीन बुक एजेन्सी:
जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 84010-10786

साद सिद्दीकी:
राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244

मकतबा अस्सून्नह,
मुम्बई 08097-44448

उमरी बुक डिपो, मदरसा तालीमुल कुरआन, अशोक नगर, हिल नं. 3 कुर्ला, मुम्बई 82918-33897

दारूल इल्म,
नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 23082231

मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन, खजराना, इन्दौर 95846-51411

सैफुल्लाह खालिद,
माणक बाग, इन्दौर 98273-97772

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी,
जुलैखा चिल्ड्रन हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056

शैख सुहैल सल्फ़ी,
मकतबा सलफिया, वाराणासी 094519-15874

आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज, कच्छ (गुजरात) 094291-17111

मकतबा अलफहीम,
मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-2222013

उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड नं. 10, सीकर। फोन: 7742457343

सल्फ़ी बुक सेन्टर,
मटिया महल, दिल्ली। फोन: 91365-05582

ALL INDIA DISTRIBUTOR
AL KITAB INTERNATIONAL
JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25
PH: 26986973 M. 9312508762

SOLE DISTRIBUTOR
POPULAR BOOK STORE
OUT SIDE MERTI GATE, JODHPUR [RAJ.]
9460768990, 9664159557

फेहरिस्ते मज़ामीन

Sherkhan
9825 696 131

अर्जे नाशिर

الْحَمد لله رب الْعَالمين وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على رسوله الكريم

अम्मा बाद!

क्योंकि फ़ितनों से बचने का वाहिद हल क़ुरआन और सुन्नत को मज़बूती से पकड़े रहना है। हदीसे नबवी की ख़िदमत की ख़्वाहिश का जज़्बा अल्लाह का शुक्र है हमें अपने पूर्वज (दादा जी मौलाना मुहम्मद अताउल्लाह हनीफ़ भोजियानी रहिमहुल्लाह और वालिदे गरामी हाफ़िज़ अहमद शाकिर (हफ़िजहुल्लाह) से विरासत में मिला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्र व एहसान से इसी जज्बे के तहत इदारे ने ''الجامع الصحيح للامام الترمذي'' का तर्जुमा प्रकाशित किया।

जामेअ़ तिर्मिज़ी कुतुबे सित्ता में एक अलग और नुमायाँ मक़ाम रखती है। इसकी विशेषता यह है कि यह जामेअ़ होने के साथ-साथ सुनन भी है इसके लेखक रिवायते हदीस के साथ-साथ उनसे मुताल्लिक़ उलमा की रायें भी नक़ल करते हैं और एक मसले से मुताल्लिक़ बाक़ी रिवायात की तरफ़ इशारा भी फ़रमा देते हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पर यह किताब मुमताज़ हैसियत (कई विशेषताओं) की हामिल है।

जामेअ़ तिर्मिज़ी के इस नुस्ख़े पर किए गए काम की मुख़्तसर वज़ाहत दर्ज ज़ेल (निम्नलिखित) है। किताब का तर्जुमा मौलाना अली मुर्तज़ा ताहिर (हफ़िजहुल्लाह) ने किया है।

फ़ाज़िल मुतर्जिम ने मुख़्तलिफ़ मक़ामात पर मुश्किल अलफ़ाज़ के मआनी को बयान करने के साथ साथ उनकी आसान वज़ाहत भी कर दी है।

फ़ाज़िल मुतर्जिम ने इफाद-ए-आम के लिए कई मक़ामात पर मुख़्तसर तौज़ीही फ़वाइद दर्ज कर दिए हैं:

किताब की तर्तीब कुछ इस तरह है कि हर किताब के शुरू में उदाहरण के तौर पर '' किताबुल ईमान'' इसका मुख़्तसर परिचय, फिर हर बाब और उसके मुताल्लिक़ अहादीस का तर्जुमा, मुश्किल अलफ़ाज़ के मआनी, इमाम तिर्मिज़ी की वज़ाहत, तौज़ीही फ़वायद, फिर किताब के आखिर में इस किताब के मसाइल का ख़ुलासा ज़िक्र किया है ताकि कारी (पढ़ने वाले) को हदीसे मुबारका को समझने में आसानी हो.

अहादीस पर अल्लामा नासिरूद्दीन अल्बानी (رحمه الله) की तहक़ीक़ के मुताबिक़ हुक्म दर्ज किया गया है।

शैख़ अल्बानी (رحمه الله) का हुक्म मक्तबा अल मआरिफ़ से शैख़ अबू उबैदा मशहूर बिन हसन आले सलमान

की मदद से प्रकाशित होने वाली तिर्मिज़ी से ली गयी है।

अहादीसे मुबारका की तर्कीम (नम्बर शुमारी) बैनुल-अक्वामी नुस्खा फव्वाद अब्दुल बाक़ी और मतन दारुस्सलाम (रियाज़) से प्रकाशित किताब के मुताबिक़ है।

अहादीस की तख़रीज डाक्टर बश्शार अवाद मारूफ की तख़रीज से मुस्तफ़ाद है। जिसे दारुल गरब ने छ जिल्दों में प्रकाशित की है।

अगर कोई हदीस सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में भी है तो उमूमन तख़रीज में सिर्फ इन्हीं के हवाले पर इक्तफा किया गया है। इसलिए कि सहीहैन की अहादीस की सेहत पर उम्मत का इज्मा है।

तर्जुमा व फवाइद की तसहीह व तनकीह अबू मुहम्मद मोहिबुर्रहीम (हफ़िज़हुल्लाह) ने की है।

तख़रीज व तहक़ीक़ को हाफ़िज़ अबू सुफ़ियान मीर मोहम्मदी (हफ़िज़हुल्लाह) ने बड़ी मेहनत और शौक़ से नक़ल किया है ताकि कोई कमी बाक़ी ना रह जाए.

हदीसे मुबारका की ख़िदमत जहां एक इन्तिहाई बा सआदत काम है, वहाँ एक मुश्किल और निहायत एहतियात का मुतकाज़ी काम भी है। अगर किताब में क़ारेईन अरबी मतन या तर्जुमा व तौज़ीहात में या किसी और हवाले से किसी क़िस्म की कोई क़मी पायें, तो हमें मुत्तला फ़रमाएं ताकि हम आइन्दा एडिशन में उसकी इस्लाह कर सकें.

यह न सिपासी होगी कि इदारह का कोई अहम् काम बिरादर अकबर हाफ़िज़ हम्माद शाकिर (हफ़िज़हुल्लाह) और खल्लाद शाकिर (हफ़िज़हुल्लाह) की तरफ़ मंसूब न करूं, जिनकी तर्बियत की वजह से मैं इसके क़ाबिल हुआ. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वालिदे गिरामी हाफ़िज़ अहमद शाकिर (हफ़िज़हुल्लाह) और मेरे तमाम बिरादरान को दीन व दुनिया की बरकतों और अपनी ख़ास रहमतों से नवाज़े. मैं उन अहबाब का भी तहे दिल से शुक्र गुज़ार हूँ जिन्होंने खिदमते हदीस के इस मंसूबे में किसी भी क़िस्म के इल्मी व फन्नी मशवरे से नवाज़ा.ख़ास तौर पर खलीलुर्रहमान चिश्ती (हफ़िज़हुल्लाह), जिन से किताब की तबाअत से पहले तर्तीब के बारे में रहनुमाई ली और उन्होंने मुफ़ीद मशवरों से भी नवाज़ा और फ़ाज़िल मुतर्जिम मौलाना अली मुर्तजा ताहिर जिन्होंने निहायत इख़्लास और मोहब्बत से किताब का तर्जुमा किया और अब्दुर्रऊफ़ भाई का जिन्होंने बड़े ख़ुलूस और मोहब्बत से किताब की कम्पोजिंग और सेटिंग को अपनी फन्नी महारतों से निखारा. अल्लाह तआला तमाम मुख़लिस अहबाब को सवाबे जजील अता फ़रमाए. आमीन या रब्बल आलमीन.

तक्दीम

إِنَّ الْحَمْدَ لله، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، ومِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ له ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ - وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ - وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد ! فا عوذ با الله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الر حيم

मुहद्दिसीने किराम वह अज़ीम हस्तियाँ हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हदीसे रसूल की ख़िदमत में गुजारीं अपने तमामतर तवानाइयाँ शजरे इस्लाम की आब्यारी के लिए सर्फ़ कर दी। रसूलुल्लाह(ﷺ) के फ़रामीन को जमा करके उम्मत तक पहुंचाया और इस अजीम मिशन में आने वाली तमाम सऊबतों (मुश्किलों) को बड़ी खन्दा पेशानी से क़ुबूल किया, अपने माल और वक़्त को दीने इस्लाम की नशरो इशाअत और फ़रामीने रसूल की जमओ तद्वीन के लिए वक्फ़ कर दिया, यही वजह है कि सदियाँ गुज़र जाने के बाद भी उनके नाम और कारनामे तारीख के माथे का झूमर हैं.

उनके इस अजीम मिशन को मिटाने और उन्हें इस काम से हटाने के लिए हाकिमों और ख्वारिज ने सर तोड़ कोशिशें कीं, किसी पर इर्तिदाद का इलज़ाम, किसी पर तक़्दीर के मुन्किर होने का इलज़ाम और किसी को जेल की सलाखों के पीछे डाला लेकिन यह तमाम तर हथकंडे उन अजीम लोगों के पाये इस्तिक्लाल में लर्ज़िश पैदा ना कर सके.

क्या ही क़ाबिले रश्क जिंदगियां थीं उन जलीलुल क़द्र और क़िस्मत के धनी इंसानों की! कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मेह्वर व मर्कज़ अहादीसे रसूल(ﷺ) को बनाए रखा.

यह गुलिस्ताने हदीस के वह खिलते फूल थे जिन्होंने अपनी खुशबू से तमाम आलम को महका दिया. किस क़दर साहिबे फ़ज़ल थे यह मुहद्दिसीने किराम कि जिनके सुबहो शाम और लैलो नहार क़ालल्लाहु और क़ालर्रसूल की दिल नवाज़ और रूह परवर सदाओं में बसर हुए.

यह उनकी हदीसे रसूल(ﷺ) से सच्ची मोहब्बत ही थी कि जिसकी बदौलत आज भी उन दुर्वेश सिफत इंसानों का नाम सुनहरी हुरूफ़ से लिखा जाता है। - - - उनकी सच्ची लगन और पाकीज़ा जज़्बात का ही

नतीजा था कि उनको आप(ﷺ) के फ़रामीन साथ-साथ उनके इस्नाद सैकड़ों, हज़ारों थीं बल्कि लाखों की तादाद में ज़हन नशीं हुए तो, दुनिया उनके हाफ़िज़े को देख कर अन्गुश्ते बदंदाँ (दातों तले उंगलियाँ

दबाना) रह जाती फ़रामीने रसूल(ﷺ) की तलाश में वह नगर नगर और बस्ती-बस्ती फिरते रहे, इसी लिए आज उन अजीम शख्सिय्यात को क़दर की निगाह से देखा जाता है। ...यह आसमाने इल्म के वह सितारे थे जिन से आज तक लोग रास्ता तलाश कर रहे हैं.

उन्हीं बे मिसाल शाख्सिय्यत में से एक इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) हैं जिन्होंने उम्मते मोहम्मदिया के लिए एक वक़ी और ग्रांक़द्र तालीफ़ की जो अपनी इन्फ़रादियत और जामेइयत के लिहाज़ से बड़ी अफादियत के हामिल है। यूं समझये कि उन्होंने जामेअ़ तिर्मिज़ी की शक्ल में उम्मत के लोगों को एक ऐसा गुलाब दिया है जिसकी खुशबू से उम्मते मोहम्मदिया के हर हर फर्द की साँसें महकी हुई हैं.

यह अजीम तालीफ़ कुतुबे अहादीस में नुमायाँ मक़ाम रखती है और इसका बा तर्जुमा नुस्खा आप के हाथ में है। तक्दीम के इन किर्तास में आप दर्ज ज़ेल बातों के बारे में आगाही हासिल करेंगे:

इमाम तिर्मिज़ी के हालाते ज़िंदगी.

जामेअ़ तिर्मिज़ी और इसकी इम्तियाज़ी खुसूसियात.

इमाम तिर्मीज़ी के शुयूख (असातिजा)और तलामिज़ा (शागिर्दान)

जेरे मुताला मुतर्जम (तर्जुमा शुदा) किताब की ख़ुसूसियात

इमाम तिर्मिज़ी के हालाते ज़िंदगी.

नाम वनसब: अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा बिन सौदा बिन मूसा बिन ज़ह्हाक अस्सुलमी, अत्तिर्मिज़ी अल्बूग़ी अज्ज़रीर

वजहे निस्बत : अस्सुलमी... क़बीला बनू सलैम से ताल्लुक़ होने की वजह से आप को सुलैम कहा जाता है।

अत्तिर्मिज़ी... तिर्मिज़ दर्याए जेहून के किनारे वाक़े खुरासान का मशहूर शहर है। इस शहर में बड़े बड़े उलमा और मुहद्दिसीन पैदा हुए इस लिए इसे '' مدينة الرجال भी कहा जाता रहा है। इस शहर को आपके मौलिद होने का शरफ़ हासिल है। चुनांचे इसी निस्बत से आप तिर्मिज़ी कहलाये।

अल-बूग़ी...तिर्मिज़ शहर से छ फ़र्सख़ (तकरीबन 45 कि.मी.) पर वाक़े बूग़ नामी एक कस्बा है जहां आपकी वफात हुई और इसी जगह आप मद्फून हैं जिसकी वजह से आपको अल-बूग़ी भी कहा जाता है।

अज्ज़रीर... अज्ज़रीर कहे जाने की वजह यह है कि उमर के आख़िरी हिस्से में आप की आँखों की बीनाई जाती रही थी.

विलादत और तलफ्फ़ुज़े तिर्मिज़ी इमाम तिर्मिज़ी की विलादत के बारे में ज़्यादातर सीरत निगारों का

इसी बात पर इत्तफाक़ है कि आप 209 हिजरी में नहरे बल्ख के किनारे वाक़े शहरे तिर्मिज़ में पैदा हुए. तिर्मिज़ आफ़गानिस्तान की शिमाली सरहद पर दर्याए आसू के किनारे उज़्बेकिस्तान का जुनूबी शहर है। लफ़्ज़ तिर्मिज़ के तलफ्फुज में मारूफ इख़्तिलाफ़ है इसे तर्मज़, तुर्मुज़,तिर्मिज़ सभी तरह पढ़ा जा सकता है लेकिन राजेह मौकिफ यही है कि तिर्मिज़ इस्मिद की तरह पढ़ा जाएगा. अल्लामा समआनी कहते हैं: मैं इस शहर में 12 दिन रहा लोग इसे तिर्मिज़ (त और मीम के कसरह के साथ) बोलते थे. (अल-अन्साब: 1/459)

सय्यद कासिम महमूद लिखते हैं: तिर्मिज़ रूसी तुर्किस्तान का एक शहर है जो आमू दरिया के शिमाली किनारे पर वाक़े दर्याए सर्जान के दहाने पर वाक़े है। जब मुसलमान यहाँ पहुंचे तो तिर्मिज़ में बुद्ध मत का उरूज था. (इस्लामी इन्साइक्लोपीडीया: 1/543)

तहसीले इल्म: उलूम व मआरिफ का चश्मा मक्का मुकर्रमा में फूटा, इसकी नशोनूमा मदीना मुनव्वरह में हुई फिर मदीना मुनव्वरह से उलूम व फुनून का यह सैले रवां इराक़ (कूफा व बसरह) पहुंचा फिर इल्म व इरफ़ान के इस दरिया का रुख खुरासान की तरफ़ हुआ जिसकी वजह से खुरासान की ज़रखेज़ ज़मीन में बहार आ गई. इमाम तिर्मिज़ी के इब्तिदाई तालीम हासिल करने की तफासील नहीं मिलती लेकिन ग़ालिब गुमान यही है कि आपने खुरासान के चमने इल्म से ही खोशा चीनी की, क्योंकि उस दौर में यही इलाका इल्म व फुनून के अरबाब व असहाब का मर्कज़ था.

रह्लाते इल्मिय्या: इस्लाम की तालीमात की बुनियाद किताबुल्लाह के बाद सुन्नते नबवी पर है, इसके बगैर दीन का सहीह और मुकम्मल इल्म हासिल नहीं हो सकता, इस लिए हर दौर में मुसलामानों ने इसकी तरफ़ भर पूर तवज्जोह दी, ख़ुसूसन इब्तिदाई चंद सूबों में इसक़ी हिफाज़त व इशाअत का इतना एहतमाम हुआ जिसकी दुनिया में कोई कौम मिसाल पेश नहीं कर सकती. नफ्से हदीस के मुताल्लिक़ बहुत से उलूम ईजाद हो गए, हिजाज़, इराक, खुरासान, मा वरा उन्नहर, शाम, मिस्र और मगरिब दुनिया के हर गोशे में मराकिज़े क़ुरआन व हदीस कायम हो गए थे और हिजाज के बाद खुरासान को इस बाब में ख़ास इम्तियाज़ हासिल था. बड़े-बड़े मुहद्दिसीन यहीं पैदा हुए लेकिन हुसूले इल्म की जुस्तजू में जहां-जहां मुम्किन हो सका पहुंचे और अपने दामन को इल्म के फूलों से भरा. इसी तरह इमाम तिर्मिज़ी ने भी कई ममालिक का इल्मी सफ़र किया. इस बारे में हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) लिखते हैं: '' طاف البلاد و سمع خلقا من الخراسانيين و العراقيين و الحجاجيين.'' : (तहजीबुत्तजीब : 1/344) आपने मुताद्दिद (कई) शहरों का इल्मी सफ़र किया और खुरासान, इराक और हिजाज़ के उलमा से सिमाए हदीस किया.

हाफ़िज़ा : जहां अल्लाह तआला ने आपको अखलाक़ व आदात की खूबसूरती अता की थी वहीं आपको हैरान कुन और गैर मामूली हाफ़िज़ा अता फ़रमाया, आपकी कुव्वते हाफ़िज़ा और ज़ब्त के मलका के बारे

में अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी (رحمه الله) अबू सईद इद्रीसी का कौल बयान करते हैं: (كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ : (तज्किरातुल हुफ्फाज़ 9/ 634) इमाम तिर्मिज़ी कुव्वते हाफ़िज़ा में ज़र्बुल मसल थे.

आपके गैर मामूली हाफ़िज़े के बारे में बहुत से सीरत निगारों ने एक बहुत ही ईमान अफरोज वाक़िया बयान किया है कि आपने किसी वास्ते के साथ एक मशहूर मुहद्दिस की अहादीस के दो अजज़ा (पारे) लिखे. इमाम तिर्मिज़ी एक दफ़ा सफरे हज पर जा रहे थे कि एक बुज़ुर्ग पर उनकी नज़र पड़ी, दर्याफ़्त करने पर पता चला यह वही बुज़ुर्ग हैं जिनकी अहादीस के दो अजज़ा आप बिल वास्ता लिख चुके थे. इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: मैं उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ ताकि बराहे रास्त उनसे उन अहादीस का सिमा (सुनना) कर लूं और सनद आली हो जाए।

फिर जल्दी में अपने सामान में दो कापियां रख लीं, ख़याल था कि वह कापियां हैं जिनमें उस शैख़ की अहादीस लिखी हैं लेकिन यह कापियां साफ़ थी उन पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था. चुनांचे जब शैख़ के पास पहुंचे, उन्होंने फ़रमाया, मैं अहादीस की किरात करता हूँ तुम देखकर इस्लाह करते जाना, शैख़ ने पढ़ना शुरू किया, दौराने किरात जब शैख़ की नज़र साफ़ कागजों पर पड़ी तो गुस्से में आकर कहने लगे: तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे मज़ाक़ कर रहे हो? मैंने उनसे अपना सारा वाकिया बयान किया और उनसे अर्ज़ की आप तहरीरकर्दा तमाम अहादीस मुझसे सुन लें. चुनांचे उनके कहने पर बिलकुल उसी तर्तिब पर तमाम अहादीस सुना दीं तो वह कहने लगे: तुमने पहले से उन अहादीस को याद किया होगा मैं ने अर्ज़ की नहीं, यह आपके तरीक की ही रिवायात हैं। आप और अहादीस बयान करें, उन्होंने चालीस अहादीस बयान कीं और कहने लगे अब सुनाओ, मैंने वह चालीस अहादीस फ़ौरन सुना दीं तो उन्होंने कहा: (ما رأيت مثلك . ''मैंने तुम्हारे जैसा कोई शख़्स नहीं देखा।''

असातिज़ा: हाफ़िज़ इब्ने हजर का क़ौल आप पढ़ चुके हैं कि इमाम तिर्मिज़ी ने बहुत से असातिज़ा से कस्बे फैज़ किया. यहाँ चंद नामवर और अरबाबे इल्म व फ़ज़ल असातिज़ा का इज्माली तज्किरह किया जाता है आप ने अपने दौर के जलीलुल क़द्र असातिज़ा से हदीस का इल्म हासिल किया: कुतैबा बिन सईद, इस्हाक़ बिन राहवे, मुहम्मद बिन अम्र अस्सिवाक़, महमूद बिन गैलान, इस्माईल बिन मूसा अल-फजारी, अहमद बिन बनीअ, अहमद बिन अल-हारिस, अबू वहब अज्ज़ोहरी, बिश्र बिन मुआज़ अल-अकदी, हसन बिन अहमद बिन अबू शोऐब, अबू अम्मार हुसैन बिन हुरैस, अब्दुल्लाह बिन मुआविया अल्जमई, अब्दुल जब्बार बिन अल-अला, अबू कुरैब मुहम्मद बिन अला, अली बिन हजर, अली बिन मस्रूक अल्किन्दी, अम्र बिन अली अल्फल्लास, इमरान बिन मूसा अल-क़ज्जाज़, मुहम्मद बिन अबान अल-मुस्तम्ली, मुहम्मद बिन अबू हुमैद अर्राज़ी, मुहम्मद बिन अब्दुल-आला, मुहम्मद बिन राफे, मुहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन अबू रिज्मा, मुहम्मद बिन अब्दुल मलिक बिन अबू अस्सवाब, मुहम्मद बिन यहया अल-

अदनी, नस्र बिन अली, हारुन अल्हम्माल, हन्नाद बिन सरीये, अबू हम्माम वलीद बिन शुजा, यहया बिन अक़्सम, इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह अल-हार्वी, सुवैद बिन नज़र अल-मर्वज़ी.

इसी तरह आपने अमीरुल मोमिनीन फ़िल-हदीस इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी और आयातुम्मिन आयातिल्लाह इमाम मुस्लिम (رحمہ اللہ) से भी इल्म हासिल किया बल्कि आप इन दोनों मुहद्दिसीन के बअ़ज शुयूख (कुछ असातिज़ा) में भी शरीक हैं।

तलामिज़ा : जिस तरह आपके असातिज़ा का बित्तह्दीद ज़िक्र करना मुश्किल है इसी तरह आपके शागिर्दों का सिलसिला भी बहुत वसीअ (लम्बा-चौड़ा) है लेकिन उन में से चंद एक के अस्म-ए-गिरामी यह हैं:

अबू बकर अहमद बिन इस्माईल समर कंदी, अबू हामिद अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन दाऊद अल-मर्वज़ी, अहमद बिन अली बिन हस्नवेह अल-मुकिर्री, अहमद बिन यूसुफ़ नसफी, असद बिन हम्दवेह नसफी, हुसैन बिन यूसुफ़ फर बरी, हम्माद बिन शाकिर अल-वर्राक़, दाऊद बिन नस्र बिन सुहैल अल-बज़्दवेह, रबी बिन हिब्बान अल-बाहिली, अली बिन उमर बिन कुलसूम, फ़ज़्ल बिन अम्मार अस्सराम, अबू अब्बास मुहम्मद बिन अहमद बिन महबूब मर्वज़ी, अबू जाफर मुहम्मद बिन अहमद नसफी, मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन यहया अल-मर्वी अल-फराब, मुहम्मद बिन मक्की बिन नूह नसफी, अबू मुती मकहूल बिन अल-फ़ज़्ल नसफी, नस्र बिन मुहम्मद बिन सीरह शैरकी, हैसम बिन कुलैब अश्शाशी (1).

इमाम तिर्मिज़ी अहले कलम की नज़र में : इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) की इल्मी जलालत के बारे में अहले इल्म ने खूब कलम रवाई की है यहाँ हम चंद सीरत निगारों के अक़्वाल दर्ज करने पर इक्तफा करेंगे। इमाम ज़हबी फ़रमाते हैं: इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि इमाम अबू ईसा हाफ़िज़ुल इल्म और सिक़ा मुहद्दिस थे

(2). इमाम इब्ने असीर जज़री फ़रमाते हैं: इमाम तिर्मिज़ी एक इमाम, हाफ़िज़ुल इल्म और उनका शुमार इल्मो फन के उन उलमा में होता है जिन्हें फिक़ा में मलका हासिल था. (अल-कामिल:7/152, वन्ज़ुर : जामिउल उसूल :1/814, 1/193, 2/11)

हाफ़िज़ मिज़्ज़ी लिखते हैं: उन नामवर हुफ्फाज़े अइम्मा में से एक हैं जिनकी वजह से अल्लाह तआला ने मुसलामानों को बहुत नफ़ा दिया. (3)

अबू साद अल्हाफिज़ अब्दुर्रहमान बिन मुहम्मद अल-इदरीसी फ़रमाते हैं: उनका शुमार इल्मे हदीस के उन उलमाए किराम में होता है इल्मे हदीस में जिनकी इक्तिदा की जाती है उन्होंने अल-जामे, अत्-तवारीख और अल-इलल की तसनीफ की आप एक सिक़ा आलिम थे और हिफ्ज़ व ज़ब्त में उनकी मिसाल नहीं मिलती. (तहजीबुत्तजीब 9/244)

अल्लामा समआनी कहते हैं: आप साहिबे तसनीफ और अपने दौर के इमाम थे. (अल-अन्साब:2/362, 3/43)

ज़ोह्दो तक़वा : इमाम तिर्मिज़ी न सिर्फ यह कि उलूम व फुनून में इमामत के दर्जे पर थे बल्कि आप इबादत व तक़वा और ज़ोह्दो वरा में भी शोहरत रखते थे. उमर बिन मलिक कहते हैं: इमाम बुख़ारी का इन्तिकाल हुआ तो उन्होंने इल्मो हिफ्ज़ और ज़ोह्दो वरा में तिर्मिज़ी की तरह किसी और को अपने पीछे नहीं छोड़ा, आप खौफे इलाही से इतना रोते कि आख़िरी उमर में आप नाबीना हो गए और ज़िंदगी के कई साल ना बीना रहे.

इमाम तिर्मिज़ी का फ़िक़्ही मस्लक : सुनन तिर्मिज़ी के मुताला से वज़ाहत होती है कि इमाम तिर्मिज़ी अपने शुयूख बिल-ख़ुसूस इमाम बुख़ारी की तरह किताब व सुन्नत से आज़ादाना तौर पर इस्तिदलाल करते थे और सहीह व साबित शुदा मसले पर अमल करते थे और अपने असलाफ व मोतबर फ़ुक़हाये उम्मत के फतावा से इस्तिफादा करते थे जिनके बारे में आपको गहरी वाक़िफियत थी।

बअ़ज लोगों ने आपको इमाम शाफ़ेई का मुक़ल्लिद कहा, बअ़ज ने इमाम बुख़ारी और इब्ने हंबल का. हालांकि तीसरी सदी हिज़री में तक्लीदे मज़ाहिब का कोई रिवाज नहीं था. हकीक़त यह है कि इस तरह की निस्बत खाना साज़ और दलाइल से आरी है क्योंकि मुहद्दिसीन का क़ुरआन व सुन्नत की रोशनी में इख़्तियारकर्दा अपना एक मुस्तक़िल और मुत्तफ़क़ा मस्लक व मंहज है। जिसे हम इत्ताबाये किताब व सुन्नत का नाम देते हैं और इमाम तिर्मिज़ी का भी यही फ़िक़्ही मस्लक व मज़हब था.

तसानीफ़: इमाम तिर्मिज़ी ने मुताद्दिद (कई) उलूम पर किताबें छोड़ी हैं जो दर्ज ज़ेल हैं:

1.सुनन तिर्मिज़ी: इसका मुफ़स्सल बयान अनकरीब आ रहा है।
2.अश्शमाइलु अन्नब्बिय्या अल-मारूफ़ शमाइले तिर्मिज़ी.
3.अल-इलल अल-कबीर
4. किताबुल इलल: जामेअ़ तिर्मिज़ी के आखिर में है।
5. अज्ज़ोहद हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस किताब तक हमारी रिसाई नहीं हो सकी

(तहजीबुत्तजीब: 9/345)

6.अत्तारीख 7.अस्माउस्सहाबा 8.अल-अस्मा वल-कुना
9. किताब फ़िल आसारिल मौकूफ़ा इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) ने अपनी जामेअ के आखिर में इसका इशारा किया है।

वफ़ात : यह एक हक़ीक़ते मुसल्लमा है कि हर इंसान अपनी हयाते मुस्तआर को पूरा करने के बाद आख़िरी सफरे आखिरत पर रवाना होता है इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) ने 13 रजब 279 हिजरी बरोज़ सोमवार अतिर्मिज़ में वफ़ात पायी और तिर्मिज़ में ही जबकि बअ़ज रिवायात के मुताबिक़ बूग़ कस्बा में दफ़न हुए.

एक शुब्हा का इज़ालह: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) के अलावा दो शाख़्सिय्यात हैं जो तिर्मिज़ की निस्बत से मारूफ है और वह दोनों साहिबे तसनीफ हैं: (1) अबुल हसन अहमद बिन हसन.........यह तिर्मिज़ी कबीर के लक़ब से मशहूर हैं इनका शुमार इमाम अहमद बिन हंबल के शागिर्दों में होता है। कई मुहद्दिसीन ने इनसे रिवायात ली हैं.

(2) हकीम तिर्मिज़ी......अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अली इनकी किताब नवादिरूल उसूल है।

मुलाहज़ा: इमाम तिर्मिज़ी के हालात का मुताला करने के लिए दर्ज ज़ेल क़ुतुब की तरफ़ रुजू किया जाए.

सिक़ात इब्ने हिब्बान:9/153. अल-अन्साब लिस-समआनी:3/45. मोजमुल बुल्दान लियाकूत अल-हम्वी: 2/207. अल-कामिल फित् तारीख़:7/460. वफ़यातुल आयान:4/278. तहजीबुल कमाल : 26/250. तारीख़ुल इस्लाम लिज़ ज़हबी हवादिसे वफ़यात:27/280. सियरू आलामिन्नूबला:13/280 अल-काशिफ़:3/तर्जुमा: 8035. अल-इबर:2/62. मीज़ानुल एतदाल: 3/ अत्तर्जुमा: 8035. तज़किरतुल हुफ्फाज़: 2/633. अल्वाफ़ी बिल वफ़ियात लिस्सफ्दी:4/294.नुकतु हयान:264. अल्बिदाया वन्निहाया: 11/67, 66. तहजीबुत्तजीब 9/387. अन्नुजुमुज्ज़ाहिरा: 3/88. शज़रातुज्ज़हब: 2/173)

जामेअ़ तिर्मिज़ी और इसकी इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात: जामेअ़ तिर्मिज़ी का शुमार उन छ कुतुबे अहादीस में होता है जो ''सिहाहे सित्ता'' कहलाती हैं। उन में पहली दो किताबें सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम सहीहैन जबकि बकिया चार कुतुब ''सुनने अरबा'' के नाम से मारूफ हैं, इमाम तिर्मिज़ी अपनी किताब के बारे में फ़रमाते हैं: मैंने यह किताब तसनीफ की तो इसे हिजाज़, इराक़ और खुरासान के उलमा पर पेश किया, तमाम उलमा ने इसे पसंद किया. (1)

किताब का नाम: इमाम तिर्मिज़ी की यह किताब अवामुन्नास में ''जामेअ़ तिर्मिज़ी'' के नाम से मशहूर है जामेअ उस किताब को कहा जाता है जिसमें आठ क़िस्म के अबवाब पर मुश्तमिल अहादीस पाई जाती हो; सियर, आदाब, तफसीर, अक़ाइद, फ़ितन, अहकाम, अशरात, (अह्वाले क़यामत) और मनाकिब.

चुनांचे बहुत से उलमा ने इस पर जामेअ का इतलाक़ किया है जिन में अल्लामा समआनी, इब्ने असीर, अल्लामा ज़हबी, इमाम इब्ने कसीर और हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) सरे फेहरिस्त हैं.

जबकि ख़ुद इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) ने इसे ''अल्मुस्नद अस्सहीह'' का नाम दिया है। फ़रमाते हैं: '' صنفت هذا المسند الصحيح '' : (देखें: अल्बिदाया वन्निहाया: 11/66)

जामेअ़ तिर्मिज़ी को ''सुनन तिर्मिज़ी'', ''अल जामेअ अलकबीर'' और ''अल्जामिउस्सहीह'' जैसे नाम भी अहले इल्म ने दिए हैं बअ़ज अहले इल्म ने इस किताब की अफादियत और इन्फिरादियत को देखते हुए और इस से हासिल होने वाले उलूम व फवाइद की बिना पर इसे इस नाम से नवाजते हैं: الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلي الله عليه وسلم و معرفة الصحيح المعلول و عليه العمل '' :

सिहाहे सित्ता में जामेअ़ तिर्मिज़ी का मक़ाम: सिहाहे सित्ता में जामेअ़ तिर्मिज़ी की अहमियत व अफादियत सब पर वाज़ेह है लेकिन सहीहैन के बाद सुनन अरबा में उसके मर्तबा के बारे में इख़्तिलाफ़ है।

बअ़ज अहले इल्म के नज़दीक सहीहैन के बाद सुनने अरबा में पहला मक़ाम जामेअ़ तिर्मिज़ी का है।

अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारक पूरी साहिबे तोहफतुल अहवज़ी और हाजी ख़लीफ़ा (मुल्ला कातिब चिल्पी) साहिबे कशफ़ुज़ ज़ुनून की यह राय है।

अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी कहते हैं: जामेअ़ तिर्मिज़ी का मर्तबा सुनने निसाई से इस लिए कम हो गया कि इमाम तिर्मिज़ी ने मुहम्मद बिन सईद अल-मस्लूब और मुहम्मद बिन साइब कल्बी जैसे लोगों की रिवायात अपनी किताब में दर्ज की हैं. (1)

लेकिन अल्लामा मुबारक पूरी इसका जवाब यह देते हैं कि इमाम तिर्मिज़ी ने मस्लूब और कल्बी जैसे रावियों की रिवायात को बयान करने के बाद उनके ज़ोअफ़ (कमज़ोरी) को भी बयान कर दिया है और उन जैसे रावियों की रिवायात बतौर शहादत व मुताबअत ज़िक्र की हैं.

जामेअ सग़ीर में हाफ़िज़ सुयूती ने कुतबे सित्ता की यह तर्तीब रखी है। ... ب बुख़ारी م मुस्लिम, ق मुत्तफ़क़ अलैह, و सुनने अबू दाऊद, ت जामेअ़ तिर्मिज़ी, ن निसाई, . यानी उनके नज़दीक जामेअ़ तिर्मिज़ी का दर्जा सुनने अबू दाऊद व मन्फ़अत (फ़ायदे) के एतबार से सुनने अबू दाऊद और सुनने निसाई से बढ़ कर है और ज़ाहिरी बात वही है जो साहिबे कशफ़ुज्ज़ुनून ने लिखी है कि कुतबे सिहाह में तिर्मिज़ी का तीसरा दर्जा है।

जामेअ़ तिर्मिज़ी अहले इल्म की नज़र में: इमाम ज़हबी (رحمه الله) :जामेअ़ तिर्मिज़ी में इल्मे नाफ़े, अहम् फवाइद और दुरूस व मसाइल हैं, जामेअ़ तिर्मिज़ी उसूले इस्लाम में से एक है। (2)

इमाम अबू इस्माईल अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद अंसारी...मेरे नज़दीक इमाम तिर्मिज़ी की जामेअ सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम से ज़्यादा मुफ़ीद है क्योंकि सहीहैन ने फवाइद पर कोई मुतबह्हर (बड़े) आलिम ही इत्तिला पा सकता है। जबकि जामेअ़ तिर्मिज़ी से सभी लोग फाइदा उठा सकते हैं. (अल-मर्जा अस्साबिक़)

इमाम अज्ज़ुद्दीन इब्नुल असीर अल-जज़री:... तिर्मिज़ी इमाम और हाफ़िज़े हदीस थे उनकी बेहतरीन तस्नीफात हैं जिनमें अल-जामिउल कबीर है जो एक बेहतरीन किताब है। (3)

क़ाज़ी अबू बकर इब्नुल अरबी: इमाम तिर्मिज़ी की तालीफ़ का मक़ाम मोअत्ता इमाम मालिक और सहीहैन के बाद है लेकिन तमाम कुतुबे अहादीस में जामेअ़ तिर्मिज़ी में जो हलावत, नफासत और चाशनी है वह बकिया क़ुतुब में नहीं है। (1)

ख़ुसूसियात :जामेअ़ तिर्मिज़ी बहुत से फवाइद और उलूमे नाफ़िआ की हामिल एक माया नाज़ तसनीफ है यहाँ इज्माली तौर पर चन्द एक इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात का ज़िक्र किया जाता है।

साहिबे किताब ने अहादीस की सेहत और ज़ोअफ़ पर हुक्म लगाते हुए इसकी इल्लत को बयान कर दिया है।

किताब की तकरीबन तमाम अहादीस पर किसी न किसी फकीह का अमल रहा है।

इमाम तिर्मिज़ी ने अपने से पहले फ़ुक़हा की रायें बयान की हैं.

मुअल्लिफ़ ने इलल, अहवाले रुवात और उनके मर्तबे के बयान पर ख़ुसूसी तवज्जोह दी है।

इसमें आसान तर्तीब और वाज़ेह उस्लूब पाया जाता है।

यह किताब कई उलूम की हामिल है, मसलन: फ़िक़ह, इलले हदीस, अस्मा व कुना, जर्हो तादील, इसी तरह शाज़ मौकूफ़ और दुरूज रिवायात का इल्म.

तर्ज़े तालीफ़ : इमाम तिर्मिज़ी ने अपनी सुनन में यह तरीक़ा अपनाया है कि पहले तर्जुमतुल बाब लाते हैं और उस बाब के तहत किसी मशहूर सहाबी से मर्वी हदीस लाते हैं। लेकिन तर्जुमतुल बाब के तौर पर बाब में मजकूर हुक्म किसी दुसरे सहाबी से मर्वी दूसरी गैर मजकूर हदीस से निकलता है लेकिन इसकी तख़्रीज उन्होंने नहीं की है तो उसकी तरफ़ इशारा कर देते हैं अगरचे वह सनद के एतबार से कमज़ोर हो लेकिन उसका हुक्म सहीह हो. फिर उसके बाद उस हदीस पर मशहूर फ़ुकहा के अक़वाल और अमल को बयान कर देते. इसी तरह यह भी बयान कर देते हैं कि इस मस्अला में फुलां फुलां सहाबी से भी रिवायात आती हैं और पूरी जमाअ़त को ज़िक्र कर जाते हैं जिन में वह सहाबी भी शामिल होते हैं जिनकी हदीस से बाब का हुक्म निकलता है। लेकिन याद रहे ऐसा मामला चँद अबवाब में हुआ है।

वह हज़रात जिनके अक़वाल इमाम तिर्मिज़ी ने अपनी जामेअ में नक़ल किए हैं:

क़ाज़ी शुरैह बिन हारिस बिन कैस, (2) सईद बिन मुसय्यब मख्ज़ूमी, (3) मुर्रा बिन शराहील अत्तय्यब अल-हम्दानी, (4) सईद बिन जुबैर कूफी, (5) अबुल आलिया रफी बिन मेहरान रियाही बसरी, (6) अम्र बिन अब्दुल अज़ीज़ अल-खलीफतुल-अह्वी, (7) मुजाहिद बिन जुबैर मख्ज़ूमी मक्की, (8) इब्राहीम बिन यज़ीद नखई अल-कूफ़ी, (9) आमिर बिन शराहील शाबी, (10) सईद बिन मुसय्यब मख्ज़ूमी, (11) मुहम्मद बिन काब अल-क़र्ज़ी, (12) अता बिन अबी रबाह मक्की, (13) मक्हूल अश्शामी, (14) क़तादा सदूसी बसरी, (15) मुहम्मद बिन सीरीन, (16) हसन इब्ने अबुल हसन बसरी, (17) इक्रमा मौला इब्ने अब्बास, (18) ज़ह्हाक बिन मुजाहिम अल-हिलाली अल-खुरासानी, (19) उसामा अब्दुल्लाह बिन उमर बिन इब्ने खत्ताब, (20) ताऊस बिन कैसान खौलानी, हम्दानी, यमानी, (21) अब्दुर्रहमान बिन महदी बसरी, (22) ज़ैद बिन सलमा अल-अदवी अल-मदनी मौला उमर, (23) यहया बिन सईद बिन फर्रूख अल-क़त्तान अल-बसरी, (24) वकी बिन जर्राह अल-कूफी, (25) अब्दुल्लाह बिन मुबारक हंज़ली मर्वज़ी, (26) अब्दुर्रहमान बिन उमर औज़ाई, (27) जाफ़र बिन मुहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली, (28) मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला, (29) अय्यूब सख्तियानी बसरी, (30) मुहम्मद

बिन मुस्लिम इब्ने शिहाब ज़ोहरी, (31) इस्हाक़ बिन राहवे, (32) अहमद बिन मुहम्मद बिन हंबल, (33) मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी, (34) यहया बिन मईन बग़दादी, (35) अली बिन अब्दुल्लाह इब्नुल मदीनी, (36) अबू ज़रआ उबैदुल्लाह बिन अब्दुल करीम राज़ी, (37) सुफ़ियान बिन सईद बिन मरूक़ सौरी कूफी, (38) शोबा बिन हज्जाज बिन वरद, अज्दी वास्ती, (39) सुफ़ियान बिन उय्यना बिन मैमून हिलाली कूफ़ी, (40) अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान दारमी.

इमाम तिर्मिज़ी के बअ़ज (कुछ) इस्तिलाहात की वज़ाहत:

हाज़ा हदीसुन हसनुन:..., हाज़ा हदीसुन जईफुन.... हाज़ा हदीसुन सहीहहुन...

इस किताब के आखिर में किताबुल इलल में इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: हम ने इस किताब में जो हसन हदीस ज़िक्र की है इस से मेरी मुराद यह है कि इस हदीस की सनद मेरे नज़दीक हसन दर्जा को पहुंचती है हर वह हदीस जिसकी सनद में कोई ऐसा रावी जिस पर झूठ की तोहमत लगी न हो रिवायत शाज़ न हो, और वह हदीस इसके अलावा दूसरी सनदों से भी आयी हो तो हमारे नज़दीक वह हसन दर्जा रखती है। और सहीह और ज़ईफ़ की इस्लाह में वह जुम्हूर के साथ ही हैं.

हाज़ा हदीसुन हसनुन: यानी यह हदीस एक सनद से हसन लिज़ातिही है यानी इसका दर्जा बजाते ख़ुद सहीह है और दुसरे तुरूक़ की वजह से यह हदीस सहीह लिग़ैरिही है दूसरा मतलब यह है कि यह हदीस सनद के एतबार से हसन है लेकिन मतन के एतबार से सहीह है।

हाज़ा हदीसुन गरीबुन मिन हाज़ल वजहे: इसका मतलब यह है कि यह हदीस इस सनद के एतबार से ग़रीब है मतन के एतबार से नहीं. यानी इस हदीस का मतन तो सहाबा की एक जमाअ़त के यहाँ मारूफ़ है अलबत्ता उस एक रावी के इस सहाबी से रिवायत करने के सबब यह हदीस ग़रीब है। इनके अलावा भी तमाम इस्तिलाहात पर शारिहीन ने मबाहिस लिखी हैं जिनसे आगाही के लिए शुरूहात की तरफ़ रुजू किया जाए।

जामेअ़ तिर्मिज़ी के रुवात: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) से बहुत से तिश्नगाने इल्म (इल्म के प्यासों) ने अपनी इल्मी पियास बुझाई लेकिन अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारक पूरी ने तिर्मिज़ी को रिवायत करने वाले हज़रात में इन छ: लोगों के नाम ज़िक्र किए हैं:

अबू हामिद अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन दाऊद अत्ताजिर अल-मर्वज़ी.
अबुल अब्बास मुहम्मद बिन अहमद बिन महबूब मर्वज़ी.
अबू ज़र मुहम्मद बिन इब्राहीम बिन मुहम्मद तिर्मिज़ी.
अबू सईद हैसम बिन कुलैब शाशी.
अबू मुहम्मद हसन बिन इब्राहीम अल-क़त्तान.

अबुल हसन अली बिन उमर अल-विज़ारी. (1)

जामेअ़ तिर्मिज़ी की रिवायात की तादाद: शैख़ नासिरुद्दीन अल्बानी (رحمه الله) ने सहीह और ज़ईफ़ अहादीस को अलग अलग किया है जिसके मुताबिक़ जामेअ़ तिर्मिज़ी में 80 फीसद से ज़्यादा अहादीस सहीह हैं

सहीह तिर्मिज़ी में उनके नज़दीक सहीह व गैर सहीह अहादीस की तादाद दर्ज ज़ेल हैं:

सहीह अहादीस:	3402
ज़ईफ़:	551
ज़ईफ़ जिद्दा:	32
ज़ईफ़ की मुख़्तलिफ़ क़िस्में मुन्कर वगैरह:	17
कुल तादाद:	4234

जामेअ़ तिर्मिज़ी की शुरूहात व उर्दू तराजिम: आरिज़तुल अह्वजी फी शरह जामिउत्तिर्मिज़ी:.. क़ाज़ी अबू बकर इब्नुल अरबी साखी (वफात 543 ह) की तालीफ़ है और छप चुकी है।

शरह जामेअ़ तिर्मिज़ी:... हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी.

तक्मिलतुन्नफा अल्लज़ी फी शरहिल जामेअ अत्तिर्मिज़ी:...यह इब्ने सय्यदुन्नास फखरूद्दीन अबुल फतह अल-बसरी की शरह अन्नफहुज्जैफी का तक्मिला है।

अल-अरफुश्शज़ी अला जामिइत्तिर्मिज़ी:... यह हाफ़िज़ उमर बिन रस्लान अल-बल्कीनी की एक न मुकम्मल शरह है।

कूतुल मुफ्तनी अला जामिइत्तिर्मिज़ी: हाफ़िज़ जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान बिन कमाल अस्सुयूती की शरह है

अल-उजाब फी तख़रीज मा यकूल फीहित्तिर्मिज़ी, व फ़िल बाब:...यह शरह हाफ़िज़ इब्ने हजर ने की, इसका नाम अल्बाब भी है।

अल-अरफुश्शज़ी अला जामिइत्तिर्मिज़ी:... मुहम्मद अनवर शाह कश्मीरी.

तोहफतुल अहवज़ी:... अल्लामा अब्दुर्रहमान मुहद्दिस मुबारक पूरी की माया नाज़ शरह है।

जाइज़तुल अहवज़ी फ़ी तालीकात अला सुननित्तिर्मिज़ी फी इख़्तिसारे तोहफतुल अहवज़ी:.यह हाफ़िज़ सनाउल्लाह बिन ईसा खान की तालीफ़ है और तोहफतुल अहवज़ी का जामेअ इख़्तिसार मआ इज़ाफात दस्तयाब है और यह शरह जमीअत एहयाउत्तोरास अल-इस्लामी कुवैत के तआवुन से चार जिल्दों में जामिया सलफिया बनारस (इण्डिया) से छपी है।

जाइज़तुश्शऊजी फ़ी शरहिल मजामिइत्तिर्मिज़ी: ...यह अल्लामा बदीउज़्ज़मा बिन मसीहुज़्ज़मा हैदरी का उर्दू तर्जुमा और मुख़्तसर शरह है।

नुस्रतुल- अज़ीज़ अल- कवी फ़ी तौज़ीह जामित्तिर्मिज़ी:. यह राकिमुल-हुरूफ़ का उर्दू तर्जुमा और मुख़्तसर अल्फाज़ी तौज़ीह है। जो इस वक़्त आपके हाथ में है।

ज़ेरे मुताला तर्जुमा और इसकी ख़ुसूसियात: दिसम्बर 2013 की बात है कि मैं उर्दू बाज़ार में गजनी इस्ट्रीट पर वाक़े दारुल क़ुतुब सल्फिया पर भाई हन्नाद शाकिर साहब के साथ गपशप कर रहा था और हमारी जब मुलाकात होती थी तो इस्लामी क़ुतुब ही हमारा मौज़ू (टॉपिक) हुआ करता था उसकी वजह यह है कि हन्नाद भाई का ताल्लुक़ एक मारूफ इल्मी घराने से है और इस्लामी क़ुतुब की इशाअत में अल्लाह तआला ने जो एजाज़ उनके खानदान को बख्शा है वह शायद किसी और के पास नहीं, हन्नाद भाई के दादा जान मौलाना अताउल्लाह हनीफ़ (رحمه الله) एक मारूफ इल्मी शाख्सिय्यत थे और उन्होंने मकतबा सल्फिय्या की बुनियाद रखी थी.

अभी हमारी गुफ्तगू जारी ही थी कि हन्नाद भाई अचानक उठकर चले गए और थोड़ी देर बाद वापस आए तो हाथ में सऊदी अरब का मतबूआ जामेअ़ तिर्मिज़ी का नुस्खा था कहने लगे: अली भाई अल्लाह का नाम लेकर इसका तर्जुमा शुरू कर दें.

मेरे जैसे न अहल आदमी के लिए यह काम बहुत मुश्किल था लेकिन अल्लाह तआला से इस्तिक़ामत और शरहे सदर की दुआ की और मुसलसल छ माह काम करने के बाद 4 जून 2014 को इस तर्जुमा की तकमील हुई. फ़ लिल्लाहिल हमदु अला ज़ालिक!

इस तर्जुमा में कोशिश की गयी है कि अलफ़ाज़ में सलासत और रवानगी रखी जाए ताहम यह भी तवज्जोह दी गयी है कि साबिक़ा तराजिम में तर्जुमा की जो गलतियाँ उमूमन मुतर्जिमीन ने कीं थीं उनसे हत्तल मक्दूर (हर सम्भव) बचा जाए मसलन तकरीबन सभी मुतर्जिमीन ''अज़्ज़ब'' का तर्जुमा गोह करते हैं जबकि अज़्ज़ब सांडे को कहा जाता है इसी तरह हमारे मदारिस के बहुत से असातिज़ा ''अज़्ज़बउ'' का मानी बिच्छू करते हैं जो कि सहीह नहीं है हालांकि अज़्ज़बी लकड़ बघ्घे को कहा जाता है। तो इस तर्जुमा में ऐसी तमाम बातों की वज़ाहत की गई है। यह तर्जुमा दर्ज ज़ेल ख़ुसूसियात की बिना पर आप के लिए मुफ़ीद साबित होगा।

सलीस और बामुहावरा तर्जुमा ताकि हर आदमी की समझ में आ सके।

अरबी मतन में सनद मुकम्मल ज़िक्र की गयी है जबकि उर्दू तर्जुमा में सहाबी से ज़िक्र शुरू होता है।

मदारिस के असातिज़ा को दौराने तदरीस जिन अलफ़ाज़ के मआनी देखने के लिए लुग़ात (डिक्शनरी) का इस्तेमाल करना पड़ता है उन अलफ़ाज़ की मुख़्तसर तौज़ीह करके लुग़ात का हवाला दे दिया गया है।

अरबी लुगात अल्कामूसुल वहीद और अल-मोजमुल वसीत से जा बजा लफ़्ज़ी तौज़ीह लिखी गयी है।

अहादीस की मुकम्मल तख़्रीज ज़िक्र की गयी है।

हर किताब के शुरू में किताब का तआरुफ़ कराया गया है जिसमें आने वाली किताब में अहादीस और अबवाब की तादाद बयान की गयी है।

हर किताब के आखिर में ख़ुलासा पेश किया गया है।

किताब के आखिर में इमाम तिर्मिज़ी की किताब अल-इलल की बाब बंदी करके तर्जुमा किया गया है जबकि तर्तीब में कोई फ़र्क नहीं है इस से एक आम आदमी को भी इमाम तिर्मिज़ी की इस्तिलाहात की अच्छी तरह से समझ आ सकती है।

कोई भी मुसलमान जान बूझ कर क़ुरआन व हदीस के उलूम लिखने में ग़लती का तसव्वुर भी नहीं कर सकता लेकिन इंसान एक खताकार मखलूक है अगर क़ारेईन को किसी जगह ग़लती नज़र आए तो ज़रूर इत्तला फ़रमाएं ताकि इस्लाह की जा सके आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वह इस काविश को क़ुबूल फ़रमाए और इस किताब को क़यामत के दिन हमारे मीज़ाने हसनात में रखे। इस किताब पर काम करने वाली टीम मौलाना मोहिबुर्रहीम, हाफ़िज़ अबू सुफ़ियान और बिल-ख़ुसूस इसके प्रकाशित करने वालों को इस अज़ीम काम के एवज़ अज्रे जजील से नवाज़े. वह दुआएं सुनने वाला और क़ुबूल करने वाला है।

ख़ाकसार

अली मुर्तज़ा ताहिर

13 जमादिल ऊला हि 1437

22 फ़रवरी 2016 इस्वी

मज़मून नम्बर-1.

أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

रसूलुल्लाह (ﷺ) से मर्वी तहारत के अहकाम व मसाइल

तआरुफ़

(148) अहादीस और (112) अबवाब पर मुश्तमिल तहारत के बयान में आप पढ़ेंगे।

- तहारत व पाकीज़गी की इस्लाम में क्या अहमियत है ?
- पेशाब करने के लिए किन जगहों का इन्तिखाब किया जाए ?
- वुज़ू का तरीक़ा और आदाब किया हैं ?
- मोमिनात पाकीज़गी कैसे हासिल करें ?
- वुज़ू किन चीज़ों से टूटता है ?
- ग़ुस्ल कब वाजिब होता है ?
- नजासत कैसे दूर की जाएगी ?

بَابُ مَا جَاءَ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ (ح) وحَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ. قَالَ هَنَّادٌ فِي حَدِيثِهِ: إِلاَّ بِطُهُورٍ.

तहारत के बग़ैर नमाज़ क़ुबूल नहीं की जाती

1. अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया ''तहारत (वुज़ू) बग़ैर कोई नमाज़ क़ुबूल नहीं की जाती और ना ही चोरी के माल से किया गया सदक़ा क़ुबूल किया जाता है।''

सहीह मुस्लिम: 224, इब्ने माजा: 272, मुसनद अहमद: 2/19.

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं यह हदीस इस मसला में सहीह और हसन तरीन है और इस मसला में अबुल मलीह की अपने बाप से और इसी तरह सय्यदना अबू हुरैरा और अनस(ﷺ) से भी रिवायत मिलती है और अबुल मलीह बिन उसामा का नाम आमिर है जबकि ज़ैद बिन उसामा बिन उमैर अल्हुज़ली भी बयान किया गया है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الطُّهُورِ

2. वुज़ू की फ़ज़ीलत

2 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (ح) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، أَوِ الْمُؤْمِنُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، أَوْ نَحْوَ هَذَا، وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.

2. सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया है ''जब मुसलमान या मोमिन आदमी वुज़ू करता है तो जब वह अपना चेहरा धोता है तो पानी के साथ उसके चेहरे से हर वह गुनाह निकल जाता है जिस गुनाह की तरफ़ उसने अपनी आंखों के साथ देखा होता है और जब वह हाथ धोता है तो पानी के साथ उसके हाथों के तमाम गुनाह निकल जाते हैं जिन को उसके हाथों ने पकड़ा था यहां तक कि वह गुनाहों से पाक साफ़ होकर नमाज़ के लिए मस्जिद की तरफ़ निकलता है

सहीह मुस्लिमः 1/148, मोत्ताः 75, मुसनद अहमद : 2/302

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है और इस हदीस को मालिक सुहैल से वह अपने बाप से और वह अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत करते हैं और अबू सालेह जो सुहैल के वालिद हैं वह अबू सालेह अस्समान हैं इनका नाम ज़कवान है और सय्यदना अबू हुरैरा(ﷺ) के नाम के बारे में मुहद्दिसीन का इख़्तिलाफ़ है बअ़ज (कुछ) कहते हैं अब्दे शम्स और बअ़ज अब्दुल्लाह(ﷺ) बिन अम्र बताते हैं इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी भी अब्दुल्लाह बिन अम्र(ﷺ) कहते हैं और यही बात ज़्यादा दुरुस्त है

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं कि इस मसला में उस्मान बिन अफ़्फ़ान, सौबान, अस्सनाबिही, अम्र बिन अबसा, सलमान और अब्दुल्लाह(ﷺ) बिन अम्र से भी रिवायात आती हैं और सनाबिही जो अबू बकर सिद्दीक(ﷺ) से रिवायत करते हैं उनका नबी(ﷺ) से सिमा (सुनना) साबित नहीं। इनका नाम

अब्दुर्रहमान बिन असीला और कुनियत अबू अब्दुल्लाह(ﷺ) है इन्होंने नबी ए करीम(ﷺ) की तरफ़ सफर किया मगर यह रास्ते में ही थे नबी अकरम(ﷺ) की वफ़ात हो गई। आपने नबी(ﷺ) से कई अहादीस रिवायात की हैं। सनाबिही बिन आसर नबी(ﷺ) के सहाबी हैं, उनको भी सनाबिही कहा जाता है और उनकी सिर्फ यह हदीस है कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सूना। ''मैं क़यामत के दिन तुम्हारी कसरत की वजह से फ़ख्र करूंगा, इसलिए तुम मेरे बाद लड़ाइयाँ ना करना। ''

तौज़ीह : الطُّهُور खुद पाक होना और दूसरे को पाक करना। इस्तिलाह में यह लफ़्ज़ वुज़ू के ऊपर बोला जाता है। غُلُول : गनीमत का माल जो अभी तक तकसीम ना किया गया हो, इससे कोई चीज़ चुराने को गुलूल कहा जाता है, उमूमियत के एतबार से हर क़िस्म की चोरी पर भी बोला जाता है।

3 बَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ

3 वुज़ू नमाज़ की कुंजी है

3 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

3- सय्यदना अली (ﷺ) से रिवायत है कि नबी अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया, ''नमाज़ की कुंजी वुज़ू है और इसकी इब्तिदा अल्लाहु अकबर कहना और इसका अंत सलाम फेरना है।''
हसन सहीह: सुनन अबी दाऊद: 61 सुनन इब्ने माजा: 275

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं, यह हदीस इस मसला में सहीह और बेहतरीन है, और अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अकील सदूक (सच्चे) रावी हैं जबकि बअ़ज अहले इल्म ने इसके हाफ़्ज़े के मुताल्लिक कलाम क्या है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं, मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना कि इमाम अहमद बिन हंबल, इस्हाक़ बिन इबराहीम और हुमैदी (ﷺ) अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अक़ील की हदीस से हुज्जत लेते थे क्योंकि वह मुकारिबुल हदीस रावी हैं।

इस मसला में जाबिर और अबू सईद अल खुदरी(ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

तौज़ीह: تَحْرِيمُهَا: इससे मुराद है कि वह चीज़ जो हलाल कामों को हराम करती है मसलन बातचीत, खाना-पीना, वग़ैरह ''अल्लाहु अकबर'' कहना है, इसीलिए हमने इसका मानी इब्तिदा किया है।

تَحْلِيلُهَا: यानी जो चीज़ नमाज़ में हराम हो गई थीं वह हलाल सलाम फेरने के बाद होती हैं, इसीलिए इसका मानी अंत (इख़्तिताम) किया गया है।

4- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ الْبَغْدَادِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلاَةُ، وَمِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الْوُضُوءُ.

4- सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जन्नत की कुंजी नमाज़ और नमाज़ की कुंजी वुज़ू है।''

ज़ईफ़, वश्शतरुस्सानी: मुसनद अहमद: 3/340

4 بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ

4 बैतूल खला में दाख़िल होने की दुआ

5- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ قَالَ شُعْبَةُ: وَقَدْ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبِيثِ، أَوِ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

5- सय्यदना अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि नबी ए करीम(ﷺ) जब बैतूल खला में दाख़िल होते तो कहते ''ऐ अल्लाह! मैं नापाक जिन्नों और जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूं।''

सहीह बुख़ारी: 142. सहीह मुस्लिम: 375. सुनन अबी दाऊद: 4- 5.सुनन इब्ने माजा- सुनन निसाई: 19.

वज़ाहत: الْخُبُثِ अगर''ب'' पर पेश पढ़ी जाए तो यह خبيث की जमा है जिसका मतलब जिन्नात वग़ैरह हैं और अगर''ب''को साकिन पढ़ी जाए तो इसका मतलब कमीनापन, बदबातिन, शरारत नापाकी वग़ैरह लिया जाता है

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं इस मसला के मुताल्लिक अली, ज़ैद बिन अरक़म, जाबिर और अब्दुल्लाह बिन मसऊद(رضی اللہ عنہ) से भी अहादीस मर्वी हैं। नीज़ यह रिवायत इस मसला में सहीह और हसन तरीन हदीस है, और ज़ैद बिन अरक़म(رضی اللہ عنہ) की हदीस की सनद में इज़्तिराब है, हिशाम दस्तवाई और सईद बिन अबी अरूबा ने सय्यदना क़तादा(رضی اللہ عنہ) से रिवायत की है। सईद क़ासिम औफ़ शैबानी से वह ज़ैद बिन अरक़म से बयान करते हैं, जबकि हिशाम दस्तवाई क़तादा से और ज़ैद बिन अरक़म से बयान करते हैं, और इस हदीस को शोबा और मामर क़तादा के वास्ते से नज़्र बिन अनस(رضی اللہ عنہ) से

रिवायत करते हैं, शोबा ज़ैद बिन अरक़म और मामर नज़्र इब्ने अनस(رضي الله عنه) के वास्ते से नबी करीम(ﷺ) से रिवायात करते हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं, कि मैंने इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) इस रिवायत के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, हो सकता है कि क़तादा ने दोनों से रिवायत सुनी हो।

6- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

6. सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी ए करीम(ﷺ) जब बैतूल खला में जाने लगते तो कहते ''ऐ अल्लाह! मैं नापाकी और बुरी बातों से तेरी पनाह चाहता हूं।''

सहीह अबी दाऊद: 4. इब्ने माजा: 298.

वज़ाहत: यह हदीस हसन सहीह है।

तौज़ीह: यहाँ पर लफ़्ज़ ب : الْخُبْثِ साकिन के साथ है। जिस से मुराद नापाकी वग़ैरह है.

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ

5. बैतूल खला से निकलने की दुआ

7- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ، قَالَ: غُفْرَانَكَ.

7- सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि नबी अकरम(ﷺ) जब बैतूल खला से बाहर आते तो कहते: ''ऐ अल्लाह! मैं तेरी बख़्शिश का सवाल करता हूं।''

सहीह सुनन अबी दाऊद: 30. सुनन इब्ने माजा: 300.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि यह हदीस गरीब, हसन है और हम इसे सिर्फ इसराइल की रिवायत से जानते हैं जो वह युसूफ बिन अबी बुर्दा से रिवायत करते हैं और अबू बुर्दा जो कि अबू मूसा अश्अरी(رضي الله عنه) के बेटे हैं, उनका नाम आमिर बिन अब्दुल्लाह(رضي الله عنه) बिन अश्अरी है।

इस मसला में नबी करीम(ﷺ) से सय्यदा आयशा(رضي الله عنها) की एक ही हदीस के सिवा कोई हदीस नहीं जानी गई।

6 بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ

6. पेशाब व पाख़ाना के वक़्त क़िब्ला की तरफ़ मुंह करना मना है।

8 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ مُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

8 - सय्यदना अबू अय्यूब अंसारी (ﷺ) से रिवायत है की नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, ''जब तुम क़ज़ाए हाजत के लिए जाओ तो क़िब्ला की तरफ़ मुंह या पीठ करके रफए हाजत और पेशाब ना करो बल्कि मशरिक़ या मग़रिब तरफ़ मुंह कर लो।''

सय्यदना अबू अय्यूब अंसारी (ﷺ) फ़रमाते हैं कि जब हम शाम गए तो वहां हमने ऐसे बैतूल खला देखे जो क़िब्ला की सिम्त में बने हुए थे पस हमने उनसे इन्हिराफ (परहेज़) करते और अल्लाह से बख़्शिश मांगते है।

सहीह बुख़ारी: 144. सहीह मुस्लिम: 264. सुनन अबी दाऊद:9 सुनन इब्ने माजा: 317. सुनन निसाई: 20-22.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं इस मसला में अब्दुल्लाह(ﷺ) बिन हारिस, बिन जुज़उज्ज़ुबैदी, माकिल अबुल हैसम जिन्हें माकिल बिन अबी माकिल भी कहा जाता है, अबू उमामा, अबू हुरैरा, और सहल बिन हुनैफ़(ﷺ) से भी रिवायात आती हैं। नीज़ सय्यदना अबू अय्यूब अंसारी(ﷺ) की हदीस इस मसला में सहीह और अहसन है और अबू अय्यूब का नाम: ख़ालिद बिन ज़ैद(ﷺ) और ज़ोहरी का नाम मुहम्मद बिन मस्लमा बिन उबैदुल्लाह बिन अज़्ज़ुहरी है। उनकी कुनियत अबू बकर थी।

अबुल वलीद अल मक्की फ़रमाते हैं, अबू अब्दुल्लाह(ﷺ) मुहम्मद बिन इदरीस अश् शाफ़ेई फ़रमाते हैं कि आप(ﷺ) के इस फर्मान ''पेशाब व पख़ाना के लिए क़िब्ला की तरफ़ मुंह या पीठ न करो'' का मतलब यह है कि जब कोई आदमी बयाबान में हो तो ऐसा ना करे। जबकि घरों में बनाए गए बैतूल खला मैं क़िब्ला की तरफ़ मुंह करने की रूख़सत है। जबकि इस्हाक़ बिन इब्राहीम भी इसी तरह फ़रमाते हैं।

इमाम अहमद बिन हंबल (ﷺ) फ़रमाते हैं कि नबी करीम(ﷺ) से बौलो ब्राज़ (पेशाब-पाखाना) के वक़्त क़िब्ला की तरफ़ पीठ करने की रूख़सत मिलती है। क़िब्ला की तरफ़ मुंह करने की नहीं। गोया कि सहरा या घर के बैतुलखला में क़िब्ला की तरफ़ मुंह करने को जायज़ नहीं समझते थे।

तौज़ीह: الْغَائِطَ: कुशादह नशीबी ज़मीन: यह मशरिक़ या मगरिब की तरफ़ मुंह करने वाला हुक्म अहले मदीना के लिए है क्योंकि यहां क़िब्ला मदीना के जुनूब में वाक़े है

مرحاض: مراحيض की जमा है गुस्लखाना, बैतुलखला।

7. क़िब्ला की तरफ़ मुंह करने की रुख़्सत

7 بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

9- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا.

9- सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी अकरम(ﷺ) ने हमें पेशाब के लिए क़िब्ला की तरफ़ मुंह करने से मना फ़रमाया। फिर मैंने आप(ﷺ) की वफ़ात से एक साल पहले देखा कि आप(ﷺ) ने क़ज़ाए हाजत के लिए क़िब्ला की तरफ़ चेहरा किया हुआ था

सहीह। सुनन अबी दाऊद: 13. सुनन इब्ने माजा: 325.

वज़ाहत: इस मसला में अबू क़तादा, आयशा और अम्मार बिन यासिर(رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं, इस मसला में सय्यदना जाबिर(رضي الله عنه) की हदीस हसन, गरीब है।

10- وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ.

10 - सय्यदना अबू क़तादा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि उन्होंने नबी अकरम(ﷺ) को क़िब्ला की तरफ़ मुंह करके पेशाब करते हुए देखा।

ज़ईफ़.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं, हमें यह हदीस क़ुतैबा ने बयान की और उन्हें इब्ने लहीआ ने और जाबिर(رضي الله عنه) की रिवायात ज़्यादा सहीह है बनिस्बत इब्ने लहीआ की रिवायत के क्योंकि इब्ने लहीआ मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ रावी हैं उन्हें यहया बिन सईद अल-क़त्तान वगैरह ने हाफिज़े की वजह से ज़ईफ़ कहा है

तौज़ीह: सहीह बात यही है कि सय्यदना जाबिर(رضي الله عنه) ने देखा था।

11 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ

11 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) फ़रमाते हैं, ''मैं एक दिन सय्यदा हफ़्सा के घर की छत पर चढ़ा तो मैंने नबी अकरम(ﷺ) को देखा आप(ﷺ) ने क़ज़ाए हाजत के लिए शाम की तरफ़ मुंह और काबा की तरफ़ पीठ की हुई थी

सहीह बुख़ारी: 145. सहीह मुस्लिम: 266. सुनन अबी दाऊद: 12. सुनन इब्ने माजा: 322. सुनन निसाई: 23. तोहफतुल अशराफ़: 8552.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (रहिमहुल्लाह) कहते हैं:यह हदीस हसन सहीह है।

8 بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا

8.खड़े होकर पेशाब करने की मनाही (मुमानअत)

12 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلاَّ قَاعِدًا.

12 - सय्यदा आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं जो शख़्स तुम्हें यह बयान करे कि नबी(ﷺ) खड़े होकर पेशाब करते थे तो तुम उसकी तस्दीक़ ना करो (सच न मानो)। आप(ﷺ) तो बैठकर ही पेशाब करते थे।

सहीह अस्सिलसिला अस्-सहीहहा: 201. सुनन इब्ने माजा: 307. सुनन निसाई: 16147.

वज़ाहत: इस मसला में उमर, बुरैदा और अब्दुर्रहमान बिन हसना ((ﷺ) से भी रिवायात की गई हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं, सय्यदा आयशा(ﷺ) की रिवायत इस मसला में सबसे ज़्यादा उम्दा है। नीज़ अब्दुल करीम बिन अबुल मुखारिक़ की रिवायत जो नाफ़े और अब्दुल्लाह(ﷺ) बिन उमर के वास्ते से सय्यदना उमर(ﷺ) से मर्वी है कि नबी ए अकरम(ﷺ) ने मुझे खड़े होकर पेशाब करते हुए देखा तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''ऐ उमर! खड़े होकर पेशाब ना करो। ''बस फिर मैंने उसके बाद खड़े होकर पेशाब नहीं किया।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं, इस हदीस को अब्दुल करीम बिन अबुल मुखारिक़ ने मर्फू बयान किया है, और यह रावी मुहद्दिसीन के नज़दीक जईफ है। इसे अय्यूब सख्तियानी ने ज़ईफ़ कहा है और उसके ज़ुअफ़ पर कलाम भी की है।

नीज़ अब्दुल्लाह(رضي الله عنه) ने नाफ़े से उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) के वास्ते से नकल किया है कि उमर (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं। ''जब से मैं मुसलमान हुआ हूं मैंने खड़े होकर पेशाब नहीं किया। और यह अब्दुल करीम की रिवायत से ज़्यादा सहीह है और बुरैदा की इस मसला में बयानकर्दा रिवायत गैर महफूज है।

नीज़ खड़े होकर पेशाब करने की मनाही तादीब के तौर पर है ना कि तहरीमी. और अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से मर्वी है वह फ़रमाते हैं कि ''जफाकशी में से यह बात है कि तू खड़ा होने की हालत में पेशाब करे।

9 بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

9. खड़े होकर पेशाब करने की रुख़्सत

13 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ، فَذَهَبْتُ لأَتَأَخَّرَ عَنْهُ، فَدَعَانِي حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

13 - सय्यदना हुज़ैफा बयान करते हैं कि रसूले अकरम(ﷺ) लोगों के कूड़े करकट के ढेर पर आए और उस पर खड़े होकर पेशाब किया। मैं आप(ﷺ) के पास वुज़ू के लिए पानी लेकर आया। फिर मैं कुछ पीछे हटने लगा तो आप(ﷺ) ने मुझे बुलाया यहां तक कि मैं आप(ﷺ) के करीब हो गया। फिर आप(ﷺ) ने वुज़ू किया और अपने दोनों मोजों पर मसह किया।

सहीह बुख़ारी: 274. मुस्लिम: 273. अबू दाऊद: 23. इब्ने माजा: 30. निसाई: 26-28.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं, मैंने जारूद (رحمه الله) को फ़रमाते हुए सुना कि मैंने वकीअ को यह हदीस आमश की तरफ़ से बयान करते हुए सुना है फिर वकीअ कहते हैं: मसह के मुताल्लिक यह नबी(ﷺ) से सहीह तरीन हदीस है।

जो बयान की गई है और इसी तरह मैंने अबू अम्मार हुसैन बिन हुरैस को सुना वह भी इसी तरह बयान करते हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं, मंसूर और उबैदा अज्ज़बी ने अबू वाइल के तरीक़ से सय्यदना हुज़ैफा (رضي الله عنه) से आमश जैसी रिवायत बयान की है और हम्माद बिन अबी सुलैमान और आसिम बिन बह्दिला ने अबू वाइल के तरीक से मुग़ीरा बिन शोबा से नबी(ﷺ) की हदीस जिक्र की है। और अबू वाइल की सय्यदना हुज़ैफा(رضي الله عنه) से रिवायत ज़्यादा सहीह है। नीज़ बअ़ज अहले इल्म ने खड़े होकर पेशाब करने में रूख़्सत दी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं, उबैदा बिन अम्र अस्सल्मानी, जिनसे इबराहीम नखई रिवायत लेते हैं वह किबारे ताबेईन में शुमार होते हैं। उबैदा से मर्वी है: वह कहते हैं कि मैं नबी(ﷺ) की वफ़ात से दो साल पहले मुसलमान हुआ था जबकि उबैदा अज़्ज़बी इब्राहीम नखई के साथी हैं और उनका नाम उबैदा बिन मुअत्तिब और कुनियत अबू अब्दुल करीम है।

वज़ाहत: नबी(ﷺ) का यह अमल शायद किसी बीमारी की वजह से था वगरना बग़ैर बीमारी के खड़े होकर पेशाब करना मना है (والله أعلم بالصواب)।

10.कज़ाए हाजत के वक़्त लोगों से छुप जाना

10 بَابٌ فِي الِاسْتِتَارِ عِنْدَ لْحَاجَةِ

14 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी अकरम(ﷺ) जब कज़ाए हाजत का इरादा करते तो जब तक बैठने के लिए जमीन के करीब ना हो जाते अपना कपड़ा नहीं उठाते थे।
सहीह अबू दाऊद: 14. अद्दार्मी: 666.

14- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी(رحمه الله) फ़रमाते हैं, मुहम्मद बिन रबीया ने भी आमश के तरीक से सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से इस हदीस को उसी तरह बयान किया है, नीज़ वकीअ और अबू यहया अल हिमानी ने आमश से रिवायत की है कि सय्यदना अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) बिन उमर (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि ''नबी(ﷺ) जब क़ज़ाए हाजत का इरादा करते तो ज़मीन के करीब होने तक अपना कपड़ा नहीं उठाते थे।''

लेकिन यह दोनों रिवायात मुर्सल हैं, और कहा गया है कि आमश ने अनस बिन मालिक(رضي الله عنه) को ही नहीं बल्कि किसी सहाबीए रसूल(ﷺ) से हदीस नहीं सुनी जबकि उन्होंने सय्यदना अनस बिन मालिक(رضي الله عنه) को देखा है, कहते हैं कि मैंने उन्हें नमाज़ पढ़ते हुए देखा था और उनकी नमाज़ के बारे में एक किस्सा भी बयान करते हैं। आमश का नाम सुलैमान बिन मेहरान अबू मुहम्मद अल्काहिली है। यह उनके आजादकर्दा गुलाम थे। आमश कहते हैं मेरे वालिद लावारिस से थे। मसरूक़ ने उन्हें वारिस बनाया।

तौज़ीह: यहाँ حميلٌ का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसके अनेक (मुताद्दिद) मआनी हैं। लावारिस बच्चा जिसे उठाकर लोग परवरिश करें. अजनबी, उठाई हुई चीज़, लेपालक वगैरह लेकिन यहां पहला मानी लिया गया है।

11. दाएं हाथ से इस्तिंजा करना मकरूह है

11 بَابٌ فِي كَرَاهَةِ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

15 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ.

15 - अब्दुल्लाह बिन अबू क़तादा (رضي الله عنه) अपने बाप अबू क़तादा से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम(ﷺ) ने इस बात से मना फ़रमाया है कि आदमी अपनी शर्मगाह को अपने दाएं हाथ से छुए।

(15) बुख़ारी: 153. मुस्लिम: 267.अबू दाऊद: 310 इब्ने माजा : 31. निसाई : 24-25.

वज़ाहत: इस मसला में सय्यदा आयशा (رضي الله عنها), सलमान, अबू हुरैरा, और सहल बिन हुनैफ़(رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है और अबू क़तादा अंसारी का नाम हारिस बिन रिब्ई है। नीज़ आम अहले इल्म के नज़दीक अमल है। इसी बात पर वह दाएं हाथ से इस्तिंजा करने को ना पसंद करते हैं।

12.पत्थरों या मिट्टी के ढेलों से इस्तिंजा करना

12 بَابُ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

16- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قِيلَ لِسَلْمَانَ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الْخِرَاءَةَ، فَقَالَ سَلْمَانُ: أَجَلْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بِبَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوِ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ.

16 - अब्दुर्रहमान बिन यजीद फ़रमाते हैं, यहूदियों की तरफ़ से सय्यदना सलमान (رضي الله عنه) को कहा गया कि तुम्हारे नबी(ﷺ) ने तुम्हें हर चीज़ की तालीम दी है यहाँ तक कि बोलोब्राज़ (पेशाब- पखाना) का तरीका भी? तो सलमान (رضي الله عنه) ने फ़र्माया : हाँ नबी अकरम(ﷺ) ने हमें पेशाब या पाखाना के लिए क़िब्ला की तरफ़ मुंह करने, तीन पत्थरों या मिट्टी के ढेलों से कम के साथ इस्तिंजा करने, गोबर या लीद के खुश्क टुकड़े और हड्डी के साथ इस्तिंजा करने से मना फ़रमाया है।

मुस्लिम: 262.अबू दाऊद: 7. इब्ने माजा: 316. निसाई: 41. तोहफतुल अशराफ़: 4505.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं इस मसला में आयशा, खुजैमा बिन साबित, जाबिर(رضي الله عنه) और खल्लाद बिन साइब(رضي الله عنه) की अपने बाप साइब से भी हदीस मर्वी है

तौज़ीह: الحجارةُ: حجرٌ की जमा, पत्थर, ढेला, पत्थर की चट्टान।

13. दो ढेलों से इस्तिंजा करना

13 بَابٌ فِي الاِسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرَيْنِ

17 - सय्यदना अब्दुल्लाह(رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) क़ज़ाए हाजत के लिए निकले तो आप(ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया, ''मेरे लिए तीन पत्थर तलाश करके ले आओ। ''फ़रमाते हैं, चुनान्चे मैं आप(ﷺ) के पास दो पत्थर और एक गोबर का टुकड़ा लेकर आया। आप(ﷺ) ने पत्थर का टुकड़ा पकड़ लिया और गोबर का टुकड़ा फेंक दिया, और फ़रमाया यह नापाक है।

बुख़ारी: 156.इब्ने माजा: 314.निसाई: 42.

17- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَقُتَيْبَةُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ، فَقَالَ: الْتَمِسْ لِي ثَلاَثَةَ أَحْجَارٍ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: إِنَّهَا رِكْسٌ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं यह हदीस इसराईल की तरह कैस बिन रबी ने भी अबू इस्हाक़ और अबू उबैदा के वास्ते से सय्यदना अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से बयान की है जबकि मामर और अम्मार बिन रुजैक़ ने अबू इस्हाक़ से उन्होंने अलक़मा के तरीक़ से अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत की है, और ज़ुहैर ने अबू इस्हाक़ से वह अब्दुर्रहमान बिन असवद से वह अपने बाप असवद बिन यजीद के वास्ते से सय्यदना अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से बयान की है और ज़करिया बिन अबी जादा ने भी अबू इस्हाक़ से उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन यजीद और असवद बिन यजीद के तरीक से अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत बयान की है, मगर इस हदीस में इज़्तिराब है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान(رضي الله عنه) से सवाल किया कि इस हदीस में अबू इस्हाक़ की रिवायात में से कौन सी रिवायत ज़्यादा सहीह है? तो उन्होंने इस बारे में कोई फैसला नहीं दिया। मैंने इमाम बुख़ारी से पूछा तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। मगर उन्होंने ज़ुहैर की अबू इस्हाक़ अज़ अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल असवद और उनके बाप असवद के वास्ते से अब्दुल्लाह(رضي الله عنه) की रिवायत को ज़्यादा अच्छा समझा है और उसे अपनी किताब ''الجامع'' में जिक्र किया है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं, मेरे नज़दीक इस मसला में सहीह तरीन हदीस इस्राईल और कैस की अबू इस्हाक़ अज़ अबू उबैदा के तरीक़ से अब्दुल्लाह(رضي الله عنه) की बयानकर्दा है, क्योंकि इसराईल ज़्यादा अस्बत और अबू इस्हाक़ की उन लोगों की निस्बत ज़्यादा हदीस याद रखने वाले हैं, और कैस बिन रबी ने भी उनकी मुवाफक़त की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं, मैंने अबू मूसा मुहम्मद बिन अल मुसन्ना को फ़रमाते हुए सुना कि वह कह रहे थे: मैंने अब्दुर्रहमान बिन महदी को सुना है कि वह फ़रमाते हैं, मुझसे सुफ़ियान की तरीक़ से अबू इस्हाक़ से मर्वी अहादीस इसलिए रह गई हैं कि मैंने उन रिवायात के बारे में इसराईल पर ऐतमाद किया था क्योंकि वह रिवायात पूरी पूरी बयान करते थे।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) मज़ीद फ़रमाते हैं, ज़ुहैर की अबू इस्हाक़ के वास्ते रिवायात कोई खास चीज़ नहीं क्योंकि ज़ुहैर का उन से सिमा (सुनना) आखिर में है।

नीज़ फ़रमाते हैं, मैंने अहमद बिन अत्तिर्मिज़ी को फ़रमाते हुए सुना, वह कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हंबल से सुना है कि जब तू ज़ायदा और ज़ुहैर से हदीस सुन ले तो फिर कोई परवाह ना कर कि किसी दूसरे से सुने हो या ना सुनी हो सिवाए अबू इस्हाक़ की रिवायत के।

अबू इस्हाक़ का नाम अम्र बिन अब्दुल्लाह अस्सबीई अल्हम्दानी है, और अबू उबैदा ने अपने बाप अब्दुल्लाह बिन मसऊद से अहादीस नहीं सुनीं और हमें उनके नाम का भी इल्म नहीं है। हमें मुहम्मद बिन बश्शार अल अब्दी ने बयान किया कि हमें मुहम्मद बिन जाफर ने शोबा के वास्ते से बयान किया है कि अम्र बिन मुर्रा कहते हैं मैंने अबू उबैदा बिन अब्दुल्लाह से पूछा कि आपको अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन मसऊद(رضي الله عنه) की कुछ बातें याद हैं? तो उन्होंने जवाब दिया नहीं।

वज़ाहत: رَوثَةٌ: जानवर का फ़ुज़्ला लीद एक दफ़ा का फ़ुज़्ला या एक मिकदार। यहाँ पर लीद या गोबर का खुश्क टुकड़ा मुराद है। رِكسٌ: गंदगी वग़ैरह पर यह लफ़्ज़ बोला जाता है।

14.जिन चीज़ों से इस्तिंजा करना मकरूह है

14 بَابُ كَرَاهِيَةِ مَا يُسْتَنْجَى بِهِ

18- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, ''तुम लीद के टुकड़ों और हड्डियों के साथ इस्तिंजा ना करो इसलिए कि वह तुम्हारे जिन्न भाइयों की खुराक है। ''

(18) सहीह मुस्लिम: 450.

18 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لاَ تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ، وَلاَ بِالْعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ.

वज़ाहत: इस मसला में अबू हुरैरा, सलमान, जाबिर और अब्दुल्लाह बिन उमर(ﷺ) की रिवायात भी आती है। इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं, इस्माईल बिन इब्राहीम वग़ैरह ने भी दाऊद बिन अबुल हिन्द, अज़ शाबी अज़ अल्क़मा के वास्ते से अब्दुल्लाह बिन मसऊद(ﷺ) से रिवायत की है कि वह लैलतुल जिन्न में रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ थे फिर पूरी रिवायत बयान की शाबी कहते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, लीद के टुकड़ों और हड्डियों के साथ इस्तिंजा न करो क्योंकि यह तुम्हारे जिन्न भाइयों की खुराक है, गोया इस्माईल की रिवायत हफ्स बिन ग्यास की रिवायत से ज़्यादा सहीह है। अहले इल्म के नज़्दीक अमल इसी हदीस पर है, और इस मसला में जाबिर और अब्दुल्लाह बिन उमर(ﷺ) से भी रिवायत मर्वी है

तौज़ीह: الْجِنُّ।इंसान के बिल मुकाबिल पोशीदा मखलूक जिनको अल्लाह तआला ने आग से पैदा किया है।

15. पानी के साथ इस्तिंजा करना

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

19- सय्यदा मुआज़ा कहती हैं: सय्यदा आयशा(ﷺ) ने औरतों से फ़रमाया, तुम अपने खाविन्दों को पानी के साथ इस्तिंजा करने का हुक्म दिया करो, मुझे उनसे यह बात कहते हुए हया आती है, बेशक रसूलुल्लाह(ﷺ) भी ऐसा (पानी के साथ इस्तिंजा) करते थे।

सहीह मुसनद अहमद: 6/ 13. (19) निसाई: 46. इब्ने हिब्बान: 1443.

19- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالمَاءِ، فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ.

तौज़ीह: يَسْتَطِيبُوا।: पाकीज़गी हासिल करें मुराद इससे इस्तिंजा करना ही है।

वज़ाहत: इस मसला में जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बजली, अनस और अबू हुरैरा(ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। अहले इल्म के नज़्दीक अमल इसी पर है, वह पानी के साथ इस्तिंजा को मुस्तहब अमल समझते हैं, अगरचे उनके नज़्दीक ढेलों के साथ भी इस्तिंजा हो जाता है, फिर भी वह पानी के साथ इस्तिंजा करने को मुस्तहब और अफ़्ज़ल समझते हैं। सुफ़ियान सौरी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) का भी यही कौल है।

16 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ

16. नबी अकरम (ﷺ) जब क़ज़ाए हाजत का इरादा करते, दूर चले जाते

20 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ حَاجَتَهُ، فَأَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ.

20 - सय्यदना मुग़ीरा बिन शोबा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैं नबी ए करीम(ﷺ) के साथ किसी सफर में था, नबी(ﷺ) क़ज़ाए हाजत के लिए गए तो बहुत दूर निकल गए।

(20) सहीह अस्सिलसिला अस्-सहीहा: 1159. अबू दाऊद: 1.इब्ने माजा: 331. निसाई: 17.

वज़ाहत: इस मसला में अब्दुर्रहमान बिन अबू कराद, अबू क़तादा, जाबिर, यहया बिन उबैद की अपने बाप से, अबू मूसा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास और बिलाल बिन हारिस की अहादीस भी मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी(ﷺ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है, और नबी करीम(ﷺ) से यह भी मर्वी है कि ''आप(ﷺ) पेशाब करने के लिए इस तरह जगह तलाश करते थे जैसा कि आप(ﷺ) पड़ाव के लिए जगह तलाश करते थे।'' और अबू सलमा का नाम अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ अज्ज़ुहरी है।

तौज़ीह: आप(ﷺ) का कज़ाए हाजत के लिए दूर जाना हया का तक़ाज़ा था क्योंकि कज़ाए हाजत के लिए ऐसी जगह का इन्तिखाब करना चाहिए जहां कोई देख ना सके।

17. بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ

17. गुस्लखाने में पेशाब करना मकरुह अमल है (नापसन्दीदा काम है)

21- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى مَرْدَوَيْهِ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُسْتَحَمِّهِ، وَقَالَ: إِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ.

21 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी अकरम(ﷺ) ने गुस्ल करने वाली जगह में पेशाब करने से मना फ़रमाया है। नीज़ आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''आम वस्वसे इसी वजह से होते हैं।''

वज़ाहत: इस मसला में एक और सहाबी से भी रिवायत की गई है, इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं, यह हदीस गरीब है, हम इसे सिर्फ अश्अस इब्ने अब्दुल्लाह से ही मरफ़ूअ जानते हैं जिनको अश्अस अलआमा भी कहा जाता है।

अहले इल्म ने ग़ुस्लखाने में पेशाब करने को मकरूह अमल क़रार देते हुए कहा है कि आम तौर पर इसी वजह से वस्वसे पैदा होते हैं, और बअ़ज अहले इल्म ने रूख़्सत भी दी जिनमें मुहम्मद बिन सीरीन भी शामिल है। जब उनसे यह पूछा गया कि कहा जाता है कि आम वस्वास इसी से पैदा होते हैं, तो उन्होंने फ़रमाया, हमारा रब्ब अल्लाह तआला है, उसका कोई शरीक नहीं है। यानी उसके अलावा कोई वस्वसा दिल में नहीं बिठाता अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ग़ुस्लखाने में पेशाब करना तब जायज़ है जब पानी उस में बह कर आगे निकल जाता हो।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं: यही बात हमें अहमद बिन अब्दा अल आमुली ने हिब्बान के वास्ते से अब्दुल्लाह बिन मुबारक से बयान की है।

तौज़ीह: مُسْتَحَمِّهِ: मुग़तसल और मुसतहम्म दोनों एक ही मानी में है यानी ग़ुस्लखाना नहाने की जगह लेकिन إِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ : यह क़ौल ज़ईफ़ है। और यह हदीस सहीह है।

18. मिस्वाक का बयान

18 بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ

22- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, ''अगर मैं अपनी उम्मत पर मशक्क़त ना समझता तो उन्हें हर नमाज़ के वक़्त मिस्वाक करने का हुक्म देता।''
बुख़ारी: 887.मुस्लिम: 252. अबू दाऊद: 46. इब्ने माजा : 287. निसाई : 7, 534.

22- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं यह रिवायत मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने मुहम्मद बिन इब्राहीम अज़ अबू सलमा अज़ ज़ैद बिन ख़ालिद(رضي الله عنه) मरफ़ूअन बयान की है और अबू सलमा की अबू हुरैरा और ज़ैद बिन ख़ालिद(رضي الله عنه) से दोनों रिवायात मेरे नज़दीक सहीह हैं।

क्योंकि यह हदीस कई तुरूक (सनदों) से अबू हुरैरा(رضي الله عنه) की रिवायात के साथ नबी(ﷺ) से साबित है और अबू हुरैरा(رضي الله عنه) की हदीस को सहीह इसलिए कहा गया है कि यह कई सनदों से मर्वी है, लेकिन मुहम्मद बिन इस्माइल बुख़ारी (رحمه الله) का ख्याल है कि अबू सलमा की ज़ैद बिन ख़ालिद(رضي الله عنه) से बयानकर्दा रिवायत ज़्यादा सहीह है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं इस मसला में अबू बकर सिद्दीक, अली, आयशा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हुज़ैफा, ज़ैद बिन ख़ालिद, अनस, अब्दुल्लाह बिन उमर, अबू उमामा, अबू अय्यूब, तम्माम बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन हंज़ला, उम्मे सलमा, वासिला बिन अस्क़ा और अबू मूसा(رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

तौज़ीह: السِّوَاكُ: दांतों को साफ़ करने की खास लकड़ी, मिस्वाक।

23- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، وَلأَخَّرْتُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ قَالَ: فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسْجِدِ وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ لاَ يَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ إِلاَّ اسْتَنَّ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ.

23- सय्यदना ज़ैद बिन ख़ालिद अल जोहनी (رضي الله عنه) बयान करते हैं मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सूना: ''अगर मैं अपनी उम्मत पर मशक्क़त ना समझता तो मैं उन्हें हर नमाज़ के वक़्त मिस्वाक करने का हुक्म देता और इशा की नमाज़ एक तिहाई रात तक मुअख्खर करता। ''अबू सलमा कहते हैं कि ज़ैद बिन ख़ालिद (رضي الله عنه) नमाज़ों की अदायगी के लिए मस्जिद में आते तो उनकी मिस्वाक उनके कान पर इस तरह रखी हुई होती थी जैसे कातिब के कान पर क़लम होता है जब वह नमाज़ के लिए वुज़ू करने के लिए खड़े होते तो मिस्वाक करते और फिर उसी जगह रख लेते।

सहीह- अबू दाऊद: 47, मुसनद अहमद: 4/ 116.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है।

19 بَابُ مَا جَاءَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا

19. जब कोई आदमी नींद से बेदार हो तो हाथ धोए बग़ैर उन्हें किसी बर्तन में ना डालें

24- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ مِنْ وَلَدِ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ،

24- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है नबी अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जब तुम में से कोई शख़्स नींद से बेदार हो तो अपना हाथ उस वक़्त तक किसी बर्तन में ना डालें जब तक उन पर दो या तीन मर्तबा पानी ना बहा ले।

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

इसलिए कि वह नहीं जानता कि उसके हाथ ने रात कहाँ बसर की है

(24) बुख़ारी: 162. मुस्लिम: 278. अबू दाऊद: 103-105. इब्ने माजा: 393. निसाई: 161.

वज़ाहत: इस मसला में अब्दुल्लाह बिन उमर, जाबिर और आयशा(رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है

इमाम शाफेई (رحمه الله) फ़रमाते हैं, ''मैं तो हर शख़्स के लिए जो भी नींद से बेदार हो ख़्वाह वह क़ैलूला की नींद हो या कोई और बेहतर समझता हूं कि वह अपना हाथ धोए बग़ैर वुज़ू के पानी में दाख़िल ना करें, अगर वह धोने से पहले हाथ डाल देता है तो मैं उस काम को मकरूह समझता हूं। लेकिन जब तक उसके हाथ पर कोई नजासत वग़ैरह ना हो ये पानी खराब (नापाक) नहीं होगा, और इमाम अहमद बिन हंबल (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ''जब कोई आदमी दिन या रात के वक़्त नींद से बेदार हो और हाथ धोने से पहले वुज़ू वाले बर्तन में पानी डाल ले तो मुझे यही बात अच्छी लगती है कि उस पानी को बहा दे। और इस्हाक़ (رحمه الله) फ़रमाते हैं, ''जब कोई आदमी दिन या रात के वक़्त नींद से उठे तो हाथ धोए बग़ैर वुज़ू वाले पानी में हाथ ना डाले।

20 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ

20 वुज़ू के वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ना

25- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي ثِفَالٍ الْمُرِّيِّ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ.

25- रबाह बिन अब्दुर्रहमान बिन अबू सुफ़ियान बिन हुवैतिब अपनी दादी से और वह अपने ब ाप से रिवायत करती हैं उनके बाप कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: ''जिस शख़्स ने वुज़ू की इब्तिदा पर अल्लाह का नाम नहीं लिया उसका वुज़ू ही नहीं। ''

हसन, इब्ने माजा: 398.मुसनद अहमद: 4/70. तयालिसी: 243.

तौज़ीह: التسميةُ: इसका लफ़्ज़ी मानी है नाम लेना इस्तिलाह में हर अच्छे काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ने पर बोला जाता है।

वज़ाहत: इस मसले में आयशा, अबू हुरैरा, अबू सईद अल खुदरी सहल बिन साद और अनस (ﷺ) से भी हदीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं : ''अहमद बिन हंबल (ﷺ) कहते हैं: मेरे इल्म में इस मसले के बारे में कोई ऐसी हदीस नहीं है जिसकी सनद उम्दा हो। मुहम्मद इस्माइल बुख़ारी (ﷺ) कहते हैं: रबाह बिन अब्दुर्रहमान की हदीस बहुत अच्छी रिवायत है। इस्हाक़ कहते हैं: अगर वुज़ू करने वाले ने बिस्मिल्लाह जानबूझ कर छोड़ी हो तो वह वुज़ू दोबारा करें, और अगर भूल कर या तावील की वजह से छोड़ी हो तो उसका वुज़ू किफ़ायत कर जाएगा।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) कहते हैं रबाह बिन अब्दुर्रहमान अपनी दादी से वह अपने बाप से बयान करती हैं और रबाह बिन अब्दुर्रहमान की दादी के बाप का नाम सईद बिन ज़ैद बिन अम्र बिन नुफैल(ﷺ) है, और अबू सिकाल अल मुर्री का नाम सुमामा बिन हुसैन है नीज़ रबाह बिन अब्दुर्रहमान ही अबू बकर बिन हुवैतिब है। इसीलिए बअ़ज रावियों ने अबू बकर बिन हुवैतिब का ज़िक्र करके जो रिवायत बयान की है उसमें उनकी निस्बत दादा की तरफ़ की है।

26 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي ثِفَالٍ الْمُرِّيِّ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ، عَنْ جَدَّتِهِ بِنْتِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

26- रबाह बिन अब्दुर्रहमान बिन अबू सुफ़ियान बिन हुवैतिब ने अपनी दादी जो कि सईद बिन ज़ैद की बेटी हैं उन्होंने अपने बाप से और उन्होंने नबी करीम(ﷺ) से इसी तरह (जैसे ऊपर गुजरी है) रिवायत बयान की है

21 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ

21. कुल्ली करने और नाक में पानी करके साफ़ करने का बयान

27- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَجَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَثِرْ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ.

27- सय्यदना सलमा बिन क़ैस (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जब तुम वुज़ू करो तो नाक को झाड़ो और जब (इस्तिंजा के लिए) ढेले इस्तेमाल करो तो ताक तादाद में करो।

सहीह इब्ने माजा:406, निसाई:89. इब्ने हिब्बान:1436

वज़ाहत: इस मसले में उस्मान, लकीत बिन सबरा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, मिक़दाम बिन मअदी करिब, वाइल बिन हुज्र और अबू हुरैरा (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं, सलमा बिन क़ैस की हदीस हसन सहीह है। नीज़ अहले इल्म का इस शख़्स के बारे में इख़्तिलाफ़ है जो कुल्ली और नाक में पानी दाख़िल करने का अमल छोड़ दे, एक जमाअ़त कहती है: जब वुज़ू में इन दोनों चीज़ों को छोड़ दे और नमाज़ पढ़ भी ले तो नमाज़ दोबारा पढ़े, उनकी ये राय वुज़ू और और ग़ुस्ले जनाबत दोनों में ही है और यही कौल इब्ने अबी यअला, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का है अहमद (رحمه الله) फ़रमाते हैं, नाक साफ़ करने का हुक्म कुल्ली करने से ज़्यादा ताकीदी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं, अहले इल्म की एक जमाअ़त कहती है कि ग़ुस्ले जनाबत दोबारा करे वुज़ू दुबारा ना करे जबकि सुफ़ियान सौरी और बअ़ज अहले कूफा का भी यही कौल है। नीज़ एक जमाअ़त कहती है वुज़ू या ग़ुस्ले जनाबत दोबारा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यह दोनों (कुल्ली और नाक साफ़ करना) सुन्नत अमल है। जो शख़्स वुज़ू या ग़ुस्ले जनाबत में इनको छोड़ दे उस पर दोबारा करना वाजिब नहीं है और यही कौल इमाम मालिक और इमाम शाफेई का (आखिरी वक़्त वाला) कौल है।

तौज़ीह: اَلْمَضْمَضَةُ: कुल्ली करना मुंह में पानी डाल कर घुमाना. الِاسْتِنْشَاق : नाक में पानी चढ़ाना

22 بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ

22. कुल्ली और नाक साफ़ करने के लिए एक ही चुल्लू से पानी लेना।

28 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا.

28- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (رضي الله عنه) कहते हैं मैंने नबी(ﷺ) को देखा आप(ﷺ) ने एक ही चुल्लू से कुल्ली की और नाक भी साफ़ किया, और आप(ﷺ) ने यह अमल तीन दफ़ा किया।

बुख़ारी: 191. मुस्लिम : 235. अबू दाऊद : 119. इब्ने माजा : 405. निसाई : 97-98.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से भी रिवायत है। नीज़ अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (رضي الله عنه) की हदीस हसन गरीब है।

नीज़ मालिक, इब्ने उयय्ना और बहुत से रावियों ने यह हदीस अम्र बिन यहया से रिवायत की है उन्होंने

यह अल्फाज़ कि ''नबी(ﷺ) ने एक ही चुल्लू से कुल्ली भी की और नाक में भी पानी चढ़ाया'' जिक्र नहीं किए। इसको तो ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह ने जिक्र किया है। और ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह अहले हदीस के नज़दीक सिक़ा और हाफिज रावी हैं।

बअ़ज अहले इल्म कहते हैं: एक ही चुल्लू से की गई कुल्ली और नाक की सफ़ाई काफ़ी है। बअ़ज कहते हैं: उनमें तफ़रीक़ करना हमें ज़्यादा पसंद है।

इमाम शाफ़ेई फ़रमाते हैं: अगर यह दोनों काम एक ही चुल्लू से पानी लेकर करें तो जायज़ है, अगर अलग करें तो वह हमें ज़्यादा पसंद है

तौज़ीह: كَفٌّ جمع كفوف و أكُفٌّ: हथेली (उंगलियों समेत) हाथ का अंदुरूनी हिस्सा।

23. दाढ़ी का खिलाल करना

23 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ

29- हस्सान बिन बिलाल (رحمه الله) कहते हैं: मैंने अम्मार बिन यासिर (رضي الله عنه) को वुज़ू करते हुए देखा उन्होंने अपनी दाढ़ी का ख़िलाल किया। उनसे कहा गया या रावी कहते हैं कि मैंने कहा: क्या आप दाढ़ी का ख़िलाल करते हैं ? उन्होंने फ़र्माया: मुझे इससे क्या चीज़ रोक सकती है और तहक़ीक़ कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को अपनी दाढ़ी मुबारक ख़िलाल करते हुए देखा था।

सहीह इब्ने माजा:429. अबू याला:1604. तयालिसी:645

29- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: ، أَوْ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: ، أَتُخَلِّلُ لِحْيَتَكَ؟، قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ.

तौज़ीह: تَخْلِيل: का मतलब है घुसना, पार होना, नुफूज़ करना, दर्मियान से निकलना, यहां पर मुराद यह है कि दौराने वुज़ू जब चेहरा धोया जाए तो अपनी उंगलियां दाढ़ी में दाख़िल करके बालों को खूब तर करना।

30- इब्ने अबी उमर कहते हैं कि हमें सुफ़ियान बिन अबू उयय्ना सईद बिन अबी अरूबा अज़ क़तादा अज़ हस्सान बिन बिलाल अज़ अम्मार बिन यासिर (رضي الله عنه) ने नबी करीम(ﷺ) से ऐसे ही रिवायत बयान की

30 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ

سَلَمَةَ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَأَبِي أَيُّوبَ.
وَسَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ، يَقُولُ: قَالَ أَحْمَدَ
بْنَ حَنْبَلٍ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الْكَرِيمِ
مِنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ حَدِيثَ التَّخْلِيلِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं इस मसले में उस्मान, आयशा, उम्मे सलमा, अनस इब्ने अबी औफ़ा और अबू अय्यूब(رضي الله عنهم) से भी मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं मैंने इस्हाक़ बिन मंसूर को यह कहते हुए सुना कि इमाम अहमद बिन हंबल फ़रमा रहे थे: इब्ने उयय्ना कहते हैं: अब्दुल करीम ने हस्सान बिन बिलाल से ख़िलाल वाली रिवायत नहीं सुनी।

31 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ

31- सय्यदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि बेशक नबी अकरम(صلى الله عليه وسلم) अपनी दाढ़ी मुबारक का ख़िलाल करते थे।
सहीह अबू दाऊद: 1/187. इब्ने माजा: 430. इब्ने खुजैमा : 151. इब्ने हिब्बान: 1081.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है।

इमाम मुहम्मद बिन इस्माइल बुख़ारी (رحمه الله) फ़रमाते हैं, आमिर बिन शकीक़ की अबू वाइल के वास्ते से उस्मान (رضي الله عنه) से बयानकर्दा रिवायत इस मसला में सबसे सहीह रिवायत है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं नबी(صلى الله عليه وسلم) के सहाबा और उनके बाद के लोगों में अक्सर अहले इल्म इसी के काइल हैं वह दाढ़ी का ख़िलाल जरूरी समझते हैं और इमाम शाफेई का भी यही कौल है। इमाम अहमद (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अगर ख़िलाल करना भूल जाए तो (भी वुज़ू) जायज़ है। इस्हाक़ (رحمه الله) फ़रमाते हैं अगर भूलकर या तावील करते हुए ख़िलाल न करे तो वुज़ू जायज़ होगा अगर जानबूझ कर छोड़े तो वुज़ू दोबारा करेगा।

24 بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ

24. सर के मसह का बयान अपने सर के अगले हिस्से से शुरु करे और पीछे की तरफ़ ले जाए

32 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى،

32- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(صلى الله عليه وسلم) ने अपने दोनों हाथों से अपने सर का मसह किया। फिर हाथों को आगे रखा और फिर पीछे ले गए, सर के

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

अगले हिस्से से शुरू किया फिर दोनों हाथों को सर की पिछली जानिब ले गए। फिर हाथों को वापस उसी जगह पर लाए जहां से शुरू किया था फिर आप(ﷺ) ने अपने दोनों पाँव धोए।

(32) बुख़ारी: 185, मुस्लिम: 235, अबू दाऊद: 118, इब्ने माजा: 434, निसाई:97.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : इस मसला में मुआविया, मिक़दाम बिन मअदी करिब और सय्यदा आयशा (رضي الله عنها)से भी रिवायात मर्वी हैं। नीज़ फ़रमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (رضي الله عنه) की हदीस इस मसला में सहीह और हसन तरीन है, और इमाम शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है।

तौज़ीह: قفاهٗ: सर की पिछली जानिब जहां बाल खत्म होते हैं। गुद्दी।

25 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ الرَّأْسِ

25. पिछली जानिब से सर के मसह की इब्तिदा करना

33- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ، بَدَأَ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ، ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ، وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا، ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا.

33- सय्यदा रूबैअ बिन्ते मुअव्विज़ बिन अफरा(رضي الله عنها) बयान करती हैं नबी अकरम(ﷺ) ने अपने सर का मसह दो मर्तबा किया, (पहले) सर के पिछले हिस्से से इब्तिदा की फिर इसके अगले हिस्सा से, और आप(ﷺ) ने अपने दोनों कानों का बाहर और अंदर से (मसह किया).

(33) हसन: अबू दाऊद: 126, इब्ने माजा: 390, दारमी: 797, दार क़ुतनी: 1/871

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन है, और सनद के एतबार से अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (رضي الله عنه) की हदीस ज़्यादा सहीह और जय्यद है, और बअज अहले कूफा (अमल करने में) इस हदीस की तरफ़ गए, जिनमें वकीअ बिन जर्राह भी शामिल हैं.

तौज़ीह: मसह करने में अगले हिस्से से इब्तिदा और पिछली जानिब तक लाकर फिर अगले हिस्से तक ले जाने की रिवायत ज़्यादा हैं लिहाज़ा इस पर अमल किया जाएगा.

26. सर का मसह एक मर्तबा किया जाएगा

26 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةً

34- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ، قَالَتْ: مَسَحَ رَأْسَهُ، وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ، وَمَا أَدْبَرَ، وَصُدْغَيْهِ، وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

34- सय्यदा रूबैअ बिन्ते मुअव्विज़ बिन अफरा (ﷺ) बयान करती हैं उन्होंने नबी(ﷺ) को वुज़ू करते हुए देखा, फ़रमाती हैं, आप(ﷺ) ने सर की अगली और पिछली जानिब, नीज़ अपनी कनपटियों और दोनों कानों का एक मर्तबा मसह किया.

हसनुल इस्नाद: अबू दाऊद: 129 इब्ने माजा: 390

वज़ाहत: इस मसला में अली (ﷺ) और तल्हा बिन मुसर्रिफ़ बिन अम्र के दादा (ﷺ) से भी रिवायत मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) कहते हैं : यह रूबैअ (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है, और नबी(ﷺ) से कई तुरुक से मर्वी है कि आप(ﷺ) ने अपने सर का एक ही मर्तबा मसह किया.

नबी(ﷺ) के सहाबा और बाद वाले लोगों में से अकसर अहले इल्म का इसी पर अमल है, नीज़ जाफर बिन मुहम्मद, सुफ़ियान, अब्दुल्लाह बिन मुबारक (ﷺ) , शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) का कौल भी यही है कि सर का मसह एक मर्तबा है।

हमें मुहम्मद बिन मंसूर अल मक्की ने बयान किया कि मैं सुफ़ियान बिन उयय्ना को यह कहते हुए सुना है कि मैंने जाफर बिन मुहम्मद से पूछा कि सर का मसह एक दफ़ा काफ़ी है? तो उन्होंने क़सम उठा कर कहा: '' हां अल्लाह की क़सम जरूर (हो जाता है).

27. सर (के मसह) के लिए नया पानी लेना

27 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يَأْخُذُ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا

35- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ.

35- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (ﷺ) बयान करते हैं कि उन्होंने नबी अकरम(ﷺ) को वुज़ू करते देखा कि आप(ﷺ) ने सर का मसह हाथों से बचे हुए पानी के अलावा और पानी से किया.

मुस्लिम: 236 अबू दाऊद: 120 इब्ने खुजैमा: 154 इब्ने हिब्बान: 1015.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं कि यह हदीस हसन सहीह है, और इब्ने लहीआ ने भी हिब्बान बिन वासे और उनके बाप के वास्ते से सय्यदना अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (رضي الله عنه) से रिवायत की है कि नबी(صلى الله عليه وسلم) ने वुज़ू किया और सर का मसह हाथों के बचे हुए पानी से किया. लेकिन अम्र बिन हारिस की हिब्बान से बयान कर्दा रिवायत ज़्यादा सहीह है, इसलिए कि यह रिवायत बहुत से तुरूक के साथ अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (رضي الله عنه) वग़ैरह से बयान की गई है कि नबी(صلى الله عليه وسلم) ने सर (के मसह) के लिए नया पानी लिया. ज़्यादातर उलमा के नज़दीक अमल इसी बात पर है कि सर (के मसह) के लिए नया पानी ले.

तौज़ीह: नए पानी से मुराद यह है कि बाजू धोते वक़्त हाथ पानी से तर हो जाते हैं उसे पानी से सर का मसह करने की बजाय हाथों को पानी लगाकर सर का मसह किया जाए.

28. कानों का अंदुरूनी और बैरूनी हिस्सा से मसह किया जाए

28 بَابُ مَا جَاءَ مَسْحِ الأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا

36- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी अकरम(صلى الله عليه وسلم) ने सर का मसह किया, और कानों का बाहर और अंदर (के हिस्से) से मसह किया.

हसन सहीह: इब्ने माजा: 439 निसाई: 102 अबू याला: 2486. इब्ने खुज़ैमा: 148.

36- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا.

वज़ाहत: इस मसला में सय्यदा रूबैअ (رضي الله عنها) से भी रिवायत की गई है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ अक्सर उलमा का इसी बात पर अमल है कि दोनों कानों का मसह अंदर और बाहर की जानिब से किया जाये.

29. दोनों कान सर में शामिल है

29 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ

37- सय्यदना अबू उमामा (رضي الله عنه) रिवायत करते हुए फ़रमाते हैं कि नबी(صلى الله عليه وسلم) ने वुज़ू किया तो आप(صلى الله عليه وسلم) ने तीन मर्तबा अपना चेहरा धोया और तीन मर्तबा दोनों हाथ (यानी बाज़ू) धोए और सर का मसह किया, नीज़

37- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا،

وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَقَالَ: الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ،

आप(ﷺ) ने फ़रमाया: ''दोनों कान (का शुमार) सर (में) से हैं''

सहीह अबू दाऊद: 134 इब्ने माजा: 444 मुसनद अहमद: 5/264.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: कि क़ुतैबा, हम्माद (رحمه الله) का कौल बयान करते हैं कि मैं नहीं जानता कि यह नबी(ﷺ) का फ़रमान है या अबू उमामा का कौल है?

नीज़ कहते हैं इस मसले में अनस (رضي الله عنه) से भी रिवायत है, इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं, यह हदीस हसन है, इसकी इस्नाद ज़्यादा मजबूत नहीं है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और बाद वाले ताबेईन में से अकसर उलमा का अमल इसी बात पर है कि कान सर का हिस्सा हैं। नीज़ सुफ़ियान सौरी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है। बअ़ज अहले इल्म कहते हैं कि कानों का अगला हिस्सा चेहरे में शुमार होता है और पिछला हिस्सा सर में।

इस्हाक़ (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मैं इस बात को पसंद करता हूं कि कानों के अगले हिस्से का मसह चेहरे के साथ करे और पिछले हिस्से का सर के साथ।

इमाम शाफ़ेई कहते हैं यह दोनों कान मसह करने में सुन्नत हैं उनका मसह नए पानी से किया जाए.

30 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْلِيلِ الأَصَابِعِ

30. उंगुलियों का खिलाल करना

38- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلِ الأَصَابِعَ.

38- आसिम बिन लकीत बिन सबरा अपने बाप लकीत बिन सबरा से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जब तुम वुज़ू करो तो उंगलियों का खिलाल किया करो''

सहीह: सहीह अबी दाऊद: 130 अबू दाऊद: 142. इब्ने माजा: 448.निसाई: 114.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं: इस मसला में अब्दुल्लाह बिन अब्बास, मुस्तौरिद जो शद्दाद फहरी के बेटे हैं और अबू अय्यूब अंसारी (رضي الله عنه) से भी रिवायत करते हैं.

नीज़ फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है और अक्सर उलमा का अमल इसी बात पर है कि (वुज़ू करने वाला) वुज़ू में अपने दोनों पांव की उंगलियों का ख़िलाल करे. इमाम अहमद बिन हंबल और इसहाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है और इमाम इस्हाक़ (तो यह भी) कहते हैं कि अपने हाथों और पांव की उंगलियों का ख़िलाल करे. नीज़ अबू हाशिम का नाम इस्माईल बिन कसीर अल्मक्की है।

39- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ.

39- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: ''जब तुम वुज़ू करो तो अपने दोनों हाथों और दोनों पांवों की उंगलियों के दर्मियान ख़िलाल करो।''

हसन सहीह। इब्ने माजा: 447 मुसनद अहमद: 1/287

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है।

40- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ الْفِهْرِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ دَلَكَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ.

40- सय्यदना मुस्तौरिद बिन शद्दाद अल फिहरी (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने नबी(ﷺ) को देखा आप(ﷺ) जब भी वुज़ू करते तो आप(ﷺ) पांव की उंगलियों को अपनी (छंगलियाँ) सबसे छोटी उंगली के साथ मलते थे।

सहीह अबू दाऊद: 148 इब्ने माजा: 446 मुसनद अहमद: 4/229.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। हम इसे सिर्फ इब्ने लहीआ की हदीस से जानते हैं।

तौज़ीह: دَلَكَ: किसी चीज़ को रगड़ना या मलना मुराद होता है।

بِخِنْصَرِهِ: सबसे छोटी उंगली को खिंसिर कहा जाता है। अरबी जबान में तमाम उंगलियों के अलग-अलग नाम हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अरबी जबान में किस क़दर वुस्अत है।

31 بَابُ مَا جَاءَ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

31. एड़ियाँ (अगर वुज़ू में खुश्क रहीं हैं तो उन) के लिए जहन्नम का अज़ाब है

41- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

41- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: ''एड़ियाँ (अगर वुज़ू के बावजूद खुश्क रहीं तो उन) के लिए आग की हलाकत है।''

وَسَلَّمَ، قَالَ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

बुख़ारी: 165. मुस्लिम: 242 इब्ने माजा: 453 निसाई: 110 तोहफतुल अशराफ़: 12717

वज़ाहत: इस मसला में अब्दुल्लाह बिन अम्र, आयशा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह बिन हारिस, इब्ने जुज़्उज़्ज़ुबदी, मुऐक़िब, ख़ालिद बिन वलीद, शुरहबील बिन हसन और सुफ़ियान (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी अकरम(ﷺ) से यह भी है कि आप(ﷺ) ने फ़रमाया: ‘‘ जो (एड़ियाँ खुश्क रहीं उन) एड़ियों और पांवों के निचले हिस्सों के लिए (भी अगर वह खुश्क रहीं तो) आग (के आज़ाब) की हलाकत है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: हदीस से यह बात समझ में आ रही है कि जब पांव पर जुराबें या मोजे ना हो तो उन पर मसह करना जायज़ नहीं है।

तौज़ीह: وَيْلٌ: नुज़ूले आफत, हलाकत, कलिमे अज़ाब, बर्बादी और तबाही के मानी में है।

यहाँ पर जो लफ़्ज़ جَوْرَبَانِ : इस्तेमाल हुआ है जो तस्निया है मतलब है जिस चीज़ से पांव को ढाँपा जाए।

यहाँ लफ़्ज़ خُفَّانِ : तस्निया के सेगे के साथ इस्तेमाल हुआ है, जिस का मानी चमड़े का मोज़ा है जो पाँव को ढाँप ले।

32 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

32 आज़ाए वुज़ू को एक-एक मर्तबा धोना

42- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَهَنَّادٌ، وَقُتَيْبَةُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.

42- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी अकरम(ﷺ) ने वुज़ू के आजा (अंगों) को एक एक मर्तबा धोया.

बुख़ारी: 157 अबू दाऊद: 138 इब्ने माजा: 411 निसाई: 80, 101, 102.

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) कहते हैं: इस मसला में उमर, जाबिर, बुरैदा, अबू राफ़े और इब्ने फ़ाकेह (ﷺ) से अहादीस मर्वी हैं। नीज़ फ़रमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) की इस मसले में बयान कर्दा रिवायत बहुत अच्छी है, और रुश्दैन बिन साद वगैरह ने जह्हाक बिन शुरहबील अज़ ज़ैद बिन असलम और उनके वालिद के वास्ते से उमर बिन खत्ताब (ﷺ) से भी इस रिवायत को बयान किया है कि

नबी(ﷺ) ने एक एक मर्तबा वुज़ू किया (यानी आज़ाए वुज़ू एक एक मर्तबा धोया)

और कहते हैं कि यह रिवायत कुछ भी शुमार नहीं की जाती. सहीह रिवायत वही है जिसे इब्ने अज़लान, हिशाम बिन साद, सुफ़ियान सौरी और अब्दुल अजीज बिन मुहम्मद (رحمه الله) ज़ैद बिन असलम ने अता बिन यसार (رحمه الله) के वास्ते से अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से नबी(ﷺ) के बारे में बयान किया है।

33. आज़ाए वुज़ू को दो-दो मर्तबा धोना

33 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

43- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

43- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने दो-दो मर्तबा वुज़ू किया (यानी आज़ाए वुज़ू को दो दो मर्तबा धोया).

हसन: सहीह: अबू दाऊद: 136 मुसनद अहमद: 2/288 इब्ने हिब्बान: 1094.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। हम इसे सौबान बिन अब्दुल्लाह ही से जानते हैं। जो कि उन्होंने अब्दुल्लाह बिन फज़ल के वास्ते से रिवायत की है और यह सनद हसन सहीह है। नीज़ इस मसले में जाबिर (رضي الله عنه) से भी रिवायत मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हम्माम ने आमिर अल्अहवल और उन्होंने अता के वास्ते से अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत किया है कि नबी(ﷺ) ने आज़ाए वुज़ू को तीन तीन मर्तबा धोया.

34. आज़ाए वुज़ू को तीन तीन मर्तबा धोना

34 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

44- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.

44 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने तीन- तीन बार वुज़ू किया (यानी वुज़ू के आजा तीन- तीन बार धोए)

सहीह: अबू दाऊद: 11 इब्ने माजा: 413 निसाई: 91-96 मुसनद अहमद: 120.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मज़कूरा मसले में उस्मान, रूबैअ, अब्दुल्लाह बिन उमर, आयशा, अबू उमामा, अबू राफ़े, अब्दुल्लाह बिन अम्र, मुआविया, अबू हुरैरा, जाबिर, अब्दुल्लाह बिन ज़ैद और उबय बिन काब (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं: अली (رضي الله عنه) की इस मसले में बयान कर्दा हदीस ज़्यादा बेहतर और सहीह है क्योंकि वह सय्यदना अली (رضي الله عنه) से कई तुरुक(सनदों) से मर्वी है।

आम उलमा के नज़दीक इसी बात पर अमल है कि एक एक मर्तबा आज़ाए वुज़ू को धोना जायज़ है। दो दो मर्तबा अफ़ज़ल है और तीन तीन मर्तबा धोना उससे भी ज़्यादा अफ़ज़ल अमल है। तीन के बाद कुछ नहीं (यानी जायज़ नहीं).

अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मुझे डर है कि जब तीन मर्तबा से ज़्यादा धोएगा तो गुनाहगार होगा।

इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) फ़रमाते हैं: तीन मर्तबा से ज़्यादा वस्वसे में मुब्तला शख़्स ही धो सकता है।

तौज़ीह: वुज़ू करने में सवाब के लिहाज से 3 मरातिब हैं... (1) तमाम आज़ा तीन मर्तबा धोना यह सबसे अफ़ज़ल अमल है। (2) आज़ा दो मर्तबा धोए जाएँ इस से कम दर्जा है। (3) जवाज़ की हद्द तक एक एक मर्तबा भी वुज़ू के आज़ा धोए जा सकते हैं.

35. आज़ा (वुज़ू के हिस्सो) को एक दफ़ा दो दफ़ा और तीन दफ़ा धोना

35 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثًا

45 - साबित बिन अबी सफ़िय्या (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि मैंने अबू जाफर (رحمه الله) से कहा कि क्या आप को सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) ने बयान किया था कि नबी(ﷺ) ने एक- एक, दो- दो और तीन- तीन दफ़ा वुज़ू किया था (यानी आज़ा धोए थे) तो उन्होंने फर्माया: हां!

आप(ﷺ) का आजाए वुज़ू को एक, दो और तीन मर्तबा धोना बहुत सी अहादीस से साबित है।

ज़ईफ़:इब्ने माजा:410.

45- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ: حَدَّثَكَ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا؟ قَالَ: نَعَمْ

46- इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं वकीअ ने यह हदीस साबित बिन अबी सफ़िय्या (رحمه الله) से रिवायात की है कि मैंने अबू जाफर (رحمه الله) से पूछा कि क्या आपको जाबिर (رضي الله عنه) ने बयान

46- وَرَوَى وَكِيعٌ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ: حَدَّثَكَ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ

مَرَّةً مَرَّةً؟ قَالَ: نَعَمْ، وحَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ، وَقُتَيْبَةُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ثَابِتٍ.

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ، لأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، هَذَا عَنْ ثَابِتٍ، نَحْوَ رِوَايَةِ وَكِيعٍ. وَشَرِيكٌ كَثِيرُ الْغَلَطِ. وَثَابِتُ بْنُ أَبِي صَفِيَّةَ

किया था कि नबी करीम(ﷺ) ने एक एक दफ़ा वुज़ू किया? तो उन्होंने फर्माया: हां. और यह हदीस हमें हन्नाद और कुतैबा ने बयान की है। दोनों कहते हैं कि हमें वकीअ ने साबित बिन अबी सफ़िय्या से बयान की है।

सहीह लिगैरिही.

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं यह शरीक की रिवायत से ज़्यादा सहीह है क्योंकि यह कई तुरुक के साथ साबित (رضي الله عنه) से बयान की गई है जिस तरह की वकीअ की रिवायत है, जबकि शरीक रावी बहुत गलतियां करता था और साबित बिन अबू सफ़िय्या ही अबू हम्ज़ा अश्शिमाली है।

36 بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ يَتَوَضَّأُ بَعْضَ وُضُوئِهِ مَرَّتَيْنِ، وَبَعْضَهُ ثَلاَثًا

36. जो शख़्स अपने कुछ आज़ा दो मर्तबा और कुछ तीन मर्तबा धोता है।

47- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ

47- अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (رضي الله عنه) बयान करते हैं नबी(ﷺ) ने वुज़ू किया तो अपने चेहरे को तीन मर्तबा धोया और अपने हाथों को दो- दो मर्तबा धोया और (फिर) आप(ﷺ) ने सर का मसह किया और (फिर) अपने पांव दो मर्तबा धोए.

यह हदीस सहीह है लेकिन पाँव को दो मर्तबा धोने वाला कौल शाज़ है। सहीह अबू दाऊद:109. बुख़ारी:185.मुस्लिम:235.अबू दाऊद: 118. इब्ने माजा:434.तोहफतुल अशराफ़:5308.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन, सहीह है। नीज़ बहुत सी अहादीस में ज़िक्र किया गया है कि नबी(ﷺ) ने कुछ आज़ा एक मर्तबा कुछ तीन मर्तबा धोए हैं और बअ़ज अहले इल्म ने इस चीज़ में रूख़्सत देते हुए कहा है कि अगर कोई शख़्स वुज़ू करते हुए कुछ आजा तीन मर्तबा धो ले कुछ दो दफ़ा या एक दफ़ा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।

37. नबी अकरम (ﷺ) का वुज़ू कैसा था?

37 بَابٌ فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَ

48- अबू हय्या (رحمه الله) कहते हैं कि मैंने सय्यदना अली (رضي الله عنه) को वुज़ू करते हुए देखा, उन्होंने अपने हाथ खूब साफ़ करके धोए, फिर तीन मर्तबा कुल्ली की, फिर तीन दफ़ा नाक में पानी दाख़िल करके उसे साफ़ किया फिर अपने चेहरे को तीन मर्तबा धोया, फिर अपने बाजुओं को तीन दफ़ा धोया, फिर एक मर्तबा सर का मसह किया फिर अपने दोनों पांवों टखनों समेत धोए फिर खड़े होकर वुज़ू से बचा हुआ पानी पिया, फिर फ़रमाया: मैं चाहता था कि तुम्हें रसूलुल्लाह(ﷺ) का वुज़ू दिखाऊँ.

सहीह अबू दाऊद:111. इब्ने माजा:413. निसाई: 91- 96

48- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَقُتَيْبَةُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلاَثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهُورِهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُورُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं: इस मसला में उस्मान, अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (رضي الله عنه) , अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अम्र, आयशा, रूबैअ और अब्दुल्लाह बिन उनैस (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी है।

तौज़ीह: (1) पानी बैठ कर पीना चाहिए लेकिन खड़े होकर पीना भी जायज़ है।

49- अब्दे खैर ने अली (رضي الله عنه) से अबू हय्या की रिवायत की तरह हदीस ज़िक्र की है, लेकिन अब्दे खैर कहते हैं कि सय्यदना अली (رضي الله عنه) जब वुज़ू से फारिग हुए तो आप ने अपने चुल्लू से ही बचा हुआ पानी पी लिया.

सहीह:अबू दाऊद: 11.इब्ने माजा: 404.निसाई: 95. तयालिसी: 149. इब्ने खुजैमा: 147. इब्ने हिब्बान: 1079.

49- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، ذَكَرَ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي حَيَّةَ، إِلاَّ أَنَّ عَبْدَ خَيْرٍ، قَالَ: كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طُهُورِهِ أَخَذَ مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ بِكَفِّهِ فَشَرِبَهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं सय्यदना अली (رضي الله عنه) की हदीस को अबू इस्हाक़ हमदानी ने अबू हय्या, अब्दे खैर और हारिस के वास्ते से अली (رضي الله عنه) से बयान किया है।

नीज़ ज़ाइदा बिन क़ुदामा और बहुत से रावियों ने भी ख़ालिद बिन अल्क़मा अज़ अब्दे ख़ैर के तरीक से सय्यदना अली (ﷺ) की वुज़ू वाली हदीस मुकम्मल बयान की है और यह हदीस हसन सहीह है।

फ़रमाते हैं: शोबा ने यह हदीस ख़ालिद बिन अल्क़मा से बयान करते हुए उनके बाप के नाम में ग़लती करते हुए मालिक बिन अर्फ़ता अन अब्दे ख़ैर अन अली कहा है।

नीज़ अबू अवाना ने ख़ालिद बिन अल्क़मा अज़ अब्दे ख़ैर के वास्ते से अली (ﷺ) से रिवायत की है और वह मालिक बिन अर्फ़ता से शोबा की रिवायत जैसी भी रिवायात ज़िक्र करते हैं और सहीह नाम ख़ालिद बिन अल्क़मा है।

38. वुज़ू के बाद छींटे मारना

38 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

-50 حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ السَّلِيمِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: جَاءَنِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ.

50- सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, जिब्रील(ﷺ) ने मेरे पास आकर कहा: ऐ मुहम्मद(ﷺ)! जब वुज़ू करें तो शर्मगाह पर छींटे मारा करें.

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 463. इब्ने अदी: 2/733. उक़ैली: 1/234.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी कहते है: यह हदीस गरीब है, और मैंने इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना है कि हसन बिन अल्हाश्मी मुन्करूल हदीस हैं.

नीज़ मज़कूरा मसला में अबुल हकम बिन सुफ़ियान, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, ज़ैद बिन हारिसा और अबू सईद अल ख़ुदरी (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं। बअ़ज रावियों ने सुफ़ियान बिन हकम य हकम बिन सुफ़ियान कहा, और इस हदीस में मुज़्तरिब हुए.

तौज़ीह: शर्मगाह पर छींटे मारने से वुज़ू के बाद शर्मगाह वाले हिस्से पर कपड़ों के ऊपर से छींटे मारना मुराद है।

39.वुज़ू में आज़ाए वुज़ू को अच्छी तरह धोना

39 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

-51 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ

51- सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) बयान करते हैं रसूल(ﷺ) ने फ़र्माया, क्या मैं ऐसे काम की तरफ़ तुम्हारी रहनुमाई ना करूं जिसकी बिना

الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.

पर अल्लाह तआला तुम्हारी गलतियों को मिटा दे दरजात को बुलंद कर दे? सहाबा (رضي الله عنه) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! क्यों नहीं जरूर कीजिए तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया नापसंदीदगी के बावजूद वुज़ू को पूरा करना मसाजिद की तरफ़ ज़्यादा चलना और नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ का इंतिजार करना यही अल्लाह के रास्ते की पहरेदारी है
मुस्लिम:251. इब्ने माजा:428. निसाई:142.

तौज़ीह : إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ : का मतलब है, वुज़ू के हर आज़ा को अच्छी तरह धोना . المكره (الْمَكَارِهِ) की जमा है जिसका मतलब है ना पसन्दीदा बात, बोझ वाली चीज़ (الرِّبَاطُ) लफ़्ज़ी मानर बाँधना होता है उमूमन अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए घोड़ों को तैयार रखने पर यह लफ़्ज़ बोला जाता है.

52- وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ العَلاَءِ، نَحْوَهُ، وقَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ: فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ثَلاَثًا.

52- कुतैबा कहते हैं: हमें अब्दुल अजीज बिन मुहम्मद ने अला के वास्ते से इसी तरह बयान किया है और कुतैबा अपनी हदीस में कहते हैं ''यही रिबात है यही रिबात है यही रिबात है'' यानी तीन दफ़ा यह लफ़्ज़ बोला है

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस मसला में अली, अब्दुल्ला बिन अम्र, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, उबैदा या उबैदा बिन अम्र, आयशा, अब्दुर्रहमान बिन आईश अल्हज़्रमी और अनस (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं नीज़ फ़रमाते हैं: इस मसले में अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। अला बिन अब्दुर्रहमान ही इब्ने याकूब अल्जोहनी अल हिरकी हैं जो कि मुहद्दिसीन के नज़दीक सिक़ा रावी हैं.

40 بَابُ مَا جَاءَ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

40 . वुज़ू के बाद रूमाल का इस्तेमाल

53- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الجَرَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الوُضُوءِ

53- सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास एक कपड़े का टुकड़ा था जिसके साथ आप(ﷺ) वुज़ू के बाद अपना जिस्म मुबारक साफ़ करते थे.
ज़ईफुल इस्नाद:हाकिम: 1/ 154.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) की हदीस मजबूत नहीं है और इस मसले में नबी(ﷺ) से कुछ भी सहीह साबित नहीं है, और अबू मुआज़ के बारे में मुहद्दिसीन कहते हैं कि यह सुलैमान बिन अरक़म है जो कि मुहद्दिसीन के यहां ज़ईफ़ रावी है नीज़ फ़रमाते हैं इस मसला में मुआज़ बिन जबल (رضی اللہ عنہ) से भी मर्वी है।

तौज़ीह : الْمِنْدِيل: हाथ या पसीना वगैरह साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होने वाला चार कोनों वाला दस्ती रुमाल इसकी जमा مناديل आती है।

خِرْقَةٌ: पुराने फटे हुए कपड़े का टुकड़ा, चिथड़ा इसकी जमा خِرَقٌ : आती है।

54- सय्यदना मुआज़ बिन जबल (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम(ﷺ) को देखा कि जब आप(ﷺ) ने वुज़ू किया तो अपने चेहरे को अपने कपड़े के किनारे से साफ़ किया.

ज़ईफ़ुल इस्नाद: तबरानी फ़िल औसत: 4196 बैहक़ी: 1/236.

54- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है और इसकी इस्नाद ज़ईफ हैं, क्योंकि रूश्दैन बिन साद, अब्दुर्रहमान बिन जियाद बिन अन्अम अल अफरीक़ी दोनों हदीस में ज़ईफ शुमार होते हैं .

नीज़ नबी(ﷺ) के सहाब ए किराम और ताबेईन में से कुछ लोग वुज़ू के बाद रुमाल इस्तेमाल करने की रूख़्सत देते हैं। जिसने (रुमाल का इस्तेमाल) नापसंद जाना है वह इसलिए कि कहा जाता है (क़यामत के दिन) वुज़ू के पानी का वजन किया जाएगा और यह बात सईद बिन मुसय्यब और ज़ोहरी (رحمہ اللہ) से भी मर्वी है। हमें मुहम्मद बिन हुमैद अर्राज़ी ने बयान किया है कि जरीर कहते हैं: मुझे यह बात अली बिन मुजाहिद ने जो कि मेरे नज़दीक सिक़ा हैं, सअल्बा के वास्ते ज़ोहरी (رحمہ اللہ) बयान की है वह कहते हैं कि मैं रुमाल का इस्तेमाल इसलिए मकरूह समझता हूं कि वुज़ू के पानी का (क़यामत के दिन) वजन किया जाएगा.

तौज़ीह : طَرَفِ: किनारे को कहते हैं इससे मुराद कमीस या तहबंद का किनारा है।

41. वुज़ू के बाद की दुआ

41 بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الوُضُوءِ

55- सय्यदना उमर बिन खत्ताब (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: " जिसने अच्छी तरह वुज़ू करने के बाद यह पढ़ा:

55- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الثَّعْلَبِيُّ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ،

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلاَنِيِّ، وَأَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक़ नहीं वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं और मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद(ﷺ) उसके बंदे और रसूल हैं, ऐ अल्लाह मुझे बहुत तौबा करने वाले और बहुत ज़्यादा पाक रहने वाले लोगों में शामिल फ़रमा. तो उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं जिस से चाहे दाखिल हो जाए.

मुस्लिम: 234 अबू दाऊद: 169 इब्ने माजा: 47. निसाई: 148.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस मसला में अनस और उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) से भी मर्वी है। नीज़ फ़रमाते हैं : उमर (रज़ि.) की हदीस में ज़ैद बिन हुबाब के बारे में इख़्तिलाफ़ किया गया है और फ़रमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन सालेह वग़ैरह ने मुआविया बिन सालेह अज़ रबीआ बिन यजीद अज़ अबू इदरीस अज़ उक़्बा बिन आमिर के वास्ते से उमर रज़ि.) से बयान किया है, और रबीआ से अबू उस्मान अज़ जुबैर बिन नुफैर के वास्ते से भी उमर (रज़ि.) से रिवायात की है।

इस हदीस की सनद में इज़्तिराब है। नबी(ﷺ) से इस मसले में कुछ ज़्यादा साबित नहीं है। इमाम मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी (रह.)) फ़रमाते हैं : अबू इदरीस ने उमर (रज़ि.) से कुछ भी नहीं सुना है।

42 بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ بِالمُدِّ

42. एक मुद पानी से वुज़ू करना

56- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ

56- सय्यदाना सफ़ीना (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) एक मुद पानी से वुज़ू या एक साअ पानी से ग़ुस्ल कर लिया करते थे।

मुस्लिम: 234 इब्ने माजा: 267.

तौज़ीह : **مد** एक मुद: साअ का चौथाई हिस्सा होता है और एक साअ में 2500 ग्राम पानी आ जाता है .इस तरह एक मुद 625 ग्राम का बनता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस मसले में आयशा, जाबिर और अनस बिन मालिक (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं. इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: सफ़ीना (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और अबू रैहाना का नाम अब्दुल्लाह बिन क़तर है।

इसी तरह बअ्ज उलमा एक मुद के वुज़ू और एक साअ के साथ ग़ुस्ल करने की राय देते हैं। इमाम शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) कहते हैं कि इस हदीस में मिक़दार (मात्रा) को मुक़र्रर नहीं किया गया कि इससे कम या ज़्यादा मिक़दार इस्तेमाल जायज़ नहीं है बल्कि यह मिक़दार किफ़ायत कर सकती है।

43 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الإِسْرَافِ فِي الْمَاءِ

43. वुज़ू करते हुए पानी में इस्राफ़ करना मकरूह है

57- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا، يُقَالُ لَهُ: الوَلَهَانُ، فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ

57- सय्यदना उबय बिन क़ाब (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, वुज़ू के लिए बंदे पर एक शैतान मुक़र्रर होता है जिसको वलहान कहा जाता है सो तुम वस्वसे की वजह से पानी ज़ाया करने से बचो.

ज़ईफुल इस्नाद: मुसनद अहमद: 5/ 136. इब्ने खुज़ैमा: 122.इब्ने माजा: 421.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अम्र और अब्दुल्लाह बिंन मुगफ्फल (رضي الله عنهما) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: उबय बिन क़ाब की हदीस गरीब है। मुहद्दिसीन के नज़दीक इसकी सनद क़वी और सहीह नहीं है क्योंकि खारजा के अलावा हम किसी ऐसे रावी को नहीं जानते जिसने इसको मुसनद बयान किया हो, नीज़ कई तुरूक़ से हसन का कौल भी (बतौर हदीस) रिवायत किया गया है लेकिन इस मसले में नबी(ﷺ) से कुछ भी साबित नहीं है और खारजा हमारे साथियों के नज़दीक कवी रावी नहीं, इसे अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمه الله) ने भी ज़ईफ़ क़रार दिया है।

तौज़ीह : إِسْرَافِ: फुज़ूल खर्ची, हद से तजावुज़ करना, राहे ऐतदाल से हटना वग़ैरह मुराद होता है .

وَسْوَاسَ الْمَاءِ : यानी शैतान वस्वसा डालता है कि यह आज़ा अच्छी तरह नहीं धुला या तीन मर्तबा नहीं हुआ। इस से बंदा इसे कई दफा धोकर पानी ज़ाया करता है।

44. हर नमाज़ के लिए (नया) वुज़ू करना

44 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ

58- सय्यदना अनस (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) हर नमाज़ के लिए वुज़ू करते थे ख़्वाह (पहले) आप(ﷺ) का वुज़ू होता या न होता, (हुमैद रहिमहुल्लाह) कहते हैं मैंने अनस (ﷺ) से कहा कि आप लोग कैसे करते थे? तो उन्होंने फ़रमाया, हम (कई नमाज़ों के लिए) एक ही वुज़ू करते थे. (ज़ईफ़)

58-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ، قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ: فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ أَنْتُمْ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَوَضَّأُ وُضُوءًا وَاحِدًا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: हुमैद की सय्यदना अनस (ﷺ) से इस सनद के साथ (बयान)कर्दा रिवायत हसन गरीब है और मुहद्दिसीन के नज़दीक अम्र बिन आमिर अल अन्सारी की अनस से (बयान कर्दा) रिवायत मशहूर है।

बअ़ज उलमा हर नमाज़ के लिए (नए) वुज़ू को इस्तेबाब (मुस्तहब होने) पर महमूल करते हैं वजूब पर नहीं।

59- और सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: ''जिस शख़्स ने वुज़ू पर वुज़ू किया अल्लाह तआला उसके लिए 10 नेकियाँ लिख देते हैं.''
ज़ईफ़: अबू दाऊद:62.इब्ने खुजैमा:512.

59- وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ

वज़ाहत: अल अफरीक़ी ने यह हदीस अबू गतीफ़ के वास्ते से अब्दुल्ला बिन उमर (ﷺ) से मर्फ़ूअ बयान की है। हमें यह हदीस हुसैन बिन हुरैस अल मर्वजी ने उन्हें मुहम्मद बिन यज़ीद वास्ती ने अफरीक़ी के वास्ते से बयान की, मगर उसकी सनद ज़ईफ़ है।

अली बिन अल मदीनी (ﷺ) फ़रमाते हैं कि यहया बिन सईद अल क़त्तान कहते हैं इस हदीस का ज़िक्र हिशाम बिन उर्वा से किया गया तो उन्होंने फ़रमाया: यह मशरिक़ी सनद है

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: मैंने अहमद बिन हसन को फ़रमाते हुए सुना कि इमाम अहमद बिन हंबल (ﷺ) फ़रमा रहे थे मैंने अपनी आंखों से यहया बिन सईद अल क़त्तान जैसा कोई नहीं देखा।

-60 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، قُلْتُ: فَأَنْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ نُحْدِثْ.

60- अम्र बिन आमिर अल अंसारी बयान करते हैं कि मैंने सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) को फ़रमाते हुए सुना कि नबी अकरम(ﷺ) हर नमाज़ के वक़्त वुज़ू करते थे. (अम्र बिन आमिर अल अंसारी) कहते हैं मैंने अनस (رضي الله عنه) से कहा: तो आप लोग क्या करते थे? तो उन्होंने फ़रमाया: जब तक हम बे वुज़ू ना होते तमाम नमाजें एक ही वुज़ू के साथ पढ़ लेते थे।

बुखारी: 214 अबू दाऊद: 181 इब्ने माजा: 509. इब्ने खुजैमा: 126 मुसनद अहमद: 3/ 132.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज़ हुमैद की अनस (رضي الله عنه) से बयान कर्दा हदीस जय्यद गरीब हसन है।

45 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

45. नबी (ﷺ) एक ही वुज़ू के साथ कई नमाज़ें पढ़ लेते थे

-61 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّكَ فَعَلْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ فَعَلْتَهُ، قَالَ: عَمْدًا فَعَلْتُهُ.

61 - सुलैमान बिन बुरैदा (رحمه الله) अपने बाप बुरैदा (رحمه الله) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) हर नमाज़ के लिए वुज़ू करते थे. जब फतहे मक्का का साल आया तो आप(ﷺ) ने तमाम नमाजें एक ही वुज़ू के साथ पढ़ी और आप(ﷺ) ने अपने मौजों पर मसह किया तो उमर (رضي الله عنه) ने अर्ज़ किया: (ऐ अल्लाह के रसूल!) आपने वह काम किया है जो (पहले) नहीं करते थे? तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने जान बूझकर ऐसे किया है।

मुस्लिम: 277 अबू दाऊद: 172 इब्ने माजा: 510 निसाई: 133.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ यह हदीस अली बिन कादिम ने सुफ़ियान सौरी से भी बयान किया है और उसमें यह अलफ़ाज़ ज़्यादा हैं कि आप(ﷺ) ने एक एक दफ़ा आज़ाए वुज़ू को धोया.

इसी तरह सुफ़ियान सौरी ने इस हदीस को मुहारिब बिन दिसार अज़ सुलैमान बिन बुरैदा के वास्ते से भी बयान किया है कि नबी(ﷺ)हर नमाज़ के लिए वुज़ू करते थे.

इस (हदीस) को वकीअ ने सुफ़ियान से उन्होंने मुहारिब से उन्होंने सुलैमान बिन बुरैदा से उन्होंने अपने बाप से भी रिवायत किया है।

कहते हैं: अब्दुर्रहमान बिन महदी वग़ैरह ने सुफ़ियान से उन्होंने ने मुहारिब बिन दिसार के वास्ते से सुलैमान बिन बुरैदा से मुर्सल रिवायत भी बयान की है और वकीअ की हदीस से ज़्यादा सहीह है।

नीज़ अहले इल्म के नज़दीक इसी बात पर अमल है कि जब तक आदमी का वुज़ू बातिल न हो उस वक़्त तक एक वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ सकता है। बअ़ज उलमा हर नमाज़ के लिए इस्तिबाब और फ़ज़ीलत हासिल करने के इरादे से नया वुज़ू भी करते हैं।

अफ़्रीक़ी से अबू ग़तीफ़ के वास्ते से अब्दुल्ला बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत की गई है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: ''जिसने वुज़ू के बावजूद वुज़ू किया अल्लाह तआ़ला उसके लिए दस नेकियाँ लिख देते हैं.'' और यह सनद ज़ईफ़ है। नीज़ इस मसला में जाबिर (رضي الله عنه) से भी रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने ज़ुहर और असर की नमाज़ एक ही वुज़ू से पढ़ी.

46. मर्द और औरत का एक ही बर्तन से (पानी लेकर) वुज़ू करना

46 بَابُ مَا جَاءَ فِي وُضُوءِ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

62 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि सय्यदा मैमूना (رضي الله عنها) बयान फर्माती है, ''मैं और रसूलुल्लाह(ﷺ) एक ही बर्तन से पानी लेकर जनाबत का गुस्ल किया करते थे.''

मुस्लिम:322.इब्ने माजा:377.निसाई:236.

62- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है और आम फ़ुकहा का भी यही कौल है कि अगर मियां बीवी एक ही बर्तन से (पानी ले कर) ग़ुस्ल कर लें तो उसमें गुनाह नहीं है।

नीज़ इस मसला में अली, आयशा, अनस, उम्मे हानी, उम्मे सबीहा अल जहमिया, उम्मे सलमा और अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं: अबू शासा का नाम जाबिर बिन ज़ैद है।

तौज़ीह : الْجَنَابَةِ.: नापाकी की हालत, हमबिस्तरी या ख़ुरूजे मनी के बाइस पैदा होने वाली हाजते ग़ुस्ल को कहते हैं। فُلَانٌ إغتسلَ مِنَ الجَنَابَةِ फुलां शख़्स ने ग़ुस्ले जनाबत किया.

47 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ

47. औरत के बचे हुए पानी से ग़ुस्ल वग़ैरह करना मकरूह है।

63- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي غِفَارٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ.

63- अबू हाजिब (رحمه الله) बनू ग़िफ़ार के एक आदमी से बयान करते हैं: कि नबी अकरम(ﷺ) ने औरत के ग़ुस्ल से बचे हुए पानी (के इस्तेमाल) से मना फ़रमाया है।

सहीह: तयालिसी: 1252.

वज़ाहत: इस मसला में अब्दुल्लाह बिन सर्जिस (رضي الله عنه) से भी मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है बअ़ज फ़ुकहा ने औरत के ग़ुस्ल से बचे हुए पानी के साथ वुज़ू करने को मकरूह समझा है। इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है वह दोनों भी औरत के ग़ुस्ल से बचे हुए पानी को मकरूह समझते हैं उन दोनों की राय हैं कि औरत का बचा हुआ (खाना या मशरूब) मकरूह नहीं है।

طَهُورِ : यहाँ ग़ुस्ल के मानी में है।

64- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الغِفَارِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ، أَوْ قَالَ: بِسُؤْرِهَا.

64- सय्यदना हकम बिन अम्र अल गिफ़ारी (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने आदमी को मना फ़रमाया है कि औरत के ग़ुस्ल से बचे हुए या पीकर छोड़े हुए पानी से वुज़ू करे.

सहीह अबू दाऊद: 82 इब्ने खुजैमा: 373 निसाई: 342

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। अबू हाजिब का नाम सुआदह् बिन आसिम है। नीज़ मुहम्मद बिन बश्शार अपनी हदीस बयान करते हुए कहते हैं: नबी(ﷺ) ने मर्द को औरत के ग़ुस्ल से बचे हुए पानी से वुज़ू करने से मना किया और मुहम्मद बिन बश्शार ने इसमें शक नहीं किया।

यानी रिवायत में रावी की तरफ़ से शक का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि आपने ग़ुस्ल का बचा हुआ पानी कहा है या पी कर छोड़ा हुआ पानी लेकिन मुहम्मद बिन बश्शार सिर्फ़ ग़ुस्ल का पानी ही कहते हैं और उन्हें इसमें कोई शक नहीं है।

तौज़ीह: سُؤْرِ किसी चीज़ का बक़िया, झूठा यानी पी कर बचा हुआ पानी या खा कर छोड़ा हुआ खाना।

48. औरत के ग़ुस्ल से बचे हुए पानी को इस्तेमाल करने की रुख़्सत

48 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

65- सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) की किसी बीवी ने एक बड़े बर्तन (टब वग़ैरह) में पानी लेकर ग़ुस्ल किया तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसी से पानी लेकर वुज़ू करना चाहा तो उस (आपकी(ﷺ) की बीवी) ने कहा मैं तो हालते जनाबत में थी जिस पर आप(ﷺ) ने फ़रमाया: ''पानी तो नापाक नहीं होता.''

सहीह, अबू दाऊद: 68 इब्ने माजा: 370 निसाई: 325 इब्ने खुजैमा: 91

65- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُجْنِبُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ सुफ़ियान सौरी, मालिक और शाफ़ेई (رحمه الله) का भी यही कौल है।

तौज़ीह الجفنةُ बड़ा प्याला, डोंगा इसकी जमा جفان आती है क़ुरआन में है وجفان كا لجواب इल्मे कीमिया में चीनी मिट्टी का वह बर्तन जो माद्दा को भाप बनाकर उड़ाने या गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

49 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

49. पानी को कोई चीज़ नापाक नहीं करती

66 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الحِيَضُ، وَلُحُومُ الكِلاَبِ، وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

66 - सय्यदना अबू सईद अल खुदरी (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा गया कि हम बुज़ाआ के कुँए से (पानी लेकर) वुज़ू कर लिया करें जबकि यह एक ऐसा कुआँ है जिसमें हैज़ वाले कपड़े, कुत्तों के गोश्त और बदबूदार चीजें फेंकी जाती है? रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया : ''पानी पाक है उसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती.''

सहीह अबू दाऊद: 66 निसाई: 326 मुसनद अहमद: 3/31 दार क़ुतनी. 1/23.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। नीज़ अबू उसामा ने इस हदीस को बहुत अच्छी तरह रिवायत किया है और बुज़ाआ के कुँए के मुताल्लिक अबू सईद अल खुदरी (رضي الله عنه) की रिवायत को अबू उसामा से बेहतर किसी ने बयान नहीं किया और यह हदीस अबू सईद अल खुदरी (رضي الله عنه) से बहुत सी इस्नाद के साथ मन्कूल है।

नीज़ इस मसला में अब्दुल्लाह बिन अब्बास और आयशा (رضي الله عنها) से भी मर्वी है।

तौज़ीह: الحِيَضُ:لحيضا : की जमा है जिसका मानी है हैज़ के वक़्त इस्तेमाल किया जाने वाला कपड़ा और रुई वग़ैरह. النَّتْنُ : हर क़िस्म की बदबूदार चीज़.

50 بَابُ مِنْهُ آخَرُ

50. इसी (मसला) के बारे में एक और बाब

67- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

67- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से उस वक़्त सुना जब आप(ﷺ) से ऐसे पानी के बारे में सवाल किया गया जो जंगल में हो और वहां पर दरिंदे और जानवर आते जाते हों तो

وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الفَلَاةِ مِنَ الأَرْضِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ.

रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: '' जब पानी दो बड़े मटको की मिक़दार में हो तो नापाक नहीं होता.

सहीह अबू दाऊद: 63, इब्ने माजा: 517, मुसनद अहमद: 2/ 12, अद्दार्मी: 737, इब्ने खुज़ैमा: 92

वज़ाहत: अब्दा फ़रमाते हैं कि मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने कहा है कि क़ुल्ला से मुराद घड़ा है, और क़ुल्ला उसे कहा जाता है जिसमें पानी भरा जाए.

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है कि जब पानी दो बड़े मटकों की मिक़दार में हो तो जब तक उसकी महक और ज़ायक़ा ना बदले उसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती और फ़रमाते हैं कि यह पानी पांच मश्कीज़ों के बराबर बनता है।

तौज़ीह السبع : السِّبَاع : की जमा है। दरिंदा, फाड़ खाने वाला जानवर, दांत वाला जानवर जो इंसान और चौपायों को फाड़ कर खा जाता हो, मसलन शेर, भेड़िया, चीता वग़ैरह।

قُلَّتَيْنِ: तस्निया है इसकी वाहिद قُلَّةٌ: है जिसका मतलब है वह बड़ा घड़ा या मटका जिसमें पानी भरते हैं और जिन मटको का यहां ज़िक्र है उन दोनों मटकों में तकरीबन 227 किलोग्राम पानी आ जाता है। و الله أعلم بالصواب

51 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ البَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

51.रुके हुए पानी में पेशाब करना मकरूह है

68- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ.

68- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया: '' तुम में से कोई शख़्स खड़े या ठहरे हुए पानी में पेशाब ना करे कि (कहीं फिर) उसी पानी से वुज़ू करना पड़े.''

बुख़ारी:239 मुस्लिम:282 अबू दाऊद: 69 इब्ने माजा: 344 निसाई: 57.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस मसला में सय्यदना जाबिर^(رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

52. समुंद्र या दरिया का पानी पाक होता है

52 بَابُ مَا جَاءَ فِي مَاءِ الْبَحْرِ أَنَّهُ طَهُورٌ

69 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، ح، وحَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابْنِ الأَزْرَقِ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ.

69- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) बयान फ़रमाते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सवाल करते हुए कहा: ''ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ) हम समुंद्र या दरिया में सफर करते हैं और अपने साथ बहुत थोड़ा पानी लेकर जाते हैं अगर हम उससे वुज़ू कर लें तो प्यासे रह जाते हैं, क्या हम समुंद्र के पानी से वुज़ू कर लिया करें? तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया : ''समुंद्र (ऐसी चीज़ है जिसका) पानी पाक और मुरदार हलाल है।''

सहीह अबू दाऊद: 83 इब्ने माजा: 386 निसाई: 332 अद्दार्मी: 735 इब्ने खुज़ैमा: 111 इब्ने हिब्बान:1243.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नबी(ﷺ) के सहाबा में से अक्सर फ़ुक़हा का भी यही कौल है जिनमें अबू बकर, उमर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास भी शामिल हैं। यह भी समुंद्र के पानी का इस्तेमाल सहीह समझते हैं।

नीज़ बअज सहाबा समुंद्र के पानी से वुज़ू करना ना पसंद करते हैं जिनमें अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) भी शामिल हैं और अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) तो फ़रमाते हैं कि वह आग है।

तौज़ीह نَرْكَبُ الْبَحْرَ : का लफ्ज़ी मतलब है हम समुंद्र पर सवार होते हैं मुराद यही है कि समुंद्र में सफर करते हैं। समुंद्र, दरिया और नहर वगैरह से जो भी जानवर मसलन मछली, झींगा, केकड़ा वगैरह मिले उसे ज़बह करने की ज़रूरत नहीं है वह मुर्दार हालत में भी हलाल है।

53. पेशाब करते वक़्त बहुत एहतियात करना

53 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْبَوْلِ

70 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَقُتَيْبَةُ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ

70- सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) बयान फ़रमाते हैं कि नबी(ﷺ) दो क़ब्रों के पास से गुज़रे तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया: '' इन दोनों को अज़ाब हो रहा है और अज़ाब किसी

عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ: أَمَّا هَذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.

बड़े गुनाह की वजह से नहीं है (एक क़ब्र की तरफ़ इशारा करके फ़रमाया) यह पेशाब करते वक़्त अपने पेशाब से छिपता (बचता) नहीं था और (दूसरी क़ब्र की तरफ़ इशारा करते हुए फ़रमाया) यह चुगलियाँ खाता था।

बुख़ारी:216 मुस्लिम:292 अबू दाऊद:20 इब्ने माजा:347 तोहफतुल अशराफ़: 5747.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस मसला में ज़ैद बिन साबित, अबू बक्रा, अबू हुरैरा, अबू मूसा और अब्दुर्रहमान बिन हसना (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

नीज़ फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है और मंसूर ने यह हदीस मुजाहिद के वास्ते से अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (ﷺ) से भी रिवायत की है और इसमें ताऊस ज़िक्र नहीं किया गया मगर अल आमश की रिवायत ज़्यादा सहीह है।

और कहते हैं कि मैंने अबू बकर मुहम्मद बिन अबान अल्बल्खी से, जो वकीअ से अहादीस नक़ल करते थे, सुना कि वकीअ फ़रमाते हैं: आमश इब्राहीम की इस्नाद मंसूर से ज़्यादा याद रखने वाले थे।

(1) **तौज़ीह** इसका मतलब यह नहीं है कि यह गुनाह बड़े नहीं हैं बल्कि यह मुराद है कि इन गुनाहों से बचना मुश्किल ना था।

54 بَابُ مَا جَاءَ فِي نَضْحِ بَوْلِ الغُلاَمِ قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ

54.जो बच्चा अभी तक खाना नहीं खाता उसके पेशाब पर छींटे मारना काफ़ी है

71-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ: دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ.

71- सय्यदा उम्मे कैस बिन्ते मिहसन बयान करती हैं कि मैं अपने (छोटे बेटे को जो अभी तक छोटे होने की वजह से) खाना नहीं खाता था ले कर नबी(ﷺ) के पास गई, इस बच्चे ने आपके(ﷺ) कपड़ों पर पेशाब कर दिया तो आपने(ﷺ) पानी मंगवाकर इस पर छींटे मारे.

बुख़ारी:223 मुस्लिम:287 अबू दाऊद:374 इब्ने माजा:524 निसाई:302

वज़ाहत: इस मसला में अली, आयशा, ज़ैनब, लुबाबा, बिन्ते हारिस से जो कि फ़ज़ल बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की मां है, अबुस्सम्ह, अब्दुल्लाह बिन अम्र, अबू अला और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: नबी(ﷺ) के सहाबा, ताबेईन और तबे ताबेईन का फतवा भी अहमद और इस्हाक़ की तरह है। वह कहते हैं कि बच्चे के पेशाब (वाली जगह) पर छींटे मार लिए जाएं और लड़की के पेशाब से (प्रभावित जगह या कपड़े) को धोया जाएगा. और यह सिर्फ उस वक़्त तक है जब तक वह खाना नहीं खाते जब खाना खाने लग जाए तो दोनों का पेशाब धोया जाएगा।

यह हुक्म सिर्फ बच्चे (लड़के) के पेशाब के साथ ताल्लुक़ रखता है वह भी जब तक उसकी खुराक दूध हो लेकिन बच्ची के पेशाब को धोया ही जाएगा।

55. जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनके पेशाब का हुक्म

55 بَابُ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

72. सय्यदना अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि उरैना (क़बीले) से कुछ लोग रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास मदीना में आए तो वहां की आबो-हवा उनको मुवाफ़िक़ ना आई। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनको सदक़ा के ऊंटों के हमराह भेजा और फ़रमाया: उन ऊंटनियों का दूध और पेशाब पियो. उन्होंने अल्लाह के रसूल(ﷺ) के ऊंटों के चरवाहे को क़त्ल कर दिया, ऊंटों को हांक कर ले गए और इस्लाम से मुर्तद हो गए. फिर उनको (पकड़ कर) नबी(ﷺ) के पास लाया गया तो नबी(ﷺ) ने उनके हाथों और टांगों को कटवाया, उनकी आंखों में गर्म सलाइयां डालीं और उनको हर्रा में फेंक दिया. सय्यदना अनस (ﷺ) फ़रमाते हैं मैं उनमें से एक एक आदमी को देखता कि वह अपने मुंह के साथ ज़मीन को कुरेद रहा था यहां तक कि वह उसी

- 72حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، وَقَتَادَةُ، وَثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ: اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ، فَأُتِيَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَأَلْقَاهُمْ بِالحَرَّةِ، قَالَ أَنَسٌ: فَكُنْتُ أَرَى أَحَدَهُمْ يَكُدُّ الأَرْضَ بِفِيهِ،

حَتَّى مَاتُوا. وَرُبَّمَا قَالَ حَمَّادٌ: يَكْدُمُ الأَرْضَ بِفِيهِ حَتَّى مَاتُوا.

हालत में मर गए'' हम्माद ने रिवायत बयान करते हुए (यक्दुमुल अर्ज़ बिफ़ीहि) कहा है।

बुख़ारी:233, मुस्लिम:1671, अबू दाऊद: 3464, 3468 इब्ने माजा:2578

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और कई सनदों के साथ सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से मर्वी है। नीज़ अक्सर उलमा का यही कौल है कि जिस जानवर का गोश्त खाया जाता है उसके पेशाब में निजासत नहीं है।

तौज़ीह فَاجْتَوَوْهَا: मुवाफ़िक़ ना होना पसंद ना आना سَمَرَ: سَمَر العينِ का मतलब होता है गर्म सलाई से आंख फोड़ना. الحرة: : मदीना में एक मैदानी जगह का नाम है। اَلْكِدُ: يَكِدُّ का मानी है मेहनत और काविश करना, यहां मुराद है: वह ज़मीन को कुरेदने की कोशिश कर रहा था.

73- حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الأَعْرَجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَهُمْ لأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ.

73. सय्यदना अनस (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने उन लोगों की आंखों में गर्म सलाइयां इसलिए फेरीं कि उन्होंने चरवाहों की आंखों में गर्म सलाइयां डालीं थीं.

मुस्लिम:1167 निसाई:4043 इब्ने हिब्बान: 4474. अबू याला:4068

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। हम किसी रावी को सिवाये इस बुजुर्ग (यहया बिन गैलान) नहीं जानते, जिन्होंने यजीद बिन ज़रीअ से बयान किया है और नबी(ﷺ) का यह फ़ेअल अल्लाह तआला के फ़रमान (وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ) के मुताबिक था. नीज़ मुहम्मद बिन सीरीन से मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने उनको यह सज़ा हुदूद के नाजिल होने से पहले दी थी.

56 بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ

56. हवा ख़ारिज होने की वजह से वुज़ू करना

74- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ.

74- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: ''जब तक (मक़अद) से आवाज़ या हवा ख़ारिज ना हो वुज़ू वाजिब नहीं होता।

मुस्लिम:362 अबूदाऊद:177 इब्ने माजा: 515

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

75- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رِيحًا بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ فَلاَ يَخْرُجْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

75- सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि०) बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया: " तुम में से कोई शख़्स जब मस्जिद (में वुज़ू की हालत) में हो और अपने सुरीन में हवा (के ख़ारिज होने का शुब्हा) पाए तो जब तक उसे (उसकी) आवाज़ ना आए या बदबू महसूस ना हो वह मस्जिद से बाहर न निकले। सहीह

वज़ाहत: इस मसला में अब्दुल्लाह बिन ज़ैद, अली बिन तल्क़, आयशा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, और अबू सईद (अल खुदरी) (रज़ि०) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। नीज़ उलमा का यही कौल है कि जब तक हवा ख़ारिज होने की बू या आवाज़ न सुने वुज़ू वाजिब नहीं होता।

अब्दुल्लाह बिन मुबारक फ़रमाते हैं: अगर हवा के ख़ारिज होने में शक हो तो वुज़ू वाजिब नहीं होता, जब तक उसे इस क़दर यक़ीन ना हो जाए कि अगर क़सम भी उठानी पड़े तो उठा सके। नीज़ फ़रमाते हैं कि जब औरत की अगली शर्मगाह से हवा ख़ारिज हो तो वुज़ू वाजिब हो जाता है और इमाम शाफ़ेइ और इस्हाक़ का भी यही कौल है।

76- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

76- सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि०) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: " अल्लाह तुम में से किसी ऐसे शख़्स की नमाज़ क़ुबूल नहीं करता जो बे वुज़ू हो जब तक वह वुज़ू न कर ले।

बुख़ारी: 135 मुस्लिम: 225 अबू दाऊद: 60 तोहफतुल अशराफ़: 14694.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब, हसन, सहीह है।

57 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

57. नींद (की वजह) से वुज़ू (का वाजिब होना)

77- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، وَهَنَّادٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي

77- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि उन्होंने नबी करीम(ﷺ) को सज्दे की हालत में सोते हुए देखा, यहां तक कि आप(ﷺ) खर्राटे ले रहे थे फिर आप(ﷺ)

خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ، حَتَّى غَطَّ أَوْ نَفَخَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ، قَالَ: إِنَّ الْوُضُوءَ لاَ يَجِبُ إِلاَّ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا، فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ

खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे. मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप तो सो गए थे? आप(ﷺ) ने फ़रमाया: ''बेशक वुज़ू उसी वक़्त वाजिब होता है जब कोई लेट कर सोए क्योंकि जब वह लेटता है तो उसके जोड़ ढीले हो जाते हैं.''

ज़ईफ़ अबूदाऊद:202 मुसनद अहमद: 1/256 दार क़ुतनी: 1/159.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अबू ख़ालिद का नाम यज़ीद बिन अब्दुर्रहमान है। नीज़ मज़कूरा मसला में आयशा, अब्दुल्लाह बिन मसऊद और अबू हुरैरा (رضي الله عنهم) से भी रिवायात मर्वी हैं.

غَطّ और نَفَخ: दोनों क़रीबुल मानी अलफ़ाज़ हैं.मतलब नींद में खर्राटे लेना है। مَفَاصِل: مَفْصَل की जमा है .जोड़, जिस्म के दो हड्डियों के मिलने की जगह।

78- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ، وَلاَ يَتَوَضَّئُونَ.

78- सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के सहाबए किराम मस्जिद में (बैठे बैठे) सो जाते थे फिर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगते और वुज़ू नहीं करते थे।

मुस्लिम: 376 अबू दाऊद : 200 मुसनद अहमद : 3/277

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है नीज़ फ़रमाते हैं: मैंने सालेह बिन अब्दुल्लाह को यह कहते हुए सुना कि मैंने अब्दुल्लाह बिन मुबारक से ऐसे शख़्स के बारे में पूछा जो बैठे हुए टेक लगाकर सो जाए तो उन्होंने फ़रमाया: उस पर वुज़ू (वाजिब) नहीं है।

इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं कि सईद बिन अबी अरूबा ने क़तादा के वास्ते से अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) की रिवायत जिक्र की है तो उसमें न अबुल आलिया ही का ज़िक्र किया है और न इसे मर्फ़ूअ कहा है।

सोने की वजह से वुज़ू (के वाजिब होने) के मुताल्लिक़ उलमा का इख़्तिलाफ़ है अक्सर उलमा की राय यह है कि खड़ा या बैठा हुआ सो जाए तो उस पर वुज़ू वाजिब नहीं होता, सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक और अहमद का यही कौल है। जबकि बअ़ज कहते हैं कि जब उसकी अक़्ल पर नींद का ग़लबा हो जाए तो वुज़ू वाजिब हो जाता है। इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है।

नीज़ इमाम शाफ़ेई फ़रमाते हैं: '' जो शख़्स बैठे बैठे सो जाए और कोई ख़्वाब देख ले नींद के ग़लबे की वजह से वह अपनी जगह से हट जाए तो उस पर (वुज़ू) वाजिब होगा।''

58. आग की पकी हुई चीज़ खाकर वुज़ू करना

58 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

79- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: '' वुज़ू (वाजिब हो जाता) है जिस चीज़ को आग ने छुआ हो (उसके खाने से) अगरचे पनीर के चन्द टुकड़े ही क्यों ना हों, (अबू सलमा रहिमहुल्लाह) कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने (यह सुनकर) अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से कहा: क्या हम घी या तेल खाकर या गर्म पानी से (वुज़ू करके) भी वुज़ू करेंगे? अबू हुरैरा (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: ऐ भतीजे! जब तुम रसूलुल्लाह(ﷺ) की हदीस सुनो तो उसके बारे में मिसालें ना बयान करो.

हसन: इब्ने माजा: 485. मुसनद अहमद: 2/ 503.

79 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهْنِ؟ أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الحَمِيمِ؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ تَضْرِبْ لَهُ مَثَلاً.

तौज़ीह الدُّهْنِ : हैवानात और नबातात में पाया जाने वाला एक मुन्जमिद चिकना माद्दा, चिकनाहट यही माद्दा जब सय्याल हो जाता है तो उसे तेल या रोग़न कहा जाता है।

الحَمِيمِ: गर्म और खोलते हुए पानी को कहते हैं क़ुरआन में यह लफ़्ज़ मुताद्दिद (कई) मक़ामात पर आया है।

59. आग से पकी चीज़ खाकर वुज़ू ना करना

59 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

80- सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) बाहर निकले, मैं भी आप(ﷺ) के साथ था. पस आप(ﷺ) एक अंसारिया औरत के पास गए. उसने आप(ﷺ) के लिए एक बकरी ज़बह (करके तैयार) की तो आप(ﷺ) ने (उस गोश्त को) खाया फिर वह

80- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، سَمِعَ جَابِرًا، قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ،

فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً، فَأَكَلَ، وَأَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ وَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَتْهُ بِعُلاَلَةٍ مِنْ عُلاَلَةِ الشَّاةِ، فَأَكَلَ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

आप(ﷺ) के पास खजूरों का थैला लेकर आए आप(ﷺ) ने उससे खजूरें खाई। फिर आप(ﷺ) ने ज़ुहर के लिए वुज़ू करके नमाज़ पढ़ी. फिर आप(ﷺ) (उसी औरत के घर की तरफ़) लौटे तो वह आप(ﷺ) के पास दूसरी मर्तबा बकरी का गोश्त लेकर आई आप(ﷺ) ने खाया फिर असर की नमाज़ पढ़ी और (दोबारा) वुज़ू नहीं किया।

हसन सहीह अबूदाऊद : 191 तयालिसी : 167. शमाइले तिर्मिज़ी: 180

तौज़ीह: قِناع : इसका लुग़वी मानी, ओढ़नी, दुपट्टा, नक़ाब, आँचल, सर्पोश वग़ैरह है। यहां पर कपड़े या चमड़े का थैला मुराद है जिसमें खुजूरें थीं. عُلاَلَة: दिल बहलाने की चीज़ या वह चीज़ जिससे दोबारा सैराब हो।

वज़ाहत: इस मसला में अबू बकर सिद्दीक, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अबू राफ़े, उम्मे हकम, उमर, उमय्या, उम्मे आमिर, सुवैद बिन नोमान, और उम्मे सलमा से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं कि अबू बकर की इस मसले में बयान कर्दा रिवायत सनद के लिहाज़ से सहीह नहीं है क्योंकि उसे हुसाम बिन मिसक ने इब्ने सीरीन अज़ अब्दुल्लाह बिन अब्बास के वास्ते से अबू बकर सिद्दीक रज़ि.) से रिवायत किया है और सहीह यही है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने खुद नबी अकरम(ﷺ) से रिवायत किया है। इसी तरह हुफ्फाज़े हदीस ने भी बहुत सी इस्नाद के साथ इब्ने सीरीन से अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के वास्ते से नबी(ﷺ) की हदीस बयान की है।

नीज़ इसे अता बिन यसार, इक्रिमा, मुहम्मद बिन उमर बिन अता और अली बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) और बहुत से रावियों ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) के वास्ते से नबी अकरम(ﷺ) से बयान किया है और इसमें अबू बकर सिद्दीक (رضي الله عنه) का ज़िक्र नहीं है और यही सहीह है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: नबी(ﷺ) के सहाबा, ताबेईन और तबा ताबेईन जैसे सुफ़ियान सौरी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, इस्हाक़ (رحمه الله) के नज़दीक इसी बात पर अमल है कि आग से पकी हुई चीज़ खाने से वुज़ू नहीं करना पड़ेगा. नीज़ यह रसूलुल्लाह(ﷺ) का आखिरी अमल है गोया यह हदीस पहली हदीस की नासिख़ है जिस में आग से पकी हुई चीज़ खाने से वुज़ू करने का ज़िक्र है।

60. ऊंट का गोश्त खाने से वुज़ू टूट जाता है

60 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

81- सय्यदना बरा बिन आज़िब बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) से ऊंट का गोश्त खाने की वजह से वुज़ू के टूटने के बारे में पूछा गया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''उसको खाकर वुज़ू करो नीज़ आपसे बकरी का गोश्त खा कर वुज़ू करने के बारे में पूछा गया आप(ﷺ) ने फ़रमाया, '' उसको खाने के बाद (अगर वुज़ू है) तो वुज़ू ना करो.''

सहीह, अबू दाऊद: 181 इब्ने माजा: 494 मुसनद अहमद: 4/288 इब्ने खुजैमा:23.

81- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: تَوَضَّئُوا مِنْهَا، وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: لاَ تَتَوَضَّئُوا مِنْهَا.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर बिन समुरा और उसैद बिन हुज़ैर (ﷺ) से भी रिवायत है। इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: हज्जाज बिन अर्तात ने इस हदीस को अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह, और फिर अब्दुर्रहमान बिन अबी अला के वास्ते से उसैद बिन हुजैर से भी बयान किया है। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन अबी अला का बरा बिन आज़िब से बयान कर्दा हदीस सहीह है। नीज़ अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) का भी यही कौल है।

उबैदा अज्ज़बी ने अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह अर्राज़ी से उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी लैला के वास्ते से ज़िलगर्रा अल्जोह्नी से भी रिवायत की है। عَبْدِ اللهِ، بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيه عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ

जबकि ये सहीह यूं है : अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह अर्राज़ी अज़ अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला अज़ बरा बिन आज़िब।

61.शर्मगाह को हाथ लगाने से वुज़ू का बातिल होना

61 بَابُ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

82- सय्यदना बुसरा बिन्ते सफवान (ﷺ) बयान करती है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: ''जिस शख़्स ने अपनी शर्मगाह को छुआ वह जब तक वुज़ू ना कर ले नमाज़ ना पढ़े.

82- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस मसले में उम्मे हबीबा, अबू अय्यूब, अबू हुरैरा, अर्वा बिन्ते उनैस, आयशा, जाबिर, ज़ैद बिन ख़ालिद, और अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज़ बहुत से मुहद्दिसीन ने इसे हिशाम बिन उर्वा से उनकी वालिदा के वास्ते के साथ सय्यदा बुस्रा (ﷺ) से बयान किया है।

83 وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ بُسْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهَذَا

83- अबू उसामा वग़ैरह ने हिशाम बिन उर्वा से उन्होंने अपने बाप से उन्होंने मरवान के तरीक़ से उन्होंने बुस्रा (ﷺ) से नबी(ﷺ) की हदीस इसी तरह बयान की है।

सहीह अबू दाऊद: 181 इब्ने माजा:497 निसाई: 163.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: हमें इस्हाक़ बिन मंसूर ने अबू उसामा की सनद से ऐसे ही बयान किया है।

84 - وَرَوَى هَذَا الحَدِيثَ أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ،

84- इस हदीस को अबुज़िन्नाद ने उर्वा के वास्ते से सय्यदा बुस्रा (ﷺ) से मरफ़ूअन बयान किया है। यही हमें अली बिन हुज्र ने बयान करते हुए कहा है कि अब्दुर्रहमान बिन अबुज़िन्नाद ने अपने बाप से उन्होंने उर्वा से और उन्होंने बुस्रा से (ﷺ) और बुस्रा ने नबी(ﷺ) से इसी तरह बयान किया है।

सहीह इब्ने माजा:497. निसाई: 163.

नबी(ﷺ) के बहुत से सहाबा, ताबेईन, नीज़ औज़ाई, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) का भी यही क़ौल है।

इमाम मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी रहिमहुल्लाह) कहते हैं: इस मसले में सहीह तरीन हदीस बुस्रा (ﷺ) की है और अबू ज़रआ फ़रमाते हैं: इस मसला में सबसे सहीह रिवायत उम्मे हबीबा (ﷺ) की है।

इसे अला बिन हारिस ने मकहूल और अम्बसा बिन अबी सुफ़ियान के तरीक़ से उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) से रिवायत किया है।

इमाम मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी रहिमहुल्लाह) फ़रमाते हैं: मकहूल ने अम्बसा बिन अबी सुफ़ियान से हदीस की समाअत नहीं की और मकहूल ने एक (ना मालूम) आदमी के ज़रिया अम्बसा से एक और हदीस बयान की है। गोया उन्होंने इस हदीस को सहीह तसव्वुर नहीं किया.

62 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

62. शर्मगाह को हाथ लगाने से वुज़ू नहीं टूटता

85- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَهَلْ هُوَ إِلاَّ مُضْغَةٌ مِنْهُ؟ أَوْ بِضْعَةٌ مِنْهُ؟

85- सय्यदना तल्क़ बिन अली अल्हनफी रिवायत करते हुए फ़रमाते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: ''वह (शर्मगाह) आदमी के बदन का हिस्सा है'' आपने مُضْغَةٌ या بِضْعَةٌ का लफ़्ज़ बोला था।

सहीह इब्ने माजा: 483 निसाई: 165 अबू दाऊद: 182 इब्ने हिब्बान. 1119.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं: इस मसले में अबू उमामा (رضي الله عنه) से भी रिवयात है।

नीज़ फ़रमाते हैं: बहुत से सहाबा और ताबेईन से भी यही मर्वी है कि वह भी शर्मगाह को हाथ लगाने से वुज़ू टूटने के क़ायल नहीं थे. अहले कूफा और अब्दुल्लाह बिन मुबारक का भी यही कौल है .

नीज़ इस मसले में यह हदीस सबसे बेहतर है। इस हदीस को अय्यूब बिन उत्बा और मुहम्मद बिन जाबिर ने भी क़ैस बिन तल्क़ के वास्ते से उनके वालिद से रिवायत किया है। नीज़ बअ़ज मुहद्दिसीन ने मुहम्मद बिन जाबिर और अबू अय्यूब बिन उत्बा के बारे में कलाम भी किया है। मुलाजिम बिन अम्र की अब्दुल्लाह बिन बद्र से बयान कर्दा हदीस ज़्यादा सहीह और बेहतर है।

मुज्मा और बिज़्आ यह दोनों अल्फाज़ करीबुल मानी हैं जिस्म का हिस्सा या बदन का टुकड़ा मुराद है। इससे पिछले बाब में वुज़ू टूटने का जिक्र है और इसमें ना टूटने का। उलमा ने इसमें यह हल निकाला है कि अगर कपड़े के ऊपर से शर्मगाह को हाथ लग जाए तो वुज़ू नहीं टूटता और अगर बगैर कपड़े के हाथ लगे तो टूट जाएगा।

63. बोसा देने से वुज़ू बातिल नहीं होता

63 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الوُضُوءِ مِنَ القُبْلَةِ

86- सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) बयान फ़रमाती हैं कि नबी(ﷺ) ने अपनी किसी बीवी को बोसा दिया फिर नमाज़ के लिए मस्जिद की तरफ़ निकले और वुज़ू ना किया राविए हदीस उर्वा कहते हैं मैंने कहा: वह आप के अलावा और कौन हो सकती है तो वह मुस्कुरा दीं।

सहीह अबू दाऊद: 178 इब्ने माजा: 502 निसाई: 170 मुसनद अहमद: 6/ 210 अबू याला: 4407

86- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، وَأَبُو عَمَّارٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلاَّ أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: नबी(ﷺ) के अक्सर उलमा सहाबा (رضي الله عنهم) और ताबेईन से भी इसी तरह ही रिवायात किया गया है। सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा का भी यही कौल है कि बोसा देने से वुज़ू वाजिब नहीं होता।

नीज़ मालिक बिन अनस, औज़ाई, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ का कौल है कि बोसा से वुज़ू बातिल हो जाएगा और नबी(ﷺ) के बहुत से सहाबा और ताबेईन का भी यही कौल है।

और हमारे मुहद्दिसीन साथियों ने सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) की इस रिवायत को इसलिए छोड़ा है कि उनके नज़दीक यह सनद के लिहाज़ से सहीह नहीं है।

नीज़ फ़रमाते हैं मैंने अबू बकर अल अत्तार अल्बसरी को जिक्र करते सुना कि अली बिन मदीनी ने फ़रमाया: यहया बिन सईद अल्क़त्तान ने इस हदीस को बहुत ही ज़ईफ़ क़रार दिया है और फ़रमाते हैं कि यह कुछ भी हैसियत नहीं रखती।

और कहते हैं कि मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल को यह हदीस ज़ईफ़ क़रार देते हुए सुना वह फ़रमा रहे थे: हबीब बिन अबी साबित का उर्वा से सिमा (सुनना) साबित नहीं है। इब्राहीम अल यतीमी से भी रिवायात की गई है कि आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं: ''नबी(ﷺ) ने उनको बोसा दिया और वुज़ू नहीं किया.''

पहली रिवायत की तरह यह भी सहीह नहीं है। हमारे इल्म में इब्राहिम अल यतीमी का आयशा (رضي الله عنها) से सिमा (सुनना) साबित नहीं. नीज़ इस मसला में नबी(ﷺ) से कुछ भी सहीह सनद से साबित नहीं है।

64 بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ

64 क़ै और नकसीर फूटने से वुज़ू (टूट जाता है)

87- حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ، فَتَوَضَّأَ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ.

87- सय्यदना अबू दर्दा (﵁) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने क़ै की और रोज़ा खत्म कर दिया फिर वुज़ू किया. (मेदान बिन अबी तल्हा) कहते हैं फिर मैं दमिश्क की मस्जिद में सौबान (﵁) से मिला और इस बात का तज़्किरा किया तो उन्होंने फ़रमाया: (अबू दर्दा (﵁) ने सच कहा है। मैंने ही आप(ﷺ) को वुज़ू करवाया था।

सहीह। अबू दाऊद: 2381 मुसनद अहमद: 6/210 दार क़ुतनी: 1/140

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस्हाक़ बिन मंसूर ने (मेदान बिन अबी तल्हा की बजाए) मेदान बिन तल्हा ज़िक्र किया है। लेकिन इब्ने अबी तल्हा ज़्यादा दुरुस्त है .

नीज़ फ़रमाते हैं कि नबी(ﷺ) के ब़हुत से सहाबा और बाद के ताबेईन, क़ै और नकसीर की वजह से वुज़ू के टूट जाने के क़ायल हैं। सुफ़ियान सौरी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है।

बअ़ज (कुछ) उलमा कहते हैं: क़ै और नकसीर से वुज़ू वाजिब नहीं होता और यह इमाम मालिक और शाफ़ेई का कौल है।

नीज़ हुसैनुल मुअल्लिम ने इस हदीस को जय्य्द सनद से बयान किया है। हुसैनुल मुअल्लिम की इस मसला में ज़िक्रकर्दा हदीस ज़्यादा सहीह है। और मामर ने यह हदीस यहया बिन अबी कसीर से रिवायत करते हुए ग़लती की है, उन्होंने यईश बिन वलीद से बतरीक़ ख़ालिद बिन मेदान अज़ अबू दर्दा बयान की है और इसमें औज़ाई का ज़िक्र नहीं किया. उन्होंने ख़ालिद बिन मेदान कहा है जबकि वह मेदान बिन अबूतल्हा हैं.

तौज़ीह اَلرُّعَافُ : किसी सबब से नाक के रास्ते खून जारी होना नक्सीर.

65. खुजूर के बनाए हुए शरबत से वुज़ू करना

65 بَابُ مَاجَاءَ فِي الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

88- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझसे पूछा तुम्हारे बर्तन में क्या चीज़ है? मैंने अर्ज़ की कि खुजूर का शर्बत है। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, पाकीज़ा हलाल खुजूर और पाक पानी है। फ़रमाते हैं कि फिर आप(ﷺ) ने उससे वुज़ू कर लिया.

(ज़ईफ़) अबू दाऊद: 84 इब्ने माजा: 384 अहमद:1/402.

88- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَأَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا فِي إِدَاوَتِكَ؟، فَقُلْتُ: نَبِيذٌ، فَقَالَ: تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ مِنْهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: नबी(ﷺ) की यह हदीस अबू ज़ैद के वास्ते से नबी(ﷺ) से बयान की गई है और अबू ज़ैद मुहद्दिसीन के नज़दीक मजहूल रावी है नीज़ इस हदीस के अलावा ज़ैद की कोई हदीस हमारे इल्म में नहीं और सुफ़ियान सौरी वग़ैरह समेत बअ्ज अहले इल्म नबीज़ के साथ वुज़ू दुरुस्त समझते हैं और बअ्ज उलमा फ़रमाते हैं कि नबीज़ के साथ वुज़ू नहीं किया जा सकता. इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है। इस्हाक़ (رحمه الله) कहते हैं : अगर कोई शख़्स ऐसी सूरते हाल में मुब्तला हो जाए और नबीज़ के साथ वुज़ू कर ले (फिर अगर वह) तयम्मुम (भी) कर लेता है तो मुझे यह बात ज़्यादा पसंद है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : नबीज़ के साथ वुज़ू नहीं होता, यह बात करने वालों का कौल क़ुरआन के साथ ज़्यादा मुशाबहत रखता है क्यों कि अल्लाह तआला फ़रमाते हैं : {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}.

तौज़ीह: نبيذ खुजूर को पानी में भिगो कर बनाया गया मश्रूब (शरबत)

(اَرإِدَاوَةٌ) :पानी के लिये इस्तेमाल होने वाला चमड़े का बर्तन

66. दूध पीकर कुल्ली करना

66 بَابٌ فِي الْمَضْمَضَةِ مِنَ اللَّبَنِ

89- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) बयान करते हैं नबी(ﷺ) ने दूध नोश फ़र्माया फिर पानी मंगवाकर कुल्ली की और फ़रमाया: ''इसमें चिकनाहट होती है।''

बुख़ारी:211 मुस्लिम:358 अबू दाऊद:196 इब्ने माजा:498 निसाई:187

89- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं इस मसला में सहल बिन साद अस्साइदी और उम्मे सलमा (رضي الله عنها) की भी रिवायत है नीज़ कहते हैं कि यह हदीस हसन सहीह है। और कुछ उलमा दूध पीने के बाद कुल्ली करना जरूरी समझते हैं। लेकिन हमारे नज़दीक यह मुस्तहब अमल है और बअ्ज उलमा ने दूध पीने के बाद कुल्ली को जरूरी नहीं समझा।

तौज़ीह : मुस्तहब अमल वह है जिसको करने वाला काबिले तारीफ़ और न करने वाला काबिले मज़म्मत नहीं होता

. الدَّسَمْ : चिकनाहट, चर्बी और रोगन, यह सब मआनी किये जाते हैं लेकिन यहाँ चिकनाहट मुराद है।

67 بَابٌ فِي كَرَاهَةِ رَدِّ السَّلاَمِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ

67 - बगैर वुज़ू सलाम का जवाब देना ना पसंदीदा अमल है।

90- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

90- अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) पेशाब कर रहे थे कि एक आदमी ने आप(ﷺ) को सलाम कहा तो आप(ﷺ) ने उसको जवाब ना दिया।

मुस्लिम:379 अबू दाऊद:16 इब्ने माजा: 353 निसाई:37

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है नीज़ हमारे नज़दीक सलाम का जवाब उस वक़्त मकरूह है जब कोई आदमी पेशाब पखाना के लिए बैठा हो और कुछ उलमा ने भी यही तफ़्सीर की है नीज़ इस मसले में यह बहुत अच्छी हदीस बयान की गई है। इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं इस मसले में मुहाजिर बिन क़ुन्फ़ज़, अब्दुल्लाह बिन हंज़ला, अल्क़मा बिन फगवा, जाबिर और बरा (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं.

68 بَابُ مَا جَاءَ فِي سُؤْرِ الْكَلْبِ

68. कुत्ते की मुंह लगा कर छोड़ी हुई चीज़

91- حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ،

91- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: '' जब कुत्ता बर्तन को मुंह लगा (कर चाट) जाए तो उस बर्तन को सात मर्तबा धोया जाए पहले या आखरी दफ़ा

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: يُغْسَلُ الإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أُولاَهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً

मिट्टी के साथ (धोया जाए) और जब बिल्ली मुंह लगाए तो एक दफ़ा धोया जाए.''

(सहीह) अबू दाऊद:72 मुसनद अहमद: 2/256 निसाई:68

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है नीज़ अहमद, इस्हाक़ और शाफ़ेई का भी यही कौल है और यह हदीसे नबवी कई तुरुक के साथ अबू हुरैरा (ﷺ) से इसी तरह मर्वी है लेकिन इसमें ''बिल्ली जब मुंह डाले तो एक मर्तबा धोया जाए'' यह अल्फ़ाज़ नहीं हैं और कहते हैं कि इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (ﷺ) से भी रिवायत है।

तौज़ीह : وَلَغَ الكَلْبُ : कुत्ते का बर्तन में मुंह डालकर ज़बान हिलाना या ज़बान के किनारे के साथ पीना।

69 بَابُ مَا جَاءَ فِي سُؤْرِ الهِرَّةِ

69. बिल्ली के मुंह लगाकर छोड़ी हुई चीज़ का बयान

92-حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَتْ: فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، أَوِ الطَّوَّافَاتِ.

92- कब्शा बिन्ते काब बिन मालिक जो कि सय्यदना अबू क़तादा के निकाह में थीं बयान करती हैं कि अबू क़तादा मेरे पास आए मैंने उनके लिए किसी बर्तन में वुज़ू का पानी भर कर रखा. कहती हैं कि एक बिल्ली आकर उस पानी को पीने लगी तो अबू क़तादा ने बर्तन को उस बिल्ली की तरफ़ झुका दिया यहां तक की उस बिल्ली ने खूब पानी पिया, कब्शा कहती हैं: जब अबू क़तादा ने मुझे देखा कि मैं उनकी तरफ़ ताज्जुब से देख रही हूं तो फ़रमाने लगे: ऐ मेरे भाई की बेटी! क्या ताज्जुब कर रही हो? तो मैंने कहा: जी हां! फ़रमाने लगे कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: यह बिल्ली नापाक नहीं है यह तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा घूमने वाली चीज़ों में से है।

(सहीह) अबू दाऊद:75 इब्ने माजा:367 निसाई:68

वज़ाहत : बअ़ज ने इस रिवायत को मालिक (ﷺ) से बयान किया है और वह अबू क़तादा के निकाह में थीं। सहीह बात यह है कि अबू क़तादा के बेटे के निकाह में थीं।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं इस मसले में आयशा और अबू हुरैरा (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं। नीज़ फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है और अस्हाबे रसूल, ताबेईन और तबे ताबेईन का भी यही कौल है जैसा कि यही कौल शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ का भी है कि बिल्ली की झूठी छोड़ी हुई चीज़ में क़बाहत नहीं है और इमाम मालिक से ज़्यादा मुकम्मल हदीस किसी रावी ने बयान नहीं की।

سَكَبَ : लफ्ज़ी मानी है पानी का बहना या बुलंदी से नीचे की तरफ़ गिरना लेकिन यहां पानी को किसी बर्तन में भरकर रखना मुराद है। **فَأَصْغَى :** झुका दिया। उसके आगे कर दिया।

يَا بِنْتَ أَخِي : ऐ मेरे भाई की बेटी यह इस वजह से कहा कि कब्शा के वालिद काब बिन मालिक भी सहाबी थे और अबू क़तादा (ﷺ) भी, इस तरह वह दोनों भाई थे नीज़ अरब लोग उमूमन यह जुम्ला बोल लिया करते हैं। वगरना इससे सगी भतीजी मुराद नहीं है।

الطَّوَّافِينَ : मुज़क्कर है और **الطَّوَّافَات :** मुअन्नस है। घरों में आम फिरने वाला जानवर मुराद है।

70. मोजों पर मसह करना

70 بَابُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

93- हम्माम बिन हारिस बयान करते हैं कि सय्यदना जरीर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) ने पेशाब करने के बाद वुज़ू किया और अपने मोजों पर मसह किया। उनसे कहा गया कि क्या आप ऐसे ही करते हैं? तो फ़रमाने लगे इस काम में मेरे लिए क्या रुकावट है! जबकि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ऐसे करते हुए देखा था।
इब्राहीम (रावी) कहते हैं कि उन (सहाबा व ताबेईन वग़ैरह) को जरीर की हदीस बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि उन्होंने सूरतुल माइदा के नाज़िल होने के बाद इस्लाम कुबूल किया था. **كَانَ يُعْجِبُهُمْ**.से आखिर तक इब्राहिम (ﷺ) का कौल है।

बुख़ारी:387 मुस्लिम:272 अबू दाऊद:154 इब्ने माजा: 543 निसाई:118

93- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ لأَنَّ إِسْلاَمَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ. هَذَاقَوْلُ إِبْرَاهِيمَ؛يَعْنِي:كَانَ يُعْجِبُهُمْ.

तौज़ीह: इब्राहिम यह बात इसलिए फ़रमा रहे हैं कि सूरतुल मायदा में वुज़ू की फर्ज़िय्यत नाज़िल हुई थी और बा वुज़ू हालत में मोज़े हों तो मसह इस आयत के नुज़ूल के बाद किया गया.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं : इस मसला में उमर, अली, हुज़ैफा, मुग़ीरा, बिलाल, साद, अबू अय्यूब, सलमान, बुरैदा, उमर बिन उमय्या, अनस, सहल बिन सअद, यअला बिन मुर्रा, उबादा बिन सामित, उसामा बिन शरीक, अबू उमामा, जाबिर, उसामा बिन ज़ैद, उबादा या उमारा और उबय बिन उमारा (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं. नीज़ फ़रमाते हैं जरीर की रिवायत हसन सहीह है।

94- وَيُرْوَى عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ، أَمْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ؟ فَقَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلاَّ بَعْدَ الْمَائِدَةِ.

94- शह्र बिन हव्शब से बयान किया गया है कि मैंने जरीर (رضي الله عنه) को देखा कि उन्होंने वुज़ू किया तो अपने मौजों पर मसह किया. मैंने उनसे (इस बारे में कोई) बात कही तो उन्होंने फ़रमाया: ''मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा आप(ﷺ) ने वुज़ू किया तो अपने मोजों पर मसह किया था.'' मैंने (फिर) पूछा ''सूरतुल माइदा नाज़िल होने के बाद या पहले?'' तो फ़रमाने लगे मैं तो मुसलमान ही सूरतुल माइदा नाज़िल होने के बाद हुआ हूं.''

(सहीह) दार क़ुतनी: 1/ 194. बैहक़ी: 1/ 273 - 274

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं यही हदीस क़ुतैबा बयान करते हुए कहते हैं कि ख़ालिद बिन ज़्यादा तिर्मिज़ी ने मुक़ातिल बिन हय्यान से और उन्होंने शह्र बिन हव्शब के वास्ते से जरीर (رضي الله عنه) से बयान की है और बक़िया ने इब्राहिम बिन अद्हम से और उन्होंने मुक़ातिल बिन हय्यान से बवास्ते शह्र बिन हव्शब सय्यदना जरीर (رضي الله عنه) से बयान की है।

और यह हदीस तफ़सीर करने वाली है। क्योंकि मोजों पर मसह का इनकार करने वाले तावील करते हुए कहते हैं कि यह अमल सूरतुल माइदा के नाज़िल होने से पहले कहा का है। जबकि जरीर ने अपनी हदीस में जिक्र किया है कि उन्होंने सूरतुल माइदा नाज़िल होने के बाद नबी(ﷺ) को मोजों पर मसह करते हुए देखा।

71 بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ

71 मुक़ीम और मुसाफिर के लिए मोजों पर मसह करने की मुक़र्ररा हद

95 -حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ: لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ.

95- सय्यदना खुज़ैमा बिन साबित (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) से मौजों पर मसह करने के बारे में पूछा गया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया: '' मुसाफिर के लिए तीन दिन तक इजाज़त है और मुक़ीम के लिए एक दिन और एक रात।

(सहीह) अबू दाऊद:157. इब्ने माजा:553 तयालिसी:1219 मुसनद अहमद:5/ 213

वज़ाहत : यहया बिन मईन से बयान किया गया है कि वह खुज़ैमा बिन साबित (ﷺ) की मसह के बारे में (बयान कर्दा) हदीस को सहीह क़रार देते थे। अबू अब्दुल्लाह अल जदली का नाम अब्द बिन अब्द या अब्दुर्रहमान बिन अब्द है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस मज़कूरा मसला में अली, अबू बकरा, अबू हुरैरा, सफवान बिन अस्साल, औफ़ बिन मालिक, अब्दुल्लाह बिन उमर, और जरीर (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं.

96- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

96- सय्यदना सफ़वान बिन अस्साल फ़रमाते हैं कि जब हम सफर में होते थे तो रसूलुल्लाह(ﷺ) हमें हुक्म देते थे कि हम तीन दिन और रातें सिर्फ जनाबत की हालत में गुस्ल करने के लिए ही उतारें, लेकिन बौलो बराज़ (पेशाब- पखाना) और नींद की वजह से (न उतारें) .

(हसन) निसाई:126. इब्ने माजा:478 मुसनद अहमद: 4/ 239 इब्ने हिब्बान:1100 इब्ने खुजैमा 193

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ हकम बिन अम्बसा और हम्माद ने इब्राहीम नखई, उन्होंने अबू अब्दुल्लाह अल्जद्ली के वास्ते से खुज़ैमा बिन साबित से भी रिवायत की है, जो सहीह नहीं।

अली बिन मदीनी फ़रमाते हैं यहया बिन सईद शोबा का कौल बयान करते हैं कि इब्राहीम नखई ने अबू अब्दुल्लाह अल्जद्ली से मसह करने वाली हदीस नहीं सुनी।

और जायदा (رحمة الله) मंसूर से उनका कौल बयान करते हैं कि हम इब्राहीम अल्यतीमी के हुजरा में थे और हमारे साथ इब्राहीम नखई भी थे तो इब्राहीम अल यतीमी ने अम्र बिन मैमून से बवास्ता अबू अब्दुल्लाह अल जदली अज़ खुज़ैमा बिन साबित (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) की मोजों पर मसह वाली हदीस बयान की।

मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمة الله) फ़रमाते हैं : ''इस मसले में सफ़वान बिन अस्साल अल मुरादी (رضي الله عنه) की रिवायत बहुत बेहतर है।''

इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं: नबी(ﷺ) के बहुत से सहाबा (رضي الله عنهم) ताबेईन और उनके बाद वाले फ़ुकहा मसलन सुफ़ियान सौरी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफ़ेई, अहमद, और इस्हाक़ (رحمة الله) का भी यही कौल है कि मुक़ीम शख़्स एक दिन और रात जबकि मुसाफिर तीन दिन और रातें मसह कर सकता है। नीज़ फ़रमाते हैं कि कुछ उलमा ने मोजों पर मसह करने का वक़्त मुकर्रर नहीं किया और इमाम मालिक बिन अनस का भी यही कौल है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: वक़्त (की हद) मुकर्रर करना ज़्यादा दुरुस्त है और आसिम की रिवायत के अलावा भी यह हदीस सफ़वान बिन अस्साल (رضي الله عنه) से बयान की गई है।

तौज़ीह : سَفْراً मुसाफिर की जमा है ...सफ़र करने वाले.

72. मोज़े के ऊपर और नीचे (वाले हिस्से पर) मसह करना

72 بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ

97- सय्यदना मुग़ीरा बिन शोबा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने मोज़े के ऊपर और नीचे (वाले हिस्से पर) मसह किया.

ज़ईफ़:अबू दाऊद:165.इब्ने माजा:550.

97- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : नबी(ﷺ)के बहुत से सहाबा (رضي الله عنهم) ताबेईन और उनके बाद आने वाले फ़ुकहा का यही कौल है इमाम मालिक, शाफेई और इस्हाक़ बिन राहवे का भी यही कौल है।

यह हदीस मालूल है क्योंकि सौर बिन यज़ीद से वलीद बिन मुस्लिम के अलावा किसी ने बयान नहीं किया है।

नीज़ फ़रमाते हैं कि मैंने अबू ज़रआ और मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) से इस हदीस के बारे में पूछा? तो दोनों ने फ़रमाया कि यह सहीह नहीं है क्योंकि अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने सौर के वास्ता से रजा बिन हैवा से बयान किया है कि मुझे मुग़ीरा के कातिब से मुर्सल रिवायत बयान की गई है और इसमें मुग़ीरा का ज़िक्र नहीं है।

73. मोजों के सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पर मसह करना

73 بَابٌ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ظَاهِرِهِمَا

98 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ:تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَ مَسَحَ عَلَي الْجَوْرَبِينِ وَ النَّعْلِين.

98- सय्यदना मुग़ीरा बिन शोबा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने नबी(ﷺ) को मौजों के ऊपर वाले हिस्से पर मसह करते हुए देखा।

(हसन) सहीह अबूदाऊद:161 इब्ने माजा:380 मुसनद अहमद:4/ 246 दार क़ुतनी. 1/ 195

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं मुग़ीरा की हदीस हसन सहीह है और यह अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़ियाद ने अपने बाप और उन्होंने बवास्ता उर्वा मुग़ीरा से बयान की है और हमारे इल्म में उनके अलावा कोई ऐसा शख़्स नहीं है जो उर्वा के वास्ते से सय्यदना मुग़ीरा से ऊपर वाला हिस्सा बयान करता हो। बहुत से उलमा का; जिनमें सुफ़ियान सौरी और अहमद (رحمه الله) भी शामिल है, यही कौल है। मुहम्मद इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ''इमाम मालिक बिन अनस अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद की तरफ़ (ज़ईफ़ होने का) इशारा करते थे।''

74. जुराबों और जूतों पर मसह करना

74 بَابٌ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

99- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

99- मुग़ीरा बिन शोबा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने वुज़ू किया और अपनी जुराबों और जूतों पर मसह किया.

सहीह अबूदाऊद: 159 इब्ने माजा:559 निसाई : 125

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं यह हदीस हसन सहीह है नीज़ बहुत से उलमा और सुफ़ियान सौरी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمة الله) का यही कौल है कि (आदमी के पाँव पर) जूते ना भी हो तो अगर जुराबें मोटी हों तो उन पर मसह कर सकता है नीज़ इस मसला में अबू मूसा (رضي الله عنه) से भी रिवायत मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं मैंने सालेह बिन मुहम्मद अत्तिर्मिज़ी को फ़रमाते हुए सुना कि मैंने अबू मुक़ातिल अस् समरकंदी को सुना वह फ़रमा रहे थे कि मैं अबू हनीफा (رحمة الله) के पास उनकी उस बीमारी के अय्याम में गया जिस बीमारी से उनकी वफ़ात हुई थी, तो उन्होंने पानी मंगवा कर वुज़ू किया तो अपनी जुराबों पर मसह किया फिर कहने लगे: ''आज मैंने वह काम किया है जो मैं पहले नहीं करता था मैंने जुराबों पर मसह किया है हालांकि उन पर जूते नहीं हैं।''

तौज़ीह: ثَخِينَيْنِ : का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो कि तस्निया है वाहिद का सेगा ثَخِينٌ : है जिसका मानी है भारी, मोटा, गाढ़ा, और सख़्त।

75. पगड़ी पर मसह करना

75 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

100- मुग़ीरा बिन शोबा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने वुज़ू फ़रमाया और मोजों और पगड़ी पर मसह किया।

मुस्लिम:274 अबू दाऊद:151 निसाई:109

100- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ

वज़ाहत: बक्रा फ़रमाते हैं कि मैंने ये हदीस मुग़ीरा (رضي الله عنه) के बेटे से सुनी है। (इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं) मुहम्मद बिन बश्शार (رحمة الله) ने एक और जगह हदीस बयान की तो ये ज़िक्र किया है कि आप(ﷺ) ने अपनी पेशानी और पगड़ी पर मसह किया।

नीज़ यह हदीस बहुत सी सनदों के साथ मुग़ीरा बिन शोबा (رضي الله عنه) से बयान की गई है। बअ़ज (रावियों) ने पेशानी और पगड़ी पर मसह करने का ज़िक्र किया है और बअ़ज ने पेशानी का ज़िक्र नहीं किया।

मैंने अहमद बिन हसन (رحمة الله) को सुना वह फ़रमा रहे थे कि मैंने अहमद बिन हंबल को फ़रमाते हुए सुना ''मैंने अपनी आंखों से यहया बिन सईद अल्क़त्तान जैसा (कोई) नहीं देखा।''

नीज़ इस मसले में अम्र बिन उमय्या, सुलैमान, सौबान और अबू उमामा (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं शोबा की हदीस हसन सहीह है और नबी(ﷺ) के सहाबा में से बहुत से अहले इल्म का, जिनमें अबू बक्र, उमर और अनस (ﷺ) भी शामिल हैं' यही कौल है। नीज़ औज़ाई, अहमद, इस्हाक़ (ﷺ) का भी यही कौल है।

नीज़ अस्हाबे रसूल (ﷺ) और ताबेईन में से बहुत से उल्माए किराम कहते हैं की पगड़ी पर मसह उस वक़्त ही हो सकता है जब साथ में अपने सर के कुछ हिस्से का भी मसह करे और सुफ़ियान सौरी, मालिक बन अनस, अब्दुल्लाह बिन मुबारक और इमाम शाफेई का भी यही कौल है।

इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं मैंने जारूद बिन मुआज़ को सुना वह कह रहे थे कि मैंने वकीअ बिन अल जर्राह को फ़रमाते हुए सुना कि हदीस की वजह से पगड़ी पर मसह करना जायज़ है।

101- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ بِلَالٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالخِمَارِ.

101- सय्यदना बिलाल (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी अकरम(ﷺ) ने अपने मोज़े और पगड़ी पर मसह किया.
मुस्लिम:275 इब्ने माजा:561 निसाई: 106-406

तौज़ीह : الخِمَارِ : छुपाने वाली चीज़ औरत का दुपट्टा, ओढ़नी, अमामा, पगड़ी, तमाम मानी किए जा सकते हैं।

102- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ: السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ؟ فَقَالَ: أَمِسَّ الشَّعَرَ الْمَاءَ

102- अबू उबैदा मुहम्मद बिन अम्मार बिन यासिर (ﷺ) कहते हैं कि मैंने सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से मौजों पर मसह करने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फ़रमाया, ''भतीजे यह सुन्नत है'' और मैंने पगड़ी पर मसह करने का पूछा तो फ़रमाया: अपने बालों को पानी जरूर लगाओ।''
(102)सहीह

76. गुस्ले जनाबत का तरीका

76 بَابُ مَا جَاءَ فِي الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

103 - सय्यदा मैमूना (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि मैंने नबी(ﷺ) के लिए पानी रखा, आप(ﷺ) ने जनाबत की वजह से गुस्ल किया: अपने बाएं हाथ से बर्तन को झुका कर दाएं हाथ पर (पानी बहाया) और अपने हाथों को धोया, फिर अपना हाथ बर्तन में दाख़िल किया और उसके साथ अपनी शर्मगाह पर पानी बहाया, फिर अपना हाथ दीवार या जमीन पर मला, फिर कुल्ली की और नाक में पानी दाख़िल करके उसे साफ़ किया, और अपने चेहरे और बाज़ुओं को धोया, फिर अपने सर मुबारक पर तीन दफ़ा पानी बहाया, फिर सारे जिस्म पर पानी बहाकर (उस जगह से) हटे और अपने पांव धोए.

बुख़ारी:249 मुस्लिम:317 अबू दाऊद:245 इब्ने माजा: 467. निसाई: 253

103- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلاً، فَاغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ الإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَأَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِيَدِهِ الحَائِطَ، أَوِ الأَرْضَ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं यह हदीस हसन सहीह है नीज़ इस मसले में उम्मे सलमा, जाबिर, अबू सईद, जुबैर बिन मूतइम और अबू हुरैरा (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

104- सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं: कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब गुस्ले जनाबत का इरादा करते तो बर्तन में हाथ दाख़िल करने से पहले हाथ धोने से इब्तिदा करते, फिर अपनी शर्मगाह को धोते और नमाज़ (के लिए किए जाने वाले) वुज़ू की तरह वुज़ू करते, फिर अपने बालों को पानी से तर करते फिर अपने सर पर तीन चुल्लू पानी डालते।

104-حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ: بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، وَيَتَوَضَّأُ

وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُشَرِّبُ شَعْرَهُ الْمَاءَ، ثُمَّ يَحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ.

बुख़ारी:248 मुस्लिम:316 अबूदाऊद:240-243 इब्ने माजा:574 निसाई: 243-249 तोहफतुल अशराफ़ :16935

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं ये हदीस हसन सहीह है उलमा ने ग़ुस्ले जनाबत में इसी को अपनाया है कि ग़ुस्ल करने वाला पहले नमाज़ वाला वुज़ू करे, फिर तीन दफ़ा अपने सर पर पानी बहाए फिर अपने सारे जिस्म पर पानी बहा ले और अपने पांव धो ले।

नीज़ अहले इल्म का अमल इसी पर है कहते हैं: अगर जुनुबी आदमी पानी में गोता लगा ले और वुज़ू ना भी करे तो जायज़ है। यह कौल शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ का है।

يُشَرِّبُ : का मानी है पानी पिलाना मतलब यही है कि बालों को पानी के साथ खूब तर करते थे.

यहाँ **اِنْغَمَسَ** : का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है पानी में गोता लगाना या घुस जाना।

77 بَابُ هَلْ تَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ؟

77. क्या औरत ग़ुस्ल के वक़्त अपने बालों की चोटियों को खोलेगी ?

105- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: لاَ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ الْمَاءَ، فَتَطْهُرِينَ، أَوْ قَالَ: فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرْتِ.

105- सय्यदा उम्मे सलमा फ़रमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया: ''ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ) मैं बालों को अलग- अलग करके चोटी बांधने वाली औरत हूं. क्या मैं जनाबत के ग़ुस्ल के लिए उनको खोला करूं? आप(ﷺ) ने फ़रमाया नहीं तुझे अपने सर पर तीन चुल्लू पानी बहाना ही काफ़ी है, फिर तुम अपने सारे जिस्म पर पानी बहा लो तो तुम (जनाबत से) पाक हो जाओगी, या आप(ﷺ) ने यह फ़रमाया कि तब तुम (जनाबत से) पाक हो जाओगी।

मुस्लिम : 330 अबू दाऊद : 251 इब्ने माजा : 603 निसाई : 241

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं ये हदीस हसन सहीह है नीज़ अहले इल्म के नज़दीक इसी बात पर अमल है कि औरत जनाबत का ग़ुस्ल करते वक़्त अपने बाल ना भी खोले तो उसके लिए सर पर पानी बहा लेना ही काफ़ी होगा।

तौज़ीह : ضَفْرٌ : बालों की अलग गुंधी हुई लट।

78. हर एक बाल के नीचे जनाबत की नजासत होती है

78 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً

106- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया हर बाल के नीचे जनाबत की नजासत होती है इसलिए तुम बालों को धोओ और बदन को अच्छी तरह साफ़ करो।

ज़ईफ़:अबू दाऊद:248. इब्ने माजा:597

106- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا البَشَرَ.

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं इस मसला में अली और अनस (رضي الله عنه) से भी रिवायत मर्वी है।

नीज़ फ़रमाते हैं हारिस बिन वजीह की हदीस गरीब है और हम सिर्फ इसकी रिवायत से जानते हैं वह कुछ क़वी शैख़ नहीं हैं। बहुत से रावियों ने उससे रिवायत की है। हालांकि मालिक बिन दीनार से रिवायत करने में यह तन्हा है और उसे हारिस बिन वजीह भी और इब्ने वजीह भी कहा जाता है।

أَنْقُوا : نَقِي : का मानी है खूब अच्छी तरह से साफ़ करना

79. ग़ुस्ले जनाबत के बाद वुज़ू ना करना

79 بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ بَعْدَ الغُسْلِ

107- सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ग़ुस्ले जनाबत के बाद वुज़ू नहीं करते थे.

सहीह अबू दाऊद : 250 इब्ने माजा:579 निसाई:430

149- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الغُسْلِ.

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं ये हदीस हसन सहीह है नीज़ नबी के सहाबा और ताबेईन में से बहुत से उलमा का यही कौल है कि ग़ुस्ले (जनाबत) के बाद वुज़ू न करे (तो भी जायज़ है)।

80. जब खाविंद और बीवी की खत्ना वाली जगह आपस में मिल जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है

80 بَابُ مَا جَاءَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ

108-حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا

108- सय्यदा आयशा (ﷺ) बयान करती है: ''जब मर्द की खत्ने वाली जगह औरत की जाए खत्ना से आगे बढ़ जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। मैंने और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ऐसा किया तो गुस्ल किया।''

सहीह इब्ने माजा 608 मुसनद अहमद: 6/161 इब्ने हिब्बान: 1176

वज़ाहत: ख़त्ना की जगह का मक़ाम ख़त्ना से मिलने का मतलब है कि जब मर्द के अज़्वे तनासुल का सर औरत की शर्मगाह में दाख़िल हो जाए।

इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं इस मसले में अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन अम्र और राफ़े बिन ख़दीज (ﷺ) से भी रिवायात मर्वी हैं।

109- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ.

109- सय्यदा आयशा (ﷺ) बयान करती है: कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: '' जब (मर्द का) मक़ामे खत्ना (औरत के) मक़ामे खत्ना से आगे की तरफ़ बढ़ जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है।

सहीह मुस्लिम:349 मुसनद अहमद:6/47.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: आयशा की हदीस हसन सहीह है नीज़ बहुत सी सनदों से सय्यदा आयशा की नबी(ﷺ) से हदीस मर्वी है कि जब मर्द का मक़ामे खत्ना औरत के मक़ामे खत्ना से आगे की तरफ़ बढ़ जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है रसूलुल्लाह(ﷺ) के सहाबा में से अक्सर उलमा का यही कौल है, जिनमें अबू बक्र, उमर, उस्मान, अली, और आयशा (ﷺ) भी शामिल हैं। नीज़ फ़ुकहा ताबेईन और तबे ताबेईन में से भी सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) वग़ैरह यही कहते हैं कि जब मर्द और औरत के ख़त्नों वाली जगहें मिल जाएँ तो ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है।

81. मनी ख़ारिज होने से गुस्ल वाजिब होता है

81 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ

110- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا

110- सय्यदना उबय बिन कअब (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि गुस्ल का मनी ख़ारिज होने की वजह से वाज़िब होना शुरू इस्लाम में था फिर यह हुक्म मंसूख हो गया।

(सहीह) अबू दाऊद: 214 इब्ने माजा 609 मुसनद अहमद: 5/ 115

111- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

111- हमें अहमद बिन मुनीअ ने बयान किया कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने मामर से बवास्ता ज़ुहरी इस सनद के साथ ऐसी ही हदीस बयान की.

(सहीह)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: ये हदीस हसन सहीह है मनी के ख़ारिज होने से वुजूबे ग़ुस्ल का हुक्म शुरू इस्लाम में था फिर मंसूख हो गया नबी(ﷺ) के बहुत से सहाबा (رضي الله عنهم) से भी जिनमें उबय बिन काब और राफ़े बिन ख़दीज भी शामिल हैं, ऐसे ही मर्वी है नीज़ अक्सर उलमा के नज़दीक इसी पर अमल है कि ''जब मर्द अपनी बीवी की शर्मगाह में जिमा करे तो उन दोनों पर ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है अगरचे मनी न भी ख़ारिज हो।''

112- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الاِحْتِلاَمِ

112 सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (رضي الله عنهما) फ़रमाते हैं ''पानी ख़ारिज होने से पानी का इस्तेमाल वाजिब होना (उसका ताल्लुक) एहतलाम के साथ है।''

(ज़ईफ़) इसे हाफ़िज़ इब्ने हजर ने दिराया 1/ 49 में कहा है। तोहफतुल अशराफ़:608.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: मैंने जारूद को फ़रमाते हुए सुना कि वकीअ (رحمه الله) फ़रमाते थे: ''हमें यह हदीस सिर्फ शरीक से ही मिली है। ''नीज़ इस मसले में उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अली बिन अबी तालिब, ज़ुबैर, तल्हा, अबू अय्यूब और अबू सईद (رضي الله عنهم) से भी मर्वी है कि नबी अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया, ''ग़ुस्ल मनी ख़ारिज होने से वाजिब होता है।''

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अबू जह्हाफ़ का नाम दाऊद बिन अबी औफ़ है। सुफ़ियान सौरी से मर्वी है कि उन्होंने उनकी मदह करते हुए यूं सनद बयान की हमें अबुल जह्हाफ़ ने हदीस बयान की और वह पसन्दीदा रावी थे।

82. जो शख़्स बेदार हो कर अपने कपड़ों में तरी (पानी) देखे लेकिन उसे एहतलाम (नाइट फाल) का याद ना हो

82 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَيْقِظُ فَيَرَى بَلَلاً وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَمًا

113- सय्यदा आयशा बयान करती हैं: कि नबी अकरम(ﷺ) से ऐसे आदमी के बारे में पूछा गया जो (अपने कपड़ों में) तरी पाए लेकिन उसे एहतलाम (नाइट फाल) का याद ना हो? तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया वह गुस्ल करे और उस आदमी के मुताल्लिक पूछा गया जिसे यह ख्याल होता है कि उसे एहतलाम हुआ है मगर वह कपड़ों में तरी नहीं देखता? तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया उस पर गुस्ल वाजिब नहीं.'' उम्मे सलमा (رضي الله عنها) ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ) अगर यही चीज़ औरत देखे तो उस पर भी गुस्ल वाजिब है आप(ﷺ) ने फ़रमाया हां औरत भी मर्दों की तरह हैं.''

सहीह अबू दाऊद : 236 इब्ने माजा:216 दारमी:771

113- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الخَيَّاطُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَمًا؟ قَالَ: يَغْتَسِلُ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلاً؟ قَالَ: لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

वज़ाहत : इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं अब्दुल्लाह बिन उमर ने उबैदुल्लाह बिन उमर से सय्यदा आयशा की हदीस ''जो शख़्स तरी देखे लेकिन उसे एहतलाम याद ना हो'' बयान की है और यहया बिन सईद अल क़त्तान ने हदीस में हाफिज़ा कमज़ोर होने की वजह से अब्दुल्लाह बिन उमर को ज़ईफ़ कहा है नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से अक्सर का यही कौल है कि जब आदमी बेदार होकर तरी देखे तो वह ग़ुस्ल करेगा. सुफ़ियान सौरी और अहमद (رحمه الله) का भी यही कौल है।

ताबेईन में से कुछ अहले इल्म कहते हैं कि ग़ुस्ल तब वाजिब हुआ होगा जब वह तरी (गीलापन) मनी

के नुत्फ़े का हो, यह कौल शाफ़ेई और इस्हाक़ का भी है। जुम्हूर उलमा के नज़दीक जब उसे एहतलाम का ख़्याल गुज़रे लेकिन तरी ना पाए तो उस पर ग़ुस्ल वाजिब नहीं है।

तौज़ीह: إِحتلامِ : ख्वाब की हालत में यह देखना कि वह किसी औरत से मुबाशरत कर रहा है।

شقيقة:شَقَائِق : की जमा है लफ्ज़ी मानी (सगी बहन एक माँ और बाप से) तमाम इंसान एक मर्द और औरत की औलाद हैं इसीलिए औरतों को मर्दों की मानिंद कहा गया है।

83. मनी और मज़ी का बयान

83 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ

114- सय्यदना अली (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने नबी(ﷺ) से मज़ी के बारे में सवाल किया. आप ने फ़रमाया: ''मज़ी से वुज़ू वाजिब होता है और मनी से ग़ुस्ल।''

(सहीह) इब्ने माजा:504 अबू दाऊद: 206 निसाई: 193

114- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ (ح) وحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: مِنَ الْمَذْيِ الْوُضُوءُ، وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ

वज़ाहत : इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं इस मसला में मिक़दाद बिन अस्वद और उबय बिन काब (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं इमाम अबू ईसा (तिर्मिज़ी) कहते हैं यह हदीस हसन सहीह है नीज़ इस मसला में अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) की बहुत सी रिवायात हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया ''मज़ी (ख़ारिज होने) से वुज़ू वाजिब होता है और मनी ख़ारिज होने से ग़ुस्ल और नबी(ﷺ) के सहाबा, ताबेईन और बाद में आने वालों में से जुम्हूर अहले इल्म का यही मौकिफ है। सुफ़ियान, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है।

तौज़ीह : मज़ी: बीवी से बोसा या मुलाअबत के बाइस बिला इरादा पेशाब की नाली से निकलने वाला पतला पानी।

मनी: नुत्फा, खुस्यतैन में जमा रहने वाला एक सफ़ेद और गाढ़ा सय्याल माद्दा जो जिमा और जिन्सी तहरीक पर ख़ारिज होता है।

84 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

84. मज़ी अगर कपड़े पर लग जाए

115- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ هُوَ ابْنُ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً، فَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الغُسْلَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الوُضُوءُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ، قَالَ: يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ

115- सय्यदना सहल बिन हुनैफ़ (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि मुझे मज़ी की वजह से बहुत सख़्ती और मशक़्क़त उठानी पड़ती थी (क्योंकि) इसकी वजह से मैं बहुत दफ़ा ग़ुस्ल करता था मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से इस बात का तज़्किरा करके (उसका हल) पूछा तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया तुझे मज़ी की वजह से वुज़ू ही काफ़ी है ''मैंने कहा: ''ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ) ! जो मज़ी मेरे कपड़े को लग जाए उसका क्या करूं?'' आप(ﷺ) ने फ़रमाया: जिस जगह तू देखे कि मज़ी लगी है वहां पर हाथ में पानी लेकर छींटे मारना ही तुझे काफ़ी है।

(हसन) अबू दाऊद:210 इब्ने माजा:506 मुसनद अहमद:3/485

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: ये हदीस हसन सहीह है और मज़ी से मुताल्लिक़ रिवायत हमें मुहम्मद बिन इस्हाक़ से ही मिल सकी है। जो मज़ी कपड़े को लग जाए उसके बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है: ''बअ़ज कहते हैं कि कपड़े को धोना ज़रूरी है और बअ़ज कहते हैं कि छींटे मारना काफ़ी है। इमाम अहमद (رحمہ اللہ) कहते हैं: '' मुझे उम्मीद है कि पानी के छींटे मारना ही किफायत कर जाएगा।

तौज़ीह: فَتَنْضَحُ : छींटे मारना, लेकिन साथ मला भी जायेगा।

85 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

85. अगर मनी कपड़े पर लग जाए

116- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: ضَافَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ، فَنَامَ فِيهَا، فَاحْتَلَمَ،

116- हम्माम बिन हारिस कहते हैं कि सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) के यहां एक मेहमान आया, (सय्यदा आयशा ने) उसे एक ज़र्द चादर देने का हुक्म दिया.वह उस चादर में सोया नींद में उसे एहतलाम (नाइट फाल) हो गया, उसने

فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَبِهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ، فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ، وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِي

एहतलाम के निशानात समेत वह चादर उनकी तरफ़ वापस भेजने में शर्म महसूस की तो उसने उस चादर को पानी में डुबोया और फिर उनकी तरफ़ भेज दी, सय्यदा आयशा ने फ़रमाया: '' उस मेहमान ने हमारे कपड़े को खराब क्यों किया? अपनी उंगलियों के साथ उस मनी को खुरच देता यही काफ़ी था, मैं भी बसा औक़ात अपनी उंगलियों के साथ रसूलुल्लाह(ﷺ) के कपड़े से मनी खुरचती थी।

मुस्लिम: 288 अबूदाऊद: 381 इब्ने माजा: 537 निसाई:296-301

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: ये हदीस हसन सहीह है नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा, ताबेईन, और तबे ताबेईन में से बहुत से लोगों का यही कौल है। मसलन सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ भी कहते हैं कि अगर कपड़े को मनी लग जाए तो उसे खुरचना ही काफ़ी है अगरचे धोए ना। नीज़ मंसूर से भी इब्राहिम नखई के वास्ते से ब तरीक़े हम्माम बिन हारिस सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से अल आमश की रिवायत की तरह बयान किया गया है।

अबू मासर ने यह हदीस बवास्ता इब्राहीम अज़ अस्वद सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से बयान की है। मगर आमश की रिवायत ज़्यादा सहीह है।

तौज़ीह: اَلْمِلْحَفَةُ : औरत के ओढ़ने की चादर يَفْرُكُه : कपड़े वग़ैरह को लगी हुई मनी को हाथ से रगड़ना खुरचना।

86 بَابُ غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

86.कपड़े को लगी मनी धोना

117-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا غَسَلَتْ مَنِيًّا مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

117- सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) के कपड़ों पर लगी मनी को धोया.

बुखारी:229 मुस्लिम:289 अबू दाऊद:373 इब्ने माजा:536 निसाई:295.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: ये हदीस हसन सहीह है इस मसला में अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) से भी रिवायत मर्वी है और सय्यदा आयशा (ﷺ) की रिवायत : ''कि वह रसूलुल्लाह(ﷺ) के कपड़ों पर लगी मनी को धोती थीं ''खुरचने वाली हदीस के मुख़ालिफ़ नहीं है। इसलिए कि खुरचना जायज़ है जबकि मुस्तहब अमल यही है कि उसके कपड़ों पर मनी के निशान ना हो। सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फ़रमाते हैं:'' मनी नाक से निकलने वाले माद्दे की तरह है उसको साफ़ करो चाहे लकड़ी से कर लो।''

87 बَابُ مَا جَاءَ فِي الجُنُبِ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

87 जुन्बी का नहाने से पहले सोना

118- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلاَ يَمَسُّ مَاءً

118- सय्यदा आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) हालते जनाबत में पानी को हाथ लगाए बग़ैर सो जाते थे।
(सहीह) अबूदाऊद:228 इब्नेमाजा:581- 583

119- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، نَحْوَهُ.

119- हमें हन्नाद ने बयान किया कि हमें वकीअ ने ब वास्ते सूफियान अबू इस्हाक़ से इसी तरह बयान किया है।
मुस्लिम: 305 अबूदाऊद 224 इब्ने माजा:591 निसाई:255- 258.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं: यह सईद बिन मुसय्यब वग़ैरह का कौल है। नीज़ बहुत से रावियों ने बवास्ता अस्वद सय्यदा आयशा (ﷺ) से बयान किया है कि नबी(ﷺ) सोने से पहले वुज़ू करते थे यह अबू इस्हाक़ की अस्वद से बयान कर्दा रिवायत से ज़्यादा सहीह हदीस है। शोबा और सौरी वग़ैरह ने भी अबू इस्हाक़ से इस हदीस को रिवायत किया है और उनका ख्याल है कि यह अबू इस्हाक़ की तरफ़ से ग़लती हुई है।

88 بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

88. जुन्बी आदमी जब सोने लगे तो वुज़ू करे

120- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ

120- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि सय्यदना उमर (ﷺ) ने नबी करीम(ﷺ) से पूछा क्या हम में से कोई शख़्स हालते जनाबत में सो सकता है आप(ﷺ) ने

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟، قَالَ: نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ.

फ़रमायाः " हां जब उसने वुज़ू कर लिया हो तो."

बुख़ारी:287.मुस्लिम:306.अबू दाऊद:221 इब्ने माजा:585 .निसाई:250

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं: इस मसले में अम्मार, आयशा, जाबिर, अबू सईद और उम्मे सलमा (रज़ि.) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: उमर (रज़ि.) की हदीस मज़कूरा मसला में सहीह तरीन रिवायत है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से बहुत से लोगों का यही कौल है। नीज़ सुफ़ियान सौरी अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (रह.) भी यही कहते हैं कि जब जुन्बी शख़्स (ग़ुस्ल किये बगैर) सोना चाहे तो वुज़ू कर ले।

89 بَابُ مَا جَاءَ فِي مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ

89. जुन्बी आदमी से मुसाफ़ा करना

121- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ، قَالَ: فَانْبَجَسْتُ، فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ؟، أَوْ أَيْنَ ذَهَبْتَ؟، قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ.

121- अबू राफ़े बयान करते हैं कि सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) हालते जनाबत में थे कि उन्हें नबी अकरम(ﷺ) मिले अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़रमाते हैं मैं छिपकर अलाहिदा (अलग) हो गया और (फिर) ग़ुस्ल करके आया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया तुम कहां चले गए थे तो मैंने अर्ज किया कि मैं जुन्बी था। आप(ﷺ) ने फ़रमायाः "बेशक मोमिन नापाक नहीं होता।"

बुख़ारी:283 मुस्लिम:381 अबू दाऊद:271 इब्ने माजा: 524 निसाई: 269 तोहफतुल अशराफ़: 14648

वज़ाहतः (अबू ईसा) फ़रमाते हैं: इस बारे में हुज़ैफा और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं अबू हुरैरा (रज़ि.) की हदीस कि वह हालते जनाबत में थे और रसूलुल्लाह(ﷺ) उनको मिले हसन सहीह हदीस है नीज़ बहुत से उलमा ने जुन्बी आदमी से मुसाफ़ा करने की रूख़सत दी है और जुन्बी मर्द और हाइज़ा औरत के पसीने में उन्होंने कोई हर्ज ख्याल नहीं किया।

तौज़ीहः فَانْخَنَسْتُ : का मानी है मैं आप(ﷺ) से दूर हो गया।

90 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ

90. औरत अगर ख़्वाब में वह देखें जो मर्द देखता है

122- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ بِنْتُ مِلْحَانَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ، تَعْنِي غُسْلاً، إِذَا هِيَ رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قُلْتُ لَهَا: فَضَحْتِ النِّسَاءَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ

122- सय्यदा उम्मे सलमा फ़रमाती हैं कि उम्मे सुलैम बिन्ते मिल्हान नबी करीम(ﷺ) के पास आकर कहने लगीं : ''ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ) अल्लाह तआला हक़ बयान करने से शर्माते नहीं हैं। क्या औरत पर भी ग़ुस्ल वाजिब होता है जब वह ख़्वाब में वही कुछ देखे जो मर्द देखता है?'' आप(ﷺ) ने फ़रमाया: ''हां जब वह पानी देखे तो ग़ुस्ल करे'' उम्मे सलमा कहती हैं: मैंने उनसे कहा: ''ऐ उम्मे सुलैम आपने तो औरतों को शर्मिंदा कर दिया।''

बुख़ारी:130 मुस्लिम:313 इब्ने माजा:600. निसाई:197 तोहफतुल अशराफ़:18264.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: ये हदीस हसन सहीह है। आम फ़ुकहा का यही कौल है कि अगर औरत भी ख़्वाब में वही देखे जो मर्द देखता है और उसकी मनी भी ख़ारिज हो जाए तो उस पर ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है नीज़ सुफ़ियान सौरी और शाफ़ेई का भी यही कौल है। इस मसला में उम्मे सुलैम, ख़ौला, आयशा और अनस (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं.

तौज़ीह: الْفَضْحُ : बदनामी, रूस्वाई, बे इज़्ज़ती मुराद शर्मिन्दगी लेना ज़्यादा मुनासिब है।

91 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَدْفِئُ بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ الغُسْلِ

91. ग़ुस्ल के बाद अगर खाविंद गर्माहट हासिल करने के लिए अपना बदन औरत के बदन से लगाए

123- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حُرَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ

123- सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) बयान फ़रमाती हैं बसा औक़ात नबी(ﷺ) ग़ुस्ले जनाबत

عَائِشَةَ، قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَدْفَأَ بِي، فَضَمَمْتُهُ إِلَيَّ وَلَمْ أَغْتَسِلْ

करके आते और मेरे ज़िस्म के साथ गर्मी हासिल करते, मैं आप(ﷺ) को अपने साथ चिमटा लेती हालांकि मैंने गुस्ल नहीं किया होता था।

ज़ईफ़:इब्ने माजा:580.अबू याला:4846.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद में मुज़ायक़ा नहीं है और नबी(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से बहुत से उलमा का भी यही कौल है कि आदमी ग़ुस्ल कर ले और औरत ने अभी तक ग़ुस्ल न किया हो तो वह उसके साथ सो भी सकता है और उसके (ज़िस्म के) साथ (लग कर) गर्मी भी हासिल कर सकता है। नीज़ सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) का भी यही कौल है।

तौज़ीह: فَاسْتَدْفَأَ : यह लफ़्ज़ دفئ : से निकला है जिसका मानी है (सर्दी में) गर्म होना गर्माहट हासिल करना।

92 بَابُ مَا جَاءَ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ

92. जुन्बी आदमी को अगर पानी न मिले तो तयम्मुम कर सकता है।

124 ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ

124- सय्यदना अबू जर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: '' बेशक पाक मिट्टी मुसलमान का सामाने तहारत है अगरचे उसको 20 साल भी पानी न मिले पर जब उसको पानी मिल जाए तो उसे अपने जिस्म पर लगाए यह उसके लिए बेहतर है। '' महमूद अपनी हदीस में कहते हैं बेशक पाक मिट्टी मुसलमान का सामाने वुज़ू है।

(सहीह) अबू दाऊद: 332 निसाई: 222 इब्ने खुजैमा: 2292 मुसनद अहमद:5/ 155

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस मसला में अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन उमर और इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

अबू ईसा तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : बहुत से रावियों ने ख़ालिद हज़्ज़ा से उन्होंने अबू किलाबा से बवास्ता अम्र बिन बुज्दान अबू ज़र (رضي الله عنه) से इसी तरह बयान किया है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। आम फ़ुकहा का कौल भी यही है कि जुन्बी और हाइज़ा को जब पानी न मिले वह तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लें।

अब्दुल्लाह बिन मसऊद से बयान किया जाता है कि जुन्बी आदमी को अगर पानी न भी मिले तो तयम्मुम उसके लिए दुरुस्त नहीं।

आप (ﷺ) से यह भी मर्वी है कि आप ने रुजू कर लिया था, और फ़र्माया: जुन्बी पानी न पाए तो तयम्मुम कर ले। नीज़ सुफ़ियान सौरी, मालिक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) का भी यही फ़त्वा है।

93 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ

93. इस्तेहाज़ा वाली औरत का बयान

125 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدَةُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِ الحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي.

قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ: وَقَالَ: تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ

125- सय्यदा आयशा (ﷺ) बयान फ़रमाती हैं कि फातिमा बिन्ते हुबैश (ﷺ) नबी(ﷺ) के पास आकर कहने लगीं: ''ऐ अल्लाह के रसूल! मैं इस्तेहाज़ा में मुब्तला रहने वाली औरत हूँ मैं पाक नहीं रहती हूं, क्या मैं नमाज़ छोड़ दिया करूं? आप(ﷺ) ने फ़रमाया ''नहीं यह इस्तेहाज़ा का खून तो एक रग की वजह से आता है। हैज़ नहीं है पस जब हैज़ आए तो नमाज़ छोड़ दो और जब खत्म हो जाए तो अपने जिस्म से खून धोकर नमाज़ पढ़ो.''अबू मुआविआ अपनी हदीस में कहते हैं कि आप(ﷺ) ने फ़रमाया: '' अगला हैज़ आने तक हर नमाज़ के लिए वुज़ू करो.''

बुख़ारी:228. मुस्लिम:333.अबू दाऊद:282 इब्ने माजा:621.निसाई:212

वज़ाहत: और इस मसले में उम्मे सलमा (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते: आयशा (ﷺ) की हदीस जिसमें फातिमा के आने का ज़िक्र है यह हदीस हसन सहीह है। नबी(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से बहुत से उलमा का यही कौल है, सुफ़ियान सौरी, मालिक, इब्ने मुबारक और शाफ़ेई का भी यही कहना है कि जब इस्तेहाज़ा वाली औरत के अय्यामे हैज़ गुज़र जाएँ तो वह ग़ुस्ल कर ले और फिर हर नमाज़ के लिए वुज़ू करे।

तौज़ीह: الْمُسْتَحَاضَةَ : जिस औरत को इस्तेहाज़ा का खून आये और इस्तेहाज़ा बअ़ज औरतों को बीमारी की वजह से आता है। उमूमन हैज़ के अय्याम गुजरने के बाद आने वाले खून को इस्तेहाज़ा का खून शुमार करेगी।

94. इस्तेहाज़ा वाली औरत हर नमाज़ के लिए वुज़ू करे

94 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ

126- अदी बिन साबित अपने बाप साबित से और वह अदी के दादा से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने इस्तेहाज़ा वाली औरत के बारे में फ़रमाया कि ''वह अपने हैज़ के मुताबिक़ अय्यामे हैज़ में नमाज़ छोड़ेगी फिर हैज़ से पाक होने का गुस्ल करे और हर नमाज़ के लिए वुज़ू करे और रोज़े भी रखेगी, नमाज़ भी पढ़ेगी।''

सहीह: इब्ने माजा: 625 अबू दाऊद:297 दारमी: 798

126 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّي

127- अली बिन हुज्र ने हमें बयान किया कि हमें शरीक ने इसी मानी व मफ्हूम की हदीस बयान की है। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं: इस हदीस में शरीक अबू अल यक़जान से रिवायत लेने में तन्हा हैं। नीज़ फ़रमाते हैं मैंने मुहम्मद (बिन इस्माइल बुख़ारी) से इस हदीस के मुताल्लिक़ पूछा और मैंने कहा कि अदी बिन साबित से वह अदी के दादा से. उस दादा का नाम क्या है? और मैंने मुहम्मद से ज़िक्र किया कि यहया बिन मईन कहते हैं उसका नाम दीनार था तो मुहम्मद (رحمه الله) ने इसका एतबार नहीं किया.

ज़ईफ़: पिछली हदीस देखिये.

127- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُرَيْكٌ، نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

هَذَا حَدِيثٌ قَدْ تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقُلْتُ: عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، جَدُّ عَدِيٍّ، مَا اسْمُهُ؟ فَلَمْ يَعْرِفْ مُحَمَّدٌ اسْمَهُ، وَذَكَرْتُ لِمُحَمَّدٍ قَوْلَ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: أَنَّ اسْمَهُ دِينَارٌ، فَلَمْ يَعْبَأْ بِهِ

वज़ाहत: इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) मुस्तहाज़ा के बारे में फ़रमाते हैं: '' ज़्यादा एहतियात इसी में

है कि हर नमाज़ के लिए ग़ुस्ल करे, और अगर हर नमाज़ के लिए वुज़ू करे तो भी काफ़ी है और एक ग़ुस्ल करके दो नमाज़ें जमा करे तो वह भी जायज़ है।''

95 बَابٌ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

128- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا، فَقَدْ مَنَعَتْنِي الصِّيَامَ وَالصَّلَاةَ؟ قَالَ: أَنْعَتُ لَكِ الكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَتَلَجَّمِي قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَاتَّخِذِي ثَوْبًا قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ: أَيَّهُمَا صَنَعْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ

95 इस्तेहाज़ा वाली औरत एक ग़ुस्ल करके दो नमाज़ें जमा करे.

128- सय्यदा हमना बिन्ते जहश फ़रमाती हैं: ''मुझे बहुत शदीद और तेज़ इस्तेहाज़ा का खून आता था मैं नबी(ﷺ) के पास इस बीमारी का बताने और मसला पूछने गई मैंने आप(ﷺ) को अपनी बहन ज़ैनब बिन्ते जह्श के घर में पाया, मैंने कहा: ''ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे बहुत शदीद और तेज़ इस्तेहाज़ा का खून आता है आप(ﷺ) मुझे क्या हुक्म देते हैं? इसने तो मुझे रोज़े और नमाज़ से भी रोक रखा है। आप(ﷺ) ने फ़रमाया: ''मैं तुझे रुई रखने का मशवरा देता हूं।'' वह ख़ून को रोक देती है। कहने लगीं: वह इससे भी ज़्यादा है आप(ﷺ) ने फ़रमाया तो फिर लंगोट बांध लिया कर'' कहने लगीं वह खून मिक़दार में उससे भी ज़्यादा है। आप(ﷺ) ने फ़रमाया लंगोट के अंदर कपड़ा रख ले, कहने लगीं खून उस से भी ज़्यादा है मैं तो बहुत जोर से खून बहाती हूँ'' नबी अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया : '' मैं तुम्हें दो काम बताता हूं जो भी कर लोगी वही जायज़ होगा, अगर तुम में दोनों को करने की कुव्वत हो तो तुम उसे ज़्यादा जानती हो।'' पस आप(ﷺ) ने फ़रमाया : '' बेशक यह एक शैतान की तरफ़ से ठोकर है। पस जो

سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ ثَلاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي، كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ، لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ حِينَ تَطْهُرِينَ، وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ، وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ، فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ، وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي، وَصُومِي إِنْ قَوِيتِ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُوَ أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ

अल्लाह के इल्म के मुताबिक़ (मंजूर हो) 6 या 7 दिन हैज़ के शुमार करके गुस्ल कर लो, फिर जब तुम देखो कि पाक और साफ़ हो चुकी हो तो 24 या 23 दिन और रातें नमाज़ पढ़ो रोजे भी रखो और नमाज़ में भी यह काम तुम्हें काफ़ी हो जाएगा. और इसी तरह कर लेना जैसा कि औरतें अपने हैज़ से (फारिग होकर) तोहर (पाकी) के दिनों में करतीं हैं फिर अगर तुझ में इस बात की कुदरत हो कि ज़ुहर को ताखीर और असर को जल्दी करके गुस्ल कर लो जब पाक हो जाओ और ज़ुहर और असर की इकट्ठी नमाज़ पढ़ लो, फिर मग़रिब की ताखीर करो और इशा में जल्दी करके गुस्ल (करने के) बाद दोनों नमाजों को जमा कर लो, तो ऐसा कर लो, और सुबह की नमाज़ के लिए भी गुस्ल करके नमाज़ पढ़ो और ऐसे ही करती रहो और रोजे भी रखो अगर तुम्हें उसकी ताक़त है। '' और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: ''यह (दूसरा काम) मुझे दोनों कामों में ज़्यादा अच्छा लगता है?''

हसन: अल इर्वा:188.अबू दाऊद:287. इब्ने माजा:622. मुसनद अहमद:6/381.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। नीज अब्दुल्लाह बिन अम्र अर्रक्की, इब्ने जुरैज और शरीक बिन अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अक़ील ने इब्राहीम बिन मुहम्मद तल्हा से अपने चचा इमरान के वास्ते से उनकी माँ हमना (رضي الله عنها) से भी रिवायत की है। मगर इब्ने जुरैज उमर बिन तल्हा कहते हैं, हालांकि इमरान बिन अबी तल्हा ही सहीह है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : मैंने मुहम्मद (رحمه الله) से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़र्माया: '' यह हदीस हसन सहीह है।'' और अहमद बिन हंबल (رحمه الله) भी यही कहते हैं कि यह हदीस हसन सहीह है।

अहमद और इस्हाक़ (رحمهما الله) इस्तिहाज़ा वाली औरत के बारे में फ़रमाते हैं : '' जब ऐसी (औरत) अपने हैज़ के आने और खत्म होने के वक़्त को जानती हो कि आने के वक़्त उस का रंग स्याह होता है और जाते वक़्त जर्दी में बदल जाता है तो ऐसी औरत जिसके बारे में फातिमा बिन्ते हुबैश(رضي الله عنها) की हदीस पर अमल होगा और अगर इस्तिहाज़ा वाली औरत के इस्तिहाज़ा (की बीमारी शुरू होने) से पहले हैज़ के मारूफ़ दिन थे तो वह हैज़ के अय्याम में नमाज़ छोड़ दे फिर ग़ुस्ल करे और हर नमाज़ के लिए वुज़ू करे और नमाज़ पढ़ ले और जब उसका खून जारी रहता हो और ना दिन ही मारूफ़ हो और ना हैज़ के आने और जाने की पहचान हो तो उस का हुक्म हमना बिन्ते जह्श की हदीस के मुताबिक होगा; '' और अबू उबैदा भी इसी तरह कहते हैं.

इमाम शाफ़ेई फ़रमाते हैं: अगर मुस्तहाज़ा औरत को हैज़ शुरू होने से पहले ही इस्तिहाज़ा का खून जारी हो जाए तो वह 15 दिन तक नमाज़ छोड़ दे फिर अगर वह 15 या 14 दिन में हैज़ से पाक हो जाए तो वह (15 दिन ही) अय्यामे हैज़ मुतसव्विर होंगे (माने जायेंगे)। अगर 15 दिनों के बाद भी खून देखे तो 14 दिन की नमाज़ को क़ज़ा करेगी. (और एक दिन हैज़ का शुमार होगा) फिर उसके बाद अगले महीनों में भी कम अज़ कम औरतों की मुद्दते हैज़ यानी एक दिन और एक रात नमाज़ छोड़ देगी.''

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं हैज़ के कम अज़ कम तीन (दिन और रातें) और ज़्यादा से ज़्यादा दस (दिन और रातें) हैं। नीज़ सुफ़ियान सौरी और कूफ़ियों का भी यही मस्लक है और अब्दुल्लाह बिन मुबारक भी इसी (राय) को लेते हैं, जबकि उनसे इस कौल के मुख़ालिफ़ भी मर्वी है। बअ़ज उलमा जिन में अता बिन रबाह भी हैं, कहते हैं कि हैज़ की कम अज़ कम मुद्दत एक दिन और रात है। और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन हैं। नीज़ मालिक, औज़ाई, शाफ़ेई, अहमद, इस्हाक़, (رحمهم الله) और अबू उबैदा(رحمه الله) का भी यही कौल है।

96. इस्तिहाज़ा वाली औरत हर नमाज़ के वक़्त ग़ुस्ल करे

96 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ

129- सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि उम्मे हबीबा बिन्ते जह्श रसूलुल्लाह(ﷺ) से मसला पूछते हुए कहने लगीं: '' मैं इस्तिहाज़ा में मुब्तला रहती हूं पाक नहीं रहती, क्या मैं नमाज़ छोड़ दूं ?'' आप(ﷺ) ने फ़रमाया: नहीं यह तो एक रग (से निकलने वाला खून) है तुम ग़ुस्ल कर के

129 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ابْنَةُ جَحْشٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ:

لاَ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

नमाज़ पढ़ा करो। सो वह हर नमाज़ के वक़्त गुस्ल करती थीं।

मुस्लिम:334: अबू दाऊद: 289. इब्ने माजा: 626. निसाई:204.

वज़ाहत: क़ुतैबा (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि लैस ने बयान किया है कि इब्ने शिहाब ने यह बयान नहीं किया कि अल्लाह के रसूल صلى الله عليه وسلم ने उम्मे हबीबा को हर नमाज़ के लिए ग़ुस्ल करने का हुक्म दिया बल्कि उन्होंने यह काम खुद किया था।

इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं : ज़ोहरी (رحمه الله) से भी ब वास्ता अम्रा (رحمه الله) अज़ सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से यह रिवायत बयान की गई है आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि उम्मे हबीबा बिन्ते जह्श (رضي الله عنها) ने नबी(ﷺ) से मसला पूछा. और बिला शुब्हा बअ़ज अहले इल्म कहते हैं: मुस्तहाज़ा हर नमाज़ के वक़्त ग़ुस्ल करेगी.'' और औज़ाई ने भी बवास्ता ज़ोहरी अज़ उर्वा अज़ अम्रा अज़ सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत किया है।

97 بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَائِضِ أَنَّهَا لاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ

97- हाइज़ा औरत नमाज़ की क़ज़ा नहीं देगी

130- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَقْضِي إِحْدَانَا صَلاَتَهَا أَيَّامَ مَحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ فَلاَ تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ.

130 - मुआज़ा: (رحمها الله) फ़रमाती हैं कि एक औरत ने सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से पूछा: '' क्या हम में से कोई औरत अपने हैज़ के दिनों की नमाज़ों को क़ज़ा के तौर पर पढ़ेगी.''सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) कहने लगीं : ''क्या तुम हरूरिय्या हो? हमें भी हैज़ आता था लेकिन नमाज़ की क़ज़ा का हमें हुक्म नहीं दिया जाता था।

बुख़ारी:321.मुस्लिम:335 अबू दाऊद:262. इब्ने माजा : 631 निसाई:382

तौज़ीह: : أَحَرُورِيَّةٌ जो लोग मिल्लते इस्लाम से ख़ारिज हो गए थे तारीख उन्हें खवारिज कहती है। हरूरिय्या से यही मुराद थे, और इन लोगों ने दीन के चेहरे को मसख़ करके उसमें अपनी मनमानियां करने की कोशिश की थी।

वज़ाहत : इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से भी

बहुत सी इस्नाद के साथ रिवायत की गयी है कि हाइज़ा औरत नमाज़ की क़ज़ा नहीं देगी।

और आम फ़ुकहा का भी यही कौल है और इनमें कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है कि हाइज़ा रोजों की क़ज़ा देगी नमाज़ की नहीं।

98. जुन्बी मर्द हाइज़ा औरत कुरआन नहीं पढ़ सकते

98 بَابُ مَا جَاءَ فِي الجُنُبِ وَالحَائِضِ أَنَّهُمَا لاَ يَقْرَآنِ القُرْآنَ

131- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَالحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَقْرَأِ الحَائِضُ، وَلاَ الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ

131- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़र्माया: ''हाइज़ा औरत और जुन्बी मर्द ज़रा भी कुरआन न पढ़ें.

मुन्कर ज़ईफ़: इब्ने माजा:595 दार कुत्नी: 1/ 117

वज़ाहत: इस मसला में अली (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) की हदीस हमें इस्माईल बिन अयाश से बवास्ता मूसा बिन उक़्बा अज़ नाफ़े अज़ अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) मिलती है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''हाइज़ा और जुन्बी क़ुरआन की तिलावत न करें. बहुत से उलमा सहाबा (رضي الله عنهم) , ताबेईन और उनके बाद आने वाले मसलन : सुफ़ियान सौरी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) यही कहते हैं कि हाइज़ा और जुन्बी (तर्तीब के साथ) क़ुरआन न पढ़ें मगर किसी आयत का हिस्सा या हुरूफ़ वग़ैरह पढ़ सकते हैं। नीज़ यह हजरात हाइज़ा और जुन्बी को तस्बीह और तहलील में रूख़्सत देते हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी को फ़रमाते हुए सुना कि इस्माईल बिन अयाश अहले हिजाज़ और अहले इराक से मुन्कर अहादीस रिवायत करते हैं। गोया कि इमाम बुख़ारी ने जिन रिवायात को हिजाज़ियों या इराकियों से बयान करने में यह मुतफ़र्रिद हैं उनको ज़ईफ़ क़रार दिया और आप (इमाम बुख़ारी) ने फ़र्माया: ''इस्माईल बिन अयाश की अहले शाम से (सुनी गयी या रिवायत की गयी) हदीस सहीह है। ''

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस मुझे अहमद बिन हसन ने बयान करते हुए कहा कि मैंने अहमद बिन हंबल (رحمه الله) को यह बयान करते हुए सुनी थी।

99. हाइज़ा बीवी के जिस्म के साथ जिस्म लगाना

99 بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ

132- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حِضْتُ يَأْمُرُنِي أَنْ أَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُنِي.

132- सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं जब मुझे हैज़ आता तो रसूलुल्लाह(ﷺ) मुझे तहबन्द बाँधने का हुकम देते फिर मुझसे मुबाशिरत करते।

बुख़ारी:302, मुस्लिम:293. अबू दाऊद: 286 इब्ने माजा:635. निसाई:285.

तौज़ीह: مُبَاشَرَة : मुफाअला के वज़न पर मस्दर है। जिसका मानी एक दूसरे के साथ जिस्म मिलाना बोसो किनार करना। जिमा (हमबिस्तरी) मुराद नहीं।

वज़ाहत : इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं : इस मसले में उम्मे सलमा और मैमूना (رضي الله عنهما) से भी हदीसें मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं : सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी अकरम(ﷺ) के बहुत से सहाबा (رضي الله عنهم) , ताबेईन का यही कौल है और शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) का भी यही फतवा है।

100. हाइज़ा औरत के साथ मिलकर खाने और उसकी छोड़ी हुई चीज़ खाने का बयान

100 بَابُ مَا جَاءَ فِي مُؤَاكَلَةِ الحَائِضِ وَسُؤْرِهَا

133- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ العَلاَءِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُوَاكَلَةِ الحَائِضِ؟ فَقَالَ: وَاكِلْهَا

133 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन साद (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि मैंने नबी(ﷺ) से हाइज़ा औरत के साथ मिलकर खाने के बारे में पूछा तो आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''उसके साथ मिलकर खा लिया करो .''

सहीह अबू दाऊद:212.इब्ने माजा:651 दारमी:1078.

वज़ाहत: इस मसला में सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं: अब्दुल्लाह बिन साद (رضي الله عنه) की हदीस हसन गरीब है। नीज़ आम उलमा का कौल भी यही है कि हाइज़ा औरत के साथ मिल कर खाना खाने में कोई हर्ज नहीं है। जबकि उस के बचे हुए पानी से वुज़ू करने के बारे में इख़्तिलाफ़ है। बअ़ज ने इसे इस्तेमाल करने की रूख़्सत दी है और बअ़ज ने उसके वुज़ू का बचा हुआ पानी मकरूह कहा है।

101 بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنَ المَسْجِدِ

101. हाइज़ा औरत मस्जिद से कोई चीज़ पकड़ सकती है।

134- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَاوِلِينِي الخُمْرَةَ مِنَ المَسْجِدِ، قَالَتْ: قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ.

وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ

134 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) कहती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया: ''मस्जिद से चटाई उठा कर मुझे पकड़ाओ;'' फ़रमाती हैं कि मैंने कहा : मैं तो हाइज़ा हूँ। आप(ﷺ) ने फ़र्माया : ''तेरा हैज़ तेरे हाथ में नहीं है।''

वज़ाहत: इस मसला में अब्दुल्लाह बिन उमर और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का यही कौल है। नीज़ हमारे इल्म के मुताबिक़ उनके दर्मियान इस मसला में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं कि औरत के मस्जिद से किसी चीज़ को उठा लेने में कोई हर्ज नहीं है।

102 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ الحَائِضِ

102. हाइज़ा औरत से हम- बिस्तरी करना मना है

135- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ

135 – सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: '' जिस शख़्स ने हाइज़ा से जिमा किया या औरत के पिछले हिस्से में वती की या किसी काहिन के पास

الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

गया तो उन्होंने बिलाशुब्हा मुहम्मद(ﷺ) पर नाज़िल शुदा (शरीअत) का कुफ़्र किया।

सहीह अबू दाऊद:3904.इब्ने माजा:639. मुसनद अहमद:2/408.

तौज़ीह: كَاهِنٌ : गैब दानी का मुद्दई, बहुत इल्मी मालूमात का हामिल, पेश गोई करने वाला नुजूमी, ज्योतिशी, यहूद व नसारा के नज़दीक दर्ज-ए-कहानत (एक मज़हबी मन्सब) पर पहुँचा हुआ राहिब-यहूदो नसारा के अलावा मुसलमानों के यहाँ वह मज़हबी आलिम जो मज़हबी रस्मों को अदा कराने और चढ़ावे वग़ैरह कबूल करने का मजाज़ हो।

वजाहत: इमाम तिर्मिजी फ़र्माते है, ये हदीस हमें सिर्फ हकीमुल अस्रम से बवास्ता अबू तुमैमा अल हुजैमी अज़ सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से मिली है और उलमा के नज़दीक इस हदीस का हुक्म बतौरे डांट और सख़्ती है। और नबी(ﷺ) से यह भी मर्वी है कि जो शख़्स हाइज़ा औरत से जिमा करता है वह आधा दीनार सदक़ा करे. सो अगर हाइज़ा औरत से जिमा करना कुफ़्र होता तो इसका कफ्फारा न होता। और इमाम मुहम्मद बिन इस्माइल बुख़ारी ने इस हदीस को इस्नाद की कमजोरी की वजह से ज़ईफ़ कहा है। और अबू तुमैमा अल हुजैमी का नाम तरीफ़ बिन मुजालिद है।

103 بَابُ مَا جَاءَ فِي الكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ

103. हाइज़ा औरत से जिमा (हमबिस्तरी) करने का कफ्फारा

136- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ.

136 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) उस आदमी के बारे में रिवायत करते हैं जो हालते हैज़ में अपनी बीवी से जिमा करता है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''वह आधा दीनार सदक़ा करे.

ज़ईफ़ इस लफ़्ज़ के साथ : अबू दाऊद : 266, इब्ने माजा:640.

137- حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ، عَنْ

137- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने फ़र्माया: जब खून सुर्ख हो तो (जिमा करने की

عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ، وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ

वजह से) एक दीनार है। और जब खून ज़र्द रंग का हो तो आधा दीनार (बतौरे कफ्फारा वाजिब) है।

(ज़ईफ़) इब्ने अब्बास से मौकूफ यह तफसील बसनद सहीह साबित है। इब्ने माजा:640.अबू दाऊद:264.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: हाइज़ा औरत से जिमा के कफ्फारा वाली हदीस अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضی اللہ عنہ) से मौकूफन और मर्फ़ूअन (दोनों तरह) रिवायत की गयी है। और बअ़ज अहले इल्म का कौल भी यही है। नीज़ अहमद और इस्हाक़ (رحمہ اللہ) भी यही कहते हैं। अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं : (ऐसा करने वाला) अपने रब से इस्तिगफ़ार करे. उस पर कफ्फारा वाजिब नहीं है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمہ اللہ) के कौल जैसा कौल बअ़ज ताबेईन से भी, जिन में सईद बिन जुबैर और इब्राहीम नखई (رضی اللہ عنہ) भी शामिल हैं, नक़्ल किया गया है। और आम शहरों के उलमा का भी यही फ़तवा है।

104 بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ دَمِ الحَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ

104. कपड़े पर लगे हुए हैज़ के खून को धोना

138 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيهِ، وَصَلِّي فِيهِ

138 - सय्यदा अस्मा बिन्ते अबू बकर (رضی اللہ عنہا) से रिवायत है कि एक औरत ने नबी(ﷺ) से उस कपड़े के बारे में पूछा जिसे हैज़ का खून लग जाये? अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़र्माया : ''उसको खुरचो, पानी के साथ मलो फिर उस पर पानी बहा दो और उसमें नमाज़ पढ़ लो .''

बुख़ारी:227. मुस्लिम:291.अबू दाऊद: 370 इब्ने माजा: 229. निसाई: 293. तोहफतुल अशराफ़:15743.

तौज़ीह: حُتِّيهِ : उंगलियों के साथ खुरचना।

वज़ाहत:इस मसला में सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) और सय्यदा उम्मे कैस बिन्ते मिहसन (رضی اللہ عنہا) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : खून के धोने के बारे में सय्यदा अस्मा की हदीस हसन सहीह है। जिस आदमी के कपड़े में खून लगा हो और वह धोने से पहले उसमें नमाज़ पढ़ ले तो उस बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़

है। ताबेईन में से बअ़ज अहले इल्म कहते हैं: '' खून एक दिरहम की मिक़दार में हो और उसे धोए बगैर नमाज़ पढ़ ली है तो नमाज़ दोबारा पढ़े और बअ़ज कहते हैं: ''जब खून एक दिरहम की मिकदार से ज़्यादा है तो नमाज़ दोबारा पढ़े.'' यह कौल सुफ़ियान सौरी और अब्दुल्लाह बिन मुबारक का भी है।

जबकि बअ़ज उलमाए ताबेईन वग़ैरह नमाज़ दोबारा पढ़ने को वाजिब नहीं कहते अगरचे (खून की मिक़दार) दिरहम से ज़्यादा ही क्यों न हो। नीज़ अहमद और इस्हाक़ (رحمهما الله) भी यही कहते हैं।

इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) कहते हैं : ''उस पर (कपड़े को) धोना वाजिब है, अगरचे वह एक दिरहम की मिक़दार से कम ही क्यों न हो और वह इस मसले में काफ़ी सख़्ती करते हैं।''

105 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ تَمْكُثُ النُّفَسَاءُ

105. निफ़ास वाली ख्वातीन कब तक निफ़ास में रहेंगी

139- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّةَ الأَزْدِيَّةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ

139 - सय्यदना उम्मे सलमा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में निफ़ास वाली औरतें चालीस दिन तक बैठी रहती थीं और हम पर छाईयों की वजह से अपने चेहरों पर वर्स लगाया करती थीं।

(हसन) सहीह: अबू दाऊद: 311.इब्ने माजा: 648 मुसनद अहमद:6/300.दारमी:96.

तौज़ीह: निफ़ास से मुराद जचगी (विलादत) के बाद 40 दिन या उससे कुछ ज़्यादा मुद्दत है। जिसमें औरत के तनासुली आज़ा और रहम वज़ए हमल के बाद सहीह हालत पर आ जाते हैं। उस दौरान आने वाले खून को निफ़ास कहते हैं.

الْكَلَفِ : चेहरे पर छाइयां वग़ैरह पड़ जाना. الْوَرْسِ : ज़ाफरान की तरह एक बूटी का नाम है जो कि रंगाई के काम भी आती है, अरबी में इसे इख्वानुज़ ज़ाफरान भी कहा जाता है। बर्रे सगीर के लोग इसे हिंदुस्तानी ज़ाफरान भी कहते हैं.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। हम इसे सिर्फ सहल की सनद बवास्ता مُسَّةَ الأَزْدِيَّةِ : अज़ सय्यदा उम्मे सलमा (رضي الله عنها) ही जानते हैं। अबू सहल का नाम कसीर बिन जियाद है। इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी फ़रमाते हैं : '' अली बिन अब्दुल आला और अबू सहल सिक़ा रावी हैं।

''मुहम्मद (बुख़ारी) इस हदीस को सिर्फ अबू सहल (की सनद) से ही जानते हैं। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा (رضی اللہ عنہم) और ताबेईन में से अहले इल्म का इज्मा है कि ज़चगी वाली ख़वातीन 40 दिन तक नमाज़ छोड़ेंगी, हां अगर उससे पहले कोई औरत तोहर (पाकी) (की अलामत) देख ले तो वह ग़ुस्ल करके नमाज़ पढ़े, पस जब (कोई औरत) 40 दिन के बाद भी खून देखे तो अक्सर उलमा यही कहते हैं कि वह 40 रोज़ के बाद नमाज़ नहीं छोड़ सकती। नीज़ अक्सर फ़ुकहा का भी यही कौल है और सुफ़ियान सौरी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمہم اللہ) भी यही कहते हैं.

हसन बसरी से बयान किया गया है वह कहते हैं: ''वह पाक ना हो तो 50 दिन तक नमाज़ छोड़े।'' और अता बिन अबी रबाह और शाबी (رحمہم اللہ) से 60 दिन भी बयान किए गए हैं।

106. अगर कोई शख़्स अपनी एक से ज़्यादा बीवियों से सोहबत कर के आखिर में एक ही दफ़ा ग़ुस्ल करे

106 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

140- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ.

140 - सय्यदना अनस (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) अपनी कई बीवियों से सोहबत करके आखिर में एक ही ग़ुस्ल करते थे।

मुस्लिम:309: अबू दाऊद:218. इब्ने माजा: 588 निसाई:263.

वज़ाहत: इस मसला में अबू राफ़े (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अनस (رضی اللہ عنہ) की हदीस नबी(ﷺ) अपनी कई बीवियों से सोहबत करके एक ग़ुस्ल करते थे.'' हसन सहीह है। और बहुत से अहले इल्म का; जिनमें हसन बसरी भी हैं, यही कौल है कि वुज़ू करने से पहले भी दोबारा सोहबत कर सकता है। और मुहम्मद बिन यूसुफ सुफ़ियान से हदीस बयान करते हुए कहते हैं कि उर्वा से बवास्ता अबू अल ख़त्ताब अज़ सय्यदना अनस (رضی اللہ عنہ) से यह रिवायत की गई है।

अबू उर्वा मामर बिन राशिद और अबू अल ख़त्ताब क़तादा बिन दिआमा है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) कहते हैं : ''बअ़ज ने यह हदीस मुहम्मद बिन यूसुफ़ से बतरीक़ सुफ़ियान अज़ इब्ने अबी उर्वा अज़ अबू अल ख़त्ताब बयान की है, जो कि ग़लत है। सहीह अबू उर्वा ही है।

107 بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ

-141 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا

107. जुन्बी आदमी दोबारा सोहबत का इरादा करे तो वुज़ू कर ले

141 - सय्यदना अबू सईद अल ख़ुदरी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया: '' जब तुम में से कोई शख़्स अपनी बीवी से सोहबत कर ले और फिर दोबारा सोहबत करना चाहे तो उसे चाहिए कि दर्मियान में वुज़ू कर ले।

मुस्लिम: 308 अबू दाऊद: 220 इब्ने माजा: 587 निसाई:262

वज़ाहत: इस मसला में उमर (رضي الله عنه) से भी मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अबू सईद अल ख़ुदरी (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) का भी यही कौल है। नीज़ बहुत से उलमा भी यही कहते हैं कि जब कोई (एक दफ़ा) अपनी बीवी से सोहबत करे, फिर दोबारा करने का इरादा हो तो दूसरी दफ़ा सोहबत करने से पहले वुज़ू कर ले.

नीज़ अबू अल मुतवक्किल का नाम अली बिन दाऊद और अबू सईद अल ख़ुदरी (رضي الله عنه) का नाम साद बिन मालिक बिन सिनान (رضي الله عنه) है।

108 بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الخَلاَءَ فَلْيَبْدَأْ بِالخَلاَءِ

-142 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَرْقَمِ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ، وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ، وَقَالَ: سَمِعْتُ

108. नमाज़ की इक़ामत हो जाए और किसी को बैतुल ख़ला में जाने की हाजत हो तो वह पहले बैतुल ख़ला से फ़ारिग़ हो ले।

142 - उर्वा से रिवायत है कि नमाज़ की इक़ामत हुई और अब्दुल्लाह बिन अरक़म ने; जो लोगों के इमाम थे, एक आदमी का हाथ पकड़कर आगे (इमाम वाली जगह पर खड़ा) कर दिया और फ़रमाने लगे : '' मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: ''

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالخَلَاءِ

नमाज़ की इक़ामत हो जाए और कोई शख़्स बैतुल ख़ला में जाने की हाजत पा रहा हो तो वह पहले बैतुल ख़ला से फारिग़ होले.''

सहीह: अबू दाऊद: 88 इब्ने माजा: 616 निसाई 852

वज़ाहत: इस मसला में आयशा, अबू हुरैरा, सौबान और अबू उमामा (رضي الله عنه) से भी रिवायत की गयी है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अरक़म की हदीस हसन सहीह है और मालिक बिन अनस (رحمه الله) यहया बिन सईद अल क़त्तान (رحمه الله) और बहुत हुफ्फाज़ मुहद्दिसीन ने हिशाम बिन उर्वा से उनके बाप (उर्वा) के वास्ते से अब्दुल्लाह बिन अरक़म (رضي الله عنه) से इसी तरह रिवायत की है।

और वुहैब वग़ैरह ने भी हिशाम बिन उर्वा से उनके बाप से उन्होंने एक ना मालूम आदमी के वास्ते से अब्दुल्लाह बिन अरक़म (رضي الله عنه) से रिवायत की है। जबकि नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से भी बहुत अहले इल्म का भी यही कौल है। नीज़ अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी यही कहते हैं कि जब बौलो बराज़ (पेशाब-पखाना) की हाजत महसूस कर रहा है तो नमाज़ के लिए खड़ा न हो . और फ़रमाते हैं : '' अगर नमाज़ शुरू कर दे और यह चीज़ महसूस करे तो जब तक (हाजते इंसानी) इसे नमाज़ से मशगूल न करे वह नमाज़ न तोड़े.''

और बअ़ज अहले इल्म कहते हैं : '' बोलो बराज़ की हाजत होने के बावजूद नमाज़ पढ़ने में क़बाहत नहीं है जब तक यह हालत इसे नमाज़ से मशगूल नहीं करती.''

109 بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ مِنَ المَوْطَإِ

109 रास्ते की गर्द या कोई नापाक चीज़ लग जाने से वुज़ू का हुक्म

143- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَتْ: قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ

143 - सय्यदना अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رضي الله عنه) की उम्मे वलद लोंडी बयान करती हैं कि मैं ने सय्यदा उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से कहा : '' मैं अपने कपड़े का लंबा दामन रखने वाली औरत हूं और मैं गंदगी वाली जगह में चलती हूं तो (उम्मे सलमा(رضي الله عنها) ने) फ़रमाया: ''रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया था: ''इसके बाद (आने वाली) पाक जगह उसे पाक कर देती है।

सहीह: अबू दाऊद:383.इब्ने माजा: 531. अबू यअला : 6925. मुसनद अहमद:6/290.

तौज़ीह: الموطي : लफ़्ज़ी मानी है रोंदी जाने वाली चीज़, यानी चलते हुए जो कपड़ा ज़मीन पर लगता है वह अपने नीचे मिट्टी और गंदगी जो कुछ भी ज़मीन पर हो उसे रौंदता है।

أم ولد : उस लौंडी को कहते हैं जिससे उसके मालिक की औलाद पैदा हो।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने इस हदीस को मालिक बिन अनस से ब वास्ता मुहम्मद बिन अम्मार अज़ मुहम्मद बन इब्राहीम और उन्होंने हूद बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की उम्मे वलद के ज़रिया उम्मे सलमा (ﷺ) से बयान किया है। लेकिन यह वहम है क्योकि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) के किसी बेटे का नाम हूद नहीं था।

यह इब्राहीम बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) की उम्मे वलद है जो उम्मे सलमा (ﷺ) से रिवायत करती हैं, और यही सहीह है।

नीज़ फ़रमाते हैं : इस मसला में अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है कि हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ते थे और रास्ते से लगने वाली गर्द या गंदगी वग़ैरह की वजह से वुज़ू नहीं करते थे.

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: ''बहुत से उलमा का यही कौल है जब आदमी किसी गंदगी वाली जगह से गुज़रे तो उस पर पांव को धोना वाजिब नहीं है मगर जब (वह गंदगी) तर हालत में हो तो जो चीज़ (पाओ या कपड़ों) को लगी हो उसे धो ले.

110. तयम्मुम का बयान

110 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ

144 - सय्यदना अम्मार बिन यासिर (ﷺ) फ़रमाते हैं कि नबी(ﷺ) ने उन्हें चेहरे और दोनों हथेलियों का तयम्मुम करने का हुक्म दिया।

बुख़ारी:338 मुस्लिम: 368 अबू दाऊद:318 इब्ने माजा:565. निसाई:320.

144 - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الفَلَّاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : इस मसले में आयशा, और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : अम्मार (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ यह हदीस अम्मार (ﷺ) से बहुत सी इस्नाद से रिवायत की गयी है।

नबी(ﷺ) के बहुत से सहाबा ; जिन में अली और अम्मार और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) भी शामिल हैं, और बहुत से ताबेईन, भी, जिन में शाबी, अता और मकहूल (رحمه الله) शामिल हैं, यही कौल कि तयम्मुम में दोनों हाथ और चेहरे के लिए एक ही ज़र्ब होती है। नीज़ अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है। और बअ़ज अहले इल्म, जिन में अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) जाबिर (رضي الله عنه) इब्राहीम और हसन (رحمه الله) शामिल हैं कहते हैं, कि एक ज़र्ब चेहरे पर तयम्मुम के लिए मारी जाए और एक ज़र्ब हाथ को कोहनियों तक मिट्टी लगाने के लिए (मारी जाए)।

सुफ़ियान सौरी, मालिक, अब्दुल्लाह बिन मुबारक और शाफ़ेई (رحمه الله) कहते हैं। अम्मार (رضي الله عنه) से हाथों और चेहरे के लिए एक ज़र्ब वाली हदीस कई तुरुक से साबित है। और अम्मार (رضي الله عنه) से यह भी बयान किया गया है कि हमने नबी(ﷺ) के साथ कन्धों और बगलों तक तयम्मुम किया.

जब अम्मार (رضي الله عنه) से मर्वी कंधों और बगलों तक तयम्मुम करने की रिवायत की गई तो बअ़ज उलमा ने उनसे मर्वी नबी(ﷺ) की दोनों हाथों और चेहरे की तयम्मुम वाली हदीस ज़ईफ़ क़रार दे दी. इस्हाक़ बिन इब्राहीम बिन मुखल्लद अल हंज़ली कहते हैं : ''अम्मार (رضي الله عنه) की चेहरे और हाथों के तयम्मुम वाली हदीस हसन सहीह है।'' और अम्मार (رضي الله عنه) की यह हदीस कि हम ने नबी(ﷺ) के साथ कन्धों और बगलों तक तयम्मुम किया .'' चेहरे और हाथों वाली हदीस के मुख़ालिफ़ नहीं है। क्योंकि अम्मार (رضي الله عنه) ने यह ज़िक्र नहीं किया कि नबी(ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया था उन्होंने तो यही कहा है कि हमने इस तरह किया था तो जब उन्होंने नबी(ﷺ) से पूछा तो जो चीज़ नबी(ﷺ) ने बताई उस पर रुक गए . यानी चेहरे और हाथों पर और उसकी दलील ये है कि अम्मार (رضي الله عنه) ने नबी(ﷺ) की वफ़ात के बाद फ़त्वा देते हुए चेहरे और हाथ ही का ज़िक्र किया था. पस इसमें दलील है कि वह नबी(ﷺ) की तालीम के मुताबिक़ रुक गए थे और आप(ﷺ) ने चेहरे और हाथ के तयम्मुम की तालीम दी थी.''

तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : मैंने अबू ज़रआ उबैदुल्लाह बिन अब्दुल करीम (رحمه الله) को फ़रमाते हुए सुना कि मैंने बुस्रा में इन तीन आदमियों अली बिन मदीनी, इब्ने शाज़ कूफी और अम्र बिन अली अल फलास (رضي الله عنه) से बड़ा हाफिज़े हदीस नहीं देखा.

अबू ज़रआ कहते हैं अफ़्फ़ान बिन मुस्लिम ने अम्र बिन अली से एक हदीस भी बयान की है।

145-حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ

145 - इक्रिमा (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से तयम्मुम के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने फ़रमाया: '' अल्लाह तआला ने अपनी किताब में जब वुज़ू का जिक्र किया तो फ़रमाया: '' अपने

حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ حِينَ ذَكَرَ الْوُضُوءَ: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}، وَقَالَ فِي التَّيَمُّمِ: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}، وَقَالَ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، فَكَانَتِ السُّنَّةُ فِي الْقَطْعِ الْكَفَّيْنِ، إِنَّمَا هُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ، يَعْنِي التَّيَمُّمَ

चेहरे और हाथों को कोहनियों तक धोओ और तयम्मुम के बारे में फ़रमाया: '' इस मिट्टी से अपने चेहरे और हाथों का मसह करो.'' और फ़रमाया: ''चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत के हाथ काट दो.'' तो (हाथ) काटने में सुन्नत हथेलियों तक है तो इस तयम्मुम के हुक्म में भी चेहरा और हाथ ही मुराद हैं.

ज़ईफुल इस्नाद:तोहफतुल अशराफ़:6077.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है।

111 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا

111. आदमी अगर जुन्बी नहीं है तो हर हालत में क़ुरआन पढ़ सकता है

146 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا.

146 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जनाबत के अलावा हर हालत में हमें क़ुरआन पढ़ाया करते थे।

ज़ईफ़: अबूदाऊद: 229 इब्ने माजा: 594 निसाई:265.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : अली (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنهم) और ताबेईन में से बहुत से उलमा यही कहते हैं कि आदमी बगैर वुज़ू के क़ुरआन पढ़ सकता है, लेकिन मुसहफ़ को पकड़ कर (जनाबत से) पाक शख़्स ही पढ़ सकता है। नीज़ सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) का भी यही कौल है।

112. पेशाब अगर ज़मीन पर लग जाए

112 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ يُصِيبُ الأَرْضَ

147 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि एक देहाती (आराबी) मस्जिद में दाख़िल हुआ नबी(ﷺ) भी मस्जिद में तशरीफ़ फ़रमा थे. उसने नमाज़ पढ़ी जब नमाज़ से फारिग़ हुआ तो कहने लगा ऐ अल्लाह! तू मेरे और मुहम्मद(ﷺ) पर रहम फ़रमा और हमारे साथ किसी और पर रहम ना करना नबी(ﷺ) ने उसकी तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़रमाया: '' तूने तो वसीअ चीज़ को तंग कर दिया वह ज़्यादा ना ठहरा कि उसने मस्जिद में पेशाब कर दिया लोग उसकी तरफ़ दौड़े तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: उस पेशाब पर पानी का एक डोल बहा दो फिर आप(ﷺ) ने फ़रमाया: तुम तो आसानी करने वाले (बनाकर) भेजे गए हो तंगी (पैदा) करने वाले (बनाकर) नहीं भेजे गए.''

बुख़ारी:220 अबू दाऊद:380 इब्ने माजा: 229 निसाई: 56

147 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، فَصَلَّى، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، فَالتفت إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهْرِيقُوا عَلَيْهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، أَوْ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

تَحَجَّرْتَ : किसी चीज़ को तंग कर देना यानी अल्लाह की रहमत तो बहुत वसीअ (बड़ा) है लेकिन तूने अपना और मेरा जिक्र करके उसे महदूद (लिमिटेड/ सीमित) कर दिया है।

سَجْلاً, دَلْوًا : दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं मतलब एक है यानी कोई बर्तन डोल वग़ैरह जिसमें पानी रखा जाता है।

148. सईद (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि सुफ़ियान रहिमहुल्लाह) कहते हैं मुझे इसी तरह की हदीस यहया बिन सईद ने अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) की तरफ़ से बयान की।

बुख़ारी: 221 मुस्लिम:384 निसाई: 53-55.

148 - قَالَ سَعِيدٌ: قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، نَحْوَ هَذَا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। बअ्ज (कुछ) उलमा के नज़दीक इसी पर अमल है। नीज़ अहमद और इस्हाक़ (رحمهما الله) का भी यही कौल है और यूनुस (رضي الله عنه) ने यह हदीस ज़ोहरी से बवास्ता उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह, अज़ अबू हुरैरा (رضي الله عنه) बयान की है। (यह वुज़ू के बयान की आखिरी हदीस है)

ख़ुलासा

- बगैर वुज़ू पढ़ी गई नमाज़ कबूल नहीं होती।
- बैतूल खला आते और जाते वक़्त दुआ पढ़ी जाए।
- क़िब्ला की तरफ़ मुंह या पुश्त करके नीज़ खड़े होकर पेशाब करना मना है।
- बोलो ब्राज़ (पेशाब-पाखना) के लिए ऐसी जगह का इन्तिखाब करें जहां आपको कोई देख ना सके।
- वुज़ू उसी तरह करें जिस तरह क़ुरआन व हदीस रहनुमाई करते हैं।
- मियां बीवी एक ही बर्तन से ग़ुस्ल कर सकते हैं।
- दूध पीते बच्चे के पेशाब पर छींटे मारना ही काफ़ी है अगर ना की हो तो कपड़े को धोया जाएगा।
- मुक़ीम एक दिन और मुसाफिर 3 दिन तक मोज़ों या जुराबों पर मसह कर सकता है।
- ग़ुस्ले जनाबत का मसनून (सुन्नत) तरीका अपनाएं।
- मियां बीवी के मिलाप से इंज़ाल ना भी हो तो ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है।
- ख़वातीन को तीन क़िस्म के खून से पाकीज़गी मतलूब होती है, हैज़, इस्तिहाज़ा, निफ़ास।
- हाइज़ा औरत रोजों की क़ज़ा देगी लेकिन नमाज़ की नहीं।
- हाइज़ा औरत से जिमा किए बगैर मुबाशरत की जा सकती है।
- पानी ना मिलने की सूरत में वुज़ू या ग़ुस्ल की बजाये तयम्मुम किया जा सकता है।
- जुन्बी मुसहफ़ से क़ुरआन नहीं पढ़ सकता।

أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह (ﷺ) से मर्वी नमाज़ का बयान

परिचय (तआरुफ़)

303 अहादीस और 213 अबवाब पर मुश्तमिल इस बाब में आप पढ़ेंगे कि

- कौन सी नमाज़ किस वक़्त पढ़ी जाए?
- नमाज़ की कुबूलियत की क्या शराइत हैं?
- अज़ान की इब्तिदा (शुरूआत) कैसे हुई?
- इमाम कैसा हो?
- नमाज़ का मसनून तरीक़ा क्या है?
- फ़ौतशुदा नमाज़ों की क़ज़ा कैसे होगी?
- नफल नमाज़ की अहमियत और फज़ीलत क्या है?
- और इसके अलावा नमाज़ से मुताल्लिक़ बहुत से दीगर मसाइल।

1. بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

148 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ وَهُوَ ابْنُ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ:

1. नबी (ﷺ) से मर्वी नमाज़ के औक़ात

148 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, ''जिब्रील (عليه السلام) ने दो मर्तबा बैतुल्लाह के पास मेरी इमामत की।

149 - पहली (मर्तबा की इमामत) में उन्होंने जुहर की नमाज़ (उस वक़्त) पढ़ाई। जब साया

أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ

الْفَجْرُ، وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ، وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الأَرْضُ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.

जूते के ऊपर वाले तस्मे के बराबर हो गया, फिर अस्र की नमाज़ (उस वक़्त) पढ़ाई जब हर चीज़ का साया उसके मिस्ल या बराबर हो गया, फिर मग़रिब की नमाज़ उस वक़्त पढ़ाई जब सूरज गुरूब हुआ और रोज़ेदार के इफ़्तार का वक़्त हो गया, फिर इशा की नमाज़ तब पढ़ाई जब सूरज की सुर्ख़ी ग़ायब हो गई, फिर फज्र उस वक़्त पढ़ाई जब फज्रे सादिक़ ज़ाहिर हुई और रोज़े के लिए सहरी खाने वाले का खाना हराम होता है। और दूसरी मर्तबा की इमामत में जब हर चीज़ का साया उसके बराबर हो गया तो ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई, जिस वक़्त में पिछले दिन अस्र पढ़ाई, फिर मगरिब पहले दिन वाले वक़्त में पढ़ाई, फिर इशा की नमाज़ उस वक़्त पढ़ाई जब रात का एक तिहाई हिस्सा गुज़र गया था। फिर फज्र की नमाज़ उस वक़्त पढ़ाई जब ज़मीन रोशन हो गई, फिर जिब्रील (عليه السلام) मेरे तरफ़ मुतवज्जह हो कर कहने लगे : ऐ मुहम्मद! यह आप से पहले अंबिया (رضي الله عنهم) की नमाज़ों का वक़्त है और आप की उम्मत की नमाज़ों का) वक़्त इन दोनों औक़ात के दर्मियान है।

सहीह अल-इर्वा अल-गलील: 249. अबू दाऊद: 393. मुसनद अहमद: 1/333. इब्ने खुजैमा: 325. मुस्तदरक हाकिम: 1/195.

1) **तौज़ीह:** जिब्रील (عليه السلام) की इमामत सिर्फ नमाज़ के औक़ात और तरीक़ा बताने के लिए थी जो अल्लाह की तरफ़ से हुक्म था इससे जिब्रील (عليه السلام) की नबी(ﷺ) पर फज़ीलत साबित नहीं होती।

الشِّرَاكِ : जूते का तस्मा चमड़े की पट्टी वग़ैरह जो पांव के ऊपर रहता है। अस्ल साया निकाल कर

हक़ीक़ी औक़ात वह नहीं जिनमें इमामत करवाई गई बल्कि वह तो इब्तिदाई और इंतिहाई हद थी जबकि वक़्त उनके दर्मियान में है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : इस मसले में अबू हुरैरा, बुरैदा, अबू मूसा, अबू मसऊद अल अन्सारी, अबू सईद, जाबिर, अम्र बिन हज़्म, बरा और अनस (ﷺ) से भी रिवायात मर्वी हैं।

150 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمَّنِي جِبْرِيلُ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ

150 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: जिब्रील (ﷺ) ने मेरी इमामत करवाई फिर उन्होंने भी अब्दुल्लाह बिन अब्बास की हदीस जैसी उसी मफ़हूम की हदीस बयान की। लेकिन इस में कल की नमाज़ अस्र के वक़्त के अलफ़ाज़ ज़िक्र नहीं किये।

सहीह अल-इर्वा अल-गलील: 250. निसाई: 504. मुसनद अहमद:3/330.इब्ने हिब्बान:1472. दार क़ुत्नी:1/256.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है और जाबिर की नमाज़ों के औक़ात वाली हदीस को अता बिन अबी रबाह, अम्र बिन बिन दीनार, और अबू अज़्ज़ुबैर ने भी सय्यदना जाबिर के वास्ते से नबी से वहब बिन कैसान अज़ जाबिर अज़ नबी(ﷺ) बयान कर्दा हदीस (नमाज़ों के) औक़ात (के मसले) में सहीह तरीन है।

2. इसी मसला में एक और बयान.

باب منه .

151 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلصَّلاَةِ أَوَّلاً وَآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلاَةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ العَصْرِ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلاَةِ العَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ

151 - सय्यदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फ़र्माया: नमाज़ का एक इब्तिदाई और एक इंतिहाई वक़्त होता है और बेशक ज़ुहर की नमाज़ का पहला वक़्त वह है जब सूरज ढलता है और इन्तिहाई वक़्त वह है जब अस्र का वक़्त शुरू होता है और अस्र की नमाज़ का इब्तिदाई वक़्त वह है जब उसका वक़्त शुरू होता है और आखिरी वक़्त वह है जब सूरज ज़र्द होता है और मग़रिब का

آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ العِشَاءِ الآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ

इब्तिदाई वक़्त गुरूबे आफताब का वक़्त है और इन्तिहाई वक़्त सुर्ख़ी ग़ायब होने का और नमाज़े इशा का पहला वक़्त वह है जब सुर्ख़ी खत्म हो जाए और इन्तिहाई वक़्त जब रात आधी गुज़र जाए और फ़ज्र का इब्तिदाई वक़्त वह है जब फ़ज्रे सादिक़ तुलूअ हो जबकि इन्तिहाई वक़्त जब सूरज तुलूअ हो।

(151) सहीह मुसनद अहमद: 2/232. इब्ने अबी शैबा:1/317.दार कुत्नी:1/272.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी(رحمه الله) को फ़रमाते हुए सुना कि आमश की मुजाहिद से औक़ाते नमाज़ में रिवायतकर्दा हदीस मुहम्मद बिन फुजैल की बवास्ता आमश रिवायतकर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह है। और मुहम्मद बिन फुजैल की हदीस ग़लत है इसमें मुहम्मद बिन फुजैल ने गलती की है।

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفَزَارِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ إِنَّ لِلصَّلاَةِ أَوَّلاً وَآخِرًا، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ

151 - इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : हमसे हन्नाद ने हदीस बयान की वह कहते हैं हमसे अबू उसामा ने अबू इस्हाक़ अल फ़जारी से बवास्ता आमश मुजाहिद से बयान किया है वह फ़रमाते हैं : ''कहा जाता था कि नमाज़ का एक इब्तिदाई और और एक आखिरी वक़्त होता है। ''(आगे) उन्होंने मुहम्मद बिन फुजैल की आमश से रिवायतकर्दा हदीस के मफ़हूम जैसी हदीस ज़िक्र की।

باب منه

2. इसी मसला के मुताल्लिक़ एक और बाब

152 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَالحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ البَزَّارُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

152 - सुलैमान बिन बुरैदा अपने बाप बुरैदा (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं एक आदमी ने नबी(ﷺ) के पास आकर आप(ﷺ) से नमाज़ों

مُوسَى، الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: أَقِمْ مَعَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ، فَصَلَّى العَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ مِنَ الغَدِ فَنَوَّرَ بِالفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ، فَأَبْرَدَ وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالعَصْرِ فَأَقَامَ، وَالشَّمْسُ آخِرَ وَقْتِهَا فَوْقَ مَا كَانَتْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ إِلَى قُبَيْلِ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ؟، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، فَقَالَ: مَوَاقِيتُ الصَّلاَةِ كَمَا بَيْنَ هَذَيْنِ

के औक़ात के बारे में पूछा तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम हमारे साथ रहो जब फज्र तुलूअ हुई तो आप(ﷺ) ने बिलाल को हुक्म दिया उन्होंने इक़ामत कही, फिर जब सूरज ढल गया तो आप(ﷺ) ने बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने इक़ामत कही और आप(ﷺ) ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई फिर आपने उनको हुक्म दिया तो उन्होंने इक़ामत कही, जबकि सूरज रोशन और बुलंद था। फिर आप(ﷺ) ने मगरिब की इक़ामत का हुक्म दिया जब सूरज का किनारा गायब हो गया। फिर आप(ﷺ) ने उनको इशा की इक़ामत का हुक्म उस वक़्त दिया जब सुर्खी गायब हो गई थी। फिर अगले दिन आप(ﷺ) ने नमाज़े फज्र के लिए इक़ामत का हुक्म दिया तो सुबह रोशन कर दी (यानी रोशनी होने पर नमाज़ पढ़ी) फिर ज़ुहर की इक़ामत का हुक्म दिया तो उसे ठंडा किया यानी ताख़ीर के साथ पढ़ा और खूब ठंडा किया, फिर अस्र की इक़ामत का हुक्म उस वक़्त दिया जब सूरज अपने आखिरी वक़्त में था। फिर आप(ﷺ) ने हुक्म दिया, पस मगरिब को सुर्खी ग़ायब होने से थोड़ी देर पहले तक मोअख्खर (देरी) कर दिया। फिर जब रात एक तिहाई गुजर चुकी थी फिर इशा की नमाज़ की इक़ामत का हुक्म दिया। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''नमाज़ों के औक़ात पूछने वाला कहाँ है?'' उस आदमी ने कहा: ''मैं हूं'' आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''नमाज़ों के औक़ात इन दोनों के दर्मियान हैं।''

मुस्लिम: 613. इब्ने माजा: 667. निसाई:519

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह गरीब है। फ़रमाते हैं शोबा ने भी अल्क़मा बिन मर्सद से ऐसे ही रिवायत की है।

3.फज्र की नमाज़ अँधेरे में पढ़ना

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيسِ بِالفَجْرِ

153 - सय्यदा आयशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) सुबह की नमाज़ पढ़ाते तो औरतें (नमाज़ पढ़ के घरों की तरफ़) लोटती तो अपनी चादरों में लिपटी हुई गुज़रती थीं। अँधेरे की वजह से पहचानी न जाती थीं। कुतैबा ने مُتَلَفِّفَاتٍ की जगह مُتَلَفِّعَاتٍ कहा है।

बुखारी:372:मुस्लिम:645. अबू दाऊद: 423. इब्ने माजा: 669. निसाई: 545. तोहफतुल अशराफ़:17931.

153- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ (ح) وحَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ، قَالَ الأَنْصَارِيُّ: فَيَمُرُّ النِّسَاءُ مُتَلَفِّفَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ، وقَالَ قُتَيْبَةُ: مُتَلَفِّعَاتٍ.

तौज़ीह: الغَلَسِ : सुबह की रोशनी से मख्लूत, अखिर रात की तारीकी, पौ फटने का वक़्त।

مُتَلَفِّعَاتٍ.: दोनों लफ़्ज़ एक ही मानी के हैं, ये जमा का सेगा है। बड़ी चादरों में अपने आप को छिपाने वाली औरतें।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर और अनस और सय्यदा क़ैला बिन्ते मख्रमा (रज़ि.) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : सय्यदा आयशा (रज़ि.) की हदीस हसन सहीह है।

इमाम ज़ोहरी ने भी उर्वा से बवास्ता आयशा (रज़ि.) ऐसी ही हदीस बयान की है। और इसी मौक़िफ़ को नबी(ﷺ) के सहाबा (रज़ि.) में से बहुत से अहले इल्म ने ; जिन में सय्यदना अबू बकर (रज़ि.) सय्यदना उमर (रज़ि.) भी शामिल हैं, और इनके बाद ताबेईन ने इख़्तियार किया है। नीज़ शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (रह.) भी नमाज़े फज्र के लिए अँधेरे को मुस्तहब कहते हैं।

4- फज्र की नमाज़ रोशनी में पढ़ना

بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِسْفَارِ بِالفَجْرِ

154 - सय्यदना राफ़े बिन ख़दीज (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना : ''फज्र को रोशन करके पढ़ो यह बड़े अज्र का बाइस है।''

सहीह: अबू दाऊद: 424. इब्ने माजा: 672. निसाई: 548.

154 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ.

वज़ाहत: इस मसले में अबू बर्ज़ा अल अस्लमी, जाबिर और बिलाल (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।नीज़ शोबा और सौरी ने यह हदीस मुहम्मद बिन इस्हाक़ से रिवायत की है और इसी तरह मुहम्मद बिन अजलान ने आसिम बिन उमर बिन क़तादा से रिवायत की है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : राफ़े बिन ख़दीज की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنهم) और ताबेईन (رحمهم الله) में से बहुत से उलमा भी फज्र को रोशनी में पढ़ने की राय रखते हैं और सुफ़ियान सौरी का भी यही कौल है।

इमाम शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) फ़रमाते हैं: ''रोशन करने का मतलब यह है कि फज्रे सादिक वाज़ेह हो जाए इस में शक न रहे, ''नीज़ उन्होंने ने कहा हैं कि रोशन करने का मतलब नमाज़ को ताख़ीर करके पढ़ना नहीं है।

5. ज़ुहर की नमाज़ जल्दी अदा करना

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْجِيلِ بِالظُّهْرِ

155 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ), अबू बक्र और उमर (رضي الله عنهما) से बढ़ कर कोई शख़्स ज़ुहर में जल्दी करने वाला नहीं देखा।

जईफुल इस्नाद मुसनद अहमद: 6/ 135.

155- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيلاً لِلظُّهْرِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلاَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَلاَ مِنْ عُمَرَ.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर बिन अब्दुल्लाह, खब्बाब, अबू बर्ज़ा, इब्ने मसऊद, ज़ैद बिन साबित,

अनस और जाबिर बिन समुरा (رضی اللہ عنہ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : सय्यदा आयशा की हदीस हसन सहीह है। नबी(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से अहले इल्म ने इसी को इख़्तियार किया है। और अली बिन मदीनी कहते हैं कि यहया बिन सईद फ़रमाते हैं : ''शोबा ने हकम बिन जुबैर पर अब्दुल्लाह बिन मसऊद से नबी(ﷺ) की हदीस ''जिसने बक़द्रे किफायत माल होने के बावजूद सवाल किया।।।''की वजह से क़लाम की है और उन से सुफ़ियान और ज़ाइदा रिवायत लेते हैं और यहया उनकी हदीस कुबूल करने में मुज़ायक़ा नहीं समझते।''

मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी (رحمہ اللہ)) फ़रमाते हैं : ''हकीम बिन जुबैर से बवास्ता सईद बिन जुबैर अज़ आयशा (رضی اللہ عنہا) नबी(ﷺ) से रिवायतकर्दा ज़ुहर को जल्दी करने की हदीस भी रिवायत की गई है। ''

156- حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الحُلْوَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ

156- सय्यदना अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ज़ुहर उस वक़्त पढ़ी जब सूरज ढल गया।

बुखारी: 540.मुस्लिम: 2359. निसाई:552.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं : यह हदीस सहीह है इस मसले में बहुत ही अच्छी हदीस है। नीज़ मज़कूरा मसला में जाबिर (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ

6. सख़्त गर्मी में ज़ुहर की नमाज़ देर करके पढ़ना

157 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

157- सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जब गर्मी सख़्त हो जाए तो नमाज़ को ठंडा करो क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की जोश की वजह से है।

बुखारी:534. मुस्लिम:615. अबू दाऊद:402. इब्ने माजा:677. निसाई: 617. तोहफतुल अशराफ़: 13226, 15237.

तौज़ीह: ठंडा करने का मतलब यह है कि दीवारों का साया इस क़दर हो जाए कि आने वाले साए में चलकर मस्जिद तक पहुंच जाएं।

वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद, अबू ज़र, इब्ने उमर, मुग़ीरा, क़ासिम बिन सफवान की अपने बाप से, अबू मूसा अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अनस (رضي الله عنه) से भी अहादीस रिवायत की गई हैं। इसी मसले में उमर (رضي الله عنه) की भी नबी(ﷺ) से हदीस रिवायत की गई है जो सहीह नहीं है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : ''सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है नीज़ अहले इल्म ने गर्मी ज़्यादा होने की सूरत में नमाजे ज़ुहर ताख़ीर से पढ़ना मुस्तहब कहा है। इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है।

इमाम शाफेई फ़रमाते हैं: ज़ुहर की नमाज़ को ठंडा यानी ताख़ीर करके पढ़ना उस वक़्त है जब मस्जिद में आने वाले नमाज़ी दूर से आते हों लेकिन जब नमाज़ पढ़ने वाला अकेला हो या अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है तो मैं यही अच्छा समझता हूं कि शदीद गर्मी में भी नमाज़ को ताखीर के साथ ना पढ़े।''

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं जिन लोगों का मजहब यह है कि शदीद गर्मी में नमाज़े ज़ुहर ताख़ीर करके पढ़ा जाए उनका मजहब इत्तेबाए सुन्नत के ज़्यादा करीब और बेहतर है और इमाम शाफेई का जो मजहब है कि यह रुख्सत दूर से मशक्क़त उठाकर आने वाले लोगों के लिए है तो अबू ज़र (رضي الله عنه) की हदीस में इमाम शाफेई (رحمه الله) के कौल के ख़िलाफ़ दलील मौजूद है।

अबू ज़र (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: हम नबी के साथ किसी सफ़र में थे बिलाल (رضي الله عنه) ने नमाज़े ज़ुहर के लिए अज़ान दी तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, ''ऐ बिलाल वक़्त को ठंडा कर फिर ठंडा कर यानी अभी ना कहो) ''पस अगर हुक्म ऐसे ही होता जैसे इमाम शाफेई (رحمه الله) का मज़हब है तो उस वक़्त सफ़र में सबके जमा होने की वजह से ठंडा करने का मक़सद ही नहीं था क्योंकि उनको दूर से आने की जरूरत नहीं थी (बल्कि सब जमा थे)।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي الحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ: أَبْرِدْ،

158.. सय्यदना अबू ज़र (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) किसी सफ़र में थे और आपके साथ बिलाल (رضي الله عنه) भी थे। बिलाल (رضي الله عنه) ने इक़ामत कहने का इरादा किया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''ठंडा करो उन्होंने फिर इक़ामत का इरादा किया तो रसूलुल्लाह ने फ़रमाया ज़ुहर की नमाज़ में वक़्त को ठंडा होने

ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْرِدْ فِي الظُّهْرِ، قَالَ: حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ.

दो।'' अबू ज़र (ﷺ) फ़रमाते हैं: हत्ताकि जब हमने टीलों का साया देखा तो फिर बिलाल (ﷺ) ने इक़ामत कही फिर नबी करीम(ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''बेशक गर्मी की शिद्दत जहन्नम के जोश की वजह से होती है इसलिए तुम वक़्त को ठंडा करके नमाज़ पढ़ो।''

बुखारी: 535 मुस्लिम:616 अबू दाऊद: 401

तौज़ीह: الفيُّ : ज़वाले शम्स के बाद मशरिक़ की तरफ़ फैलने वाला साया।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ العَصْرِ

7. नमाज़े अस्र में जल्दी करना

159- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، وَلَمْ يَظْهَرِ الفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا.

159- सय्यदा आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं ''रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अस्र की नमाज़ उसी वक़्त पढ़ाई जब सूरज की धूप उनके हुजरे में थी अभी तक उनके हुजरे में साया ज़ाहिर नहीं हुआ था।

बुखारी: 522 मुस्लिम: 611 अबू दाऊद: 407 इब्ने माजा: 683.निसाई:505.

वज़ाहत: इस मसले में अनस, अबू अर्वा, जाबिर और राफ़े बिन ख़दीज (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

राफ़े (ﷺ) से भी नबी(ﷺ) की अस्र की ताख़ीर के बारे में ऐसे ही रिवायत की जाती है। लेकिन वह सहीह नहीं है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं आयशा की हदीस हसन सहीह है और नबी(ﷺ) के कुछ सहाबा जिन में उमर, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, आयशा और अनस (ﷺ) वग़ैरह भी शामिल हैं। और बहुत से ताबेईन ने भी नमाज़े अस्र को जल्दी अदा करने का मौकिफ़ इख़्तियार किया है और ताख़ीर को नापसंद किया है। नीज़ अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) का भी यही कौल है।

160- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ، وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: قُومُوا فَصَلُّوا العَصْرَ، قَالَ: فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا.

160- अला बिन अब्दुर्रहमान (رحمه الله) कहते हैं कि वह अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) के पास बसरा में उनके घर उस वक़्त गए जब वह ज़ुहर की नमाज़ से वापस घर आए थे और उनका घर मस्जिद के साथ था तो उन्होंने फ़रमाया, ''खड़े हो जाओ और अस्र की नमाज़ पढ़ो रावी कहते हैं हम खड़े हुए और नमाज़ पढ़ी जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो अनस (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, ''मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना है कि वह नमाज़ मुनाफ़िक़ की होती है जो बैठकर सूरज को देखता रहता है यहां तक कि जब वह शैतान के दो सींगों के दर्मियान पहुंचता है तो खड़ा होकर चार चोंचें मारता है और नमाज़ में अल्लाह का ज़िक्र बहुत कम करता है।

मुस्लिम:622. अबू दाऊद: 413.निसाई:511.

तौज़ीह: يَرْقُبُ : किसी चीज़ पर ध्यान रखना देखते रहना। **فَنَقَرَ : نَقَرَ الشَّيْءَ** :का मानी होता है किसी चीज़ को चोंच से खोदना इसीलिए चोंच को मिन्क़ार कहा जाता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ''यह हदीस हसन सहीह है।''

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ صَلَاةِ العَصْرِ

8. नमाज़े अस्र में ताख़ीर करना

161- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ، وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ

161- सय्यदा उम्मे सलमा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) तुम्हारी निस्बत ज़ुहर की नमाज़ में बहुत जल्दी करते थे जबकि तुम लोग आप(ﷺ) की निस्बत अस्र में ज़्यादा जल्दी करते हो।

सहीह मुसनद अहमद: 6/ 289 अबू याला: 7992

तौज़ीह: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ''यह हदीस इस्माईल बिन उलय्या से बतरीक़ इब्ने जरीर अज़ इब्ने अबी मुलैका अज़ सय्यदा उम्मे सलमा (رضي الله عنها) इसी तरह मर्वी है।

162 - وَوَجَدْتُ فِي كِتَابِي، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. (1).

162- और मैंने अपनी किताब में यह भी पाया है कि मुझे अली बिन हुज्र ने बवास्ता इस्माईल बिन इब्राहीम अज़ इब्ने जुरैज खबर दी।

163- وحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَهَذَا أَصَحُّ (1.)

163- और हमें बिश्र बिन मुआज़ ने बयान करते हुए कहा : ''हमें इस्माईल बिन उलय्या ने इब्ने जुरैज से इस सनद के साथ इसी तरह बयान किया और यह ज़्यादा सहीह है।

इन दोनों (162-163) की इस्नाद सहीह हैं, इनकी तहक़ीक़ वही है जो इन दोनों से पिछली हदीस की है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ

9. नमाज़े मगरिब का वक़्त

164 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالحِجَابِ.

164- सय्यदना सलमा बिन अल अक्वा (رضي الله عنه) बयान करते हैं : ''रसूलुल्लाह(ﷺ) मगरिब की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते थे जब सूरज गुरूब हो कर पर्दे में छिप जाता था।''

बुखारी: 541.मुस्लिम: 636.अबू दाऊद:417. इब्ने माजा: 688.

वज़ाहत: मज़कूरा मसले में जाबिर, सनाबिही, ज़ैद बिन ख़ालिद, अनस, राफ़े, इब्ने ख़दीज, अबू अय्यूब, उम्मे हबीबा, अब्बास बिन मुत्तलिब, और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं। जबकि अब्बास (رضي الله عنه) की उनसे मौकूफन रिवायत की गई है और वह सहीह है। और सनाबिही ने नबी(ﷺ) से समाअत नहीं की (बल्कि) वह अबू बक्र (رضي الله عنه) के साथी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सलमा बिन अल अक्वा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنهم) और ताबेईन में से बहुत से उलमा भी नमाज़े मगरिब जल्दी करने को पसंद और ताख़ीर करने को नापसंद करते हैं। बअज (कुछ) उलमा ने तो यहां तक कह दिया है कि नमाज़े मगरिब का एक वक़्त है और उनके मजहब की दलील नबी(ﷺ) को जिब्रील की इमामत वाली हदीस है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक और शाफेई का भी यही कौल है।

11 بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

10. नमाज़े इशा का वक़्त

165- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ

165- सय्यदना नोमान बिन बशीर (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि मैं उस नमाज़ (इशा) के वक़्त को बाकी लोगों से ज़्यादा जानता हूँ, रसूलुल्लाह(ﷺ) इस नमाज़ को तीसरी रात का चाँद गुरूब होने के वक़्त पढ़ते थे।

सहीह अबू दाऊद: 419. निसाई: 528. मुसनद अहमद: 4/272.

तौज़ीह: سقوط : का मानी होता है गिरना, जाइल होना यहाँ गुरूब होने के मानी में है।

166حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

166- हमें अबू बक्र बिन मुहम्मद बिन अबान ने बवास्ता अब्दुर्रहमान बिन महदी अज़ अबू अवाना इस सनद के साथ ऐसी ही हदीस बयान की है। सहीह।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं इस हदीस को हुशैम ने अबी बिश्र से बवास्ता हबीब बिन सालिम अज़ नोमान बिन बिश्र रिवायत किया है। और हुशैम ने बशीर बिन साबित का ज़िक्र नहीं किया।

नीज़ अबू अवाना की हदीस हमारे नज़दीक ज़्यादा सहीह है। क्योंकि यजीद बिन हारून ने बवास्ता शोबा अज़ अबू बिश्र अबू अवाना की रिवायत की तरह रिवायत की है।

12 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

11 इशा की नमाज़ में ताख़ीर करना

167- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ

167- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, ''अगर मैं अपनी उम्मत पर मशक़्क़त नहीं समझता तो मैं उनको हुक्म देता की नमाज़े इशा को तिहाई या आधी रात तक मोअख्खर (देरी) कर दें।

सहीह अबू दाऊद: 46. इब्ने माजा: 690. निसाई: 534.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर बिन समुरा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अबू बर्ज़ा, इब्ने अब्बास, अबू सईद अल ख़ुदरी, ज़ैद बिन खालिद, और अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) के बहुत से उलमा सहाबा और ताबेईन इसी को पसंद करते हुए नमाज़े इशा को मोअख्खर (देरी) करने की राय रखते हैं। इमाम अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है।

12. नमाज़े इशा से पहले सोना और बाद में बातें करना मकरूह है।

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالسَّمَرِ بَعْدَهَا

168- सय्यदना अबू बर्ज़ा (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि नबी(ﷺ) नमाज़े इशा से पहले सोने और इशा के बाद बातें करने को ना पसंद करते थे।

बुखारी: 568. मुस्लिम: 648.अबू दाऊद: 398.इब्ने माजा: 701.निसाई:495.

168- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، قَالَ أَحْمَدُ: وَحَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ هُوَ الْمُهَلَّبِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ جَمِيعًا، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ هُوَ أَبُو الْمِنْهَالِ الرِّيَاحِيُّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ العِشَاءِ، وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا

तौज़ीह: السَّمَرِ : रात की गुफ्तगू रात को कही जाने वाली कहानियां क़िस्सा ख्वानों की मजलिस।

वज़ाहत: इस मसले में आयशा, अब्दुल्लाह बिन मसऊद और अनस (رضي الله عنهم) से भी रिवायात मर्वी हैं।

नीज़ बहुत से उलमा ने नमाज़े इशा से पहले सोने और बाद में बातें करने को मकरूह समझा है और बअ़ज (कुछ) ने इसमें रुख्सत भी दी है।

अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ''कराहत वाली अहादीस ज़्यादा हैं। जबकि बअ़ज (कुछ) उलमा ने रमजानुल मुबारक में नमाज़े इशा से पहले सोने की रुख्सत दी है।

13. इशा के बाद बातें करने की रुख्सत

14 بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

169 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) रात के वक़्त अबू बक्र (ﷺ) से मुसलमानों के इज्तिमाई मुआमलात में गुफ्तगू कर रहे थे और मैं भी उनके साथ था।

सहीह मुसनद अहमद:2/280. अबू याला:194 इब्ने खुजैमा:1156. इब्ने हिब्बान:2034.

169- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُمَا

तौज़ीह: मुसलमानों के इज्तिमाई फवाइद के मुआमलात, मुताला, और वाजो नसीहत के लिए इशा के बाद जागना जायज़ है लेकिन फुज़ूलियात कहना और सुनना हराम है।

इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर, आस बिन हुज़ैफा और इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: उमर की हदीस हसन है। नीज़ हसन बिन उबैदुल्लाह ने इब्राहीम अज़ अल्क़मा के तरीक से एक जोफी आदमी के वास्ते से ; जिसका नाम कैस या इब्ने कैस है, उमर (ﷺ) की नबी(ﷺ) से बयान कर्दा जो हदीस ज़िक्र की है इसमें बड़ा लंबा वाक़िया है।

नबी(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से अहले इल्म का इशा की नमाज़ के बाद बातें करने में इख़्तिलाफ़ है।

बाज़ (कुछ लोग) नमाज़े इशा के बाद बातों को नापसंद करते हैं और बअ़ज (कुछ) ने उस सूरत में रुख्सत दी है कि मक़सद इल्म हासिल करना या ऐसा काम हो जिसकी जरूरत है और ज़्यादातर अहादीस रुख्सत पर हैं। नीज़ नबी(ﷺ) से यह भी मर्वी है कि रात को गुफ्तगू सिर्फ नमाज़ी या मुसाफिर के लिए (जायज़) है।

14. अव्वले वक़्त नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत

15 بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَقْتِ الأَوَّلِ مِنَ الفَضْلِ

170 - सय्यदा उम्मे फर्वा जिनका शुमार नबी करीम(ﷺ) के हाथ पर बैअत करने वाली औरतों में होता है, फ़र्माती हैं कि नबी(ﷺ) से पूछा गया कौन सा अमल सबसे बढ़कर

170- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ العُمَرِيِّ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ

عَمَّتِهِ أُمِّ فَرْوَةَ، وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلاَةُ لأَوَّلِ وَقْتِهَا.

फ़ज़ीलत वाला है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''नमाज़ को अव्वले वक़्त में अदा करना।''

171- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الجُهَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا عَلِيُّ، ثَلاَثٌ لاَ تُؤَخِّرْهَا: الصَّلاَةُ إِذَا آنَتْ، وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئًا.

171- सय्यदना अली इब्ने अबी तालिब (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने उनसे फ़रमाया, ''ऐ अली ! तीन कामों में देर मत करना, नमाज़ में जब उसका वक़्त आ जाए और जब जनाजा आ जाए और बेवा (के निकाह करने में देर ना करना) जब तुझे इसके लिए कोई बराबर (का रिश्ता) मिल जाए।

तौज़ीह: آنَتْ : बअ़ज (कुछ) नुस्खों में اَتَتْ : का लफ़्ज़ भी है। अल्लामा अहमद शाकिर (رحمه الله) कहते हैं : ''दोनों का मतलब एक ही है वक़्त आ जाए या हो जाए।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं यह हदीस गरीब हसन है।

172-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الوَقْتُ الأَوَّلُ مِنَ الصَّلاَةِ رِضْوَانُ اللهِ، وَالوَقْتُ الآخِرُ عَفْوُ اللَّهِ.

172- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''नमाज़ का अव्वले वक़्त अल्लाह की रज़ामंदी (हासिल करने का जरिया) है और आखिरी वक़्त अल्लाह की तरफ़ से मुआफ़ी है।

मौज़ू:हाकिम: 1/ 189. बैहक़ी: 1/ 135.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं यह हदीस गरीब है और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) ने भी नबी(ﷺ) से ऐसे ही रिवायत की है।

नीज़ इस मसले में अली, अब्दुल्लाह बिन उमर, आयशा और अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) कहते हैं: उम्मे फर्वा (رضی اللہ عنہا) की हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर अल उमरी से ही रिवायत की गई है और वह मुहद्दिसीन के नज़दीक एक क़वी (रावी) नहीं है और मुहद्दिसीन ने उसकी तरफ़ से इसी हदीस में इज़्तिराब ज़िक्र किया है। हालांकि यह रावी सच्चा है और (सिर्फ) यहया बिन सईद ने उसके हाफ़िज़ा के बारे में क़लाम किया है।

173-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ العَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا، قُلْتُ: وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ، قُلْتُ: وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَالجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

173- अबू अम्र अश्शैबानी से रिवायत है कि एक आदमी ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضی اللہ عنہ) से पूछा कि कौन सा अमल सबसे अफ़ज़ल है उन्होंने फ़रमाया, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से इसी के बारे में सवाल किया था तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया था: ''नमाज़ को उसके वक्तों में अदा करना।''मैंने कहा और कौन सा (अमल अफज़ल है) ? ऐ अल्लाह के रसूल! ? (तो) आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''वालिदैन के साथ नेकी करना।''मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! और कौन (सा अमल अफ़ज़ल है) आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना।''

बुखारी:527. मुस्लिम: 65. निसाई: 610.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है और मस्ऊदी, शोबा और सुलैमान अबू इस्हाक़ अश्शैबानी वग़ैरह ने भी वलीद बिन ईज़ार से यह हदीस बयान की है।

174- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً لِوَقْتِهَا الآخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ.

174 - सय्यदा आयशा फ़रमाती हैं, ''नबी(ﷺ) ने कभी भी अपनी वफात तक दो मर्तबा भी कोई नमाज़ आखिरी वक़्त में नहीं पढ़ी।''

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (रहि।) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन गरीब है और इसकी सनद मुत्तसिल नहीं है।

इमाम शाफेई (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ''नमाज़ पहले वक़्त में अदा करना अफ़ज़ल है आखरी वक़्त की बजाये अव्वल में फ़ज़ीलत की दलील नबी(ﷺ) और अबू बक्र व उमर (رضي الله عنهما) का इस अमल को इख़्तियार करना है। क्योंकि यह लोग अफ़ज़ल काम ही को इख़्तियार करते थे। फ़ज़ीलत वाली चीज को छोड़ते नहीं थे और नमाज़ अव्वले वक़्त में पढ़ते थे।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमें यह बात अबुल वलीद अल मक्की ने इमाम शाफेई (رحمه الله) की तरफ़ से बयान की है।

16 بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ العَصْرِ

15. नमाजे अस्र को वक़्त पर पढ़ना भूल जाना.

175- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ العَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

175- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنهما) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जिसकी अस्र की नमाज़ रह गई तो गोया उसका अहल और माल लूट लिया गया।''

बुखारी: 552. मुस्लिम:626.

वज़ाहत: इस मसले में बुरैदा और नोफ़िल बिन मुआविया (رضي الله عنهما) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنهما) की हदीस हसन सहीह है।

नीज़ ज़ोहरी ने भी इसी तरह सालिम बिन अब्दुल्लाह से अपने बाप अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنهما) के वास्ते से नबी(ﷺ) की हदीस रिवायत की है।

17 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الصَّلاَةِ إِذَا أَخَّرَهَا الإِمَامُ

16 जब इमाम जान बूझकर नमाज़ को ताख़ीर करे तो जल्दी अदा कर लेना.

176- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

176- सय्यदना अबू ज़र (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया : ''ऐ अबू ज़र! मेरे बाद ऐसे उमरा भी होंगे जो नमाज़ को ज़ाया कर लेंगे, तुम नमाज़ को वक़्त पर पढ़ लेना। अगर वह (जमात के साथ) वक़्त पर अदा कर ली

الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ، فَصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ صُلِّيَتْ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً، وَإِلاَّ كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلاَتَكَ

गई तो यह तेरे लिए नफ़ल हो जाएगी। वगरना तुम अपनी नमाज़ को महफ़ूज़ कर चुके होगे।

मुस्लिम: 648. अबू दाऊद:431.इब्ने माजा: 1256. निसाई: 778.

तौज़ीह: أُمَرَاءُ: امير : अमीर की जमा उमरा है यानी हाकिमीने वक़्त जो सुन्नत की परवाह नहीं करेंगे। يُمِيتُونَ: लुग्वी मानी : वह मार डालेंगे। यानी नमाज़ों को ताख़ीर करने की वजह से ज़ाया कर लेंगे। أَحْرَزْتَ: समेट लेना महफ़ूज़ कर लेना।

वज़ाहत: मज़कूरा मसला में अब्दुल्लाह बिन मसऊद और उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू ज़र (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

बहुत से उलमा भी इसी चीज को मुस्तहब क़रार देते हुए कहते हैं कि जब इमाम नमाज़ को ताख़ीर के साथ पढ़ता हो तो अगर कोई शख़्स वक़्त पर नमाज़ पढ़ ले और फिर इमाम के साथ भी पढ़ ले तो ज़्यादातर उलमा के नज़दीक़ पहली नमाज़ फर्ज शुमार होगी। अबू इमरान अल जूनी का नाम अब्दुल मलिक बिन हबीब है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ عَنِ الصَّلاَةِ

17. नमाज पढ़े बगैर सो जाना.

- 177حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

177.. सय्यदना अबू क़तादा (رضي الله عنه) बयान करते हैं की सहाबा किराम ने नबी ﷺ से नमाज़ पढ़े बगैर अपने सो जाने का जिक्र किया तो आप ﷺ ने फ़रमाया, ''सो जाने (की वजह से नमाज़ छोड़ने या ताख़ीर करने में) कुसूर नहीं है। कुसूर तो जागने (की हालत में नमाज़ को देर करने) में है। पस जब कोई शख़्स नमाज़ पढ़ना भूल जाए या (पढ़े बगैर) सो जाए तो जब उसे याद आए तब पढ़ ले।

मुस्लिम: 681. अबू दाऊद: 437 इब्ने माजा: 698. निसाई:616.

तौज़ीह: التَّفْرِيطَ : किसी चीज़ का ज़ाया, कमी, कोताही, हद से ज़्यादा कमी। الْيَقْظَةِ : हालात बेदारी, जागने की हालत।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अबू मरयम, इमरान बिन हुसैन, जुबैर बिन मुतइम, अबू जुहैफा, अबू सईद, अम्र बिन उमैया अज्ज़मरी और ज़ी मिख़्बर (رضي الله عنه) से भी; जिनको ज़ी मिख्मर भी कहा गया है, रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू क़तादा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और जो शख़्स नमाज़ पढ़े बग़ैर सो जाए या पढ़ना भूल जाए फिर ऐसे वक़्त में बेदार हो या ऐसे वक़्त में उसे याद आए जो नमाज़ का वक़्त नहीं यानी सूरज तुलूअ या गुरूब होते वक़्त तो ऐसे आदमी के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है।

बाज़ कहते हैं: ''जब भी वह बेदार हो या याद आ जाए तो नमाज़ पढ़ ले, चाहे सूरज के तुलूअ या गुरूब होने का वक़्त ही क्यों ना हो।''

यह इमाम अहमद, इस्हाक़, शाफेई और मालिक (رحمه الله) का कौल है। बअ़ज (कुछ) कहते हैं कि जब तक सूरज तुलूअ या गुरूब ना हो नमाज़ न पढ़े।

131 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلَاةَ

19. जो शख़्स नमाज़ पढ़ना ही भूल जाए.

178 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

178- सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ)ने फ़रमाया, ''जो शख़्स नमाज़ पढ़ना भूल जाए तो उसे जब याद आए उसी वक़्त पढ़ ले।''

बुखारी: 597.मुस्लिम:684 अबू दाऊद: 442 इब्ने माजा:695 निसाई:613.

वज़ाहत: इस मसले में समुरा और अबू क़तादा (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं सय्यदना अनस (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और सय्यदना अली बिन अबी तालिब से मर्वी है कि उन्होंने नमाज़ (पढ़ना) भूल जाने वाले शख़्स के बारे में फ़रमाया, ''उसे जब याद आ जाए नमाज़ का वक़्त हो या ना हो वह नमाज़ पढ़ ले।''और इमाम शाफेई अहमद बिन हंबल और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है।

नीज़ मर्वी है कि अबू बक्र (رضي الله عنه) नमाजे अस्र पढ़े बग़ैर सो गए और गुरूबे आफताब के वक़्त बेदार हुए तो जब तक सूरज गुरुब न हुआ उन्होंने नमाज़ नहीं पढ़ी। बअ़ज (कुछ) अहले कूफा का यही मज़हब है। लेकिन हमारे मुहद्दिसीन साथी सय्यदना अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) के कौल की तरफ़ गए हैं।

20 जिस शख़्स की नमाज़ें रह जाए वह किस नमाज़ से इब्तिदा करे.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الصَّلَوَاتُ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ

179- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ

179- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (﵁) बयान करते हैं: ''खंदक के दिन मुशरिकीन ने नबी(ﷺ) को चार नमाज़ें पढ़ने से रोके रखा, यहां तक कि जो अल्लाह को मंजूर था, रात का हिस्सा भी गुजर गया, आप(ﷺ) ने बिलाल को हुक्म दिया उन्होंने अज़ान कही। फिर इक़ामत कही तो आप(ﷺ) ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई, फिर इक़ामत कही तो आप(ﷺ) ने अस्र की नमाज़ पढ़ाई फिर इक़ामत कही तो आप(ﷺ) ने मगरिब की नमाज़ पढ़ाई। फिर इक़ामत कही तो आप(ﷺ) ने इशा की नमाज़ पढ़ाई।

हसन: 239. निसाई: 622. मुसनद तयालिसी: 333 मुसनद अहमद: 1/375

वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद और जाबिर (﵁) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह (﵁) की हदीस की सनद में कोई मुज़ायक़ा नहीं है मगर अबू उबैदा ने अब्दुल्लाह (﵁) से सिमाए हदीस नहीं किया।

नीज़ अहले इल्म फौत शुदा नमाज़ों में इसी तरीक़े को इख़्तियार करते हैं कि आदमी जब क़ज़ा दे तो हर नमाज़ के लिए इक़ामत कहे और अगर इक़ामत नहीं भी कहता तो जायज़ है, यह कौल शाफेई का है।

180-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ

180- सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (﵁) से रिवायत है कि उमर बिन खत्ताब (﵁) ने खंदक के दिन कुफ्फ़ारे कुरैश को गालियां देते हुए कहा: ''ऐ अल्लाह के रसूल! यहां तक कि सूरज गुरूब हो गया और मैं (अभी तक) अस्र की नमाज़ नहीं पढ़ सका। ''रसूलुल्लाह(ﷺ)

الخَطَّابِ، قَالَ يَوْمَ الخَنْدَقِ وَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كِدْتُ أُصَلِّي العَصْرَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَاللَّهِ إِنْ صَلَّيْتُهَا، قَالَ: فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَوَضَّأْنَا، فَصَلَّى رَسُولُ ﷺ العَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ

ने फ़रमाया, अल्लाह की क़सम! मैंने भी नमाज़ नहीं पढ़ी (रावी हदीस) कहते हैं: हम (मदीना के मैदान) बुत्हान में उतरे, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने वुज़ू किया और हमने भी वुज़ू किया। फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सूरज गुरूब होने के बाद अस्र की नमाज़ और इसके बाद मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई।

बुखारी: 596. मुस्लिम:631. निसाई:1366.

तौज़ीह: بُطْحَانَ : खुली और वसीअ़ जगह को बुत्हान कहा जाता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الوُسْطَى أَنَّهَا العَصْرُ وَقَدْ قِيلَ أَنَّهَا الظُّهْرُ

21 दर्मियानी नमाज़ (से मुराद) अस्र की नमाज़ है नीज़ यह भी कहा गया है कि ज़ुहर की नमाज मुराद है

181- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَبُو النَّضْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ الهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: صَلَاةُ الوُسْطَى صَلَاةُ العَصْرِ

181- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलूल्लाह{ﷺ} ने फ़र्माया: ''दर्मियानी नमाज़ अस्र की नमाज़ है।''

मुस्लिम: 628. इब्ने माजा:686.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

182- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الوُسْطَى صَلَاةُ العَصْرِ

182- सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, दर्मियानी नमाज़ अस्र की नमाज़ है।

सहीह लिगैरिही: अल-मिश्कात:634. मुसनद अहमद:5/7.

वज़ाहत: इस मसले में अली, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, ज़ैद बिन साबित, आयशा, हफ़्सा, अबू हुरैरा और अबू हाशिम बिन उतबा (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: कि इमाम मुहम्मद (बिन इस्माईल बुखारी) फ़रमाते हैं कि अली बिन अब्दुल्लाह कहते हैं: ''हसन की समुरा बिन जुन्दुब (رضي الله عنه) से बयान कर्दा हदीस हसन है और उन्होंने उनसे सुनी भी है।

इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं नमाज़े वुस्ता के बारे में समुरा की बयान कर्दा हदीस हसन है। नबी(ﷺ) के अक्सर अहले इल्म सहाबा का यही कौल है।

ज़ैद बिन साबित और आयशा (رضي الله عنهما) फ़रमाती हैं कि दर्मियानी नमाज़ (से मुराद) नमाज़े ज़ुहर है।

अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنهما) फ़रमाते हैं। दर्मियानी नमाज़ सुबह की नमाज़ है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं हमें अबू मूसा मुहम्मद बिन मुसन्ना ने बयान किया कि हमें क़ुरैश बिन अनस ने हबीब बिन शहीद की तरफ़ से बयान किया कि मुहम्मद बिन सीरीन ने मुझसे फ़र्माया हसन बसरी (رحمه الله) से पूछो कि उन्होंने अक़ीक़े की हदीस किस से सुनी है। मैंने पूछा तो (हसन) ने फ़र्माया : मैंने समुरा बिन जुन्दुब (رضي الله عنه) से सुनी थी।

قَالَ أبو عيسوأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيّ، عَنْ قُرَيْشِ بْنِ أَنَسٍ، بِهَذَا الحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ عَلِيٌّ: وَسَمَاعُ الحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ، وَاحْتَجَّ بِهَذَا الحَدِيثِ.

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं : मुझे मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी) ने अली बिन अब्दुल्लाह बिन मदीनी के वास्ते से क़ुरैश बिन अनस की यह हदीस बयान की।

इमाम मुहम्मद बुखारी (رحمه الله) का कौल है कि अली बिन मदीनी फ़रमाते हैं हसन बसरी (رحمه الله) का समुरा (رضي الله عنه) से सिमा (सुनना) सहीह है और इस हदीस को बतौर हुज्जत लेते थे।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ وَبَعْدَ الفَجْرِ

22. अस्र और फज्र के बाद नमाज़ पढ़ना मना है।

183- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ،

183.. सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنهما) फ़रमाते हैं मैंने नबी(ﷺ) के बहुत से

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَيَّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

सहाबा किराम से इस हदीस को सुना जिन में उमर बिन ख़त्ताब (رضی اللہ عنہ) भी शामिल हैं और उमर (رضی اللہ عنہ) मुझे सबसे ज़्यादा महबूब हैं (उमर (رضی اللہ عنہ)) कहते हैं : ''रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फज्र के बाद सूरज तुलूअ होने तक कोई नमाज़ पढ़ने से मना किया और अस्र के बाद गुरूबे आफताब तक नमाज़ पढ़ने से मना किया।''

बुखारी: 581.मुस्लिम: 826. अबू दाऊद: 1276. इब्ने माजा: 1250. निसाई: 562.

वज़ाहत: इस मसले में अली, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, उक़्बा बिन आमिर, अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन उमर, समुरा बिन जुन्दुब, अब्दुल्लाह बिन अम्र, मुआज़ बिन अफ़रा अस्सनाबिही उन्होंने नबी(ﷺ) से समाअत नहीं की, सलमा बिन अक्वा, ज़ैद बिन साबित आयशा, काब बिन मुर्रा, अबू उमामा उमर बिन अबसा, यअला बिन उमय्या और मुआविया (رضی اللہ عنہ) से भी रिवायात मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं : अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضی اللہ عنہ) की उमर (رضی اللہ عنہ) से बयान कर्दा हदीस हसन सहीह है। नबी(ﷺ) के सहाबा और बाद के लोगों में से अक्सर फ़ुकहा ने नमाज़े फज्र के बाद सूरज निकलने और अस्र के बाद सूरज गुरूब होने से पहले नमाज़ पढ़ने को मकरूह कहा है लेकिन जो नमाज़ें रह गई हों तो अस्र और सुबह के बाद उनकी क़ज़ा हो सकती है। अली बिन मदीनी कहते हैं यहया बिन सईद का कहना है कि शोबा फ़रमाते थे कि क़तादा ने अबुल आलिया से सिर्फ तीन हदीसें सुनी हैं (1) सय्यदना उमर (رضی اللہ عنہ) की हदीस कि नबी(ﷺ) ने फज्र और अस्र के बाद तुलू और गुरूब होने तक नमाज़ पढ़ने से मना किया। (2) अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضی اللہ عنہ) की हदीस कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया किसी शख़्स के लिए यह कहना जायज़ नहीं है कि मैं यूनुस बिन मत्ता से बेहतर हूँ। (3) सय्यदना अली (رضی اللہ عنہ) की हदीस कि काजी तीन क़िस्म के होते हैं।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

23. नमाज़े अस्र के बाद कोई नमाज़ पढ़ना

184- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

184- सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं नबी(ﷺ) ने अस्र के बाद 2 रकअतें इसलिए पढ़ी थीं कि आप(ﷺ) के पास सदक़ा या जिज़्या का माल आया था

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، لِأَنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ فَشَغَلَهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا.

उसकी तक़सीम ने आप(ﷺ) को ज़ुहर के बाद वाली दोनों रकअतों से रोक दिया था तो आप(ﷺ) ने उन्हें अस्र के बाद पढ़ा फिर आप(ﷺ) ने दोबारा कभी ऐसे नहीं किया।''

ज़ईफ़ुल इस्नाद: और ثم لم يعدلها (फिर दोबारा ऐसे नहीं किया) का कौल मुन्कर है। इब्ने हिब्बान:1575. तोहफतुल अशराफ़:5573.

वज़ाहत: इस मसले में आयशा, उम्मे सलमा, मैमूना और अबू मूसा (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : अब्दुल्लाह बिन अब्बास की हदीस हसन है। नीज़ बहुत से रावियों ने नबी(ﷺ) से रिवायत की है कि आप(ﷺ) ने अस्र के बाद दो रकअतें पढ़ी हैं जबकि यह रिवायत अस्र के बाद सूरज गुरूब होने तक नमाज़ पढ़ने की मुमानअत वाली हदीस के मुख़ालिफ़ है। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास की हदीस ज़्यादा सहीह है कि और आप(ﷺ) ने फिर दोबारा कभी ऐसा न किया।

सय्यदना ज़ैद बिन साबित (رضي الله عنه) से भी अब्दुल्लाह बिन अब्बास की हदीस जैसी हदीस रिवायत की गई है। नीज़ सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से भी इस मसले में कुछ अहादीस रिवायत की गई हैं। और इन से यह भी रिवायत की गई है कि नबी(ﷺ) जब भी अस्र के बाद उनके पास आते तो आप(ﷺ) दो रकअतें पढ़ते थे।

और उम्मे सलमा से मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने अस्र के बाद सूरज गुरूब होने तक और फज्र के बाद सूरज तुलूअ होने तक नमाज़ पढ़ने से मना किया है। अक्सर अहले इल्म जिस बात पर जमा हैं वह यह है कि अस्र के बाद सूरज गुरूब होने और फज्र के बाद तुलूअ होने तक नमाज़ मना है। सिवाए उन जगहों के जहां इजाज़त है। मसलन अस्र के बाद गुरूबे आफताब तक और फज्र के बाद तुलूए आफ़ताब तक मक्का में तवाफ़ के बाद नमाज़ पढ़ना क्यों कि नबी(ﷺ) से इस बारे में रुख्सत साबित है।

नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से उलमा की एक जमाअत का यही कौल है जबकि शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) भी यही कहते हैं। और नबी(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से उलमा की एक जमाअत ने मक्का में भी अस्र और फज्र के बाद नमाज़ को मकरूह क़रार दिया है नीज़ सुफ़ियान सौरी, मालिक बिन अनस और बअ़ज (कुछ) अहले कूफा का भी यही कौल है।

24. मगरिब से पहले नफ़ल नमाज़ पढ़ना.

136-بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

185- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

185- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया : ''हर दो अज़ानों (यानी अज़ान और इक़ामत) के दर्मियान जो शख़्स (पढ़ना) चाहे (उसके लिए) नमाज़ है। ''

बुखारी:624. मुस्लिम: 838.अबू दाऊद: 1283. इब्ने माजा:1162.निसाई:681.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा का मगरिब से पहले की नफ़ल नमाज़ में इख़्तिलाफ़ है। बअ़ज (कुछ) मगरिब से पहले नमाज़ जायज़ नहीं कहते।

और नबी(ﷺ) के बहुत से सहाबा किराम (رضي الله عنهم) से मर्वी है कि वह नमाज़े मगरिब से पहले अज़ान और इक़ामत के दर्मियान दो रकअतें पढ़ते थे।

अहमद और इस्हाक़ (رحمهما الله) फ़रमाते हैं: ''अगर दो रकअतें पढ़ ले तो बहुत अच्छा है। ''यानी यह उनके नज़दीक मुस्तहब अमल है।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ

25. जिस शख़्स को सूरज गुरूब होने से पहले अस्र की एक रकअत पढ़ने का वक़्त मिल जाए.

186- حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنْ الأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

186- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जिस शख़्स ने सूरज निकलने से पहले सुबह की नमाज़ से एक रकअत पा ली तो गोया उसने सुबह की नमाज़ के सवाब को पा लिया और जिसने सूरज गुरूब होने से पहले नमाज़े अस्र की एक रकअत को पढ़ने का मौका पा लिया

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

गोया उसने अस्र की नमाज़ को पा लिया।

बुखारी: 556. मुस्लिम: 608. अबू दाऊद: 412. इब्ने माजा: 699. निसाई: 514, 517.

तौज़ीह: أَدْرَكَ : किसी चीज को पा लेना, हासिल कर लेना, या किसी मक़सद को पहुंच जाना, यानी जिसके पास गुरूबे आफताब से पहले एक रकअत पढ़ने का वक़्त है वह अस्र को पढ़ ले।

वज़ाहत: इस मसले में आयशा से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ हमारे (मुहद्दिसीन) साथी, इमाम शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمہم اللہ) भी यही कहते हैं। और उनके नज़दीक़ इस हदीस का मतलब यह है कि जिस आदमी को कोई उज़्र हो जैसे कोई आदमी नमाज़ पढ़ना भूल जाये य सो जाए तो वह गुरूबे आफताब के वक़्त बेदार हो या उसे याद आये तो वह पढ़ ले।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْحَضَرِ

26. हज़र में दो नमाज़ें जमा करना.

187- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ، قَالَ: فَقِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ

187 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मदीना में ज़ुहर, अस्र और मगरिब और इशा को जमा किया जबकि न दुश्मन का खौफ था और ना ही बारिश। सईद बिन जुबैर कहते हैं: ''अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضی اللہ عنہ) से पूछा गया कि नबी(ﷺ) का यह काम करने का मक़सद क्या था तो फ़रमाने लगे : ''इसलिए कि आप(ﷺ) अपनी उम्मत को हर्ज में ना डालें।''

बुखारी:543. मुस्लिम:705. अबू दाऊद: 1210 निसाई: 589.

तौज़ीह: हज़र से मुराद जब आदमी अपने घर और इलाक़ा में मुक़ीम हो, सफ़र पर न हो।

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अब्बास की हदीस को कई तुरुक से रिवायत किया गया है। इसे जाबिर बिन ज़ैद, सईद बिन जुबैर और अब्दुल्लाह बिन शकीक़ अल उक़ैली ने भी रिवायत किया है। नीज़ अब्दुल्लाह बिन अब्बास से इस के अलावा भी नबी(ﷺ) से रिवायत की गई है।

188- حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ

188- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जिस ने बगैर उज्र के दो नमाज़ों को जमा किया तो वह कबीरा गुनाहों के दरवाजे में से एक दरवाजा को आया।''

ज़ईफ़ जिद्दा: अबू याला: 2751. दार कुत्नी: 1/395.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: (इस रिवायत में ज़िक्रकर्दा) हनश नामी रावी, अबू अली रहबी है यह वही हनश बिन कैस है। जो मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। इमाम अहमद (رحمه الله) वग़ैरह ने इसे ज़ईफ़ कहा है।

नीज़ उलमा का इस बात पर अमल है कि सिवाए सफ़र या अरफ़ा के दो नमाज़ों को जमा न किया जाये।

ताबेईन में से बअ़ज (कुछ) उलमा ने मरीज़ को भी दो नमाज़ें जमा करने की इजाज़त दी है। इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है।

बाज़ उलमा कहते हैं : बारिश में दो नमाज़ें जमा कर सकता है, इमाम शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है। नीज़ इमाम शाफेई मरीज़ के लिए दो नमाज़ें जमा करना दुरुस्त नहीं समझते।

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَدْءِ الأَذَانِ

27. अज़ान की इब्तिदा का बयान.

189- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ،

189- मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की अपने बाप से रिवायत है वह (अब्दुल्लाह बिन ज़ैद) फ़रमाते हैं: ''जब सुबह हुई तो हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आए मैंने आप(ﷺ) को अपना ख़्वाब सुनाया तो आप ने फ़रमाया, ''बेशक यह एक सच्चा ख़्वाब है। पस तू

قَالَ: لَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالرُّؤْيَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٍّ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى وَأَمَدُّ صَوْتًا مِنْكَ، فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ، وَلْيُنَادِ بِذَلِكَ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِدَاءَ بِلَالٍ بِالصَّلَاةِ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، فَذَلِكَ أَثْبَتُ

बिलाल के साथ खड़ा हो वह तुझसे बुलंद और लंबी आवाज़ वाला है जो तुझे (ख़्वाब) में कहा गया है तु उसे सुना वह उन कलिमात के साथ ऐलान करेगा। (रावी) कहते हैं जब सय्यदना उमर (رضي الله عنه) ने नमाज़ के लिए बिलाल की अज़ान सुनी तो अपनी चादर खींचते हुए रसूलुल्लाह(ﷺ) की तरफ़ निकले और कह रहे थे ऐ अल्लाह के रसूल उस की क़सम जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस किया है जो कलिमात बिलाल ने कहे हैं, मैंने भी (ख़्वाब में) देखे हैं, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''पस अल्लाह के लिए तारीफ़ है यह मज़ीद पक्की बात है (यानी दो ख़्वाबों से इस के हक़ में होने में मज़ीद ताकीद पैदा हो गई है)।

हसन: अबू दाऊद: 499.इब्ने माजा: 706. मुसनद अहमद:4/42.दारमी:1190.

तौज़ीह: (1) उनको ख़्वाब में एक शख़्स ने नमाज़ के लिए लोगों को जमा करने से मुताल्लिक़ अज़ान का तरीक़ा सिखाया था। (2) أَنْدَى : जो अपनी आवाज़ को दूर तक पहुंचा सके।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنهما) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ इब्राहीम बिन साद ने मुहम्मद बिन इस्हाक़ से रिवायत करते हुए इस हदीस को मुकम्मल और मुतव्वल (लम्बी) बयान किया है और इस में बयान किया है कि अज़ान के कलिमात दो दो थे और इक़ामत का एक एक और और यह अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दे रब्बिही हैं अब्दे रब्बिही भी कहा गया है और हमारे इल्म में इनकी सिवाए इस अज़ान की एक हदीस की और कोई हदीस नबी(ﷺ) से साबित नहीं है और अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम अल माजिनी नबी(ﷺ) से काफी अहादीस रिवायत करते हैं और अब्बाद बिन तमीम के चचा थे।

190- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ

190- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنهما) फ़रमाते हैं: ''कि मुसलमान जब मदीना में आए तो वह जमा होकर नमाज़ों के लिए वक़्त का अंदाजा लगाते थे कोई इसके लिए अज़ान

جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَوَاتِ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلاَ تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلاَةِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِلاَلُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ.

नहीं देता था, एक दिन इस मामले में बात करते हुए किसी ने कहा ईसाईयों के नाक़ूस की तरह एक नाक़ूस बना लो और किसी ने कहा कि यहूदियों के सींग की तरह एक सींग बना लो (रावी हदीस) कहते हैं उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) ने कहा तुम एक आदमी को क्यों नहीं भेज देते कि वह नमाज़ का ऐलान कर दे तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''ऐ बिलाल खड़े हो जाओ लोगों को नमाज़ के लिए आवाज़ दो।''

बुखारी: 604. मुस्लिम: 377. निसाई: 626.

तौज़ीह: نَاقُوس : ईसाईयों का घंटा जिसे वह अपनी इबादत के वक़्त बजाते हैं, हिंदुओं की पूजा के वक़्त बजाया जाने वाला शंख उसकी نواقيس जमा आती है। قرن : सींग, यहूदी लोगों को इबादत के लिए जमा करते तो उसमें आवाज़ लगाते थे।

वज़ाहत: अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) की तरफ़ से बयान कर्दा यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرْجِيعِ فِي الأَذَانِ

28. अज़ान में तर्जीअ (यानी दोहरी अज़ान)

191-حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، وَجَدِّي جَمِيعًا، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْعَدَهُ، وَأَلْقَى عَلَيْهِ الأَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا قَالَ إِبْرَاهِيمُ: مِثْلَ أَذَانِنَا، قَالَ بِشْرٌ: فَقُلْتُ لَهُ: أَعِدْ عَلَيَّ، فَوَصَفَ الأَذَانَ بِالتَّرْجِيعِ

191- सय्यदना अबू मह्ज़ूरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनको बिठा कर हर्फ़- ब- हर्फ़ अज़ान सिखाई (राविए हदीस) बिश्र कहते हैं मैंने इब्राहीम से कहा मुझे दोबारा सुनाओ तो उन्होंने तर्जीअ के साथ अज़ान बयान की।

सहीह: अबू दाऊद: 504. निसाई: 629. इब्ने खुजैमा:387.

तौज़ीह: التَّرْجِيع : अज़ान में اشهد ان لا إله إلا الله और اشهدُ أن محمدا رسول الله। के कलिमात दो दफ़ा आहिस्ता कहने के बाद दोबारा बुलंद आवाज़ से कहना, उर्फ़े आम में इसे दोहरी अज़ान कहा जाता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं अज़ान के मुताल्लिक अबू मह्ज़ूरा की हदीस सहीह है और उनसे कई तुरुक (सनदों) के साथ मर्वी है। नीज़ मक्का में इसी पर अमल है और इमाम शाफेई (رحمه الله) का भी यही मौक़िफ़ है।

192- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً

192- सय्यदना अबू मह्ज़ूरा (رضي الله عنه) से रिवायत है : कि नबी(ﷺ) ने उन्हें अज़ान की उन्नीस और इक़ामत के सत्तरह कलिमात सिखाये।

हसन सहीह अबू दाऊद: 502. इब्ने माजा: 709. निसाई:387.

तौज़ीह: (1) यहाँ दोहरी अज़ान के साथ दोहरी इक़ामत मुराद है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं : यह हदीस हसन सहीह है अबू मह्ज़ूरा का नाम समुरा बिन मेअ़यर (رضي الله عنه) है बअ़ज (कुछ) अहले इल्म इस अज़ान (की मश्रूइयत) की तरफ़ गए हैं। नीज़ अबू मह्ज़ूरा से यह भी मर्वी है कि वह इक़ामत के कलिमात एक एक मर्तबा भी कह लेते थे।

141 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِفْرَادِ الإِقَامَةِ

29 इक़ामत के कलिमात को एक एक मर्तबा कहना

193-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ.

193- सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि बिलाल (رضي الله عنه) को हुक्म दिया गया था वह अज़ान के कलिमात दो- दो मर्तबा और इक़ामत के कलिमात एक- एक मर्तबा कहें।

बुखारी: 603.. मुस्लिम: 378. अबू दाऊद: 508. इब्ने माजा: 729. निसाई: 627.

वजाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं अनस (رضی اللہ عنہ) की (बयान कर्दा) हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(صلی اللہ علیہ وسلم) के सहाबा और ताबेईन में से कुछ उलमा का यही कौल है। इमाम मालिक, शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمہ اللہ) भी यही कहते हैं।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الإِقَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى

30. इक़ामत के कलिमात दो दो मर्तबा कहना.

194- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

194- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (رضی اللہ عنہ) कहते हैं रसूलुल्लाह(صلی اللہ علیہ وسلم) की अज़ान और इक़ामत में कलिमात दो दो दफ़ा होते थे।

ज़ईफ़ जिद्दा: इब्ने खुजैमा: 380. दार कुत्नी: 1/ 240.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की हदीस को वकीअ ने आमश से बवास्ता अम्र बिन मुर्रा अज़ अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रिवायत किया है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने अज़ान ख़्वाब में देखी थी। शोबा उमर के वास्ते से अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से बयान करते हैं कि उन्होंने कहा : ''हमें रसूलुल्लाह(صلی اللہ علیہ وسلم) के सहाबा ने बयान किया है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने ख़्वाब में अज़ान देखी थी यह इब्ने लैला की (पहली) हदीस से ज़्यादा सहीह है और अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला का अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (رضی اللہ عنہ) से सिमा (सुनना) साबित नहीं। बअ़ज (कुछ) उलमा कहते हैं कि अज़ान और इक़ामत के कलिमात दो दो मर्तबा कहे जाएँ। सुफ़ियान सौरी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक और अहले कूफा भी यही कहते हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: इब्ने अबी लैला, मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला हैं, जो कूफा के क़ाज़ी थे उन्होंने अपने वालिद से (हदीस की) समाअत नहीं की, मगर एक आदमी के वास्ते से अपने बाप से रिवायत करते हैं।

31. अज़ान ठहर ठहर कर कहना.

143 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرَسُّلِ فِي الأَذَانِ

-195 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ، وَهُوَ صَاحِبُ السِّقَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلاَلٍ: يَا بِلاَلُ، إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي.

195- सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बिलाल से फ़रमाया, ''ऐ बिलाल जब तुम अज़ान कहो तो ठहर- ठहर कर अज़ान के कलिमात अदा करो और जब इक़ामत कहो तो कलिमात जल्दी- जल्दी अदा करो। नीज़ अपनी अज़ान और इक़ामत में इस क़दर वक्फ़ा रखो कि खाना खाने वाला खाने, पीने वाला पीने से फ़ारिग़ हो जाए और बैतूल खला में जाने वाला अपनी जरूरियात से (फ़ारिग़ हो जाए) और जब तक तुम लोग मुझे ना देखो (नमाज़ के लिए) खड़े ना हुआ करो।

ज़ईफ़ जिद्दा: हाकिम: 1/204. अल-कामिल ले इब्ने अदी:7/2649.

तौज़ीह: (1) ठहर-ठहर कर खुश उस्लूबी से पढ़ना, खुश इल्हानी (अच्छी आवाज़) और हुरूफ़ की सहीह अदायगी के साथ पढ़ना। (2) जल्दी-जल्दी : तर्सील से कुछ तेज़ पढ़ने को हदर कहते हैं जैसे नमाज़े तरावीह में क़ुरआन पढ़ा जता है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ، نَحْوَهُ.

196.. हमें अब्द बिन हुमैद ने हदीस बयान की (वह कहते हैं) हमें यूनुस बिन मुहम्मद ने अब्दुल मुनइम के वास्ते से इसी तरह की हदीस बयान की।

यह हदीस भी ज़ईफ़ है जैसा कि इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) **वज़ाहत** कर रहे हैं.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हमें सिर्फ उसी सनद से बवास्ता अब्दुल मुनइम ही मिली है जबकि यह सनद मजहूल है और अब्दुल मुनइम एक बसरी बुज़ुर्ग है।

32. अज़ान के वक़्त उंगलियाँ कानों में डालना.

144 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِدْخَالِ الإِصْبَعِ فِي الأُذُنِ عِنْدَ الأَذَانِ

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ وَيُتْبِعُ فَاهُ هَاهُنَا، وَهَاهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ، أُرَاهُ قَالَ: مِنْ أَدَمٍ، فَخَرَجَ بِلاَلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا بِالبَطْحَاءِ، فَصَلَّى إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الكَلْبُ وَالحِمَارُ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ: نُرَاهُ حِبَرَةً

197- अबू जुहैफ़ा कहते हैं : कि मैंने बिलाल (ﷺ) को अज़ान देते हुए देखा वह घूमते थे और अपना मुंह इधर दाएं और उधर बायें फेरते थे और उनकी दो उंगलियां दोनों कानों में थी जबकि रसूलुल्लाह(ﷺ) चमड़े के सुर्ख खेमा में थे पस (ﷺ) बिलाल आप(ﷺ) के आगे आगे नेज़ा लेकर निकले और उसे एक हमवार और खुली जगह गाड़ दिया। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उस नेज़े को सुत्रा बनाकर नमाज़ पढ़ाई। आप(ﷺ) के आगे से कुत्ते और गधे गुजर रहे थे। और आप(ﷺ) पर एक सुर्ख लिबास था। गोया (अब भी) मैं आप(ﷺ) की पिंडलियों की चमक देख रहा हूं। सुफ़ियान सौरी कहते हैं हमारे ख्याल में वह यमनी चादर का लिबास था।

बुखारी:634.मुस्लिम:503.अबू दाऊद: 520. इब्ने माजा:711. निसाई: 137.

तौज़ीह: قُبَّةٍ: छोटा खेमा या शामियाना जो ऊपर से गोल हो उसकी जमा قباب : आती है। ألعنزه: लकड़ी का डंडा जिसके आगे लोहे का फल लगा हो। حُلَّةٌ: उम्दा पोशाक, साफ़ और नए कपड़ों का जोड़ा, एक ही क़िस्म के दो कपड़े कभी इसका इतलाक़ इजार और चादर पर भी होता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू जुहैफ़ा (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ अहले इल्म का अमल इसी पर है। वह इस बात को मुस्तहब कहते हैं कि मुअज़्ज़िन अजान देते वक़्त अपनी उंगलियाँ कानों में डाले और बअ़ज (कुछ) उलमा कहते हैं कि इसी तरह इक़ामत में भी अपनी उंगलियाँ कानों में दाखिल करे। यह क़ौल औज़ाई का है। अबू जुहैफ़ा का नाम वहब बिन अब्दुल्लाह अस्सवाई है।

33. फज्र की अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम कहना

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّثْوِيبِ فِي الفَجْرِ

198- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلاَلٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُثَوِّبَنَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلاَّ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ.

198- सय्यदना बिलाल (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: ''कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''तुम नमाज़े फज्र की अज़ान के अलावा किसी नमाज़ की अज़ान में तस्वीब न करो।''

ज़ईफ़ इब्ने माजा:715.मुसनद अहमद: 6/14. बैहक़ी: 1/424.

तौज़ीह: التَّثْوِيبِ : उलमा के नज़दीक तस्वीब से मुराद '' الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ : के कलिमात कहना है।

वज़ाहत: इस मसले में अबू मह्जूरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फर्माते हैं : बिलाल (رضي الله عنه) की हदीस हमें सिर्फ अबू इस्राईल अल मलाई से मिलती है। और अबू इस्राईल ने यह हदीस हकम बिन उत्बा से नहीं सुनी। तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : उन्होंने इस हदीस को हसन बिन उमारा के वास्ता से हकम बिन उत्बा से रिवायत किया है। और अबू इस्राईल का नाम इस्माईल बिन अबू इस्हाक़ है। मुहद्दिसीन के नज़दीक यह कवी रावी नहीं हैं।

तस्वीब की तारीफ़ में उलमा का इख़्तिलाफ़ है।

बाज़ कहते हैं : तस्वीब से मुराद फज्र की अज़ान में '' الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ: कहना है। यह कौल अब्दुल्लाह बिन मुबारक और इमाम अहमद (رحمه الله) का है।

इस्हाक़ (رحمه الله) इसके अलावा एक बात कहते हैं की तस्वीब मकरूह अमल है। यह वह चीज़ है जिसे लोगों ने नबी(ﷺ) के बाद ईजाद किया है कि जब मुअज़्ज़िन अज़ान दे चुके और लोग आने में ताख़ीर करें तो वह अज़ान और इक़ामत के दर्मियान कहे: ''

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ. :

(इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं: जिस अमल को इस्हाक़ ने तस्वीब कहा है यह अहले इल्म के नज़दीक़ मकरूह है और इसे नबी(ﷺ) के बाद ईजाद किया है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक और अहमद (رحمه الله) ने जो

तफ़सीर की है कि तस्वीब से मुराद अज़ाने फज्र में ''الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ'' कहना है, यही बात सहीह है। क्योंकि इसे भी तस्वीब कहा जाता है। नीज़ अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से भी रिवायत की गई है कि वह नमाज़े फज्र की अज़ान में الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ कहते थे।

मुजाहिद (رحمه الله) कहते हैं मैं अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ। वहां अज़ान हो चुकी थी और हम वहां नमाज़ पढ़ना चाहते थे, तो मुअज़्ज़िन तस्वीब की (यानी अज़ान और इक़ामत के दर्मियान ''قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ'' की आवाज़ लगाई तो) अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) मस्जिद से बाहर निकल गए और फ़र्माने लगे तू भी हमारे साथ इस बिदअती की मस्जिद से निकल आओ'' और उन्होंने वहां नमाज़ ना पढ़ी।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: सय्यदना अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) ने इस तस्वीब को मकरूह समझा जिसे लोगों ने बाद में ईजाद किया था। (जिसकी वज़ाहत इमाम इस्हाक़ ने की है)।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

199-حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الحَارِثِ الصُّدَائِيِّ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُؤَذِّنَ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ، فَأَذَّنْتُ، فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

34. अज़ान कहने वाला ही इक़ामत कहे

199- सय्यदना ज़ैद बिन हारिस अस्सुदाई (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे फज्र की नमाज़ के लिए अज़ान कहने का हुक्म दिया, मैंने अज़ान दी तो बिलाल (رضي الله عنه) ने इक़ामत कहना चाही जिस पर अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़र्माया: ''सुदाअ (क़बीले वालों) के भाई ने अज़ान दी है, जो शख़्स अज़ान दे वही इक़ामत कहे।''

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 514. इब्ने माजा: 717.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: ज़्यादा की हदीस हमें सिर्फ अल अफ़्रीकी की सनद से मिलती है और अल अफ़्रीकी मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। उसे यहया बिन सईद अल क़त्तान वग़ैरह ने ज़ईफ़ कहा है। इमाम अहमद (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ''मैं अल अफ़्रीकी की हदीस नहीं लिखता।''

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) को उसे कवी क़रार देते हुए सुना वह फ़रमा रहे थे : ''यह मुक़ारिबुल हदीस रावी है। ''

अक्सर उलमा के नज़दीक इसी बात पर अमल है कि जो शख़्स अज़ान दे वही इक़ामत कहे।

147 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الأَذَانِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ

35. बगैर वज़ू अज़ान कहना मकरूह है।

200- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُؤَذِّنُ إِلاَّ مُتَوَضِّئٌ

200- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''सिर्फ बा वुज़ू शख़्स ही अज़ान कहे।''

ज़ईफ़: अल-इर्वा अल-गलील.: 222.

201- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لاَ يُنَادِي بِالصَّلاَةِ إِلاَّ مُتَوَضِّئٌ

201- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं : ''नमाज़ों के लिए अज़ान सिर्फ बावुज़ू शख़्स ही कहे।''

ज़ईफ़ इब्ने अबी शैबा:1/211. बैहक़ी:1/397.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह (रिवायत) पहली हदीस से ज़्यादा सहीह है। और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की रिवायत इब्ने वहब ने मर्फू बयान नहीं की और यह वलीद बिन मुस्लिम की रिवायत से ज़्यादा सहीह है। नीज़ ज़ोहरी ने अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से सिमाए हदीस नहीं किया।

बगैर वुज़ू अज़ान कहने में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। बअ़ज (कुछ) अहले इल्म इसको मकरूह कहते हैं और शाफेई और इस्हाक़ (رحمه الله) का यही कौल है।

बाज़ उलमा इसमें रुख्सत देते हैं, नीज़ सुफ़ियान सौरी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक और अहमद (رحمه الله) का भी यही कौल है।

36. इमाम इक़ामत का सबसे ज़्यादा हक़दार है।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الإِمَامَ أَحَقُّ بِالإِقَامَةِ

202- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ: كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُمْهِلُ فَلاَ يُقِيمُ، حَتَّى إِذَا رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاَةَ حِينَ يَرَاهُ

202- सय्यदना जाबिर बिन समुरा (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं : रसूलुल्लाह(ﷺ) का मुअज़्ज़िन इक़ामत कहने से रुक जाता था। यहाँ तक कि जब वह देखता कि रसूलुल्लाह(ﷺ) (हुजरे से) बाहर आ गये हैं तो जब आप(ﷺ) को देख लेता तब इक़ामत कहता।

हसन: मुस्लिम: 606.अबू दाऊद: 537.मुसनद अहमद:5/76.

तौज़ीह: (1) ज़्यादा हक़दार, यानी इमाम की अदमे मौजूदगी में इक़ामत न कही जाये। जब वह नमाज़ के लिए आ जाए तो मुअज़्ज़िन इक़ामत कहे।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: जाबिर बिन समुरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस्राईल की सिमाक से बयान कर्दा हदीस को हम इसी सनद से जानते हैं और बअ़ज (कुछ) उलमा इसी तरह कहते हैं कि मुअज़्ज़िन को अज़ान कहने का इख़्तियार है और इमाम को इक़ामत का इख़्तियार है।

37. रात को अज़ान कहना

149 بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَذَانِ بِاللَّيْلِ

203- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

203- सालिम (رحمه الله) अपने बाप अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''बिलाल (رضي الله عنه) रात को जो अज़ान देते हैं, तुम अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम की अज़ान सुनने तक (सहरी) खाते पीते रहा करो।''

बुखारी: 617. मुस्लिम: 1092. निसाई: 637.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस मसले में इब्ने मसऊद, आयशा, अनीसा, अनस, अबू ज़र, और समुरा (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर की हदीस हसन सहीह है। नीज़ रात की अज़ान के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है।

बाज़ अहले इल्म कहते हैं: ''जब मुअज़्ज़िन रात को अज़ान दे चुके तो यही काफी है। (फज्र के लिए) दोबारा न कहे।''यह कौल इमाम मालिक, इब्ने मुबारक, शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) का है। बअ़ज (कुछ) उलमा कहते हैं: ''जब रात को अज़ान दे चुके तो दोबारा (फज्र के लिए) भी कहे।''सुफ़ियान सौरी इस के क़ायल नहीं।

और हम्माद बिन सलमा ने अय्यूब से बवास्ता नाफ़े अज़ अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) रिवायत की है कि बिलाल ने रात को अज़ान दी तो नबी(ﷺ) ने उनको हुक्म दिया कि आवाज़ लगाओ:''बन्दा सो गया है।''

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस गैर महफूज़ है और सहीह वह हदीस है। जिसे उबैदुल्लाह बिन अम्र वग़ैरह ने नाफ़े के वास्ते से अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत किया है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''बिलाल रात के वक़्त अज़ान देता है तुम अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम (رضي الله عنه) की अज़ान सुनने तक खाते पीते रहा करो।''

अब्दुल अज़ीज़ बिन अबू रवाद ने नाफ़े से बयान किया है कि उमर (رضي الله عنه) के मुअज़्ज़िन ने रात के वक़्त अज़ान दे दी तो उमर (رضي الله عنه) ने उसे दोबारा अज़ान कहने का हुक्म दिया। लेकिन यह रिवायत भी सहीह नहीं क्योंकि नाफ़े से उमर का तज़्किरा मुन्क़तअ है और शायद हम्माद बिन सलमा भी यही हदीस, मुराद लेते हों।

सहीह रिवायत उबैदुल्लाह बिन उमर और दीगर कई रावियों की बवास्ता नाफ़े अज़ अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) और ज़ोहरी की सालिम अज़ अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से बयान की जाने वाली है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''बिलाल रात को अज़ान कहता है। ''

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि अगर हम्माद की हदीस सहीह हो तो इस हदीस का कोई मतलब न हुआ कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''बिलाल रात को अज़ान देते हैं, गोया आप(ﷺ) आने वाले वक़्त के लिए हुक्म दे रहे हैं, पस आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''बिलाल रात को अज़ान देते हैं, अगर आप(ﷺ) ने उनको तुलूए फज्र से पहले दोबारा अज़ान देने का हुक्म दिया होता तो आप(ﷺ) यह न फ़रमाते कि बिलाल रात के वक़्त अज़ान देते हैं:''(क्योंकि जब उनको दोबारा देने का हुक्म होगा तो सिर्फ रात की अज़ान तो न रह जायेगी)

अली बिन मदीनी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हम्माद बिन सलमा की अय्यूब से बवास्ता नाफ़े अज़ अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि।) अज़ नबी(ﷺ) रिवायतकर्दा हदीस गैर महफूज़ है। इसमें हम्माद बिन सलमा ने ग़लती की है।

38. अज़ान के बाद मस्जिद से बाहर जाना मकरूह अमल है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الخُرُوجِ مِنَ المَسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ

204 - अबू शाशा (ﷺ) कहते हैं कि अस्र की अज़ान होने के बाद एक आदमी मस्जिद से बाहर निकल गया तो अबू हुरैरा (ﷺ) ने फ़र्माया : ''उस शख़्स ने अबुल क़ासिम की नाफ़रमानी की है। ''

हसनः मुस्लिमः 655. अबू दाऊदः 536. इब्ने माजा:732. निसाई: 683.

204- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذِّنَ فِيهِ بِالعَصْرِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं : इस मसले में उस्मान (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) कहते हैं : अबू हुरैरा (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है।

नीज़ नबी(ﷺ) के सहाब-ए-किराम (ﷺ) और ताबेईन (ﷺ) में से अहले इल्म का इसी पर अमल है कि सिवाए किसी उज्र के अज़ान के बाद कोई शख़्स मस्जिद से न निकले (उज्र यह है) कि कोई बे वुज़ू है या इन्तिहाई ज़रूरी काम है।

और इब्राहीम नखई से रिवायत की गई है वह कहते हैं कि जब तक मुअज़्ज़िन इक़ामत शुरू नहीं करता आदमी निकल सकता है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) कहते हैं : हमारे नज़दीक निकलने की इजाज़त उसे है जिसे कोई उज्र हो। अबू शाशा का नाम सुलैम बिन अल अस्वद है। वह अशअश बिन अबू शाशा के वालिद हैं और अशअश बिन अबी शाशा ने यह हदीस अपने वालिद से रिवायत की है।

39. सफ़र में अज़ान देना.

151 بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَذَانِ فِي السَّفَرِ

205 - सय्यदना मालिक बिन हुवैरिस (ﷺ) फ़रमाते हैं : ''मैं और मेरे चचा का बेटा रसूलुल्लाह(ﷺ) की खिदमत में हाज़िर हुए तो आप(ﷺ) ने हम से फ़र्माया: ''जब तुम दोनों सफ़र करो तो अज़ान दो, इक़ामत कहो और

205- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، قَالَ:

قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي، فَقَالَ لَنَا: إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

जो तुम दोनों में से बड़ा है वह तुम्हारी इमामत करवाए।''

बुखारी: 628.मुस्लिम:674.अबू दाऊद: 598. इब्ने माजा: 579. निसाई: 634.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ अक्सर उलमा का इसी बात पर अमल है वह सफ़र में अज़ान कहने को अच्छा समझते हैं। और बअ़ज (कुछ) (उलमा) कहते हैं इक़ामत भी काफी है। अज़ान तो उस आदमी के लिए है जो लोगों को जमा करना चाहता है। लेकिन पहला कौल ज़्यादा सहीह है। इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी यही कहते हैं।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الأَذَانِ

40. अज़ान कहने की फ़ज़ीलत

206- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ

206- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी अकरम(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जिसने सात साल तक तलबे सवाब की नीयत से अज़ान दी (तो) उसके लिए जहन्नम से आज़ादी लिख दी जाती है।''

ज़ईफ़ जिद्दा: इब्ने माजा: 727.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, सौबान, मुआविया, अनस, अबू हुरैरा और अबू सईद (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। अबू तुमैला का नाम यहया बिन वाजेह और अबू हम्ज़ा अस्सुक्री का नाम मुहम्मद बिन मैमून है। और जाबिर बिन यजीद अल जौफ़ी को मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ क़रार दिया है। यहया बिन सईद और अब्दुर्रहमान बिन महदी ने उस की हदीस को तर्क क्या है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मैंने जारूद को सुना वह कह रहे थे कि वकी फ़रमाते हैं : ''अगर जाबिर अल जौफ़ी न होता तो अहले कूफा के पास हदीस न होती और अगर हम्माद न होते तो कूफा वालों के पास फिक़्ह न होती।''

41. इमाम कफील और मुअज़्ज़िन अमानत वाला है

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الإِمَامَ ضَامِنٌ، وَالمُؤَذِّنَ مُؤْتَمَنٌ

207- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ

207- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''इमाम जामिन और मुअज़्ज़िन अमानत वाला है। ऐ अल्लाह! अइम्मा की रहनुमाई फ़रमा और मुअज़िनीन को बख़्श दे।''

सहीह: तयालिसी: 1/57. अब्दुर्रज्ज़ाक: 1838. मुसनद अहमद: 2/232. अबू दाऊद: 517. तोहफतुल अशराफ़: 12483.

तौज़ीह: ضَامِنٌ : कफील जिम्मेदार यानी क़िरात वगैरह करता है और मुक्तदी उसके पीछे होते हैं। مُؤْتَمَنٌ: काबिले एतमाद यानी जो लोग उसकी अज़ान पर मस्जिद का रुख़ करते हैं। और उस पर एतमाद करते हैं।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में आयशा, सहल बिन साद, और उक़्बा बिन आमिर (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं। नीज़ अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस को सुफ़ियान सौरी, हफ्स बिन ग्यास और दीगर रावियों ने आमश से अबू सालेह के वास्ते के साथ अबू हुरैरा (رضي الله عنه) के ज़रिये नबी करीम(ﷺ) से रिवायत किया है।

अस्बात बिन मुहम्मद ने आमश से रिवायत करते हुए कहा है कि अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की नबी अकरम(ﷺ) से बयान कर्दा हदीस मुझे अबू सालेह की तरफ़ से बयान की गई है।

नाफ़ेअ बिन सुलैमान ने मुहम्मद बिन अबी सालेह से अपने बाप के वास्ते से सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से मर्वी नबी(ﷺ) की यही हदीस रिवायत की है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : मैंने अबू ज़रआ को फ़रमाते हुए सुना : ''अबू सालेह की अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायतकर्दा हदीस अबू सालेह की आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत की गई हदीस से ज़्यादा सहीह है।

इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं : मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) को कहते हुए सुना : ''अबू सालेह की आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत की गई हदीस ज़्यादा सहीह है। ''और उन्होंने ज़िक्र किया कि अली बिन मदीनी फ़रमाते हैं : ''इस मसले में अबू सालेह की अबू हुरैरा और आयशा (رضي الله عنها) से हदीस साबित नहीं है।

42. जब मुअज़्ज़िन अज़ान कहे तो सुनने वाला आदमी किया जवाब दे?

بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ

208- सय्यदना अबू सईद (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया : ''जब तुम अज़ान सुनो जैसे मुअज़्ज़िन कहता है तुम भी वैसे ही कहो।''

बुखारी: 611. मुस्लिम: 383. अबू दाऊद: 522. इब्ने माजा: 720. निसाई: 673.

208- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

वज़ाहतः इस मसले में अबू राफ़े, अबू हुरैरा, उम्मे हबीबा, अब्दुल्लाह बिन अम्र, अब्दुल्लाह बिन रबीआ, आयशा, मुआज़ बिन अनस और मुआविया (رضي الله عنهم) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : अबू सईद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। अम्मार वग़ैरह ने ज़ोहरी से मालिक (رحمه الله) की हदीस की तरह हदीस रिवायत की है। जबकि अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ ने ज़ोहरी से बवास्ता सईद बिन मुसय्यब अज़ अबू हुरैरा (رضي الله عنه) नबी करीम(ﷺ) की यह हदीस रिवायत की है। और मालिक (رحمه الله) की रिवायात ज़्यादा सहीह है।

43. मुअज़्ज़िन का अज़ान कहने पर उजरत लेना नापसन्दीदा अमल है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى الأَذَانِ أَجْرًا

209- सय्यदना उस्मान बिन अबी अल आस (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं : रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे आखिरी वसिय्यत यह की थी कि अज़ान के लिए ऐसा मुअज़्ज़िन मुक़र्रर करो जो अज़ान कहने पर उजरत न लेता हो।

सहीह अबू दाऊद: 531. इब्ने माजा: 714. निसाई: 672.

209- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ وَهُوَ عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: उस्मान (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ उलमा का इसी पर अमल है। वह मुअज़्ज़िन के अज़ान पर उज्रत लेने को मकरूह समझते हैं और मुअज़्ज़िन के लिए सवाब की नियत से अज़ान कहने को मुस्तहब कहते हैं।

44. जब मुअज़्ज़िन अज़ान दे तो आदमी किया दुआ करे

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الدُّعَاءِ

210- सय्यदना साद बिन अबी वक़्क़ास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जिस शख़्स ने मुअज़्ज़िन की अज़ान सुन कर कहा: और मैं भी गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूदे बरहक़ नहीं, वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं और मुहम्मद(ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं, मैं अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने, और मुहम्मद(ﷺ) के रसूल होने पर राजी हूँ, तो अल्लाह उसके गुनाह बख़्श देगा।

मुस्लिम: 386. अबू दाऊद: 525. इब्ने माजा:721.निसाई:679.

210- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ये हदीस हसन सहीह गरीब है। हमें सिर्फ लैस बिन साद से ही बवास्ता हकम बिन अब्दुल्लाह बिन कैस मिलती है।

45.इसी से मुताल्लिक़ बाब

بَابُ مِنْهُ أَيْضًا

211- सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया : '' जो शख़्स अज़ान सुनते वक़्त कहे : ऐ अल्लाह! मुकम्मल पुकार और मज़बूत नमाज़ के परवरदिगार! तू मुहम्मद(ﷺ) को वसीला व फ़ज़ीलत और बहुत बुलंद दर्जा

211- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ البَغْدَادِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِلاَّ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

अता फ़रमा और उन्हें उस मुकामे महमूद में पहुंचा जिसका तूने उन से वादा किया है। तो उस शख़्स के लिए क़यामत के दिन (मेरी) शफ़ाअत वाजिब होती है।''

बुखारी:614 अबू दाऊद:529 इब्ने माजा:722 निसाई:680 तोहफतुल अशराफ़:3046

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस बवास्ता मुहम्मद बिन मुन्कदिर सहीह हसन गरीब है और हमारे इल्म में कोई ऐसा रावी नहीं है जो शोऐब बिन अबी हम्ज़ा के अलावा मुहम्मद बिन मुन्कदिर से यह हदीस रिवायत करता हो। अबू हम्ज़ा का नाम दीनार है।

158 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الدُّعَاءَ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

46. अज़ान और इक़ामत के दर्मियान दुआ रद्द नहीं की जाती

212-حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَبُو أَحْمَدَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

212- सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''अज़ान और इक़ामत के दर्मियान दुआ रद्द नहीं की जाती।''

सहीह अबू दाऊद: 521. मुसनद अहमद: 3/ 119.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते है : अनस (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ अबू इस्हाक़ अल हमदानी ने भी बुरैदा बिन मरयम से बवास्ता अनस (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से ऐसी ही हदीस रिवायत की है।

بَابُ مَا جَاءَ كَمْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ

47. अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं

213- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ

213- सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं : जिस रात नबी(ﷺ) को सैर (मेराज) करवाई गई तो आप(ﷺ) पर पच्चास

الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الخَمْسِ خَمْسِينَ

नमाज़ें फर्ज़ की गयीं थीं। फिर उन में से कमी की गई यहाँ तक कि पांच कर दी गयीं फिर आप(ﷺ) को आवाज़ दी गई : ऐ मुहम्मद!(ﷺ) ! बेशक मेरे यहाँ बात को तब्दील नहीं किया जाता, और यकीनन आप के लिए इन पांच नमाज़ों के बदले पच्चास नमाज़ों का सवाब है।''

बुखारी: 349. मुस्लिम: 164.निसाई:448.

वज़ाहत: इस मसले में उबादा बिन सामित, तल्हा बिन उबैदुल्लाह, अबू ज़र, अबू क़तादा, मालिक बिन सासा और अबू सईद अल ख़ुदरी (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : सय्यदना अनस (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह गरीब है।

160 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ

48. पाँच नमाजें अदा करने की फ़ज़ीलत

214- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ العَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغْشَ الكَبَائِرُ

214- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी अकरम(ﷺ) ने फ़र्माया: ''पांच नमाज़ें और जुमा अगले जुमा तक के (गुनाहों) के लिए कफ्फारा हैं जब तक कबीरा गुनाह न किये जाएँ।''

मुस्लिम: 233. इब्ने माजा: 1086. मुसनद अहमद: 2/484.इब्ने खुज़ैमा:314.

तौज़ीह: تُغْشَ : मजहूल है ''जब तक ढांपा न जाए।'' बअ़ज (कुछ) नुस्खों में मारूफ़ सेग़ें के साथ भी ज़िक्र है। يَغْشَ الكَبَائِرَ : जब तक वह कबीरा गुनाह न करता।

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, अनस और हंज़ला अल उसैदी (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

49. जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत

161 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الجَمَاعَةِ

215- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ، بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

215- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया, ''जमाअत के साथ अदा की जाने वाली नमाज़ आदमी की अकेले (पढ़ी जाने वाली) नमाज़ से सत्ताइस दर्जे ज़्यादा (सवाब का बाइस) है।

बुखारी; 645.मुस्लिम: 650. इब्ने माजा: 789. निसाई: 837. तोहफतुल अशराफ़:8055.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, उबय बिन काब, मुआज़ बिन जबल, अबू सईद, अबू हुरैरा और अनस बिन मालिक (ﷺ) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है और इसी तरह नाफ़े ने भी अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत की है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया : '' बा जमाअत नमाज़ अकेले की नमाज़ से सत्ताइस दर्जे ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) के अलावा बाकी तमाम रिवायत करने वालों ने यही बयान किया है कि पच्चीस दर्जे जब कि अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) कहते हैं सत्ताइस दर्जे।

216- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا

216- सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: '' बेशक आदमी का जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ना अकेले नमाज़ पढ़ने से पच्चीस हिस्से ज़्यादा (सवाब रखता) है।

बुखारी: 477.मुस्लिम: 649. इब्ने माजा: 786. निसाई:838. तोहफतुल अशराफ़: 13239

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

50. जो शख़्स अज़ान सुनकर जमाअ़त में हाज़िर नहीं होता.

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلاَ يُجِيبُ

217- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي أَنْ يَجْمَعُوا حُزَمَ الحَطَبِ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى أَقْوَامٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ

217- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया : '' यकीनन मैंने इरादा किया था कि मैं अपने नौजवानों को हुक्म दूं कि वह लकड़ियों का गट्ठे जमा करे फिर मैं नमाज़ की इक़ामत का हुक्म दूं फिर मैं नमाज़ में हाज़िर न होने वाले लोगों पर (उनके घरों को) जला दूं।

बुखारी: 644. मुस्लिम: 651.अबू दाऊद: 548. इब्ने माजा: 791. निसाई:848.

तौज़ीह: حُزْمَةٌ : حُزَمٌ : की जमा है जिसका मानी है गठरी बण्डल वग़ैरह।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अबूदर्दा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, मुआज़, अनस, और जाबिर (رضي الله عنهم) से भी हदीसें मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और नबी(ﷺ) के बहुत से सहाबा कहते हैं : ''जो शख़्स अज़ान सुनकर नमाज़ में हाज़िर नहीं होता उसकी नमाज़ (कुबूल) नहीं होती। नीज़ बअ़ज (कुछ) अहले इल्म कहते हैं यह सख़्ती और डांट के लिए है और किसी शख़्स को बगैर उज़्र जमाअ़त (के साथ नमाज़) छोड़ने की रुख्सत नहीं है

218- قَالَ مُجَاهِدٌ، وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، لاَ يَشْهَدُ جُمْعَةً وَلاَ جَمَاعَةً؟ فَقَالَ: هُوَ فِي النَّارِ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ.

وَمَعْنَى الحَدِيثِ: أَنْ لاَ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ وَالجُمُعَةَ رَغْبَةً عَنْهَا، وَاسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا، وَتَهَاوُنًا بِهَا

218- मुजाहिद (رحمه الله) फ़रमाते हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से ऐसे आदमी के बारे में पूछा गया जो दिन को रोज़ा रखता है और रात को कयाम करता है लेकिन जुमा और जमाअ़त में हाज़िर नहीं होता? उन्होंने फ़र्माया वह जहन्नम में जाएगा (इमाम तिर्मिज़ी) कहते हैं हमें यह हदीस हन्नाद ने बयान की (वह कहते हैं) हमें यह हदीस मुहारिबी ने बवास्ता लैस अज़ मुजाहिद ज़िक्र की है।

ज़ईफुल इस्नाद.

वज़ाहत: (इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं) : हदीस का मतलब यह है कि वह जमाअत और जुमा में लापरवाही करते, उनके हक़ को हल्का समझते हुए उनमें सुस्ती करते हुए हाज़िर न होता हो।

163 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ ثُمَّ يُدْرِكُ الجَمَاعَةَ

219- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلاَةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ انْحَرَفَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى القَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ، فَقَالَ: عَلَيَّ بِهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا، فَقَالاَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: فَلاَ تَفْعَلاَ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ.

51. अगर कोई आदमी अकेले नमाज़ पढ़कर जमाअत को पा ले तो

219- जाबिर बिन यजीद बिन अल अस्वद अल आमिरी अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैं नबी(ﷺ) के हज में आप(ﷺ) के साथ हाज़िर था, मैंने सुबह की नमाज़ आप(ﷺ) के साथ मस्जिद अल ख़ैफ़ में पढ़ी। जब आप(ﷺ) ने अपनी नमाज़ मुकम्मल करके (हमारी तरफ़) मुंह फेरा तो अचानक आप(ﷺ) ने लोगों के पीछे दो आदमियों को देखा जिन्होंने आप(ﷺ) के साथ नमाज़ नहीं पढ़ी थी। आप(ﷺ) ने फ़रमाया : ''उन दोनों को मेरे पास ले कर आओ। उनको लाया गया, उनके शाने काँप रहे थे। आप(ﷺ) ने फ़रमाया : ''तुम्हें हमारे साथ नमाज़ पढ़ने से किस चीज़ ने रोका ?''उन दोनों ने कहा, ''ऐ अल्लाह के रसूल! हमने अपने ठिकानों पर नमाज़ पढ़ ली थी।''आप(ﷺ) ने फ़र्माया : ''ऐसे न किया करो, जब तुम अपने ठिकानों पर नमाज़ पढ़ लो और फिर जमाअत वाली मस्जिद में आओ तो उनके साथ भी नमाज़ पढ़ लो और वह तुम्हारे लिए नफ़्ली हो जाएगी।''

सहीह: अबू दाऊद: 575 निसाई:858 मुसनद अहमद: 4/ 160.

तौज़ीह: فرائص جمع فريصة : कंधे और सीने के दर्मियान का गोश्त है जो ख़ौफ़ के वक़्त हरकत करने लगता है। इल्मुत तश्रीह में सीने के अज़्लात का नाम है। अरबी में कहते हैं : إرْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُ : वह घबरा गया, लरज़ उठा, डर की वजह से उसके शाने का गोश्त फड़कने लगा।

वज़ाहत: इस मसले में मिहजन अद् देली और यज़ीद बिन आमिर (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यजीद बिन अल अस्वद की हदीस हसन सहीह है। और बहुत से उलमा का यही कौल है। नीज़ सुफ़ियान सौरी, शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी यही कहते हैं कि जब आदमी अकेला नमाज़ पढ़ चुका हो फिर जमाअत को पा ले तो तमाम नमाज़ें जमाअत में दोबारा पढ़ सकता है और जब उसने मगरिब की नमाज़ अकेले पढ़ ली हो फिर जमाअत मिल जाए तो कहते हैं वह उनके साथ पढ़ ले। (और सलाम फेरने के बाद) एक रकअत (अकेले) पढ़ कर उसे जुफ्त बना ले और उनके नज़दीक अकेले पढ़ी जाने वाली नमाज़ फर्ज़ होगी।

52.जिस मस्जिद में एक दफ़ा नमाज़ पढ़ी जा चुकी हो वहाँ फिर जमाअत करवाना.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ مَرَّةً

220- सय्यदना अबू सईद (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं : एक आदमी मस्जिद में आया जब कि रसूलुल्लाह(صلى الله عليه وسلم) नमाज़ पढ़ चुके थे, आप(صلى الله عليه وسلم) ने फ़र्माया: उस आदमी के साथ मुनाफ़ा बख़्श तिजारत कौन करेगा? ''तो एक आदमी खड़ा हुआ और उसने उस शख़्स के साथ नमाज़ पढ़ी।

सहीह मुसनद अहमद: 3/5. अबू दाऊद.574.

220- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا؟، فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ

वज़ाहत: इस मसले में अबू उमामा, अबू मूसा और हकम बिन उमैर (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी फर्माते हैं: अबू सईद (رضي الله عنه) की हदीस हसन है नीज़ नबी(صلى الله عليه وسلم) के सहाबा और ताबेईन में से कई उलमा यही कहते हैं कि जिस मस्जिद में बाजमाअत नमाज़ हो चुकी हो वहां लोग (दोबारा) जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ें तो उसमें कोई क़बाहत नहीं है। इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी यही कहते हैं।

कुछ दूसरे उलमा कहते हैं कि वह अकेले अकेले ही नमाज़ पढेंगे। सुफियान, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, मालिक और शाफेई (رحمه الله) भी नमाज़ अकेले अकेले पढ़ने को पसंद करते हैं।

नीज़ सुलैमान अन्नाजी बसरी हैं और उनको सुलैमान बिन अल अस्वद भी कहा जाता है। और अबू अल मुत्तवक्किल का नाम अली बिन दाऊद है।

53. फज्र और इशा की नमाज़ बा जमाअत अदा करने की फ़ज़ीलत

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ

221- सय्यदना उस्मान बिन अफ्फान (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया : ''जो शख़्स इशा की नमाज़ बा जमाअत पढ़ता है उसके लिए निस्फ (आधी) रात का कयाम (लिखा जाता) है और जो शख़्स इशा और फज्र की नमाज़ बा जमाअत पढ़ता है उसके लिए पूरी रात का (क़याम) लिखा जाता है।

मुस्लिम: 656. अबू दाऊद: 555.

221- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर, अबू हुरैरा (رضي الله عنه), अनस, अम्मार बिन रुवैबा, जुन्दुब बिन अब्दुल्लाह बिन सुफ़ियान अल बजली, उबय बिन काब, अबू मूसा, और बुरैदा (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: ''उस्मान (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ यह हदीस अब्दुर्रहमान बिन अबी अमरह के तरीक से उस्मान (رضي الله عنه) से मौकूफन और दीगर बहुत सी सनदों के साथ मर्फूअन रिवायत की गई है।

222- सय्यदना जुन्दुब बिन सुफ़ियान (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी अकरम(ﷺ) ने फ़र्माया : ''जो शख़्स सुबह की नमाज़ पढ़ ले वह अल्लाह के ज़िम्मे (पनाह) में आ जाता है सो तुम अल्लाह के जिम्मे को मत तोड़ो।''

मुस्लिम: 657. मुसनद अहमद: 4/312. अबू याला : 1526. इब्ने हिब्बान: 1743.

222- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ.

तौज़ीह: (1) ज़िम्मा को मत तोड़ो; यानी उस आदमी को तकलीफ मत देना।

223- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْكَحَّالِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

223- सय्यदना बुरैदा अल अस्लमी (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''अंधेरों में मस्जिद की तरफ़ चल कर जाने वालों को क़यामत के दिन मुकम्मल रोशनी की खुशख़बरी सुना दो।''

सहीह अबू दाऊद:561.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फरमाते है, यह हदीस इस सनद से बा हैसियत मर्फू गरीब है। नबी (ﷺ) के सहाबा किराम (ﷺ) पर मुसनद और मौकूफ होना सहीह है। इस की नबी(ﷺ) तक सनद बयान नही की गई।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّفِّ الأَوَّلِ

54. पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत

224- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

224- सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''मर्दों की सब से बेहतर सफ पहली और बुरी (सफ़) आखिरी है और औरतों की सबसे बेहतर सफ़ आखिरी और बुरी सफ़ पहली है।''

मुस्लिम: 440. अबू दाऊद: 687. इब्ने माजा: 1000.निसाई: 820.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन उमर, अबू सईद, उबय बिन काब , आयशा, इर्बाज़ बिन सारिया और अनस (ﷺ) से भी रिवायात मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : अबू हुरैरा (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) से यह रिवायत भी की गई है कि आप(ﷺ) ने पहली सफ़ वालों के लिये तीन और दूसरी सफ़ वालों के लिए एक मर्तबा दुआए मग़फिरत करते थे।

225-وقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ

225- नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''अगर लोग यह जान लें कि अज़ान और पहली सफ में क्या फ़ज़ीलत है, फिर उन्हें कुर्आ अन्दाज़ी भी करनी पड़े तो कर लें।''

बुखारी: 615. मुस्लिम:437. इब्ने माजा:998. निसाई: 540.

तौज़ीह: اَلْإِسْتِهَام: हिस्सा निकालने के लिए कुर्आ अन्दाज़ी करना।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (रहि.) फ़रमाते हैं : हमें यह हदीस इस्हाक़ बिन मूसा अन्सारी ने (और वह कहते हैं) हमें मअन ने (और उन्हें) मालिक ने सुमय्य से बवास्ता अबू सालेह अज़ अबू हुरैरा (रज़ि.) नबी(ﷺ) इसी तरह बयान की है।

226- وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، نَحْوَهُ.

226- और हमें कुतैबा ने मालिक से इसी तरह की रिवायत बयान की है।

यह रिवायत बुखारी और मुस्लिम में भी है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الصُّفُوفِ

55. सफें सीधी करना

227- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا، فَخَرَجَ يَوْمًا فَرَأَى رَجُلاً خَارِجًا صَدْرُهُ عَنِ القَوْمِ، فَقَالَ: لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

227- सय्यदना नोमान बिन बशीर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) हमारी सफ़ों को बराबर करते थे। एक दिन आप(ﷺ) हुजरा से निकले तो देखा कि एक आदमी का सीना लोगों से बाहर निकला हुआ था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया : ''तुम ज़रूर अपनी सफ़ों को बराबर करो या अल्लाह तआला तुम्हारे चेहरों के दर्मियान मुखालफ़त डाल देगा।''

सहीह बुखारी: 717. मुस्लिम:436.अबू दाऊद: 662. इब्ने माजा: 994. निसाई:810. तोहफतुल अशराफ़:11620.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर बिन समुरा, बरा, जाबिर, अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह, अनस, अबू हुरैरा और आयशा (रज़ि.) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (रहि.) फ़रमाते हैं : नौमान बिन बशीर (रज़ि.) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) से

यह भी रिवायत की गई है कि आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''सफ़ को सीधा करना नमाज़ की तकमील से है। और सय्यदना उमर (رضي الله عنه) से मर्वी है कि वह सफें सीधी करने के लिए लोगों को मुक़र्रर करते थे। जब तक यह न बता दिया जाता कि सफें सीधी हो गयीं हैं उस वक़्त तक अल्लाहु अकबर नहीं कहते थे।

सय्यदना अली और सय्यदना उस्मान (رضي الله عنه) से भी मर्वी है कि वह भी इस चीज़ का बहुत ख़याल रखते थे और कहा करते थे। ''बराबर हो जाओ।''बल्कि सय्यदना अली (رضي الله عنه) तो यह भी कहा करते थे: ''ऐ फुलां ! तुम आगे आओ ऐ फुलां तुम पीछे हटो।''

168 بَابُ مَا جَاءَ لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ وَالنُّهَى

56. (नबी(ﷺ)का सहाबा (रजि.) से फ़रमाना कि) मेरे करीब वह खड़े हों जो अहले दानिश और आकिल हैं

228-حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ ال حَذَّاءُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ

228- सय्यदना अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''तुममें से अहले दानिश और अक़्लमंद लोग मेरे करीब खड़े हो फिर उनके साथ वह लोग जो दानिशमंदी में उनसे मिलते हैं, फिर वह लोग जो उनसे मिलते हैं और तुम आगे पीछे हो कर खड़े न हुआ करो वगरना तुम्हारे दिलों में भी इख़्तिलाफ़ आ जाएगा और बाज़ारों में शोर और हंगामा आराई से बचो।''

मुस्लिम: 432. अबू दाऊद: 675. मुसनद अहमद: 1/457. इब्ने खुजैमा: 1572.

तौज़ीह: أُولُو الأَحْلَامِ : इसका वाहिद الحلم : आता है जिसका मानी है बुर्दबारी, दानिशमंदी, ज़ब्त व तहम्मुल वग़ैरह। النُّهَى: نُهْيَةٌ की जमा है। هَيْشَاتِ: اَلْهَيْشَةُ की जमा है। फितना, हंगामा, हलचल।

वज़ाहत: इस मसले में उबय बिन काब, अबू मसऊद, अबू सईद, बरा और अनस (رضي الله عنهم) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं : अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह गरीब है। नीज़ नबी(ﷺ) से यह भी मर्वी है कि आप(ﷺ) पसंद करते थे कि मुहाजिरीन और अंसार आप के पास खड़े हो ताकि मसाइल याद रख सकें।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : खालिद अल हज्ज़ा ये खालिद बिन मेहरान हैं जिनकी कुनियत अबुल मनाज़िल थी और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी (رحمه الله) को फ़रमाते सुना कि कहा जाता है खालिद अल हज्ज़ा ने कभी जूते नहीं बनाए वह तो एक मोची के पास बैठा करते थे तो उसी की तरफ़ निस्बत हो गई और मअशर का नाम ज़ियाद बिन कुलैब है।

169 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي

57. सुतूनों के दर्मियान सफ़ बनाना मकरूह है।

229- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئِ بْنِ عُرْوَةَ الْمُرَادِيِّ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ: صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنَ الأُمَرَاءِ، فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَلَمَّا صَلَّيْنَا، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

229- अब्दुल हमीद बिन महमूद कहते हैं : हमने अपने हाकिमों में से एक हाकिम के पीछे नमाज़ पढ़ी तो लोगों ने हमें (इस क़दर) मजबूर कर दिया कि हमने दो सुतूनों के दर्मियान पढ़ी। पस जब हमने नमाज़ पढ़ ली तो अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) ने फ़र्माया, रसूलुल्लाह (صلى الله عليه وسلم) के दौर में हम इस काम से बचते थे।''

सहीह: अबू दाऊद: 673. निसाई: 821. इब्ने खुजैमा: 1568. मुसनद अहमद: 3/ 131.

वज़ाहत: इस मसले में कुर्आ बिन अयास अल मुज्नी (رضي الله عنه) से भी मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं :सुतूनों के दर्मियान सफ़ बनाने को अहले इल्म ने मकरूह समझा है। अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है। जबकि बअ़ज (कुछ) उलमा इसमें रुख्सत भी देते हैं।

170 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

58. सफ़ के पीछे अकेले नमाज़ पढ़ना

230- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: أَخَذَ زِيَادُ بْنُ أَبِي الجَعْدِ بِيَدِي وَنَحْنُ بِالرَّقَّةِ، فَقَامَ بِي عَلَى شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، مِنْ بَنِي أَسَدٍ، فَقَالَ زِيَادٌ: حَدَّثَنِي هَذَا الشَّيْخُ أَنَّ

230- हिलाल बिन यसाफ (رحمه الله) कहते हैं: हम الرَّقَّةِ (अर्रक्का) : जगह पर थे तो ज़ियाद बिन अबी अल जाद ने मेरा हाथ पकड़ा और एक बुजुर्ग के पास, जिनका नाम वाब्सा बिन माबद (رضي الله عنه) था, जो बनू असद से ताल्लुक रखते थे ले जाकर खड़े हो गए ज़ियाद कहने लगे: मुझे उन बुजुर्गों ने बयान किया है कि एक

رَجُلاً صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَالشَّيْخُ يَسْمَعُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةَ

आदमी ने सफ़ के पीछे अकेले नमाज़ पढ़ी, वह बुज़ुर्ग भी ज़ियाद की बात सुन रहे थे तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसे नमाज़ दोबारा पढ़ने का हुक्म दिया।''

सहीह: अबू दाऊद: 682. इब्ने माजा: 1004.

वज़ाहत: इस मसले में अली बिन शैबान और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: वाब्सा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ उलमा इसी बात को पसंद करते हैं कि आदमी सफ़ के पीछे अकेला नमाज़ पढ़े, वह कहते हैं : ''अगर सफ़ के पीछे अकेला नमाज़ पढ़ता है तो नमाज़ दोबारा पढ़े'' इमाम अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है। उलमा की एक जमाअत कहती है कि जब सफ़ के पीछे अकेला नमाज़ पढ़ता है तो उसकी नमाज़ जायज़ होगी।यह कौल सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक और शाफेई (رحمه الله) का है। और कूफा के लोगों का मज़हब वाबसा (رضي الله عنه) की हदीस वाला ही है। वह कहते हैं: ''जो शख़्स सफ़ से पीछे अकेला नमाज़ पढ़ता है तो वह दोबारा नमाज़ पढ़े'' यह बात कहने वालों में हम्माद बिन अबी सुलैमान, इब्ने अबी लैला और वकीअ भी शामिल हैं। हुसैन की हिलाल बिन यसाफ़ से हदीस को कई एक ने अबुल अह्वस की ज़्यादा बिन अबी अल जाद वाब्सा बिन माबद की रिवायत के मिस्ल बयान किया है।

हुसैन की हदीस में दलील है कि हिलाल ने वाब्सा को पाया है, मुहद्दिसीन का इस बारे में इख़्तिलाफ़ है।

बाज़ कहते हैं : ''उमर बिन मुर्रा की हदीस हिलाल बिन यसाफ से बवास्ता ज़ियाद बिन अबी अल जाद अज़ वाब्सा बिन माबद (رضي الله عنه) ज़्यादा सहीह है। ''

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मेरे नज़दीक यह हदीस अम्र बिन मुर्रा की हदीस से ज़्यादा सहीह है। क्योकि हिलाल बिन यसाफ की ज़ियाद बिन अबी अल जाद के वास्ता से वाब्सा बिन माबद (رضي الله عنه) की बयान कर्दा रिवायत के अलावा भी अहादीस साबित हैं।

231- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، أَنَّ رَجُلاً صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةَ

231- सय्यदना वाब्सा बिन माबद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक आदमी ने सफ़ के पीछे (अकेले) नमाज़ पढ़ी तो नबी(ﷺ) ने उसे नमाज़ दोबारा पढ़ने का हुक्म दिया।

सहीह: अबू दाऊद: 682. इब्ने माजा: 1004. मुसनद अहमद: 4/227.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : मैंने जारूद को फ़रमाते हुए सुना वह कह रहे थे: ''मैंने वकीअ को यह बात कहते हुए सुना कि अगर कोई शख़्स सफ़ के पीछे अकेले नमाज़ पढ़े तो वह नमाज़ दोहराये।

59. जिस शख़्स के साथ नमाज़ पढ़ने वाला एक मुक़्तदी हो

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَمَعَهُ رَجُلٌ

232- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

232- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि एक रात मैंने नबी अकरम(ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी, आप (ﷺ) के बाएं जानिब खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मेरे पीछे से मेरे सर को पकड़ कर मुझे अपनी दायें जानिब (खड़ा) कर दिया।

बुखारी: 117. मुस्लिम: 763.अबू दाऊद: 610 इब्ने माजा:973. निसाई: 442.

वज़ाहत: इस मसले में अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से उलमा भी यही कहते हैं कि जब इमाम के साथ एक आदमी हो तो वह इमाम के दायें जानिब खड़ा हो।

60. अगर इमाम के साथ दो नमाज़ पढ़ने वाले हों

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلَيْنِ

233- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً أَنْ يَتَقَدَّمَنَا أَحَدُنَا

233- सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें हुक्म दिया : ''जब हम तीन आदमी हो तो (नमाज़ के लिए) हम में से एक शख़्स (बतौर इमाम) आगे खड़ा हो जाए।''

ज़ईफुल इस्नाद.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, जाबिर और अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہم) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं : ''समुरा (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन गरीब है।''

अहले इल्म का इस बात पर अमल है कि जब तीन आदमी हों तो दो आदमी इमाम के पीछे खड़े हों। नीज़ अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضی اللہ عنہ) से मर्वी है कि उन्होंने अल्क़मा और अस्वद को नमाज़ पढ़ाई तो एक को अपने दायें और दूसरे को अपने बाएं खड़ा किया और उन्होंने इस (तरीक़े) को नबी(ﷺ) से रिवायत किया।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَمَعَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ

61. जब आदमी के पीछे नमाज़ पढ़ने वाले मर्द और औरतें हों

234 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَلْنُصَلِّ بِكُمْ. قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِالمَاءِ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ عَلَيْهِ أَنَا، وَاليَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ

234- सय्यदना अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि उनकी दादी मुलैका ने खाना पकाया और उसको खाने के लिए रसूलल्लाह(ﷺ) को मदऊ किया। आप(ﷺ) ने खाना खाया फिर फ़रमाया, ''खड़े हो जा हम तुम्हें नमाज़ पढ़ाते हैं'' अनस कहते हैं: ''मैं उठ कर एक चटाई की तरफ़ बढ़ा जो ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से सियाह (काली) हो चुकी थी। तो मैंने उस पर पानी छिड़का, रसूलल्लाह(ﷺ) उस पर खड़े हुए मैंने और यतीम ने आप(ﷺ) के पीछे सफ़ बनाई और वह बुढ़िया (मेरी दादी) हमारे पीछे थी। आप(ﷺ) ने हमें दो रकअतें पढ़ाई, फिर आप(ﷺ) वापस चले गए।

बुखारी 380. मुस्लिम: 658. अबू दाऊद:612.निसाई:801.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: अनस (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जब इमाम के साथ एक मर्द और एक औरत हो तो मर्द इमाम के दायें और औरत उन दोनों के पीछे खड़ी होगी। बअ़ज (कुछ) लोगों ने इस हदीस से दलील ली है कि जब

आदमी सफ़ के पीछे अकेला नमाज़ पढ़े तो जायज़ है। वह कहते हैं : ''बच्चे की नमाज़ नहीं होती, (इस लिहाज़ से) अनस (ﷺ) नबी(ﷺ) के पीछे सफ़ में अकेले थे।''लेकिन (हक़ीक़त में) यह मामला ऐसे नहीं क्योंकि नबी(ﷺ) ने उनको यतीम के साथ अपने पीछे खड़ा किया था। पस अगर नबी(ﷺ) यतीम की नमाज़ शुमार न की होती तो आप उसको यतीम के साथ खड़ा न करते बल्कि अपनी दायें जानिब खड़ा करते। मूसा बिन उसय अज़ अनस (ﷺ) यह भी मर्वी है कि आप ने नबी(ﷺ) के हमराह नमाज़ पढ़ी तो आप(ﷺ) ने अनस (ﷺ) को दायें जानिब खड़ा किया। इस हदीस में दलील है कि आप(ﷺ) ने नफ़ल नमाज़ पढ़ी थी। आप (सल्ल.) ने उन (घर वालों पर) बाइसे बरकत का इरादा फ़र्माया था।

بَابُ مَا جَاءَ مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

235حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، ح: وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا، وَلاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، قَالَ مَحْمُودٌ: قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: أَقْدَمُهُمْ سِنًّا.

62. इमामत का ज़्यादा हक़दार कौन है?

235- सय्यदना अबू मसऊद अल अन्सारी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फर्माया: ''अल्लाह की किताब को सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ शख़्स लोगों की इमामत करवाए। अगर वह क़ुरआन पढ़ने में बराबर हों तो सुन्नत को ज़्यादा जानने वाला, अगर वह सुन्नत को समझने में बराबर हो तो पहले हिजरत करने वाला, अगर वह हिजरत में बराबर हो तो उम्र में सब से बड़ा और किसी आदमी को उसकी हुकूमत (वाली जगह) में मुक्तदी न बनाया जाए और उसके घर में उसकी इज़्ज़त वाली मसनद पर किसी को उसकी इजाज़त के बग़ैर न बिठाया जाए।''महमूद बिन गैलान कहते हैं: ''इब्ने नुमैर ने अपनी हदीस में أَقْدَمُهُمْ سِنًّا: का लफ्ज़ बोला है।''

मुस्लिम:673. अबू दाऊद: 582. इब्ने माजा: 980.

तौज़ीह: تكرمة: एज़ाज़ी मसनद या बैठक जो किसी के लिए मखसूस की गई हो।

वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद, अनस बिन मालिक, मालिक बिन हुवैरिस और अम्र बिन सलमा (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : अबू मसऊद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि इमामत का सब से ज़्यादा हक़दार किताबुल्लाह को सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ शख़्स है। फिर सुन्नत को ज़्यादा जानने वाला, मज़ीद कहते हैं कि घर वाला (अपने घर में) इमामत का ज़्यादा हक़दार है। बअ़ज (कुछ) कहते हैं : ''जब घर का मालिक किसी दूसरे को इजाज़त दे दे तो वह नमाज़ पढ़ा सकता है।" बअ़ज (कुछ) ने उसे नापसंद किया है। वह कहते हैं: ''सुन्नत यही है कि घर का मालिक नमाज़ पढ़ाये।" इमाम अहमद बिन हंबल फ़रमाते हैं: ''नबी(ﷺ) का फ़रमान है: ''किसी की हुकूमत में उसको मुक्तदी न बनाया जाए और उसके घर में उसकी इजाज़त के बगैर किसी को उसकी मसनद पर न बिठाया जाए। हाँ जब वह खुद इजाज़त दे देता है तो हर काम में ही इजाज़त हो गई है।"

63. जब कोई शख़्स इमामत करवाए तो क़िरअत में तख्फीफ़ करे.

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ

236- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब तुम में से कोई शख़्स लोगों की इमामत करवाए तो (क़िरअत में) तख्फीफ़ करे। बेशक लोगों में छोटा, बड़ा, कमज़ोर और मरीज़ भी हैं और जब वह अकेला नमाज़ पढ़े तो जैसे चाहे पढ़ ले।

(236) बुखारी:703.मुस्लिम: 467.अबू दाऊद: 794.निसाई: 823.

236 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ وَالمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ.

वज़ाहत: इस मसले में अदी बिन हातिम, जाबिर बिन समुरा, मालिक बिन अब्दुल्लाह, अबू वाकिद, उस्मान बिन अबुल आस, अबू मसऊद, जाबिर बिन अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं : अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और अक्सर उलमा भी यही इख़्तियार करते हैं कि कमज़ोर, बूढ़े और बीमार की मशक्कत की वजह से इमाम नमाज़ लम्बी न करे।

इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं : अबुज़्ज़िनाद का नाम अब्दुल्लाह बिन ज़क्वान है। और (अबुज़्ज़िनाद) अल आरज वह अब्दुर्रहमान बिन हुर्मुज़ अल मदनी है जिसकी कुनियत अबू दाऊद है।

237حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلاَةً فِي تَمَامٍ.

237- सय्यदना अनस बिन मालिक (ﷺ) फ़रमाते हैं: ''रसूलुल्लाह(ﷺ) नमाज़ को पूरा करने के बावजूद सबसे हलकी नमाज़ वाले थे।''

(237) सहीह बुखारी: 708. मुस्लिम:469.इब्ने माजा: 985. निसाई: 824.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं : यह हदीस हसन सहीह है और अबू अवाना का नाम वजाह है। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं : मैंने क़ुतैबा से पूछा : अबू अवाना का नाम क्या है? तो उन्होंने फ़र्माया: ''वजाह'' मैंने कहा : किसका बेटा है? उन्होंने कहा: ''मुझे इल्म नहीं। यह बसरा में एक औरत का गुलाम था।''

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الصَّلاَةِ وَتَحْلِيلِهَا

64. नमाज़ की तहरीम व तहलील का बयान.

238 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، طَرِيفٍ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِالحَمْدُ، وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا

238- सय्यदना अबू सईद अल ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''नमाज़ की कुंजी वुज़ू है, इसकी तहरीम (इब्तिदा) अल्लाहु अकबर और तहलील (इख़्तिताम) सलाम है और जो शख़्स फर्ज़ या किसी और नमाज़ में सूरए फातिहा और साथ कोई और सूरत नहीं पढ़ता उसकी नमाज़ ही नहीं होती।''

तौजीह: तहरीम व तहलील की वज़ाहत हदीस नम्बर 3 के तहत गुज़र चुकी है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं : यह हदीस हसन है। नीज़ इस मसले में अली और आयशा (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं और इस मसले में सय्यदना अली (ﷺ) की रिवायत की सनद अबू सईद की हदीस (की सनद) से ज़्यादा सहीह है और हमने अली (ﷺ) की हदीस को ''किताबुल वुज़ू''के शुरू में लिखा है। नबी(ﷺ) के सहबा और ताबेईन में से उलमा का इसी पर अमल है। नीज़ सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) का भी यही मौक़िफ़ है कि नमाज़ की इब्तिदा अल्लाहु अकबर से होती है और आदमी अल्लाहु अकबर कहने के साथ ही नमाज़ में दाखिल होता है।

इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं : मैंने अबू बक्र मुहम्मद बिन अबान से सुना वह फ़रमा रहे थे: ''मैंने अब्दुर्रहमान बिन महदी को यह फ़रमाते हुए सुना कि अगर कोई शख़्स अल्लाह तआला के नामों में से सत्तर नाम लेकर भी नमाज़ शुरू करे अल्लाहु अकबर न कहे तो यह उसको किफायत नहीं करेंगे। और अगर सलाम फेरने से पहले उसका वुज़ू टूट गया तो मैं उसे यही हुक्म दूंगा कि वह वुज़ू करके उसी जगह वापस आ जाए उस (की नमाज़) का मामला अपनी जगह पर ही रहेगा।

इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं : अबू नजरा का नाम अल मुन्जिर बिन मालिक बिन क़त्आ है।

65. अल्लाहु अकबर कहते वक़्त अपनी उँगलियों को फैलाना.

بَابٌ فِي نَشْرِ الأَصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ.

239- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: ''रसूलुल्लाह(ﷺ) जब नमाज़ के लिए अल्लाहु अकबर कहते तो अपनी उँगलियों को फैलाते।''

(239) अबू दाऊद: 753.निसाई:883.

239 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلاَةِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन है। नीज़ इसे कई रावियों ने इब्ने अबी ज़िब से बवास्ता सईद बिन सिमआन सामान अज़ अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत किया है कि नबी(ﷺ) जब नमाज़ शुरू करते तो अपने हाथों को खूब खींच कर उठाते थे। यह हदीस यहया बिन यमान की रिवायत से ज़्यादा सहीह है। क्योंकि इब्ने यमान ने इस हदीस (को बयान करने) में ग़लती की है।

240- सईद बिन सिमआन (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि मैंने अबू हुरैरा (رضي الله عنه) को बयान करते हुए सुना कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब नमाज़ के लिए खड़े होते तो अपने हाथों को खींच कर उठाते थे।

(240) अबू दाऊद: 753. निसाई:883. मुसनद अहमद:2/434. इब्ने खुजैमा: 459.

240-وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِمْعَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान ने फ़र्माया: ''यह हदीस यहया बिन

यमान की हदीस से ज़्यादा सहीह है और यहया बिन यमान की हदीस ग़लत है।''

66. तक्बीरे ऊला की फ़ज़ीलत

بَابٌ فِي فَضْلِ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى.

241- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ.

241- सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(صلى الله عليه وسلم) ने फ़र्माया: ''जो शख़्स चालीस दिन तक्बीरे ऊला समेत बाजमाअत नमाज़ पढ़ता है उसके लिए दो आज़ादियाँ लिख दी जाती हैं: एक आजादी जहन्नम से और दूसरी निफ़ाक़ से।''

(241) हसन.

241حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَوْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

241.. हमें यह हन्नाद ने बयान किया, (वह कहते हैं) हमें वकीअ ने खालिद बिन तहमान हबीब बिन अबी हबीब के तरीक से अनस (رضي الله عنه) का कौल बयान किया है और इसे मर्फू ज़िक्र नहीं किया।

वज़ाहत: यह हदीस अनस (رضي الله عنه) से मौकूफन रिवायत की गई है और सुलैम बिन क़ुतैबा की तमा बिन अम्र से बवास्ता हबीब बिन अबी साबित अज़ सय्यदना अनस (رضي الله عنه) मर्वी हदीस के अलावा कोई रावी उसे मर्फू बयान नहीं करता। नीज़ यह हदीस हबीब बिन अबी हबीब अल बजली के वास्ते से अनस (رضي الله عنه) से उनका कौल मर्वी है।

वजाहत: इस्माईल बिन अयाश ने यह हदीस अम्मारा बिन गज्या से बवास्ता अनस बिन मालिक अज़ उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) नबी(صلى الله عليه وسلم) से इसी तरह बयान की है। और यह हदीस गैर महफ़ूज़ और मुर्सल है। (क्योंकि)) उमारा बिन गज्या ने अनस बिन मालिक को नहीं पाया।

मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी (رحمه الله)) फ़रमाते हैं: ''हबीब बिन अबी हबीब की कुनियत अबू अल कसौसी है। उन्हें अबू उमैरा भी कहा जाता है।''

67. नमाज़ शुरू करते वक़्त की दुआ

بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

242 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، ثُمَّ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

242- सय्यदना अबू सईद अल ख़ुदरी (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब रात को नमाज़ के लिए खड़े होते तो अल्लाहु अकबर कहने के बाद कहते: ''ऐ अल्लाह! तु पाक है और हम तेरी तारीफ़ के साथ तेरी पाकी बयान करते हैं। तेरा नाम बड़ा ही बाबरकत है, तेरी बुज़ुर्गी बलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं।''फिर कहते हैं : ''अल्लाह सब से बड़ा है। बहुत बड़ा, फिर कहते हैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, जो हर आवाज़ को सुनने वाला और हर चीज़ को जानने वाला है: ''मरदूद शैतान (के शर) से, उसके वस्वसे से, उसके तकब्बुर से और उसकी फूकों (जादू) से।''

(242) . सहीह अबू दाऊद: 775. इब्ने माजा:804.

वज़ाहत: इस मसले में अली, आयशा, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, जाबिर, जुबैर बिन मुतइम और अब्दुल्लाह बिन उमर (رضی اللہ عنہ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: अबू सईद की हदीस इस मसले में ज़्यादा मश्हूर है और अहले इल्म के एक गिरोह ने इसी हदीस को लिया है। लेकिन अक्सर अहले इल्म कहते हैं: ''नबी(ﷺ) से : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ तक ही मर्वी है नीज़ उमर बिन ख़त्ताब और अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضی اللہ عنہ) से भी ऐसे ही रिवायत की गई है।

ताबेईन वग़ैरह में से अक्सर उलमा का इसी पर अमल है। और अबू सईद (رضی اللہ عنہ) की हदीस की सनद में क़लाम भी किया गया है। यहया बिन सईद, अली बिन अली अर्रफाई के बारे में क़लाम करते हैं और इमाम अहमद (رحمہ اللہ) कहते हैं: ''यह हदीस सहीह नहीं है। ''

243- حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ

243- सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) फ़रमाती हैं : ''नबी(ﷺ) जब नमाज़ शुरू करते तो आप(ﷺ) पढ़ते ''अल्लाह! तु पाक है और

أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ .هَذَا حَدِيثٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

हम तेरी तारीफ़ के साथ (तेरी पाकी बयान करते हैं।) तेरा नाम बड़ा ही बाबरकत, तेरी बुजुर्गी बलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं।''.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) की हदीस को हम सिर्फ इसी सनद से जानते हैं और हारसा में हाफ़िज़े की वजह से क़लाम किया गया है। और अबुर्रिजाल का नाम मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल मदनी है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الجَهْرِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

68.बिस्मिल्लाहिर्रहमा निर्रहीम को ऊंची आवाज़ से पढ़ना

244 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ، أَقُولُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ لِي: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ إِيَّاكَ وَالحَدَثَ، قَالَ: وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ أَبْغَضَ إِلَيْهِ الحَدَثُ فِي الإِسْلاَمِ، يَعْنِي مِنْهُ، قَالَ: وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَمَعَ عُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا، فَلاَ تَقُلْهَا، إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.{

244- अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (رضي الله عنه) के बेटे से रिवायत है कि मेरे बाप ने मुझे सुना मैं नमाज़ में {बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम} पढ़ रहा था। उन्होंने फ़र्माया: ''ऐ बेटे! यह बिदअत है। तू बिदअत से बच।'' मैंने नबी(ﷺ) के सहाबा में से किसी को उन से ज़्यादा बिदअत से बुग्ज़ करने वाला नहीं देखा और वह (अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं : ''मैंने नबी(ﷺ), अबू बक्र, उमर और उस्मान (رضي الله عنه) के साथ नमाज़ पढीं हैं। मैंने उन में से किसी को यह कलिमात (बुलंद आवाज़ के साथ) कहते हुए नहीं सूना। तो तुम भी न कहा करो, जब तुम पढ़ो तो (बुलंद आवाज़ से) {अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन} से शुरू करो।''

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 815.निसाई: 908. तोहफतुल अशराफ़:9667.

वज़ाहत : इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल की हदीस हसन है। नबी(ﷺ) के

सहाबा जिन में अबू बक्र, उमर, उस्मान और अली (رضی اللہ عنہم) वग़ैरह भी शामिल हैं और ताबेईन में से अक्सर उलमा का इसी पर अमल है। नीज़ सुफ़ियान सौरी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, अहमद और इस्हाक़ (رحمہم اللہ) भी यही कहते हैं। यह हजरात यही राय रखते हैं कि {बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम} को बलंद न पढ़ा जाये बल्कि अपने दिल में पढ़ ले।

69. बिस्मिल्लाहि र्रहमानि र्रहीम को बलंद आवाज़ से पढ़ना.

بَابُ مَنْ رَأَى الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

245- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं ''नबी अकरम(صلی اللہ علیہ وسلم) अपनी नमाज़ (की क़िरअत) को {बिस्मिल्लाहि र्रहमानि र्रहीम} से शुरू करते थे''

ज़ईफुल इस्नाद: अस्सिलसिला अज़-ज़ईफा. 13/953.

245 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ بِ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.}

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद मज़बूत नहीं है। नबी(صلی اللہ علیہ وسلم) के सहाबा की एक अच्छी खासी तादाद, जिन में अबू हुरैरा, इब्ने उमर, इब्ने अब्बास और अब्दुल्लाह बिन ज़ुहैर (رضی اللہ عنہم) शामिल हैं। और ताबेईन में से भी काफी उलमा की रायें यह है की {बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम} को बुलंद ना पढ़ा जाये। इमाम शाफेई (رحمہ اللہ) भी यही कहते हैं। इस्माईल बिन हम्माद, इब्ने अली सुलैमान हैं और अबू खालिद ''अल वाल्बी'' है इसका नाम हुर्मुज़ था और कूफा का रहने वाला था।

70. किरअत को {अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन} से शुरू करना.

بَابٌ فِي افْتِتَاحِ القِرَاءَةِ بِـ {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}

246- सय्यदना अनस (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(صلی اللہ علیہ وسلم), अबू बक्र, उमर और उस्मान (رضی اللہ عنہم) किरअत को {अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन} से शुरू करते थे।

बुखारी:743. मुस्लिम: 399. अबू दाऊद:782.इब्ने माजा:813. निसाई: 952.

246 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، يَفْتَتِحُونَ القِرَاءَةَ بِالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है और नबी(ﷺ) के सहाबा, ताबेईन और तबे ताबेईन भी इस पर अमल करते हुए {अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन} से शुरू करते थे।

इमाम शाफेई (ﷺ) फ़रमाते हैं कि नबी(ﷺ), अबू बक्र, उमर और उस्मान (ﷺ) {अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन} से किरअत शुरू करते थे। इसका मतलब यह है कि वह कोई सूरत पढ़ने से पहले सूरह फातिहा पढ़ते थे। यह मतलब नहीं है कि वह {बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम} नहीं पढ़ते थे। जबकि इमाम शाफेई (ﷺ) का मौक़िफ़ है कि जब किरअत बलंद आवाज़ से की जाए तो {बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम} भी बलंद आवाज़ से पढ़ी जाए।

.بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ

71. सूरह फातिहा के बगैर नमाज़ नहीं होती है।

247- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.

247.. सय्यदना उबादा बिन सामित (ﷺ) से रिवायत है नबी(ﷺ) ने फ़र्माया : ''उस शख़्स की कोई नमाज़ नहीं जो (नमाज़ में) सूरह फातिहा नहीं पढ़ता।''

(247) बुखारी: 756.मुस्लिम: 394.अबू दाऊद: 822.इब्ने माजा: 837.निसाई: 910.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, आयशा, अनस, अबू क़तादा और अब्दुल्लाह बिन अम्र से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं उबादा बिन सामित की हदीस हसन सहीह है और नबी(ﷺ) के बहुत से सहाबा जिन में उमर बिन ख़त्ताब, अली बिन अबी तालिब, जाबिर बिन अब्दुल्लाह और इमरान बिन हुसैन (ﷺ) भी शामिल हैं इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज़ नहीं होती है।

अली बिन अबी तालिब (ﷺ) फ़रमाते हैं हर वह नमाज़ जिस में सूरह फातिहा न पढ़ी जाए वह (नमाज़) नाकिस है। नीज़ इब्ने मुबारक, शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) का भी यही कौल है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) कहते हैं मैंने इब्ने अबी उमर को यह कहते हुए सुना कि मैं 18 साल इब्ने उयय्ना के पास आता जाता रहा और हुमैदी उम्र में मुझ से बड़े थे और फ़रमाते हैं मैंने 70 हज चल कर किये हैं।

72. आमीन (कहने) का बयान.

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّأْمِينِ.

248- सय्यदना वाइल बिन हुज्र (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मैंने सुना रसूलुल्लाह(ﷺ) ने {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} पढ़ा और आप ने अपनी आवाज़ को लंबा करते हुए आमीन कहा।''

सहीह अबू दाऊद: 387. अबू दाऊद:932. इब्ने माजा:755.

248 - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ}، فَقَالَ: آمِينَ، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ.

वज़ाहत: इस मसले में अली और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं वाइल बिन हुज्र की हदीस हसन है और नबी(ﷺ) के सहबा (رضي الله عنه) ताबेईन और तबे ताबेईन में से बहुत से उलमा भी यही कहते हैं कि आदमी आमीन कहते हुए अपनी आवाज़ को बलंद करे न कि पस्त। इमाम शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी यही कहते हैं।

नीज़ शोबा ने यह हदीस सलमा बिन कुहैल से उन्होंने हुज्र बिन अम्बस के वास्ते के साथ अल्क़मा बिन वाइल से उन्होंने अपने बाप से रिवायत की है कि नबी(ﷺ) ने {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} पढ़ा तो पस्त आवाज़ से आमीन कहा।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि मैंने मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) को यह कहते हुए सुना कि इस मसले में सुफ़ियान की हदीस शोबा की हदीस से ज़्यादा सहीह है शोबा ने इस हदीस में कई मक़ामात पर ग़लती की है उन्होंने कहा है कि हुज्र अबुल अम्बस से जबकि वह हुज्र बिन अल अम्बस हैं जिनकी कुनियत अबुस्सकन थी और इस (हदीस) में यह भी इजाफा किया है अन अल्क़मा बिन वाइल, हालांकि इस (सनद) में अल्क़मा नहीं हैं यह तो हुज्र बिन अल अम्बस के वास्ते से वाइल बिन हुज्र से रिवायत की गई है।

(इमाम तिर्मिज़ी(رحمه الله)) कहते हैं अपनी आवाज़ को पस्त करने का मतलब है अपनी आवाज़ को खींचना। (इमाम तिर्मिज़ी(رحمه الله)) फ़रमाते हैं मैंने अबू ज़रआ से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़र्माया: इस मसले में शोबा की नक़्लकर्दा हदीस से सुफ़ियान की हदीस ज़्यादा सहीह है। फ़रमाते हैं अला बिन सालेह अल असदी ने सलमा बिन कुहैल से सुफ़ियान की रिवायत जैसी रिवायत बयान की है।

-249 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ العَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ الأَسَدِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ.

249- अबू ईसा (अत्तिर्मिज़ी) कहते हैं हमने अबू बक्र मुहम्मद बिन अबान ने बयान किया, उन्हें अब्दुल्लाह बिन नुमैर ने, अला बिन सालेह बिन अल असदी ने सलमा बिन कुहैल से (वह कहते हैं) उन्हें हुज्र बिन अम्बस ने वाइल बिन हुज्र से, नबी(ﷺ) की वैसी ही हदीस बयान की जैसी हदीस सुफ़ियान ने सलमा बिन कुहैल से बयान की है।

सहीह अबू दाऊद: 933.

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّأْمِينِ.

73. आमीन कहने की फ़ज़ीलत

-250 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

250- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, जिस शख़्स की आमीन फरिश्तों की आमीन के मुवाफिक़ होगी तो उसके पहले के सब गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं।''

बुखारी: 780. मुस्लिम: 410. अबू दाऊद: 934, 936. इब्ने माजा: 851 निसाई: 925, 930.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّكْتَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ.

74. नमाज़ में दो दफ़ा ख़ामोश रहने का बयान

-251 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا

251- सय्यदना समुरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) का दो मर्तबा ख़ामोश रहना याद रखा हुआ था, इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) ने इसका इनकार करते हुए कहा: ''हमें तो एक सकता ही याद है'' हमने मदीना में

عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَقَالَ: حَفِظْنَا سَكْتَةً، فَكَتَبْنَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِالمَدِينَةِ، فَكَتَبَ أُبَيٌّ: أَنْ حَفِظَ سَمُرَةُ، قَالَ سَعِيدٌ، فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ: مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ: إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ القِرَاءَةِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: وَإِذَا قَرَأَ: {وَلَا الضَّالِّينَ}، قَالَ: وَكَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ القِرَاءَةِ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَتَرَادَّ إِلَيْهِ نَفَسُهُ.

उबय बिन काब (رضي الله عنه) को ख़त लिखा, सय्यदना उबय (رضي الله عنه) ने (जवाब में हमें ख़त) लिखा कि समुरा ने सहीह याद रखा है। (राविये हदीस) सईद फ़रमाते हैं: हमने क़तादा से पूछा: ''यह दो दफ़ा ख़ामोश रहना क्या है?'' (यानी इन का मौक़ा कौनसा है) उन्होंने फ़र्माया: ''जब नमाज़ शुरू करते और जब {وَلَا الضَّالِّينَ} : पढ़ते'' रावी कहते हैं: ''आप को यह बात अच्छी लगती थी कि जब किरअत से फ़ारिग हो तो जब तक सांस वापस न आ जाए ख़ामोश रहें।''

(ज़ईफ़) अबू दाऊद: 777,780 इब्ने माजा: 844 मुसनद अहमद: 5/7. इब्ने खुज़ैमा: 1578.

इस मसले में अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: समुरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन है और बहुत से उलमा का भी यही कौल है कि इमाम का नमाज़ शुरू करने और किरअत से फ़ारिग़ होने के बाद (थोड़ी देर) ख़ामोश रहना मुस्तहब है। इमाम अहमद, इस्हाक़ (رحمه الله) और हमारे साथियों का भी यही कौल है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ اليَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

75. नमाज़ में दायें हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखना.

252 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَؤُمُّنَا، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ

252- कबीसा बिन हुल्ब अपने बाप (हुल्ब (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) हमारी इमामत करवाते तो आप अपने बाएं हाथ को दायें हाथ से पकड़ते थे।

हसन सहीह: इब्ने माजा: 809. तयालिसी: 1087. मुसनद अहमद: 5/226. अबू दाऊद: 1041

वज़ाहत: इस मसले में वाइल बिन हुज्र, गतीफ़ बिन हारिस, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन मसऊद और सहल बिन साद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं : हुल्ब (ﷺ) की हदीस हसन है और नबी(ﷺ)के सहाबा ताबेईन और तबे ताबेईन में से अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि आदमी नमाज़ में दायाँ हाथ बाएं हाथ पर रखे। बाज़ की राय यह है कि अपनी नाफ़ से ऊपर हाथ रखे और बअ़ज (कुछ) की राय के मुताबिक नाफ़ से नीचे रखे। उनके नज़दीक सभी दुरुस्त है।

हल्ब का नाम यज़ीद बिन क़नाफ़ा अत्ताई (ﷺ) है।

76. रुकू और सजदे में जाते वक़्त अल्लाहु अकबर कहना.

1. بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

253- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) (नमाज़ में) हर झुकने, उठने, खड़े होने और बैठने (के मौक़ा) पर अल्लाहु अकबर कहते थे और अबू बक्र व उमर (ﷺ) भी (ऐसा ही करते थे)।

सहीह निसाई: 1083. मुसनद अहमद: 1/386. दारमी: 1252. बैहक़ी:2/ 177.

253 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, अनस, इब्ने उमर, अबू मालिक अशअरी, अबू मूसा, इमरान बिन हुसैन, वाइल बिन हुज्र और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा का, जिन में अबू बक्र, उमर, उस्मान और अली (ﷺ) भी शामिल हैं, और ताबेईन का भी इसी पर अमल है और आम फ़ुकहा और उलमा का भी इसी पर (फतवा) है।

254- सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) (रुकू और सजदे के लिए) झुक रहे होते थे तो अल्लाहु अकबर कहते थे।

बुखारी 785. मुस्लिम:392. अबू दाऊद: 836. इब्ने माजा: 860. निसाई: 1023.

254 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَهْوِي.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और नबी (ﷺ) के सहाबा और ताबेईन इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि आदमी जब रुकू और सजदों के लिए झुक रहा हो तो अल्लाहु अकबर कहे।

78. रुकू करते वक़्त दोनों हाथों को उठाना

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ.

255- सालिम (رحمه الله) अपने वालिद (अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा जब आप नमाज़ शुरू करते तो अपने हाथों को उठाते यहाँ तक कि उनको अपने दोनों कन्धों के बराबर करते और जब रुकू करते और जब रुकू से सर उठाते (तो ऐसे ही करते थे) इब्ने अबी उमर ने अपनी हदीस में यह अलफ़ाज़ ज़्यादा किये हैं कि आप(ﷺ) दोनों सजदों के दर्मियान हाथ नहीं उठाते थे।

बुखारी: 735. मुस्लिम: 390. अबू दाऊद: 721. इब्ने माजा: 858. निसाई: 876.

255 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ لاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

तौज़ीह: يُحَاذِي : हाथों को कन्धों तक उठाते न ज़्यादा ऊंचा न नीचा।

256- अबू ईसा (अत्तिर्मिज़ी (رحمه الله)) फ़रमाते हैं : हमें फजल बिन सबाह अल बगदादी ने (वह कहते हैं) : हमें सुफ़ियान बिन उयय्ना ने ज़ोहरी से इस सनद के साथ इब्ने अबी उमर की हदीस जैसी हदीस बयान की है।

सहीह: तहक़ीक़ के लिए साबिक़ हदीस देखें.

256 - حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ البَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ.

वज़ाहत: इस मसले में उमर, अली, वाइल बिन हुज्र, मालिक बिन हुवैरिस, अनस, अबू हुरैरा, अबू हुमैद, अबू उसैद, सहल बिन साद, मुहम्मद बिन मस्लमा, अबू क़तादा, अबू मूसा अशअरी, जाबिर और उमैर अल लैसी (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी (ﷺ) के सहाबा किराम (رضي الله عنهم) : जिन में अब्दुल्लाह बिन उमर, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अबू हुरैरा, अनस, इब्ने अब्बास और अब्दुल्लाह बिन जुबैर (رضي الله عنهم) वग़ैरह

भी शामिल हैं, और ताबेईन में से हसन बसरी, अता, ताऊस, मुजाहिद, नाफ़ेअ, सालिम बिन अब्दुल्लाह और सईद बिन जुबैर (ﷺ) वग़ैरह का भी यही कौल है। नीज़ मालिक, अम्मार, औज़ाई, इब्ने उयय्ना, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) भी यही कहते हैं।

अब्दुल्लाह बिन मुबारक (ﷺ) फ़रमाते हैं: ''रफउल यदैन (रफायदैन) की हदीस साबित हो गई।'' उन्होंने जोहरी की सालिम के वास्ते से उनके बाप की हदीस बयान की और फ़र्माया : ''इब्ने मसऊद की हदीस साबित नहीं है कि नबी(ﷺ) सिर्फ पहली दफ़ा ही रफउल यदैन (रफायदैन) करते थे।''

तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: हमें यहया बिन मूसा ने बयान करते हुए कहा कि हमें इस्माईल बिन अबी उवैस ने बताया कि इमाम मालिक बिन अनस नमाज़ में रफउल यदैन (रफायदैन) को सहीह मानते थे। और यहया फ़रमाते हैं : हमें अब्दुर्रज्जाक ने यह बात बयान की है मामर भी नमाज़ में रफउल यदैन (रफायदैन) को दुरुस्त ख़याल करते थे।

तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: मैंने जारूद को यह कहते हुए सुना कि सुफ़ियान बिन उयय्ना, उमर बिन हारून और नज़्र बिन शुमैल भी जब नमाज़ शुरू करते, जब रुकू करते और रुकू से सर उठाते तो रफउल यदैन (रफायदैन) करते थे।

79. इस बात का बयान कि नबी(ﷺ) सिर्फ पहली मर्तबा (हाथ) उठाते थे.

باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة

257- अल्क़मा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने फ़र्माया: ''क्या मैं तुम्हें नबी(ﷺ) की नमाज़ जैसी नमाज़ न पढ़ाऊं? फिर उन्होंने नमाज़ पढ़ाई और सिर्फ पहली मर्तबा अपने हाथों को उठाया।''

सहीह: अबू दाऊद: 748. निसाई: 1028. (फ़ाज़िल मुहक्किक के नज़दीक यह हदीस सहीह है लेकिन इस हदीस को अबू दाऊद, शाफेई, अहमद, अबू हातिम और दार क़ुत्नी: वग़ैरह ने ज़ईफ़ कहा है, इसी तरह अब्दुल्लाह बिन मुबारक (ﷺ) का भी पिछली हदीस में कौल गुज़र चुका है कि यह हदीस साबित नहीं है। लिहाज़ा इस हदीस को सहीह क़रार देना ग़लती है।

257 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ.

वज़ाहत: इस मसले में बरा बिन आज़िब (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: ''अब्दुल्लाह बिन मसऊद की हदीस हसन है और नबी (ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से कई उलमा का यही कौल है। नीज़ सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा भी यही कहते हैं।

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ

80. रुकू में हाथों को घुटनों पर रखना.

258 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: إِنَّ الرُّكَبَ سُنَّتْ لَكُمْ، فَخُذُوا بِالرُّكَبِ.

258- अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी कहते हैं कि सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) ने हम से कहा: ''बेशक घुटनों को (पकड़ना) तुम्हारे लिए मस्नून किया गया है सो तुम (रुकू में) घुटने पकड़ा करो।''

सहीहुल इस्नाद: निसाई: 1034. इब्ने अबी शैबा:2/245.

वज़ाहत: इस मसले में साद, अनस, अबू उसैद, सहल बिन साद, मुहम्मद बिन मस्लमा और अबू मसऊद (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और नबी(ﷺ) के सहाबा, ताबेईन और तबे ताबेईन में से अहले इल्म का इसी पर अमल और इस मसले में उनके दर्मियान कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है सिवाए इस अमल के जो अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) और उनके बअ़ज (कुछ) साथियों से रिवायत किया गया है कि वह तत्बीक़ करते थे। लेकिन अहले इल्म के नज़दीक तत्बीक़ मंसूख हो गई है।

तौज़ीह: तत्बीक़ : से मुराद है दोनों हाथों को जोड़ कर घुटनों के दर्मियान में रखना लेकिन यह अमल मंसूख हो चुका था।

259 . قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ الأَكُفَّ عَلَى الرُّكَبِ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ بِهَذَا.

259- सय्यदना साद बिन अबी वक्क़ास (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि हम ऐसा किया करते थे, फिर हमें इस तत्बीक़ से मना कर दिया गया और हमें हुक्म दिया गया कि हम हाथों को घुटनों के ऊपर रखें (इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं। हमें कुतैबा ने बयान किया कि हमें अबू अवाना ने

अबू याफूर से बवास्ता मुसअब बिन साद उनके बाप साद (ﷺ) से यह हदीस बयान की है।

बुखारी: 790.मुस्लिम: 535. अबू दाऊद: 867. इब्ने माजा: 873. निसाई: 1032.

वज़ाहत: अबू हुमैदी अस्साइदी (ﷺ) का नाम अब्दुर्रहमान बिन साद बिन अल मुन्ज़िर, अबू उसैद अस्साइदी (ﷺ) का नाम मालिक बिन रबीआ, अबू हुसैन का नाम उस्मान बिन आसिम अल असदी, अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी का नाम अब्दुल्लाह बिन हबीब, अबू याफूर का नाम अब्दुर्रहमान बिन निस्तास और अबू याफूर अल अब्दी का नाम वाकिद या विक्दान है। यह (अबू याफूर अल अब्दी) वह है जो अब्दुल्लाह बिन अबी औफा से रिवायात करता है और दोनों (अबू याफूर नामी रावी) कूफा से हैं।

81. रुकू में हाथों को पसलियों से दूर रखना.

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ

260- अब्बास बिन सहल बिन साद (ﷺ) बयान फ़रमाते हैं कि अबू हुमैद, अबू उसैद, सहल बिन साद और मुहम्मद बिन मस्लमा(ﷺ) एक जगह इकट्ठे हुए तो उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) की नमाज़ का तज़्किरा किया अबू हुमैद (ﷺ) फ़रमाने लगे मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) की नमाज़ को तुम से ज़्यादा जानता हूँ, बेशक रसूलुल्लाह(ﷺ) ने रुकू किया तो हाथों को अपने घुटनों पर ऐसे रखा गोया आपने उन दोनों को पकड़ा हुआ हो और दोनों हाथों (बाजुओं) को तान कर रखा और अपने पहलुओं से दूर रखा।

सहीह अबू दाऊद: 734. इब्ने माज़ा:863. दारमी: 1313.इब्ने खुजैमा: 586.

260- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ، وَأَبُو أُسَيْدٍ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، وَوَتَّرَ يَدَيْهِ، فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ.

तौज़ीह: وَتَّرَ : खींच कर तान कर रखना इसी लिए कमान की तांत को वतर कहते हैं।

वज़ाहत: इस मसले में अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुमैद की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म ने इसी बात को इख़्तियार किया है कि आदमी रुकू और सज्दों में अपने बाज़ुओं को पहलुओं से दूर रखे।

82. रुकू और सज्दों में तस्बीह करने का बयान.

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

261- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब तुम में से कोई शख़्स रुकू करे और अपने रुकू में (ये कलिमात) ''मेरा रब अजीम (हर ऐब से) पाक है। ''तीन दफ़ा कहे तो उसका रुकू मुकम्मल हो गया और यह तादाद कम अज़ कम है और जब सज्दा करे तो अपने सज्दे में (यह कलिमात) ''मेरा बलंद परवरदिगार (हर ऐब से) पाक है। ''तीन मर्तबा कहे तो उसका सज्दा मुकम्मल हो गया और यह तादाद कम अज़ कम है।

261- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ، فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ، فَقَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ.

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 886. इब्ने माजा: 890.

वज़ाहत: इस मसले में हुज़ैफा और उक़्बा बिन आमिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन मसऊद की हदीस की सनद मुत्तसिल नहीं है। औन बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा की अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से मुलाक़ात नहीं हुई।

अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि आदमी रुकू और सज्दे में तीन से कम तस्बीहात न कहे यही मुस्तहब अमल है। और अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمه الله) से रिवायत की गई है वह फ़रमाते हैं : ''इमाम के लिए मुस्तहब है कि वह पांच तस्बीहात कहे ताकि पिछले (मुक्तदी) तीन तस्बीहात कहने के वक़्त को पालें और इस्हाक़ बिन इब्राहीम (رحمه الله) ने भी ऐसे ही कहा है। ''

262- सय्यदना हुज़ैफा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि उन्होंने नबी(ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी तो आप(ﷺ) अपने रुकू में سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ:

262- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ،

قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَفِي سُجُودِهِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ وَسَأَلَ، وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ عَذَابٍ إِلاَّ وَقَفَ وَتَعَوَّذَ.

और सज्दों में سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى : कहते हैं और जब आप रहमत की किसी आयत पर आते तो ठहरते और अल्लाह से रहमत का सवाल करते और जब अज़ाब की आयत पर आते तो ठहरते और अज़ाब से पनाह मांगते।

मुस्लिम: 772. अबू दाऊद: 871.इब्ने माजा: 888. निसाई: 1008.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ''यह हदीस हसन सहीह है। ''

263 - وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ.

263.. तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने बवास्ता अब्दुर्रहमान बिन महदी, शोबा से ऐसी ही हदीस बयान की।

सहीह अल- मिश्कात: 881 तोहफतुल अशराफ़: 3351

वज़ाहत: सय्यदना हुज़ैफा (رضي الله عنه) से कई सनदों के साथ यह हदीस बयान की गई है कि उन्होंने रात को नबी(ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी फिर पूरी हदीस बयान करते हैं।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

83. रुकू और सज्दों में क़ुरआन पढ़ना मना है।

264- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ.

264- सय्यदना अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने रेशम मिले हुए औरेंज कपड़ों को पहनने, सोने की अंगूठी पहनने और रुकू में क़ुरआन पढ़ने से मना किया।

मुस्लिम: 480. अबू दाऊद: 4044. निसाई: 1040, 1044

तौज़ीह: الْقَسِّيِّ : रूई के कपड़े के साथ रेशम मिला हुआ हो तो उनको الْقَسِّيِّ कहते हैं, मिस्र की एक बस्ती قَسْ: में यह कपड़ा तैयार होता था और उस पर तिरंच की शक्लें बनी हुई थीं।

عَصْفر: الْمُعَصْفَر ज़र्द रंग की एक बूटी होती है जिस के साथ कपड़ों की रंगाई की जाती थी और ऐसे कपड़े को مُعَصْفَر कहते हैं।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ''अली की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنهم) , ताबेईन और तबा ताबेईन (رحمهم الله) इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि रुकू और सजदा में किरअत मना है।

84. जो शख़्स रुकू और सज्दों में अपनी पीठ सीधी नहीं करता

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

265- सय्यदना अबू मसऊद अल अन्सारी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''वह नमाज़ काम नहीं आती जिसके रुकू और सज्दों में आदमी अपनी पीठ (पुश्त) को सीधा नहीं करता।

सहीह अबू दाऊद: 855. इब्ने माजा: 870. निसाई: 1027.

265- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ، يَعْنِي، صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

वज़ाहत: इस मसले में अली बिन शैबान, अनस, अबू हुरैरा और रिफ़ाआ अज़्ज़र्की (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू मसऊद अल अन्सारी (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنهم) और ताबेईन (رحمهم الله) का भी इसी पर अमल है कि आदमी रुकू और सज्दों में अपनी पीठ को सीधा (बराबर में) रखे।इमाम शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) कहते हैं: जो शख़्स रुकू और सज्दों में अपनी पीठ को सीधा नहीं रखता तो नबी(ﷺ) की इस हदीस को जो आदमी रुकू और सज्दा में अपनी पीठ को सीधा नहीं करता उसकी नमाज़ कुछ काम नहीं देती, की वजह से फासिद होगी। और अबू मामर का नाम अब्दुल्लाह बिन संजरह और अबू मसऊद अल अन्सारी अल बद्री (رضي الله عنه) का नाम उक़्बा बिन अम्र है।

باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع

85. रुकू से सर उठाते वक़्त किया कहे?

266- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

266- सय्यदना अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब रुकू से सर उठाते तो कहते : ''अल्लाह ने सुन ली उस बन्दे की जिस ने उसकी तारीफ़ की। ऐ हमारे परवरदिगार ! तेरे लिए ही सारी तारीफ़ है आसमानों के भराव के बराबर, ज़मीन के भराव के बराबर, इन दोनों के दर्मियानी हर जगह के भराव के बराबर और हर उस चीज़ के भराव के बराबर जो तू चाहे।''

मुस्लिम: 771. अबू दाऊद: 760. इब्ने माजा: 1054. निसाई: 897.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, इब्ने अबी औफा, अबू जुहैफ़ा और अबू सईद (رضي الله عنه) से भी मर्वी हैं:

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अली (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और बअ़ज (कुछ) अहले इल्म के नज़दीक इसी पर अमल है।

नीज़ इमाम शाफेई (رحمه الله) फ़रमाते हैं : ''फ़र्ज़ और नफ़ल नमाज़ में यही कहे।

बाज़ अहले कूफा कहते हैं: ''यह दुआ नफ़ल नमाज़ में पढ़े। फ़र्ज़ नमाज़ में न पढ़े।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: (राविये हदीस अब्दुल अज़ीज़ को) अल्माजिशूनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह माजिशून की औलाद में से हैं।

267- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،

267- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब इमाम : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (अल्लाह ने उसकी बात सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की) कहे

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

तुम : رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ (या हमारे रब! तेरी ही तारीफ़ है) कहो। जिस की बात फरिश्तों की बात के मुवाफिक आ गई उसके पहले गुनाह मुआफ़ कर दिए जायेंगे।''

बुखारी: 796. मुस्लिम: 409. अबू दाऊद: 848. इब्ने माजा: 875. निसाई: 1063.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन का इसी पर अमल है कि इमाम '': سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ कहे और इमाम के पीछे वाला : رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ और इमाम अहमद (رحمه الله) का भी यही कौल है। अल्लामा इब्ने सीरीन (رحمه الله) वग़ैरह फ़रमाते हैं: इमाम के पीछे वाला आदमी भी इमाम की तरह''سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ'' ही कहे इमाम शाफेई और इस्हाक़ (رحمه الله) भी यही कहते हैं।

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ اليَدَيْنِ فِي السُّجُودِ

87. सजदे जाते वक़्त घुटनों को हाथों से पहले (ज़मीन पर) रखना.

268- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

268- सय्यदना वाइल बिन हुज्र (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा आप जब सज्दा करते तो अपने घुटनों को अपने हाथों से पहले (ज़मीन पर) रखते थे और जब (सजदे से) उठते तो अपने हाथों को अपने घुटनों से पहले (ज़मीन से) उठाते थे।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 838. इब्ने माजा: 882. निसाई: 1089.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हसन बिन अली ने अपनी हदीस में बयान किया है कि यजीद बिन हारून कहते हैं: ''शरीक ने आसिम बिन कुलैब से सिर्फ यही हदीस रिवायत की है। ''

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हदीस हसन गरीब है। और हम शरीक के अलावा किसी रावी

को नहीं जानते जिसने ऐसी रिवायत बयान की हो। नीज़ अक्सर अहले इल्म का इसी पर अमल है कि आदमी अपने घुटने हाथों से पहले रखे और जब (सजदे से) उठे तो अपने हाथ घुटनों से पहले उठाये और हम्माम ने यह रिवायत आसिम से मुर्सल बयान की है उस ने (सनद में) वाइल बिन हुज्र (رضي الله عنه) का ज़िक्र नहीं किया।

269- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ فِي صَلاَتِهِ بَرْكَ الجَمَلِ

269- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया तुम में से कोई आदमी जान बूझ कर अपनी नमाज़ में ऊँट की तरह बैठता है।

सहीह मुसनद अहमद: 2/381. अबू दाऊद: 840.निसाई: 1090.दारमी: 1327.

तौज़ीह: यहाँ पर सज्दा में जाते वक़्त हाथों को पहले रखने की तरगीब है कि ऊँट की तरह घुटने पहले न रखे जाएँ इसलिए कि जानवरों के घुटने पिछली टांगों में होते हैं।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस गरीब है और हमें अबुज़्ज़िनाद से सिर्फ इसी सनद के साथ मिलती है।

नीज़ यह हदीस अब्दुल्लाह बिन सईद अल मक्बिरी से भी उनके वालिद के वास्ते के साथ अबू हुरैरा (رضي الله عنه) के ज़रिया नबी(ﷺ) से मर्वी है (लेकिन) अब्दुल्लाह बिन सईद अल मक्बिरी को यहया बिन सईद अल क़त्तान वग़ैरह ने ज़ईफ़ कहा है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى الجَبْهَةِ وَالأَنْفِ.

89. पेशानी और नाक पर सज्दे करना

270- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

270- सय्यदना अबू हमैद अस्साइदी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) जब सज्दा करते (तो) अपनी नाक और पेशानी ज़मीन पर जमाते और अपने हाथों (बाजुओं) को पहलुओं से दूर रखते और अपने हाथ कन्धों के बराबर रखते।

सहीह अबू दाऊद: 734. इब्ने माजा: 862.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास, वाइल बिन हुज्र और अबू सईद (رضی اللہ عنہ) से भी अहादीस मर्वी हैं: अबू हुमैद अस्साइदी (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म का इसी पर अमल है कि आदमी अपनी पेशानी और नाक पर सज्दे करे, अगर (सिर्फ) अपनी पेशानी पर सज्दा करता है नाक पर नहीं तो (इस बारे में) अहले इल्म की एक जमाअ़त कहती है कि नमाज़ पूरी हो जायेगी और दूसरे लोग कहते हैं कि उसको उतना ही काफी नहीं होगा जब तक पेशानी और नाक पर सज्दा न करे।

90. सज्दा में चेहरा कहाँ रखे?

بَابُ مَا جَاءَ أَيْنَ يَضَعُ الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ.

271- अबू इस्हाक़ (رحمہ اللہ) कहते हैं कि मैंने सय्यदना बरा बिन आज़िब (رضی اللہ عنہ) से पूछा कि नबी(ﷺ) जब सज्दा करते थे तो अपने चेहर-ए- मुबारक को कहाँ रखते थे उन्होंने फ़र्माया: ''अपने दोनों हाथों के दर्मियान।''

सहीह: सहीह अबू दाऊद: 714.

271- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ، فَقَالَ: بَيْنَ كَفَّيْهِ.

वज़ाहत: इस मसले में वाइल बिन हुज्र और अबू हुमैद (رضی اللہ عنہ) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं बरा (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह गरीब है। और बअ़ज (कुछ) उलमा ने इसी को इख़्तियार किया है कि उसके हाथ कानों के करीब हो।

91. सात आज़ा (अंगो) पर सज्दा करना

بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ.

272- सय्यदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना : ''जब बन्दा सज्दा करता है तो उसके साथ सात आज़ा उसका चेहरा, दो हाथ, दो घुटने और उसके दोनों पाँव भी सज्दा करते हैं।''

मुस्लिम: 491. अबू दाऊद: 891. इब्ने माजा: 885. निसाई: 1094.

272- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا سَجَدَ العَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ

तौज़ीह: آرَابٍ: إِرْبٌ आराब इर्ब की जमा है मानी है आज़ा।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अबू हुरैरा, जाबिर और अबू सईद (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और उलमा के नज़दीक इसी पर अमल है।

273- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلاَ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَلاَ ثِيَابَهُ

273- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि नबी(ﷺ) को (अल्लाह की तरफ़ से) हुक्म दिया गया था कि सात आज़ा पर सज्दा करें और (दौराने नमाज़) अपने बालों और कपड़ों को न समेटें।

बुखारी: 809. मुस्लिम:490. अबू दाऊद: 889.इब्ने माजा: 883.निसाई: 1093.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّجَافِي فِي السُّجُودِ.

92. सज्दों में तमाम आज़ा(अंगों) को एक दूसरे से अलग रखना

274-حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَقْرَمِ الخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ، فَمَرَّتْ رَكَبَةٌ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي، قَالَ: فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَتَيْ إِبِطَيْهِ إِذَا سَجَدَ، أَرَى بَيَاضَهُ

274- उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अक़रम अल ख़ुज़ाई अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैं अपने बाप (अक़रम अल ख़ुज़ाई) के साथ नमिरा में हमवार और खुली जगह पर था कि एक क़ाफ़िला गुजरा (अचानक देखा) तो रसूलुल्लाह(ﷺ) खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे, जब आप(ﷺ) सज्दा करते तो मैं आपकी बगलों की सफेदी देखता (यानी चमक देखता)

सहीह: इब्ने माजा: 881.निसाई: 1108.

तौज़ीह: القَاع : वह हमवार जगह जहां बारिश का पानी जमा हो सकता हो और नबातात उग सकती हो। उसकी जमा قِيعة و قِيعان : आती है।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास, इब्ने बुहैना, जाबिर, अहमर बिन जुज़अ, मैमूना, अबू हुमैद, अबू उसैद, अबू मसऊद, सहल बिन साद, मुहम्मद बिन मस्लमा, बरा बिन आज़िब, अदी बिन अमीरह और आयशा (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अक़रम की हदीस हसन है और हमें सिर्फ दाऊद बिन कैस के वास्ते से ही मिली है और अब्दुल्लाह बिन अक़रम की नबी(ﷺ) से सिर्फ यही एक हदीस हमें मालूम है।

नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा में से अक्सर उलमा का इसी पर अमल है और अहमर बिन जुज़अ नबी(ﷺ) के सहाबी हैं उनकी सिर्फ एक ही हदीस है। अब्दुल्लाह बिन अक़रम अज़्ज़ोहरी, अबू बक्र सिद्दीक के कातिब थे उन की नबी(ﷺ) से सिर्फ यही एक हदीस है।

93. सज्दे में बराबर रहना

بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ.

275- सय्यदना जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब तुम में से कोई शख़्स सज्दा करे तो बराबर (और दुरुस्त) रहे और अपने बाज़ू कुत्ते की तरह न बिछाए।''

सहीह इब्ने माजा: 891.अब्दुर्रज्जाक: 293. इब्ने अबी शैबा: 1/285.मुसनद अहमद: 3/305.

275- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ، وَلاَ يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الكَلْبِ.

तौज़ीह: الاِعْتِدَال: सीधा और बराबर होना, दुरुस्त और यकसां होना।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुर्रहमान बिन शिब्ल, अनस, बरा अबू हुमैद और आयशा (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं जाबिर (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए सज्दों में बराबर होने को पसंद और दरिन्दे की तरह बाज़ू बिछाने को ना पसंद करते हैं।

276- क़तादा (ﷺ) फ़रमाते हैं: मैंने अनस (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''सज्दों में बराबर रहो और तुम में से कोई शख़्स नमाज़ में अपने बाज़ू कुत्ते की तरह न बिछाए।''

276- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلاَ يَبْسُطَنَّ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ فِي الصَّلاَةِ بَسْطَ الْكَلْبِ.

बुखारी: 532. मुस्लिम: 493. अबू दाऊद: 897. इब्ने माजा: 892. निसाई: 1028.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ

94. सज्दों में हाथों को ज़मीन पर रखना और दोनों क़दम खड़े रखना

277- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ

277- आमिर बिन साद अपने बाप (साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ि।) से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने (सज्दे में) दोनों हाथों को (ज़मीन पर) रखने और दोनों क़दम खड़े रखने का हुक्म दिया।

हसन; बैहक़ी: 2/ 107.

278- قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَقَالَ الْمُعَلَّى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ

278- आमिर बिन सईद (رحمه الله) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने (सज्दे में) हाथ (ज़मीन पर) रखने का हुक्म दिया। फिर आगे वैसी ही रिवायत बयान की और उसमें अपने वालिद (साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ि।) का ज़िक्र नहीं किया।

हसन बिमा क़ब्लहू सिफतुस् सलात 126. तोहफतुल अशराफ़:3887.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यहया बिन सईद अल क़त्तान और दीगर रावियों ने मुहम्मद बिन अजलान से बवास्ता मुहम्मद बिन इब्राहीम अज़ आमिर बिन साद रिवायत की है कि नबी(ﷺ) ने हाथों को (ज़मीन पर) रखने और क़दम खड़े करने का हुक्म दिया।यह रिवायत मुर्सल है और यह हदीस वुहैब की रिवायत से ज़्यादा सहीह है। नीज़ इसी पर अहले इल्म ने इज्मा करते हुए इसको इख़्तियार किया है।

95. सज्दे और रुकू में सर उठा कर अपनी कमर को सीधा करना.

باب مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الصُّلْبِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ

279- सय्यदना बरा बिन आज़िब (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) की नमाज़ ऐसी थी कि जब रुकू करते, रुकू से सर उठाते, सज्दा करते, जब सज्दे से सर उठाते (तो उनका दौरानिया) करीब करीब और बराबर होता।

बुखारी:792. मुस्लिम:471. अबू दाऊद:852. निसाई: 1065.

279- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ: قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ

280.. (इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं:) हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने, (वह कहते हैं:) हमें मुहम्मद बिन जाफर ने (वह कहते हैं:) हमें शोबा बिन हकम ने ऐसी ही हदीस बयान की।

तखरीज के लिए इस से पिछली हदीस देखें.

280- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، نَحْوَهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: सय्यदना बरा बिन आज़िब की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म के नज़दीक इसी पर अमल है।

96.रुकू और सुजूद में इमाम से पहल करना मना है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُبَادَرَ الْإِمَامُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

281- अब्दुल्लाह बिन यजीद रिवायत करते हैं कि हमें बरा (ﷺ) ने बयान किया (वह काज़िब (झूठा) रावी नहीं हैं) कि हम जब रसूलुल्लाह(ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ते थे तो आप अपना सर रुकू से उठाते (तो) हम में से कोई आदमी भी अपनी कमर को नहीं झुकाता था, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह(ﷺ) सज्दा

281 - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا البَرَاءُ، وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ

رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، لَمْ يَحْنِ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْجُدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَسْجُدَ

करते फिर हम भी सज्दा करते।

बुखारी:690. मुस्लिम:474.अबू दाऊद:620, 622. निसाई: 829.

वज़ाहत: इस मसले में अनस, मुआविया, साहिबे जुयूश इब्ने मस्अदा और अबू हुरैरा (رضي الله عنه)से भी अहादीस मर्वी है इमाम तिर्मिज़ी फर्माते है: बरा की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म भी यही कहते हैं कि मुक़्तदी इमाम के हर काम में उसके पीछे चलेंगे और उसके बाद रुकू करेंगे और बाद में ही (रुकू से सर) उठाएंगे और हमारे इल्म में इस बारे में उनका कोई इख़्तिलाफ़ नहीं।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

97. दो सज्दों के दर्मियान (जलसा में) पाँव खड़े करके उन पर बैठना मना है।

282 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا عَلِيُّ، أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، لاَ تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

282- सय्यदना अली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझ से फ़र्माया: ''ऐ अली ! मैं तुम्हारे लिए वही पसंद करता हूँ जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ, तुम दो सज्दों के दर्मियान इक्आ न करो।'' ज़ईफ़: इब्ने माजा: 894.

तौज़ीह: اقعاء : पाँव खड़े करके उँगलियों पर वज़न डाल कर एड़ियों के ऊपर बैठ जाने को اقعاء कहा जाता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमें यह हदीस अली (رضي الله عنه) बवास्ता अबू इस्हाक़ अज़ हारिस के ज़रिया ही मिली है। और बअ्ज (कुछ) उलमा ने हारिस अल आवर को ज़ईफ़ कहा है।
नीज़ इसी हदीस पर अमल करते हुए उलमा اقعاء को मकरूह कहते हैं। इस मसले में आयशा, अनस और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं।

بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي الإِقْعَاءِ.

98. इक़्आ की रुख़्सत

283- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:

283- ताऊस (رحمه الله) कहते हैं कि हमने सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से क़दमों के ऊपर बैठने के बारे में पूछा (तो) उन्होंने

أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا، يَقُولُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى القَدَمَيْنِ، قَالَ: هِيَ السُّنَّةُ، فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، قَالَ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

फ़र्माया: ''यह सुन्नत है ''हम ने कहा: हम तो इसे (नमाज़ पढ़ने वाले) आदमी के लिए ज्यादती तसव्वुर करते हैं।'' उन्होंने फ़र्माया: ''बल्कि यह तुम्हारे नबी (ﷺ) की सुन्नत है।''

मुस्लिम: 636. अबू दाऊद:845.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) के कुछ अहले इल्म सहाबा (رضي الله عنهم) इसी हदीस के मुताबिक मज़हब रखते हुए اقعاء में कोई हर्ज नहीं समझते और अहले मक्का में से भी कुछ फ़ुकहा व उलमा का यही कौल है (लेकिन) ज़्यादा तर अहले इल्म दो सज्दों के दर्मियान اقعاء को मकरूह समझते हैं।

بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

99. दो सज्दों के दर्मियान जलसे की दुआ.

284 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي العَلَاءِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي.

284- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) दो सज्दों के दर्मियान (यह कलिमात) कहते थे। ''ऐ अल्लाह! मुझे बख़्श दे, मुझ पर रहम फ़रमा, मेरे नुक़सान को पूरा कर। मुझे हिदायत दे और मुझे रोज़ी अता कर।''

सहीह अबू दाऊद: 850. इब्ने माजा: 894. हाकिम: 1/ 261.बैहक़ी: 2/ 122.

285- حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي العَلَاءِ نَحْوَهُ

285- (अबू ईसा तिर्मिज़ी) फ़रमाते हैं: ''हमें हसन बिन अली अल खल्लाल अल हुल्वानी ने (वह कहते हैं:) हमें यजीद बिन हारून ने ज़ैद बिन हुबाब के वास्ते के साथ कामिल अबू अला से इसी तरह की हदीस बयान की है।

तख़रीज के लिए देखिए पिछली हदीस.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। और इसी तरह की रिवायत अली (رضي الله عنه) से भी की गई है। नीज़ शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) इस (दुआ) को फ़र्ज़ और नफ़ल (नमाज़) में पढ़ना जायज़ समझते हैं, और बअ़ज (कुछ) रावियों ने इस हदीस को कामिल अबुल अला से मुर्सल रिवायत किया है।

100. सज्दे में सहारा लेना

بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِعْتِمَادِ فِي السُّجُودِ.

286- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) के किसी सहाबी ने नबी(ﷺ) को (कोहनियाँ, घुटनों और पहलुओं से) जुदा रखने की वजह से (उठाई जाने वाली) मशक्क़त की शिकायत की तो आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''तुम घुटनों से तआवुन लिया करो।''

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 902. मुसनद अहमद: 2/339. इब्ने हिब्बान. 1918.

286- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اشْتَكَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ إِذَا تَفَرَّجُوا، فَقَالَ: اسْتَعِينُوا بِالرُّكَبِ.

तौज़ीह: घुटनों से तआवुन: यानी कोहनियाँ घुटनों पर रख लिया करो।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से मर्वी नबी(ﷺ) की यह हदीस हमें सिर्फ़ लैस की सनद से बवास्ता इब्ने अजलान ही मिलती है।

नीज़ सुफ़ियान बिन उयय्ना और दीगर रावियों ने सुमै के वास्ते के साथ नौमान बिन अबी अयाश के ज़रिया नबी करीम(ﷺ) से ऐसी ही हदीस रिवायत की है। गोया उन (रावियों) की रिवायत लैस की रिवायत से ज़्यादा सहीह है।

101. सज्दे से उठने का तरीक़ा

بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ النُّهُوضُ مِنَ السُّجُودِ.

287- सय्यदना मालिक बिन हुवैरिस अल लैसी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि उन्होंने नबी(ﷺ) को नमाज़ पढ़ते हुए देखा कि जब आप अपनी नमाज़ की ताक़ रकअत में होते तो बराबर होकर बैठे बगैर खड़े नहीं होते थे।

बुखारी: 823. अबू दाऊद: 844. निसाई: 1152.

287-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ، رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَكَانَ إِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا.

तौज़ीह: बैठे बगैर: इस से मुराद जल्स-ए-इस्तिराहत है जो कि मस्नून अमल है और नमाज़ में ज़रूरी है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : मालिक बिन हुवैरिस (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और इसी पर कुछ उलमा का अमल है। नीज़ इस्हाक़ (رحمه الله) और बअ़ज (कुछ) हमारे साथी भी यही कहते हैं। मालिक (رضي الله عنه) की कुनियत अबू सुलैमान थी।

288 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ

288- सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) नमाज़ में (सज्दों से फ़ारिग़ हो कर) अपने पाँव के अगले हिस्सों पर (वज़न डाल कर) खड़े होते थे।

ज़ईफ़: अल-इर्वा अल-ग़लील: 362: अल-कामिल लिइब्ने अदी: 3/879.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (ﷺ) की हदीस पर अमल करते हुए अहले इल्म यही पसंद करते हैं कि आदमी नमाज़ में अपने पाँव के अगले हिस्सों पर वज़न डाल कर बैठे।

खालिद बिन इल्यास मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ रावी है इसको ख़ालिद बिन अयास भी कहा जाता है। सालेह तोमा के मौला थे। यह सालेह अबू सालेह के बेटे हैं। अबू सालेह का नाम नबहान है जो कि मदनी हैं।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ.

103. तशह्हुद का बयान

289-حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَنْ نَقُولَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

289- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें तालीम दी कि जब हम दो रकअतें पढ़ कर बैठें तो (यह कलिमात) कहें: ''(मेरी सारी) क़ौली, बदनी और माली इबादात सिर्फ अल्लाह के लिए ख़ास है। ऐ नबी ! आप पर अल्लाह की रहमत, सलामती और बरकतें हों और हम पर और अल्लाह के (दूसरे) नेक बन्दों पर (भी) सलामती हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद(ﷺ) अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं।''

बुखारी: 831. मुस्लिम:402. अबू दाऊद: 966. इब्ने माजा:898. निसाई: 1162, 1164.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर, जाबिर, अबू मूसा और आयशा (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) की हदीस उनसे कई सनदों के साथ मर्वी है और नबी(ﷺ) से तशह्हुद के बारे में बयान की जाने वाली सहीह तरीन रिवायत (यही) है।

नबी(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से अक्सर अहले इल्म का इसी (हदीस) पर अमल है। नीज़ सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : हमें अहमद बिन मूसा ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने हमें मामर के वास्ते से ख़सीफ़ की तरफ़ से बयान की, (वह कहते हैं) मैंने नबी(ﷺ) को ख़्वाब में देखा तो कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! लोग तशह्हुद के कलिमात में इख़्तिलाफ़ करते हैं''आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''तुम अब्दुल्लाह बिन मसऊद के (बयान कर्दा) तशह्हुद को ले लो।''

290- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ، فَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

290- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) हमें तशह्हुद भी ऐसे ही सिखाते थे जैसे कुरआन सिखाते थे। आप(ﷺ) कहते: ''(मेरी तमाम) बाबरकत क़ौली, बदनी और माली इबादात सिर्फ अल्लाह के लिए ख़ास हैं। ऐ नबी! आप पर अल्लाह की सलामती, रहमत और बरकतें हो और हम पर और अल्लाह के (दूसरे) बन्दों पर भी सलामती हो, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद(ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं।''

मुस्लिम: 403. अबू दाऊद: 974. इब्ने माजा: 900. निसाई: 1174.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह गरीब है। नीज़ अब्दुर्रहमान बिन हुमैद अर्रवासी ने भी लैस बिन साद की हदीस की तरह यह हदीस रिवायत की है और ऐमन बिन नाबिल अल मक्की ने यह हदीस अबू ज़ुहैर के ज़रिये जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत की है जो कि ग़ैर महफ़ूज़ है। जबकि इमाम शाफेई का तशह्हुद के बारे में मज़हब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की हदीस के मुताबिक है।

105. तशह्हुद को मख़्फ़ी(पस्त) आवाज़ से पढ़ना.

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُخْفِي التَّشَهُّدَ.

291- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: तशह्हुद को मख़्फ़ी (ऐसी आवाज़ जो किसी दूसरे को सुनाई न दे) आवाज़ से पढ़ना सुन्नत है। ''

सहीह: अबू दाऊद:986.

291-حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ التَّشَهُّدَ

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि।) की हदीस हसन गरीब है। और अहले इल्म का इसी पर अमल है।

106. तशह्हुद में बैठने का तरीक़ा

بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ الجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ.

292- सय्यदना वाइल बिन हुज्र (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: ''मैं मदीना आया और (अपने दिल में) कहा कि मैं नबी(ﷺ) की नमाज़ देखूंगा। जब आप(ﷺ) तशह्हुद के लिए बैठे (तो) आप ने अपना बायाँ पाँव बिछाया और बायाँ हाथ अपनी बायीं रान पर रखा और दायें पाँव को खड़ा किया।

सहीह: अबू दाऊद: 975. इब्ने माजा: 912. निसाई: 1159.

292- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، قُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا جَلَسَ، يَعْنِي لِلتَّشَهُّدِ،: افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى، يَعْنِي، عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अक्सर अहले इल्म का इसी पर अमल है। नीज़ सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक और अहले कूफा भी इसी के क़ायल हैं।

293- अब्बास बिन सहल अस्साइदी (رحمه الله) रिवायत करते हैं कि अबू हुमैद, अबू उसैद, सहल बिन साद और मुहम्मद बिन मस्लमा (رضي الله عنهم) इकट्ठे हुए और उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ)

293- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ

السَّاعِدِيُّ، قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ، وَأَبُو أُسَيْدٍ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ، يَعْنِي لِلتَّشَهُّدِ، فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ، يَعْنِي السَّبَّابَةَ

की नमाज़ का तज़्किरा किया तो अबू हुमैद अस्साइदी ने फ़र्माया: ''मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) की नमाज़ को तुम सब से ज़्यादा जानता हूँ। बेशक रसूलुल्लाह(ﷺ) तशह्हुद के लिए बैठे तो अपने बाएं पाँव को बिछाया और दायें पाँव का अगला हिस्सा (उंगलियाँ) क़िब्ला की तरफ़ किया और अपना दायाँ हाथ अपने दायें घुटने पर और बायाँ हाथ बाएं घुटने पर रखा और अपनी सब्बाबा (शहादत वाली) उंगली के साथ इशारा किया।

बुखारी: 828. अबू दाऊद: 734.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और बअ़ज (कुछ) अहले इल्म भी यही कहते हैं इमाम शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) कहते हैं कि आखिरी तशह्हुद में अपने कुल्हे पर बैठे और उन्होंने अबू हुमैद (رضي الله عنه) की हदीस से दलील ली है। कहते हैं कि पहले तशह्हुद में अपने बाएं पाँव पर बैठे और दायाँ पाँव खड़ा किये।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِشَارَةِ.

108. तशह्हुद में इशारा करना

294- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ يَدْعُو بِهَا، وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهِ.

294- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) जब नमाज़ (के तशह्हुद) में बैठते (तो) अपना दायाँ हाथ व दाएं घुटने पर रख कर दायें अंगूठे के साथ वाली उंगली को खड़ा करके उसके साथ दुआ करते और आपका बायाँ हाथ बाएं घुटने को पकड़े हुए होता था।

मुस्लिम: 580. अबू दाऊद: 987. इब्ने माजा:913. निसाई: 1160.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन जुबैर, नुमैर अल ख़ुज़ाई, अबू हुरैरा, अबू हुमैद और वाइल बिन हुज्र (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन गरीब है। हमें अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से इसी सनद के साथ मिली है।

नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से कुछ उलमा इसी पर अमल करते हुए तशह्हुद में इशारा करने को पसंद करते हैं और हमारे साथियों का भी यही कौल है।

109. नमाज़ में सलाम फेरने का बयान

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ

295- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

295- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) अपनी दायें और बाएं सलाम फेरते वक़्त कहते: तुम पर अल्लाह की सलामती और रहमत हो, तुम पर अल्लाह की सलामती और रहमत हो।''

सहीह: अबू दाऊद: 996. इब्ने माजा: 914. निसाई: 1319. मुसनद अहमद: 1/390. अबू याला: 5102.

वज़ाहत: इस मसले में साद बिन अबी वक़्क़ास, अब्दुल्लाह बिन उमर, जाबिर बिन समुरा, बरा, अबू सईद, अम्मार, वाइल बिन हुज्र, अदी बिन उमैरह और जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन का इसी पर अमल रहा है जबकि सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही फ़त्वा है।

296- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

296- सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) नमाज़ में एक ही सलाम फेरते थे। (वह भी) अपने चेहरे के सामने (और) थोड़ा सा दायें जानिब झुकते थे।

عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، ثُمَّ يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ شَيْئًا

सहीह इब्ने माजा: 919. (मुहक्क़िक ने शवाहिद की वजह से इसे सहीह लिग़ैरिही क़रार दिया है। लेकिन इसके शवाहिद भी ज़ईफ़ हैं) अल्लाह बेहतर जानता है।

वज़ाहत: इस मसले में सहल बिन साद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमारे इल्म में आयशा (رضي الله عنها) की हदीस इस सनद के अलावा मरफ़ू नहीं है।

मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी (رحمه الله)) फ़रमाते हैं: ''अहले शाम ज़ुहैर बिन मुहम्मद से मुन्कर रिवायात नक़ल करते हैं। लेकिन (ज़ुहैर बिन मुहम्मद) से अहले इराक की रिवायत दुरूस्त और सहीह है।''

मुहम्मद फ़रमाते हैं कि अहमद बिन हंबल फ़रमाते हैं: शायद ज़ुहैर बिन मुहम्मद जो उनके पास शाम आये थे, यह वह नहीं हैं जिन से इराक में रिवायत की जाती है। वह तो और आदमी ने उस का नाम बदल दिया है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: बअ़ज (कुछ) उलमा ने इसको अपनाते हुए नमाज़ में एक सलाम का कहा है, लेकिन नबी(ﷺ) से साबित सहीह रिवायत दो सलाम की हैं और नबी(ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنهم) ताबेईन और तबा ताबेईन (رحمهم الله) का इसी पर अमल है।

नबी(ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنهم) और ताबेईन (رحمهم الله) में से एक जमाअ़त फर्ज़ नमाज़ में एक सलाम (के जवाज़) की तरफ़ गई है।

इमाम शाफेई (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ''चाहे तो एक सलाम फेर ले और अगर चाहे तो दो फेर ले।''

111. सलाम को लंबा करना सुन्नत है।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ حَذْفَ السَّلَامِ سُنَّةٌ.

297-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ

297- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि सलाम को हज़्फ़ करना (यानी खींच कर लंबा करना) सुन्नत है।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 1004. मुसनद अहमद: 2/532. इब्ने खुजैमा:734.

वज़ाहत: अली बिन हजर (رحمه الله) कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمه الله) ने फ़र्माया: ''इसका मतलब है कि सलाम को खींच कर लंबा न किया जाए।''

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म इसे(ही) मुस्तहब क़रार देते हैं।

इब्राहीम नखई (رحمه الله) कहते हैं अल्लाहु अकबर और सलाम जज़्म (वक्फ) के साथ है (इनको खींचा न जाए) और हिक़्ल के बारे में कहा है कि यह औज़ाई का कातिब था।

112. नमाज़ से सलाम फेरने के बाद क्या कहे?

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ.

298-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لاَ يَقْعُدُ إِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ

298- सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब सलाम फेरते तो आप इतनी ही देर बैठते थे कि यह कहते। ''या इलाही तु साहिबे सलामती है और तेरी तरफ़ ही सलामती है (ऐ) जुल्जलाल वल इक्राम! तु बड़ा ही बा बरकत है। ''

मुस्लिम: 592.अबू दाऊद:1512. इब्ने माजा: 924. निसाई: 1338.

299- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَقَالَ: تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ

299.. आसिम अल अहवल ने इस सनद के साथ इसी तरह की रिवायत की है, (लेकिन) उन्होंने ''तबारकत या जल जलालि वल इक्राम'' कहा है

सहीह.

वज़ाहत: इस म[illegible]अले में सौबान, इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, अबू सईद, अबू हुरैरा और मुग़ीरा बिन शोबा (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ खालिद अल हज़्ज़ा ने भी सय्यदा आयशा से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन हारिस, आसिम (अलहवल) की हदीस की तरह रिवायत बयान की।

नीज़ यह रिवायत भी की गई है कि नबी(ﷺ) सलाम फेरने के बाद यह कलिमात कहते थे। ''अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं है। उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए सारी तारीफ़ है। वही ज़िंदा करता है और वही मारता है और वह हर चीज़ पर कादिर है। या

अल्लाह! तेरी अता को कोई रोकने वाला नहीं और तेरी रोकी हुई चीज़ को कोई अता करने वाला नहीं और दौलत मंद को उसकी दौलत तेरे अज़ाब से नहीं बचा सकती।''

और यह भी रिवायत किया गया है कि आप(ﷺ) यह कलिमात कहते थे : ''ऐ परवरदिगार तू इज़्ज़त वाला रब पाक है और पैगम्बरों पर सलामती हो और सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जहानों का परवरदिगार है।''

300- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ

300- सय्यदना सौबान (رضي الله عنه) : (जो रसूलुल्लाह(ﷺ) के आज़ादकर्दा हैं बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब अपनी नमाज़ खत्म करते तो तीन मर्तबा अस्ताग्फिरुल्लाह कहते फिर (यह) पढ़ते: ''या इलाही! तू साहिबे सलामती है और तेरी तरफ़ ही से सलामती है। ऐ ज़ुल्जलाल वल इक्राम! तु बड़ा ही बाबरकत है।

मुस्लिम 591.अबू दाऊद: 1513. इब्ने माजा: 928.

वज़ाहत: यह हदीस हसन सहीह है और अबू अम्मार का नाम शद्दाद बिन अब्दुल्लाह है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِنْصِرَافِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ

113. नमाज़ के बाद दायें और बाएं जानिब से फिर कर मुक्तदियों की तरफ़ मुंह करना

301- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَؤُمُّنَا، فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا: عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ

301- क़बीसा बिन हुल्ब अपने बाप (हुल्ब (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) हमारी इमामत करवाते तो (जब) आप नमाज़ ख़त्म करके मुक्तदियों की तरफ़) मुंह फेरते तो दोनों तरफ़ ही (मुंह कर लेते थे कभी) अपनी दायें तरफ़ और (कभी) बायें तरफ़।

हसन सहीह: अबू दाऊद: 1041.. इब्ने माजा: 929.. मुसनद अहमद:5/ 226..बैहक़ी:2/ 29..

वज़ाहतः इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अनस, अब्दुल्लाह बिन उमर और अबू हुरैरा (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हुल्ब (رضي الله عنه) की हदीस हसन है और अहले इल्म का इसी पर अमल है कि (इमाम) जिस तरफ़ चाहे मुंह कर ले। चाहे तो दायें जानिब और अगर चाहे तो बाएं जानिब क्यों कि रसूलुल्लाह(ﷺ) से दोनों ही अमल साबित हैं।

जब कि सय्यदना अली (رضي الله عنه) से रिवायत की गई है कि वह फ़रमाते हैं: ''अगर उसे दायें तरफ़ कोई ज़रुरत है तो दायें जानिब और अगर बाएं तरफ़ कोई काम है तो बाएं जानिब फेर ले।''

114. नमाज़ का (मुकम्मल) तरीक़ा

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ الصَّلاَةِ

302- सय्यदना रिफ़ाआ बिन राफ़े (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह(ﷺ) मस्जिद में बैठे हुए थे। रिफ़ाआ (رضي الله عنه) कहते हैं, हम भी आप के साथ थे कि अचानक एक देहाती आदमी आप के पास आया (और) नमाज़ पढ़ी, नमाज़ को बहुत खफीफ (हल्की) करके पढ़ा, फिर उसने नमाज़ से फ़ारिग़ हो कर नबी(ﷺ) को सलाम कहा तो नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''व अलैका (तुझ पर भी सलामती हो) लौट जाओ नमाज़ पढ़ो तुने नमाज़ नहीं पढ़ी।''वह गया और नमाज़ पढ़ी, फिर आकर आपको सलाम किया तो आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''व अलैका'' (तुझ पर भी सलामती हो) तु लौट जा दोबारा नमाज़ पढ़, बेशक तुने नमाज़ नहीं पढ़ी।''उस ने यह काम दो य तीन मर्तबा किया, हर बार नबी(ﷺ) के पास आता और नबी(ﷺ) को आकर सलाम कहता तो नबी(ﷺ) यही फ़रमाते: व अलैका, लौट जा नमाज़ पढ़ तूने नमाज़ सहीह नहीं पढ़ी लोग

302- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدِ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا، قَالَ رِفَاعَةُ وَنَحْنُ مَعَهُ: إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ كَالبَدَوِيِّ، فَصَلَّى فَأَخَفَّ صَلاَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَأْتِي النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَخَافَ النَّاسُ وَكَبُرَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَخَفَّ صَلَاتَهُ لَمْ يُصَلِّ، فَقَالَ الرَّجُلُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: فَأَرِنِي وَعَلِّمْنِي، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ، فَقَالَ: أَجَلْ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ، ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَقِمْ أَيْضًا، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ، ثُمَّ ارْكَعْ فَاطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ اعْتَدِلْ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَاعْتَدِلْ سَاجِدًا، ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ قُمْ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَإِنْ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ، قَالَ: وَكَانَ هَذَا أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَوَّلِ، أَنَّهُ مَنْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا انْتَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُّهَا

खौफ़ज़दा हो गए और उन्हें यह बात गिराँ (भारी) महसूस हुई कि कहीं ऐसा न हो कि जो शख़्स हल्की नमाज़ पढ़े उसकी नमाज़ ऐसे हो गोया उस ने पढ़ी ही नहीं तो आखिरी मर्तबा उस आदमी ने कहा: (ऐ अलाह के रसूल) ! पस आप मुझे दिखलाइये और सिखाइये, मैं एक आम आदमी हूँ दुरुस्त भी करता हूँ और ग़लती भी।''तो आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''हाँ (क्यों नहीं) जब तुम नमाज़ का इरादा करो तो जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है वुजू करो फिर कलिम- ए- शहादत पढ़ो, फिर ऐसे ही इक़ामत कह (कर नमाज़ शुरू कर) पस अगर तेरे पास कुछ कुरआन का हिस्सा है तो उसे पढ़, अगर नहीं तो ''अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और ला इलाहा इल्लल्लाह ही''(पढ़ लो) फिर रुकू करो और रुकू की हालत में इत्मीनान करो फिर बराबर होकर खड़ा होजा, फिर सज्दा कर और सज्दे में बराबर रह, फिर बैठ और बैठ कर इत्मीनान कर, फिर तुम (अगली रकअत के लिए) खड़े हो जाओ जब तुम इस तरह करोगे तो तुम्हारी नमाज़ पूरी होगी अगर तु इन अरकान में से कुछ कमी करेगा तो नमाज़ में कमी करेगा।''राविये हदीस रिफ़ाआ (رضي الله عنه) कहते हैं: ''यह चीज़ उन (सहाबा (رضي الله عنه) पर पहली बात से ज़्यादा आसान थी कि जिसने उन अरकान से कोई कमी की उसकी नमाज़ से कमी (तसव्वुर) होगी (लेकिन) सारी नमाज़ ज़ाया नहीं होगी।''

सहीह: अबू दाऊद: 851, 875.. इब्ने माजा: 460.. निसाई: 1053

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, और अम्मार बिन यासिर (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : रिफ़ाआ बिन राफ़े (رضي الله عنه) की हदीस हसन है। नीज़ यह हदीस रिफ़ाआ बिन राफ़े (رضي الله عنه) से कई सनदों के साथ मर्वी है।

303- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، فَقَالَ لَهُ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا، فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

303- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) मस्जिद में दाखिल हुए, (फिर) एक और आदमी मस्जिद में आया और उसने नमाज़ पढ़ी, फिर आया और नबी(ﷺ) को सलाम कहा तो आप(ﷺ) ने सलाम का जवाब दिया और फ़र्माया: ''लौट जा नमाज़ पढ़ तुने नमाज़ नहीं पढ़ी, वह आदमी लौट गया जैसे पहले नमाज़ पढ़ी थी वैसे फिर नमाज़ पढ़ी, फिर नबी(ﷺ) की तरफ़ आया आपको सलाम कहा, आप(ﷺ) ने उसको सलाम का जवाब दिया, फ़र्माया: ''वापस जा नमाज़ पढ़ ले तुने नमाज़ नहीं पढ़ी यहाँ तक कि उसने यह काम तीन मर्तबा किया, फिर उस आदमी ने आप(ﷺ) से अर्ज़ किया: ''उस ज़ात की क़सम जिसने आपको दीने हक के साथ मबऊस किया है। मैं इस से अच्छी नमाज़ नहीं पढ़ सकता, आप मुझे सिखा दीजिये।''आप(ﷺ) ने उस से फ़र्माया: ''जब तुम नमाज़ के लिए खड़े हो तो अल्लाहु अकबर कहो, फिर जो तुम्हारे पास कुरआन की आयात हैं वह पढ़ो फिर रुकू करो यहाँ तक कि हालते रुकू में इत्मीनान कर लो फिर (रुकू से) उठो यहाँ तक कि सीधे खड़े हो जाओ फिर सज्दा करो यहाँ तक कि हालते सज्दा में इत्मीनान करलो फिर (सज्दे से) उठो यहाँ तक कि इत्मीनान से बैठ जाओ और अपनी सारी नमाज़ में इसी तरह करो।''

वज़हात: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। नीज इब्ने नुमैर ने इस हदीस को उबैदुल्लाह बिन उमर से बवास्ता सईद अल मक़्बुरी अज़ अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत किया है और इस में अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से पहले अपने बाप का ज़िक्र नहीं किया। जबकि यहया बिन सईद की उबैदुल्लाह बिन उमर से (बयान कर्दा) रिवायत ज़्यादा सहीह है और सईद मक़्बुरी ने अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से हदीस की) समाअत की है (लेकिन) रिवायत अपने बाप के वास्ते के साथ अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से की है।

अबू सईद अल मक़्बुरी का नाम कैसान है और सईद अल मक़्बुरी की कुनियत अबू सईद है। कैसान इन में से किसी के मुकातब गुलाम थे।

304.. सय्यदना अबू हुमैद अस्साइदी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि उन्होंने नबी(ﷺ) के दस सहाबा (رضي الله عنهم) में बैठ कर, जिन में अबू क़तादा रिबई (رضي الله عنه) भी थे, कहा कि मैं तुम (सब) से ज़्यादा रसूलुल्लाह का तरीक़ए नमाज़ जानता हूँ। सहाबा किराम ने कहा: ''न तो तुम आप(ﷺ) के पास ज़्यादा आते रहे हो और न हम से ज़्यादा आप की सोहबत में रहे हो, उन्होंने जवाब दिया: ''हाँ सहाबए किराम (رضي الله عنهم) ने उनसे कहा फिर आप(ﷺ) की नमाज़ बयान करें।''अबू हुमैद ने कहा जब रसूलुल्लाह(ﷺ) नमाज़ के लिए सीधे खड़े होते तो अपने दोनों हाथ कन्धों के बराबर उठाते फिर जब रुकू का इरादा करते तो अपने हाथों को कन्धों तक उठाते और अल्लाहू अकबर कहते और रुकू करते फिर रुकू के दौरान कमर सीधी रखते पस न अपना सर झुकाते और न बलंद करते और अपने हाथ अपने घुटनों पर रखते फिर : (समि अल्लाहु लिमन हमिदा : कहते और अपने दोनों हाथ (कन्धों तक) उठाते और सीधे खड़े हो जाते यहाँ तक कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाती, फिर सज्दा करने के लिए ज़मीन की

304- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ وَهُوَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ يَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً، وَلاَ أَكْثَرَنَا لَهُ إِتْيَانًا؟ قَالَ: بَلَى، قَالُوا: فَاعْرِضْ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَرَكَعَ، ثُمَّ اعْتَدَلَ، فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ

لِمَنْ حَمِدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ، حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً،ثُمَّ هَوَى إِلَى الأَرْضِ سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ وَفَتَخَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ نَهَضَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ، حَتَّى كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا صَلاَتُهُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا، ثُمَّ سَلَّمَ

तरफ़ झुकते तो अल्लाहू अकबर कहते फिर (सज्दे में) अपने बाजुओ को बगलों से अलग रखते और अपने पाँव की उंगलिया (कि उँगलियों के सर क़िब्ला रुख होते) खोलते (इसी तरह) फिर (सज्दा से उठ कर) अपना बायाँ पाँव मोड़ कर (बिछा लेते और) उस पर बैठते और सीधे होते यहाँ तक कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाती, यानी जल्स-ए-इस्तिराहत करते फिर दूसरी रकअत के लिए खड़े होते, फिर दूसरी रकअत में भी ऐसे ही करते यहाँ तक कि जब दो रकअतें पढ़ कर खड़े होते तो अल्लाहु अकबर कहते और अपने हाथों को कन्धों के बराबर तक उठाते जिस तरह नमाज़ के शुरू में (तक्बीरे ऊला के वक़्त) किया था, फिर आप(ﷺ) बक़िया नमाज़ में इसी तरह करते यहाँ तक कि जब वह रकअत आती जिस में नमाज़ मुकम्मल होती है तो अपना बायाँ पाँव (दायें पिंडली के नीचे से) बाहर निकालते और (बाएं जानिब के) कूल्हे पर बैठते फिर सलाम फेरते।''

बुखारी:827..अबू दाऊद:730.. इब्ने माजा: 803..इब्ने खुजैमा: 587..

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और दो सज्दों से खड़े हो कर रफउल यदैन (रफायदैन) करने का मतलब है दो रकअतों से खड़े होकर।

305- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ:

305- मुहम्मद बिन अम्र बिन अता कहते हैं, मैंने अबू हुमैद अस्साइदी को दस अस्हाबे रसूल जिन में अबू क़तादा रिबई (رضي الله عنه) भी थे (यह बात) कहते हुए सुना (इस रिवायत में भी

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ، فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ: أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ فِيهِ أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، هَذَا الحَرْفَ، قَالُوا: صَدَقْتَ، هَكَذَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

मुहम्मद बिन बश्शार और हसन बिन अली ने) यहया बिन सईद की हदीस के मफ़हूम वाली बयान की। लेकिन इस में अबू आसिम अब्दुल हमीद बिन जाफर की तरफ़ से यह अलफ़ाज़ ज़्यादा करते हैं कि (उन दस सहाबा (رضي الله عنه) ने कहा: आप ने सच कहा: नबी(ﷺ) ने इसी तरह नमाज़ पढ़ी है।

सहीह अबू दाऊद: 730.. पिछली हदीस की तख़रीज देखें।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू आसिम ज़हहाक बिन मुखल्लद ने इस हदीस में अब्दुल हमीद बिन जाफर की तरफ़ से यह अलफ़ाज़ बढायें हैं कि उन्होंने कहा : ''आप सच कहते हैं: नबी(ﷺ) ने ऐसे ही नमाज़ पढ़ी है। ''

بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ.

116. फज्र की नमाज़ में किरअत

306- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الفَجْرِ: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى

306- सय्यदना कुत्बा बिन मालिक (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को सुना आप फज्र (की नमाज़) की पहली रकअत में وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ पढ़ रहे थे।

मुस्लिम:457 इब्ने माजा:816 निसाई:950

वज़ाहत: इस मसले में अम्र बिन हुरैस, जाबिर बिन समुरा, अब्दुल्लाह बिन साइब, अबू बर्ज़ा और उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं: कुत्बा बिन मालिक (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नबी(ﷺ) से यह रिवायत भी की गई है कि आप ने सुबह की नमाज़ में सूरह वाक़िया पढ़ी। यह भी मर्वी है की आप फज्र की नमाज़ में साठ से सौ आयात पढ़ते। नीज़ उमर (رضي الله عنه) से मर्वी है कि उन्होंने अबू मूसा (رضي الله عنه) की तरफ़ ख़त लिखा कि आप सुबह की नमाज़ में तिवाले मुफ़स्सल (लम्बी सूरतें) पढ़ा करें।

तौज़ीह: तिवाले मुफ़स्सल : सूरतुल हुजुरात से आखिरे क़ुरआन तक 22 सूरतें मुफ़स्सल कहलाती हैं, फिर इसकी तीन किस्में हैं। (1) तिवाले मुफ़स्सल। (2) औसाते मुफ़स्सल। (3) क़िसारे मुफ़स्सल।

(1) तिवाले मुफ़स्सल: अल हुजुरात से अल बुरूज तक 36 सूरतें।

(2) औसाते मुफ़स्सल: अल बुरूज से अल बय्यना तक 13 सूरतें।

(3) क़िसारे मुफ़स्सल: अल बय्यना से अन्नास तक 17 सूरतें।

117. ज़ुहर और अस्र की नमाज़ में किरअत

بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ

307- सय्यदना जाबिर बिन समुरा (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ज़ुहर और अस्र (की नमाज़) में सूरह तारिक़ और सूरह बुरूज और इस जैसी दीगर सूरतें पढ़ा करते थे।

हसन सहीह अबू दाऊद:805.. निसाई:979.. मुसनद अहमद:5/ 103.. दारमी:1294..

307-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَشِبْهِهِمَا

वज़ाहत: इस मसले में खब्बाब, अबू सईद, अबू क़तादा, ज़ैद बिन साबित और बरा बिन आज़िब (رضی اللہ عنہم) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: जाबिर बिन समुरा की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) से रिवायत की गई है कि आप ने ज़ुहर की नमाज़ में सूरह तन्जीलुस्सज्दा के बराबर किरअत की और यह भी मर्वी है कि आप(ﷺ) ने ज़ुहर की पहली रकअत में तीस आयात के बराबर किरअत की और दूसरी रकअत में पंद्रह आयात के बराबर।

नीज़ सय्यदना उमर (رضی اللہ عنہ) से मर्वी है कि उन्होंने अबू मूसा (رضی اللہ عنہ) की तरफ़ ख़त लिखा कि ज़ुहर की नमाज़ में औसाते मुफ़स्सल सूरतें पढ़ा करें।

और बअ़ज (कुछ) अहले इल्म कहते हैं कि नमाज़े अस्र की किरअत नमाज़े मग़रिब़ की किरअत के बराबर होनी चाहिए। इस में नमाज़ पढ़ने वाला क़िसारे मुफ़स्सल सूरतें न पढ़े।

और इब्राहीम नखाई से मर्वी है वह फ़रमाते हैं: ''किरअत में नमाज़े अस्र, नमाज़े मगरिब के बराबर है। नीज़ कहते हैं नमाज़े ज़ुहर की किरअत अस्र की किरअत के मुकाबला में चार गुना होनी चाहिए।''

118. नमाज़े मगरिब में किरअत

بَابٌ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ.

308- सय्यदा उम्मे अल फ़ज़ल (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) अपनी बीमारी के अय्याम में अपने सर को बांधे हुए हमारी तरफ़ आये, फिर आप(ﷺ) ने मग़रिब (की नमाज़) पढ़ाई तो (उस में) सूरतुल मुर्सलात पढ़ी। (उम्मे अल फ़ज़ल (ﷺ) फ़रमाती हैं: ''फिर उसके बाद आप ने (मगरिब की) नमाज़ न पढ़ी यहाँ तक कि आप अल्लाह अज्ज व जल्ल से जा मिले (यानी आप की वफ़ात हो गई)

308- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ الفَضْلِ، قَالَتْ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ فِي مَرَضِهِ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، فَقَرَأَ: بِالْمُرْسَلَاتِ، فَمَا صَلَّاهَا بَعْدُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

बुखारी:763. मुस्लिम:462. अबू दाऊद:810. इब्ने माजा:831.निसाई:985.

तौज़ीह: सर को बाँधे: तक़लीफ़ की वजह से सर पर कोई कपड़ा वग़ैरह बाँध रखा था।

वज़ाहत: इस मसले में जुबैर बिन मुतइम, इब्ने उमर, अबू अय्यूब, और ज़ैद बिन साबित (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: उम्मे अल फ़ज़ल (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। और नबी(ﷺ) से मर्वी है कि आप(ﷺ) ने नमाज़े मगरिब की दो रकअतों में सूरतुल आराफ़ पढ़ी और यह बात भी रिवायत किया गया है कि आप ने मगरिब में सूरतुत्तूर पढ़ी।

सय्यदना उमर (ﷺ) से मर्वी है कि आप ने अबू मूसा (ﷺ) की तरफ़ ख़त लिखा कि मगरिब में क़िसारे मुफ़स्सल सूरतें पढ़ें।

नीज़ सय्यदना अबू बक्र (ﷺ) से मर्वी है कि उन्होंने मगरिब में क़िसारे मुफ़स्सल के साथ किरअत की।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) कहते हैं: अहले इल्म का इसी पर अमल है। जब कि इब्ने मुबारक, अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) भी यही कहते हैं।

इमाम शाफेई (ﷺ) फ़रमाते हैं: ''ज़िक्र किया जाता है कि मालिक (ﷺ) मगरिब में अत्तूर, अल मुर्सलात जैसी तिवाले मुफ़स्सल सूरतें पढ़ना मकरूह समझते थे।''इमाम शाफेई (ﷺ) फ़रमाते हैं: ''मैं इस को मकरूह नहीं समझता बल्कि मगरिब में इन सूरतों को पढ़ना मुस्तहब समझता हूँ।''

119. नमाज़े इशा में किरअत

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْعِشَاءِ.

309- अब्दुल्लाह बिन बुरैदा (رضي الله عنه) अपने बाप (सय्यदना बुरैदा रज़ि।) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) इशा की नमाज़ में ''सूरह शम्स'' और इस जैसी दीगर सूरतें पढ़ते थे।

सहीह: निसाई: 999

309-حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الآخِرَةِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ.

वज़ाहत: इस मसले में बरा बिन आज़िब और अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : बुरैदा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और नबी(ﷺ) से यह भी मर्वी है कि वह इशा की नमाज़ में सूरह ''तीन''पढ़ी। और सय्यदना उस्मान (رضي الله عنه) से मर्वी है कि वह इशा की नमाज़ में औसाते मुफ़स्सल से सूरह ''अल मुनाफिकून जैसी सूरतें पढ़ते थे।

नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنهم) और ताबेईन (رحمهم الله) से मर्वी है कि उन्होंने (नमाज़ों में) इस से कम और ज़्यादा किरअत भी की है, गोया उनके नज़दीक इस में वुस्अत है। और बेहतरीन बात जो इस मसले में रिवायत की गई है वह यह है कि नबी(ﷺ) सूरह शम्स, सूरह तीन जैसी सूरतें पढ़ते थे।

310- सय्यदना बरा बिन आज़िब (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम(ﷺ) ने इशा की नमाज़ में सूरह तीन पढ़ी।

बुखारी:767.मुस्लिम:464.अबू दाऊद:1221. इब्ने माजा:835. निसाई: 1000.

310- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ الآخِرَةِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है।

120. इमाम के पीछे किरअत करना

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ.

311-حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِي وَاللَّهِ، قَالَ: لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا

311- सय्यदना उबादा बिन सामित (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सुबह की नमाज़ पढ़ाई तो आप पर किरअत करना मुश्किल हो गया, जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो आप ने फ़र्माया: ''बेशक मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम इमाम के पीछे कुरआन पढ़ते हो? ''हम ने कहा''जी अल्लाह के रसूल ! अल्लाह की क़सम (हम पढ़ते हैं) आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''सिवाए फातिहा के, बेशक उस शख़्स की नमाज़ नहीं होती जो इस (सूरत) को नहीं पढ़ता।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 823. इब्ने खुजैमा:1581.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, आयशा, अनस, अबू क़तादा और अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: उबादा बिन सामित (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ जोहरी ने भी इस हदीस को महमूद बिन रबीअ के वास्ते के साथ उबादा बिन सामित (ﷺ) से रिवायत किया है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''उस शख़्स की नमाज़ नहीं होती जो सूरह फातिहा को नहीं पढ़ता।''और इमाम के पीछे किरअत के मसला में नबी(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से अक्सर अहले इल्म का इसी हदीस पर अमल है।

नीज़ मालिक बिन अनस, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) इसी कौल को अपनाते हुए इमाम के पीछे (फातिहा की) किरअत को ज़रूरी समझते हैं।

121. जब इमाम किरअत बलंद आवाज़ से करे तो पीछे किरअत न करने का बयान

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ

312-حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا؟، فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟، قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَوَاتِ بِالْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

312- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने किसी ऐसी नमाज़ से सलाम फेरा जिस में बलंद आवाज़ से किरअत की जाती है फिर फ़र्माया: ''क्या अभी अभी कोई शख़्स तुम में से मेरे साथ पढ़ रहा था?''तो एक आदमी ने कहा : ''जी हाँ''ऐ अल्लाह के रसूल! ''तो आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''मैं भी कहता था मुझे किया हुआ है कि मुझसे कुरआन छीना जा रहा है''(रावीये हदीस) कहते हैं : ''जब लोगों ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से यह बात सुनी तो जिन नमाज़ों में रसूलुल्लाह(ﷺ) बलंद आवाज़ से किरअत करते थे उन में अल्लाह के रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ किरअत करने से रुक गए।''

सहीह: अबू दाऊद: 826. इब्ने माजा: 848. निसाई: 919.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, इमरान बिन हुसैन और जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ''यह हदीस हसन है और इब्ने उकैमा अल लैसी का नाम उमारा बिन उकैमा भी कहा जाता है। जोहरी के बअ़ज (कुछ) साथियों ने यह हदीस रिवायत करते वक़्त इन अलफ़ाज़ का भी ज़िक्र किया है कि जोहरी फ़रमाते हैं: जब लोगों ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से यह सुना तो किरअ़त करने से रुक गए।

और इस हदीस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इमाम के पीछे फातिहा की किरअ़त को ज़रूरी कहने वाले के ख़िलाफ़ दलील बन सके क्योंकि इस हदीस को नबी(ﷺ) से अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं। और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) ने ही नबी अकरम(ﷺ) से यह रिवायत की है कि आप ने फ़र्माया: ''जिसने कोई नमाज़ पढ़ी और उसमें फातिहा को न पढ़ा तो वह नमाज़ नाकिस है, ना मुकम्मल है। ''तो हदीस लेने वाले ने कहा: ''मैं कभी इमाम के पीछे हूँ तो?''अबू हुरैरा (رضي الله عنه) ने फ़र्माया: ''अपने दिल में पढ़ा करो।''

अबू उस्मान अन्नह्दी अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि मुझे नबी(ﷺ) ने हुक्म दिया कि मैं ऐलान कर दूं कि सूरह फातिहा पढ़ने के बगैर नमाज़ नहीं होती।अक्सर मुहद्दिसीन ने इस बात को इख़्तियार किया है कि जब इमाम किरअत को बलंद आवाज़ से कर रहा हो तो मुक़्तदी किरअत न करे, वह कहते हैं इमाम के सक्तों में पढ़े। इमाम के किरअत करने में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। पस नबी(ﷺ) के सहाबा, ताबेईन और तबा ताबेईन में से अक्सर अहले इल्म इमाम के पीछे फातिहा की किरअत को ज़रूरी समझते हैं।

नीज़ मालिक बिन अनस, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمہ اللہ) का भी यही कौल है और अब्दुल्लाह बिन मुबारक से मर्वी है, वह फ़रमाते हैं: ''मैं इमाम के पीछे फातिहा पढ़ता हूँ और लोग भी पढ़ते हैं सिवाए कूफ़ियों के लेकिन मेरी राय यह भी है कि जो नहीं पढ़ता उसकी नमाज़ जायज़ है।

अहले इल्म की एक जमाअत ने सूरह फातिहा की किरअत को छोड़ने वाले पर बड़ी सख़्ती की है अगरचे वह इमाम के पीछे ही हो वह कहते हैं: ''नमाज़ फातिहा के साथ ही कुबूल होगी (नमाज़ी) अकेला हो या वह इमाम के पीछे हो।'' उनका मज़हब उबादा बिन सामित (ﷺ) की नबी(ﷺ) से रिवायतकर्दा हदीस पर है।

उबादा बिन सामित (ﷺ) ने नबी(ﷺ) के बाद इमाम के पीछे फातिहा पढ़ी है और उन्होंने नबी(ﷺ) के उस फ़रमान की तामील की है कि जो शख़्स फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज़ नहीं होती इमाम शाफेई, और इस्हाक़ वग़ैरह का भी यही कौल है। लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: ''फ़रमाने रसूलुल्लाह(ﷺ) कि उस शख़्स की नमाज़ नहीं होती जो फातिहा को नहीं पढ़ता''इसका मतलब है जब वह अकेला हो। और उनकी दलील सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह की हदीस है कि जिसने एक रकअत भी पढ़ी और उसमें फातिहा न पढ़ी तो गोया उस ने नमाज़ ही नहीं पढ़ी मगर जब वह इमाम के पीछे हो।

इमाम अहमद बिन हंबल (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह भी नबी(ﷺ) के सहाबी हैं और नबी(ﷺ) के फ़रमान जिसने फातिहा न पढ़ी उसकी नमाज़ नहीं की तावील करते हैं कि यह हुक्म अकेले के लिए है।

लेकिन इस के साथ-साथ इमाम अहमद (رحمہ اللہ) ने इमाम के पीछे (फातिहा की) किरअत को इख़्तियार किया है। कि आदमी अगर इमाम के पीछे भी हो तो सूरह फातिहा की किरअत न छोड़े।

313- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ.

313- सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) फ़रमाते हैं जिसने एक रकअत भी पढ़ी और उसमें फातिहा को न पढ़ा तो गोया उसने नमाज़ न पढ़ी मगर यह कि वह इमाम के पीछे हो।

सहीह मौक़ूफ़.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

122. मस्जिद में दाख़िल होने की दुआ

بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدِ

314-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الحُسَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الكُبْرَى قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ

314- सय्यदा फ़ातिमा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब मस्जिद में दाखिल होते तो मुहम्मद(ﷺ) पर रहमत और सलामती की दुआ करते और कहते: ''ऐ मेरे रब! मेरे गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे।''और जब मस्जिद से निकलते तो मुहम्मद(ﷺ) पर रहमत और सलामती की दुआ करते और कहते: ''ऐ मेरे रब! मेरे गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा और मेरे लिए अपने फ़ज़्ल के दरवाज़े खोल दे।''

इब्ने माजा: 771. अबू याला:6754 मुसनद अहमद: 6/282.

315- وقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الحَسَنِ بِمَكَّةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي بِهِ، قَالَ: كَانَ إِذَا دَخَلَ قَالَ: رَبِّ افْتَحْ لِي بَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: رَبِّ افْتَحْ لِي بَابَ فَضْلِكَ.

315- अली बिन हुज्र कहते हैं कि इस्माईल बिन इब्राहीम फ़रमाते हैं: मैं मक्का में अब्दुल्लाह बिन हसन को मिला तो उनसे इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे यह हदीस बयान की और कहा कि जब आप(ﷺ) (मस्जिद में) दाखिल होते तो कहते : ''ऐ मेरे रब! मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे।''और जब निकलते तो कहते: ''ऐ मेरे रब! मेरे लिए अपने फ़ज़्ल के दरवाज़े खोल दे।''

सहीह इब्ने खुज़ैमा:771. (मोहक्क़िक़ ने इस सनद को सहीह क़रार दिया है लेकिन इन्किता होने की वजह से यह रिवायत मुन्कतअ है)

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुमैद, अबू उसैद और अबू हुरैरा (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: फ़ातिमा (ﷺ) की हदीस हसन है और इसकी सनद मुत्तसिल नहीं है क्योंकि फ़ातिमा बिन्ते हुसैन ने फ़ातिमा कुब्रा (ﷺ) को नहीं पाया। फ़ातिमा (ﷺ) तो नबी(ﷺ) की वफ़ात के बाद सिर्फ चँद महीने ज़िंदा रहीं थीं।

123. जब तुम में से कोई शख़्स मस्जिद में दाखिल हो तो दो रकअतें पढ़े.

.بَابُ مَا جَاءَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

316- सय्यदना अबू क़तादा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब तुम में से कोई शख़्स मस्जिद में आये तो बैठने से पहले दो रकअतें पढ़ ले।''

बुख़ारी:444 मुस्लिम:714 अबू दाऊद: 467 इब्ने माजा: 1013.निसाई:730

316- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, अबू उमामा, अबू हुरैरा, अबू ज़र और काब बिन मालिक (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू क़तादा की हदीस हसन सहीह है। नीज़ मुहम्मद बिन अजलान और दीगर रावियों ने आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर से मालिक बिन अनस की रिवायत की तरह इस हदीस को बयान किया है। और सुहैल बिन अबू सालेह ने आमिर बिन अब्दुल्लाह से अम्र बिन सुलैम के वास्ते के साथ जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से नबी अकरम(ﷺ) की यह हदीस रिवायत की है लेकिन यह हदीस गैर महफ़ूज़ है और अबू क़तादा की हदीस सहीह है।

और हमारे साथी इसी पर अमल करते हुए मुस्तहब समझते हैं कि जब कोई आदमी मस्जिद में दाखिल हो तो बगैर उज़्र दो रकअतें पढ़े बगैर मत बैठे।

अली बिन मदीनी (ﷺ) कहते हैं: सुहैल बिन अबी सालेह की हदीस ग़लत है। ''

तिर्मिज़ी (ﷺ) कहते हैं: मुझे यह बात इस्हाक़ बिन इब्राहीम (ﷺ) ने अली बिन मदीनी की तरफ़ से बतायी है।

124. क़ब्रिस्तान और हम्माम के अलावा सारी ज़मीन मस्जिद है।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ

317- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَأَبُو عَمَّارٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ.

317- सय्यदना अबू सईद अल ख़ुदरी (﵁) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''सारी की सारी ज़मीन मस्जिद (सज्दा की जगह) है सिवाए क़ब्रिस्तान और हम्माम के।''

सहीह:अबू दाऊद:492. इब्ने खुजैमा:745.

तौज़ीह: الْمَقْبَرَةَ। जहां पर कब्रें हों एक कब्र भी इसी हुक्म में आयेगी।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर व अबू हुरैरा, जाबिर, इब्ने अब्बास, हुज़ैफा, अनस, अबू उमामा और अबू ज़र (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''ज़मीन मेरे लिये मस्जिद और पाक करने वाली बनाई गई है।''

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू सईद (ﷺ) की हदीस अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद से दो तरीकों से बयान की गई है, बअ़ज (कुछ) ने इसे अबू सईद (ﷺ) से ज़िक्र किया है और कुछ ने उनका ज़िक्र नहीं किया। नीज़ इस हदीस में इज़्तिराब भी है।

सुफ़ियान सौरी ने अम्र बिन यह्या से उनके बाप (यह्या) से अबू सईद (ﷺ) की नबी(ﷺ) की हदीस को मुर्सल रिवायत किया है और हम्माद बिन सलमा ने अम्र बिन यहया के वास्ते के साथ उनके बाप (यहया) से अबू सईद (ﷺ) की नबी(ﷺ) से रिवायत बयान की है।

मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने अम्र बिन यहया के तरीक से उनके बाप से रिवायत करते हुए कहा है कि यहया की रिवायत उमूमन अबू सईद (ﷺ) से होती है और इसमें उन्होंने अज़ अबू सईद अज़ नबी(ﷺ) ज़िक्र नहीं किया। तो गोया सौरी की अम्र बिन यहया से उनके बाप के वास्ते बयान की जाने वाली नबी(ﷺ) की हदीस मुर्सल होने के लिहाज़ से ज़्यादा साबित और सहीह है।

125 मस्जिद बनाने की फ़ज़ीलत

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ

318-حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الجَنَّةِ.

318- सय्यदना उस्मान बिन अफ्फान (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को यह फ़रमाते हुए सुना : ''जिस शख़्स ने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई तो अल्लाह उसके लिए इस (मस्जिद) जैसा (घर) जन्नत में बनायेगा"

बुखारी: 450. मुस्लिम:533. इब्ने माजा:736.

वज़ाहत: इस मसले में अबू बक्र, उमर, अली, अब्दुल्लाह बिन अम्र, अनस, इब्ने अब्बास, आयशा, उम्मे हबीबा, अबू ज़र, उमर बिन अब्सा, वासिला बिन अस्क़ा, अबू हुरैरा और जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: उस्मान (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

319- وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى قَيْسٍ، عَنْ زِيَادٍ النُّمَيْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

319- और नबी(ﷺ) से यह भी मर्वी है कि आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जिस ने कोई मस्जिद ख़्वाह छोटी हो या बड़ी अल्लाह के लिए बनाई तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर बना देते हैं।''

ज़ईफ़: अस्सिलसिला अज- ज़ईफ़ा: 6717.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमें क़ुतैबा बिन सईद ने, उन्हें नूह बिन कैस ने कैस के मौला अब्दुर्रहमान की तरफ़ से ज़ियाद अन् नामरी के वास्ते से अनस (رضي الله عنه) की नबी(ﷺ) से ऐसी ही रिवायत बयान की।

महमूद बिन लबीद ने नबी(ﷺ) को पाया है और महमूद बिन रूबैअ ने नबी (ﷺ) को देखा है (उस वक़्त) यह दोनों मदीना के दो छोटे लड़के थे।

126. क़ब्र पर मस्जिद बनाना मना है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَتَّخِذَ عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدًا

320- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ.

320- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने क़ब्रों की जियारत करने वाली ओरतों, इन क़ब्रों पर मसाजिद बनाने और चरागों का एहतमाम करने वालों पर लानत की है।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3236. इब्ने माजा: 1575. निसाई:2043.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा और आयशा (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म की एक जमाअ़त ने मस्जिद में सोने की रुख़सत दी है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) फ़रमाते हैं: ''मस्जिद को रात गुज़ारने और कैलूला करने की जगह न बनाए जब कि अहले इल्म की एक जमाअ़त भी अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) के कौल के मुताबिक मज़हब रखती है।''

127. मस्जिद में सोना

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

321-حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كُنَّا نَنَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ شَبَابٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَتَّخِذُهُ مَبِيتًا وَلاَ مَقِيلاً . وَقَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَهَبُوا إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ

सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(ﷺ) रिवायत करते है कि रसूल(ﷺ) के दौर में हम मस्जिद में सो जाते थे हालांकि उस वक़्त हम नौजवान थे।

बुखारी:440.मुस्लिम:2479. अबू दाऊद:382 इब्ने माजा: 751. निसाई:722.

वजाहत: इमाम तिर्मिजी फर्माते है अब्दुल्लाह बिन उमर की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म की एक जमाअत ने मस्जिद में सोने की रूख़्सत दी है।

128. मस्जिद में खरीदो फरोख्त, गुमशुदा चीज़ का ऐलान और अशआर कहना मना है

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإِنْشَادِ الضَّالَّةِ وَالشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ

322- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ، وَعَنِ الْبَيْعِ وَالِاشْتِرَاءِ فِيهِ، وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ فِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

322- अम्र बिन शोऐब अपने बाप से वह अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि।) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मस्जिद में अशआर कहने, खरीदो फरोख्त करने और जुमा के दिन नमाज़ से पहले हल्का बना कर बैठने से मना फ़र्माया है।

हसन:अबू दाऊद: 1079. इब्ने माजा: 749.निसाई:715. मुसनद अहमद:2/ 179.इब्ने खुजैमा:1304.

वज़ाहत: इस मसले में बुरैदा, जाबिर और अनस (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (رضي الله عنه) की हदीस हसन है। और अम्र बिन शोऐब, मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस के बेटे हैं। इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि मैंने अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) और दीगर लोगों को अम्र बिन शोऐब की हदीस से दलील लेते देखा है। इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी (رحمه الله)) फ़रमाते हैं: शोऐब बिन मुहम्मद ने अपने दादा अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (رضي الله عنه) से (हदीस की) समाअत की है। ''

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जो लोग अम्र बिन शोऐब की हदीस में क़लाम करते हैं वह उसे इस लिए ज़ईफ़ कहते हैं कि वह अपने दादा के सहीफा से बयान करते हैं तो गोया उनका कहना यह होता है कि उन्होंने यह अहादीस अपने दादा से सुनी नहीं हैं।

अली बिन अब्दुल्लाह कहते हैं यहया बिन सईद का ज़िक्र किया जाता है कि उन्होंने फ़र्माया: ''अम्र बिन शोऐब की हदीस हमारे नज़दीक कमज़ोर है। ''

नीज़ उलमा की एक जमाअ़त ने मस्जिद में खरीदो फरोख्त मकरूह समझा है। इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी यही कहते है। जबकि ताबेईन में से बअ़ज (कुछ) उलमा से मस्जिद में खरीदो फरोख्त की रुख्सत भी मर्वी है। नीज़ बहुत सी अहादीस में नबी(ﷺ) से मस्जिद में अशआर पढ़ने की रुख्सत भी वारिद है।

129. जिस मस्जिद की बुनियाद तक़वा पर रखी गई थी

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى.

323- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: امْتَرَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي خُدْرَةَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، فَقَالَ الْخُدْرِيُّ: هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ الآخَرُ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: هُوَ هَذَا، يَعْنِي مَسْجِدَهُ، وَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ.

323- सय्यदना अबू सईद अल ख़ुदरी (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि बनू ख़ुदरा के एक आदमी और बनू अम्र बिन औफ़ के एक आदमी ने तक़वा पर बनाई गई एक मस्जिद के बारे में तकरार की, बनू ख़ुदरा का आदमी कहने लगा: ''वह रसूलुल्लाह(ﷺ) की मस्जिद (यानी मस्जिदे नबवी) है ''दूसरे ने कहा : वह मस्जिदे क़ुबा है तो वह दोनों इस मसले के हल के लिए रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आये तो आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''वह यह है यानी आप की मस्जिद और इसमें बड़ी खैरो भलाई है।

मुस्लिम: 1398. निसाई: 697. मुसनद अहमद: 3/23. इब्ने हिब्बान: 1626.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। नीज़ हमें अबू बक्र ने अली बिन अब्दुल्लाह का कौल बयान किया कि मैंने यहया बिन सईद से मुहम्मद बिन अबी यहया अस्सुलैम के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़र्माया: ''इस (की हदीस लेने) में कोई मुज़ायका नहीं है मगर उसका भाई अनीस बिन अबी यहया उस से ज़्यादा पुख़्ता रावी है। ''

130. मस्जिदे क़ुबा में नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ.

324- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَبُو كُرَيْبٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَبْرَدِ،

324- बनू खत्मा के आज़ादकर्दा अबू अबरद रिवायत करते हैं कि उन्होंने उसैद बिन ज़ुहैर अल अन्सारी (رضي الله عنه) को, जो कि नबी(ﷺ) के सहाबी हैं उनको नबी(ﷺ) की तरफ़ से बयान

مَوْلَى بَنِي خَطْمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ الأَنْصَارِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّلاَةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ.

करते हुए सुना कि आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''मस्जिदे कुबा में नमाज़ पढ़ना उम्रा करने की तरह है।''

सहीह; इब्ने खुज़ैमा: 1411. अबू याला:7172.हाकिम:1/487.

वज़ाहत: इस मसले में सहल बिन हुनैफ़ (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: उसैद (رضي الله عنه) की हदीस हसन गरीब है। और हमारे इल्म में उसैद बिन ज़ुहैर (رضي الله عنه) की इस हदीस के अलावा कोई रिवायत नहीं है। और यह भी हमें अबू उसामा से बवास्ता अब्दुल हमीद बिन जाफर ही मिली है और अबुल अबरद का नाम ज़ियाद या मदीनी है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيِّ الْمَسَاجِدِ أَفْضَلُ.

131. कौन सी मस्जिद ज़्यादा फ़ज़ीलत वाली है?

325- حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الحَرَامَ

325- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''मेरी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ना सिवाए मस्जिदुल हराम (बैतुल्लाह) के किसी भी दूसरी मस्जिद में एक हज़ार नमाज़ों से बेहतर है।

बुखारी:1190 मुस्लिम: 1394 इब्ने माजा: 1404 निसाई:694.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: कुतैबा ने अपनी हदीस (की सनद) में उबैदुल्लाह का ज़िक्र नहीं किया, उन्होंने ज़ैद बिन रबाह से बवास्ता अबू अब्दुल्लाह अल अगराज़ अबू हुरैरा (رضي الله عنه) (रिवायत लेने का) ज़िक्र किया है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और अबू अब्दुल्लाह अल अगराज़ का नाम अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से कई तुरुक (सनदों) के साथ नबी(ﷺ) से (यह हदीस) मर्वी है। और इस मसले में अली,

मैमूना, अबू सईद, जुबैर बिन मुतइम, अब्दुल्लाह बिन जुबैर, इब्ने उमर और अबू ज़र (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

326 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى

326- सय्यदना अबू सईद अल ख़ुदरी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''सिर्फ तीन मसाजिद की तरफ़ रख्ते सफ़र बांधा जा सकता है मस्जिदे हराम, मेरी यह मस्जिद और मस्जिदे अक्सा।''

सहीह बुखारी:1197. मुसनद अहमद:3/7. मुस्लिम:3/152.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

132. मस्जिद की तरफ़ चलना

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ.

327 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَلَكِنْ ائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

327- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब नमाज़ की इक़ामत हो जाए तो दौड़ते हुए ना आओ। और अपने अन्दर तस्कीन (व वक़ार) रखो जो (नमाज़) मिल जाये उसको इमाम के साथ पढ़ लो और जो रह जाए उसे पूरा कर लो।''

बुखारी:636. मुस्लिम:602. अबू दाऊद: 572.इब्ने माजा: 775. निसाई:862.

वज़ाहत: इस मसले में अबू क़तादा, उबय बिन काब, अबू सईद, ज़ैद बिन साबित, जाबिर और अनस (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अहले इल्म का मस्जिद की तरफ़ चल कर जाने में इख़्तिलाफ़ है। बअ़ज (कुछ) कहते हैं: ''जब तक्बीरे ऊला रह जाने का डर हो तो जल्दी- जल्दी चल कर जा सकता है। बअ़ज

(कुछ) से तो यहाँ तक मर्वी है कि नमाज़ की तरफ़ दौड़ कर जा सकता है और कुछ उलमा ने जल्दी-जल्दी चल कर जाना मकरूह समझा है और इत्मिनान व वक़ार के साथ जाने को इख़्तियार किया है।

इमाम अहमद व इस्हाक़ (رحمه الله) भी यही कहते हैं कि सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस पर अमल होगा और इस्हाक़ (رحمه الله) फर्माते हैं: ''अगर तक्बीरे ऊला के रह जाने का डर हो तो अपनी चाल में तेज़ी ला सकता है।''

328- सईद बिन मुसय्यब (رحمه الله) ने भी अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से नबी(ﷺ) की हदीस बवास्ता अबू सलमा अज़ अबू हुरैरा (رضي الله عنه) मर्वी हदीस जैसी रिवायत ज़िक्र की है। इसी तरह अब्दुर्रज्जाक, सईद बिन मुसय्यब के वास्ते से नबी(ﷺ) से मर्वी अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की रिवायत ज़िक्र करते हैं और यह रिवायत यजीद बिन जुरैअ की बयान कर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह है।

सहीह मुसनद अहमद: 2/238. हुमैदी:935. इब्ने खुजैमा:1505.

328 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمَعْنَاهُ

329.. हमें इब्ने अबी उमर ने जोहरी से बवास्ता सईद बिन मुसय्यब (رحمه الله) सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से मर्वी नबी(ﷺ) की हदीस ऊपर वाली हदीस की तरह बयान की है।

सहीह (330) बुखारी:176. मुस्लिम:445. अबू दाऊद:469 इब्ने माजा:799 निसाई:733

329 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

133. नमाज़ के इन्तिज़ार में मस्जिद में बैठने की फ़ज़ीलत

بَابُ مَا جَاءَ فِي القُعُودِ فِي المَسْجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ مِنَ الفَضْلِ

330- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब तक आदमी नमाज़ का इन्तिज़ार करता रहता है वह नमाज़ में ही होता है और तुम में से जब तक

330 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَ يَنْتَظِرُهَا، وَلاَ تَزَالُ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: وَمَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.

कोई शख़्स मस्जिद में रहता है फ़रिश्ते उस के लिए दुआ करते रहते हैं कि ''ऐ अल्लाह इसे माफ़ फ़रमा, इस पर रहम फ़रमा, जब तक वह हादिस नहीं होता (दुआ जारी रहती है) ''तो हजरे मौत के एक आदमी ने कहा : ऐ अबू हुरैरा! हदस किया चीज़ होती है? उन्होंने फ़र्माया: ''बगैर आवाज़ या आवाज़ के साथ सुरीन से हवा का खारिज होना।''

हसन सहीह इब्ने माजा: 1038.इब्ने अबी शैबा:1/400.

मुसनद अहमद: 1/232.इब्ने खुजैमा: 1005

वज़ाहत: इस मसले में अली, अबू सईद, अनस, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, और सहल बिन साद (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

134. छोटी चटाई पर नमाज़ पढ़ना

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْخُمْرَةِ.

331- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الخُمْرَةِ

331- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) छोटी चटाई पर नमाज़ पढ़ते थे।

तौज़ीह: खुजूर के पत्तों से बना हुआ ऐसा टाट जिस को धागे की मदद से तैयार किया गया हो उसकी लम्बाई तक़रीबन एक ज़िराअ (तकरीबन डेढ़ फिट) होती है जिस पर सिर्फ पेशानी रख कर सज्दा किया जा सकता है। अगर खुजूरों के पत्ते से बड़ी चटाई बनाई जाए तो अरबी उसे ''हसीर''कहते हैं।

वज़ाहत: इस मसले में उम्मे हबीबा, इब्ने उमर, उम्मे सुलैम, आयशा, मैमूना, उम्मे कुलसूम बिन्ते अबू सलमा बिन अब्दुल असद (उन्होंने नबी(ﷺ) से सिमा (सुनना) नहीं किया) और उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और बअ़ज (कुछ) अहले इल्म का यही कौल है।

इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: नबी(ﷺ) से खुम्रा पर नमाज़ पढ़ना साबित है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं : खुम्रा छोटी चटाई को कहते हैं।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الحَصِيرِ.

135. बड़ी चटाई पर नमाज़ पढ़ना.

332-حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ.

332- सय्यदना अबू सईद (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने बड़ी चटाई पर नमाज़ पढ़ी।

मुस्लिम: 519 इब्ने माजा: 1029

इब्ने खुज़ैमा : 1004

वज़ाहत: इस मसले में अनस, और मुग़ीरा बिन शोबा (رضی اللہ عنہ) से भी अहादीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं : अबू सईद (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन है। नीज़ अक्सर उलमा के नज़दीक इसी पर अमल है मगर उलमा की एक जमाअत ने ज़मीन पर नमाज़ पढ़ना मुस्तहब कहा है। और अबू सुफियान का नाम तल्हा बिन नाफ़े है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى البُسُطِ.

136. दरियों पर नमाज़ पढ़ना

333 -حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِطُنَا، حَتَّى كَانَ يَقُولُ لأَخٍ لِي صَغِيرٍ: يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ، قَالَ: وَنُضِحَ بِسَاطٌ لَنَا فَصَلَّى عَلَيْهِ

333.. सय्यदना अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) हमारे साथ घुल मिल जाते थे यहाँ तक कि आप मेरे छोटे भाई से फ़रमाते: ''ऐ अबू उमैर! (तेरी) चिड़िया के बच्चे ने क्या किया? अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: हमारी एक दरी (कालीन) को छींटे मारे गए और आप(ﷺ) ने उस पर नमाज़ पढ़ी।

बुखारी: 6129. मुस्लिम:659. अबू दाऊद: 658 इब्ने माजा:3720.

तौज़ीह: النُّغَيْر चिड़िया का मुन्ना सा बच्चा बुलबुल को भी नुग़ैर कहा जाता है।

بِسَاطٌ : बिछौना, दरी, कालीन चटाई वग़ैरह

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अनस (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। और नबी(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से जुम्हूर उलमा का इसी पर अमल है और वह दरियों और कालीनों पर नमाज़ पढ़ने में कोई क़बाहत नहीं समझते। नीज़ इमाम अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) भी यही कहते हैं। और अबूत तय्याह का नाम यजीद बिन हुमैद है।

137. बागों में नमाज़ पढ़ना

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ فِي الحِيطَانِ.

334- सय्यदना मुआज़ बिन जबल (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) बागों में नमाज़ पढ़ने को अच्छा समझते थे। अबू दाऊद कहते हैं: ''(हीतान से) मुराद बागात हैं।''

ज़ईफ़: अस्सिलसिला अज़-ज़ईफ़ा: 4270.

334 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ الصَّلاَةَ فِي الحِيطَانِ

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: मुआज़ (ﷺ) की हदीस गरीब है। हमें सिर्फ हसन बिन अबी जाफर के तरीक से ही मिलती है। और हसन बिन जाफर को यहया बिन सईद वग़ैरह ने ज़ईफ़ कहा है। नीज़ अबुज़्ज़ुब्बैर का नाम मुहम्मद बिन मस्लमा तदरूस और अबुत्तुफैल का नाम आमिर बिन वासिला है।

138. नमाज़ के सुतरा का बयान

بَابُ مَا جَاءَ فِي سُتْرَةِ الْمُصَلِّي.

335- मूसा बिन तल्हा अपने बाप (सय्यदना तल्हा बिन उबैदुल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब तुम में से कोई शख़्स अपने सामने पालान की पिछली लकड़ी के बराबर (कोई चीज़) रख ले तो नमाज़ पढ़ ले और जो कोई उसके बाहर वाली तरफ़ से गुज़रे उसकी परवाह न करे।

मुस्लिम:499. अबू दाऊद: 685. इब्ने माजा: 940.

335 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلاَ يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ

तौज़ीह: सुत्रा: यहाँ सुत्रा से मुराद हर वह चीज़ है जिसे नमाज़ी अपने सामने खड़ा करके नमाज़ पढ़ता है ताकि उस के आगे से गुजरने वाला सुत्रे की दूसरी तरफ़ से गुज़र जाए और गुनाहगार न हो। लाठी, बरछी, लकड़ी, दीवार, सुतून और दरख्त वग़ैरह को सुत्रा बनाया जा सकता है। और इमाम का सुत्रा सब मुक्तदियों के लिए काफी होता है।

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, सहल बिन अबी हश्मा, इब्ने उमर, सबुरा बिन माबद अल जुहनी, अबू जुहैफ़ा और आयशा (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: तल्हा की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि इमाम का सुत्रा ही मुक्तदियों के लिए सुत्रा है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي.

139. नमाज़ी के आगे से गुजरना मना है

336 -حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَّ، أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لاَ أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً

336- बुस्र बिन सईद से रिवायत है कि ज़ैद बिन खालिद अल जुहनी ने उन्हें अबू जुहैम (رضي الله عنه) की तरफ़ भेजा कि उनसे पूछें कि उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से नमाज़ी के आगे से गुजरने वाले आदमी के बारे में किया सुना है, तो अबू जुहैम ने कहा कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''अगर नमाज़ी के सामने से गुजरने वाले को गुजरने की सज़ा मालूम हो जाए तो उसे उस के आगे से गुजरने के बजाये चालीस (दिन, माह या साल) तक वहीं खड़े रहना ज़्यादा बेहतर हो।''अबु नज्र कहते हैं: ''मैं नहीं जानता कि चालीस दिन कहा या महीने या साल।''

बुखारी:510.मुस्लिम:507.अबू दाऊद: 701. इब्ने माजा:944. निसाई: 756.

वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद अल ख़ुदरी, अबू हुरैरा, इब्ने उमर, और अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू जुहैम (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) से मर्वी है कि आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''तुम में से अगर कोई शख़्स सौ साल खड़ा रहे तो वह उस से बेहतर है कि वह अपने नमाज़ी भाई के आगे से गुज़रे।'' और उलमा इसी पर अमल करते हुए नमाज़ी के आगे से गुजरने को मकरूह कहते हैं, लेकिन उनकी राय यह नहीं है कि गुजरने से आदमी की नमाज़ (भी) टूट जाती है। नीज़ अबुन्न्ज्र का नाम सालिम है जो अम्र बिन उबैदुल्लाह अल मदनी के आज़ादकर्दा थे।

140. नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती

بَابُ مَا جَاءَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ.

337- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) फ़रमाते हैं: ''मैं एक मादा गधी पर (अपने भाई) फ़ज़ल (ﷺ) के पीछे बैठा हुआ था हम आये और नबी(ﷺ) अपने सहाबा (ﷺ) को मिना में नमाज़ पढ़ा रहे थे तो हम गधी से नीचे उतरे और सफ में जा मिले फिर वह (गधी) उन के आगे फिरती रही लेकिन उसने उनकी नमाज़ को न तोड़ा।''

बुखारी: 76. मुस्लिम: 504. अबू दाऊद:715. इब्ने माजा:947. निसाई: 752.

337 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ الفَضْلِ عَلَى أَتَانٍ، فَجِئْنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بِمِنًى، قَالَ: فَنَزَلْنَا عَنْهَا فَوَصَلْنَا الصَّفَّ، فَمَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَلَمْ تَقْطَعْ صَلَاتَهُمْ

वज़ाहत: इस मसले में आयशा, फ़ज़ल बिन अब्बास और अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। और नबी(ﷺ) के सहाबा (ﷺ) और ताबेईन (ﷺ) में से अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती। नीज़ सुफ़ियान सौरी और शाफेई (ﷺ) भी यही कहते हैं।

141. कुत्ते, गधे और औरत के अलावा कोई भी चीज सामने से गुजर जाने से नमाज़ नहीं टूटती

بَابُ مَا جَاءَ: أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الكَلْبُ وَالحِمَارُ وَالمَرْأَةُ.

338.. सय्यदना अबू ज़र (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब कोई शख़्स नमाज़ पढ़े और उस के आगे ऊँट के

338 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، وَمَنْصُورُ بْنُ

زَاذَانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ، أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ: قَطَعَ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ، فَقُلْتُ لأَبِي ذَرٍّ: مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَبْيَضِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتَنِي كَمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ.

पालान की पिछली लकड़ी के बराबर (सुत्रा) न हो तो सियाह कुत्ता, औरत और गधा आगे से गुज़र कर उनकी नमाज़ तोड़ देते हैं'' (अब्दुल्लाह बिन सामित) कहते हैं : ''मैंने अबू ज़र से कहा: सुर्ख और सफ़ेद कुत्ता छोड़ के सियाह कुत्ता ही क्यों (ज़िक्र किया है) ''तो उन्होंने फ़र्माया: ''ऐ भतीजे! तुने मुझे भी वैसे ही पूछा है जैसे मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा था आप(ﷺ) ने फ़र्माया था। ''सियाह कुत्ता शैतान है।''

मुस्लिम:510. अबू दाऊद: 702. इब्ने माजा: 592 निसाई: 570.

वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद, हकम बिन उमर अल गिफ़ारी, अबू हुरैरा, और अनस (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : अबू ज़र (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म इसी पर मज़हब रखते हुए कहते हैं कि नमाज़ को गधा, औरत, सियाह कुत्ता तोड़ देते हैं।

इमाम अहमद फ़रमाते हैं: सियाह कुत्ते के नमाज़ को तोड़ने के बारे में मुझे शक नहीं है, लेकिन औरत और गधे के बारे में मेरे दिल में कुछ (शक) है। इस्हाक़ (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि नमाज़ को सिर्फ सियाह कुत्ता ही तोड़ता है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ

142. एक ही कपड़े में नमाज़ पढ़ना

339 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ هِشَامٍ هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ، رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ مُشْتَمِلاً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

339- सय्यदना उमर बिन अबी सलमा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं उन्होंने उम्मे सलमा (رضي الله عنها) के घर में रसूलुल्लाह(ﷺ) को एक ही कपड़े में लिपटे हुए नमाज़ पढ़ते देखा।

बुखारी:354. मुस्लिम: 517. अबू दाऊद:628. इब्ने माजा: 1049. निसाई: 764.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, जाबिर, सलमा बिन अक्वा, अनस, उमर बिन अबी उसैद, अबू

सईद, कैसान, इब्ने अबास, आयशा, उम्मे हानी, अम्मार बिन यासिर, तल्क़ बिन अली और उबादा बिन सामित अल अन्सारी (رضی اللہ عنہم) से बी रिवायात मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़र्माते हैं: उमर बिन अबी सलमा (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा (رضی اللہ عنہم) और ताबेईन (رحمہم اللہ) वग़ैरह में से अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि एक कपड़े के अन्दर नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बअ़ज (कुछ) अहले इल्म ने कहा है कि आदमी दो कपड़ों में नमाज़ पढ़े।

143. क़िब्ला की इब्तिदा का बयान

بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْتِدَاءِ الْقِبْلَةِ

340- सय्यदना बरा बिन आज़िब (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) मदीना में तशरीफ़ लाये तो आप ने 16 या 17 माह बैतुल मक्दिस की तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़ी और रसूलुल्लाह(ﷺ) चाहते थे कि आप को काबा की तरफ़ मुतवज्जह कर दिया जाए तो अल्लाह तआला ने (यह आयात) उतार दीं ''यकीनन हम आप के चेहरे का बार बार आसमान की तरफ़ फिरना देख रहे हैं तो हम आप को उस क़िब्ला की तरफ़ फेर देंगे जिसे आप पसंद करते हैं, सो आप अपना चेहरा मस्जिदे हराम की तरफ़ फेर लें। ''अल बक़रा 144) तो आपने अपना चेहरा क़िब्ला की तरफ़ कर लिया और आप यही चाहते थे। पस एक आदमी ने आप के साथ अस्र की नमाज़ पढ़ी फिर अंसार के लोगों के पास से गुजरा और वह लोग नमाज़े अस्र के रुकू में थे और बैतुल मक्दिस की तरफ़ (मुंह कर के नमाज़ पढ़ रहे) थे तो उस आदमी ने कहा : ''मैं गवाही देता हूँ कि मैंने नबी(ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी है और आप(ﷺ) ने अपना चेहरा काबा की तरफ़ फेर

340 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحَرَامِ}، فَوَجَّهَ نَحْوَ الكَعْبَةِ، وَكَانَ يُحِبُّ ذَلِكَ، فَصَلَّى رَجُلٌ مَعَهُ العَصْرَ، ثُمَّ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاَةِ العَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ قَدْ وَجَّهَ إِلَى

الكَعْبَةِ، قَالَ: فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ.

दिया है। रावी कहते हैं कि वह लोग रुकू की हालत में ही फिर गए।

बुखारी: 399. मुस्लिम: 525. इब्ने माजा: 1010.निसाई:488.

वजहात: इस मसले में इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, उमारा बिन औस, उमर बिन औफ़ अल मुज़्नी और अनस (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़र्माते हैं: बरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ सुफ़ियान सौरी ने भी इस हदीस को अबू इस्हाक़ से रिवायत किया है।

341 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانُوا رُكُوعًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ.

341- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि वह लोग सुबह की नमाज़ के रुकू में थे।

बुखारी: 403. मुस्लिम:526. निसाई:493.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़र्माते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

144. मशरिक़ और मगरिब के दर्मियान क़िब्ला है

342 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.

342- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया : ''मशरिक़ और मगरिब के दर्मियान क़िब्ला है।''

सहीह इब्ने माजा:1011. अत-तबरानी फ़िल औसत: 2945

तौज़ीह: यह हुक्म अहले मदीना और उन इलाकों के लिए है जो काबा के शिमाल(उत्तर) में हैं।

343 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ، مِثْلَهُ.

343- हमें यहया बिन मूसा से बयान किया कि मुहम्मद बिन अबी माशर ने हमें इसी तरह की हदीस बयान की है।

तहकीक़ व तख़रीज के लिए हदीसे साबिक़ देखें.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़र्माते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस उन से कई इस्नाद के साथ मर्वी है।

और बअ़ज (कुछ) उलमा ने अबू माशर के बारे में उस के हाफ़िज़े की वजह से क़लाम किया है और उनका नाम नजीह था, बनू हाशिम के आज़ादकर्दा थे। मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله)) फ़रमाते हैं : लोगों ने इस से रिवायत ली हैं मगर इस से कुछ लोग रिवायत नहीं करते नीज़ फ़रमाते हैं अब्दुल्लाह बिन जाफर अल मखरमी की उस्मान बिन मुहम्मद अल अख्नसी से सईद अल मक्बुरी के वास्ते से बयान कर्दा अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस अबू माशर की हदीस से ज़्यादा क़वी और ज़्यादा सहीह है।

344 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَخْنَسِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.

344- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया : ''मशरिक़ और मगरिब के दर्मियान क़िब्ला है।''

सहीह अत-तबरानी फ़िल औसत: 794.

वज़ाहत: अब्दुल्लाह बिन जाफर को अल मखरमी इस लिए कहा जाता है क्योंकि यह मिस्वर बिन मखरमा (رضي الله عنه) की औलाद से हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़र्माते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) के बहुत से सहाबा (رضي الله عنهم) से, जिन में सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब, सय्यदना अली बिन अबी तालिब और सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنهم) भी शामिल हैं। यही मर्वी है कि ''मशरिक़ और मगरिब के दर्मियान क़िब्ला है।''

अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) फ़रमाते है: अगर आप मगरिब को अपनी दायें जानिब और मशरिक़ को बाएं जानिब रख के किब्ले की तरफ़ मुंह करें तो ''मशरिक़ और मगरिब के दर्मियान वाला क़िब्ला होगा।

अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمه الله) फ़रमाते है: ''मशरिक़ और मगरिब के दर्मियान क़िब्ला है।'' इस का ताल्लुक मशरिक़ वालों के लिए है। नीज़ अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने मर्व वालों के लिए बाएं जानिब झुकने को पसंद किया है।

तौज़ीह: (मर्व) अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمه الله) के शहर का नाम है।

145. बादल होने की वजह से अगर कोई आदमी क़िब्ला के अलावा किसी और सिम्त (दिशा) मुंह कर के नमाज़ पढ़ ले

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي لِغَيْرِ القِبْلَةِ فِي الغَيْمِ.

345 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ السَّمَّانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ القِبْلَةُ، فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.}

345.. अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबीआ अपने बाप (आमिर (ﷺ)) से रिवायत करते हैं कि हम एक अंधेरी रात में नबी(ﷺ) के साथ सफ़र पर थे तो हमें पता ना चला कि क़िब्ला किस तरफ़ है हर आदमी ने अपने सामने (की तरफ़ मुंह करके) नमाज़ पढ़ ली। जब सुबह हुई तो हम ने यह बात नबी(ﷺ) से ज़िक्र की तो यह आयत नाज़िल हुई जिस तरफ़ भी मुंह करो उधर ही अल्लाह की ज़ात है।

हसन: इब्ने माजा: 1020. तयालिसी: 1145. बैहक़ी:2/.11.

इमाम तिर्मिज़ी (रहमतुल्लाह) फ़रमाते हैं इस हदीस की सनद कुछ ख़ास (मज़बूत नहीं है) हम इस से अशअश अस्समान की सनद से जानते हैं।

अशअश बिन सईद, अबू अर्रबीअ अस्समान हदीस में ज़ईफ़ क़रार दिया जाता है लेकिन अक्सर उलमा इसी पर मज़हब रखते हुए कहते हैं कि जब कोई शख़्स बादल की सूरत में क़िब्ला के अलावा किसी सिम्त में नमाज़ पढ़ ले फिर नमाज़ के बाद उस पर वाज़ेह हो कि उस ने गैर क़िब्ला की तरफ़ नमाज़ पढ़ी है तो उसकी नमाज़ जायज़ होगी। नीज़ सुफ़ियान सौरी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, अहमद और इस्हाक़ (रहमतुल्लाह) का भी यही कौल है।

146. किस तरफ़ या किस जगह नमाज़ पढ़ना मकरुह है

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَا يُصَلَّى إِلَيْهِ وَفِيهِ

346 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ.

346- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने सात मक़ामात पर नमाज़ पढ़ने से मना फ़र्माया है: ''कूड़ा करकट फेंकने की जगह में, ऊँट वग़ैरह ज़बह किये जाने वाली जगह में, क़ब्रिस्तान में, रास्ते के दर्मियान में, गुस्ल खाने में, ऊँट बाँधने की जगह में और बैतुल्लाह की छत के ऊपर।

ज़ईफ़: इब्ने माजा:746.

तौज़ीह: अल मज़ीला: वह जगह जहां गलाज़त और कूड़ा वग़ैरह फेंका जाए।

अलमज्जरा : जिस जगह जानवर ज़बह किये जाते हैं, जबह खाना (किल खाना)।

मआतिनुल इबिल: पानी के इर्द गिर्द जहां ऊँट बिठाए जाते हैं।

347 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَعْنَاهُ نَحْوَهُ.

347- इमाम तिमिज़ी (رحمه الله) कहते हैं: हमें अली बिन हुज्र ने बयान किया कि हमें सुवैद बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ज़ैद बिन जबीरह से उन्होंने दाऊद बिन हुसैन से बवास्ता नाफ़े सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) की तरफ़ से रसूलुल्लाह(ﷺ) का ऐसा ही फ़रमान बयान किया है। (ज़ईफ़.)

वज़ाहत: इस मसले में अबू मर्सद, जाबिर और अनस (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं। अबू मर्सद का नाम कन्नाज़ बिन हुसैन था।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) की हदीस की सनद क़वी नहीं है और ज़ैद बिन जबीरह के हाफ़िज़े के मुताल्लिक़ क़लाम किया गया है। तिर्मिज़ी

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ज़ैद बिन जुबैर कूफी इस से ज़्यादा अस्बत और बड़ी उमर वाला रावी है। उस ने अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से सिमा (सुनना) किया है।

नीज़ लैस बिन साद ने इस हदीसे नबवी को अब्दुल्लाह बिन उमर अल उमरी से बवास्ता अज़ नाफ़े अज़ अब्दुल्लाह बिन उमर अज़ सय्यदना उमर (رضي الله عنه) से रिवायत किया है। और दाऊद की नाफ़े के वास्ते के साथ अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायतकर्दा नबी(ﷺ) की हदीस लैस बिन साद की हदीस से ज़्यादा उम्दा और सहीह है। क्योंकि अब्दुल्लाह बिन उमर अल उमरी को बअ़ज (कुछ) मुहद्दिसीन ने उस के हाफ़िज़े की वजह से ज़ईफ़ कहा है और उन मुहद्दिसीन में यहया बिन सईद अल क़त्तान (رحمه الله) भी हैं।

147. बकरियों के बाड़े और ऊंटों के बिठाए जाने की जगह नमाज़ पढ़ना

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَأَعْطَانِ الإِبِلِ

348- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''तुम बकरियों के बैठने की जगह नमाज़ पढ़ लिया करो और ऊंटों के बिठाने की जगह न पढ़ा करो।''

सहीह इब्ने माजा: 768.इब्ने खुज़ैमा: 795.मुसनद अहमद: 2/451.

348 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، وَلاَ تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ

तौज़ीह : मराबिज़: बाड़ा वग़ैरह जहां बकरियों को रखा जाता है।

349- हमें अबू कुरैब ने, उन्हें यहया बिन आदम ने अबू बक्र बिन अयाश की तरफ़ से उन्हें अबू हुसैन ने बवास्ता अबू सालेह, सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से नबी(ﷺ) की इस जैसी ही हदीस बयान की है।

सहीह इब्ने खुज़ैमा: 796.

349 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، أَوْ بِنَحْوِهِ.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर बिन समुरा, सबुरह बिन माबद अल जुहनी, अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल, इब्ने उमर और अनस (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। और हमारे साथियों के नज़दीक इसी पर अमल है नीज़ अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) भी यही कहते हैं।

अबू हुसैन की बवास्ता अबू सालेह सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) से बयान कर्दा नबी(ﷺ) की हदीस गरीब है। नीज़ इस्राईल ने अबू हुसैन की अबू सालेह के वास्ते से ली गई अबू हुरैरा (ﷺ) की हदीस मौकूफन बयान की है, मर्फूअ नहीं, और अबू हुसैन का नाम उस्मान बिन आसिम अल असदी है।

350 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ.

350- सय्यदना अनस बिन मालिक (ﷺ) रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल(ﷺ) बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ लेते थे।

बुखारी:428. मुस्लिम:524. अबू दाऊद:453. निसाई: 702.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबुत्तियाह अज़्ज़बई का नाम यजीद बिन हुमैद है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ

148. सवारी का रुख़ जिस तरफ़ हो उधर मुंह करके नमाज़ पढ़ना

351 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَجِئْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ.

351- सय्यदना जाबिर (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने उन्हें किसी काम के लिए भेजा तो (जब) मैं आप के पास आया तो आप अपनी सवारी पर मशरिक़ की तरफ़ (मुंह करके) नमाज़ पढ़ रहे थे और आप सज्दा में रुकू से ज़्यादा झुकते थे।

बुखारी: 1217.मुस्लिम:540. अबू दाऊद: 926 इब्ने माजा: 1018. निसाई: 1189.

वज़ाहत: इस मसले में अनस, इब्ने उमर, अबू सईद और आमिर बिन रबीआ (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: जाबिर (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। जाबिर (ﷺ) से कई सनदों के साथ इस हदीस को रिवायत किया गया है।

नीज़ आम उलमा का इसी पर अमल है। हमारे इल्म में इस बारे में उनके दर्मियान इख़्तिलाफ़ नहीं। उनके नज़दीक आदमी का सवारी पर, जिस तरफ़ भी उसका रुख हो, क़िब्ला या किसी और तरफ़ नफ़्ली नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ.

149. सवारी की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ना.

352 ـ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى بَعِيرِهِ، أَوْ رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ.

352- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने अपने ऊँट या सवारी की तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़ी और सवारी पर बैठ कर जिस तरफ़ भी उसका रुख होता नमाज़ पढ़ लेते थे।

बुखारी: 430. मुस्लिम: 502. अबू दाऊद:692.

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और बअ़ज (कुछ) उलमा भी यही कहते हैं कि ऊँट की तरफ़ मुंह करके उसको आड़ (और पर्दा) बनाते हुए नमाज़ पढ़ने में कोई क़बाहत नहीं है।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ.

150. जब रात का खाना सामने हो और नमाज़ की इक़ामत हो जाए तो पहले खाना खाओ

353 ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ.

353- सय्यदना अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) इस सनद को नबी(ﷺ) तक पहुंचाते हुए रिवायत करते हैं कि आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब रात का खाना हाज़िर हो और नमाज़ की इक़ामत कह दी जाए तो खाने से इब्तिदा करो।''

बुखारी: 672. मुस्लिम:557. इब्ने माजा: 933

तौज़ीह: : अल अशाउ: इस का मानी है रात का खाना और ऐन के नीचे ज़ेर के साथ पढ़ा जाए तो मुराद रात का वक़्त या नमाज़े इशा होता है।

वज़ाहत: इस मसले में आयशा, इब्ने उमर, सलमा बिन अक्वा और उम्मे सलमा (رضی اللہ عنہم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अनस (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।
और नबी(ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنهم) में से अहले इल्म के नज़दीक, जिनमें अबू बक्र, उमर और इब्ने उमर (رضي الله عنهم) भी शामिल हैं कहते हैं इसी पर अमल होगा।

नीज़ अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी यही कहते हैं कि पहले खाना खाए अगरचे उसकी नमाज़ बाजमाअत ही क्यों न रह जाए।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मैंने जारूद (رحمه الله) को फ़रमाते हुए सुना कि मैंने वकीअ से इस मसले के बारे में यह सुना है कि (यह हुक्म तब है) जब खाने के खराब होने का डर हो।

लेकिन जिस (मौकिफ़) की तरफ़ नबी(ﷺ) के अहले इल्म सहाबा गए हैं वह इत्तिबा के ज़्यादा मुशाबेह है और उनका मक़सद यह है कि आदमी ऐसी हालत में नमाज़ न पढ़े कि उसका दिल खाने में लगा हुआ हो.

नीज़ अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से मर्वी है कि जब हमारे दिलों में कुछ भी (खाने वग़ैरह की ख़्वाहिश) हो तो हम नमाज़ के लिए खड़े नहीं होते.

354 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ وَتَعَشَّى ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

354- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत की गई है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब रात का खाना रख दिया जाए और नमाज़ की इक़ामत हो जाए तो खाने से इब्तिदा करो।'' रावी कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) ने रात का खाना खाया और वह इमाम की किरअत सुन रहे थे।

बुखारी: 674. मुस्लिम:559. अबू दाऊद: 3757. इब्ने माजा:934.

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं: यह हदीस हमें हन्नाद ने उन्हें अबदा ने उबैदुल्लाह से बवास्ता नाफ़े, इब्ने उमर (رضي الله عنه) से बयान की है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النُّعَاسِ

151. ऊंघ की हालत में नमाज़

355 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الكِلَابِيُّ، عَنْ

355- सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब तुम में से कोई शख़्स नमाज़ पढ़ते हुए ऊंघने लगे तो

هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ يَنْعَسُ، فَلَعَلَّهُ يَذْهَبُ لِيَسْتَغْفِرَ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ.

उसे चाहिये कि सो जाए यहाँ तक कि उसकी नींद का गलबा जाता रहे क्योंकि जब तुम में कोई आदमी ऊंघते हुए नमाज़ पढ़ता है तो हो सकता है वह बख़्शिश मांगने की जगह अपने आप को बुरा भला कहने लग जाए।''

बुख़ारी:212. मुस्लिम: 786.अबू दाऊद:131. इब्ने माजा:1370.निसाई:162.

वज़ाहत: इस मसले में अनस और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी रिवायत मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يُصَلِّ بِهِمْ.

152. जो शख़्स किसी कौम के पास मुलाक़ात के लिए जाए तो वह उन्हें नमाज़ न पढ़ाये.

356 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَهَنَّادٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ العَطَّارِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ العُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فِي مُصَلَّانَا يَتَحَدَّثُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا، فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمْ، فَقَالَ: لِيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ لِمَ لَا أَتَقَدَّمُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ.

356- अबू अतिय्या (رحمه الله) कहते हैं कि मालिक बिन हुवैरिस (رضي الله عنه) हमारी नमाज़ पढ़ने की जगह में आकर अहादीस बयान करते थे एक दिन नमाज़ का वक़्त हुआ तो हमने उनसे कहा आप आगे बढ़ें'' (यानी इमामत करवाएं) उन्होंने फ़र्माया: ''तुम में से कोई शख़्स आगे हो हत्ता कि मैं बताऊँ कि मैं क्यों आगे नहीं होता मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना कि जो शख़्स किसी कौम की मुलाक़ात के लिए जाए तो उन का इमाम न बने बल्कि उन्हीं में से कोई शख़्स उनकी इमामत करवाए।

मर्फ़ूअ हिस्सा सहीह लिगैरिही है: अबू दाऊद: 596. निसाई:787.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और नबी(ﷺ) के सहाबा में से अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि घर का मालिक मेहमान से ज़्यादा इमामत का हक़दार है।

बाज़ कहते हैं : जब वह उसे इजाज़त दे दे तो उसे नमाज़ पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। ''

लेकिन इस्हाक़ (رحمه الله) सय्यदना मालिक बिन हुवैरिस की हदीस की वजह से इस बात में सख़्ती करते हैं कि कोई आदमी (मेहमान) साहिबे मंजिल को नमाज़ न पढ़ाये ख़्वाह साहिबे मंजिल उसे इजाज़त भी दे दे। वह फ़रमाते हैं: ''इसी तरह वह अगर मेहमान है तो मस्जिद में भी उन्हें नमाज़ न पढ़ाये बल्कि उन्हीं में से कोई शख़्स नमाज़ पढ़ाये।''

153. इमाम का सिर्फ अपने लिए दुआ करना मकरूह है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخُصَّ الإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

357.. सय्यदना सौबान (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: ''कोई आदमी इजाज़त लिए बगैर किसी घर के अन्दर न देखे, अगर उस ने बगैर इजाज़त देख लिया तो गोया वह दाखिल हो गया, और न कोई शख़्स किसी कौम की इमामत करते हुए उन्हे छोड़ कर अपने लिए दुआ को ख़ास करे, अगर उसने ऐसा किया तो उनकी ख़यानत की और कोई शख़्स पेशाब वग़ैरह रोक कर नमाज़ न पढ़े।''

''पेशाब रोक कर नमाज़ न पढ़े''जुम्ला के अलावा ज़ईफ़ है। अबू दाऊद:90.इब्ने माजा:619.

357 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ الحِمْصِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلاَ يَؤُمَّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلاَ يَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ وَهُوَ حَقِنٌ.

तौज़ीह: : **हक़ीनुन :** पेशाब की शिद्दत से हाजत के बावजूद पेशाब न करे और नमाज़ में खड़ा हो जाए।

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा और अबू उमामा (رضي الله عنهما) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सौबान (رضي الله عنه) की हदीस हसन है।

नीज़ मुआविया बिन सालेह से भी सफ़र बिन नसीर अज़ यजीद बिन शुरैह के वास्ते के साथ सय्यदना अबू उमामा (رضي الله عنه) से नबी(ﷺ) की यह हदीस बयान की गई है और यही हदीस यजीद बिन शुरैह से बवास्ता सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) भी रिवायत की गई है। लिहाजा इस मसले में यजीद बिन शुरैह की अबू हय्य अल्मुअज़्ज़िन के वास्ते के साथ सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस सनद के एतबार से ज़्यादा मज़बूत और मशहूर है।

154. जिस इमाम को मुक़तदी ना पसंद करते हों

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

358 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ القَاسِمِ الأَسَدِيُّ، عَنِ الفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَرَجُلٌ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ.

358- सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: ''तीन आदमियों पर अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने लानत की है (पहला) वह आदमी जो किसी कौम का इमाम बने और वह उसे नापसंद करते हों। (दूसरी) वह औरत जो खाविंद की नाराजगी की हालत में रात बसर करे। (तीसरी) वह आदमी जो ''हय्या अलल फ़लाह'' को सुन कर उसका जवाब न दे (यानी मस्जिद में ना आये)।

ज़ईफ़ जिद्दा: अल- इलल अल- मुतनाहिया:744.

वज़ाहत: इस, मसला में अब्दुल्लाह बिन अब्बास, तल्हा, अब्दुल्लाह बिन अम्र और अबू उमामा (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अनस (رضي الله عنه) की हदीस (की सनद) सहीह नहीं है। क्योंकि यह हदीस हसन (رحمه الله) से मुर्सल बयान की गई है। तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:इमाम अहमद बिन हंबल (رحمه الله) ने मुहम्मद बिन क़ासिम के बारे में क़लाम की है और उसे ज़ईफ़ कहा है और यह रावी हाफ़िज़ भी नहीं है।

लेकिन बअ़ज (कुछ) उलमा ने मुक्तादियों के नापसंद करने की सूरत में आदमी के लिए इमामत को मकरूह समझा है। अगर इमाम ज़ालिम नहीं है तो नापसंद करने वाले पर गुनाह होगा। इस मसले के बारे में इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ''अगर कोई एक, दो या तीन शख़्स नापसंद करते हैं तो जब तक ज़्यादा लोग नापसन्द नहीं करते तो नमाज़ पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है।''

359 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا

359- अम्र बिन हारिस अल मुस्तलिक़ कहते हैं कहा जाता है कि क़यामत के दिन सब से सख़्त अज़ाब दो आदमियों को होगा। (पहली) वह औरत जो अपने शौहर की नाफ़रमानी करती है। और (दूसरा) किसी

اثْنَانِ: امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.

कौम का (ऐसा) इमाम जिसे वह ना पसंद करते हों।

सहीह.

वज़ाहत: हन्नाद जरीर (رحمه الله) से ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि मंसूर (رحمه الله) कहते हैं : ''हम ने इमामत करने के बारे में पूछा तो हम से कहा गया: ''इस से मुराद ज़ालिम इमाम हैं, लेकिन जो सुन्नत को काइम करने वाला है तो उसे नापसन्द करने वाले पर गुनाह होगा:''

360 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَالِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.

360- सय्यदना अबू उमामा (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं : रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''तीन आदमियों की नमाज़ उनके कानों से ऊपर नहीं जाती। (पहला) भागा हुआ गुलाम जब तक मालिकों के पास वापस न आ जाए। (दूसरी) वह औरत जो ख़ाविंद की नाराजगी की हालत में रात गुज़ारे। और (तीसरा) किसी कौम का इमाम जिसे वह ना पसंद करते हों।''

हसन: इब्ने अबी शैबा:4/307. अत-तबरानी फ़िल कबीर:8090.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन गरीब है। और अबू ग़ालिब का नाम हज़व्वर है।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا صَلَّى الإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا

155. जब इमाम बैठ कर नमाज़ पढ़ाये तो तुम सब भी बैठ कर नमाज़ पढ़ो.

361 -حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ

361- सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) घोड़े से नीचे गिर पड़े आप को चोट लग गई, तो आप(ﷺ) ने हमें बैठ कर नमाज़ पढ़ाई। हमने भी आप के साथ बैठ कर नमाज़ अदा की, फिर जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो फ़रमाया,

قُعُودًا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: إِنَّمَا الإِمَامُ، أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ، لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ.

''इमाम इसी लिए होता है ताकि उस की इक्तिदा की जाए पस जब वह अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी अल्लाहू अकबर कहो और जब वह रुकू करे तो तुम भी रुकू करो और जब वह समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना व लकल हम्द कहो और जब वह सज्दा करे तो तुम सज्दा करो और जब वह बैठ कर नमाज़ पढ़ाये तो तुम सब भी बैठ कर नमाज़ पढ़ो।

बुखारी:387. मुस्लिम: 411. अबू दाऊद: 601 इब्ने माजा:1238. निसाई: 494.

वज़ाहत: इस मसले में आयशा, अबू हुरैरा, जाबिर, इब्ने उमर और मुआविया (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदना अनस (رضي الله عنه) की हदीस नबी(ﷺ) घोड़े से गिरे तो चोट लग गई, यह हदीस हसन सहीह है।

बअज़ अहले इल्म कहते हैं कि जब इमाम बैठ कर नमाज़ पढ़ाये तो पिछले (मुक्तदी) खड़े हो कर ही नमाज़ पढ़ेंगे अगर वह बैठ कर नमाज़ पढ़ें तो, जायज़ नहीं। यह कौल सुफ़ियान सौरी, मालिक बिन अनस, इब्ने मुबारक और शाफेई (رحمه الله) का है।

362 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَاعِدًا.

362- सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं: कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अबू बक्र (رضي الله عنه) के पीछे उस बीमारी में जिस में आप की वफ़ात हुई बैठ कर नमाज़ पढ़ी थी।

सहीह निसाई: 786. मुसनद अहमद: 159. इब्ने खुज़ैमा:1620.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह गरीब है। नीज़ सय्यदा आयशा (رضي الله عنها)से यह रिवायत भी की गई है कि नबी(ﷺ) अपनी बीमारी के दिनों में निकले अबू बक्र (رضي الله عنه) लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे तो आप(ﷺ) ने अबू बक्र (رضي الله عنه) के साथ बैठ कर नमाज़ पढ़ाई, लोग अबू बक्र (رضي الله عنه) की नमाज़ की इक्तिदा कर रहे थे।

नीज़ उन से यह भी मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने अबू बकर (رضي الله عنه) के पीछे बैठ कर नमाज़ पढ़ी। अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से भी मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने अबू बकर (رضي الله عنه) के पीछे बैठ कर नमाज़ पढ़ी।

363 -حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا فِي ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ.

363- सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ''बीमारी के दिनों में एक कपड़े में लिपट कर अबू बकर (رضي الله عنه) के पीछे बैठ कर नमाज़ पढ़ी।

सहीह निसाई: 785. मुसनद अहमद:3/ 159.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ यहया बिन अय्यूब ने हुमैद से बवास्ता साबित सय्यदना अनस (رضي الله عنه) से इसी तरह रिवायत की है जब कि बहुत से रावियों ने हुमैद के वास्ते के साथ अनस (رضي الله عنه) से रिवायत करते हुए साबित का ज़िक्र नहीं किया है। लेकिन जिस ने साबित का ज़िक्र किया है तो उसकी सनद सहीह है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِمَامِ يَنْهَضُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ نَاسِيًا

157. अगर इमाम भूल कर दो रकअतें पढ़ कर (बैठने की बजाये) खड़ा हो जाए

364 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ وَسَبَّحَ بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ بِهِمْ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ.

364- शअबी (رحمه الله) कहते हैं: हमें सय्यदना मुग़ीरा बिन शोबा (رضي الله عنه) ने नमाज़ पढ़ाई तो दो रकअतें पढ़ कर (तशह्हुद में बैठने की बजाये भूल कर) खड़े हो गए। लोगों ने सुब्हान अल्लाह कहना शुरू किया तो उन्होंने भी सुब्हान अल्लाह कहा। जब उन्होंने नमाज़ मुकम्मल की सलाम फेरा तो बैठे बैठे सह्व के दो सज्दे किए, फिर फ़रमाने लगे कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने भी ऐसे ही किया था जैसे उन्होंने किया है।''

सहीह अबू दाऊंद: 1037.

वज़ाहत: इस मसले में उक़्बा बिन आमिर, साद और अब्दुल्लाह बिन बुहैना (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: सय्यदना मुग़ीरा बिन शोबा (ﷺ) की हदीस उन से कई तुरुक़ के साथ मर्वी है। नीज़ बअ़ज (कुछ) उलमा ने इब्ने अबी लैला के हाफिज़े के हवाले से क़लाम की है। इमाम अहमद बिन हंबल (ﷺ) कहते हैं: ''इब्ने अबी लैला की हदीस से दलील नहीं ली जा सकती।''

मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (ﷺ) कहते हैं : इब्ने अबी लैला सदूक़ रावी है लेकिन मैं उस से रिवायत नहीं करता क्योंकि उसे अपनी सहीह और कमज़ोर रिवायतों के बारे में इल्म नहीं है और हर वह रावी जो इस तरह का हो मैं उस से रिवायत नहीं करता।

नीज़ यह हदीस कई सनदों के साथ मुग़ीरा बिन शोबा (ﷺ) से मर्वी है और सुफ़ियान ने जाबिर से उन्होंने मुग़ीरा बिन शुबैल से बवास्ता कैस बिन अबी हाजिम सय्यदना मुग़ीरा बिन शोबा (ﷺ) से रिवायत की है। और जाबिर जोफ़ी को बअ़ज (कुछ) अहले इल्म ने ज़ईफ़ कहा है। यहया बिन सईद और अब्दुर्रहमान बिन महदी वग़ैरह ने इस की रिवायत को तर्क किया है।

नीज़ अहले इल्म के नज़दीक इसी पर अमल है कि जब आदमी दो रकअ़तें पढ़ कर (बैठने की बजाये) खड़ा हो जाए तो वह अपनी नमाज़ जारी रखे और (सह्व के) दो सज्दे कर ले। कुछ ने सलाम से पहले और कुछ ने सलाम फेरने के बाद कहा है। जिस ने सलाम से पहले का कहा है तो उसकी दलील के तौर पर पेश की जाने वाली हदीस ज़्यादा सहीह है। जिसे जोहरी और यहया बिन सईद अल अंसारी ने बवास्ता अब्दुर्रहमान अल आरज सय्यदना अब्दुल्लाह बिन बुहैना से रिवायत किया है।

365 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

365- ज़ियाद बिन इलाक़ा रिवायत करते हैं कि सय्यदना मुग़ीरा बिन शोबा (ﷺ) ने हमें नमाज़ पढ़ाई, जब दो रकअते पढ़ लीं (तो) खड़े हो गए और (तशह्हुद में) न बैठे, जो लोग उनके पीछे थे उन्होंने सुब्हान अल्लाह कहना शुरू कर दिया उन्होंने उनकी तरफ़ इशारा किया कि तुम भी खड़े हो जाओ, जब वह अपनी नमाज़ से फ़ारिग़ हुए सलाम फेरा और सह्व के दो सज्दे करके (फिर सलाम फेरा तो फ़रमाने लगे : रसूलुल्लाह(ﷺ) ने भी इसी तरह किया था।

सहीह: अबू दाऊद: 1037. मुसनद अहमद: 4/253.दारमी: 1509.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) की यह हदीस कई सनदों के साथ मुग़ीरा बिन शोबा (ﷺ) से रिवायत की गई है।

158. पहली दो रकअतें पढ़ कर (पहली बैठक) में बैठने की मिक़दार

بَابُ مَا جَاءَ فِي مِقْدَارِ الْقُعُودِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ.

366- अबू उबैदा बिन अब्दुल्लाह बिन मसऊद अपने बाप (सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब पहली दो रकअतें पढ़ कर (पहली बैठक) में बैठते थे तो गोया आप गर्म पत्थर पर होते थे। (राविये हदीस) शोबा कहते हैं फिर साद बिन इब्राहीम ने अपने होंट हिलाए तो मैंने कहा यहाँ तक कि खड़े हो जाते तो उन्होंने भी कहा : यहाँ तक कि आप(ﷺ) खड़े हो जाते।

366 -حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ، قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ حَرَّكَ سَعْدٌ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ، فَأَقُولُ: حَتَّى يَقُومَ؟، فَيَقُولُ: حَتَّى يَقُومَ.

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 995. निसाई: 1176.

तौज़ीह: अर्रज़्फ़ु: अर्रज़्फ़तु जमा है, आग या धूप की तपिश से गर्म हुआ पत्थर।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन है। लेकिन अबू उबैदा ने हदीस की समाअत अपने वालिदे मोहतरम से नहीं की है।

नीज़ अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए इस बात को इख़्तियार करते हैं कि आदमी पहली दो रकअतें पढ़ कर ज़्यादा देर न बैठे और पहली बैठक में तशह्हुद में कुछ न पढ़े और वह कहते हैं अगर वह तशह्हुद से ज़्यादा पढ़ता है तो उस पर सह्व के दो सज्दे लाजिम हैं। शअबी वग़ैरह से भी इसी तरह मर्वी है।

159. नमाज़ में इशारा करना

بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ.

367- सय्यदना सुहैब (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास से गुजरा आप नमाज़ पढ़ रहे थे मैंने आप को सलाम कहा तो

367 -حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ

نَابِلٍ صَاحِبِ العَبَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً، وَقَالَ: لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ.

आप(ﷺ) ने इशारे के साथ मुझे जवाब दिया रावी कहते हैं मुझे मालूम नहीं शायद सुहैब (رضي الله عنه) ने यह भी कहा था कि उंगली के साथ इशारा किया था।

सहीह:अबू दाऊद:925 इब्ने माजा:1017 निसाई: 1186.

वज़ाहत: इस मसले में बिलाल, अबू हुरैरा, अनस, और आयशा (رضي الله عنه) से भी यह अहादीस मर्वी हैं।

368 ـ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ لِبِلاَلٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ.

368- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) कहते हैं : कि मैंने बिलाल (رضي الله عنه) से कहा जब नबी(ﷺ) नमाज़ में होते और लोग आप को सलाम कहते तो आप जवाब कैसे देते थे।बिलाल (رضي الله عنه) ने कहा आप(ﷺ) हाथ के साथ इशारा करते थे।

सहीह: अबू दाऊद:927. मुसनद अहमद: 6/ 12.इब्ने जारूद:215.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह और सुहैब (رضي الله عنه) की हदीस हसन है। हमें सिर्फ लैस (رحمه الله) से बवास्ता बुकैर (رحمه الله) ही मिलती है।

नीज ज़ैद बिन असलम से मर्वी है कि अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मैंने बिलाल (رضي الله عنه) से कहा कि जब बनी उमर बिन औफ़ की मस्जिद में नमाज़ की हालत में लोग नबी(ﷺ) को सलाम कहते तो आप(ﷺ) क्या करते थे? तो बिलाल (رضي الله عنه) ने फ़र्माया: आप (عليه السلام) इशारे के साथ जवाब देते थे।

तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं) मेरे नज़दीक दोनों हदीसें सहीह है। क्योंकि सय्यदना सुहैब (رضي الله عنه) की हदीस का वाक़िया सय्यदना बिलाल (رضي الله عنه) की हदीस के वाकिया वाला नहीं। अगरचे अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) दोनों ही रिवायत करते हैं, यह भी मुमकिन है कि उन्होंने दोनों से सुना हो।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ

160. इमाम के भूलने की सूरत में, मर्द सुब्हान अल्लाह कहें और ख्वातीन ताली बजाएं

369 ـ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ،

369- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: सुब्हान

عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

अल्लाह कहना मर्दों के लिए है और ख्वातीन के लिए ताली है।

बुखारी: 1203. मुस्लिम: 422. अबू दाऊद: 939. इब्ने माजा: 1034. निसाई: 1270, 1210.

तौज़ीह: तस्फ़ीक : दाएं हाथ की पुश्त बाएं हथेली पर मार कर आवाज़ पैदा करना।

वज़ाहत: इस मसले में अली, सहल बिन साद, जाबिर, अबू सईद और इब्ने उमर (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं। अली (رضي الله عنه) कहते हैं जब मैं अन्दर आने की इजाज़त माँगता तो अगर आप नमाज़ पढ़ रहे होते तो सुब्हान अल्लाह कह देते थे।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म का इसी पर अमल है। नीज़ अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी यही कहते हैं।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلَاةِ

161. नमाज़ में जम्हाई नापसन्दीदा काम है

370 -حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ.

370- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, नमाज़ में जम्हाई शैतान की तरफ़ से होती है पस जब तुम में से किसी को जम्हाई आये तो अपनी ताक़त के मुताबिक मुंह बंद करके रोके।

बुखारी: 3289. मुस्लिम: 2994. अबू दाऊद: 5028.

वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद अल ख़ुदरी (رضي الله عنه) और अदी बिन साबित के दादा से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म की एक जमाअत ने नमाज़ में जम्हाई को नापसन्द किया है।

इब्राहीम कहते हैं : मैं गला खंखार कर जम्हाई को रोकता हूँ।

162. बैठ कर नमाज़ पढ़ने में खड़े होकर नमाज़ पढ़ने से आधा अज्र है

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلاَةَ القَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ القَائِمِ

371 -حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ؟ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلاَّهَا قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلاَّهَا نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ.

371- सय्यदना इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) से बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले आदमी के बारे में पूछा तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया: जो शख़्स खड़ा हो कर नमाज़ पढ़े वह अफज़ल है और जो शख़्स बैठ कर नमाज़ पढ़े उस के लिए खड़े हो कर नमाज़ पढ़ने वाले से आधा अज्र है और जो शख़्स लेट कर नमाज़ पढ़े उस के लिए बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले से आधा अज्र है।

बुखारी:. 1115.अबू दाऊद:951.इब्ने माजा: 1231 निसाई:1660.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर, अनस, साइब और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

372 -وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ الْمَرِيضِ؟ فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، بِهَذَا الحَدِيثِ.

372- सय्यदना इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से बीमार आदमी की नमाज़ का तरीक़ा पूछा तो आप (عليه السلام) ने फ़रमाया: नमाज़ खड़े हो कर पढ़ो अगर खड़े होने की ताक़त न हो तो बैठ कर अगर बैठने की भी ताक़त नहीं है तो पहलू के बल लेट कर।

बुखारी: 1117. अबू दाऊद: 752. इब्ने माजा: 1223.

वज़ाहत: यह हदीस हमें हन्नाद ने वह कहते है: हमें वकीअ ने बवास्ता इब्राहीम बिन तहमान हुसैन अल मुअल्लिम से बयान की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : हमारे इल्म में कोई ऐसा रावी नहीं है जिस ने हुसैन अल मुअल्लिम से इब्राहीम बिन तहमान की रिवायत की तरह रिवायत बयान की है।

नीज़ अबू उसामा और दीगर रावियों ने भी हुसैन अल मुअल्लिम से ईसा बिन युनुस की रिवायत जैसी बयान की है और बअ़ज (कुछ) अहले इल्म के नज़दीक यह हुक्म नफ़ल नमाज़ के लिए है। (तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं): हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं इब्ने अबी अदी ने बवास्ता अशअश बिन अब्दुल मालिक, हसन से बयान किया है कि अगर आदमी चाहे तो नफ़ल नमाज़ खड़े बैठे या लेट कर अ़दा कर सकता है अगर मरीज़ बैठ कर नमाज़ न पढ़ सकता हो तो इस बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। बअ़ज (कुछ) उलमा कहते हैं अपनी दायें करवट पर नमाज़ पढ़े बअ़ज (कुछ) कहते हैं अपनी गुद्दी के बल चित लेट कर पाँव क़िब्ला की तरफ़ करके पढ़े जो शख़्स बैठ कर नमाज़ पढ़ता है उस के लिए खड़े होकर पढ़ने वाले से आधा अज्र है इस हदीस के बारे में सुफ़ियान सौरी (رحمه الله) कहते हैं यह तंदुरुस्त और उस शख़्स के लिए है जिसे कोई उज़्र न हो और है भी नफ़ल नमाज़ में लेकिन जिसे कोई बीमारी वग़ैरह का उज़्र हो तो वह बैठ कर भी नमाज़ पढ़े तो उसे खड़े हो कर पढ़ने का ही सवाब मिलता है। और बअ़ज (कुछ) अहादीस में भी सुफ़ियान सौरी के कौल जैसा मफ़हूम आया है।

163. नफ़ल नमाज़ बैठ कर पढ़ना.

بَابُ فِيمَنْ يَتَطَوَّعُ جَالِسًا.

373. नबी(ﷺ) की जौजे मुतह्हरा सय्यदा हफ़्सा (رضي الله عنها) रिवायत करती है : मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को नफ़ल नमाज़ बैठ कर पढ़ते हुए कभी नहीं देखा था यहाँ तक कि आप अपनी वफ़ात से एक साल पहले नवाफिल बैठ कर पढ़ते और उस में जो सूरत पढ़ते उसे तरतील के साथ पढ़ते यहाँ तक कि वह नमाज़ बहुत लम्बी हो जाती।

मुस्लिम: 733. निसाई:658.अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 4089.इब्ने खुज़ैमा:1242.

373 - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَامٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ وَيُرَتِّلُهَا، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا.

वज़ाहत: इस मसले में उम्मे सलमा और अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं हफ़्सा (رضی اللہ عنہا) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) से यह भी मर्वी है कि आप रात को बैठ कर नमाज़ पढ़ते थे, फिर जब आप की किरअत से तीस या चालीस आयात रह जाती तो आप खड़े हो कर पढ़ते फिर रुकू करते और हर रकअत में ऐसा ही करते थे।

यह भी मर्वी है कि आप(ﷺ) बैठ कर नमाज़ पढ़ते लेकिन जब किरअत खड़े होकर करते तो रुकू और सज्दा भी खड़े ही करते थे और जब किरअत बैठ कर करते तो रुकू और सज्दा भी बैठ कर ही करते थे।

अहमद और इस्हाक़ (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं इन दोनों ही हदीसों पर अमल हो सकता है गोया इन की नज़र में दोनों ही हदीसें सहीह है और इन पर अमल होगा।

374 -حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

374- सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) से रिवायत है कि रसूल्लूल्लाह(ﷺ) बैठ कर नमाज़ पढ़ते और किरअत भी बैठे हुए ही करते पस जब आपकी किरअत से तीस या चालीस आयत रह जायें तो खड़े हो जाते और ख़डे होकर किरअत करते फिर रुकू और सज्दा करते फिर दूसरी रकअत में ऐसा ही करते।

बुखारी: 1118. मुस्लिम: 731. अबू दाऊद: 953.इब्ने माजा: 1226. निसाई: 1648, 1650.

वज़ाहत : इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है।

375 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ وَهُوَ الحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَطَوُّعِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قَائِمًا، وَلَيْلاً طَوِيلاً قَاعِدًا، فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ جَالِسٌ

375- अब्दुल्लाह बिन शकीक़ (رحمہ اللہ) कहते हैं: मैंने सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) से रसूलुल्लाह(ﷺ) की नफ़ल नमाज़ के बारे में पूछा (तो) उन्होंने फ़र्माया कि आप(ﷺ) रात काफी हिस्सा खड़े हो कर और काफी हिस्सा बैठ कर नमाज़ पढ़ते थे। पस जब आप खड़े हो कर किरअत करते तो रुकू और सज्दा भी खड़े हो कर ही करते थे और जब बैठ कर किरअत करते तो रुकू और सज्दा भी बैठ कर ही करते थे।

رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ

सहीह मुस्लिम: 730. अबू दाऊद: 955. इब्ने माजा: 1227. निसाई: 1646. तोहफतुल अशराफ़: 16207.

वज़ाहत : इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فِي الصَّلَاةِ، فَأُخَفِّفُ.

164. नबी करीम(ﷺ)ने फ़र्माया: "मैं नमाज़ में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो नमाज़ हल्की कर देता हूँ."

376 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأُخَفِّفُ، مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَتَنَ أُمُّهُ.

376- सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''अल्लाह की क़सम! मैं नमाज़ में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो इस ख़याल से कि कहीं उसकी मां बेचैन न हो जाए मैं नमाज़ हल्की कर देता हूँ।''

बुखारी: 708. मुस्लिम: 470. इब्ने माजा: 989.

तौज़ीह: हल्का कर देना: यह तख्फ़ीफ़ किरअत में होती थी न कि रुकू और सज्दा में।

वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

بَابُ: مَا جَاءَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ.

165. बालिगा औरत की नमाज़ चादर के बगैर कुबूल नहीं होती.

377 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ.

377- सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''बालिगा औरत की नमाज़ सिर्फ (बड़ी) चादर के साथ ही कुबूल होती है।

सहीह अबू दाऊद: 641. इब्ने माजा: 655.

तौज़ीह: الحائض : जो औरत हैज़ की उम्र को पहुँच जाए और बालिगा हो जाए

الخمار : अल ख़िमार : ज़ेर के साथ छिपाने की चीज़ दुपट्टा, ओढ़नी वग़ैरह।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अम्र से भी हदीस मर्वी है। लफ्ज़ हाइज़ का मतलब होता है जब उसे हैज़ शुरू हो जाए।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन है और अहले इल्म का इसी पर अमल है कि जब औरत बालिगा हो जाए तो नमाज़ पढ़ते हुए बाल खुले रखना जायज़ नहीं है। इमाम शाफेई (رحمه الله) भी यही कहते हैं कि ज़िस्म का कोई भी हिस्सा खुला रख के औरत के लिए नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। नीज़ फ़रमाते हैं: कहा जाता है कि अगर उसके पाँव का ऊपर वाला हिस्सा गैर मस्तूर हो तो उसकी नमाज़ जायज़ होगी।

166. नमाज़ में सद्ल मना है

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ

378- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने नमाज़ में सद्ल से मना फ़रमाया है।

हसन: अबू दाऊद:613. इब्ने माजा:966.

378 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ.

तौज़ीह: : सद्ल का लफ़्ज़ी मानी छोड़ना या लटकाना होता है यहाँ इसका मतलब यह है कि सर के ऊपर रख कर किनारों को कन्धों पर रखने के बजाये दायें और बाएं छोड़ देना।

वज़ाहत: इस मसले में अबू जुहैफ़ा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अता (बिन अबी रबाह) से रिवायत की गई है अबू हुरैरा की मर्फूअ हदीस हमें सिर्फ अस्ल बिन सुफ़ियान की सनद से मिलती है। नीज़ अहले इल्म ने नमाज़ में सद्ल के बारे में इख़्तिलाफ़ किया है। बअ़ज (कुछ) ने नमाज़ में सद्ल को मकरूह समझा है वह कहते हैं कि इस तरह यहूदी करते हैं। और बअ़ज (कुछ) कहते हैं कि नमाज़ की हालत में सद्ल उस वक़्त तक मकरूह है जब उसके ऊपर सिर्फ एक ही कपड़ा हो अगर क़मीस के ऊपर से सद्ल करता है तो यह जायज़ है। यह कौल इमाम अहमद (رحمه الله) का है। जब कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمه الله) ने नमाज़ में सद्ल को मकरूह कहा है।

167. नमाज़ में (सामने से) कंकर हटाना या साफ़ करना मकरूह (नापसन्दीदा) अमल है।

.بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَسْحِ الحَصَى فِي الصَّلاَةِ

379- सय्यदना अबू ज़र (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब तुम में से कोई शख़्स नमाज़ के लिए खड़ा हो तो कंकरों को न हटाए बेशक रहमत उस के सामने होती है।''

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 945. इब्ने माजा:1027. निसाई:1191.

379 -حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ يَمْسَحِ الحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ.

वज़ाहत: इस मसले में अली बिन अबी तालिब, हुज़ैफा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह और मुऐक़ीब (رضي الله عنهم) से भी हदीसें मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू ज़र (رضي الله عنه) की हदीस हसन है। नीज़ नबी(ﷺ) से मर्वी है कि आप ने दौराने नमाज़ कंकर हटाने को नापसंद करते हुए फ़र्माया: ''अगर ज़रूर ही यह काम करना चाहते हो तो एक मर्तबा करो।''गोया आप(ﷺ) से एक दफ़ा करने की इजाज़त है और अहले इल्म का इसी पर अमल है।

380- सय्यदना मुऐक़ीब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) (से नमाज़ में कंकर वग़ैरह के हटाने के बारे में सवाल किया तो आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''अगर ज़रूर ही यह काम करना चाहते हो तो एक मर्तबा करो।''

बुखारी: 1207. मुस्लिम: 546. अबू दाऊद: 946. इब्ने माजा: 1026.निसाई:1192.

380 - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْحِ الحَصَى فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَمَرَّةً وَاحِدَةً.

वज़ाहत : इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं यह हदीस सहीह है।

168. नमाज़ में (सज्दा की जगह साफ़ करने के लिए) फूँक मारना मकरूह है

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ.

381 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَيْمُونٌ أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ، فَقَالَ: يَا أَفْلَحُ، تَرِّبْ وَجْهَكَ.

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: وَكَرِهَ عَبَّادٌ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ: إِنْ نَفَخَ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَهُ.

381- सय्यदा उम्मे सलमा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि नबी(ﷺ) ने हमारे एक गुलाम को, जिसे अफलह कहा जाता था, देखा (कि) जब वह सज्दा करता (तो ज़मीन पर) फूँक मारता, आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''ऐ अफलह! अपने चेहरे को मिट्टी लगाओ।''

ज़ईफ़: इब्ने हिब्बान: 1913. बैहक़ी:2/252.

वजाहत: अहमद बिन मुनीअ कहते हैं कि उबादा बिन अव्वाम ने नमाज़ में फूंक मारने को मकरूह कहा है और वह कहते हैं: अगर वह फूँक मार लेता है तो उसकी नमाज़ नहीं टूटेगी। ''अहमद बिन मुनीअ कहते है: ''हम भी इसी बात को लेते हैं।''

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: बअ़ज (कुछ) ने अबू हम्ज़ा से इस हदीस को रिवायत करते हुए कहा है कि हमारा एक आज़ादकर्दा गुलाम था, जिसका नाम रबाह था।

382 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَقَالَ: غُلَامٌ لَنَا يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ.

382- अबू ईसा तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमें अहमद बिन अब्दा अज़्ज़ब्बी ने हम्माद बिन ज़ैद के वास्ते के साथ मैमून बिन अबी हम्ज़ा से इस सनद के साथ ही इसी तरह रिवायत की है। और इस में कहा है हमारा गुलाम जिसे रबाह कहा जाता था। (ज़ईफ़.)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदा उम्मे सलमा (رضي الله عنها) की हदीस (की सनद) कुछ ख़ास क़वी नहीं है और मैमून अबू हम्ज़ा को बअ़ज (कुछ) उलमा ने ज़ईफ़ कहा है।

नीज़ नमाज़ में ज़मीन पर फूँक मारने के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। बअ़ज (कुछ) कहते हैं: ''अगर दौराने नमाज़ फूँक मारता है तो नमाज़ दोबारा पढ़े'' यह सुफ़ियान सौरी (رحمه الله) और अहले कूफा का कौल है।

बाज़ कहते हैं : नमाज़ में फूँक मारना मकरूह अमल है (लेकिन) अगर दौराने नमाज़ फूँक मारता है तो उसकी नमाज़ फासिद नहीं होगी'' अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है।

169. नमाज़ में कोख या कमर पर हाथ रखना मना है।

.بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الاِخْتِصَارِ فِي الصَّلاَةِ

383- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.

383- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने कोख या कमर पर हाथ रखने से मना किया है।

बुखारी: 1219.मुस्लिम:545.अबू दाऊद: 947.निसाई: 890.

तौज़ीह: अल खासिरत: हाथ रखने को, ऐसा करने वाले को कहते हैं और **अलइख़्तिसार** सुरीन (कूल्हे) की जड़ से पस्लियों से नीचे तक के दर्मियानी हिस्से को कहा जाता है। जिस जगह को आम तौर पर कोख का नाम दिया जाता है।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन है। नीज़ अहले इल्म की एक जमाअ़त ने नमाज़ में इख़्तिसार को मकरूह समझा है और इख़्तिसार का मतलब है आदमी नमाज़ में अपनी कोख़ पर हाथ रखे और बअ़ज (कुछ) ने कोख पर हाथ रख कर चलने को और दोनों हाथ दोनों कोखों पर रखने को भी मकरूह कहा है और रिवायत की जाती है कि इब्लीस जब चलता है तो अपनी कोख पर हाथ रख कर चलता है।

170. बालों को बाँध कर (जूड़े की शक्ल में) नमाज़ पढ़ना मकरूह है।

.بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كَفِّ الشَّعْرِ فِي الصَّلاَةِ

384 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ

384- अबू सईद अल मक़्बुरी से रिवायत है कि सय्यदना अबू राफ़े (رضي الله عنه) हसन बिन अली के पास से गुज़रे वह नमाज़ पढ़ रहे थे और

عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّهُ مَرَّ بِالحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ يُصَلِّي، وَقَدْ عَقَصَ ضَفِرَتَهُ فِي قَفَاهُ، فَحَلَّهَا، فَالتَفَتَ إِلَيْهِ الحَسَنُ مُغْضَبًا، فَقَالَ: أَقْبِلْ عَلَى صَلاَتِكَ وَلاَ تَغْضَبْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ.

उन्होंने अपने बालों की लट अपनी गर्दन पर बांधी हुई थी। (अबू राफ़े (रज़ि.) ने) उसे खोल दिया। हसन (रज़ि.) ने गुस्से के साथ उनकी तरफ़ देखा तो (अबू राफ़े (रज़ि.) ने फ़र्माया: ''अपनी तवज्जह नमाज़ पर रखें गुस्सा न करें। मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना है कि यह (काम) शैतान का हिस्सा है। ''

हसन: अबू दाऊद: 646. इब्ने माजा: 1042.

वज़ाहत: इस मसले में उम्मे सलमा और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से भी हदीसें मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फ़रमाते हैं: अबू राफ़े (रज़ि.) की हदीस हसन है और उलमा इसी पर अमल करते हुए बाल बाँध कर नमाज़ पढ़ने को मकरूह कहते हैं।

तिर्मिज़ी (रह.) फ़रमाते हैं:इमरान बिन मूसा अल कुर्शी अल मक्की है जो कि अय्यूब बिन मूसा का भाई है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّخَشُّعِ فِي الصَّلاَةِ.

171. नमाज़ में खुशूअ का बयान

385 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعِ ابْنِ الْعَمْيَاءِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ، عَنِ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَخَشَّعُ، وَتَضَرَّعُ، وَتَمَسْكَنُ، وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ، يَقُولُ: تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ، مُسْتَقْبِلاً بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا.

385- सय्यदना फ़ज़ल बिन अब्बास (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: (तहज्जुद की) नमाज़ दो रकअत है, हर दो रकअतों के बाद तशह्हुद है और आजिजी, इन्किसारी, मिस्कीनी और हाथ उठाना है और तू अपने हाथों को अपने रब की तरफ़ सीधे करके उठा कि हाथों का अन्दर वाला हिस्सा तेरे चेहरे की तरफ़ हो और तू कहे: ''ऐ मेरे रब! ऐ मेरे रब! और जो शख़्स इस तरह नहीं करता वह ऐसा ऐसा है (यानी नाकिस काम करने वाला)।

ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 1/211. इब्ने खुजैमा:1213.

तौज़ीह: तख़श्शउन: खुद को छोटा और बे हैसियत बनाना अपने आप को पस्त समझना। : लाचारी और बेबसी का इज़हार करना, रो धो कर कुछ मांगना।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمه الله) के अलावा बाकी रावी इस हदीस (के आखिर) में कहते हैं जो ऐसे नहीं करता तो वह नाकिस है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल (बुखारी (رحمه الله)) को यह कहते हुए सुना कि शोबा ने अब्दे रब्बिही बिन सईद से यह हदीस रिवायत करते वक़्त कई मक़ामात पर ग़लती की है। उस ने अनस बिन अनस कहा है जब कि यह इमरान बिन अबी अनस है और उस ने अब्दुल्लाह बिन हारिस कहा है जब कि वह अब्दुल्लाह बिन नाफे बिन अल अमिया है जिसने रबीआ बिन हारिस से रिवायत ली है। और शोबा ने कहा है। अब्दुल्लाह बिन हारिस से उस ने मुत्तलिब से और उन्होंने नबी(ﷺ) से रिवायत ज़िक्र की हालांकि वह रिवायत तो रबीआ बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब ने सय्यदना फ़ज़ल बिन अब्बास (رضي الله عنه) के वास्ते के साथ नबी करीम(ﷺ) के साथ ज़िक्र की है।

मुहम्मद बिन इस्माईल (बुखारी (رحمه الله)) फ़रमाते हैं: लैस बिन सईद की हदीस शोबा की हदीस से ज़्यादा सहीह है। ''

172. दौराने नमाज़ एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उँगलियों में दाखिल करना मना है

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّشْبِيكِ بَيْنَ الأَصَابِعِ فِي الصَّلاَةِ

386 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ.

386- सय्यदना काब बिन उजरह् (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब तुम में से कोई शख़्स वुज़ू करके और अच्छा वुज़ू करके मस्जिद का इरादा करके निकले तो अपने दोनों हाथों की उंगलियाँ एक दूसरे में दाखिल न करे (क्योंकि) वह नमाज़ में ही होता है।

सहीह अबू दाऊद: 562. इब्ने माजा:967.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: काब बिन उज्रह् (ﷺ) की हदीस बहुत से रावियों ने इब्ने अजलान से लैस की हदीस की तरह ही रिवायत किया है।

नीज़ शरीक ने मुहम्मद बिन अजलान से अपने बाप के वास्ते के साथ अबू हुरैरा (ﷺ) से नबी(ﷺ) की हदीस इसी तरह रिवायत की है (लेकिन) शरीक की हदीस महफ़ूज़ नहीं है।

173. नमाज़ में लंबा कयाम करना

بَابُ مَا جَاءَ فِي طُولِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ.

387- सय्यदना जाबिर (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) से कहा गया कि कौनसी नमाज़ ज़्यादा फ़ज़ीलत वाली है? आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''लम्बे कयाम वाली।''

मुस्लिम: 756. इब्ने माजा: 1421. बैहक़ी:3/8.

387 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: طُولُ الْقُنُوتِ.

तौज़ीह: अल कुनूत: यह कई मआनी में इस्तेमाल होता है, मसलन इताअत, खुशू, नमाज़, दुआ, इबादत, कयाम वग़ैरह और यहाँ यह कयाम के मानी में है।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन हुब्शी और अनस बिन मालिक (ﷺ) की भी नबी(ﷺ) से हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। और यह जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से कई सनदों के साथ मर्वी है।

174. कसरत के साथ रुकू और सज्दे करने की फ़ज़ीलत:

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

388- मअदान बिन तल्हा अल यअमरी कहते हैं मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के आज़ादकर्दा (गुलाम) सौबान (ﷺ) को मिला तो उनसे कहा: ''आप मेरी रहनुमाई किसी ऐसे अमल की तरफ़ करें जो मुझे फायदा दे और जन्नत में ले जाए'' तो वह थोड़ी देर ख़ामोश रहे फिर

388 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ اليَعْمَرِيُّ، قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهُ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ وَيُدْخِلُنِي اللَّهُ الجَنَّةَ؟ فَسَكَتَ عَنِّي مَلِيًّا، ثُمَّ التفت إِلَيَّ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً.

मेरी तरफ़ मुतवज्जह हो कर फ़रमाने लगे : ''सज्दों को लाजिम पकड़, बेशक मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना : ''जो बन्दा अल्लाह के लिए एक सज्दा करता है तो अल्लाह तआला उस (सज्दे) के बदले उसका एक दर्जा बलंद करते हैं और एक गुनाह ख़त्म कर देते है।''

मुस्लिम: 488. इब्ने माजा:1423. निसाई: 1139.

389 -قَالَ مَعْدَانُ: فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَسَأَلْتُهُ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانَ؟ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً.

389. मअदान बिन तल्हा अल यअमरी कहते हैं: (फिर) मेरी मुलाक़ात अबू दर्दा (رضي الله عنه) से हुई तो मैं उनसे भी वही सवाल किया जो सौबान (رضي الله عنه) से किया था तो उन्होंने फ़र्माया: ''सज्दों को लाजिम पकड़, बेशक मै ने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना : ''जो बन्दा अल्लाह के लिए एक सज्दा करता है तो अल्लाह तआला उस (सज्दे) के बदले उसका एक दर्जा बलंद करते हैं और एक गुनाह ख़त्म कर देते हैं।''

मुस्लिम:488.

वज़ाहत: तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मअदान बिन तल्हा अल यअमरी को इब्ने अबी तल्हा भी कहा जाता है।

नीज़ इस मसले में अबू हुरैरा, अबू उमामा और अबू फातिमा (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: रुकू और सज्दे कसरत के साथ करने के बारे में सौबान और अबू दर्दा (رضي الله عنهما) की हदीस हसन सहीह है।

इस मसले में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। बअ़ज (कुछ) कहते हैं नमाज़ में लंबा कयाम करना रुकू और सज्दे ज़्यादा करने से बेहतर है''और बअ़ज (कुछ) कहते हैं: ''ज़्यादा रुकू और सज्दे करना लम्बे कयाम

से अफज़ल हैं।''

इमाम अहमद बिन हंबल (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में नबी(ﷺ) की दो अहादीस मर्वी हैं और उन्होंने इस बारे में कोई हतमी बात नहीं कही।

इस्हाक़ (رحمه الله) कहते हैं : दिन के वक़्त रुकू और सज्दे ज़्यादा करना लेकिन रात को लंबा कयाम करने (बेहतर है)। इसलिए जो आदमी रात को क़ुरआन की तिलावत करता है तो दिन को कसरत से रुकू व सुजूद उस के लिए बेहतर है क्योंकि तिलावत तो उसे करनी ही है और कसरते रुकू व सुजूद का फायदा भी उठा लेगा।''

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस्हाक़ (رحمه الله) ने यह बात इसलिए कही है क्योंकि नबी(ﷺ) की रात की नमाज़ इसी तरह लम्बे कयाम के साथ बयान की गई है। और दिन के वक़्त आप के कयाम को इस क़दर लंबा बयान नहीं किया गया जिस क़दर रात की नमाज़ में किया गया है।

175.नमाज़ में दो सियाह चीज़ों (सांप और बिच्छू) को मारना.

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ.

390- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने नमाज़ में दो सियाह चीज़ों को मारने का हुक्म दिया है।

390 -حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ الحَيَّةُ وَالعَقْرَبُ.

वज़ाहत: इस, मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अबू राफ़े (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और नबी(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से कुछ उलमा का इसी पर अमल है। नीज़ अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी यही कहते हैं। लेकिन बअ़ज (कुछ) उलमा नमाज़ में सांप और बिच्छू को मारना मकरूह कहते हैं। इब्राहीम कहते हैं नमाज़ में बन्दा मुतवज्जह होता है लेकिन पहला कौल ज़्यादा सहीह है।

176. सह्व के सज्दे सलाम से पहले करना.

بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ.

391 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الأَسَدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ.

391- बनू अब्दुल मुत्तलिब के हलीफ सय्यदना अब्दुल्लाह बिन बुहैना अल असदी (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ज़ुहर की नमाज़ में जब बैठना था (भूल कर) खड़े हो गए तो जब आप ने अपनी नमाज़ को पूरा किया तो दो सज्दे किये, हर सज्दा करते वक़्त बैठे हुए अल्लाहु अकबर कहते थे (और सज्दे) सलाम फेरने से पहले किये और लोगों ने भी आप के भूल जाने की वजह से आप(ﷺ) के साथ सज्दे किये।

बुखारी: 829. मुस्लिम:570. अबू दाऊद: 1034. इब्ने माजा:1206.निसाई:1177.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। (390)सहीह अबू दाऊद: 921.इब्ने माजा:1245. निसाई:1202.

(तिर्मिज़ी (رحمه الله)) कहते हैं:) हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने (वह कहते हैं) हमें अब्दुल अला और अबू दाऊद ने कहा कि हमें हिशाम ने यहया बिन अबी कसीर से बवास्ता मुहम्मद बिन इब्राहीम से खबर दी है कि अबू हुरैरा और अब्दुल्लाह बिन साइब अल कारी (رضي الله عنه) सह्व के सज्दे सलाम फेरने से पहले किया करते थे।

तिर्मिज़ी (رحمه الله)) कहते हैं: इब्ने बुहैना (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और बअ़ज (कुछ) अहले इल्म का इसी पर अमल है। नीज़ इमाम शाफेई (رحمه الله) भी यही कहते हैं हर क़िस्म का सज्द-ए-सह्व सलाम से पहले होगा। वह फ़रमाते हैं: यह हुक्म दूसरी तमाम अहादीस का नासिख है। ''और वह ज़िक्र करते हैं कि नबी(ﷺ) का आखिरी फ़ेअल इसी पर था।

अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) कहते हैं : जब आदमी दो रकअ़तें पढ़ कर (बैठने की बजाये) खड़ा हो जाए तो इब्ने बुहैना (رضي الله عنه) की हदीस की वजह से सह्व के सज्दे सलाम फेरने से पहले करे।''

अब्दुल्लाह बिन बुहैना यह अब्दुल्लाह बिन मालिक हैं और यही इब्ने बुहैना हैं। मालिक उनके वालिद और बुहैना उनकी वालिदा हैं। (तिर्मिज़ी (رحمه الله)) कहते हैं:) मुझे इस्हाक़ बिन मंसूर ने अली बिन मदीनी की तरफ़ से इसी तरह बताया है।

(तिर्मिज़ी (رحمه الله)) कहते हैं: सज्द-ए-सह्व कब किया जाए? इस के बारे में अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है कि सलाम से पहले या बाद में? बअ़ज (कुछ) यह राय रखते हैं कि सलाम के बाद किये जाएँ, यह कौल सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा का है।

बाज़ कहते हैं कि सलाम से पहले करे और यह कौल यहया बिन सईद, रबीअ और अक्सर फ़ुक़हाये मदीना का है। नीज़ इमाम शाफेई भी यही कहते हैं। जब कि बअ़ज (कुछ) उलमा का यह कहना हैं कि जब नमाज़ में ज्यादती हो गई हो तो सलाम के बाद और जब कमी हुई हो तो सलाम से पहले सज्दे करे यह कौल इमाम मालिक बिन अनस (رحمه الله) का है।

इमाम अहमद (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सह्व के सज्दों के बारे में नबी(ﷺ) से जो कुछ मर्वी है हर एक को उसके मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा। उनके मुताबिक जब इमाम दो रकअ़तें पढ़ कर खड़ा हो जाए तो इब्ने बुहैना (رضي الله عنه) की हदीस पर अमल करते हुए सलाम फेरने से पहले सज्दे करे, और जब ज़ुहर की पांच रकअ़तें पढ़ ले तो सलाम फेरने के बाद और जब ज़ुहर या अस्र की नमाज़ में दो रकअ़तें पढ़ कर सलाम फेर दे तो भी सलाम के बाद सज्द-ए-सह्व करे और हर एक हदीस पर उसी के मुताबिक अमल होगा और हर वह सह्व जिस में नबी(ﷺ) से कोई तज़्किरा नहीं मिलता तो उसमें सलाम फेरने से पहले सज्द-ए-सह्व करे।

इस्हाक़ (رحمه الله) भी अहमद (رحمه الله) की तरह ही कहते हैं सिवाए इस बात के कि हर वह सह्व जिसके बारे में नबी(ﷺ) से कोई तज़्किरा नहीं है इसमें अगर नमाज़ में ज्यादती हुई है तो सलाम के बाद और अगर कमी हुई है तो सलाम फेरने से पहले सज्दे करे।

177.सलाम फेरने और बात वग़ैरह करने के बाद सह्व के सज्दे करना.

بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ

392- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने ज़ुहर की पांच रकअ़तें पढ़ा दीं तो आप से कहा गया: नमाज़ (की रकअ़त) में इजाफा हो गया है या आप भूल गए हैं तो नबी(ﷺ) ने सलाम फेरने के बाद दो सज्दे किये।''

392 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

393 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ الكَلاَمِ.

393- सय्यदना अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने सह्व के सज्दे बातें करने के बाद किये।

बुखारी: 401. मुस्लिम:572. अबू दाऊद: 1019, 1022. इब्ने माजा: 1203 निसाई: 1254, 1257

वज़ाहत: इस मसले में मुआविया, अब्दुल्लाह बिन जाफर और अबू हुरैरा (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

394 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلاَمِ.

394- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने (सह्व के) दो सज्दे सलाम फेरने के बाद किये थे।

बुखारी:482. मुस्लिम:573.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ अबू अय्यूब और दीगर रावियों ने भी इसे इब्ने सीरीन से रिवायत किया है। और अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) की हदीस भी हसन सहीह है और बअ़ज (कुछ) अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जब आदमी ज़ुहर की पांच रकअ़तें पढ़ ले तो उसकी नमाज़ जायज़ है और वह सह्व के दो सज्दे करे अगरचे वह चौथी रकअत में न भी बैठा हो। यह शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) का कौल है।

बाज़ कहते हैं कि जब ज़ुहर की पांच रकअ़त पढ़ें और चौथी में तशह्हुद की मिक़दार के मुताबिक न बैठा तो उसकी नमाज़ फासिद होगी यह कौल सुफ़ियान सौरी और बअ़ज (कुछ) अहले कूफा का है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

178. सज्द-ए-सह्व के बाद तशह्हुद का बयान

395 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ

395- सय्यदना इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने उन्हें नमाज़ पढ़ाई तो आप(ﷺ) भूल गए, आप(ﷺ) ने (सह्व के) दो सज्दे किये फिर तशह्हुद पढ़ा (और) फिर सलाम फेरा।

بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

शाज़ बिज़िकरे तशह्हुद: अबू दाऊद: 21039. इब्ने हिब्बान: 267. हाकिम: 1/ 323.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब सहीह है। नीज़ मुहम्मद बिन सीरीन ने भी अबुल मुहल्लब से, जो अबू किलाबा के चचा हैं, इस हदीस के अलावा (हदीस) रिवायत की है।

मुहम्मद (رحمه الله) ने यह हदीस खालिद अल हज़्ज़ा से बवास्ता अबू किलाबा, अबुल मुहल्लब से रिवायत की है और अबुल मुहल्लब का नाम अब्दुर्रहमान बिन अम्र या मुआविया बिन अम्र है। अब्दुल वह्हाब सक्फी, हुशैम और दीगर रावियों ने भी खालिद अल हज़्ज़ा के वास्ते के साथ अबू किलाबा से लम्बी हदीस ज़िक्र की है। और वह इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) की हदीस है कि नबी(ﷺ) ने अस्र की तीन रकअ़त पढ़ा कर सलाम फेर दिया खिर्बाक नामी एक आदमी खड़ा हुआ।

सज्द-ए-सह्व में तशह्हुद के बारे में अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है। बअ़ज (कुछ) कहते हैं: ''तशह्हुद करने बाद सलाम फेरे।''बाज़ कहते हैं: ''इन में तशह्हुद और सलाम नहीं और जब सलाम से पहले सज्दे करे तो तशह्हुद नहीं बैठेगा।'' यही कौल अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी है वह यह भी कहते हैं कि जब सलाम फेरने से पहले सज्दे करे तो तशह्हुद न पढ़े।

بَابٌ فِيمَنْ يَشُكُّ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ.

179. जिस शख़्स को नमाज़ में ज़्यादती या कमी या शक हो

396 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلاَلٍ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي سَعِيدٍ: أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلاَ يَدْرِي كَيْفَ صَلَّى؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

396- इयाज़ बिन हिलाल (رحمه الله) कहते हैं कि मैंने अबू सईद अल ख़ुदरी (رضي الله عنه) से कहा: ''अगर हम में से किसी नमाज़ पढ़ने वाले को पता न चले कि कितनी रकअ़त नमाज़ पढ़ी है तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब तुम में से कोई शख़्स नमाज़ पढ़े और उसे पता न चले कि कितनी नमाज़ पढ़ ली है तो वह बैठे बैठे दो सज्दे कर ले।''

सहीह अबू दाऊद: 1029. इब्ने माजा:1204. निसाई: 1238.

वज़ाहत: इस मसले में उस्मान, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, आयशा और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ''अबू सईद (رضي الله عنه) की हदीस हसन है और अबू सईद (رضي الله عنه) से यह हदीस कई सनदों के साथ मर्वी है।''

नीज़ मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब तुम में से कोई शख़्स एक या दो में शक करे तो उन्हें दो समझे और इस शक की वजह से सलाम फेरने से पहले दो सज्दे कर ले।''हमारे साथियों का इसी पर अमल है।

बाज़ उलमा कहते हैं: जब उसे अपनी नमाज़ में शक हो कि कितनी पढ़ी है तो वह दोबारा नमाज़ पढ़ ले।

397 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ، حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

397- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''बेशक आदमी जब नमाज़ में होता है तो शैतान उसके पास आता है (और) उस पर शुब्हा डालता है यहाँ तक कि उसे यह भी पता नहीं चलता कि कितनी नमाज़ पढ़ ली है तो जब तुम में से कोई शख़्स ऐसा मुआमला पाए तो तशह्हुद में बैठे हुए दो सज्दा कर ले।''

बुखारी:608. मुस्लिम:398. अबू दाऊद:516.इब्ने माजा: 1216. निसाई:670.

तौज़ीह: फयल्बिसु: लबस यल्बिसु का मतलब होता है किसी पर कोई चीज़ मुश्तबा और पेचीदा बनाना, ख़लत मलत करना ताकि उसकी हक़ीक़त न पहचानी जाए क़ुरआन मजीद में है।

ला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल : हक को बातिल में गुड मुड ना करो।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ''यह हदीस हसन है।

398 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ابْنُ عَثْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ

398- सय्यदना अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना : ''जब कोई शख़्स अपनी नमाज़ में भूल जाए (और) उसे पता न हो कि एक रकअत पढ़ी या दो तो वह एक को बुनियाद बनाए (और) अगर उसे पता न चले कि दो पढ़ी हैं या तीन तो वह दो को बुनियाद बनाए (और अगर उसे पता न चले कि तीन पढ़ी हैं या

يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.

चार तो वह तीन को बुनियाद बनाए और सलाम फेरने से पहले दो सज्दे कर ले।

सहीह इब्ने माजा: 1209.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब सहीह है। नीज़ यह हदीस सय्यदना अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رضي الله عنه) से कई तुरुक़ (सनदों) के साथ मर्वी है जोहरी ने भी उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رضي الله عنه) से नबी करीम(ﷺ) की हदीस रिवायत की है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

180. जो शख़्स ज़ुहर और अस्र में दो रकअ़तें पढ़ कर सलाम फेर दे.

399 - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ وَهُوَ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ.

399- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने दो रकअ़तें पढ़ा कर सलाम फेर दिया तो जुल यदैन (رضي الله عنه) ने आप से कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ में कमी हो गई है या आप भूल गए? तो नबी करीम(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जुल यदैन सच कहता है ?''लोगों ने कहा: ''जी हाँ''तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) खड़े हुए और बाकी दो रकअ़तें पढ़ाई फिर सलाम फेर दिया, फिर अल्लाहु अकबर कहा और पहले सज्दे जितना या इस से लंबा सज्दा किया, फिर अल्लाहु अकबर कह कर अपना सर सज्दे से उठाया फिर पहले सज्दे जितना या इस से लंबा सज्दा किया।

बुखारी: 482. मुस्लिम:573.अबू दाऊद: 1008, 1111. इब्ने माजा:1214. निसाई:1224, 1227.

तौज़ीह: जुल यदैन: इनका असल नाम खिर्बाक था, इनके हाथ कुछ लम्बे थे जिसकी वजह से उन्हें जुल यदैन (हाथों वाला) कहा जाता था।

वज़ाहत: इस मसले में इमरान बिन हुसैन, अब्दुल्लाह बिन उमर जुल यदैन (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म ने इस हदीस के अमल के बारे में इख़्तिलाफ़ किया है। बअ़ज (कुछ) अहले कूफा कहते हैं : ''जब नमाज़ में भूल कर या न जानते हुए बात कर ले तो नमाज़ दोबारा पढ़े।''इसकी वजह वह यह बयान करते हैं कि यह हदीस नमाज़ में बात से हुर्मत से पहले की है।

रहे इमाम शाफेई (رحمه الله)) तो वह इस हदीस को सहीह ख़्याल करते हैं और इसी के मुताबिक फ़त्वा देते हुए कहते हैं: यह हदीस नबी(ﷺ) की हदीस की ''रोज़ेदार जब भूल कर खा पी ले तो क़ज़ा नहीं देगा, वह तो एक रिज़्क था जो अल्लाह ने उसे अता कर दिया'' से ज़्यादा सहीह है। शाफेई (رحمه الله) फ़रमाते हैं : उन कूफ़ियों ने रोज़ेदार के जान बूझ कर और भूल कर खाने में सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस की वजह से फर्क़ किया है। ''अहमद (बिन हंबल) (رحمه الله) अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस के बारे में फ़रमाते हैं: ''अगर इमाम नमाज़ में इस ख़याल के साथ कि उस ने नमाज़ मुकम्मल कर ली है बात कर ले फिर उसे पता चले कि उसकी नमाज़ मुकम्मल नहीं हुई थी तो (इस सूरत में) वह अपनी नमाज़ पूरी करले।''

जो शख़्स इमाम के पीछे अगर वह यह जानते हुए भी कि उसकी नमाज़ बाकी रह गई है बात करे तो उस पर नमाज़ दोबारा शुरू करना ज़रूरी है। और उनकी दलील यह है कि नबी(ﷺ) के दौर में फ़राइज़ में कमी बेशी होती रहती थी तो ज़ुल यदैन (رضي الله عنه) को यकीन था कि नमाज़ मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन आज के दिन किसी आदमी के लिए जायज़ नहीं है कि वह ज़ुल यदैन (رضي الله عنه) के मक़सद के मुताबिक़ बात करे क्योंकि आज फराइज़ में कमी बेशी नहीं हो रही। इमाम अहमद (رحمه الله) ने कुछ इसी क़िस्म की बात की है। इस्हाक़ (رحمه الله) ने इमाम अहमद जैसी बात कही है।

181. जूतों समेत नमाज़ पढ़ना

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ.

400- सईद बिन यजीद अबू मुसल्मा रिवायत करते हैं कि मैंने सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से कहा: ''क्या रसूलुल्लाह(ﷺ) अपने जूतों में नमाज़ पढ़ लेते थे'' उन्होंने जवाब देते हुए फ़र्माया: ''हाँ''।

बुखारी:396. मुस्लिम:555.निसाई:775.

400 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي مَسْلَمَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अब्दुल्लाह बिन अबी हबीबा, अब्दुल्लाह बिन अम्र,

अम्र बिन हुरैस, शद्दाद बिन औस, औस अस्सक्फी, अबू हुरैरा और बनू शैबा के एक आदमी अता (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अनस (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म के नज़दीक इसी पर अमल होगा।

182. नमाज़े फज्र में कुनूते (नाज़िला) करना

بَابُ مَا جَاءَ فِي القُنُوتِ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ.

401- सय्यदना बरा बिन आज़िब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) फज्र और मगरिब की नमाज़ में कुनूते (नाज़िला) किया करते थे।

मुस्लिम:678. अबू दाऊद:1441. निसाई: 1076.

401 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ وَالمَغْرِبِ.

वज़ाहत: इस मसले में अली, अनस, अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास और खिफाफ बिन ईमा बिन रहज़ा अल अन्सारी (رضي الله عنه) से भी मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: बरा बिन आज़िब (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ अहले इल्म ने नमाज़े फज्र में कुनूत के बारे में इख़्तिलाफ़ किया है।

नबी(ﷺ) के सहाबा में से बअ़ज (कुछ) अहले इल्म के मुताबिक फज्र की नमाज़ में क़ुनूत दुरुस्त है। इमाम मालिक और शाफेई (رحمه الله) का भी यही कौल है।

इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) कहते हैं: फज्र में क़ुनूत उसी वक़्त करे जब मुसलमानों पर कोई मुसीबत आ जाए तो जब कोई मुसीबत या परेशानी आ जाए तो फिर इमाम पर ज़रूरी है कि वह मुस्लमानों के लश्करों के लिए दुआ करे।''

183. कुनूते नाज़िला को छोड़ने का बयान.

بَابٌ فِي تَرْكِ القُنُوتِ.

402- अबू मालिक अश्जई (رحمه الله) रिवायत करते हैं कि मैंने अपने बाप से कहा: ''अब्बा जान! आप ने रसूलुल्लाह(ﷺ), अबू बक्र, उमर, उस्मान और अली (رضي الله عنه) के पीछे यहाँ

402 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي: يَا أَبَةِ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، هَاهُنَا بِالكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، أَكَانُوا يَقْنُتُونَ؟، قَالَ: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ.

कूफा में तक़रीबन पांच साल नमाज़ें पढीं हैं, क्या ये शख़्सियात भी क़ुनूत करती थी?'' उन्होंने फ़र्माया: ''बेटा यह बिदअत है।''

सहीह: सहीह अल-मवारिद: 419. इब्ने माजा: 1241. निसाई: 1080.

403 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

403- इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमें सालेह बिन अब्दुल्लाह ने (वह कहते हैं:) हमें अबू अवाना अबू मालिक अश्जई (رحمه الله) से इसी सनद के साथ ऐसी ही रिवायत बयान की है।

सहीह लिगैरिही: हवाला के लिए पिछली हदीस देखें.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल है।

सुफ़ियान सौरी कहते हैं: अगर नमाज़ में क़ुनूते नाज़ला कर ले तो भी बेहतर है ना करे तो भी ठीक है। ''उन्होंने ना करने को इख़्तियार किया है। और अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمه الله) फज्र में क़ुनूत के क़ायल नहीं है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू मालिक अश्जई का नाम साद बिन तारिक़ बिन अशीम है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ فِي الصَّلَاةِ.

184. अगर नमाज़ में किसी को छींक आ जाए

404 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيُّ، عَنْ عَمِّ أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسْتُ، فَقُلْتُ: الحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، مُبَارَكًا عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

404- सय्यदना रिफ़ाआ बिन राफ़े (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी तो मुझे छींक आ गई। मैंने कहा: ''तमाम तारीफात अल्लाह के लिए हैं, बहुत ज़्यादा, पाकीज़ा और बाबरकत तारीफ़ जैसे हमारा रब चाहे और पसंद करे।'' जब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने नमाज़ पढ़ली तो आप ने फ़र्माया: ''नमाज़ में बात करने वाला कौन था?'' किसी आदमी ने जवाब न दिया। तो

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ، فَقَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ؟، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ؟، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ ابْنُ عَفْرَاءَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟، قَالَ: قُلْتُ: الحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلاَثُونَ مَلَكًا، أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا.

फिर आप(ﷺ) ने दूसरी मर्तबा कहा: ''नमाज़ में बात करने वाला कौन था?''तो किसी ने जवाब न दिया, फिर आप(ﷺ) ने तीसरी मर्तबा कहा: ''नमाज़ में बात करने वाला कौन था?''तो रिफ़ाआ बिन राफ़े बिन अफ़रा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं था। नबी(ﷺ) ने पूछा ''तूने कैसे कैसे कहा था ?''रावी कहते है: मैंने कहा: तमाम तारीफात अल्लाह के लिए है, बहुत ज़्यादा, पाकीज़ा और बा बरकत तारीफ़ जैसे हमारा रब पसंद करे और चाहे।''तो नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''उस ज़ात की क़सम जिस के हाथ में मेरी जान है! तीस से ज़्यादा फरिश्तों ने जल्दी की कि कौन इस कलिमे को लेकर आसमान की तरफ़ पहले चढ़ता है।''

हसन: अबू दाऊद: 773. इब्ने खुजैमा:614. मुसनद अहमद:4/340.

तौज़ीह: अरबी ज़बान में بِضْعَةٌ : का लफ्ज़ 3 से 9 तक बोला जाता है।

वज़ाहत: इस मसले में अनस, वाइल बिन हुज्र और आमिर बिन रबीआ (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: रिफ़ाआ की हदीस हसन है। और बअ़ज (कुछ) अहले इल्म के नज़दीक इस हदीस का इत्लाक़ नवाफिल पर होता है क्योंकि बहुत से ताबेईन कहते हैं: ''जब फर्ज़ नमाज़ में किसी को छींक आजाए तो वह अपने दिल में الحمد لله कहे वह इस से ज़्यादा की रुख्सत नहीं देते।''

بَابُ مَا جَاءَ فِي نَسْخِ الكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ.

185.नमाज़ में क़लाम करना मंसूख हो चुका है

405 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ

405- सय्यदना ज़ैद बिन अरक़म (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ते तो आदमी अपने साथ वाले नमाज़ी से बात कर लेता, यहाँ तक कि यह आयत नाजिल हुई ''और अल्लाह के लिए

خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ إِلَى جَنْبِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الكَلَامِ.

फर्माबरदार बन कर खड़े हो जाओ।'' तो हमें ख़ामोश रहने का हुक्म दिया गया और क़लाम करने से मना कर दिया गया।

बुखारी:1200. मुस्लिम:539. अबू दाऊद: 949. निसाई:1219.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद और मुआविया बिन हकम (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ज़ैद बिन अरक़म (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

नीज अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जो शख़्स नमाज़ में जान बूझ कर या भूल कर क़लाम करे तो वह नमाज़ दोबारा पढ़े। यह कौल सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक (رحمه الله) और अहले कूफा का है।

बाज़ कहते हैं: जब जान बूझ कर बात करे तो नमाज़ दोबारा पढ़े और अगर भूल कर या ना जानते हुए ऐसा करता तो जायज़ है। ''इमाम शाफेई (رحمه الله) भी यही कहते हैं।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ التَّوْبَةِ.

186. तौबा करते वक़्त नमाज़ पढ़ना

406 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الحَكَمِ الفَزَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، ثُمَّ يَقُومُ

406- अस्मा बिन हकम अल फजारी रिवायत करते हैं कि मैंने अली (رضي الله عنه) को फ़रमाते हुए सुना : ''मैं एक ऐसा आदमी था कि जब रसूलुल्लाह(ﷺ) से कोई हदीस सुन लेता तो अल्लाह तआला जिस क़दर चाहते मुझे उस से फ़ायदा देते और जब आप के सहाबा में से कोई शख़्स मुझ से हदीस बयान करता तो मैं उस से हलफ लेता और वह मुझे क़सम दे देता तो मैं उस की तस्दीक करता और मुझे अबू बक्र (رضي الله عنه) ने हदीस बयान किया और अबू बक्र (رضي الله عنه) ने सच कहा : (अबू बक्र फ़रमाते हैं) कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना : ''जो आदमी कोई गुनाह करता है फिर खड़ा हो कर वुज़ू करता है फिर नमाज़ पढ़ कर

فَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّي، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، إِلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ}.إِلَى آخِرِ الآيَةِ

अल्लाह से बख़्शिश माँगता है तो अल्लाह तआला उसे मुआफ़ कर देते हैं।''फिर आप अलैहि) ने यह आयत ''और वह लोग जब कोई बुरा काम या अपनी जानों पर ज़ुल्म कर लेते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं।''आखिर तक पढ़ी।

हसन:अबू दाऊद:1521. इब्ने माजा: 1395

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अबू दर्दा, अनस, अबू उमामा, मुआज़, वासिला और अबुलयस्र (ﷺ) जिन का नाम काब बिन अम्र था से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अली (ﷺ) की हदीस हसन है। हमें सिर्फ उस्मान बिन मुग़ीरा की सनद से ही मिलती है और उन से शोबा और दीगर रावियों ने अबू अवाना की हदीस की तरह मर्फूअ ही बयान की है।

नीज़ सुफियान और मिस्अर ने इसे मौकूफ बयान किया है नबी(ﷺ) तक मर्फूअ ज़िक्र नहीं किया, इसी तरह अकेले मिस्अर से मर्फूअ भी मर्वी है। और हमारे इल्म में अस्मा बिन हक़म (ﷺ) की सिर्फ यही एक हदीस मर्फूअ है।

بَابُ مَا جَاءَ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلاَةِ.

187. बच्चे को नमाज़ (पढ़ने) का हुक्म कब दिया जाए?

407 -حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الجُهَنِيُّ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاَةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ.

407- सय्यदना सबरा बिन माबद अल जुहनी (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''बच्चा जब सात साल का हो जाए, तो उसे नमाज़ सिखाओ और जब दस साल का हो जाए तो नमाज़ न पढ़ने पर उसे मारो।'

अबू दाऊद: 494. मुसनद अहमद:3/404. दारमी:1438.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सबरा बिन माबद अल जुहनी (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और बअ़ज (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है। नीज़ अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हैं कि दस साल की उमर के बाद बच्चा नमाज़ छोड़ दे उसकी क़ज़ा देगा।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सबरा (رضي الله عنه) बिन माबद अल जुहनी उन्हें इब्ने औसजा भी कहा जाता है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي التَّشَهُّدِ

188.आदमी अगर तशह्हुद पढ़ने के दौरान बे वुज़ू हो जाए।

408 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ رَافِعٍ، وَبَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ، أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَحْدَثَ، يَعْنِي الرَّجُلَ، وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.

408- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जब आदमी तशह्हुद के आखिर में सलाम फेरने से पहले बेवुज़ू हो जाए तो उसकी नमाज़ जायज़ होगी।''

ज़ईफ़:अबू दाऊद: 617. अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 3673.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद कवी नहीं है और इस सनद में इज़्तिराब है। बअ़ज (कुछ) उलमा का यह मज़हब है कि जब आदमी तशह्हुद की मिक़दार बैठ जाए और सलाम फेरने से पहले बे वुज़ू हो जाए तो उसकी नमाज़ मुकम्मल हो गई है। और बअ़ज (कुछ) कहते हैं कि जब तशह्हुद और सलाम फेरने से पहले वुज़ू टूट जाए तो नमाज़ दोबारा पढ़े यह कौल इमाम शाफेई (رحمه الله) का है।

इमाम अहमद बिन हंबल (رحمه الله) फ़रमाते हैं : अगर उस ने तशह्हुद नहीं पढ़ा और सलाम फेर दिया तो नबी(ﷺ) का फ़रमान: ''नमाज़ का इख़्तिताम सलाम है'' की वजह से जायज़ होगा और तशह्हुद ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नबी(ﷺ) भी दो रकअ़तें पढ़ कर खड़े हो गए थे और अपनी नमाज़ जारी रखी थी हालांकि तशह्हुद नहीं किया था।

इस्हाक़ बिन इब्राहीम (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ''अगर तशह्हुद पढ़ लिया है और सलाम नहीं फेरा तो जायज़ है'' उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) की हदीस से दलील ली है कि नबी(ﷺ) ने उन्हें तशह्हुद सिखाया

और फ़र्माया: ''जब तु इसके पढ़ने से फ़ारिग़ हो जाए तो तूने अपने जिम्मे हक को अदा कर दिया।''

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद बिन अन्अम अल अफ़्रीकी को बअ़ज (कुछ) मुहद्दिसीन ने जिन में यहया बिन सईद अल क़त्तान (رحمه الله) और अहमद बिन हंबल (رحمه الله) भी शामिल हैं ज़ईफ़ कहा है।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ

189. जब बारिश हो तो अपनी रहाइश पर नमाज़ पढ़ना।

409 - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَنَا مَطَرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ شَاءَ فَلْيُصَلِّ فِي رَحْلِهِ.

وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَسَمُرَةَ، وَأَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ.

409- सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि हम नबी(ﷺ) के साथ सफ़र पर थे कि बारिश आ गई तो नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जो शख़्स चाहे अपने ठिकाने या रिहाइश पर नमाज़ पढ़ ले।''

मुस्लिम: 698. अबू दाऊद: 1065. इब्ने खुजैमा: 1659. इब्ने हिब्बान: 2082.

तौज़ीह: رَحْلِهِ: ऊँट के कजावे को रहल कहा जाता। इसी तरह रिहाइशगाह और सफ़र की ज़रूरीयात को भी रहल कहते हैं, लेकिन यहाँ दर्मियानी मानी मुराद है।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर, समुरा, अबूल मुलीह के बाप और अब्दुर्रहमान बिन समुरा (رضي الله عنهم) से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

उलमा ने बारिश और कीचड़ की सूरत में जमाअ़त और जुमा से बैठ रहने की रुख़्सत दी है। नीज़ अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी यही कहते हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मैंने सुना अबू ज़रआ (رحمه الله) कह रहे थे कि उस्मान बिन मुस्लिम ने अम्र बिन अली से हदीस रिवायत की है। अबू ज़रआ (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मैंने बसरा में उन तीन आदमियों अली बिन मदीनी, इब्ने शाज़ कूफी और अम्र बिन अली से बड़ा हाफिज़े हदीस कोई नहीं देखा।

अबुल मुलीह बिन उसामा का नाम आमिर है। उन्हें ज़ैद बिन उसामा बिन उमर अल हुजली भी कहा जाता है।

190. नमाज़ के बाद तस्बीहात करना।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي أَدْبَارِ الصَّلاَةِ.

410- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि फ़ुक़रा लोग रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आए और कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! मालदार लोग हमारी ही तरह नमाज़ें पढ़ते और हमारी ही तरह रोज़े रखते हैं, लेकिन उनके पास माल है वह गुलामों को भी आज़ाद करते हैं और सदक़ा भी करते हैं (जब कि हम इस से, महरूम हैं) नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब तुम नमाज़ पढ़ लो तो 33 मर्तबा ''सुब्हानअल्लाह'' 33 मर्तबा ''अल्हम्दु-लिल्लाह'' 34 मर्तबा ''अल्लाहु अकबर'' कहो तो इस के साथ अपने से सबक़त ले जाने वाले को पहुँच सकते हो और जो तुम से पीछे हैं वह तुम्हें नहीं पहुँच सकेंगे।

ज़ईफ़: निसाई: 1353

410 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ الفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الأَغْنِيَاءَ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ أَمْوَالٌ يُعْتِقُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ. قَالَ: فَإِذَا صَلَّيْتُمْ، فَقُولُوا: سُبْحَانَ اللهِ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ مَرَّةً، وَالحَمْدُ لِلَّهِ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ مَرَّةً، وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ مَرَّةً، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلاَ يَسْبِقُكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ.

वज़ाहत: इस मसले में काब बिन उज्रह्, अनस, अब्दुल्लाह बिन अम्र, ज़ैद बिन साबित, अबू दर्दा, इब्ने उमर और अबू ज़र (رضی اللہ عنہم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन ग़रीब है। इस मसले में अबू हुरैरा और मुग़ीरा (رضی اللہ عنہما) से भी इसी तरह मर्वी है।

नबी(ﷺ) से मर्वी है कि आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''दो काम ऐसे हैं जिन को बजा लाने से मुसलमान आदमी जन्नत में दाखिल हो जाता है: (पहला) हर नमाज़ के बाद (33)मर्तबा سُبْحَانَ اللهِ:. (33)मर्तबा الحَمْدُ لِلّهِ: (34)मर्तबा اللّٰهُ أَكْبَرُ: कहना और दूसरा सोते वक़्त दस (10) मर्तबा सुब्हान अल्लाह (10)मर्तबा الحَمْدُ لِلّهِ:और (10)मर्तबा اللّٰهُ أَكْبَرُ कहना।

191. कीचड़ और बारिश में सवारी के ऊपर नमाज़ पढ़ना

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي الطِّينِ وَالمَطَرِ.

411 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الرَّمَّاحِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَانْتَهَوْا إِلَى مَضِيقٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَمُطِرُوا، السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَالبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَأَذَّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَقَامَ، فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئُ إِيمَاءً: يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.

411- अम्र बिन उस्मान बिन याला बिन मुर्रा अपने बाप (उस्मान) से वह अपने दादा (मुर्रा) रज़ि। से रिवायत करते हैं कि हम नबी(ﷺ) के साथ एक सफ़र में थे तो (मुसाफिर) एक तंग जगह पहुंचे नमाज़ का वक़्त हुआ तो बारिश शुरु हो गई आसमान ऊपर से बरस रहा था और नीचे कीचड़ था तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अज़ान दी और आप उस वक़्त सवारी पर थे फिर इक़ामत कही फिर आप अपनी सवारी पर आगे बढ़े और इशारे के साथ नमाज़ पढ़ाई आप का सज्दा रुकू से कुछ ज़्यादा झुक कर होता था।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है इसे सिर्फ अम्र बिन अर्रिमाह अल बल्खी ने ही रिवायत किया है, सिर्फ उन्हीं की सनद से मिलती है। और उनसे कई उलमा ने रिवायत की है। इसी तरह अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से भी मर्वी है कि आप(ﷺ) ने पानी और मिट्टी (कीचड़) में अपनी सवारी के ऊपर नमाज़ पढ़ी। उलमा का इसी पर अमल है। नीज़ अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हैं।

192. नमाज़ में बहुत ज़्यादा कोशिश व मेहनत करना

بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِجْتِهَادِ فِي الصَّلَاةِ.

412 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنِ

412- सय्यदना मुग़ीरा बिन शोबा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने नमाज़ पढ़ी यहाँ तक कि आप(ﷺ) के पाँव फूल गए

الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَتَكَلَّفُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا.

यानी सूजन आ गई तो आप(ﷺ) से कहा गया आप के पहले और पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए गए हैं, फिर भी आप यह तकलीफ करते हैं (तो) आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुज़ार बन्दा न बनूँ?''

बुखारी: 1130.मुस्लिम: 2819. इब्ने माजा:1419. निसाई:1644.

तौज़ीह: اِنْتَفَخَتْ: लम्बे कयाम की वजह से पाँव पर वरम आ गया और वह फूल गए।

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा और आयशा(رضي الله عنهما) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मुग़ीरा बिन शोबा की हदीस हसन सहीह है।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ.

193. क़यामत के दिन बन्दे से पहला हिसाब नमाज़ का होगा

413 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَحَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ

413- हुरैस बिन क़बीसा (رحمه الله) कहते हैं: मैं मदीना में आया और दुआ की : ''ऐ अल्लाह! मुझे नेक हमनशीं नसीब फ़रमा'' तो मैं अबू हुरैरा (رضي الله عنه) के पास बैठा मैंने कहा: मैंने अल्लाह से अच्छा हमनशीं माँगा था, पस आप मुझे कोई ऐसी हदीस सुनाएँ जो आप(ﷺ) से सुनी हो ताकि अल्लाह तआला उस के साथ मुझे नफ़ा दे तो उन्होंने फ़र्माया: ''मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना : ''बेशक बन्दे के आमाल में पहला हिसाब जो उस से क़यामत के दिन लिया जाएगा वह नमाज़ होगी और अगर नमाज़ की सूरते हाल दुरुस्त हुई तो वह कामयाबी और निजात पाएगा और अगर उसकी सूरते हाल खराब हुई तो वह बर्बाद होकर नुक़सान उठायेगा, अगर

صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ.

उसके फ़राइज़ में से कुछ कमी होगी तो इज़्ज़त व बरतरी वाला परवरदिगार फ़रमाएगा (फरिश्तो) देखो कि क्या मेरे बन्दे के नवाफिल हैं तो उनके साथ उसके फ़राइज़ की कमी को पूरा किया जाएगा। फिर उसके तमाम आमाल का हिसाब इसी तरीक़ा पर होगा।''

सहीह: सहीहुत्तर्गीब: 540. इब्ने माजा: 1425. निसाई: 465.

वज़ाहत: इस मसले में तमीम दारी (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस इस सनद से हसन ग़रीब है।

नीज़ यह हदीस एक और सनद से भी अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी मर्वी है। और हसन (رحمه الله) के बअ़ज (कुछ) शागिर्दों ने भी बवास्ता हसन (رحمه الله) क़बीसा बिन हुरैस से एक और हदीस रिवायत की है। और यह क़बीसा बिन हुरैस ही मशहूर हैं। नीज़ अनस बिन हकम से भी बा बवास्ता अबू हुरैरा (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) की ऐसी ही हदीस मर्वी है।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ. مَا لَهُ فِيهِ مِنَ الفَضْلِ

194. जो शख़्स दिन और रात में 12 रकअत सुन्नत अ़दा करता है उस की फ़ज़ीलत

414 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ.

414- सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जो शख़्स 12 रकअ़त सुन्नत पर हमेशगी करता है तो अल्लाह तआला जन्नत में उस का घर बना देते हैं। 4 रकअ़त ज़ुहर से पहले और 2 बाद में 2 रकअ़तें मगरिब के बाद, 2 रकअ़तें इशा के बाद और 2 रकअ़तें फज्र से पहले।

सहीह: इब्ने माजा: 1140. निसाई: 1794. अबू याला:4525.

वज़ाहत: इस मसले में उम्मे हबीबा, अबू हुरैरा, अबू मूसा और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद से साबित आयशा (رضي الله عنها) की हदीस ग़रीब है। और मुग़ीरा बिन ज़ियाद के हाफ़िज़ा की वजह से बअज (कुछ) उलमा ने इस में क़लाम किया है।

415 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ.

415. सय्यदा उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जो शख़्स दिन और रात में 12 रकअत सुन्नत पढ़ता है तो उस के लिए जन्नत में घर बना दिया जाता है। 4 रकअत ज़ुहर से पहले और 2 बाद में 2 रकअतें मगरिब के बाद, 2 रकअतें इशा के बाद और 2 रकअतें फज्र से पहले।

मुस्लिम: 728. अबू दाऊद:1250. इब्ने माजा: 1141. निसाई:1796, 1799.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अम्बसा की उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) से रिवायतकर्दा हदीस हसन सहीह है और अम्बसा से कई तुरुक़ के साथ मर्वी है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ مِنَ الفَضْلِ.

195. फज्र की दो रकअ़त (सुन्नत) की फ़ज़ीलत

416 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

416- सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''फज्र की दो रकअतें दुनिया और इस में मौजूद हर चीज़ से बेहतर है।''

मुस्लिम: 725. निसाई: 1759.

वज़ाहत: इस मसले में अली, अब्दुल्लाह बिन उमर और इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: आयशा (رضی اللہ عنہا) की हदीस हसन सहीह है नीज़ अहमद बिन हंबल (رحمہ اللہ) ने भी सालेह बिन अब्दुल्लाह अत्तिर्मिज़ी से आयशा (رضی اللہ عنہا) की हदीस रिवायत की है।

196. फज्र की दो सुन्नतों को हल्का पढ़ना नीज़ नबी(ﷺ) उन में क्या किरअत करते थे?

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْفِيفِ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ وَالقِرَاءَةِ فِيهَا

417- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि मैं महीना भर नबी(ﷺ) को देखता रहा आप फज्र से पहले दो रकअतों में {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ}، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} **पढ़ते थे।**

सहीह: इब्ने माजा:1149.निसाई:992. मुसनद अहमद: 2/24

417 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَأَبُو عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ. بِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ}، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.}

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, अनस, अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास, हफ़सा और आयशा (رضی اللہ عنہم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन है। और हमें सौरी की अबू इस्हाक़ से बयान कर्दा हदीस सिर्फ अबू अहमद की सनद से ही मिलती है जो कि लोगों के यहाँ इस्राईल अबू इस्हाक़ से मशहूर है।

अबू अहमद अज्ज़ुबैरी सिक़ह और हाफ़िज़ हैं। तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) कहते हैं: मैंने बिन्दार को फ़रमाते हुए सुना कि मैंने हिफ़्ज़े हदीस में अबू अहमद अज्ज़ुबैरी से अच्छा कोई नहीं देखा। और अबू अहमद अज्ज़ुबैरी का नाम मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर अल असदी अल कूफी है।

197. फज्र की दो सुन्नतों के बाद बातें करना

بَابُ مَا جَاءَ فِي الكَلَامِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ

418- सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) रिवायत करती हैं कि नबी(ﷺ) जब फज्र की दो रकअतें पढ़ लेते तो अगर मुझ से कोई काम होता तो मुझ से

418 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ

أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَي الفَجْرِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَيَّ حَاجَةٌ كَلَّمَنِي، وَإِلاَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ.

बात कर लेते वगरना नमाज़ के लिए मस्जिद की तरफ़ चले जाते।

बुखारी: 1161. मुस्लिम:743. अबू दाऊद: 1626.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (रहमतुल्लाह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) और दीगर लोगों में बअ़ज (कुछ) अहले इल्म ने तुलूए फज्र के बाद नमाज़े फज्र पढ़ने तक क़लाम करने को नापसंद किया है लेकिन अल्लाह का ज़िक्र या कोई अहम बात की जा सकती है। यह कौल इमाम अहमद और इस्हाक़ (रहमतुल्लाह) का है।

بَابُ مَا جَاءَ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ.

198. तुलूए फज्र के बाद फज्र की दो (सुन्नत) रकअतों के अलावा कोई नमाज़ नहीं है।

419 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ يَسَارٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الفَجْرِ إِلاَّ سَجْدَتَيْنِ.

وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ: إِنَّمَا يَقُولُ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ، إِلاَّ رَكْعَتَي الفَجْرِ.

419- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फर्माया: ''तुलूए फज्र के बाद दो रकअतों के अलावा कोई नमाज़ नहीं है।''

अबू दाऊद:1278. मुसनद अहमद: 2/104. बैहक़ी: 2/465.

तौज़ीह: यानी तुलूए फज्र से लेकर फज्र की जमाअ़त के दर्मियान सिर्फ यही दो रकअ़तें पढ़ी जाएँ।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर और हफ़्सा (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (रहमतुल्लाह) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस ग़रीब है। हमें सिर्फ क़ुदामा बिन मूसा के वास्ते से ही मिली है लेकिन उन से बहुत से रावियों ने रिवायत की है। और इसी पर उलमा का इज्मा है कि तुलूए

फज्र के बाद फज्र की दो सुन्नतों के अलावा कोई नमाज़ पढ़ना मकरूह है और इस हदीस का मतलब यही है कि तुलूए फज्र के बाद सिर्फ फज्र की दो सुन्नतें ही हैं।

199. फज्र की दो सुन्नतों के बाद लेटना।

.بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ

420 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ العَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ.

420- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब तुम में से कोई शख़्स फज्र की दो सुन्नतें पढ़ ले तो अपनी दायें करवट पर लेट जाए।''

सहीह: अबू दाऊद: 1261. इब्ने माजा: 1199

वज़ाहत: इस मसले में आयशा (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद से साबित अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस सहीह ग़रीब है।

नीज़ सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से मर्वी है कि नबी(ﷺ) जब फज्र की दो सुन्नतें अपने घर में अदा कर लेते तो अपनी दायीं करवट पर लेट जाते। बअ़ज (कुछ) उलमा कहते हैं कि यह काम इस्तिहबाब के तौर पर किया जा सकता है।

200.जब नमाज़ की इक़ामत हो जाए तो वही फर्ज़ नमाज़ होगी।

.بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ

421 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ.

421- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब नमाज़ की इक़ामत हो जाए तो (जिस नमाज़ के लिए इक़ामत कही गई है) उस फर्ज़ नमाज़ के सिवा कोई नमाज़ नहीं।''

मुस्लिम:710. अबू दाऊद:1266. इब्ने माजा: 1151. निसाई: 865.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने बुहैना, अब्दुल्लाह इब्ने उमर, अब्दुल्लाह बिन सर्जिस, इब्ने अब्बास और अनस (رضی اللہ عنہ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन है। नीज़ अय्यूब, वरक़ा बिन उमर, ज़ियाद बिन साद, इस्माईल बिन मुस्लिम और मुहम्मद बिन जहादा ने भी अम्र बिन दीनार से बवास्ता अता बिन यसार, अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) की नबी(ﷺ) से साबित हदीस रिवायत की है।

नीज़ हम्माद बिन ज़ैद और सुफ़ियान बिन उयय्ना ने भी अम्र बिन दीनार से रिवायत की है लेकिन वह मर्फ़ूअ नहीं है। जब कि मर्फ़ूअ हदीस हमारे नज़दीक ज़्यादा सहीह है। अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) की नबी(ﷺ) से बयान की गई यह हदीस कई सनदों से मर्वी है। इसे अयाश बिन अब्बास अल कित्बानी अल मिस्री ने भी अबू सलमा के वास्ते के साथ अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) से रिवायत किया है।

और नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बअ़ज (कुछ) उलमा का इसी पर अमल है कि जब इक़ामत हो जाए तो आदमी फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा और कोई नमाज़ न पढ़े। सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمہ اللہ) भी यही कहते हैं।

201. जिस शख़्स की फज्र की दो सुन्नतें रह जाएँ वह फज्र के फर्ज़ों के बाद पढ़ ले

422- मुहम्मद बिन इब्राहीम अपने दादा क़ैस (رضی اللہ عنہ) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ)मस्जिद की तरफ़ निकले तो नमाज़ की इक़ामत कही गई, मैंने भी आप(ﷺ) के साथ सुबह की नमाज़ पढ़ी फिर जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो नबी(ﷺ) ने देखा कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो आप(ﷺ) ने फरमाया: ''ऐ क़ैस ठहर जाओ- क्या दो नमाज़ें इकट्ठी पढ़नी है? मैंने कहा अल्लाह के रसूल: मैं फज्र की दो सुन्नतें नहीं पढ़ सका था''तो आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''फिर कोई बात नहीं।''

सहीह: अबू दाऊद: 1267. इब्ने माजा: 1154.इब्ने खुजैमा:1117. इब्ने हिब्बान:2471.

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَفُوتُهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الفَجْرِ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ

422 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ، ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَنِي أُصَلِّي، فَقَالَ: مَهْلاً يَا قَيْسُ، أَصَلاَتَانِ مَعًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، قَالَ: فَلاَ إِذَنْ.

तौज़ीह: مَهْلًا: रुक जाओ ठहर जाओ।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मुहम्मद बिन इब्राहीम की हदीस हमें सिर्फ सईद बिन सईद की सनद से ही मिलती है। सुफ़ियान बिन उयय्ना कहते हैं: अता बिन अबी रबाह ने साद बिन अबी सईद से यह हदीस सुनी है लेकिन इसे मुर्सल रिवायत किया जाता है। ''

इस हदीस को अपनाते हुए अहले मक्का की एक जमाअ़त ने कहा है कि आदमी फज्र की सुन्नतें फर्जों के बाद सूरज निकलने से पहले पढ़ सकता है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सईद बिन सईद यहया बिन सईद अल अन्सारी के भाई हैं और क़ैस (رضي الله عنه) यहया बिन सईद अल अन्सारी के दादा हैं, उनको क़ैस बिन अम्र और क़ैस बिन कहद भी कहा जाता है।

नीज़ इस हदीस की सनद मुत्तसिल नहीं है क्योकि मुहम्मद बिन इब्राहीम अत्तैमी ने क़ैस (رضي الله عنه) से समाअत(सुनना) नहीं की।

बाज़ रावियों ने यह हदीस साद बिन सईद से मुहम्मद बिन इब्राहीम के वास्ते से रिवायत की है कि नबी(ﷺ) निकले और क़ैस को देखा और यह हदीस अब्दुल अज़ीज़ की साद बिन सईद से बयान की गई हदीस से ज़्यादा सहीह है।

202. उन (फज्र की सुन्नतों) को सूरज निकलने के बाद पढ़ना

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعَادَتِهِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

423- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जो शख़्स फज्र की सुन्नतें न पढ़ सके तो वह उन्हें सूरज निकलने के बाद पढ़ ले।''

सहीह: अस्सिलसिला अस्सहीहा: 2361. इब्ने माजा: 1155.

423 - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हमें सिर्फ इसी सनद से ही मिलती है। नीज़ अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنهما) से मर्वी है कि उन्होंने इस तरह किया था। और बअ़ज (कुछ) उलमा का भी इसी पर अमल है।

सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी यही कहते हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अम्र बिन आसिम अल किलाबी के अलावा और कोई रावी हमारे इल्म में नहीं है जिसने हम्माम से इस तरह हदीस बयान की हो। बल्कि मारूफ़ हदीस वह है जिसे क़तादा ने नज़्र बिन अनस से बवास्ता बशीर बिन नुहैक अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से बयान किया है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जिस ने सूरज तुलू होने से पहले सुबह की नमाज़ से एक रकअ़त पा ली तो यकीनन उस ने नमाज़ को पा लिया।''

203. ज़ुहर से पहले चार रकअ़तें पढ़ना

بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ.

424- सय्यदना अली (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ज़ुहर से पहले चार और बाद में दो रकअ़तें पढ़ते थे।

सहीह: इब्ने माजा: 1161. निसाई: 874. अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 4806. मुसनद अहमद: 1/85.

424 - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ.

वज़ाहत: इस मसले में आयशा और उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अली (رضي الله عنه) की हदीस हसन है। (इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:): हमें अबू बक्र अल अत्तार ने बयान करते हुए कहा: कि अली बिन अब्दुल्लाह, यहया बिन सईद से नक़ल करते हैं कि सुफ़ियान फ़रमाते हैं कि हम आसिम बिन ज़मुरा की हदीस को हारिस की हदीस से अफज़ल समझते हैं। नबी(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से अकसर उलमा भी इसी पर अमल करते हुए ज़ुहर से पहले चार रकअ़तें पढ़ने को इख़्तियार करते हैं। नीज़ सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, इस्हाक़ और अहले कूफा का भी यही कौल है बअ़ज (कुछ) अहले इल्म कहते हैं दिन और रात की नफ़ल नमाज़ दो-दो रकअ़तें हैं उनके मुताबिक हर दो रकअतों में वक्फा (सलाम) होना चाहिए। शाफेई और अहमद (رحمه الله) भी यही कहते हैं।

204. ज़ुहर के बाद दो रकअ़तें पढ़ना

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ.

425- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ ज़ुहर से पहले दो और ज़ुहर के बाद भी दो रकअ़तें पढीं।

बुखारी: 937. मुस्लिम: 729. इब्ने माजा: 1130. निसाई: 783.

425 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا.

वज़ाहत: इस मसले में अली और आयशा (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है।

426 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ العَتَكِيُّ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَّهُنَّ بَعْدَهَا.

426- सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) जब ज़ुहर से पहले चार रकअतें न अदा कर पाते तो उन्हें बाद में पढ़ लेते थे।

सहीह: इब्ने माजा: अल-कामिल लि इब्ने अदी: 6/ 2067. तोहफतुल अशराफ़: 16208.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हमें यह हदीस सिर्फ अब्दुल्लाह बिन मुबारक से ही इस सनद के साथ मिलती है। नीज़ क़ैस बिन रबीअ़ ने भी शोबा के वास्ते के साथ खालिद अल हज़्ज़ा से इसी तरह रिवायत किया है। हमारे इल्म के मुताबिक शोबा से क़ैस बिन रबीअ के अलावा और कोई रावी बयान नहीं करता नीज़ अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से भी नबी(ﷺ) से ऐसी ही हदीस मर्वी है।

427 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.

427. सय्यदा उम्मे हबीबा (رضی اللہ عنہا) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जो शख़्स ज़ुहर से पहले चार और ज़ुहर के बाद भी चार रकअ़तें पढ़ता है तो अल्लाह तआला उसे (जहन्नम की) आग पर हराम कर देता है।

सहीह: अबू दाऊद: 1269. इब्ने माजा: 1160. निसाई:1812. 1817.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ एक और सनद से भी रिवायत की गई है।

428 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ البَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

428. अम्बसा बिन अबी सुफ़ियान रिवायत करते हैं कि मैंने अपनी बहन नबी(ﷺ) की बीवी सय्यदा उम्मे हबीबा (رضی اللہ عنہا) को फ़रमाते

التِّنِّيسِيُّ الشَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي العَلَاءُ بْنُ الحَارِثِ، عَنِ القَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُخْتِي أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.

हुए सुना कि : मैंने सुना कि रसूलुल्लाह(ﷺ) फ़रमा रहे थे जो शख़्स ज़ुहर से पहले चार और ज़ुहर के बाद चार रकअतों पर हमेशगी करता है तो अल्लाह तआला उसे जहन्नम की आग पर हराम कर देता है।

सहीह.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद के साथ हसन सहीह ग़रीब है।

क़ासिम, अब्दुर्रहमान के बेटे हैं, जिनकी कुनियत अबू अब्दुर्रहमान थी और यह अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन यजीद बिन मुआविया के आज़ादकर्दा गुलाम थे। यह सिक़ह रावी और अबू उमामा के शागिर्द हैं।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَرْبَعِ قَبْلَ العَصْرِ.

206. अस्र से पहले चार रकअ़त सुन्नत पढ़ना

429 - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ.

429. सय्यदना अली (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) अस्र से पहले चार रकअ़तें पढ़ते थे और उन के दर्मियान मुक़र्रब फरिश्तों और उनकी पैरवी करने वाले मुसलमानों और मोमिनों पर सलामती की दुआ करते हुए वक्फ़ा करते थे।

हसन: इब्ने माजा: 1161. मुसनद अहमद: 1/85.अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 4806.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर और अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अली (رضي الله عنه) की हदीस हसन है। इस्हाक़ बिन इब्राहीम इसी को इख़्तियार करते हैं कि अस्र से पहले चार रकअतों को इकट्ठा पढ़ा जाए और उन्होंने इसी हदीस से दलील ली है। कहते हैं कि सलामती की दुआ करके वक्फ़ा करने का मतलब है कि तशह्हुद करते थे।शाफेई और अहमद (رحمه الله) की राय है कि दिन और रात की नफ़ल नमाज़ दो-दो रकअ़तें हैं वह अस्र की रकअतों को अलग-अलग पढ़ना बेहतर समझते हैं।

430 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ مِهْرَانَ، سَمِعَ جَدَّهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعًا.

430- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''अल्लाह तआला उस शख़्स पर रहम करे जिस ने अस्र से पहले चार रकअतें अदा की।''

हसन अबू दाऊद: 1271.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا

207. मगरिब के बाद वाली दो रकअतें और उन में की जाने वाली किरअत

431 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الفَجْرِ بِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ}، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.

431- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को मगरिब के बाद वाली दो रकअतों और फ़ज्र से पहले वाली दो रकअतों में जितनी बार : {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ}، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}। पढ़ते हुए सुना है उसे शुमार नहीं कर सकता।

हसन सहीह: इब्ने माजा: 1166.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है:

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) की हदीस की सनद ग़रीब है। हमें अब्दुल मालिक बिन मअदान बवास्ता आसिम ही मिलती है।

208. मगरिब के बाद वाली दो रकअतें घर में पढ़ें

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُصَلِّيهِمَا فِي البَيْتِ.

432 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ.

432- अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी(ﷺ) के साथ मग़रिब के बाद दो रकअतें आप के घर में पढीं।

बुखारी: 937. मुस्लिम: 729. अबू दाऊद: 1252. निसाई: 873.

वज़ाहत: इस मसले में राफ़े बिन ख़दीज और काब बिन उज्रह (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

433 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الحُلْوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ كَانَ يُصَلِّيهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ الآخِرَةِ. قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ.

433- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) की दस मुअक्कदा सुन्नतों की रकअतें याद की हैं जो आप (ﷺ) दिन और रात में पढ़ते थे दो रकअतें ज़ुहर से पहले और दो रकअतें उस के बाद, दो रकअतें मगरिब के बाद और दो रकअतें इशा के बाद। फ़रमाते हैं कि मुझे हफ़्सा (رضي الله عنها) ने बताया कि आप(ﷺ) फज्र से पहले भी दो रकअतें पढ़ते थे।

सहीह.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

434 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ.

434- इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमें हसन बिन अली ने, उन्हें मामर ने जोहरी बवास्ता सालिम, अब्दुल्लाह बिन उमर से नबी(ﷺ) की हदीस इस तरह बयान की।

सहीह.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

209. मगरिब के बाद छ: रकअ़त नफ़ल पढ़ने की फ़ज़ीलत

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ وَسِتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

435- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: जिस ने मगरिब के बाद छ: रकअ़त पढ़ीं और उनके दर्मियान कोई बुरी बात न कही तो वह उस के लिए बारह साल की इबादत के बराबर होंगी।

ज़ईफ़ जिद्दा: इब्ने माजा: 1167.

435 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيَّ الْكُوفِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي خَثْعَمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً.

वज़ाहत इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से भी मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया जो शख़्स मगरिब केर बाद 20 रकअ़तें पढ़ता है अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में घर बना देता है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: कि अबू हुरैरह (رضي الله عنه) की हदीस ग़रीब है। हमें सिर्फ ज़ैद बिन हुबाब की सनद से बवास्ता उमर बिन अबी खसम ही मिलती है

नीज फ़रमाते है मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल (अल बुखारी) (رحمه الله) को फ़रमाते हुए सुना कि उमर बिन अब्दुल्लाह बिन अबी खसम मुन्करूल हदीस और सख़्त ज़ईफ़ हैं।

210. इशा के बाद दो रकअ़तें पढ़ना

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

436- अब्दुल्लाह बिन शकीक़ (رحمه الله) कहते हैं: मैंने सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रसूलुल्लाह(ﷺ) की नफ़ल नमाज़ के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फ़र्माया: ''आप(ﷺ) दो रकअ़तें जुहर से पहले, दो उस के बाद, दो नमाज़े मगरिब के बाद, दो इशा के बाद और दो फज्र से पहले पढ़ा करते थे।''

सहीह मुस्लिम 730 अबू दाऊद: 1251

436 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ ثِنْتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ ثِنْتَيْنِ.

वज़ाहत: इस मसले में अली और अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन शकीक़ (رحمه الله) की सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से बयान कर्दा हदीस हसन सहीह है।

211. रात की नमाज़ दो-दो करके पढ़ी जाए

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى.

437 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وِتْرًا.

437- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''रात की नमाज़ दो- दो रकअ़तें हैं, जब तुम्हें सुबह (की पो फटने) का डर हो तो एक रकअ़त वित्र पढ़ लो और अपनी आखिरी नमाज़ वित्र को बनाओ।

बुखारी: 472. मुस्लिम:749. अबू दाऊद: 1326 इब्ने माजा:1174. निसाई:1667, 1674

वज़ाहत: इस मसले में अम्र बिन अम्बसा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म का इसी पर अमल है कि रात की नमाज़ (तहज्जुद) दो- दो रकअ़तें करके पढ़ी जाए। नीज़ सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है।

212. नमाज़े तहज्जुद की फ़ज़ीलत

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ.

438 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

438- सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''माहे रमजान के बाद सबसे अफ़ज़ल रोज़े अल्लाह के महीने का मुहर्रम के हैं और फर्ज़ नमाज़ के बाद अफज़ल नमाज़ रात की नमाज़ (तहज्जुद) है।''

मुस्लिम: 1163. अबू दाऊद:2429.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, बिलाल और अबू उमामा (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और अबू बिश्र का नाम जाफर बिन अयास है। इसे ही जाफर बिन वह्शिया कहते हैं।

213. नबी(ﷺ) की रात की नमाज़ का तरीक़ा

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ

439- अबू सलमा से रिवायत है कि उन्होंने सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से सवाल किया कि रमजान में नबी करीम(ﷺ) की नमाज़ कैसी होती थी तो उन्होंने फ़र्माया: रसूलुल्लाह(ﷺ) रमज़ान और रमज़ान के अलावा ग्यारह रकअतों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। आप(ﷺ) (दो-दो करके) चार रकअतें पढ़ते। यह मत पूछ कि वह कितनी अच्छी और लम्बी होती थीं। फिर आप(ﷺ) (दो-दो करके) चार रकअतें पढ़ते उनके भी हुस्न और तिवालत (लम्बी) का न पूछ, फिर आप तीन (वित्र) पढ़ते। आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं मैं कहती ऐ अल्लाह के रसूल! आप वित्र पढ़ने से पहले सो जाते हैं?'' तो आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''ऐ आयशा मेरी आँखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता।''

बुखारी: 1147. मुस्लिम: 738. अबू दाऊद:1341. निसाई:1697.

439 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

440- सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं: कि रसूलुल्लाह(ﷺ) रात को ग्यारह रकअतें पढ़ते थे, उन में एक वित्र होता था जब आप(ﷺ)

440 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا

مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ.

नमाज़ से फ़ारिग़ हो जाते तो अपनी दायें करवट पर लेट जाते।

सहीह: सहीह अबू दाऊद: 1206.

441 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، نَحْوَهُ.

441- इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमें कुतैबा ने बवास्ता इमाम मालिक, इब्ने शिहाब से इस जैसी रिवायत बयान की है।

बुखारी: 626. मुस्लिम: 736. अबू दाऊद: 1335. निसाई: 685.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

442 -حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

442- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) रात को तेरह रकअत पढ़ते थे।

बुखारी:1138. मुस्लिम:764.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू जम्रा अज़्ज़ुबई का नाम नस्र बिन इमरान अज़्ज़ुबई है।

443 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ.

443- सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि नबी करीम(ﷺ) रात को नौ रकअतें नमाज़ पढ़ते थे।

सहीह: इब्ने माजा: 1360. मुसनद अहमद:6/253.इब्ने हिब्बान:2615.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, ज़ैद बिन खालिद और फ़ज़ल बिन अब्बास (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: आयशा (رضي الله عنها) की हदीस इस सनद के साथ हसन सहीह ग़रीब है।

444 - وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، نَحْوَ هَذَا، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ.

444. सुफ़ियान सौरी ने भी आमश से इसी तरह रिवायत की है, और हमें यह हदीस महमूद बिन गैलान ने यहया बिन आदम से बवास्ता सुफ़ियान, आमश से रिवायत की है।

(यह हदीस भी सहीह है.)

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: रात की नमाज़ के मुताल्लिक नबी(ﷺ) से ज़्यादा से ज़्यादा जो रकअ़त की तादाद मर्वी है वह वित्र समेत तेरह रकअ़तें हैं जबकि कम से कम तादाद बयान हुई वह नौ रकअ़तें हैं।

باب إذا نام عن صلاته بالليل صلى بالنهار

216. जब आदमी रात को सोया रहा तो दिन को पढ़ लें।

445 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ، مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ النَّوْمُ، أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

445- सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि नबी(ﷺ) जब रात को नींद के गलबे की वजह से नमाज़े (तहज्जुद) न पढ़ते तो दिन के वक़्त बारह रकअ़त पढ़ते थे।

मुस्लिम: 746. अबू दाऊद: 1343. निसाई: 1789.

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ हमें अब्बास बिन अब्दुल अजीम अल अंबरी ने बताया कि हमें अत्ताब बिन मुसन्ना ने बहज़ बिन हकीम से रिवायत करते हुए ज़िक्र किया के बसरा के काजी ज़ुरारह बिन औफ़ा बनू क़ुसीर की इमामत करते हुए सुबह की नमाज़ पढ़ा रहे थे तो (जब) {فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ} पढ़ी तो बेहोश हो कर गिरे और फौत हो गए। जिन लोगों ने उन्हें उठा कर घर पहुंचाया उनमें मैं भी शामिल था। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं: साद बिन हिशाम बिन आमिर अल अन्सारी हैं और हिशाम बिन आमिर नबी(ﷺ) के सहाबी है।

217. रब तबारक तआला का हर रात आसमाने दुनिया पर उतरना

بَابُ مَا جَاءَ فِي نُزُولِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ.

446 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: अल्लाह तबारक व तआला हर रात आसमाने दुनिया पर उतरते हैं जब कि पहली तिहाई रात गुज़र चुकी होती है, फ़रमाते हैं: मैं बादशाह हूँ कौन है जो मुझे पुकारे तो मैं उसकी दुआ कुबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे तो मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे बख़्शिश तलब करे तो मैं उसे बख़्श दूं? अल्लाह तआला इसी तरह कहते रहते हैं। यहाँ तक कि फज्र रोशन हो जाती है।

बुखारी: 1145. मुस्लिम:785. अबू दाऊद:1315. इब्ने माजा: 1366.

446 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، فَلاَ يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الفَجْرُ.

वज़ाहत: इस मसले में अली बिन अबी तालिब, अबू सईद, रिफ़ाआ अज्जुहनी, जुबैर बिन मुतइम, इब्ने मसऊद, अबू दर्दा और उस्मान बिन अबुल आस (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से यह हदीसे नबवी कई तुरुक़ से मर्वी है। और आप(ﷺ) से यह भी रिवायत की गई है कि जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह तआला (आसमाने दुनिया) की तरफ़ उतरते हैं। यह हदीस तमाम रिवायात से सहीह रिवायत है।

218. रात को कुरआन पढ़ना

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ بِاللَّيْلِ.

447- सय्यदना अबू क़तादा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अबू बक्र (رضي الله عنه) से कहा मैं तुम्हारे पास से गुजरा था तो तुम आहिस्ता आवाज़ में कुरआन पढ़ रहे

447 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

رَبَاحٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ وَأَنْتَ تَخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ، فَقَالَ: إِنِّي أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ، قَالَ: ارْفَعْ قَلِيلاً، وَقَالَ لِعُمَرَ: مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ وَأَنْتَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ، قَالَ: إِنِّي أُوقِظُ الوَسْنَانَ، وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ، قَالَ: اخْفِضْ قَلِيلاً.

थे।''उन्होंने कहा: मैं जिस ज़ात से सरगोशी कर रहा था उसे ही सुना रहा था। ''तो आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''अपनी आवज़ को थोड़ा बलंद कर लो। ''नीज़ आप(ﷺ) ने उमर (رضي الله عنه) से फ़र्माया: मैं तुम्हारे पास से गुजरा तो तुम बलंद आवाज़ से पढ़ रहे थे।'' तो उन्होंने कहा: ''मैं सोये हुए को जगा और शैतान को भगा रहा था।''तो आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''अपनी आवाज़ को थोड़ा सा हल्का करो।''

सहीह: अबू दाऊद: 1329

तौज़ीह: الوَسْنَان: ऐसा शख़्स जो अपनी नींद में डूबा हुआ हो।

वज़ाहत: इस मसले में आयशा, उम्मे हानी, अनस, उम्मे सलमा और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू क़तादा (رضي الله عنه) की हदीस ग़रीब है। इसे सिर्फ यहया बिन इस्हाक़ ने ही हम्माद बिन ज़ैद से मुसनद रिवायत किया है और अक्सर लोगों ने इस हदीस को साबित से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन रबाह मुर्सल रिवायत की है।

448 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ العَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِآيَةٍ مِنَ القُرْآنِ لَيْلَةً.

448- सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि नबी(ﷺ) ने (एक दफ़ा) एक ही आयत से सारी रात का कयाम किया। (यानी एक ही आयत पढ़ते रहे)

सहीह

तौज़ीह: वह आयत (इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक...)

वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद के साथ ग़रीब है।

449 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ

449. अब्दुल्लाह बिन अबू क़ैस (رحمه الله) रिवायत करते हैं कि मैंने सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से पूछा

مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ فَقَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسَرَّ بِالْقِرَاءَةِ، وَرُبَّمَا جَهَرَ، فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً.

कि रात की नमाज़ में नबी(ﷺ) की किरअत कैसी होती थी? क्या किरअत को मख्फी रखते थे या ज़ाहिर करते थे? तो उन्होंने फ़र्माया: ''सभी तरह कर लिया करते थे। बसा औक़ात किरअत को मख़्फ़ी रखते और बअ़ज (कुछ) दफ़ा ज़ाहिर करते'' तो मैंने कहा कि सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने दीन में वुस्अत रखी है।

सहीह अबू दाऊद: 1437. इब्ने माजा: 1354. निसाई: 1662

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ.

219. घर में नफ़ल नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत

450 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْضَلُ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ.

450- सय्यदना ज़ैद बिन साबित (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, ''फर्ज़ नमाज़ के अलावा बाकी नमाज़ें घर में पढ़ना अफज़ल है।''

बुखारी: 731. मुस्लिम: 781. अबू दाऊद: 1044. निसाई: 1599

वज़ाहत: इस मसले में उमर बिन ख़त्ताब, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अबू सईद, अबू हुरैरा, इब्ने उमर, आयशा अब्दुल्लाह बिन साद और ज़ैद बिन खालिद अल जुहनी (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ज़ैद बिन साबित (رضي الله عنه) की हदीस हसन है। नीज मुहद्दिसीन ने इस हदीस की रिवायत में इख़्तिलाफ़ किया है। मूसा बिन उक़्बा और इब्राहीम बिन नज़्र ने इसे अबुन्नज़र से मर्फूअ रिवायत किया है। और बअ़ज (कुछ) ने मालिक बिन अनस (رضي الله عنه) से उन्होंने अबुन्नज़र से मौकूफ रिवायत किया है मर्फूअ नहीं जब कि मर्फूअ हदीस ज़्यादा सहीह है।

451 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا.

451- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़र्माया: ''नफल नमाज़ घरों में पढ़ा करो, इन्हें क़ब्रिस्तान न बनाओ।''

बुखारी: 432. मुस्लिम: 777. अबू दाऊद: 1448. इब्ने माजा: 1377.. निसाई:1598

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

- : ख़ुलासा :-

- ❖ सुन्नत के मुताबिक पढ़ी जाने वाली नमाज़ ही कुबूल होगी।
- ❖ नमाज़ों के औक़ात मुक़र्रर किये गए हैं लिहाजा उन्हीं औक़ात में नमाज़ होगी।
- ❖ इकहरी अज़ान के साथ इकहरी और दोहरी अज़ान के साथ दोहरी इक़ामत मस्नून है।
- ❖ मर्दों और औरतों की नमाज़ में कोई फर्क नहीं।
- ❖ नमाज़ में मस्नून किरअत करना मुस्तहब अमल है।
- ❖ नमाज़ में सूरह फातिहा ज़रूरी है। इसके बगैर नमाज़ नहीं होती।
- ❖ आमीन ऊंची आवाज से कही जाए।
- ❖ क़ब्रिस्तान और मज़ार वाली जगह पर नमाज़ नहीं होती।
- ❖ मस्जिद बनाना बहुत अजीम अमल है।
- ❖ दुनिया की तीन मसाजिद अफज़ल हैं, मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी, और मस्जिदे अक्सा।
- ❖ नमाज़ के लिए सुतरे का एहतमाम ज़रूरी है।
- ❖ सवारी पर नफ़ल नमाज़ पढ़ी जा सकती है फर्ज़ नहीं।
- ❖ नमाज़ में बेजा हरकात से बचा जाए।
- ❖ भूल जाने की सूरत में सज्द-ए-सह्व किया जाए।
- ❖ नफल नमाज़ घर में पढ़ना अफज़ल है।
- ❖ जिस आदमी की नमाज़े तहज्जुद रह जाए वह दिन चढ़े पढ़ ले।
- ❖ फज्र की दो सुन्नत रकअतें अगर रह जाएँ तो उन्हें नमाज़े फज्र के बाद पढ़ा जा सकता है।

मज़मून नंबर-3

أَبْوَابُ الوِتْرِ

नमाज़े वित्र के अहकाम व मसाइल

तआरुफ़

(21) अबवाब पर मुश्तमिल (35) अहादीसे रसूल(ﷺ) से आप हासिल करेंगे कि

- वित्र की अहमियत तथा फ़ज़ीलत क्या है?
- कब पढ़े जा सकते हैं?
- वित्र कितने हैं?
- सलातुज्जुहा क्या है?
- नमाज़े तस्बीह का तरीक़ा क्या है?
- नमाज़े तस्बीह में कितनी तस्बीहात हैं?
- नबी(ﷺ) पर दरूद पढ़ने की क्या फ़ज़ीलत है?

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الوِتْرِ

452 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَاشِدٍ الزَّوْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ الزَّوْفِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: الوِتْرُ، جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ العِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ.

1. वित्र की फ़ज़ीलत

452- खारिजा बिन हुज़ाफ़ा(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये और फ़र्माया: ''बेशक अल्लाह तआला ने तुम्हें एक ऐसी इज़ाफ़ी नमाज़ अता फ़रमाई है जो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। वित्र को अल्लाह तआला ने तुम पर इशा से तुलुए फज्र तक दर्मियानी वक़्त में मुक़र्रर किया है।

هي خير لكم من حمر النعم के कौल के अलावा बाकी रिवायत सहीह है) अबू दाऊद: 1418. इब्ने माजा: 1166.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन अम्र, बुरैदा और नबी(ﷺ) के सहाबी अबू बसरा अल गिफ़ारी(رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ख़ारिजा बिन हुज़ाफ़ा(رضي الله عنه) की हदीस ग़रीब है क्योंकि यह हमें यजीद बिन अबी हबीब की सनद से ही मिलती है।

नीज़ बअज़ मुहद्दिसीन ने इस हदीस की सनद में वहम किया है। बअज़ ने अब्दुल्लाह बिन राशिद अज़्ज़र्की ज़िक्र किया है जो कि वहम है। और अबू बसरा अल गिफ़ारी का नाम हुमैल बिन बसरा है जब कि बअज़ ने जमील बिन बसरा कहा है। जो कि सहीह नहीं है क्योंकि अबू बसरा अल गिफ़ारी एक और आदमी है जो सय्यदना अबू ज़र गिफ़ारी(رضي الله عنه) का भतीजा है, वह उनसे ही रिवायत करता है।

2. वित्र फ़र्ज़ नहीं

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ.

453 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ.

453- सय्यदना अली(رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: वित्र तुम्हारी फ़र्ज़ नमाज़ की तरह ज़रूरी नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इसे सुन्नत ठहराया है। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''बेशक अल्लाह तआला अकेला है तो ऐ अहले क़ुरआन! तुम वित्र पढ़ो।''

अबू दाऊद: 1416. इब्ने माजा: 1169. निसाई: 1675.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर, इब्ने मसऊद और इब्ने अब्बास(رضي الله عنه) से भी मर्वी है।
इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अली(رضي الله عنه) की हदीस हसन है।

454 - وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

454- सय्यदना अली(رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: वित्र फ़र्ज़ नमाज़ की तरह वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है जिसे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुक़र्रर किया है।

यह रिवायत हसन है इसका शाहिद पिछली हदीस है।

वज़ाहत: यह हदीस हमें बिन्दार ने बयान की। हमें अब्दुर्रहमान बिन महदी ने अज़ सुफ़ियान अज़ अबू इस्हाक़ बयान की। यह हदीस अबू बक्र बिन अयाश की हदीस से ज़्यादा सहीह है। और मंसूर बिन मोतमिर ने अबू इस्हाक़ से अबू बक्र बिन अयाश की रिवायत मिस्ल बयान की है।

3. वित्रों से पहले सोना मकरूह है

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الوِتْرِ

455 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي ثَوْرٍ الأَزْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، قَالَ عِيسَى بْنُ أَبِي عَزَّةَ: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنَامُ.

455- सय्यदना अबू हुरैरा(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे सोने से पहले वित्र पढ़ने का हुक्म दिया।

सहीह:इसकी तख़रीज अन क़रीब हदीस नम्बर 760. के तहत आएगी. तोहफतुल अशराफ़: 1487

वज़ाहत: ईसा बिन अबू अज़्ज़ा फ़रमाते हैं कि शाबी (رحمه الله) भी रात के पहले हिस्से में वित्र पढ़ कर सो जाते थे। इस मसले में अबू ज़र(رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ अबू हुरैरा(رضي الله عنه) की हदीस ग़रीब है। और अबू सौर अल अजदी का नाम हबीब बिन अबी मुलैका है नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन की एक जमाअत ने इसी को पसंद किया है कि आदमी वित्र पढ़ने से पहले न सोये।

जब कि नबी(ﷺ) से ये भी मर्वी है कि जिसे इस बात का डर हो कि वह रात के आख़री हिस्से मैं नहीं उठ सकता तो वह पहले हिस्से में वित्र पढ़ ले और जो शख़्स आख़री हिस्से में कयाम करने का लालच करता है तो वह रात के आख़री हिस्से में वित्र पढ़ ले, रात के आख़िर में की जाने वाली किरअत पर फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं और वह अफ़ज़ल नमाज़ है ये हदीस हमें हन्नाद ने बयान की, वह कहते है; हमें अबू मुआविया ने आमश अज़ अबू सुफ़ियान अज़ जाबिर ने नबी(ﷺ) से बयान किया।

4. वित्र रात के पहले और आख़री हिस्से में (जब दिल करे)पढ़ा जा सकता है

بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ

456 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ

456- मसरूक रहिमहुल्लाह से रिवायत है कि उन्होंने सय्यदा आयशा से नबी(ﷺ) के वित्र के बारे में पुछा तो उन्होंने फ़रमाया, रात

يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ أَوَّلَهُ، وَأَوْسَطَهُ، وَآخِرَهُ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السَّحَرِ.

के तमाम हिस्सों, पहले, दर्मियान और आख़री हिस्से में भी आप(ﷺ) ने वित्र पढ़े हैं यहाँ तक की जब आप की वफ़ात हुई तो आपके वित्र का वक़्त सहरी के करीब पहुँच गया था।

(456) बुखारी: 996. मुस्लिम: 745. अबू दाऊद: 1435. इब्ने माजा: 1185. निसाई: 1681.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:अबू हुसैन का नाम उस्मान बिन आसिम अल असदी है नीज़ इस मसले में अली, जाबिर, अबू मसऊद अल अंसारी और अबू क़तादा(رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदा आयशा(رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है और बअज़ अहले इल्म ने भी इसी को पसंद किया है कि रात के आख़री हिस्से में पढ़नी चाहिए।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ بِسَبْعٍ.

5. वित्र की सात रकअ़तें पढ़ना

457-حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الجَزَّارِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ، فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ.

457- सय्यदा उम्मे सलमा(رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि नबी(ﷺ) तेरह रकअ़त के साथ नमाज़ को ताक बनाते थे फिर जब आप बूढ़े और कमजोर हो गए तो सात पढ़ने लगे।

इस का मतलब ये है कि आप(ﷺ) तेरह रकअ़त पढ़ते थे जिन में वित्र भी शामिल होते थे और इसी तरह सात में एक या तीन वित्र बाकी नवाफ़िल हैं।

सहीहुल इस्नाद: निसाई: 1727. मुसनद अहमद: 6/322. इब्ने अबी शैबा: 2/293

वज़ाहत: इस मसले में आयशा(رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: उम्मे सलमा(رضي الله عنها) की हदीस हसन है नीज़ नबी(ﷺ) से यह भी मर्वी है कि वित्र 13, 11, 9, 7, 5, 3, और 1 रकअ़त का भी हो सकता है।

इस्हाक़ बिन इब्राहीम फ़रमाते हैं : नबी(ﷺ) 13 रकअ़त के साथ वित्र करते थे इसका मतलब है कि आप(ﷺ) रात को वित्र समेत 13 रकअ़तें पढ़ते थे। तो यहाँ रात की नमाज़ वित्र से मंसूब की गयी है। नीज इस बारे में सय्यदा आयशा(رضي الله عنها) से भी एक हदीस रिवायत की गयी है। इनकी दलील वह हदीस है

जो नबी(ﷺ) से रिवायत की गयी है कि ऐ अहले क़ुरआन तुम वित्र पढ़ो इस से मुराद भी क़यामुल्लैल लिया गया है। क़यामुल्लैल क़ुरआन वालों पर है।

6. पांच वित्र पढ़ना

بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ بِخَمْسٍ.

458- सय्यदा आयशा(رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) की रात की नमाज़ 13 रकअ़त होती थी उनमें पांच वित्र होती थी आप इन वित्रों में आखिरी रकअ़त के अलावा किसी रकअ़त में तशह्हुद में नहीं बैठते थे फिर जब मुअज़्ज़िन फज्र के लिए अज़ान देता तो आप(ﷺ) खड़े होते और हल्की दो रकअ़तें पढ़ते।

मुस्लिम: 737. अबू दाऊद: 1338. इब्ने माजा: 1359.

458 ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ صَلاَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لاَ يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

वज़ाहत: इस मसले में अबू अय्यूब(رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मैंने अबू मुसअब अल मदनी से पूछा कि नबी(ﷺ) 9 और 7 वित्र किस तरह पढ़ते थे? तो उन्होंने फ़र्माया: आप(ﷺ) दो-दो रकअतें पढ़ कर सलाम फेरते रहते, और फिर एक रकअ़त के साथ वित्र कर लेते।

7. तीन वित्र पढ़ना

بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ بِثَلاَثٍ.

459- सय्यदना अली(رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी अकरम(ﷺ) तीन वित्र पढ़ते और उनमें मुफ़स्सल सूरतों में से 9 सूरतें पढ़ते थे। हर रकअ़त में तीन सूरतें आख़िरी सूरत होती थी {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

ज़ईफ़ जिद्दा: मुसनद अहमद: 1/89. अबू याला:460.

459 ـ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوتِرُ بِثَلاَثٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلاَثِ سُوَرٍ آخِرُهُنَّ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

वज़ाहत: इस मसले में इमरान बिन हुसैन, आयशा, इब्ने अब्बास, अबू अय्यूब(رضي الله عنه) और अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ी की उबय बिन काब(رضي الله عنه) से भी रिवायत है। इस तरह अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ी से भी नबी(ﷺ) की हदीस रिवायत की गयी है बअज़ ने इस में उबय का ज़िक्र नहीं किया और बअज़ ने अब्दुर्रहमान बिन अब्जा के बाद उनका ज़िक्र किया है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों के अहले इल्म जमाअत का मज़हब इसी हदीस के मुताबिक है कि आदमी तीन वित्र पढ़ सकता है।

सुफ़ियान (رحمه الله) फ़रमाते हैं अगर आप चाहें तो पांच वित्र पढ़ लें चाहें तीन और चाहें एक रकअत वित्र पढ़ लें। लेकिन मैं तीन वित्र पढ़ना मुस्तहब समझता हूँ। अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمه الله) और अहले कूफ़ा का भी यही कौल है।

460 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانُوا يُوتِرُونَ بِخَمْسٍ، وَبِثَلاَثٍ، وَبِرَكْعَةٍ، وَيَرَوْنَ كُلَّ ذَلِكَ حَسَنًا.

460- मुहम्मद बिन सीरीन (رحمه الله) रिवायत करते हैं कि सहाबए किराम(رضي الله عنهم) पाँच, तीन और एक वित्र पढ़ लेते और हर एक पर अमल करने को दुरुस्त समझते थे।

ज़ईफ़ जिद्दा.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ بِرَكْعَةٍ

8. एक वित्र पढ़ना

461 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقُلْتُ: أُطِيلُ فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَكَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَالأَذَانُ فِي أُذُنِهِ

461- अनस बिन सीरीन(رضي الله عنه) कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) से पूछा : क्या मैं फज्र की दो सुन्नतों को लंबा पढ़ा करूं? तो उन्होंने फ़र्माया: ''नबी(ﷺ) रात को दो- दो रकअतें करके तहज्जुद पढ़ते और एक वित्र पढ़ा करते थे। और आप दो रकअतें उस वक़्त पढ़ लेते जब कि इक़ामत की आवाज़ आप(ﷺ) के कान में पड़ रही होती थी। यानी आप तख़फ़ीफ़ के साथ पढ़ते थे।

वज़ाहत: इस मसले में आयशा, जाबिर, फ़ज़ल बिन अब्बास, अबू अय्यूब और अब्दुल्लाह बिन अब्बास(رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : इब्ने उमर(رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और नबी(ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنهم) और ताबेईन (رحمه الله) में से बअज़ अहले इल्म की राय है कि आदमी पहली दो और तीसरी रकअ़त के दर्मियान फासला करे और एक वित्र अलग पढ़े। इमाम मालिक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है।

9. वित्रों में क्या किरअ़त की जाए?

بَابُ مَا جَاءَ مَا يُقْرَأُ فِي الوِتْرِ.

462- सय्यदना अब्दुल्ला बिन अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) नमाज़े वित्र में { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وَ {قُلْ يَا الكَافِرُونَ}، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ : को एक- एक रकअ़त में पढ़ते थे।

सहीह इब्ने माजा: 1772. निसाई: 1702. मुसनद अहमद: 299. दारमी: 1594.

462 -حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الوِتْرِ: بِ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ}، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فِي رَكْعَةٍ رَكْعَةٍ

वज़ाहत: इस मसले में अली, आयशा, अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा की उबय बिन काब(رضي الله عنه) से भी रिवायत है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : नबी(ﷺ) से मर्वी है कि आप वित्रों की तीसरी रकअ़त में मुअव्वज़तैन (अल्फलक, अन्नास) और {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} पढ़ते थे जबकि नबी(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से अक्सर अहले इल्म ने भी {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} एक- एक रकअ़त में पढ़ने को पसंद किया है।

463- अब्दुल अज़ीज़ बिन जुरैज (رحمه الله) कहते हैं: कि हमने आयशा(رضي الله عنها) से पूछा कि रसूलुल्लाह(ﷺ) वित्र में किन सूरतों की किरअ़त करते थे? तो उन्होंने फ़रमाया: ''आप(ﷺ) {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} पहली, रकअ़त में {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ}، दूसरी रकअ़त और {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، तीसरी रकअ़त में पढ़ते थे। और وَالمُعَوِّذَتَيْنِ पढ़ते थे।

सहीह: अबू दाऊद: 1424. इब्ने माजा: 1173.

463 -حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الحَرَّانِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ، بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الأُولَى: بِ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، وَفِي الثَّانِيَةِ بِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ}، وَفِي الثَّالِثَةِ بِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، وَالمُعَوِّذَتَيْنِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन गरीब है और अब्दुल अज़ीज़ अता के साथी इब्ने जुरैज के वालिद हैं और इब्ने जुरैज का नाम अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन जुरैज है। नीज़ यहया बिन सईद अंसारी ने भी अम्रा के वास्ते से सय्यदा आयशा(رضي الله عنها) की नबी(ﷺ) से मर्वी यह हदीस रिवायत की है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ.

464 ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

10. वित्र में दुआए कुनूत करना

464- सय्यदना हसन बिन अली(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे कुछ कलिमात सिखाये कि मैं उनको वित्रों में कहूं: ''ऐ अल्लाह मुझे हिदायत दे कर उन लोगों के ज़ुमरे में शामिल फ़रमा जिन्हें तूने हिदायत से नवाज़ा है। और मुझे आफ़ियत देकर उन लोगों में शामिल फ़रमा जिन्हें तूने आफ़ियत बख़्शी है और जिन लोगों को तूने अपना दोस्त बनाया है उनमें मुझे भी शामिल करके अपना दोस्त बना ले और जो कुछ तूने मुझे अता फ़र्माया है इस में मेरे लिए बरकत डाल दे और जिस शर तथा बुराई का तूने फैसला किया है उस से मुझे महफ़ूज़ रख। यकीनन तू ही फैसला करता है तेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं किया जा सकता। और जिसका तू वाली बना। वह कभी ज़लीलो-ख़्वार तथा रुस्वा नहीं हो सकता। हमारे परवरदिगार! तू बड़ा ही बरकत वाला और बलंद व बाला है।

सहीह: अबू दाऊद:1425. इब्ने माजा:1178. निसाई: 1745.

वज़ाहत: इस मसले में अली(رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन है हमें सिर्फ़ अबुल हौरा अस्सादी की इसी सनद से मिलती है। उनका नाम रबीआ बिन शैबान है।

नीज़ हमारे इल्म में कुनूते वित्र में इस से बेहतर नबी(ﷺ) की और कोई हदीस नहीं है। कुनूते वित्र के बारे में अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद(رضي الله عنه) पूरे साल वित्र में क़ुनूत करना जायज़ कहते हैं और उन्होंने रुकू से पहले क़ुनूत इख़्तियार की है। सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है।

अली बिन अबी तालिब(رضي الله عنه) से मर्वी है कि आप(ﷺ) सिर्फ़ रमजान के आख़िरी निस्फ़ में ही क़ुनूत करते थे और आप क़ुनूत भी रुकू के बाद करते थे। बअज़ अहले इल्म का भी यही मज़हब है। इमाम शाफ़ेई और अहमद (رحمه الله) भी यही कहते हैं।

11. जो शख़्स वित्र पढ़े बग़ैर सो जाए या भूल जाए

.بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الوِتْرِ، أَوْ يَنْسَاهُ

465- सय्यदना अबू सईद अल ख़ुदरी(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जो शख़्स वित्र पढ़ने से पहले सो जाए या भूल जाए तो जब उसे याद आये या बेदार हो तब पढ़ ले।''

सहीह: अबू दाऊद: 1431. इब्ने माजा: 1188. मुसनद अहमद:3/13. हाकिम:1/302.

465 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ.

466 - अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन असलम (رحمه الله) अपने बाप ज़ैद बिन असलम से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जो शख़्स वित्र पढ़ने से पहले सो जाए तो वह सुबह पढ़ ले।''

सहीह

466 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : यह हदीस पहली हदीस से ज़्यादा सहीह है और मैंने अबू दाऊद अस्सज्ज़ी यानी सुलैमान बिन अशअश को फ़रमाते हुए सुना कि मैंने इमाम अहमद बिन हंबल (رحمه الله) से अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम के बारे में पूछा? तो उन्होंने फ़र्माया: ''उस के भाई अब्दुल्लाह में कोई हर्ज नहीं है।''

तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं : मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) को फ़रमाते हुए सुना वह ज़िक्र कर रहे थे कि अली बिन अब्दुल्लाह (मदीनी) ने अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम को ज़ईफ़ कहा है। और वह कहते थे अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन असलम सिक़ह् रावी है।

नीज़ बअज़ अहले कूफा इसी हदीस के मुताबिक कहते हैं कि सूरज निकलने के बाद जब याद आ जाए वित्र पढ़ ले, सुफ़ियान सौरी (رحمه الله) भी यही कहते हैं।

12. सुबह से पहले वित्र पढ़ना

بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَادَرَةِ الصُّبْحِ بِالوِتْرِ.

467 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''सुबह होने से वित्र पढ़ लिया करो।''

मुस्लिम: 750. अबू दाऊद: 1436.

467 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالوِتْرِ

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है।

468 - सय्यदना अबू सईद अल ख़ुदरी(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''सुबह से पहले वित्र पढ़ लिया करो।'' जब फज्र तुलू हो जाए तो वित्र समेत रात की हर नमाज़ का वक़्त हो गया

मुस्लिम: 754. इब्ने माजा: 1189. निसाई: 1683.

468 -حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا.

469 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब फज्र तुलू हो जाए तो वित्र

469 -حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ

سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَالوِتْرُ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ

समेत रात की हर नमाज़ का वक़्त हो गया इसलिए तुम तुलूए फज्र से पहले वित्र पढ़ लिया करो।''

सहीह: मुसनद अहमद; 2/149. इब्ने खुज़ैमा: 1091. बैहक़ी: 2/478.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं : इन अलफ़ाज़ को बयान करने में सुलैमान बिन मूसा अकेले रावी हैं (जबकि) नबी(ﷺ) से यह भी मर्वी है कि आप(ﷺ) ने फ़र्माया: सुबह की नमाज़ के बाद वित्र नहीं हैं'' और बहुत से उलमा का यही कौल है। नीज़ शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) का भी यही ख़याल है कि सुबह की नमाज़ के बाद वित्र नहीं होते।

بَابُ مَا جَاءَ لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ.

13.एक रात में दो वित्र नहीं

470 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ

470 - क़ैस बिन तल्क़ बिन अली अपने बाप (सय्यदना तल्क़ बिन अली रज़ि०) से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को सुना आप फ़रमा रहे थे: ''एक रात में दो वित्र नहीं हैं।''

सहीह: अबू दाऊद: 1493. निसाई: 1679. इब्ने खुज़ैमा: 1101.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है और अहले इल्म का उस शख़्स के बारे में इख़्तिलाफ़ है जो शुरू रात में वित्र पढ़ लेता है फिर आख़िरी हिस्से में कयाम करता है।

नबी(ﷺ) के सहाबा(ﷺ) और ताबेईन में कुछ उलमा वित्र तोड़ने का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि वह (आख़िरी रात) एक और रकअत पढ़ के वित्र को जुफ्त (जोड़) बना ले और फिर जितनी मुक़द्दर में हो नफ़ल नमाज़ पढ़े, फिर आख़िर में एक वित्र पढ़ ले क्योंकि एक रात मैं दो वित्र नहीं होते। इस्हाक़ (ﷺ) का भी यही मज़हब है।

नबी(ﷺ) के सहाबा(ﷺ) और दीगर लोगों में से बअज़ यह कहते हैं कि जब रात के शुरू में वित्र पढ़ कर सो जाए और आख़िरी हिस्से में फिर कयाम करना चाहता तो वह अपने (रात के शुरू में पढ़े गए) वित्र को ना छोड़े बल्की उसको उसी हालत पर छोड़ दे। और जितनी चाहता है नमाज़ पढ़ ले। यह कौल

सुफ़ियान सौरी, मालिक बिन अनस, अहमद, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई (رحمہ اللہ) और अहले कूफा का है और यही सहीह है। क्योंकि बहुत सी सनदों के साथ मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने वित्र के बाद भी नमाज़ पढ़ी है।

471 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مُوسَى الْمَرَئِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ

471 - सय्यदा उम्मे सलमा(رضی اللہ عنہا) रिवायत करती हैं कि नबी(ﷺ) वित्र के बाद दो रकअतें पढ़ते थे।

सहीह: इब्ने माजा: 1195. मुसनद अहमद: 6/289.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: नबी(ﷺ) की ऐसी ही हदीस अबू उमामा(رضی اللہ عنہ) , आइशा (رضی اللہ عنہا) और दीगर रावियों से भी मर्वी है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ.

14. सवारी पर वित्र पढ़ना

472 -حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَتَخَلَّفْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: أَوْتَرْتُ، فَقَالَ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

472 - सईद बिन यसार (رحمہ اللہ) कहते हैं कि मैं सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(رضی اللہ عنہ) के साथ एक सफर में जा रहा था तो मैं उनसे पीछे रह गया जब दोबारा मिला तो उन्होंने फ़र्माया: ''तुम कहाँ रह गए थे?'' मैंने कहा मैं वित्र पढ़ने लग गया था'' उन्होंने फ़र्माया, ''क्या तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह(ﷺ) के तरीक़े में बेहतरीन नमूना मौजूद नहीं है?'' मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को अपनी सवारी पर वित्र पढ़ते हुए देखा है।

बुखारी: 999. मुस्लिम: 700. अबू दाऊद: 1224. इब्ने माजा: 1200. निसाई: 740

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास(رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर(رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से भी अहले इल्म का यही मज़हब है कि आदमी अपनी सवारी पर वित्र पढ़ सकता है। शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ (رحمہ اللہ) भी यही कहते हैं। लेकिन बअज़ उलमा कहते हैं कि आदमी सवारी

के ऊपर वित्र नहीं पढ़ सकता तो जब वह वित्र पढ़ना चाहे तो नीचे उतर कर ज़मीन पर वित्र पढ़े। यह कौल बअज़ अहले कूफा का है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى.

15. ज़ुहा की नमाज़

473 ‑حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ فُلَانِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الجَنَّةِ.

473 - सय्यदना अनस बिन मालिक(ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''ज़ो शख़्स ज़ुहा की 12 रकअत पढ़े तो अल्लाह तआला उस के लिए जन्नत में सोने का महल बना देता है।''

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 1380.

वज़ाहत: इस मसले में उम्मे हानी, अबू हुरैरा, नईम बिन हम्मार, अबू ज़र, आयशा, अबू उमामा, उत्बा बिन अब्द अस्सुलमी, इब्ने अबी औफ़ा, अबू सईद, ज़ैद बिन अरक़म और इब्ने अब्बास(ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अनस ؓ की हदीस गरीब है हमें सिर्फ़ इसी सनद से मिलती है।

474 ‑حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى، إِلاَّ أُمَّ هَانِئٍ، فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ، فَسَبَّحَ

474 - अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला (ﷺ) कहते हैं कि सय्यदा उम्मे हानी के अलावा मुझे किसी ने नहीं बताया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) को ज़ुहा (यानी चाश्त) की नमाज़ पढ़ते देखा है। वह बयान करती हैं कि फतहे मक्का के दिन रसूलुल्लाह(ﷺ) उनके घर तशरीफ़ लाये। आप(ﷺ) ने गुस्ल फ़र्माया और आठ रकअतें पढ़ीं, इससे हल्की नमाज़ पढ़ते हुए मैंने आप(ﷺ) को कभी नहीं देखा। लेकिन (इस के बावजूद)

ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاَةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.

आप रुकू और सज्दा को पूरा कर रहे थे।

बुखारी: 357. मुस्लिम: 336. अबू दाऊद: 1290. इब्ने माजा: 614. निसाई: 225.

तौज़ीह: ज़ुहा के मआनी हैं दिन का चढ़ना और इश्राक़ का मतलब है तुलूए आफताब, पस जब आफताब तुलू होकर एक नेज़े के बराबर बलंद हो जाए तो उस वक़्त नवाफ़िल का पढ़ना नमाज़े इश्राक़ कहलाता है। मुख़्तलिफ़ रिवायात से पता चलता है कि इश्राक़ की रकअतें दो, चार या आठ हैं।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इमाम अहमद (رحمه الله) के नज़दीक इस मसले में सबसे सहीह हदीस उम्मे हानी(رضي الله عنها) की है। नईम रावी के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। बअज़ इन्हें नईम बिन खम्मार और बअज़ इब्ने हम्मार कहते हैं, इब्ने हुबार भी कहा जाता है और इब्ने हम्माम भी जबकि सहीह इब्ने हुबार है।

नीज़ अबू नईम ने इस में वहम करते हुए इब्ने खम्मार कहकर गलती की है, फिर उसने यह लफ़्ज़ छोड़ कर सिर्फ़ यह कहा है कि नईम (नबी(ﷺ) से रिवायत करते हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:अब्द बिन हुमैद ने भी मुझे अबू नईम से यही हदीस सुनाई है।

475 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ السِّمْنَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي ذَرٍّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ.

475 - सय्यदना अबू दर्दा या सय्यदना अबू ज़र(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि अल्लाह तआला ने फ़र्माया: ''ऐ इब्ने आदम दिन के शुरू में तू मेरे लिए चार रकअत पढ़ ले मैं सारा दिन तेरे कामों के लिए काफी हो जाऊँगा।''

सहीह.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

476 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ نَهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ

476 - सय्यदना अबू हुरैरा(رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जो शख़्स इशराक़ की दो नमाज़ों पर हमेशगी करता है तो उसके गुनाह समुन्दर के झाग के बराबर

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ.

भी हों तो बख़्शा दिए जाते हैं।''

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 1382.

तौज़ीह: ज़बद किसी भी चीज़ की झाग।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: वकीअ, नज़्र बिन शुमैल और दीगर अइम्मए हदीस ने भी इस हदीस को नुहास बिन कुहम से रिवायत किया है और सिर्फ़ इसी की सनद से मिलती है।

477 -حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ البَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ العَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لاَ يَدَعُ، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ لاَ يُصَلِّي.

477 - सय्यदना अबू सईद अल ख़ुदरी(رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) बड़ी बाक़ाइदगी से इशराक़ की नमाज़ पढ़ते हत्ता कि हम कहते आप इसे छोड़ेंगे नहीं और इतने दिन तक इसको छोड़े रखते कि हम कहते आप पढेंगे नहीं।

ज़ईफ़.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ.

16. ज़वाल के वक़्त नमाज़ पढ़ना

478 -حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي الوَضَّاحِ هُوَ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ.

478 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन साइब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) सूरज ढलने के बाद जुहर से पहले चार रकअतें पढ़ते और आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''यह ऐसी घड़ी है जिसमें आसमान के दरवाज़े खोले जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि इस में मेरे नेक आमाल चढ़ें।''

सहीह: मुसनद अहमद: 3/311. निसाई फ़िल कुबरा:323.

वज़ाहत: इस मसले में अली और अय्यूब(رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन साइब(رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ नबी(ﷺ) से मर्वी है कि आप(ﷺ) ज़वाले शम्स के बाद चार रकअ़तें पढ़ते थे और आख़िरी रकअ़त में ही सलाम फेरते थे।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الحَاجَةِ.

479 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ البَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ (ح) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكْرٍ، عَنْ فَائِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللهِ حَاجَةٌ، أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللهِ، وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لِيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لاَ تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ، وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ، وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

17. नमाज़े हाजत का बयान.

479 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जिस शख़्स को अल्लाह तआला या किसी इंसान के साथ ज़रूरत का काम हो तो उसे चाहिए कि अच्छी तरह वुज़ू करे फिर दो रकअ़तें पढ़े, फिर अल्लाह तआला की तारीफ़ व सना करे और नबी(ﷺ) पर दरूद भेजे फिर यह दुआ पढ़े: अल्लाह बड़े अर्श का परवरदिगार पाक है, ऐ अल्लाह! मैं तुझसे तेरी रहमत के वाजिब करने वाली चीज़ों का, तेरी मगफिरत को लाजिम करने वाले कामों का, हर नेकी के हुसूल और हर गुनाह से बचने का सवाल करता हूँ। मेरा हर गुनाह मुआफ़ करदे और ऐ सबसे बड़े रहम करने वाले। मेरी हर वह ज़रूरत जो तुझे अच्छी लगती है उसे पूरा कर दे।

ज़ईफ़ुन जिद्दा: इब्ने माजा: 1384. हाकिम: 1/320.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और इसकी सनद के बारे में मुहद्दिसीन ने कलाम किया है। फ़ाइद बिन अब्दुर्रहमान हदीस में ज़ईफ़ है और फ़ाइद की कुनियत अबुल वर्का है।

18. नमाज़े इस्तिखारा का तरीक़ा

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الاِسْتِخَارَةِ.

480 - जाबिर बिन अब्दुल्लाह(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) हमें तमाम कामों में इस्तिखारा करना ऐसे ही सिखाते थे जिस तरह हमें कुरआन की कोई सूरत सिखाते थे। आप(ﷺ) फ़रमाते: जब तुम में से कोई शख़्स किसी काम का इरादा करे तो फर्ज़ों के अलावा दो रकअतें पढ़े, फिर यह दुआ पढ़े:'' ऐ अल्लाह! यकीनन मैं इस काम में तुझ से तेरे इल्म की मदद से खैर माँगता हूँ और हुसूले खैर के लिए तुझसे तेरी कुदरत के ज़रिये इस्तिताअत माँगता हूँ, और मैं तुझसे तेरा फजले अजीम माँगता हूँ, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है और मैं किसी चीज़ पर कादिर नहीं, तु हर काम का अंजाम जानता है और मैं कुछ नहीं जानता और तू तमाम गैबों को जानने वाला है। इलाही अगर तू जानता है कि यह काम जिसका मैं इरादा रखता हूँ मेरे लिए मेरे दीन, मेरी ज़िंदगी और मेरे अंजाम कार के लिहाज़ से बेहतर है तू उसे मेरे लिए मुक़द्दर कर और आसान कर, फिर इस में मेरे लिए बरकत फ़रमा, और अगर तेरे इल्म में यह काम मेरे लिए मेरे दीन, मेरी ज़िंदगी और मेरी अंजाम कार के लिहाज़ से बुरा है तू इस काम को

480 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاصْرِفْهُ

عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ.

मुझसे और मुझे इस से फेर दे। और मेरे लिए जहाँ (कहीं भी) भलाई हो मुहय्या कर फिर मुझे इस के साथ राजी कर दे।और नबी(ﷺ) ने फ़र्माया कि (अपनी हाजत का नाम ले।''

बुखारी: 1162. अबू दाऊद: 1538. इब्ने माजा: 1383. निसाई: 3253.

तौज़ीह: (الإِسْتِخَارَةِ) : का मतलब होता है खैर या भलाई तलब करना, यानी जिस काम का इरादा है उस में बन्दा अल्लाह से खैरो भलाई का सवाल करता है, और यह काम का इरादा रखने वाले को खुद करना चाहिए किसी दूसरे से नहीं करवाया जा सकता है और ना ही इस से मुश्किलात से छुटकारा का ज़रिया समझा जा सकता है। जैसा कि आज कल यह काम आम हो रहा है।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद और अबू अय्यूब(رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जाबिर(رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह ग़रीब है। हमें यह हदीस सिर्फ़ अब्दुर्रहमान बिन अबू अल मवाली के वास्ता से ही मिलती है। जो कि मदनी और सिक़ह् रावी हैं। सुफ़ियान ने भी उनसे एक हदीस रिवायत की है और अब्दुर्रहमान से कई अइम्मए हदीस ने रिवायत की है। उनका नाम अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन अबी अल मवाली है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ التَّسْبِيحِ.

19. नमाज़े तस्बीह का बयान

481 - دَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، غَدَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي صَلاَتِي، فَقَالَ: كَبِّرِي

481 - सय्यदना अनस बिन मालिक(رضي الله عنه) बयान करते हैं कि एक दिन उम्मे सुलैम(رضي الله عنها) सुबह के वक़्त नबी(ﷺ) के पास गयीं और कहने लगीं: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कुछ ऐसे कलिमात सिखाएं जिन्हें मैं नमाज़ में पढ़ सकूं तो आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''तुम दस मर्तबा अल्लाहु अकबर, दस मर्तबा सुब्हान अल्लाह, और दस मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहो फिर जो चाहे मांगो, जवाब देते हुए

اللَّهَ عَشْرًا، وَسَبِّحِي اللَّهَ عَشْرًا، وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا، ثُمَّ سَلِي مَا شِئْتِ، يَقُولُ: نَعَمْ نَعَمْ.

अल्लाह तआला कहते हैं: हाँ मेरे बन्दे हाँ मेरे बन्दे।

हसनुल इस्नाद: निसाई: 1299 मुसनद अहमद: 3/ 120
इब्ने हिब्बान: 2011 हाकिम: 1/ 255.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अम्र, फ़ज़ल बिन अब्बास और अबू राफ़े(ﷺ) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अनस(ﷺ) की हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ नमाज़े तस्बीह के बारे में बहुत सी रिवायात मन्कूल हैं लेकिन उन में से अक्सर सहीह नहीं हैं।

अब्दुल्लाह बिन मुबारक और दीगर उलमा ने भी नमाज़े तस्बीह का ज़िक्र किया है और उसकी फ़ज़ीलत भी बयान की है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: हमें अहमद बिन अब्दा अल आमुली ने बयान किया है कि अबू वहब कहते हैं: मैंने अब्दुल्लाह बिन मुबारक (ﷺ) से उस नमाज़ के बारे में पूछा जिस में तस्बीहात की जाती हैं तो उन्होंने फ़र्माया: ऐसी नमाज़ पढ़ने वाला अल्लाहु अकबर कह कर नमाज़ शुरू करे, फिर(سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ) पढ़े फिर 15 मर्तबा(سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ) फिर तअव्वज़ु और तस्निया के बाद सूरह फातिहा की तिलावत करे और साथ कोई और सूरत भी पढ़े, फिर दस मर्तबा यही तस्बीह कहे, फिर रुकू करे और उस में भी दस मर्तबा ही तस्बीह कहे और रुकू से सर उठा कर भी दस मर्तबा, सज्दा में भी दस मर्तबा सज्दे से सर उठा कर (जलसे में) भी दस मर्तबा, फिर दूसरे सज्दे में दस दफ़ा, फिर इसी तरह चार रकअ़तें पढ़े तो यह हर रकअ़त में 75 तस्बीहात बनती हैं, हर रकअ़त की इब्तिदा पन्द्रह तस्बीहात से करे फिर किरअ़त के बाद दस मर्तबा अगर रात को नमाज़ पढ़ता है तो मेरे नज़दीक दो रकअ़तों के बाद सलाम फेर दे और अगर दिन के वक़्त पढ़ता है तो चाहे सलाम फेरे या ना फेरे।

अबू वहब कहते हैं, अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी रजमा ने अब्दुल्लाह बिन मुबारक (ﷺ) से यह बयान किया है कि रुकू में तीन दफ़ा :सुब्हान रब्बियल अज़ीम और सज्दा में तीन दफा : सुब्हान रब्बियल आला कहने के बाद यह तस्बीहात करनी चाहिये।

अहमद बिन अब्दा कहते हैं: हमें वहब बिन ज़मआ ने बताया कि मुझे अब्दुल अज़ीज़ अबी रजमा ने कहा कि मैं अब्दुल्लाह बिन मुबारक (ﷺ) से पूछा: ''अगर नमाज़ में कुछ भूल जाए तो किया सज्द-ए-सह्व में भी 10 - 10 मर्तबा मज़कूरा तस्बीहात पढ़े?'' तो उन्होंने फ़र्माया: ''नहीं यह तीन सौ तस्बीहात ही हैं।''

482 ‑ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ العُكْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ: يَا عَمِّ أَلاَ أَصِلُكَ، أَلاَ أَحْبُوكَ، أَلاَ أَنْفَعُكَ، قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: يَا عَمِّ، صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةٍ، فَإِذَا انْقَضَتِ القِرَاءَةُ، فَقُلْ :اللَّهُ أَكْبَرُ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ، ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا،ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ، فَتِلْكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَهِيَ ثَلاَثُمِائَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ غَفَرَهَا اللَّهُ لَكَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَهَا فِي يَوْمٍ، قَالَ: إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَهَا فِي يَوْمٍ فَقُلْهَا فِي جُمْعَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَهَا فِي

482 - सय्यदना अबू राफ़े(رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सय्यदना अब्बास (رضي الله عنه) से फ़रमाया, ऐ चचा जान! क्या मैं आप से सिला रहमी न करूं? क्या मैं आपको फायदा वाला काम न बताऊँ?'' उन्होंने कहा: ''ऐ अल्लाह के रसूल! क्यों नहीं। (यह काम ज़रूर कीजिए)'' आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ऐ चचा जान चार रकअत पढ़ें और हर रकअत में सूरह फातिहा और कोई दूसरी सूरत पढ़ें, जब किरअत से फ़ारिग हो जाएँ तो अल्लाहु अकबर, वलहम्दुलिल्लाहि, व सुब्हानल्लाहि व ला इलाहा इल्ललल्लाहु रुकू से पहले 15 मर्तबा कहें, फिर 10 दफ़ा रुकू में कहें, फिर रुकू से सर उठा कर (कौमा) में 10 मर्तबा कहें, फिर सज्दा में 10 मर्तबा, फिर सज्दे से सर उठा कर जलसे में 10 मर्तबा, फिर दूसरे सज्दे में 10 मर्तबा, फिर सज्दे से उठकर खड़े होने से पहले (जलसे इस्तिराहत में) 10 दफ़ा, तो यह हर रकअत में 75 और 4 रकअत में तीन सौ तस्बीहात हो गयीं। अगर आप के गुनाह रेत के ढेरों की मानिन्द भी हो तो अल्लाह तआला उन्हें बख़्श देगा।'' अब्बास(رضي الله عنه) ने कहा: ''ऐ अल्लाह के रसूल! रोजाना यह काम करने की ताक़त कौन रखता है?'' नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''अगर आप हर रोज़ इसको पढ़ने की ताक़त नहीं रखते तो हर जुमा में एक मर्तबा पढ़ लें, अगर हर जुमा में

جُمُعَةٍ فَقُلْهَا فِي شَهْرٍ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ لَهُ، حَتَّى قَالَ: فَقُلْهَا فِي سَنَةٍ.

पढ़ने की ताक़त नहीं तो महीने में, एक बार पढ़ लें।'' आप(ﷺ) उन से कहते रहे यहाँ तक कि आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''साल में एक मर्तबा पढ़ लो।''

(482) सहीह इब्ने माजा: 1386.

तौज़ीह: अहले दुनिया को सात की मुद्दत मालूम है, मुसलमानों के यहाँ जुमा से, यहूदियों के यहाँ हफ्ता, और ईसाइयों के यहाँ इतवार के दिन इस मुद्दत का आगाज़ होता है। जिस तरह ''हफ्ता'' एक खास दिन का नाम है और उस सात दिनों की मुद्दत को भी हफ्ता कहते हैं, इसी तरह ''जुमा'' भी एक ख़ास दिन का नाम है और इस सात दिन की मुद्दत को भी ''जुमा'' कहते हैं। अरबी में इन सात दिनों की मुद्दत को ''उस्बू'' कहते हैं। इस तफसील को सामने रखें तो मालूम होता है कि मज़कूरा हदीस का मंशा यह नहीं है कि नमाज़े तस्बीह हर जुमा के दिन पढ़ो बल्कि मकसद यह है कि पूरे सात दिनों में किसी भी वक़्त पढ़ लो इसलिए नमाज़े तस्बीह के लिए सिर्फ़ जुमा के दिन ख़ास कर लेना दुरुस्त नहीं है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (रहि०) फ़रमाते हैं: अबू राफ़े(रज़ि०) की सनद से यह हदीस गरीब है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

20 - नबी (ﷺ) पर दरूद भेजने का तरीक़ा.

483 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَالأَجْلَحِ، وَمَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَلِمْنَا، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ

483 - सय्यदना काब बिन उज्रा(रज़ि०) बयान करते हैं: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! आप पर सलाम भेजना तो हम जानते हैं (लेकिन) आप पर दरूद पढ़ने का तरीक़ा क्या है?''नबी(ﷺ) ने फ़र्माया:'' तुम कहो : ऐ अल्लाह! तु मुहम्मद(ﷺ) पर और आले मुहम्मद पर (इस तरह) रहमत भेज जिस तरह तूने इब्राहीम (अलैहि।) पर रहमत भेजी थी। बेशक तू तारीफ़ वाला बुज़र्गी वाला है और तू बरकत फ़रमा मुहम्मद(ﷺ) और आले मुहम्मद पर जिस तरह तूने इब्राहीम

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،

अलैहि.) पर बरकत फ़रमायी थी बेशक तू तारीफ़ वाला बुज़ुर्गी वाला है।''

बुखारी: 3370. मुस्लिम: 406. अबू दाऊद:976. इब्ने माजा: 904.निसाई: 1287., 1289.

वज़ाहत: महमूद कहते हैं कि अबू उसामा का कौल है कि जाईदा ने आमश से बवास्ता हकम, अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से बयान किया है कि हम यह भी कहते थे कि उनके साथ हम पर भी रहमत फ़रमा।

इस मसले में अली, अबू हुमैद, अबू मसऊद, अबू सईद, बुरैदा, ज़ैद बिन खारिजा या जारिया और अबू हुरैरा(ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: काब बिन उज्रा(ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। और अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला की कुनियत अबू ईसा थी और अबू लैला का नाम यसार था।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

21 - नबी (ﷺ) पर दरूद भेजने की फ़ज़ीलत.

484 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ابْنُ عَثْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَيْسَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً.

484 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''क़यामत के दिन मेरे सब से ज़्यादा करीब वह शख़्स होगा जो कसरत से मुझ पर दरूद भेजने वाला होगा।''

ज़ईफ़: अबू याला: 5011. इब्ने हिब्बान:911.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। नीज़ मर्वी है कि नबी अकरम(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जो शख़्स मुझ पर एक दरूद भेजेगा अल्लाह तआला उसके बदले में उस आदमी पर दस रहमतें फ़रमाएगा और उस के लिए दस नेकियाँ लिख देगा।''

485 - सय्यदना अबू हुरैरा(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: जो शख़्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजेगा अल्लाह तआला उस के बदले उस शख़्स पर दस रहमतें फ़रमाएगा।''

मुस्लिम: 408. अबू दाऊद: 1530. निसाई: 1296.

485 ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ العَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुर्रहमान बिन औफ़, आमिर बिन रबीआ, अम्मार, अबू तल्हा, अनस और उबय बिन काब(رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा(رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। सुफ़ियान सौरी और दीगर उलमा कहते हैं कि रब के सलात भेजने से मुराद रहमत है और फरिश्तों की सलात से मुराद बख़्शिश की दुआ करना है।

486 - सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब(رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि जब तक तुम नबी(ﷺ) पर दरूद नहीं पढ़ोगे तो दुआ ज़मीन और आसमान के दर्मियान खड़ी रहेगी कुछ भी ऊपर नहीं जाएगा।

हसन: 1676.

486 ـ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْمَصَاحِفِيُّ البَلْخِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ الأَسَدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاَ يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ ﷺ

487 - अला बिन अब्दुर्रहमान बिन याकूब अपने बाप से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब(رضي الله عنه) ने फ़रमाया: ''हमारे बाज़ार में वही तिजारत कर सकता है जो दीन में फोकाहत (समझ) रखता हो।''

हसनुल इस्नाद: तोहफतुल अशराफ़: 10658.

487 ـ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ العَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ العَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: لاَ يَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلاَّ مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ.

वज़ाहत: यह हदीस हसन गरीब है। इब्ने अब्बास अब्दुल अजीम का बेटा है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अला बिन अब्दुर्रहमान याकूब के बेटे हैं जो हिर्क़ा के आज़ादकर्दा थे और अला ताबेई हैं उन्होंने अनस बिन मालिक(رضي الله عنه) वग़ैरह से सुना है। और अला के वालिद अब्दुर्रहमान बिन याकूब भी ताबेई हैं, अबू हुरैरा, अबू सईद और इब्ने उमर(رضي الله عنه) से सिमा (सुनना) किया है। जबकि अला के दादा याकूब किबारे ताबेईन में से हैं, उन्होंने उमर बिन ख़त्ताब(رضي الله عنه) का दौर पाया है और उनसे रिवायत भी की है।

ख़ुलासा

- वित्र रात की नमाज़ जो सुबह के साथ मिला कर पढ़ी जाए।
- वित्र 1, 3, 5 जितने चाहे पढ़े जा सकते हैं।
- वित्र फ़र्ज़ नमाज़ों की तरह वाजिब नहीं है।
- जो शख़्स तहज्जुद के वक़्त न उठ सकता हो, उसे इशा के साथ ही वित्र पढ़ लेना चाहिए।
- वित्र में मस्नून किरअत की जाए और दुआए क़ुनूत भी मस्नून पढ़ी जाए।
- दुनियावी उमूर में कोई भी काम करने से पहले इस्तिखारा करें।
- काम करने वाला खुद इस्तिखारा करे किसी और से करवाना मस्नून नहीं है।
- नमाज़े तस्बीह गुनाहों के मिटाने का ज़रिया है और उसके लिए जुमा का दिन ख़ास करना दुरुस्त नहीं है।
- नमाज़े तस्बीह में (300) तीन सौ तस्बीहत हैं।
- नबी(ﷺ) पर कसरत से दरूद पढ़ा जाए क्योंकि ज़्यादा दरूद भेजने वाला आप(ﷺ) के ज़्यादा करीब होगा।
- दुआ में नबी(ﷺ) पर दरूद ज़रूर पढ़ें।

मज़मून नम्बर 4.

أَبْوَابُ الْجُمُعَةِ

अहादीसे रसूल ﷺ से मर्वी जुमतुल मुबारक का बयान

तआरुफ़

(129) अहादीसे रसूल(ﷺ) के साथ (80) अबवाब पर मुश्तमिल इस उन्वान के तहत मुन्दर्जा जेल मसाइल पर गुफ्तगू होगी.

- जुमा की फर्ज़िय्यत, अहमियत और आदाब व मसाइल?
- ईदुल फ़ित्र व ईदुल अज़्हा का तरीक़ा व अहकाम?
- नमाज़े इस्तिस्क़ा का तरीक़ा और मक़सद?
- नमाज़े कुसूफ़ क्या होती है और पढ़ने का तरीक़ा क्या है?
- नमाज़े खौफ़ कौन सी नमाज़ को कहा जाता है?
- सज्द- ए- तिलावत की फ़ज़ीलत?
- मसाजिद के अहकाम?
- क़यामत के दिन अहले ईमान की निशानी क्या होगी?

1 - जुमा के दिन की फ़ज़ीलत.

بَابُ مَا جَاءَ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

488 - سय्यदना अबू हुरैरा(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(صلى الله عليه وسلم) ने फ़र्माया: ''जिन अय्याम पर सूरज तुलूअ होता है उनमें बेहतरीन दिन जुमा है, उसमें आदम (अलैहि।) पैदा किये गए, उसी दिन जन्नत में दाखिल किये गए, उसी दिन ही जन्नत से निकाले गए और क़यामत भी जुमा के दिन ही कायम होगी।

मुस्लिम: 854. अबू दाऊद: 1046. निसाई: 1373.

488 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

वज़ाहत: इस मसले में अबू लुबाबा, सलमान, अबू ज़र, साद बिन उबादा और औस बिन औस(رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा(رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

2 - जुमा के दिन वह घड़ी जिस में (क़ुबूलियते दुआ की) उम्मीद की जाती है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

489 - सय्यदना अनस बिन मालिक(رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(صلى الله عليه وسلم) ने फ़र्माया: ''जुमा के दिन वह घड़ी जिस में (क़ुबूलियते दुआ की) उम्मीद की जाती है। उसे असर के बाद से लेकर सूरज गुरूब होने तक तलाश करो।''

हसन.

489 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الهَاشِمِيُّ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ بَعْدَ العَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस गरीब है। नीज़ यही हदीस सय्यदना अनस बिन मालिक(रज़ि०) से और सनद के साथ भी मर्वी है। मुहम्मद बिन अबी हुमैद ज़ईफ़ रावी है।

उसे बअज़ उलमा ने उसके हाफ़ज़े की वजह से ज़ईफ़ कहा है। उसे हम्माद बिन अबी हुमैद और अबू इब्राहीम भी कहा जाता है और यह मुन्करूल हदीस है। नबी(ﷺ) के सहाबा(رضي الله عنهم) और दीगर लोगों में से बअज़ अहले इल्म के मुताबिक़ जिस घड़ी में दुआ कुबूल होने की उम्मीद होती है वह असर से मग़रिब के दर्मियान है। इमाम अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हैं।

इमाम अहमद (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ''दुआ की कुबूलियत वाली घड़ी के बारे में अक्सर अहादीस यही है कि वह नमाज़े अस्र के बाद है और सूरज ढलने के बाद भी उम्मीद है।''

490 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ البَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، قَالَ :حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ فِي الجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يَسْأَلُ اللَّهَ العَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ إِلَى انْصِرَافٍ مِنْهَا.

490 - कसीर बिन अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन औफ़ अल्मुज़्नी अपने बाप से वह अपने दादा (अम्र बिन औफ़(رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''बेशक जुमा के दिन में एक ऐसी घड़ी है जिस में बन्दा अल्लाह से जो भी माँगता है अल्लाह उसे अता कर देता है।'' सहाबए किराम(رضي الله عنهم) ने कहा: ''ऐ अल्लाह के रसूल ! वह कौन सी घड़ी है।'' आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''नमाज़े जुमा की इक़ामत से लेकर फ़ारिग़ होने तक।''

ज़ईफ़ुन जिद्दा: इब्ने माजा:1138.तोहफतुल अशराफ़:10773.

वज़ाहत: इस मस्ले में अबू मूसा, अबू ज़र, सलमान, अब्दुल्लाह बिन सलाम, अबू लुबाबा, साद बिन उबादा और अबू उमामा(رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अम्र बिन औफ़(رضي الله عنه) की हदीस हसन गरीब है।

491 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ

491 - सय्यदना अबू हुरैरा(رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जिन अय्याम पर सूरज तुलू होता है उनमें बेहतरीन दिन जुमा है, आदम (अलैहि।) को इसी दिन

بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وَفِيهِ أُهْبِطَ مِنْهَا، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّي فَيَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلاَمٍ فَذَكَرْتُ لَهُ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِتِلْكَ السَّاعَةِ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِهَا وَلاَ تَضْنَنْ بِهَا عَلَيَّ، قَالَ: هِيَ بَعْدَ العَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، قُلْتُ :فَكَيْفَ تَكُونُ بَعْدَ العَصْرِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي؟ وَتِلْكَ السَّاعَةُ لاَ يُصَلَّى فِيهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ :أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ؟، قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَهُوَ ذَاكَ.

पैदा किया गया और इसी दिन जन्नत में दाखिल किये गए और इसी दिन में ही उस से उतारे गए और उसमें एक ऐसी घड़ी है कि मुसलमान बन्दा नमाज़ पढ़ते हुए उसको पा ले तो अल्लाह से जो भी मांगेगा अल्लाह उस को अता करेंगे। अबू हुरैरा(رضي الله عنه) कहते हैं: फिर जब मैं अब्दुल्लाह बिन सलाम(رضي الله عنه) से मिला तो उन्हें यह हदीस बयान की तो उन्होंने फ़र्माया: ''मैं इस घड़ी को सब से ज़्यादा जानता हूँ।'' मैंने कहा: ''आप मुझे बताइये और बताने में कंजूसी न करें।'' उन्होंने फ़र्माया: वह घड़ी असर से लेकर सूरज गुरूब होने तक है।''मैंने कहा: ''वह असर के बाद कैसे हो सकती है जब कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जो बन्दा नमाज़ पढ़ते हुए उसे पा लेता है'' और उस वक़्त में नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती। तो अब्दुल्लाह बिन सलाम(رضي الله عنه) ने फ़र्माया: ''क्या रसूलुल्लाह(ﷺ) ने यह नहीं फ़र्माया कि जो शख़्स किसी जगह बैठ कर नमाज़ का इन्तिज़ार करता है तो वह नमाज़ ही में होता है? मैंने कहा: ''क्यों नहीं'' ज़रूर फ़र्माया है) उन्होंने कहा; ''यह वही चीज़ है।''

सहीह:अबू दाऊद: 1046. निसाई: 1430.

तौज़ीह: : **तज़्नन :** यह बात बताने में बखीली न करें, ज़नीन बखील को कहते हैं यह लफ़्ज़ क़ुरआन में भी आया है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस हदीस में एक तवील क़िस्सा है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

(أَخْبِرْنِي بِهَا وَلاَ تَضْنَنْ بِهَا عَلَيَّ :) का मतलब आप बखीली से काम न लें। ज़नीन बखील को कहते हैं। जबकि ज़नीन वह शख़्स होता है जिस पर तोहमत लगाई जाए और लोग उस से बद जन हों।

3 - जुमा के दिन गुस्ल करना.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِغْتِسَالِ يَوْمَ الجُمُعَةِ.

492 - सालिम अपने बाप अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना : ''जो शख़्स जुमा के लिए आये तो उसे गुस्ल कर लेना चाहिए।''

बुखारी: 877. मुस्लिम: 844. इब्ने माजा: 1088. निसाई: 1406.

492 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنْ أَتَى الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद, उमर, जाबिर, बरा, आयशा और अबू दर्दा(رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

493 - जोहरी से अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उमर के वास्ते के साथ भी अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) से नबी(ﷺ) की उस जैसी हदीस मर्वी है।

यह हदीस भी सहीह है जैसा कि उसकी सराहत इमाम बुखारी कर रहे हैं। मुस्लिम: 2/3. मुसनद अहमद: 2/20.

493 - وَرُوِي عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الحَدِيثُ أَيْضًا، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مِثْلَهُ.

वज़ाहत: मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) फ़रमाते है: ''जोहरी की सालिम के वास्ते से अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) की रिवायत और अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उमर की अपने बाप से रिवायत यह दोनों हदीसें सहीह हैं।''

जोहरी के बअज़ शागिर्द कहते हैं कि जोहरी फ़रमाते हैं: मुझे अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) की आल ने अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) की तरफ़ से हदीस बयान की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर, सय्यदना उमर(رضي الله عنه) से नबी(ﷺ) से जुमा के दिन ग़ुस्ल के बारे में इसी तरह रिवायत करते हैं और वह हदीस भी हसन सहीह है।

494 -رَوَاهُ يُونُسُ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ :مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ وَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ، قَالَ: وَالوُضُوءُ أَيْضًا، وَقَدْ عَلِمْتَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالغُسْلِ

494 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) से रिवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब(رضي الله عنه) जुमा के दिन ख़ुत्बा दे रहे थे कि नबी(ﷺ) के सहाबा में से एक आदमी आया तो उमर(رضي الله عنه) ने कहा: ये कौन सा वक़्त है, उसने कहा मैंने अज़ान सुनी और वुज़ू से ज़्यादा कुछ नहीं कर सका। उमर (رضي الله عنه)ने फ़र्माया: ''सिर्फ़ वुज़ू को काफी समझा जबकि आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ग़ुस्ल का हुक्म दिया है।''

सहीह: मुसनद अहमद: 1/29. बुखारी:2/2 मुस्लिम: 2/3.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमें अबू बक्र मुहम्मद बिन अबान ने अब्दुर्रज़्ज़ाक़ के तरीक से बवास्ता मामर जोहरी से यह हदीस बयान की है।

495 - وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الحَدِيثِ.

وَرَوَى مَالِكٌ هَذَا الحَدِيثَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ :بَيْنَمَا عُمَرُ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ.

495 - तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं: हमें अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान ने, उन्हें अबू सालेह अब्दुल्लाह बिन सालेह ने बवास्ता यूनुस, जोहरी से यह हदीस बयान की है।

बुखारी:878. मुस्लिम: 845. अबू दाऊद:340.

वज़ाहत: इमाम मालिक (رحمه الله) ने यह हदीस जोहरी से बवास्ता सालिम रिवायत की है कि उमर बिन खत्ताब(رضي الله عنه) जुमा के दिन के खुत्बा दे रहे थे, फिर वही हदीस ज़िक्र की।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मैंने इस हदीस के बारे में मुहम्मद (अल बुख़ारी रहिमहुल्लाह) से पूछा तो

उन्होंने फ़र्माया:''जोहरी की सालिम के वास्ता के साथ अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत सहीह है।''

मुहम्मद (बिन इस्माईल बुखारी रहिमहुल्लाह) फ़रमाते हैं: ''इसी तरह मालिक से, जोहरी के तरीक से बवास्ता सालिम उनके बाप से ऐसी ही हदीस रिवायत की गयी है।''

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

4 - जुमा के दिन ग़ुस्ल करने की फ़ज़ीलत.

496 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ :حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، وَأَبِي جَنَابٍ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ الحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَغَسَّلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا .قَالَ مَحْمُودٌ: قَالَ وَكِيعٌ: اغْتَسَلَ هُوَ وَغَسَّلَ امْرَأَتَهُ.

496 - सय्यदना औस बिन औस(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया: ''जो शख़्स जुमा के दिन ग़ुस्ल करे और अपनी बीवी को ग़ुस्ल करवाये और जल्दी चले, इमाम का इब्तिदाई खुत्बा पाए, खुत्बा गौर से सुने और ख़ामोश रहे तो जो क़दम वह चलता है हर क़दम के बदले एक साल के रोजों और कयाम का अज्र है।''

सहीह: अबू दाऊद: 345. इब्ने माजा:1087. निसाई: 1381

तौज़ीह: इस से मुराद बीवी के साथ हम बिस्तरी करना है क्योंकि ऐसा करना उस के दिल के लिए तस्कीन और निगाह को झुकाने का बाइस है।

वज़ाहत: इस हदीस के बारे में महमूद कहते हैं कि वकीअ का कौल है जो ग़ुस्ल करे और अपनी बीवी को ग़ुस्ल करवाए। इस हदीस की शरह में अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं: ''مَن غَسَّلَ اغتسلَ: का मतलब है कि अपने सर को धोये और ग़ुस्ल करे।''

इस मसले में अबू बक्र, इमरान बिन हुसैन, सलमान, अबू ज़र, अबू सईद, इब्ने उमर और अबू अय्यूब (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: औस बिन औस(رضي الله عنه) की हदीस हसन है। और अबू अल अशअश अस्सनआनी का नाम शराहील बिन आदा है और अबू जनाब यहया बिन हबीब अल क़स्साब अल कूफी है।

5- जुमा के दिन वुज़ू करना (यानी ग़ुस्ल न करना)

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

497 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ الجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسٍ.

497 - सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जिस शख़्स ने जुमा के दिन वुज़ू किया तो वह भी उस के लिए दुरुस्त और अच्छा है और जो शख़्स ग़ुस्ल करे तो ग़ुस्ल अफ़ज़ल है।''

सहीह: अबू दाऊद: 354. निसाई: 1380.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, अनस और आयशा(رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: समुरह(رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ क़तादा के बअज़ शागिर्दों ने इस हदीस को क़तादा से बवास्ता हसन, समुरह बिन जुन्दुब(رضي الله عنه) से रिवायत किया है और बअज़ ने क़तादा से बवास्ता हसन, नबी(ﷺ) से मुर्सल रिवायत की है।

नबी(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए जुमा के दिन ग़ुस्ल को बेहतर कहते हैं और उनके मुताबिक़ जुमा के दिन ग़ुस्ल की जगह वुज़ू भी काफी हो जाएगा।

इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) फ़रमाते हैं: नबी(ﷺ) का जुमा के दिन ग़ुस्ल करने का हुक्म देना इख़्तियारी है लाज़मी नहीं। इसकी दलील उमर(رضي الله عنه) की हदीस है, जब उन्होंने उस्मान(رضي الله عنه) से कहा था वुज़ू भी ठीक है जब कि आप जानते हैं कि नबी(ﷺ) ने जुमा के दिन ग़ुस्ल का हुक्म दिया है। अगर उन दोनों के इल्म में यह बात होती कि आप(ﷺ) का हुक्म लाज़मी था इख़्तियारी नहीं तो सय्यदना उमर सय्यदना उस्मान(رضي الله عنه) को वापस किये बग़ैर न छोड़ते और उनसे कहते कि वापस जाएँ और ग़ुस्ल करके आयें और सय्यदना उस्मान (رضي الله عنه) के इल्म की बिना पर यह हुक्म उनसे मख़्फ़ी न रहता, लेकिन इस हदीस में दलील है कि जुमा के दिन ग़ुस्ल करना अफ़ज़ल है वाजिब नहीं कि किसी आदमी पर ज़रूरी कहा जाए।

498 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ،

498 - सय्यदना अबू हुरैरा(رضي الله عنه) रिवायत करते

عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ، فَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الحَصَى فَقَدْ لَغَا.

हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जिस शख़्स ने वुज़ू किया तो अच्छा वुज़ू किया, फिर जुमा पढ़ने आया तो इमाम के करीब हुआ, कान लगा कर सुना और ख़ामोश रहा, तो उसके उस जुमा से दूसरे जुमा तक और तीन दिन ज़ायद के गुनाह बख़्श दिए जाते हैं। और जो शख़्स कंकरों को छुए उसने भी ग़लत काम किया।

मुस्लिम: 857. अबू दाऊद: 1050. इब्ने माजा: 1090.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبْكِيرِ إِلَى الجُمُعَةِ.

6 - जुमा के लिए जल्दी आना.

499 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

499 - सय्यदना अबू हुरैरा(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जिसने जुमा के दिन जनाबत के गुस्ल की तरह गुस्ल किया फिर जल्दी मस्जिद की तरफ़ चला तो गोया उस ने एक ऊँट कुर्बानी दी और जो दूसरी घड़ी में चला तो गोया उसने गाय की कुर्बानी दी, जो तीसरी घड़ी में चला गोया उसने सींगों वाले मेंढे (या दुम्बे) की कुर्बानी दी, जो चौथी घड़ी में गया उसने मुर्गी का सदक़ा किया और जो पांचवी घड़ी में गया गोया उसने एक अंडा सदक़ा किया, फिर जब इमाम खुत्बा के लिए आ जाए तो फ़रिश्ते भी आकर ज़िक्र को सुनने लगते हैं।

बुखारी:881. मुस्लिम:850.अबू दाऊद:351. इब्ने माजा:1092. निसाई:864.

तौज़ीह: اَلتَّبْكِير: बहुत सवेरे यानी जल्दी चलना दिन का अव्वल हिस्सा हासिल करना।

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अम्र और समुरह(رضی اللہ عنہ) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा(رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है।

7- बगैर उज़्र जुमा छोड़ना.

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ.

500 - सय्यदना अबू अल जअद अज्ज़म्री (رضی اللہ عنہ) से जिन के बारे में मुहम्मद बिन अम्र का ख़याल है कि सहाबी थे रिवायत की है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जो शख़्स तीन मर्तबा जुमा को सुस्ती करते हुए छोड़ दे तो अल्लाह तआला उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं।''

हसन सहीह: अबू दाऊद: 1052. इब्ने माजा: 1125. निसाई: 1369.

500 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ يَعْنِي الضَّمْرِيَّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ فِيمَا زَعَمَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, इब्ने अब्बास और समुरह(رضی اللہ عنہ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: अबू अल जअद अज्ज़म्री(رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ फ़रमाते हैं कि मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से अबू अल जअद अज्ज़म्री(رضی اللہ عنہ) के बारे में पूछा तो वह उनका नाम नहीं जानते थे। और उन्होंने फ़र्माया: ''मेरे इल्म में उनकी नबी(ﷺ) से यही एक हदीस है।''

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस भी हमें सिर्फ़ मुहम्मद बिन अम्र की सनद से ही मिलती है।

8- कितनी दूर से जुमा को आये.

بَابُ مَا جَاءَ مِنْ كَمْ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ.

501 - कुबा का एक आदमी अपने सहाबी बाप से रिवायत करता है कि हमें नबी(ﷺ) ने हुक्म दिया कि हम कुबा से जुमा पढ़ने (मस्जिदे नबवी में) आयें।''

ज़ईफुल इस्नाद.

501 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيْهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْهَدَ الجُمُعَةَ مِنْ قُبَاءَ.

वज़ाहत: इस मसले में सय्यदना अबू हुरैरा(ﷺ) की भी नबी(ﷺ) से एक हदीस मर्वी है लेकिन वह भी सहीह नहीं.

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हमें सिर्फ़ इसी सनद से मिलती है लेकिन इस बारे में नबी(ﷺ) से कुछ भी सहीह (सनद के साथ) साबित नहीं।

नीज़ अबू हुरैरा(رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जुमा उस बन्दे पर वाजिब है जो रात अपने घर में गुज़ारता है।'' इस हदीस की सनद भी ज़ईफ़ है। क्योंकि यह मुआरिक बिन अब्बाद के वास्ते के साथ अब्दुल्लाह बिन सईद अल मक्बुरी से मर्वी है और यहया बिन सईद अल क़त्तान ने अब्दुल्लाह बिन सईद अल मक्बिरी को हदीस में ज़ईफ़ क़रार दिया है।

किस आदमी पर वाजिब है इस बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है, बअज़ कहते हैं : ''जुमा उस पर वाजिब है जो रात अपने घर में बसर करता है।'' बअज़ कहते हैं: ''जिसने अज़ान सुन ली उस पर जुमा वाजिब है।'' इमाम शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है।

502 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الحَسَنِ يَقُولُ :كُنَّا عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَذَكَرُوا عَلَى مَنْ تَجِبُ الجُمُعَةُ، فَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ فِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ: فَقُلْتُ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ أَحْمَدُ: عَنِ ﷺ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ, قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَارِكُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ

502 - सय्यदना अबू हुरैरा(رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जुमा उस आदमी पर वाजिब है जिस ने रात अपने घर में बसर की हो।''

ज़ईफ़ुन जिद्दा: अल-मिश्कात: 1386. तोहफतुल अशराफ़: 12965.

राविये हदीस अहमद बिन हसन कहते हैं यह हदीस सुन कर इमाम अहमद बिन हंबल (رحمه الله) को मुझ पर गुस्सा आया और फ़रमाने लगे: अपने रब से मुआफ़ी मांगो, अपने रब से मुआफ़ी मांगो,

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अहमद बिन हंबल (رحمه الله) ने यह इसलिए कहा था क्योंकि वह इस हदीस को कुछ नहीं समझते थे।

9 - जुमा का वक़्त

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ.

503 - सय्यदना अनस बिन मालिक(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) जुमा उस वक़्त पढ़ते थे जब सूरज ढल जाता था।

बुखारी:904. अबू दाऊद: 1084.

503 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ.

504 - तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमें यहया बिन मूसा ने उन्हें अबू दाऊद अत्तयालिसी ने उन्हें फुलैह बिन सुलैमान ने बवास्ता उस्मान बिन अब्दुर्रहमान अत्तैमी अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से नबी करीम(ﷺ) की इसी तरह की हदीस बयान की है।

504حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، نَحْوَهُ

सहीह अबू दाऊद: 1084. मुसनद अहमद: 3/ 128.

वज़ाहत: इस मसले में सलमा बिन अक्वा, जाबिर और जुबैर बिन अव्वाम(رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: कि अनस(رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और अक्सर उलमा का इसी पर इज्मा है कि जुमा का वक़्त जुहर की तरह सूरज ढलने के बाद का है। इमाम शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है।

बअज़ के नज़दीक अगर नमाज़े जुमा सूरज ढलने से पहले पढ़ ली जाए तो वह भी जायज़ होगी। इमाम अहमद (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ''जो शख़्स ज़वाले शम्स (सूरज ढलने) से पहले पढ़ ले उस पर दोबारा पढ़ना ज़रूरी नहीं है।

10 - मिम्बर पर खुत्बा देना

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ.

505 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) खुजूर के एक तने के साथ टेक लगा कर खुत्बा इरशाद फ़रमाते थे, जब नबी(ﷺ) ने मिम्बर इस्तेमाल किया तो वह तना रोने लगा, यहाँ तक कि आप(ﷺ) उसके पास आये और उसे अपने हाथ से लगाया तो वह ख़ामोश हो गया।

बुखारी: 3583.दारमी:31. इब्ने हिब्बान:6506.

505 - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الفَلاَّسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ العَنْبَرِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ العَلاَءِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ، فَلَمَّا اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ حَنَّ الجِذْعُ حَتَّى أَتَاهُ فَالتَزَمَهُ فَسَكَنَ.

वज़ाहत: इस मसले में अनस, जाबिर, सुहैल बिन साद, उबय बिन काब, इब्ने अब्बास और उम्मे सलमा (رضی اللہ عنہ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर(رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन गरीब सहीह है और मुआज़ बिन अला बसरा का रहने वाला और अम्र बिन अला का भाई है।

11 - दोनों खुत्बों के दर्मियान बैठना.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ.

506 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) जुमा के दिन पहला खुत्बा देते फिर बैठ जाते फिर खड़े होते और दूसरा खुत्बा देते। इब्ने उमर(رضی اللہ عنہ) ने फ़र्माया: ''जिस तरह आज तुम लोग करते हो।''

बुखारी: 920. मुस्लिम:861. अबू दाऊद: 1092. इब्ने माजा:1103 निसाई:1416

506 -حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ، فَيَخْطُبُ، قَالَ: مِثْلَ مَا تَفْعَلُونَ اليَوْمَ.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास, जाबिर बिन अब्दुल्लाह और जाबिर बिन समुरह(رضی اللہ عنہ) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और इसी को अहले इल्म ने इख़्तियार किया है कि इमाम दोनों खुत्बों के दर्मियान बैठ कर वक्फ़ा करे.

12 - छोटा खुत्बा देना.

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَصْرِ الْخُطْبَةِ.

507 - सय्यदना जाबिर बिन समुरह(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैं नबी(ﷺ) के साथ नमाज़ें पढ़ता रहा हूँ। आप की नमाज़ भी दर्मियानी होती थी और खुत्बा भी दर्मियानी होता था।

मुस्लिम: 766. अबू दाऊद: 1101. इब्ने माजा: 1106. निसाई: 1418.

507 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْدًا، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا.

वज़ाहत: इस मसले में अम्मार बिन यासिर और इब्ने अबी औफ़ा(رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जाबिर बिन समुरह(رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

13 मिम्बर पर कुर्आन की किरअत करना

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ.

508 - सफवान बिन याला बिन उमय्या अपने बाप सय्यदना याला बिन उमय्या से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) को सुना आप मिम्बर पर पढ़ रहे थे। {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ}..

बुखारी: 3230. मुस्लिम:871. अबू दाऊद: 3992.

508 -حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ} :وَنَادَوْا يَا مَالِكُ.{

तौज़ीह: आयत का मतलब है कि जहन्नमी लोग तो जहन्नम के दारोगे से जिसका नाम मालिक है कहेंगे कि अपने रब से कहो कि हमारा फैसला कर दे यानी हमें मौत आ जाए।

14 - दौराने खुत्बा इमाम की तरफ़ मुतवज्जह होना.

.بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْبَالِ الإِمَامِ إِذَا خَطَبَ

509 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद(ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा जाते तो हम अपने चेहरे आप की तरफ़ कर लेते।

सहीह: अबू याला: 5410.

509 -حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर(ﷺ) से भी हदीस मर्वी है, और मंसूर की हदीस हमें सिर्फ़ मुहम्मद बिन फ़ज़ल बिन अतिय्या की सनद से ही मिलती है। और मुहम्मद बिन फ़ज़ल बिन अतिय्या हमारे मुहद्दिसीन साथियों के नज़दीक ज़ईफ़ और जाहिबुल हदीस रावी है।

नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए दौराने खुत्बा इमाम की तरफ़ मुंह करने को मुस्तहब कहते हैं। यही कौल सुफियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) का भी है।

तौज़ीह: ज़ाहिबुल हदीस: जो शख़्स अहादीस को भूल जाता हो और अच्छी तरह याद न रख सकता हो उसे ''ज़ाहिबुल हदीस: कहते हैं.

15 - जब इमाम खुत्बा दे रहा हो और कोई आदमी आये तो वह दो रकअतें पढ़े.

.بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

510 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह(ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) जुमा के दिन खुत्बा दे रहे थे तो अचानक एक आदमी आया तो नबी(ﷺ) ने पूछा: ''क्या तूने सुन्नत नमाज़

510 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَلَّيْتَ؟، قَالَ: لاَ، قَالَ: قُمْ فَارْكَعْ.

पढ़ी है?'' उसने कहा: ''नहीं'' तो आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''खड़ा हो और दो रकअत सुन्नत पढ़''

बुखारी: 930. मुस्लिम: 875. अबू दाऊद:1115. इब्ने माजा:1112.निसाई:1395

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इस मसले में सहीह तरीन रिवायत है।

511 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، دَخَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَجَاءَ الحَرَسُ لِيُجْلِسُوهُ، فَأَبَى حَتَّى صَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا: رَحِمَكَ اللَّهُ، إِنْ كَادُوا لَيَقَعُوا بِكَ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأَتْرُكَهُمَا بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَأَمَرَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ.

511 - इयाज़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी सरह रिवायत करते हैं कि सय्यदना अबू सईद अल ख़ुदरी(رضي الله عنه) जुमा के दिन (मस्जिद में) दाखिल हुए तो मरवान खुत्बा दे रहा था। वह खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। पहरेदार आये ताकि उन्हें बिठा दें लेकिन उन्होंने नमाज़ पढ़ने तक बैठने से इनकार किया, जब उन्होंने नमाज़ से फ़रागत हासिल की तो हम उनके पास गए और हमने कहा: ''अल्लाह तआला आप पर रहम फ़रमाए, यह लोग तो आप को पकड़ने के करीब थे तो उन्होंने फ़र्माया: ''जब से मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा है मैं इन नवाफ़िल को नहीं छोड़ सकता।'' फिर उन्होंने ज़िक्र किया कि जुमा के दिन एक आदमी मैली कुचैली हालत में आया और रसूलुल्लाह(ﷺ) खुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे तो आप(ﷺ) ने उसे हुक्म दिया था कि दो रकअतें पढ़े। हालांकि नबी(ﷺ) खुत्बा दे रहे थे।

सहीह: इब्ने माजा: 1113. निसाई:1408.

तौज़ीह: الحَرَس: पहरेदार जो पुलीस मरवान बिन हकम ने बनायी हुई थी।

بَذَّةٍ: मैले कुचैले कपड़ों के साथ।

वज़ाहत: इब्ने अबी उमर फ़रमाते हैं कि सुफ़ियान बिन उयय्ना (رحمه الله) इमाम के ख़ुत्बा के दौरान दो रकअ़तें पढ़ते भी थे और लोगों को हुक्म भी देते थे और अब्दुर्रहमान अल मुकरी भी इसे ज़रूरी कहते हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मैंने इब्ने अबी उमर से सुना वह कह रहे थे सुफ़ियान बिन उयय्ना (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि मुहम्मद बिन अजलान हदीस में मामून और सिक़ह् है। नीज़ इस मसले में जाबिर, अबू हुरैरा और सहल बिन साद(رضي الله عنه) से भी मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू सईद अल ख़ुदरी(رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और बअज़ अहले इल्म का इसी पर अमल है। नीज़ शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हैं। बअज़ कहते हैं कि इमाम के ख़ुत्बे के दौरान अगर कोई शख़्स मस्जिद में आये तो वह बैठ जाए नमाज़ न पढ़े। यह कौल सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा का है लेकिन पहला कौल ज़्यादा सहीह है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमें क़ुतैबा ने बताया कि अलाउद्दीन बिन ख़ालिद अल कर्शी कहते हैं कि मैंने हसन बसरी को देखा वह जुमा के दिन मस्जिद में दाखिल हुए तो इमाम ख़ुत्बा दे रहा था तो वह दो रकअ़तें पढ़ कर बैठे। बेशक हसन बसरी ने भी यह काम हदीस की पैरवी करते हुए किया था और उन्होंने ही नबी(ﷺ) की यह हदीस जाबिर(رضي الله عنه) से रिवायत की है।

16 - जब इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो तो बातें करना मना है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الكَلَامِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

512 - सय्यदना अबू हुरैरा(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जुमा के दिन जब इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो तो जो शख़्स किसी दूसरे आदमी से यह कहे कि ख़ामोश हो जाओ तो उसने भी लग्व काम किया।''

बुखारी: 934. मुस्लिम:851. अबू दाऊद: 1110. निसाई:1401.

512 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَا.

तौज़ीह: हर ग़लत, फुजूल और बे मकसद काम को लग्व कहा जाता है।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अबी औफ़ा और जाबिर बिन अब्दुल्लाह(رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा(رضي الله عنه) की यह हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म इसी पर

अमल करते हुए दौराने खुत्बा किसी के लिए बात करने को मकरूह समझते हैं और वह कहते हैं कि अगर कोई दूसरा शख़्स बात करता है तो उसे इशारा के साथ भी न रोकें.

(उलमा ने) सलाम और छींक के जवाब देने के बारे में इख़्तिलाफ़ किया है। बअज़ अहले इल्म ने दौराने खुत्बा सलाम और छींक का जवाब देने में रूख़्सत दी है। यह कौल अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी है। ताबेईन वग़ैरह में से बअज़ उलमा इसे नापसंद करते हैं.यही कौल शाफ़ेई (رحمه الله) का भी है।

17 - जुमा के दिन लोगों की गर्दनें फलान्गना मना है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّخَطِّي يَوْمَ الجُمُعَةِ

513 - सहल बिन मुआज़ अल जुहनी अपने बाप मुआज़(رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जो शख़्स जुमा के दिन दौराने खुत्बा आगे जाने के लिए लोगों की गर्दनें फलांगता है (तो) वह जहन्नम की तरफ़ एक पुल बनाता है।''

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 1116. मुसनद अहमद:3/437. अबू याला:1491.

513 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ اتَّخَذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ.

तौज़ीह: बैठे हुए लोगों की गर्दनें फलांगते हुए आगे खाली जगह पर जाना यह काम आदाबे मजलिस के ख़िलाफ़ है बल्कि जहां जगह मिले बैठ जाए।

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर(رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सहल बिन मुआज़ अल जुहनी(رضي الله عنه) की हदीस ग़रीब है। क्योंकि यह सिर्फ़ रुश्दैन बिन साद की सनद से ही मिलती है। नीज़ अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए जुमा के दिन लोगों की गर्दनों को फलांगना मकरूह कहते हैं और इस में काफी सख़्ती करते हैं।

बअज़ उलमा रुश्दैन बिन साद के बारे में कलाम करते हुए उसके हाफ़ज़ा की वजह से उसे ज़ईफ़ क़रार दिया है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الاِحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

18 - खुत्बा के दौरान एह्तबा की हालत में बैठना मना है।

514 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو مَرْحُومٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الحِبْوَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.

514 - सहल बिन मुआज़ अल जुहनी अपने बाप मुआज़(رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने जुमा के दिन इमाम के खुत्बे के दौरान हिब्वा से मना फ़र्माया है।

हसन: अबू दाऊद: 1110. मुसनद अहमद:3/439., इब्ने खुजैमा: 1810.

तौज़ीह: الاِحْتِبَاءِ: सुरीन के बल बैठ कर घुटने खड़े करके उनके गिर्द सहारा लेने के लिए दोनों हाथ बाँध लेना या कमर और घुटनों के गिर्द कपड़ा बाँधना अरब के लोग अक्सर इस तरह बैठा करते थे.

الحِبْوَةَ: मज़कूरा तरीके से बैठने के लिए जो कपड़ा वग़ैरह इस्तेमाल किया जाए.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस़ हसन है और अबू मरहूम का नाम अब्दुर्रहीम बिन मैमून है।

नीज़ अहले इल्म की एक जमाअत ने भी जुमा के दिन खुत्बा के दौरान हिब्वा से मना किया है और बअज़ ने इसमें रूख़सत भी दी है। जिन में अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) वग़ैरह भी शामिल हैं। जबकि अहमद और इस्हाक़ भी इसी के क़ायल हैं कि जब इमाम खुत्बा दे रहा हो तो हिब्वा की तर्ज़ पर बैठना ग़लत है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الأَيْدِي عَلَى المِنْبَرِ

19 - मिम्बर के ऊपर हाथों को बलंद करना मना है।

515 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ، وَبِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ يَخْطُبُ،

515 - हुसैन कहते हैं कि बिश्र बिन मरवान खुत्बा दे रहा था तो उसने दुआ में दोनों हाथों को बलंद किया तो उमारा बिन रुवैबा अस्सक्फी ने कहा: अल्लाह तआला इन दोनों छोटे- छोटे हाथों को तबाह करे। मैंने

فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، فَقَالَ عُمَارَةُ: قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيُدَيَّتَيْنِ الْقُصَيِّرَتَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ هَكَذَا، وَأَشَارَ هُشَيْمٌ بِالسَّبَّابَةِ.

रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा था, आप(ﷺ) सिर्फ़ इस तरह इशारा करते थे।'' हुशैम ने अपनी शहादत वाली उंगली के साथ इशारा किया।

मुस्लिम:874. अबू दाऊद: 1104. निसाई:1412.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَذَانِ الْجُمُعَةِ.

20 - जुमा की अज़ान का बयान.

516 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ.

516 - साइब बिन यजीद फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) अबू बक्र और उमर(رضي الله عنه) के दौर में उसी वक़्त अज़ान होती थी जब इमाम नमाज़ पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर आता और जब नमाज़ की इक़ामत होती, फिर जब उसमान (رضي الله عنه) खलीफा बने तो उन्होंने ज़ौरा पर तीसरी अज़ान का इजाफा किया।

बुखारी: 912. अबू दाऊद: 1087. इब्ने माजा: 1135. निसाई: 1392. 1394.

तौज़ीह: زَوْرَاء: ज़ौरा मदीना के बाज़ार या उसकी एक जगह का नाम है और तीसरी अज़ान इक़ामत समेत बनती है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ مِنَ الْمِنْبَرِ.

21 - इमाम के मिम्बर से उतरने के बाद बातें करना.

517 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

517 - सय्यदना अनस बिन मालिक(رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब मिम्बर से उतर आते तो ज़रुरत की बात कर लेते थे।

शाज़: अबू दाऊद: 1120. इब्ने माजा: 1117. निसाई:1419.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلَّمُ بِالحَاجَةِ إِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमारे इल्म के मुताबिक यह हदीस सिर्फ़ जरीर बिन हाशिम की सनद से ही है और मैंने सुना मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) फ़रमा रहे थे कि इस हदीस में जरीर बिन हाज़िम से वहम सादिर हुआ है और सहीह हदीस वह है जिसे साबित अनस(رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि नमाज़ की इक़ामत हुई तो नबी(ﷺ) का एक हाथ एक आदमी ने पकड़ लिया और आप से बातें करता रहा, यहाँ तक कि लोगों को ऊँघ आने लग गयी। मुहम्मद फ़रमाते हैं: वह हदीस यही है।'' और जरीर सदूक़ रावी है लेकिन बसा औक़ात किसी हदीस में वहम कर जाता था।

मुहम्मद फ़रमाते हैं: जरीर ने साबित से अनस बिन मालिक(رضي الله عنه) की हदीसे नबवी कि ''अगर इक़ामत हो जाए तो जब तक तुम मुझे न देख लो खड़े न हुआ करो'' इस में भी वहम किया है।''

मुहम्मद फ़रमाते हैं: हम्माद बिन ज़ैद से मर्वी है कि हम साबित बुनानी के पास थे तो हज्जाज अस्सव्वाफ ने यहया बिन अबी कसीर से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा उनके बाप से नबी(ﷺ) की हदीस बयान की कि आप(ﷺ) ने फ़रमाया: ''{ जब नमाज़ की इक़ामत हो जाए तो जब तक तुम मुझे न देख लो खड़े न हुआ करो।'' तो उसमें जरीर को वहम हुआ है। उनके मुताबिक साबित ने अनस(رضي الله عنه) से नबी(ﷺ) की हदीस बयान की है।''

518حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلاَةُ يُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ، يَقُومُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ فَمَا يَزَالُ يُكَلِّمُهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ يَنْعَسُ مِنْ طُولِ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ.

518 - सय्यदना अनस(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं मैंने नमाज़ की इक़ामत के बाद देखा नबी(ﷺ) और क़िब्ला के दर्मियान खड़ा एक आदमी आप(ﷺ) से बात कर रहा था। वह बातें करता रहा यहाँ तक कि मैंने देखा कि लोग नबी(ﷺ) के ज़्यादा देर खड़ होने की वजह से ऊँघ रहे थे।

बुखारी: 642. मुस्लिम: 376. अबू दाऊद: 201. निसाई:791.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

22 - नमाज़े जुमा की किरअत का बयान.

بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ.

519 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَرَأَ سُورَةَ الجُمُعَةِ، وَفِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ :إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ: تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيٌّ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالكُوفَةِ؟

519 - रसूलुल्लाह(ﷺ) के आज़ादकर्दा उबैदुल्लाह बिन राफ़े (रज़ि।-) बयान करते हैं कि मरवान ने अबू हुरैरा(رضي الله عنه) को मदीना का हाकिम बना दिया और खुद मक्का चला गया, तो अबू हुरैरा(رضي الله عنه) ने हमें जुमा के दिन नमाज़ पढ़ाई तो पहली रकअत में सूरह जुमा और दूसरी रकअत में सूरह मुनाफिकून पढ़ी। उबैदुल्लाह कहते हैं: ''फिर मैं अबू हुरैरा(رضي الله عنه) से मिला तो उनसे कहा : ''आप ने वही दो सूरतें पढ़ी हैं जो अली(رضي الله عنه) कूफा में पढ़ा करते थे।'' अबू हुरैरा(رضي الله عنه) ने फ़र्माया:''रसूलुल्लाह(ﷺ) इन दोनों सूरतों को पढ़ा करते थे।

मुस्लिम: 877. अबू दाऊद:1124. इब्ने माजा: 1118.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास, नौमान बिन बशीर और अबू अंबा खौलानी(رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा(رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) से यह भी मर्वी है कि आप (ﷺ) जुमा की नमाज़ में सूरह आला और सूरह ग़ाशिया पढ़ा करते थे।

उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़े सय्यदना अली बिन अबी तालिब(رضي الله عنه) के कातिब थे।

23 - जुमा के दिन फज्र की नमाज़ में क्या पढ़ी जाए?

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ.

520 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ

520 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जिमा (हमबिस्तरी) के दिन फज्र की नमाज़ में

البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ: تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ.

सूरह सज्दा और सूरह दहर पढ़ा करते थे।

मुस्लिम: 879. अबू दाऊद: 1074. इब्ने माजा: 821. निसाई: 1431.

वज़ाहत: इस मसले में सय्यदना साद, सय्यदना इब्ने मसऊद और सय्यदना अबू हुरैरा(رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदना इब्ने अब्बास की हदीस हसन सहीह है। नीज़ सुफ़ियान सौरी, शोबा और दीगर राविमों ने भी इसे मुखव्वल से रिवायत किया है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا.

24 - जुमा से पहले और बाद में सुन्नत नमाज़ का बयान.

521 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ.

521 - सालिम अपने बाप (सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) जुमा के बाद दो रकअतें पढ़ते थे।

बुखारी: 737. मुस्लिम: 728. अबू दाऊद:1127. इब्ने माजा:113. निसाई:873.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर(رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर(رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नाफ़े की भी अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) से इसी तरह की रिवायत है।

बअज़ उलमा के नज़दीक इसी पर अमल है इमाम शाफ़ेई और अहमद (رحمه الله) भी यही कहते हैं।

522 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى

522 - नाफ़े कहते हैं कि सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) जब जुमा की नमाज़ पढ़ लेते तो अपने घर जाकर दो रकअतें पढ़ते, फिर

الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ.

फ़रमाते: ''रसूलुल्लाह(ﷺ) ऐसे ही किया करते थे।''

सहीह, तख़रीज के लिए पिछली हदीस देखिए.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

523 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

523 - सय्यदना अबू हुरैरा(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''तुम में से जो शख़्स जुमा के बाद (नफ़ल) नमाज़ पढ़ना चाहता हो तो वह चार रकअ़तें पढ़े।''

मुस्लिम: 881. अबू दाऊद:131. इब्ने माजा: 1132. निसाई: 1426.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ हमें हसन बिन अली ने उन्हें अली बिन मदीनी ने सुफ़ियान बिन उयय्ना से बयान किया है कि हम सहल बिन अबी सालेह को हदीस में पुख़्ता रावी शुमार करते हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और बअज़ उलमा के नज़दीक इसी पर अमल है। नीज़ अब्दुल्लाह बिन मसऊद(رضي الله عنه) से मर्वी है कि वह चार रकअ़तें जुमा से पहले और चार बाद में पढ़ा करते थे।

और सय्यदना अली बिन अबी तालिब(رضي الله عنه) से मर्वी है कि उन्होंने हुक्म दिया: ''जुमा के बाद दो, फिर चार रकअ़तें पढ़ी जाएँ।'' सुफ़ियान सौरी और अब्दुल्लाह बिन मुबारक का मज़हब अब्दुल्लाह बिन मसऊद(رضي الله عنه) के कौल के मुताबिक है। इस्हाक़ फ़रमाते हैं: ''जुमा के दिन अगर मस्जिद में नफ़ल पढ़े तो चार रकअ़तें पढ़े और अगर अपने घर में पढ़ता है तो दो पढ़ ले।'' उनकी दलील नबी(ﷺ) का फ़रमान है: ''जो शख़्स जुमा के बाद (नवाफ़िल) पढ़ना चाहता हो तो चार रकअ़तें पढ़े।''

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) ने ही नबी(ﷺ) से रिवायत की है कि आप जुमा के बाद घर में दो रकअ़तें पढ़ते थे। और इब्ने उमर(رضي الله عنه) ने ही नबी(ﷺ) की वफ़ात के बाद जुमा के बाद मस्जिद में दो रकअ़तें पढ़ी हैं। यह बात हमें इब्ने अबी उमर ने बतायी है वह कहते हैं हमें सुफ़ियान बिन उयय्ना ने इब्ने जुरैज से बयान किया है कि अता फ़रमाते हैं: ''मैंने इब्ने उमर(رضي الله عنه) को देखा उन्होंने जुमा के बाद दो रकअ़तें पढ़ीं फिर उसके बाद चार रकअ़तें पढ़ीं।''

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमें सईद बिन अब्दुर्रहमान अलमख़्ज़ूमी ने उन्हें सुफ़ियान बिन उयय्ना ने

उमर बिन दीनार से बयान किया। वह कहते हैं: ''मैंने जोहरी से बेहतर हदीस बयान करने वाला कोई नहीं देखा और न ही मैंने ऐसा कोई शख़्स देखा जिसके लिए उन से बढ़ कर दीनार व दिरहम कम बे वक़अत हों। उनके नज़दीक दिरहम व दीनार एक मेंगनी के बराबर है।

इमाम तिर्मिज़ी (रहि.) फ़रमाते हैं: मैंने इब्ने अबी उमर को फ़रमाते हुए सुना कि सुफ़ियान बिन उयय्ना कहते हैं'' अम्र बिन दीनार जोहरी से बड़ी उम्र वाले थे।''

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً.

25 - जो शख़्स जुमा की एक रकअ़त पा ले.

524 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

524 - सय्यदना अबू हुरैरा(रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जिस ने नमाज़ की एक रकअ़त पा ली यकीनन उस ने पूरी नमाज़ पा ली।''

बुख़ारी:580. मुस्लिम:607. अबू दाऊद:1121. इब्ने माजा: 1122. निसाई: 556, 552.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (रहि.) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जो शख़्स जुमा की एक रकअ़त को पा ले तो वह उसके साथ एक और पढ़ ले और जो शख़्स इमाम और मुक्तदियों को तशह्हुद में बैठे हुए पाए तो वह चार पढ़े।सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (रहि.) का भी यही कौल है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَائِلَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

26 - जुमा के दिन कैलूला करने का बयान.

525 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: مَا كُنَّا نَتَغَدَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ نَقِيلُ إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

525 - सय्यदना सहल बिन साद(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में हम सुबह का खाना और कैलूला जुमा के बाद ही करते थे।

बुख़ारी: 939.मुस्लिम: 859. अबू दाऊद:1086 इब्ने माजा:1099.

वज़ाहत: इस मसले में अनस बिन मालिक(رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सहल बिन साद(رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَنْعَسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ يَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ.

27 - जुमा के दिन जिसको ऊँघ आने लगे वह अपनी जगह बदल ले.

526 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ.

526 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब तुम में से कोई शख़्स जुमा के दिन (दौराने खुत्बा) ऊँघने लगे तो उसको चाहिए कि अपनी उस जगह से (किसी और जगह पर) चला जाए।''

सहीह मुसनद अहमद: 2/22. अबू दाऊद:1119. इब्ने खुज़ैमा:1819.

तौज़ीह: نعس नींद के गल्बे की वजह से या सुस्ती की वजह से आदमी की आँखें बंद होने लगें।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

28 - जुमा के दिन सफ़र करना.

527 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ، فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَغَدَا أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: أَتَخَلَّفُ فَأُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ، فَلَمَّا صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ،

527 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने अब्दुल्लाह बिन रवाहा(رضي الله عنه) को एक लश्कर पर अमीर बना कर जाने का हुक्म दिया तो वह वक़्त जुमा के दिन के मुवाफिक आ गया। उन के साथी सुबह होते ही चले गए (उन्होंने कहा मैं पछता रहा हूँ अल्लाह के रसूल(ﷺ) के साथ जुमा पढ़कर उनसे जा मिलूंगा। जब नबी(ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई तो आप(ﷺ) ने उन से फ़र्माया: ''तुम्हें अपने साथियों के साथ सुबह के वक़्त जाने से किस चीज़ ने रोका?'' उन्होंने कहा: ''मैंने

فَقَالَ لَهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُوَ مَعَ أَصْحَابِكَ؟، فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ، فَقَالَ: لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ.

चाहा कि मैं आप(ﷺ) के साथ जुमा की नमाज़ पढ़ कर उनसे जा मिलूंगा।'' तो आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''अगर तू ज़मीन में मौजूद हर चीज़ को (अल्लाह के रास्ते में) खर्च भी कर दे तो भी उनके सुबह ही चले जाने की फ़ज़ीलत को नहीं पहुँच सकता।''

ज़ईफुल इस्नाद, मुसनद अहमद: 1/ 224. बैहक़ी: 3/ 178.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हमें सिर्फ़ इसी सनद से मिलती है। अली बिन मदीनी फ़रमाते हैं कि यहया बिन सईद कहते हैं: शोबा का कौल है कि हकम ने मुक्सिम से सिर्फ़ पांच हदीसें सुनी हैं और शोबा ने उन्हें शुमार कर के बताया और जिन अहादीस को उन्होंने शुमार किया उनमें यह हदीस नहीं थी। गोया हकम ने मुक्सिम से यह हदीस नहीं सुनी।

जुमा के दिन सफ़र करने के बारे में इख़्तिलाफ़ है। बअज़ के मुताबिक अगर नमाज़ का वक़्त नहीं है तो जुमा के दिन सफ़र पर रवाना हो सकता है। बअज़ कहते हैं: अगरचे (जुमा के रोज़ अपने घर में) सुबह करता है तो जुमा पढ़ने से पहले (सफ़र पर) न निकले।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ وَالطِّيبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

29 - जुमा के दिन मिस्वाक और खुशबू का इस्तेमाल.

528 -حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَلْيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالمَاءُ لَهُ طِيبٌ.

528 - सय्यदना बरा बिन आज़िब(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''मुसलमानों पर जुमा के दिन हक़ है कि वह गुस्ल करें और आदमी अपनी बीवी की ख़ुशबू लगाए। अगर उसे ख़ुशबू न मिले तो पानी ही उसके लिए खुशबू है।''

ज़ईफ़, मुसनद अहमद: 4/ 282. अबू याला: 1659. बैहक़ी: 2/ 26.

वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद(رضي الله عنه) और अंसार के एक बुज़ुर्ग से भी मर्वी है।

529 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

529 - अबू ईसा तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं:) हमें अहमद बिन मुनीअ ने (वह कहते हैं:) हमें हैसम ने यजीद बिन अबी ज़ियाद से इसी सनद के साथ मज़कूरा हदीस के मानी की रिवायत बयान की है।

मुहक्किक़ ने इस पर हुक्म और तख़रीज ज़िक्र नहीं की लेकिन यह रिवायत भी ज़ईफ़ है। और इसे इमाम अहमद बिन हंबल (ﷺ) ने अपनी मुसनद में ज़िक्र किया है। अल्लाह बेहतर जानता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: बरा(ﷺ) की हदीस हसन है। और हैसम की रिवायत इस्माईल बिन इब्राहीम अत्तैमी की रिवायत से ज्यादा सहीह है क्योंकि इस्माईल बिन इब्राहीम अत्तैमी हदीस के मुआमले में ज़ईफ़ शुमार किया जाता है।

أَبْوَابُ العِيدَيْنِ

ईदैन का बयान

3.82 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ يَوْمَ العِيدِ

30 - ईद के लिए पैदल चल कर ईदगाह जाना.

530 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى العِيدِ مَاشِيًا، وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ.

530 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब(ﷺ) बयान करते हैं: ''यह बात सुन्नत में से है कि आप ईदगाह की तरफ़ पैदल चलकर जाएँ और जाने से पहले कुछ खालें।

हसन, इब्ने माजा: 1296. बैहक़ी: 3/ 281.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए ईदगाह की तरफ़ पैदल चल कर जाने और नमाज़े ईदुल फित्र से पहले कुछ खाने को मुस्तहब कहते हैं।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: बगैर उज़्र सवार हो कर जाना मुस्तहब अमल नहीं है।

31 - दोनों ईदों की नमाज़ खुत्बा से पहले है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

531 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ يُصَلُّونَ فِي العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُونَ.

531 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह और अबू बकर व उमर(رضي الله عنه) खुत्बा से पहले ईदैन की नमाज़ पढ़ते फिर खुत्बा देते थे।

मुस्लिम: 963. मुस्लिम:888. इब्ने माजा:1276. निसाई: 1564.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर और अब्दुल्लाह बिन अब्बास(رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म के नज़दीक ईदैन की नमाज़ खुत्बे से पहले पढ़ने पर अमल है।

नीज़ कहा जाता है कि नमाज़ से पहले खुत्बा देने वाला पहला शख़्स मरवान बिन हकम था।

32 - ईदैन की नमाज़ें अज़ान और इक़ामत के बगैर.

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

532 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ العِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.

532 - सय्यदना जाबिर बिन समुरह(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने एक या दो दफ़ा नहीं (बल्कि बहुत मर्तबा) बगैर अज़ान और इक़ामत के नबी(ﷺ) के साथ नमाज़े ईदैन पढ़ी है।

मुस्लिम: 887. अबू दाऊद:1148.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर बिन अब्दुल्लाह, और इब्ने अब्बास(رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जाबिर बिन समुरह(رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। जबकि नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म के नज़दीक इसी पर अमल है कि ईदैन और नवाफ़िल नमाज़ों के लिए अज़ान न दी जाए।

33 - नमाज़े ईदैन में किरअत.

بَابُ مَا جَاءَ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ.

533 -حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي العِيدَيْنِ وَفِي الجُمُعَةِ: بِ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ}، وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَيَقْرَأُ بِهِمَا.

533 - सय्यदना नौमान बिन बशीर(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ईदैन और जुमा की नमाज़ में (एक रकअत में)

{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}

और दूसरी रकअत में

{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ}

पढ़ते थे और बसा औक़ात जुमा और ईद का दिन एक ही होता तो (फिर भी) आप(ﷺ) उन दोनों सूरतों को ही पढ़ते थे।

मुस्लिम: 878. अबू दाऊद: 1122. इब्ने माजा: 1119. निसाई:1423.

वज़ाहत: इस मसले में अबू वाकिद, समुरह बिन जुन्दुब और इब्ने अब्बास(رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: नौमान बिन बशीर(رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ सुफ़ियान और मिस्अर ने भी इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन मुन्तशिर से अबू अवाना की हदीस जैसी हदीस रिवायत की है लेकिन सुफ़ियान बिन उयय्ना की रिवायत पर इख़्तिलाफ़ किया गया है। (वह इस तरह कि) उनसे ली जाने वाली रिवायत बवास्ता इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन अल मुन्तशिर, उनके बाप, हबीब बिन सालिम, फिर उनके बाप सालिम फिर नौमान बिन बशीर(رضي الله عنه) से है। लेकिन हमारे इल्म में नहीं है कि हबीब बिन सालिम अपने बाप से भी रिवायत करते हों,बल्कि हबीब बिन सालिम खुद नौमान बिन बशीर(رضي الله عنه) के आज़ादकर्दा थे और उन्होंने नौमान बिन बशीर(رضي الله عنه) से बहुत सी अहादीस रिवायत की हैं।

नीज़ इब्ने उयय्ना ने उन रावियों जैसी हदीस इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन मुन्तशिर से रिवायत की है। और नबी करीम(ﷺ) से यह भी मर्वी है कि आप(ﷺ) ने ईदैन की नमाज़ में सूरह اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ: भी पढ़ी है। इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) भी यही कहते हैं।

534 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا

534 - उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा (رحمه الله) रिवायत करते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब

مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِ فِي الفِطْرِ وَالأَضْحَى؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ بِـ} ق وَالقُرْآنِ الْمَجِيدِ}، وَ {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ القَمَرُ.}

(ﷺ) ने अबू वाकिद(ﷺ) से पूछा कि रसूलुल्लाह(ﷺ) फ़ित्र और अज़्हा की नमाज़ में क्या पढ़ा करते थे? तो उन्होंने कहा आप(ﷺ) (ق وَالقُرْآنِ الْمَجِيدِ) "और : . {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ القَمَرُ} पढ़ा करते थे।

मुस्लिम: 891. अबू दाऊद: 1154. इब्ने माजा: 1282. निसाई: 1567.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

535 -حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

535 - अबू ईसा (ﷺ) कहते हैं: हमें हन्नाद ने (वह कहते हैं) हमें सुफ़ियान बिन उयय्ना ने हम्ज़ा बिन सईद से इस सनद के साथ इस जैसी हदीस बयान की।

सहीह.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू वाकिद अल्लैसी का नाम हारिस बिन औफ़(ﷺ) था।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ.

34 - ईदैन की नमाज़ की तक्बीरात का बयान.

536 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو عَمْرٍو الحَذَّاءُ الْمَدِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي العِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ القِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ القِرَاءَةِ.

536 - कसीर बिन अब्दुल्लाह अपने बाप से, वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने ईदैन (की नामाज़) में पहली रकअत में किरअत से पहले सात और दूसरी रकअत में किरअत से पहले पांच तक्बीरें कहीं।

सहीह इब्ने माजा: 1279. अब्द बिन हुमैद: 290. इब्ने खुज़ैमा: 1438.

तौज़ीह: तक्बीरे ऊला या तक्बीरे तहरीमा के अलावा सात और पांच तक्बीरें।

वज़ाहत: इस मसले में आयशा, इब्ने उमर और अब्दुल्लाह बिन उमर(ﷺ). से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: कसीर के दादा की हदीस हसन है इस मसले में नबी(ﷺ) से सब से अहसन चीज़ यही रिवायत की गयी है। और उनका नाम अम्र बिन औफ़ अल मुज्नी(رضي الله عنه) था। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में अकसर उलमा का इसी पर अमल है।

अबू हुरैरा(رضي الله عنه) से भी इसी तरह रिवायत की गयी है कि उन्होंने मदीना में ऐसे ही नमाज़ पढ़ाई और अहले मदीना का कौल भी यही है। नीज़ मालिक बिन अनस,, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी यही कहते हैं।

अब्दुल्लाह बिन मसऊद से मर्वी है कि वह ईदैन की तक्बीरात के बारे में कहते हैं कि 9 तक्बीरें हैं। पहली रकअ़त में किरअ़त से पहले पांच तक्बीरें और दूसरी रकअ़त में किरअ़त के बाद रुकू वाली तकबीर के साथ चार तकबीरें।

नबी(ﷺ) के बहुत से सहाबा से भी यही मर्वी है। अहले कूफा और सुफ़ियान सौरी का भी यही कौल है।

بَابُ مَا جَاءَ لاَ صَلاَةَ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَلاَ بَعْدَهَا

35 - ईदैन की नमाज़ से पहले और बाद में कोई नफ़ल नमाज़ नहीं.

537 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا.

537 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ईदुल फ़ित्र के दिन निकले (और) आप(ﷺ) ने दो रकअ़तें पढ़ीं फिर उन से पहले या बाद में कोई नफ़ल न पढ़े।

बुखारी: 964. मुस्लिम:884. अबू दाऊद:1159 इब्ने माजा:1291. निसाई:1587

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन अम्र और अबू सईद(رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अब्बास(رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी अपर अमल है। नीज़ शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी यही कहते हैं।

जबकि नबी(ﷺ) के सहाबा(رضي الله عنه) और दीगर लोगों में से कुछ उलमा कहते हैं की ईदैन के बाद नमाज़ हो सकती है लेकिन पहला कौल ही सहीह है।

538 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ.

538 - अबू बक्र बिन हफ्स से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) ईद के दिन ईदगाह की तरफ़ निकले तो उन्होंने नमाज़े ईद से पहले और बाद में कोई नफ़ल नमाज़ नहीं पढ़ी और फ़रमाया कि नबी(ﷺ) भी ऐसे ही किया करते थे।

हसन सहीह मुसनद अहमद: 2/57. अबू याला:5/57. हाकिम:1/295.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي العِيدَيْنِ

36 - औरतों का ईदैन की नमाज़ की अदायगी के लिए निकलना.

539 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ الأَبْكَارَ، وَالعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الخُدُورِ، وَالحُيَّضَ فِي العِيدَيْنِ، فَأَمَّا الحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، وَيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: فَلْتُعِرْهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلاَبِيبِهَا.

539 - सय्यदा उम्मे अतिय्या(رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) कुंवारी, नौजवान लड़कियों, पर्दानशीं औरतों और हाइज़ा औरतों को भी ईदैन में शिरकत के लिए रवाना करते थे लेकिन हाइज़ा औरतें ईदगाह से अलग रहतीं और मुसलमानों की दुआ में शिरकत करतीं। एक औरत ने कहा: ''ऐ अल्लाह के रसूल! अगर किसी के पास बड़ी चादर न हो?'' आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''तो उसकी कोई दूसरी बहन अपनी चादर दे दे।

बुखारी: 324. मुस्लिम: 890. अबू दाऊद: 1136. इब्ने माजा: 1307. निसाई: 390.

तौज़ीह: الأَبْكَار: कुंवारी लड़कियां जिन का अभी तक निकाह न हुआ हो, इसकी वाहिद بِكْرٌ: आती है। العَوَاتِق: जो लड़की बुलूगत को पहुँच जाए और निकाह के काबिल हो जाए। निकाह के साथ वालिदैन की पाबंदियों से आज़ाद हो जाती है और खाविंद के ताबे हो जाती है। وَذَوَاتِ الخُدُور: जो पर्दे और घर में रहती हैं।

540 - अबू ईसा कहते हैं: हमें अहमद बिन मुनीअ ने हैसम से उन्होंने हिशाम बिन हस्सान से बवास्ता हफ्सा बिन्ते सीरीन, सय्यदा उम्मे अतिय्या(ﷺ) से इसी तरह हदीस बयान की है।

540 ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، بِنَحْوِهِ.

सहीह.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास(ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: उम्मे अतिय्या की हदीस हसन सहीह है। नीज़ इसी हदीस पर मज़हब रखते हुए अहले इल्म औरतों को ईदैन में शिरकत की रूख़्सत देते हैं लेकिन बअज़ ने मकरूह भी समझा है।

अब्दुल्लाह बिन मुबारक (ﷺ) से मर्वी है वह कहते हैं : ''आज के दौर में, मैं औरतों को ईदगाह जाने को नापसंद करता हूँ। अगर औरत ज़रूर जाना चाहती है तो उसका शौहर उसे मैले और पुराने कपड़ों में जाने की इजाज़त दे और वह जीनत इख़्तियार न करे। और अगर वह जीनत के साथ जाना चाहती है तो खाविंद के लिये ये जायज़ है कि वह उसको रोके।''

सय्यदा आयशा(ﷺ) फ़रमाती हैं: ''वह काम जो औरतों ने आज निकाल लिए हैं अगर रसूलुल्लाह(ﷺ) देख लेते तो जिस तरह बनी इस्राईल की औरतों को रोक दिया गय था आप भी उनको मस्जिद जाने से मना कर देते।'' सुफ़ियान सौरी से मर्वी है कि वह उस दौर में औरतों के ईदगाह जाने को मकरूह समझते थे।

37- नबी (ﷺ)का ईदगाह की तरफ़ एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना.

بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى العِيدِ فِي طَرِيقٍ، وَرُجُوعِهِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ

541 - सय्यदना अबू हुरैरा(ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब ईद के दिन घर से निकलते तो एक रास्ते से जाते और दूसरे रास्ते से वापस आते।

सहीह इब्ने माजा: 1301. मुसनद अहमद:2/338. दारमी: 162.

541 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى الكُوفِيُّ، وَأَبُو زُرْعَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर और अबू राफ़े(رضي الله عنه) से भी हदीसें मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा(رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ अबू तमीला और यूनुस बिन मुहम्मद ने इस हदीस को फुलैह बिन सलमान से बवास्ता सईद बिन हारिस, जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत किया है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: बअज़ उलमा ने इस हदीस की पैरवी करते हुए इमाम के लिए मुस्तहब समझा है कि वह जब ईदगाह की तरफ़ निकले तो दूसरे रास्ते से वापस आये। शाफ़ेई का भी यही कौल है। मगर जाबिर(رضي الله عنه) की हदीस गोया ज़्यादा सहीह है।

38 - ईदुल फ़ित्र के दिन नमाज़ के लिए जाने से पहले कुछ खाना.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَكْلِ يَوْمَ الفِطْرِ قَبْلَ الخُرُوجِ.

542 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ البَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ، عَنْ ثَوَابِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ.

542 - अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने बाप (सय्यदना बुरैदा(رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ईदुल फ़ित्र के दिन कुछ खाए बगैर ईदगाह की तरफ़ निकलते थे। और ईदुल अज़्हा के दिन नमाज़े ईद पढ़ने से पहले कोई चीज़ नहीं खाते थे।

सहीह: इब्ने माजा: 1756. मुसनद अहमद: 5/352. दारमी: 1608.

तौज़ीह: हदीस में सिर्फ़ नमाज़े ईदुल अज़्हा से पहले कुछ न खा कर जाने का ज़िक्र है। अपनी कुर्बानी के जानवर के गोश्त से खाना खाने के बारे में कोई सराहत नहीं मिलती।

वज़ाहत: इस मसले में अली और अनस(رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: बुरैदा बिन हसीब अल अस्लमी(رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है।

मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ''मेरे इल्म में सवाब बिन उत्बा की इसके अलावा और कोई हदीस नहीं है।''

नीज़ अहले इल्म ने ईदुल फ़ित्र के दिन कुछ खा कर जाना मुस्तहब कहा है और खुजूर के साथ रोज़ा इफ़्तार करने को भी मुस्तहब कहा है नीज़ ईदुल अज़्हा के दिन वापस आने तक कुछ न खाएं।

543 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُفْطِرُ عَلَى تَمَرَاتٍ يَوْمَ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى.

543 - सय्यदना अनस बिन मालिक(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ईदुल फ़ित्र के दिन ईदगाह की तरफ़ जाने से पहले कुछ खुजूरें तनावुल फ़रमाते थे।

बुखारी: 953. इब्ने माजा: 1754.

वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

أَبْوَابُ السَّفَرِ

सफ़र का बयान

بَابُ التَّقْصِيرِ فِي السَّفَرِ.

39 - सफ़र में नमाज़ को कस्र करना.

544 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الحَكَمِ الوَرَّاقُ البَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يُصَلُّونَ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، لاَ يُصَلُّونَ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، وقَالَ عَبْدُ اللهِ :لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لأَتْمَمْتُهَا.

544 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत करते हैं कि मैंने नबी(ﷺ), अबू बक्र, उमर, और उस्मान(رضي الله عنه) के साथ सफ़र किया है यह लोग जुहर और असर की दो- दो रकअतें ही पढ़ते थे उनसे पहले और बाद में नवाफ़िल वग़ैरह नहीं पढ़ते थे, अब्दुल्लाह(رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: ''अगर मुझको उनसे पहले और बाद में नफ़ल ही पढ़ने हैं तो मैं उन्हें ही पूरी पढ़ लेता।''

बुखारी: 1151. मुस्लिम: 698. अबू दाऊद: 1223. इब्ने माजा:1071. निसाई: 1457.

वज़ाहत: इस मसले में उमर, अली, इब्ने अब्बास, अनस, इमरान बिन हुसैन और आयशा(رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर(رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है। क्योंकि हमें इस तरह से यहया बिन सुलैम की सनद से ही मिलती है।

मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस उबैदुल्लाह बिन उमर से आले सुराका के एक

आदमी के वास्ते के साथ अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) से भी मर्वी है।''

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अतिय्या अल ऑफी से मर्वी है कि अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि नबी(ﷺ) सफ़र में फर्ज़ नमाज़ से पहले और बाद में नफ़ल पढ़ा करते थे।

नीज़ सहीह अहादीस से साबित है कि नबी(ﷺ), अबू बक्र, उमर और उस्मान(رضي الله عنه) अपनी ख़िलाफ़त के शुरू में नमाज़ कस्र पढ़ते रहे हैं। और नबी(ﷺ) के सहाबा(رضي الله عنه) और दीगर लोगों में से अक्सर उलमा का इसी पर अमल है। सय्यदा आयशा(رضي الله عنها) से मर्वी है कि वह सफ़र में नमाज़ पूरी करतीं थीं जबकि अमल इसी पर है जो नबी(ﷺ) और आप के सहाबा से मर्वी है। नीज़ शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही फतवा है। लेकिन इमाम शाफ़ेई कहते हैं: ''नमाज़े कस्र पढ़ना सफ़र में एक रूख़्सत है अगर पूरी पढ़ लेता है तो भी दुरुस्त है।''

545 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ صَلاَةِ الْمُسَافِرِ، فَقَالَ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ خِلاَفَتِهِ، أَوْ ثَمَانِيَ سِنِينَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

545 - अबू नजरा से रिवायत है कि सय्यदना इमरान बिन हुसैन(رضي الله عنه) से मुसाफिर की नमाज़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फ़र्माया: ''मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ हज किया तो आप(ﷺ) ने सफ़र में दो रकअतें पढ़ीं, अबू बक्र के साथ हज किया तो उन्होंने भी दो रकअतें पढ़ीं और इसी तरह सय्यदना उस्मान (رضي الله عنه) के साथ हज किया तो उन्होंने भी अपनी ख़िलाफ़त के छः या आठ साल तक दो रकअतें ही पढ़ीं।

सहीह अबू दाऊद: 1229. मुसनद अहमद: 4/430.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

546- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ، أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ.

546 - सय्यदना अनस बिन मालिक(رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हमने नबी(ﷺ) के साथ जुहर की नमाज़ मदीना में चार रकअत पढ़ी और जुल हुलैफा में असर की नामाज़ दो रकअत पढ़ीं।

बुखारी: 1089. मुस्लिम: 690. अबू दाऊद: 1202. निसाई: 469.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

तौज़ीह: ज़ुल हुलैफ़ा मदीना से तीन फ़रसख के फासले पर वाक़ेअ है जो कि अरब के नौ मील बनते हैं। हमारी सफ़री पैमाने के मुताबिक़ तकरीबन साढ़े बाइस किलोमीटर बनता है।

547 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ لاَ يَخَافُ إِلاَّ رَبَّ العَالَمِينَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

547 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) मदीना से मक्का की तरफ़ निकले तो आप(ﷺ) को अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी का खौफ़ नहीं था लेकिन फिर भी आप(ﷺ) सफ़र में दो रकअतें ही पढ़ते रहे।

सहीह अल-इर्वा: 3/6. निसाई: 1435. तोहफतुल अशराफ़:6436.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ تُقْصَرُ الصَّلاَةُ.

40 - कितनी मुद्दत तक नमाज़ को क़स्र किया जा सकता है।

548 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ: كَمْ أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: عَشْرًا.

548 - सय्यदना अनस बिन मालिक(رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हम नबी(ﷺ) के साथ मदीना से मक्का की तरफ़ गए तो आप(ﷺ) दो रकअतें ही पढ़ते रहे। (रावियें हदीस यहया बिन इस्हाक़) कहते हैं मैंने अनस(رضي الله عنه) से पूछा कि रसूलुल्लाह(ﷺ) मक्का में कितने दिन रहे थे? तो उन्होंने फ़र्माया: ''दस दिन''

बुखारी. मुस्लिम: 693.अबू दाऊद:1233. इब्ने माजा:1077. निसाई: 1438.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास और जाबिर(رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अनस बिन मालिक(رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

नीज़ अब्दुल्लाह बिन अब्बास(رضي الله عنه) से मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने अपने किसी सफ़र में उन्नीस दिन क़याम किया तो आप दो रकअ़तें ही पढ़ते रहे तो हम भी जब उन्नीस दिन तक कयाम करते हैं तो दो रकअ़तें पढ़ते हैं और अगर ज़्यादा कयाम करतें हैं तो नमाज़ पूरी करते हैं।

सय्यदना अली(رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: जो शख़्स दस रातें कयाम करना चाहता है वह नमाज़ पूरी पढ़े।

सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) से मर्वी है कि जिस शख़्स को पन्द्रह दिन कयाम करना है वह नमाज़ मुकम्मल पढ़े उन से 12 दिन भी मर्वी है। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं: ''जब चार रातें क़याम करे तो नमाज़ भी चार रकअ़तें पढ़े।'' उन से यह बात रिवायत करने वाले क़तादा और अता ख़ुरासानी हैं। लेकिन उनसे दाऊद बिन अबी हिन्द ने उन हज़रात के ख़िलाफ़ रिवायत की है। इस मसले में अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है।

सुफ़ियान सौरी (رحمه الله) और अहले कूफा पन्द्रह दिन की मुद्दत मुक़र्रर करते हुए कहते हैं: ''जब पन्द्रह दिन ठहरने का पुख़्ता इरादा है तो नमाज़ पूरी पढ़े।''

औज़ाई (رحمه الله) कहते हैं: ''जब बारह दिन कयाम करने का इरादा हो तो मुकम्मल नमाज़ पढ़े।''

मालिक बिन अनस, शाफ़ेई और अहमद (رحمه الله) कहते हैं जब चार दिन क़याम करने का इरादा हो तो नमाज़ मुकम्मल पढ़े।

लेकिन इस्हाक़ (رحمه الله) ने सब से क़वी मज़हब अब्दुल्लाह बिन अब्बास(رضي الله عنه) की हदीस को क़रार दिया है क्योंकि वह नबी(ﷺ) से मर्वी है और अब्दुल्लाह बिन अब्बास(رضي الله عنه) ने नबी(ﷺ) के बाद उसकी तावील करते हुए उन्नीस दिन इक़ामत के इरादे पर नमाज़ को मुकम्मल पढ़ा है।

इसके बाद अहले इल्म का इज्मा है कि मुसाफिर जब तक ठहरने का पुख़्ता इरादा नहीं करता क़स्र ही पढ़ता रहेगा अगरचे कई साल भी गुज़र जाएँ।

549 -حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَفَرًا، فَصَلَّى تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَنَحْنُ نُصَلِّي فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا.

549 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक सफ़र किया तो उसमें उन्नीस दिन तक दो-दो रकअ़तें पढ़ते रहे। (अब्दुल्लाह बिन अब्बास(رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: ''हम भी उन्नीस दिन तक दो- दो रकअ़तें पढ़ते हैं लेकिन जब इससे ज़्यादा क़याम करते हैं तो हम चार रकअ़तें ही पढ़ते हैं।'' (बुखारी: 1080. इब्ने माजा: 1075.)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब सहीह है।

41 - सफ़र में नफ़ल नमाज़ पढ़ना.

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ.

550 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي بُسْرَةَ الغِفَارِيِّ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا، فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ.

550 - सय्यदना बरा बिन आज़िब(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैं अट्ठारह सफरों में रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ रहा, मैंने आप(ﷺ) को सूरज ढलने के बाद जुहर से पहले दो रकअतें छोड़ते हुए कभी नहीं देखा।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 1222. मुसनद अहमद: 4/292. इब्ने खुज़ैमा: 1253.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: बरा बिन आज़िब(رضي الله عنه) की हदीस गरीब है।

नीज़ फ़रमाते हैं: ''मैंने मुहम्मद (رحمه الله) बिन इस्माईल बुख़ारी से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्हें लैस की सनद से उसकी पहचान न थी और उन्हें अबू बसरा अल गिफ़ारी के नाम का भी पता नहीं चला और वह इस रिवायत को हसन ख़याल करते थे। जबकि अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) से मर्वी है कि नबी(ﷺ) सफ़र में फ़र्ज़ नमाज़ से पहले या बाद में नफ़ल नमाज़ नहीं पढ़ते थे। जबकि उनसे यह भी मर्वी है कि नबी(ﷺ) सफ़र में नफ़ल नमाज़ पढ़ते थे।

फिर नबी(ﷺ) के बाद अहले इल्म का इस मसले में इख़्तिलाफ़ हुआ नबी(ﷺ) के बअज़ सहाबा के मुताबिक आदमी सफ़र में नफ़ल पढ़ सकता है। इमाम अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हैं: जबकि उलमा की एक जमाअत (नमाज़ से पहले) और बाद में नवाफ़िल पढ़ने को दुरुस्त नहीं समझती, वह कहते हैं कि सफ़र में नफ़ल ना पढ़ने का मतलब रूख़्सत को कुबूल करना है लेकिन जो नवाफ़िल अदा करता है उसके लिए इस में बहुत फ़ज़ीलत है। अक्सर अहले इल्म इसी को अपनाते हुए सफ़र में नफ़ल नमाज़ को पसंद करते थे।

551 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى

551 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने सफ़र में नबी (ﷺ) के साथ जुहर की दो रकअतें पढ़ीं और उसके बाद भी दो रकअतें नफ़ल पढ़ीं।

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ.

ज़ईफ़ुल इस्नाद मुन्करूल मतन ले-मुखालिफतिही ले-हदीसिही अल-मुतक़द्दिम. (544)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। इसे इब्ने अबी लैला ने भी अतिय्या और नाफ़े के वास्ते के साथ अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) से रिवायत किया है।

552 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا، وَالمَغْرِبَ فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً، ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ، لاَ يَنْقُصُ فِي حَضَرٍ وَلاَ سَفَرٍ، وَهِيَ وِتْرُ النَّهَارِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ.

552 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ हज़र व सफ़र में नमाज़ पढ़ी है। मैंने आप के साथ हज़र में जुहर की चार रकअतें फर्ज़ और उसके बाद दो रकअतें पढ़ीं और सफ़र में जुहर की दो रकअतों के बाद दो नफ़ल रकअतें अदा कीं। और असर की दो रकअतें ही पढ़ीं इसके बाद कुछ नहीं जब कि मग़रिब की हज़र और सफ़र में बराबर तीन रकअतें ही पढ़ीं। इन में हज़र व सफ़र में कोई कमी नहीं होती क्योंकि वह दिन के वित्र हैं और इसके बाद दो रकअतें पढ़ीं।

ज़ईफ़ुल इस्नाद मुन्करूल मतन: इब्ने खुजैमा: 1254.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। नीज़ मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) से सुना वह फ़र्माते रहे हैं: ''मेरे नज़दीक इब्ने अबी लैला की इससे ज़्यादा तअज्जुब वाली हदीस कोई नहीं, मैं इस से कुछ भी रिवायत नहीं करता।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ.

42 - दो नमाज़ों को इकट्ठा करके पढ़ना.

553 -حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

553 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि गज्व-ए-तबूक के सफ़र में नबी(ﷺ) जब सूरज ढलने से पहले कूच करते तो आप जुहर की नमाज़ में ताखीर करते, यहाँ तक कि उसे असर के साथ मिला लेते और

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى العَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَّلَ العَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ العِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمغْرِبِ عَجَّلَ العِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ.

उन दोनों को इकट्ठा करके पढ़ते और जब सूरज ढलने के बाद कूच करते तो असर को जल्दी करके जुहर के साथ मिला लेते, और जुहर व असर इकट्ठी पढ़ते फिर आप(ﷺ) चलते और जब आप मग़रिब से पहले कूच करते तो मग़रिब को मुअख्खर (देरी) करते यहाँ तक कि उसे इशा के साथ पढ़ते और जब आप मग़रिब के बाद चलते तो इशा को जल्दी करके उसे मग़रिब के साथ पढ़ लेते।

मुस्लिम: 706. अबू दाऊद: 1206. इब्ने माजा: 1070. निसाई: 587.

वजाहत: इस मसले में अली, इब्ने उमर, अनस, अब्दुल्लाह बिन अम्र, आयशा, इब्ने अब्बास, उसामा बिन ज़ैद और जाबिर बिन अब्दुल्लाह(رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सहीह रिवायत उसामा से है। नीज़ अली बिन मदीनी ने भी बवास्ता अहमद बिन हम्बल (رحمه الله) कुतैबा से यही हदीस रिवायत की है।

554 -حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا اللُّؤْلُؤِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الأَعْيَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِهَذَا.

554 - (अबू ईसा तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं) : हमें अब्दुस्समद बिन सुलैमान ने उन्हें ज़करिया अल्लूई ने (वह कहते हैं) हमें अबू बकर बिन अल आयन ने बवास्ता अली बिन मदीनी अहमद बिन हंबल से और उन्होंने कुतैबा से मुआज़ बिन जबल(رضي الله عنه) की यह हदीस बयान की है।

मुहक्क़िक़ ने इस पर तख़रीज और हुक्म नहीं ज़िक्र किया.

वज़ाहत: मुआज़ की हदीस हसन गरीब है। इस में हमारे इल्म के मुताबिक कुतैबा (رحمه الله) लैस से रिवायत करने में तन्हा हैं और लैस की यजीद बिन साबित से बवास्ता अबू तुफैल, सय्यदना मुआज़(رضي الله عنه) से मर्वी हदीस ग़रीब है। नीज़ उलमा के नज़दीक मुआज़(رضي الله عنه) की हदीस अबू जुबैर से बवास्ता अबू तुफैल मारूफ है कि मुआज़ फ़रमाते हैं: ''नबी(ﷺ) ने गज़वए तबूक (के सफ़र में) जुहर व असर और मग़रिब व इशा को जमा किया था।''

इस हदीस को कुर्रा बिन ख़ालिद, सुफ़ियान सौरी और मालिक वग़ैरह ने अबू ज़ुबैर मक्की से रिवायत किया है। इसी हदीस से इस्तिदलाल करते हुए इमाम शाफ़ेई फतवा देते हैं।

इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمهما الله) कहते हैं: ''सफ़र में आदमी एक नमाज़ के वक़्त में दो नमाज़ें जमा कर सकता है।

555 ـحَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ اسْتُغِيثَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ، فَجَدَّ بِهِ السَّيْرُ، فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ.

555 - नाफ़े (رحمه الله) कहते हैं कि सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) को उनके अहल में से किसी की बहुत सख़्त बीमारी की इत्तला दी गयी तो उन्हें रवाना होने की जल्दी थी उन्होंने मग़रिब में ताख़ीर की यहां तक कि जब सुर्ख़ी ग़ायब हो गयी। उतरे और मग़रिब व इशा दोनों को जमा किया। फिर उन्हें बताया कि नबी(ﷺ) को जब रवाना होने कि जल्दी होती तो ऐसे ही किया करते थे।

बुखारी: 1092. मुस्लिम: 705. अबू दाऊद: 1207. निसाई:855.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और लैस की बवास्ता ज़ैद बिन अबी हबीब बयान की गयी हदीस भी हसन सहीह है।

اسْتُغِيثَ: यह लफ़्ज़ इस्तिगासा से निकला है जिसका मतलब है किसी को मदद के लिए पुकारना जो उस मुसीबत में उसके काम आ सके। उनकी बीवी बीमार थीं उन्होंने पैगाम भेजा था ताकि जल्द घर वापस आकर उनके लिए इलाज व मुआलजा का एह्तमाम कर सकें।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ.

43 - नमाज़े इस्तिस्का का बयान.

556 ـحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِهِمْ

556 - अब्बाद बिन तमीम अपने चचा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम अल्माज़िनी (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) लोगों को लेकर इस्तिस्का के लिए निकले और आप(ﷺ) ने उन्हें दो रकअतें पढ़ाई, उनमें

رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاسْتَسْقَى، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

किरअत भी बुलंद आवाज़ से की, अपनी चादर को उलटा, हाथ उठा कर पानी मांगा और क़िब्ला की तरफ़ मुंह किया।

बुखारी: 1005. मुस्लिम: 894. अबू दाऊद: 1161. इब्ने माजा: 1267. निसाई: 1505.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा और आबी अल लहम (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं; : अब्दुल्लाह बिन ज़ैद(رضي الله عنه) की हदीस हसन है। और उलमा का इसी पर अमल है। नीज़ शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हैं। अब्बाद बिन तमीम के चचा का नाम अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम अल्माज़िनी(رضي الله عنه) है।

तौज़ीह: اِسْتِسْقَاء: बारिश की ज़रुरत हो और बारिश न हो रही हो तो बाहर खुले मैदान में निकल कर नमाज़ पढ़ी जाए और उसमें अल्लाह से दुआ की जाये कि हमें बारिश अता कर दे उसे नमाज़े इस्तिस्का कहा जाता है।

557 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، عَنْ آبِي اللَّحْمِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ يَسْتَسْقِي، وَهُوَ مُقْنِعٌ بِكَفَّيْهِ يَدْعُو.

557 - सय्यदना आबी अल लहम(رضي الله عنه) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को अह्ज़ारे ज़ैत के पास इस्तिस्का करते हुए देखा और आप(ﷺ) अपने दोनों हाथों को उठाये हुए दुआ कर रहे थे।

सहीह: अबू दाऊद: 1168. निसाई: 1514.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं; क़ुतैबा ने भी अपनी सनद में आबी अल लहम का ज़िक्र किया है और हमारे इल्म के मुताबिक उनकी नबी(ﷺ) से यही एक हदीस है। जब कि आबी अल्लहम के आज़ादकर्दा उमैर ने नबी(ﷺ) से बहुत सी अहादीस रिवायत की है क्योंकि वह भी सहाबी थे।

तौजीह : मदीने के दाखली रास्ते के करीब एक जगह है उसे अह्जारे ज़ैत (जैतून के पत्थर) इसलिए कहा जाता है कि उस जगह के पत्थर सियाह थे और ऐसे लगता था जैसे उन पर जैतून का तेल लगाया गया हो।

558 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ وَهُوَ ابْنُ

558 - अब्दुल्लाह बिन किनाना अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मुझे अमीरे मदीना वलीद

عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَرْسَلَنِي الوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ اسْتِسْقَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا، حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى، فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي العِيدِ.

बिन उक़्बा ने सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास के पास भेजा ताकि मैं उनसे रसूलुल्लाह(ﷺ) की नमाज़े इस्तिस्का के बारे में पूछूं मैं उनके पास आया तो उन्होंने फ़रमाया, रसूलुल्लाह(ﷺ) बगैर जीनत, आजिजी के साथ गिड़गिड़ाते हुए घर से निकले यहाँ तक कि नमाज़ की जगह मैदान में आये और तुम्हारे इस खुत्बे की तरह खुत्बा नहीं दिया। बल्कि आप दुआ में गिड़गिड़ाते रहे और तक्बीर कहते रहे और ईद की तरह दो रकअतें पढ़ी।

हसन:अबू दाऊद:1165. इब्ने माजा:1266. निसाई: 1506

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है

559 -حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ :حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ :مُتَخَشِّعًا.

559 - (अबू ईसा फ़रमाते) हैं हमें महमूद बिन ग़ैलान ने वह कहते हैं हमें वकीअ ने सुफ़ियान से हिशाम बिन इस्हाक के वास्ते के साथ अब्दुल्लाह बिन किनाना से उनके बाप की रिवायत इसी तरह बयान की है और उसमें यह भी ज़िक्र किया है कि आप(ﷺ) खुशूअ के साथ चलते हुए आये।

हसन: गुज़िश्ता हदीस देखें.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। और इमाम शाफेई भी कहते हैं कि इस्तिस्का की नमाज़ ईदैन की नमाज़ की तरह है पहली रकअ़त में सात तक्बीरें कहे और दूसरी में पांच। उन्होंने ये दलील अब्दुल्लाह बिन अब्बास(رضي الله عنه) की हदीस से ली है।

नीज़ इमाम मालिक रहिमहुल्लाह से मर्वी है कि नमाज़े ईदैन की तरह नमाज़े इस्तिस्का में तकबीर न कहे। अबू हनीफा नोमान बिन साबित कहते है; नमाज़े इस्तिस्का न पढ़ी जाये और न मैं चादर फेरने का हुक्म देता हूँ बल्कि सिर्फ़ दुआ करें और सब लोगों को लेकर वापस आ जाएं; तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं इस फतवे में उन्होंने सुन्नत की मुख़ालिफ़त की है,

44 - नमाज़े कुसूफ़ का बयान.

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ.

560 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَالأُخْرَى مِثْلُهَا.

560 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने सूरज ग्रहण की नमाज़ पढ़ी तो आप(ﷺ) ने किरअत की, फिर रुकू किया, फिर किरअत की, फिर रुकू किया फिर किरअत की, फिर रुकू क्या यानी यह काम तीन मर्तबा किया। फिर आपने दो सज्दे किये और दूसरी रकअत भी इसी तरह पढ़ी।

मुस्लिम: 909. अबू दाऊद: 1183. निसाई: 1468

वज़ाहत: इस मसले में अली, आयशा, अब्दुल्लाह बिन अम्र, नौमान बिन बशीर, मुगीरह बिन शोबा, अबू मसऊद, अबू बकरा, समुरह, इब्ने मसऊद, अस्मा बिन्ते अबी बकर सिद्दीक, इब्ने उमर, क़बीसा अल हिलाली, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अबू मूसा, अब्दुर्रहमान बिन समुरह और उबय इब्ने काब(رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं; अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास(رضي الله عنه) की हदीस हसन है। नीज़ इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से यह भी मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने सूरज ग्रहण के मौक़े पर चार सज्दों के साथ चार रकअ़तें पढ़ीं। इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी यही कहते हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं; नमाज़े कुसूफ़ की किरअ़त में अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है बअज़ कहते हैं दिन के वक़्त अगर नमाज़े कुसूफ़ पढ़ी तो किरअ़त पोशीदा होगी। जबकि बअज़ कहते हैं कि जुमा और ईदैन की तरह किरअ़त बलंद आवाज़ से होगी।

इमाम मालिक, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी बलंद किरअ़त करने को कहते हैं।

इमाम शाफ़ेई कहते हैं: ''किरअ़त बलंद ना करें जबकि नबी(ﷺ) से दोनों तरह की रिवायत साबित हैं। नबी(ﷺ) से यह भी साबित है कि आप ने चार सज्दों के साथ चार रकअ़तें पढ़ाई। इस तरह यह भी साबित है कि चार सज्दों के साथ छ रकअ़त पढ़ाई। उलमा के नज़दीक यह चीज़ ग्रहण की मुद्दत के हिसाब से जायज़ है कि अगर ग्रहण लंबा हो जाए तो चार सज्दों के साथ छ: रुकू करना जायाज़ है। और अगर चार सज्दे और चार रुकू करे और किरअ़त को लंबा करे तो भी जायज़ है। नीज़ हमारे अस्हाब के मुताबिक़

सूरज या चाँद के ग्रहण के मौके पर नमाज़े कुसूफ़ बाजमाअत पढ़ी जायेगी।

तौज़ीह: كُسُوف: सूरज और ज़मीन के दर्मियान चाँद के हायल होने की वजह से सूरज की रोशनी ग़ायब या कम हो जाना।

561 ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، وَهِيَ دُونَ الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ.

561 - सय्यदा आयशा(رضی اللہ عنہا) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में सूरज को ग्रहण लग गया तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने लोगों को नमाज़ पढ़ाई और आप ने लम्बी किरअत की, फिर रुकू किया तो लंबा रुकू किया, फिर रुकू से अपने सर को उठाया तो लम्बी किरअत की लेकिन यह पहले किरात से कम थी, फिर आपने लंबा रुकू किया और यह पहले रुकू से छोटा था फिर रुकू से सर उठाया तो सज्दा किया। फिर दूसरी रकअत में भी इसी तरह किया।

बुखारी: 1044. मुस्लिम: 901. अबू दाऊद: 1180. इब्ने माजा: 1263. निसाई: 1476.

वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। और इसी हदीस की बिना पर इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمہ اللہ) कहते हैं कि नमाज़े कुसूफ़ चार रुकू और चार सज्दों के साथ होगी। इमाम शाफ़ेई फ़रमाते हैं: इमाम पहली रकअत में सूरह फातिहा के साथ सूरह बकरह के बराबर ख़ामोशी के साथ किरअत करे अगर ग्रहण दिन के वक़्त है तो फिर किरअत के बराबर रुकू करे, फिर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू से सर उठाए और खड़ा रहे, साथ सूरह फातिहा और आले इमरान के बराबर किरअत करे फिर किरअत के बराबर रुकू करे फिर سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ: कहे उसके बाद दो सज्दे मुकम्मल करे और हर सज्दा रुकू के बराबर करे फिर दूसरी रकअत के लिए खड़ा हो सूरह फातिहा के साथ सूरह निसा के बराबर किरअत करे, फिर किरअत के बराबर रुकू करे, फिर الله اکبر: कहकर रुकू से उठे और खड़ा रहे और सूरह माइदा के बराबर किरअत करे फिर किरअत के बराबर रुकू करे फिर سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ: कहकर रुकू से उठे, फिर दो सज्दे करे और तशह्हुद पढ़ने के बाद सलाम फेर दे।

45 - नमाज़े कुसूफ़ में किरअत कैसे की जाए?

بَابٌ: كَيْفَ الْقِرَاءَةُ فِي الْكُسُوفِ.

562 - सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब(رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने ग्रहण के मौके पर हमें नमाज़ पढ़ाई तो हम आप(ﷺ) की किरअत की कोई आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 1184. इब्ने माजा: 1364. निसाई: 1484.

562 -حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ :حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عِبَادٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفٍ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا.

वज़ाहत: इस मसले में आयशा(رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं; समुरह बिन जुन्दुब(رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह ग़रीब है। नीज़ बअज़ उलमा का यही मज़हब है और इमाम शाफ़ेई भी यही कहते हैं।

563 - सय्यदा आयशा(رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि नबी(ﷺ) ने नमाज़े कुसूफ़ पढ़ाई तो उसमें बलंद आवाज़ से किरअत की।

बुखारी: 1065. मुस्लिम: 901. अबू दाऊद:1188.

563 -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةَ الكُسُوفِ وَجَهَرَ بِالقِرَاءَةِ فِيهَا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। और अबू इस्हाक़ अल फ़ज़ारी ने भी सुफियान बिन हुसैन से इसी तरह रिवायत की है। नीज़ इमाम मालिक बिन अनस, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) भी इसी हदीस के मुताबिक फतवा देते हैं।

46 - नमाज़े खौफ़ का बयान.

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الخَوْفِ.

564 - सालिम अपने बाप (सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि०) से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने मुजाहीदीन की एक

564 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ :

حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةُ العَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَقَامُوا فِي مَقَامِ أُولَئِكَ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ، وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ.

जमाअत को नमाज़े खौफ़ की एक रकअत पढ़ाई, दूसरी जमाअत दुश्मन के सामने दिफा के लिए खड़ी रही। फिर यह नमाज़ पढ़ने वाले उन दिफा करने वालों की जगह जाकर खड़े हो गए और वह आ गए तो नबी(ﷺ) ने उन्हें दूसरी रकअत पढ़ाई, फिर आप(ﷺ) ने सलाम फेर दिया और उन्होंने खड़े होकर अपनी नमाज़ को पूरा कर लिया। और जो दुश्मन के सामने थे उन्होंने भी अपनी बकिया रकअत पढ़ ली।

बुखारी: 943. मुस्लिम: 4535. इब्ने माजा: 1258. निसाई:1538.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, हुज़ैफा, ज़ैद बिन साबित, इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा, इब्ने मसऊद, सहल बिन अबी हस्मा, अबू अयाश अज्ज़र्की, जिनका नाम ज़ैद बिन सामित था और अबू बकरा(رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी हैं।

इमाम अहमद (رحمه الله) फ़रमाते हैं; नमाज़े खौफ़ नबी(ﷺ) से कई तरीकों के साथ मर्वी है और मेरे इल्म के मुताबिक इस मसले में सिर्फ़ एक ही सहीह हदीस है और उन्होंने भी सहल बिन अबी हस्मा(رضي الله عنه) की हदीस को इख़्तियार किया इस्हाक़ बिन इब्राहीम भी इसी तरह कहते हैं कि नमाज़े खौफ़ के मुताल्लिक़ नबी(ﷺ) से कई रिवायात हैं और उनके नज़दीक नबी(ﷺ) से जो भी तरीक़ा मर्वी है उसके मुताबिक नमाज़े खौफ़ पढ़ना दुरुस्त है और यह हर एक तरीक़ा खौफ़ के मुताबिक है नीज़ फ़रमाते हैं कि हम बाकी रिवायत को छोड़ कर सिर्फ़ सहल बिन अबी हस्मा(رضي الله عنه) की रिवायत को इख़्तियार नहीं कर सकते हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं; सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है नीज़ इस हदीस को मूसा बिन उक़्बा ने नाफ़े के वास्ते के साथ अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) से इसी तरह रिवायत है।

तौज़ीह: صَلَاةِ الخَوْفِ: दौराने जंग पढ़ी जाने वाली फर्ज़ नमाज़ को नमाज़े खौफ़ से ताबीर किया गया है क्योंकि यह नमाज़ खौफ़ के आलम में पढ़ी जाती है। कि कहीं कोई दुश्मन नुकसान न पहुंचा दे।

565 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

565 - सय्यदना सहल बिन अबी हस्मा(رضي الله عنه) नमाज़े खौफ़ के बारे में फ़रमाते हैं: इमाम क़िब्ला की तरफ़ मुंह करके खड़ा हो और एक

بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الخَوْفِ، قَالَ: يَقُومُ الإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ العَدُوِّ، وَوُجُوهُهُمْ إِلَى العَدُوِّ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ، وَيَسْجُدُونَ لأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ، ثُمَّ يَذْهَبُونَ إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ، وَيَجِيءُ أُولَئِكَ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ.

जमाअत इमाम के साथ खड़ी हो जाए और एक जमाअत दुश्मन के सामने उनकी तरफ़ मुंह करके खड़ी हो जाए इमाम उन्हें एक रकअ़त पढाये और दूसरी वह खुद पढ़ें रुकू करे और सज्दा करे, और फिर दूसरे लोगों की जगह चले जाएँ। और वह लोग आ जायें तो इमाम उनको भी एक रकअ़त पढ़ाये और दो सज्दे करे तो यह इमाम के लिए दो रकअ़तें हो जायेंगी और उन के लिए एक फिर वह दूसरी रकअ़त पढ़ें और दो सज्दे करें।

बुखारी: 4131. मुस्लिम: 841. अबू दाऊद: 1237. निसाई: 1536. तोहफतुल अशराफ़:4645.

566 -قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ؟ فَحَدَّثَنِي عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، وقَالَ لِي يَحْيَى: اكْتُبْهُ إِلَى جَنْبِهِ، وَلَسْتُ أَحْفَظُ الحَدِيثَ، وَلَكِنَّهُ مِثْلُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ.

566 - (अबू ईसा (رحمه الله) फ़रमाते हैं०) मुहम्मद बिन बश्शार कहते हैं मैंने यहया बिन सईद अल क़त्तान से इस हदीस की सनद के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे शोबा से अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम और उनके बाप के वास्ते के साथ सालेह बिन खव्वात के ज़रिया सय्यदना सहल बिन अबी हस्मा से नबी(ﷺ) यहया बिन सईद अल अन्सारी की बयान कर्दा हदीस जैसी हदीस बयान की और यहया बिन सईद ने मुझसे कहा यह इसके साथ लिख दो मैं इस हदीस को अच्छी तरह नहीं याद रख सका लेकिन यह यहया बिन सईद अन्सारी की हदीस की तरह है।

सहीह: अबू दाऊद: 1237. इब्ने माजा: 1259. तोहफतुल अशराफ़.4645.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। और यहया बिन सईद ने इसे क़ासिम बिन मुहम्मद से मर्फ़ूअ़ बयान नहीं किया, इसी तरह यहया बिन सईद के शागिर्द भी इसे मौकूफन ही रिवायत करते हैं लेकिन शोबा ने अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम बिन मुहम्मद से इसे मर्फ़ू रिवायत किया है।

567 -وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الخَوْفِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

567 - मालिक बिन अनस ने बवास्ता यजीद बिन रूमान, सालेह बिन खव्वात से और उन्होंने एक ऐसे शख़्स से जिसने नबी(ﷺ) के साथ नमाज़े खौफ़ पढ़ी थी इसी तरह रिवायत ज़िक्र की है।

बुखारी: 4129. मुस्लिम: 842. अबू दाऊद: 1238. निसाई: 1537.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ मालिक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हैं।

जबकि बहुत से रिवायात से यह भी मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने दोनों जमाअतों को एक-एक रकअ़त पढ़ाई, इसी तरह नबी(ﷺ) की दो रकअ़तें हो गयीं और सहाबा की एक एक रकअ़त। इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं; अबू अयाश अज़्ज़र्की का नाम ज़ैद बिन सामित(رضی اللہ عنہ) है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ القُرْآنِ.

47 - कुरआन के सज्दों का बयान.

568 -حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عُمَرَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَجَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً مِنْهَا الَّتِي فِي النَّجْمِ.

568 - सय्यदना अबू दर्दा(رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं कि मैंने नबी(ﷺ) के साथ तिलावत के ग्यारह सज्दा किये उनमें से सज्दा एक सूरह नज्म में भी था।

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 1055. मुसनद अहमद: 5/ 194.

वज़ाहत: इस मसले में अली, इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा, इब्ने मसऊद ज़ैद बिन साबित और अम्र बिन आस(رضی اللہ عنہ) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं; अबू दर्दा(رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है। हमें सिर्फ़ सईद बिन अबी हिलाल अद्दमिश्की की सनद से ही मिलती है।

569 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عُمَرَ وَهُوَ ابْنُ حَيَّانَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُخْبِرًا يُخْبِرُ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

569 - सय्यदना अबू दर्दा(رضي الله عنه) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ ग्यारह सज्दे किये, जिन में एक सूरह नज्म वाला सज्दा भी था।

ज़ईफ़.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं; यह हदीस सुफ़ियान बिन वकीअ की अब्दुल्लाह बिन वहब से नक़लकर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ.

48 - औरतों का मस्जिद में जाना.

570 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، فَقَالَ ابْنُهُ: وَاللَّهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ يَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً فَقَالَ: فَعَلَ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُ: لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ.

570 - मुजाहिद रहिमहुल्लाह) फ़रमाते हैं कि हम सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने कहा रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया है : ''औरतों को रात के वक़्त मस्जिदों में जाने की इजाज़त दे दिया करो।'' तो उनके बेटे ने कहा: ''अल्लाह की क़सम! हम उन्हें इजाज़त नहीं देंगे क्योंकि वह इसे धोका देने का ज़रिया बना लेंगी।'' यह सुनकर अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) ने फ़र्माया: ''अल्लाह तेरे साथ इस तरह करे, (यानी बद दुआ दी) मैं कहता हूँ अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़र्माया है और तू कहता है कि हम उन्हें इजाज़त नहीं देंगे।''

बुखारी: 865. मुस्लिम:442. अबू दाऊद: 568. इब्ने माजा: 16.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन मसऊद की बीवी ज़ैनब और ज़ैद बिन ख़ालिद(رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं; अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

तौज़ीह: دَغَلاً: इसका असल मानी दरख्तों का झुण्ड जिसमें धोका देने के लिए आदमी छुप जाए यानी मस्जिद में जाकर बातें करेंगी वगैरह वगैरह।

49 - मस्जिद में थूकना मना है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

571 - सय्यदना तारिक़ बिन अब्दुल्लाह अल मुहारिबी(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब तुम नमाज़ में हो तो अपनी दायें जानिब मत थूको लेकिन अपने पीछे, बाएं जानिब या अपने बाएं पाँव के नीचे (थूक सकते हो)।

(571) सहीह 478. इब्ने माजा: 1021. निसाई: 726.

571 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَبْزُقْ عَنْ يَمِينِكَ، وَلَكِنْ خَلْفَكَ، أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى.

वजाहत: इस मसले में अबू सईद, इब्ने उमर, अनस और अबू हुरैरा(رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: तारिक़(رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म के नज़दीक इसी पर अमल है। नीज़ फ़रमाते हैं: मैंने जारूद को यह कहते हुए सुना कि रिब्ई बिन हराश ने इस्लाम में कभी झूठ नहीं बोला और अब्दुर्रहमान बिन महदी कहते हैं: ''कूफा में सबसे पुख़्ता रावी मंसूर बिन मोतमिर थे।''

572 - अनस बिन मालिक(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''मस्जिद में थूकना गुनाह है और इसका कफ़्फ़ारा उस थूक को दफ़न करना (या साफ़) करना है।''

बुखारी:415. मुस्लिम:552. अबू दाऊद: 476.

572 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِي: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}، وَ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}

50 - सूरह इन्शिकाक़ और सूरह अलक़ में सज्दा का बयान.

573 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}، وَ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ.}

573 - सय्यदना अबू हुरैरा(رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} (सूरह आला) और {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}। सूरह इन्शिकाक़ में सज्दा किया था।

बुखारी:766. मुस्लिम:578. अबू दाऊद:1407. इब्ने माजा: 1058. निसाई: 963.

574 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

574 - उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हिशाम से (और वह) अबू हुरैरा(رضي الله عنه) के ज़रिया नबी(ﷺ) से इसी तरह की हदीस रिवायत करते हैं।

सहीह: अबू दाऊद: 1407. इब्ने माजा: 1059.

वज़ाहत: इस हदीस में चार ताबेईन हैं जो एक दूसरे से रिवायत करते हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदना अबू हुरैरा(رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए सूरह इन्शिकाक़ और (सूरह आला) में सज्दे के क़ायल हैं।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِي النَّجْمِ.

51 - सूरह नज्म में सज्दा

575 حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ البَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ

575 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सूरह नज्म में सज्दा किया और (आपके साथ)

عَبَّاسٍ، قَالَ :سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، يَعْنِي النَّجْمَ، وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ.

मुसलमानों, मुशरिकों, जिन्नों और इंसानों ने भी सज्दा किया।

बुखारी: 1071. इब्ने हिब्बान:2753.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद और अबू हुरैरा(ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास(ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। और बअज़ उलमा इसी पर अमल करते हुए सूरह नज्म में सज्दे के क़ायल हैं।

नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा कहते हैं कि मुफ़स्सल सूरतों में सज्दा नहीं है। यही कौल इमाम मालिक बिन अनस (ﷺ) का भी है। लेकिन पहला कौल सहीह है नीज़ सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) भी यही कहते हैं।

52- इस सूरह में सज्दा न करना.

بَابُ مَا جَاءَ مَنْ لَمْ يَسْجُدْ فِيهِ.

576 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ :حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ :قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.

576 - सय्यदना ज़ैद बिन साबित(ﷺ) फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को सूरह नज्म पढ़ कर सुनाई तो आपने इसमें सज्दा नहीं किया।

बुखारी: 1072. मुस्लिम: 577. अबू दाऊद: 1404. निसाई: 960.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: सय्यदना ज़ैद बिन साबित(ﷺ) की हदीस हसन सहीह है।

इस हदीस की तावील करते हुए बअज़ उलमा फ़रमाते हैं कि नबी(ﷺ) ने सज्दा इसलिए नहीं किया था क्योंकि ज़ैद बिन साबित पढ़ रहे थे, उन्होंने सज्दा नहीं किया तो नबी(ﷺ) ने भी सज्दा नहीं किया। और वह कहते हैं कि सुनने वाले पर वाजिब है और वह उसे छोड़ने की इजाज़त नहीं देते। नीज़ कहते हैं कि अगर आदमी ने बगैर वुज़ू (आयते सज्दा) सुनी है तो जब वुज़ू करेगा तब सज्दा करेगा। ये कौल सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा का है, इस्हाक भी यही कहते हैं लेकिन बअज़ उलमा कहते हैं है कि सज्दा उस पर वाजिब है जो उसकी फ़ज़ीलत तलाश करते हुए सज्दा करना चाहता है और वह जब चाहे उसको छोड़ने की रूख्सत देते हैं उन्होंने ज़ैद बिन साबित(ﷺ) की मर्फू हदीस से दलील ली है जैसा कि वह फ़रमाते हैं;

मैंने नबी(ﷺ) को अन नज्म पढ़कर सुनाई तो आप ने उसमें सज्दा नहीं किया; वह कहते हैं कि अगर सज्दा वाजिब होता तो नबी(ﷺ) ज़ैद को सज्दा करने के बगैर न छोड़ते और खुद भी सज्दा करते। और उन्होंने सय्यदना उमर(رضي الله عنه) की हदीस से भी दलील ली है कि उन्होंने मिंबर पर आयते सज्दा की किरअत की तो नीचे उतर कर सज्दा किया, फिर दूसरे जुमा में भी (वही आयत) पढ़ी तो लोग सज्दे के लिए तैयार हो गए तो उन्होंने फ़रमाया, ये (सज्दा तिलावत) हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है मगर हम चाहें तो कर सकते हैं तो उन्होंने खुद भी सज्दा न किया और लोगों ने भी न किया। बअज़ उलमा का यही मज़हब है। नीज़ शाफ़ेई और इमाम अहमद का भी यही कौल है।

53 - सूरह साद का सज्दा

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِي ص.

577 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को सूरह साद में सज्दा करते हुए देखा। इब्ने अब्बास रज़ि। फ़रमाते हैं, इस का शुमार ताकीदी हुक्म वाले सज्दों में नहीं होता।

बुखारी: 1069. अबू दाऊद: 1409. निसाई: 957.

577 ـ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي ص، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इस सज्दे के बारे में इख़्तिलाफ़ है। बअज़ कहते हैं इस सूरत में सज्दा करे सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक (رحمهم الله) का यही कौल है। बअज़ कहते हैं, ये एक नबी की तौबा का ज़िक्र है वह इसमें सज्दे के क़ायल नहीं हैं।

54 - सूरतुल हज में सज्दा का बयान

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِي الْحَجِّ.

578 - सय्यदना उक्बा बिन आमिर(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने कहा; ऐ अल्लाह के रसूल क्या सूरतुल हज को बाकी सूरतों पर फ़ज़ीलत है क्योंकि इस में दो सज्दे हैं? तो आप

578 ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فُضِّلَتْ سُورَةُ

الحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلاَ يَقْرَأْهُمَا.

(ﷺ) ने फ़रमाया हाँ जिसे यह सज्दे नहीं करने हैं वह उनकी तिलावत ही न करे।

हसन: अबू दाऊद: 1402. मुसनद अहमद: 4/151. हाकिम: 1/121.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:इस हदीस की सनद कुछ ख़ास कवी (मज़बूत) नहीं है इस के बारे में अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है

उमर बिन ख़त्ताब और अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) से मर्वी है कि सूरतुल हज को फ़जीलत हासिल है क्यूँ कि इसमें दो सज्दे हैं। यही कौल इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक (رحمه الله) का है। और बअज़ के मुताबिक़ इस में एक सज्दा है ये कौल सुफ़ियान सौरी, मालिक और अहले कूफा का है।

بَابُ مَا يَقُولُ فِي سُجُودِ القُرْآنِ.

55 - सज्द-ए-तिलावत की दुआएं

579 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ: يَا حَسَنُ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ كَأَنِّي أُصَلِّي خَلْفَ شَجَرَةٍ، فَسَجَدْتُ، فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي، فَسَمِعْتُهَا وَهِيَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ، قَالَ الحَسَنُ: قَالَ لِيَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ لِي جَدُّكَ:

579 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आकर कहने लगा; ऐ अल्लाह के रसूल मैं रात सोया हुआ था कि मैंने ख़्वाब में आपको देखा कि मैं एक दरख़्त के पीछे नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैंने सज्दा किया तो मेरे साथ दरख़्त ने भी सज्दा किया, मैं सुना; वह दरख़्त कह रहा था ऐ अल्लाह अपने पास मेरे लिए इस सज्दे के बदले अज्र लिख दे। और इसके बदले मुझसे इस गुनाह का बोझ हटा दे और इस सज्दे को मेरे लिए अपने पास ज़ख़ीरा कर ले और मुझ से इस तरह कुबूल फ़रमा जैसे तूने अपने बन्दे दाऊद(عليه السلام) से कुबूल किया था। हसन फ़रमाते है मुझे इब्ने जुरैज ने बताया कि तुम्हारे दादाजान ने मुझे बताया कि इब्ने अब्बास रज़ि। फ़र्माते है: नबी(ﷺ) ने 'आयते सज्दा पढ़ी तो सज्दा

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ سَجْدَةً، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ مِثْلَ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ.

किया मैंने सुना आप वही कलिमात कह रहे थे जो उस आदमी ने दरख़्त के हवाले से बताये थे।

हसन: इब्ने माजा: 1053. इब्ने खुजैमा: 562. बैहक़ी: 2/320.

वज़ाहत: इस बारे में अबू सईद(रज़ि०) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (रह०) फ़रमाते हैं ये हदीस अब्दुल्लाह बिन अब्बास की सनद से हसन गरीब है और हमें सिर्फ़ इसी सनद से मिलती हैं

580 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ القُرْآنِ بِاللَّيْلِ: سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

580 - सय्यदा आयशा(रज़ि०) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) रात को अपने कुरआन के सज्दों में यह दुआ पढ़ते थे; मेरे चेहरे ने उस ज़ात के लिए सज्दा किया है जिस ज़ात ने उसे पैदा किया और अपनी ताकतो-कुव्वत के साथ इस में समाअत और नज़र को बनाया।

सहीह: अबू दाऊद: 1414. निसाई: 1129.

بَابُ مَا ذُكِرَ فِيمَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَاهُ بِالنَّهَارِ

56 - जिस शख़्स के रात के वजीफ़े रह जाए वह दिन के वक़्त पढ़ ले

581 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ القَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

581 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब(रज़ि०) फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ)को फ़रमाते हुए सुना :जो शख़्स अपने वजीफे के बगैर सो जाए फिर अगर वह उसे नमाज़े फज्र से नमाज़े जुहर के दर्मियान पढ़ ले तो ऐसे ही है जैसे उस ने रात को पढ़ा था।

मुस्लिम: 747. अबू दाऊद: 1313. इब्ने माजा: 1343. निसाई: 1790.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (रह०) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

नीज़ फ़रमाते हैं अबू सफ़वान का नाम अब्दुल्लाह बिन सईद अल मक्की है और उनसे हुमैदी और किबार लोग रिवायत करते हैं।

तौजीह : حِزْبُه;से मुराद कोई भी चीज़ वज़ाइफ़, कुरआन या नमाज़ जो आदमी अपने लिए रात के वक़्त मुकर्रर कर लेता है

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ

57 - जो शख़्स इमाम से पहले सर उठा लेता है उसके लिए वईद

582 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ

582 - सय्यदना अबू हुरैरह(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मुहम्मद(ﷺ) ने फ़रमाया जो शख़्स इमाम से पहले अपना सर उठाता है क्या वह इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह तआला उसके सर को गधे के सर से बदल दे।

बुखारी: 691. मुस्लिम: 427. अबू दाऊद: 623. इब्ने माजा: 961. निसाई: 828.

वजाहत: कुतैबा कहते हैं हम्माद का कौल है कि मुहम्मद बिन ज़ियाद ने मुझे (: أَمَا يَخْشَى) के अलफ़ाज़ ही बताये थे इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और मुहम्मद बिन ज़ियाद बसरा का रहने वाला सिकह रावी है उसकी कुनियत अबुल हारिस है।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُصَلِّي الفَرِيضَةَ ثُمَّ يَؤُمُّ النَّاسَ بَعْدَ ذَلِكَ

58 - जो शख़्स फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद लोगों की इमामत करवाए

583 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَؤُمُّهُمْ.

583 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि सय्यदना मुआज़ बिन जबल(رضي الله عنه) रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ मग़रिब की नमाज़ पढ़ते थे फिर अपनी कौम के पास जाकर उनकी इमामत करवाते।

बुखारी: 800.मुस्लिम: 465. अबू दाऊद: 599. निसाई: 835.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ हमारे अस्हाब, शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) भी इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जब कोई शख़्स किसी कौम की फर्ज़ नमाज़ की इमामत करवाता है और उसने यह नमाज़ उससे पहले पढ़ भी ली हो तो मुक़्तदियों की नमाज़ दुरुस्त होगी। उनकी दलील यही जाबिर बिन अब्दुल्लाह(ﷺ) की हदीस में मुआज़(ﷺ) का क़िस्सा है और यह हदीस सहीह है जो कि सय्यदना जाबिर(ﷺ) से कई सनदों के साथ मर्वी है।

अबू दर्दा(ﷺ) से मर्वी है कि उनसे एक आदमी के बारे में पूछा गया जो मस्जिद में आया तो लोग असर की नमाज़ पढ़ रहे थे और उसके ख़याल में यह जुहर पढ़ रहे हैं तो वह उनका मुक़्तदी बन गया (तो) उन्होंने फ़र्माया उसकी नमाज़ जायज़ होगी।

अहले कूफा की एक जमाअत कहती है जब लोग एक इमाम की इक्तिदा कर रहे हों और इमाम असर की नमाज़ पढ़ा रहा हो जब कि मुक्तदियों का ख़याल हो कि यह जुहर की नमाज़ है तो अगर उन्होंने उस इमाम की इक्तिदा में पढ़ ली तो मुक्तदी की नमाज़ फ़ासिद होगी क्योंकि इमाम और मुक्तदी की नीयत मुख़्तलिफ़ (अलग-अलग) है।

بَابُ مَا ذُكِرَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي الحَرِّ وَالبَرْدِ

59 - गर्मी या सर्दी में कपड़ों के ऊपर सज्दा करने की इजाज़त

584 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الحَرِّ.

584 - सय्यदना अनस बिन मालिक(ﷺ) बयान करते हैं कि हम जब दोपहर को नबी(ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ते थे तो गर्मी से बचने के लिए अपने कपड़ों पर सज्दा करते थे।

बुखारी: 385. मुस्लिम: 620. अबू दाऊद:660. इब्ने माजा: 1033. निसाई: 1116.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस मसले में जाबिर बिन अब्दुल्लाह और इब्ने अब्बास(ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं नीज़ वकीअ ने भी इस हदीस को ख़ालिद बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत किया है।

بَابُ ذِكْرِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الجُلُوسِ فِي المَسْجِدِ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

60 - नमाज़े फज्र के बाद सूरज निकलने तक मस्जिद में बैठना मुस्तहब है।

585 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الفَجْرَ قَعَدَ فِي مُصَلاَّهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

585 - सय्यदना जाबिर बिन समुरह(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) जब फज्र की नमाज़ पढ़ लेते तो सूरज निकलने तक अपनी नमाज़ वाली जगह पर बैठे रहते थे।

मुस्लिम: 670. अबू दाऊद: 1294. निसाई: 1357.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

586 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ظِلاَلٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ.

586 - सय्यदना अनस बिन मालिक(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जिस ने फज्र की नमाज़ बा जमाअत पढ़ी फिर सूरज निकलने तक बैठ कर अल्लाह का ज़िक्र करता रहा फिर दो रकअतें पढ़ीं तो उसके लिए एक हज और उम्रे का अज्र होगा।'' रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''मुकम्मल- मुकम्मल- मुकम्मल (सवाब दिया जाता है)।

हसन: सहीहुत्तर्गीब: 464. इब्ने हजर ने इसे सहीह कहा है। देखिये: मुख़्तसर तर्गीब:प.31.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ फ़रमाते हैं कि मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी (رحمه الله)) से अबू ज़िलाल के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़र्माया: ''वह मुक़ारिबुल हदीस है और इसका नाम हिलाल है।''

61 - नमाज़ में इधर उधर देखना.

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ.

587 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلاَةِ يَمِينًا وَشِمَالاً، وَلاَ يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ.

587 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) नमाज़ में गोशा चश्म के साथ दायें बाएं देख लिया करते थे लेकिन अपनी गर्दन पीछे की तरफ़ नहीं मोड़ते थे।

सहीह निसाई: 1201. मुसनद अहमद: 1/275. इब्ने खुजैमा: 485. बैहक़ी: 2/13.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और वकीअ ने इसमें फज़ल बिन मूसा की मुख़ालफ़त की है।

तौज़ीह: लहज़ का मतलब होता है अपनी आँख की पुतली से देखना कि आँख के सियाह दायरे को घुमा लिया जाए लेकिन सर को न हिलाया जाए।

588 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلاَةِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

588 - इक्रिमा के किसी एक साथी ने रिवायत की है कि नबी(ﷺ) नमाज़ में कनखियों से देख लिया करते थे और आगे मज़कूरा रिवायत की तरह ज़िक्र की है।

सहीह.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस मसले में अनस और आयशा से भी अहादीस मर्वी हैं।

589 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا بُنَيَّ، إِيَّاكَ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لاَ فِي الفَرِيضَةِ.

589 - सय्यदना अनस(ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया: ''ऐ मेरे बेटे! नमाज़ में इधर उधर झाँकने से बचो क्योंकि नमाज़ में झांकना हलाकत है। अगर झांकना बहुत ही ज़रूरी हो तो नफ़्ल नमाज़ में झाँक लो फर्ज़ में नहीं।''

ज़ईफ़: अबू याला: 3624. तबरानी फ़िल औसत: 5988.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है।

590 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الإِلتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ، قَالَ :هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ.

590 - सय्यदा आयशा(رضي الله عنها) बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से नमाज़ में इधर उधर देखने के बारे में पूछा तो आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''यह एक उचक है जिसको शैतान आदमी की नमाज़ से उचकता है।''

बुखारी: 951. अबू दाऊद: 910. निसाई: 1196.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है।

तौज़ीह: اخْتِلاَس: धोके से छीन लेना, झपट्टा मार कर छीन लेना।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ كَيْفَ يَصْنَعُ

62 - जो आदमी इमाम को सज्दे की हालत में पाए तो वह कैसे करे?

591 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالاَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ.

591 - सय्यदना इब्ने अबी लैला और मुआज़ बिन जबल(رضي الله عنهما) दोनों रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब तुम में से कोई शख़्स नमाज़ पढ़ने आये तो इमाम जिस हालत पर भी हो तो वह इमाम की तरह ही करे।''

सहीह.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और हमारे इल्म के मुताबिक इस सनद के अलावा किसी रावी से मुत्तसिल नहीं आती नीज़ इसी पर अमल करते हुए अहले इल्म कहते हैं कि जब कोई आदमी आए तो अगर इमाम सज्दा की हालत में हो तो वह भी सज्दा करे लेकिन उसकी रकअ़त नहीं होगी। क्योंकि वह रुकू इमाम के साथ नहीं कर सका।

इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمه الله) ने भी इमाम के साथ सज्दा करने को ही इख़्तियार किया है। बअज़ कहते हैं हो सकता है कि इस सज्दा से सर उठाने से पहले उसे बख़्श दिया जाए।

63- नमाज़ के वक़्त लोगों का खड़े होकर इमाम का इन्तिज़ार करना मकरूह (नापसन्दीदा) है।

بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ النَّاسُ الإِمَامَ وَهُمْ قِيَامٌ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ

592 - अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा अपने बाप अबू क़तादा(رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''अगर नमाज़ की इक़ामत हो जाए तो तुम लोग उस वक़्त तक खड़े न हुआ करो जब तक मुझे निकलते न देख लो।''

बुखारी:637. मुस्लिम: 604. अबू दाऊद:539. निसाई: 678.

592 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي خَرَجْتُ.

वज़ाहत: इस मसले में सय्यदना अनस(رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है मगर ग़ैर महफ़ूज़ है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू क़तादा(رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से उलमा की एक जमाअत खड़े हो कर इमाम का इन्तिज़ार करने को मकरूह समझती है।

बअज़ उलमा कहते हैं कि अगर इमाम के मस्जिद में होते हुए इक़ामत हो तो लोग उस वक़्त खड़े हों जब मुअज़्ज़िन: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ. : के अलफ़ाज़ कहे। इब्ने मुबारक का भी यही क़ौल है।

64- दुआ से पहले अल्लाह की हम्दो-सना और नबी(ﷺ) पर दरूद भेजना

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ، وَالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الدُّعَاءِ

593 - अब्दुल्लाह(رضي الله عنه) कहते हैं: ''मैं नमाज़ पढ़ रहा था और नबी(ﷺ), अबू बकर और उमर(رضي الله عنه) भी तशरीफ़ फ़रमा थे जब मैं बैठा तो अल्लाह की हम्दो सना बयान की और नबी(ﷺ) पर दरूद भेजा फिर अपने लिए दुआ

593 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ مَعَهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ، ثُمَّ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلْ تُعْطَهْ، سَلْ تُعْطَهْ.

की तो नबी(ﷺ) ने फ़र्माया:'' सवाल करो अता किये जाओगे, ''सवाल करो अता किये जाओगे,''

हसन सहीह.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन मसऊद(رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ अहमद बिन हंबल ने यही हदीस यहया बिन आदम से मुख़्तसर बयान की है।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي تَطْيِيبِ الْمَسَاجِدِ.

65 - मसाजिद में ख़ुशबू का एहतमाम करना

594 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُنَظَّفَ، وَتُطَيَّبَ.

594 - सय्यदा आयशा(رضي الله عنها) फ़रमाती हैं नबी(ﷺ) ने मुहल्लों में मस्जिदें बनाने, उन्हें साफ़ सुथरा रखने और उनको ख़ुशबू लगाने का हुक्म दिया है।

सहीह: अबू दाऊद: 455. इब्ने माजा: 758.

595 -حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَوَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

595 - इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं हमें हन्नाद ने, उन्हें अब्दा और वकीअ ने हिशाम बिन उर्वा के हवाले से अपने बाप से रिवायत की है कि नबी(ﷺ) ने हुक्म दिया, फिर ऊपर वाली हदीस की तरह हदीस बयान की।

मुहक्क़िक़ ने इस पर हुक्म ज़िक्र नहीं किया. तोहफतुल अशराफ़: 19035.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस पहली हदीस से ज़्यादा सहीह है।

596 -حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ :حَدَّثَنَا

596 - हमें इब्ने अबी उमर ने, वह कहते हैं: हमें सुफ़ियान बिन उयय्ना ने उन्हें हिशाम बिन उर्वा

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

ने अपने बाप से इसी तरह ज़िक्र किया है कि नबी(ﷺ) ने हुक्म दिया फिर, पहली की मानिन्द हदीस ज़िक्र की।

मुहक्क़िक़ ने इस पर हुक्म ज़िक्र नहीं किया. लेकिन मज़कूरा दोनों हदीसें सहीह हैं। तोहफतुल अशराफ़: 10935.

वज़ाहत: सुफ़ियान फ़रमाते हैं मुहल्लों में मस्जिदें बनाने से मुराद क़बाइल हैं।

بَابُ: مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

66 - दिन और रात की नफ़ल नमाज़ दो-दो रकअतें हैं।

597 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ الأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى.

597 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''दिन और रात की नफ़ल नमाज़ दो-दो रकअतें हैं।''

सहीह: इब्ने माजा: 1322 निसाई: 1666

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: शोबा के साथियों ने अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) की हदीस में इख़्तिलाफ़ किया है।

अब्दुल्लाह उमरी नाफ़े से वह अब्दुल्लाह बिन उमर से और वह नबी(ﷺ) से इसकी मिस्ल रिवायत करते हैं.

और अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) से मर्वी नबी(ﷺ) की यह रिवायत ज़्यादा सहीह है कि आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''रात की नमाज़ दो-दो रकअ़त हैं।'' कई सिक़ह् रावियों ने नबी(ﷺ) की यह रिवायत अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) से रिवायत की है लेकिन इसमें दिन की नमाज़ का ज़िक्र नहीं किया। उबैदुल्लाह से बवास्ता मर्वी है कि अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) रात को दो-दो रकअ़तें और दिन में चार-चार रकअ़तें पढ़ा करते थे।

लेकिन अहले इल्म का इसमें इख़्तिलाफ़ है बअज़ कहते हैं कि दिन और रात की (नफ़ल) नमाज़ दो-दो रकअ़त हैं यह कौल इमाम शाफ़ेई और अहमद (رحمه الله) का है। बअज़ का कहना है कि सिर्फ़ रात की नमाज़ दो-दो रकअ़त हैं। और दिन की नफ़ल नमाज़ चार-चार रकअ़तें होंगी जैसा कि जुहर से पहले और दीगर

नवाफ़िल पढ़े जाते हैं। यह कौल सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक और अहले कूफा का है।

بَابُ كَيْفَ كَانَ تَطَوُّعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ.

67 - रसूलुल्लाह(ﷺ) दिन में किस तरह नवाफ़िल पढ़ते थे.

598 ـ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ :حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّهَارِ؟ فَقَالَ :إِنَّكُمْ لاَ تُطِيقُونَ ذَاكَ، فَقُلْنَا: مَنْ أَطَاقَ ذَاكَ مِنَّا، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ العَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَصَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعًا، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، وَالنَّبِيِّينَ، وَالمُرْسَلِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالمُسْلِمِينَ.

598 - आसिम बिन ज़म्रा रिवायत करते हैं कि हमने सय्यदना अली(رضي الله عنه) से नबी(ﷺ) की नफ़ल के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फ़र्माया: ''तुम में इसकी ताक़त नहीं। हमने कहा: ''हम में से कौन इसकी ताक़त रखता है? इस पर सय्यदना अली(رضي الله عنه) ने फ़र्माया: ''जब सूरज इस तरफ़ (मशरिक़ में) इतना होता जितना असर के वक़्त इस तरफ़ मग़रिब में होता है तो आप(ﷺ) दो रकअतें पढ़ते थे फिर जब सूरज मशरिक़ की तरफ़ उस जगह होता जितना जुहर के वक़्त मग़रिब की तरफ़ होता है तो चार रकअतें पढ़ते थे और असर से पहले चार रकअतें पढ़ते और दो रकअतों के दर्मियान मुक़र्रबीन फरिश्तों, अंबिया व रुसुल और उनके पैरोकार मोमिनीन मुस्लिमीन पर सलाम के ज़रिया वक्फ़ा करते थे।''

हसन: इब्ने माजा: 1161.निसाई:874.

599 ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا

599 - अबू ईसा तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:) हमें मुहम्मद बिन मुसन्ना ने (वह कहते हैं) हमें

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

मुहम्मद बिन जाफर ने उन्हें शोबा ने इस्हाक़ से बवास्ता आसिम बिन ज़म्रा सय्यदना अली (ﷺ) की नबी(ﷺ) से इस तरह की हदीस रिवायत की है।

तख़रीज के लिए हदीसे साबिक़ देखिए.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। इस्हाक़ बिन इब्राहीम फ़रमाते हैं: ''दिन के वक़्त नबी(ﷺ) के नवाफ़िल के बारे में यह सबसे सहीह रिवायत है।''

अब्दुल्लाह बिन मुबारक से मर्वी है कि वह इस हदीस को ज़ईफ़ कहते हैं। हकीकी इल्म तो अल्लाह के पास है लेकिन हमारे इल्म के मुताबिक उन्होंने इस हदीस को ज़ईफ़ इस वजह से कहा है कि इस तर्ज़ पर यह हदीस नबी(ﷺ) से बवास्ता आसिम बिन ज़म्रा ही सय्यदना अली(ﷺ) से मर्वी है और आसिम बिन ज़म्रा बअज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक सिक़ह् रावी है।

अली बिन मदीनी फ़रमाते हैं: यहया बिन सईद अल क़त्तान कहते हैं कि सुफ़ियान का कौल है: ''हम आसिम बिन ज़म्रा की हदीस को हारिस की हदीस पर बरतर समझते हैं।''

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ فِي لُحُفِ النِّسَاءِ.

68 - औरतों के ऊपर वाले लिबास में नमाज़ पढ़ना मकरूह है।

600 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، عَنْ أَشْعَثَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّي فِي لُحُفِ نِسَائِهِ.

600 - सय्यदा आयशा(ﷺ) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) अपनी बीवियों की ऊपर वाली चादरों में नमाज़ नहीं पढ़ते थे।

सहीह: अबू दाऊद:367. निसाई: 5366.इब्ने हिब्बान: 2336. बैहक़ी: 2/409.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। लेकिन इस बारे में नबी(ﷺ) की तरफ़ से रूख़्सत भी मर्वी है।

तौज़ीह: اللحاف: चादर, कम्बल, ओवर कोट और इस तरह की दीगर अशिया (चीज़ों) पर बोला जाता है।

69- नफ़ली नमाज़ में चलना या थोड़ा सा काम करना जायज़ है।

بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْمَشْيِ وَالعَمَلِ فِي صَلاَةِ التَّطَوُّعِ.

601 - सय्यदा आयशा(رضي الله عنها) बयान फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) घर में नमाज़ पढ़ रहे थे और दरवाज़ा अन्दर से बंद था, मैं आयी (दरवाज़ा खटखटाया) तो आप(ﷺ) चले और मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया, फिर अपनी जगह पर चले गए। वह बयान करती हैं कि दरवाज़ा किब्ले की तरफ़ था।

हसन: अबू दाऊद: 922. निसाई: 1206.

601 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جِئْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي البَيْتِ، وَالبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ، وَوَصَفَتِ البَابَ فِي القِبْلَةِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

70 - एक रकअत में दो सूरतें पढ़ना.

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي قِرَاءَةِ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ.

602 - अबू वाइल कहते हैं कि अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) बिन मस्ऊद से किसी आदमी ने { غَيْرِ آسِنٍ} : के हर्फ़ के बारे में पूछा कि यह {غَيْرِ آسِنٍ} है या ؟ غَيْرِ يَاسِنٍ तो उन्होंने फ़र्माया: क्या तूने इस हर्फ़ के अलावा सारा क़ुरआन पढ़ लिया है?'' उस ने कहा: ''जी हाँ'' तो उन्होंने फ़र्माया: ''कुछ लोग क़ुरआन पढ़ते हैं तो ऐसे झाड़ते हैं जिस तरह ख़राब खुजूर को झाड़ा जाता है। (यह क़ुरआन) इनके हलकों से नीचे नहीं जाता। मैं उन मिलती जुलती सूरतों को

602 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ، عَنْ هَذَا الحَرْفِ {غَيْرِ آسِنٍ} أَوْ يَاسِنٍ؟ قَالَ: كُلَّ القُرْآنِ قَرَأْتَ غَيْرَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَهُ يَنْثُرُونَهُ نَثْرَ الدَّقَلِ، لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، إِنِّي لأَعْرِفُ السُّوَرَ النَّظَائِرَ

الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ، قَالَ: فَأَمَرْنَا عَلْقَمَةَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ :عِشْرُونَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُنُ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ.

जानता हूँ जिन्हें रसूलुल्लाह(ﷺ) मिला कर पढ़ते थे।'' अबू वाइल कहते हैं हमने अल्क़मा को हुक्म दिया तो उन्होंने उनसे (मिलती जुलती सूरतों के बारे में) पूछा तो उन्होंने फ़र्माया: ''मुफ़स्सल में से बीस सूरतें हैं जिन्हें रसूलुल्लाह(ﷺ) एक रकअत में दो- दो करके पढ़ा करते थे।''

बुखारी: 775. मुस्लिम: 722.अबू दाऊद: 1396. निसाई: 1004.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (रहमतुल्लाह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

तौज़ीह: (1) झाड़ने का मतलब है कि सिर्फ पढ़ते हैं और इसमें गौर व फ़िक्र और समझने का एहतमाम नहीं करते। (2) यानी जब खुजूर को हिलाया जाए तो उस से हर क़िस्म की खुजूरें नीचे गिरने लगती हैं।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَا يُكْتَبُ لَهُ مِنَ الأَجْرِ فِي خُطَاهُ

71 - मस्जिद की तरफ़ चल कर जाने की फ़ज़ीलत और एक क़दम के बदले क्या अज्र मिलता है?

603 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، سَمِعَ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ لاَ يُخْرِجُهُ، أَوْ قَالَ: لاَ يَنْهَزُهُ، إِلاَّ إِيَّاهَا، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً.

603 - सय्यदना अबू हुरैरा(रज़ियल्लाहु अन्हु) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब बन्दा अच्छी तरह वुज़ू करके घर से नमाज़ के लिए निकलता है उसे सिर्फ़ नमाज़ ही निकालती या उठाती है तो वह जो क़दम उठाता है अल्लाह तआला उसके बदले एक दर्जा बलंद कर देते हैं और एक गुनाह मिटा देते हैं।''

बुखारी: 477. मुस्लिम: 661. अबू दाऊद: 559. इब्ने माजा:281.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (रहमतुल्लाह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

72 - मग़रिब के बाद नफ़ल नमाज़ घर में अदा करना अफ़ज़ल है।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَنَّهُ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ.

604 - साद बिन इस्हाक़ बिन काब बिन अबी उज्रा अपने बाप के वास्ते के साथ अपने दादा (सय्यदना काब बिन उज्रा रज़ि०) से रिवायत करते हैं नबी(ﷺ) ने बनू अब्दुल अशहल की मस्जिद में मग़रिब की नमाज़ पढ़ी तो लोग खड़े हो कर नफ़ल पढ़ने लगे, नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''इस नमाज़ को घरों में पढ़ा करो।''

हसन: अबू दाऊद: 1300. निसाई: 1600.

604 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ الْمَغْرِبَ، فَقَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: काब बिन उज्रा की सनद से यह हदीस गरीब है। और हमें सिर्फ़ इसी सनद से ही मिलती है। जबकि सहीह वह है जिसे अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) रिवाय्यत करते हैं कि नबी(ﷺ) मग़रिब के बाद अपने घर में दो रकअ़तें पढ़ते थे।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं: सय्यदना हुज़ैफा(رضي الله عنه) से मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई फिर इशा की नमाज़ तक मस्जिद में (नफ़ल) नमाज़ पढ़ते रहे। तो इस हदीस में दलील है कि नबी(ﷺ) ने मग़रिब के बाद की दो रकअ़तें मस्जिद में भी पढ़ी हैं।

73 - कुबूले इस्लाम के वक़्त गुस्ल करना

بَابُ: مَا ذُكِرَ فِي الِاغْتِسَالِ عِنْدَمَا يُسْلِمُ الرَّجُلُ.

605 - सय्यदना कैस बिन आसिम(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि वह मुसलमान हुए तो नबी(ﷺ) ने उन्हें पानी और बेरी के पत्तों के साथ गुस्ल करने का हुक्म दिया।

605 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَغَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ خَلِيفَةَ

بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

सहीहः अबू दाऊदः 355. निसाईः188. मुसनद अहमदः5/61.

वजाहतः इस मसले में सय्यदना अबू हुरैरा(رضي الله عنه) से भी मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है हम सिर्फ़ इसी सनद से जानते हैं और अहले इल्म भी इसी पर अमल करते हुए मुस्तहब समझते हैं कि आदमी जब मुसलमान हो तो ग़ुस्ल करे और अपने कपड़े भी धोये।

بَابُ مَا ذُكِرَ مِنَ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ دُخُولِ الخَلَاءِ.

74 - बैतुल खला में दाखिल होते वक़्त بِسْمِ اللَّهِ कहना.

606 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ، قَالَ :حَدَّثَنَا خَلَّادٌ الصَّفَّارُ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّصْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الخَلَاءَ، أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ.

606 - अली बिन अबी तालिब (रज़ि) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''बनू आदम के सतरों और जिन्नात की आँखों के दर्मियान पर्दा यह है कि आदमी बैतुल खला में दाखिल होते वक़्त بِسْمِ اللَّهِ. पढ़ ले।''

सहीह इब्ने माजा:297.

वजाहतः इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है हमें सिर्फ़ इसी सनद से ही मिलती है और इसकी सनद ज़्यादा क़वी नहीं। नीज़ इस मसले में अनस(رضي الله عنه) भी नबी(ﷺ) से काफी कुछ रिवायात करते हैं।

Sherkhan
9825 696 131

75 - इस उम्मत के लोगों की क़यामत के दिन की निशानी सज्दों और वुज़ू के निशानात हैं.

بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ سِيمَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ آثَارِ السُّجُودِ وَالطُّهُورِ

607 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: قَالَ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ غُرٌّ مِنَ السُّجُودِ، مُحَجَّلُونَ مِنَ الوُضُوءِ.

607 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन बुस्र(رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''क़यामत के दिन मेरी उम्मत (के लोगों) के चेहरे सज्दों और हाथ पाँव वुज़ू की वजह से चमकते होंगे।''

सहीह मुसनद अहमद: 4/ 189.

वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन बुस्र(رضي الله عنه) की सनद से यह हदीस सहीह गरीब है।

तौज़ीह غُرٌّ: से चेहरों की चमक और (مُحَجَّلُ) मुहज्जल: से मुराद दोनों हाथ और दोनों पाँव का चमकना है।

76 - वुज़ू में दायें जानिब से शुरू करना मुस्तहब है।

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ

608 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ.

608 - सय्यदा आयशा(رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) वुज़ू करते वक़्त वुज़ू में, कंघी करते वक़्त कंघी में और जूता पहनते वक़्त पहनने में दायें जानिब को पसंद करते थे।

बुखारी: 168. मुस्लिम:268. अबू दाऊद:4140. इब्ने माजा:401. निसाई:112.

वज़ाहत: अबू शाशा का नाम सुलैम बिन अस्वद अल मुहारिबी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

77 - कितने पानी से वुज़ू हो सकता है।

بَابُ قَدْرِ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ.

609 - सय्यदना अनस बिन मालिक(رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''वुज़ू के लिए दो रित्ल पानी काफी है।

अबू दाऊद: 95. मुसनद अहमद:3/ 179.

609 -حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُجْزِئُ فِي الْوُضُوءِ رِطْلَانِ مِنْ مَاءٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है इन अलफ़ाज़ के साथ सिर्फ़ शरीक की सनद से ही मिलती है।

शोबा बवास्ता अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन जबर, अनस बिन मालिक से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) एक मुद के साथ वुज़ू और पांच मुद के साथ ग़ुस्ल कर लिया करते थे। सुफ़ियान सौरी, अब्दुल्लाह बिन ईसा के वास्ते के साथ अब्दुल्लाह बिन जबर से बयान करते हैं कि अनस(رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: ''नबी(ﷺ) एक मुद के साथ वुज़ू और एक साअ के साथ ग़ुस्ल कर लिया करते थे।'' यह हदीस शरीक की हदीस से ज़्यादा सहीह है।

तौज़ीह: एक साअ में हमारे पैमाने के मुताबिक 2500 ग्राम होते हैं और मुद साअ का चौथा हिस्सा होता है यानी 625 ग्राम।

78 - दूध पीते बच्चे के पेशाब पर छींटे मारना.

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي نَضْحِ بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ.

610 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने दूध पीते बच्चे के पेशाब के बारे में फ़र्माया: ''लड़के के पेशाब पर छींटे मारे जाएँ और लड़की के पेशाब (से प्रभावित जगह) को धोया जाये।'' क़तादा फ़रमाते हैं: ''यह हुक्म तब तक है जब तक

610 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي بَوْلِ

الْغُلَامِ الرَّضِيعِ: يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ، قَالَ قَتَادَةُ: وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلاَ جَمِيعًا.

खाना खाना शुरू नहीं करते जब खाना खाने लग जाएँ तो दोनों (के पेशाब से प्रभावित स्थान) को धोया जाए।

सहीह: अबू दाऊद: 378. इब्ने माजा: 525.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हिशाम अद्दस्तवाई ने इस हदीस को क़तादा से मर्फ़ू और सईद बिन अरूबा ने मौक़ूफ़ रिवायत किया है, मर्फ़ू नहीं किया।

بَاب مَا ذُكِرَ فِي مَسْحِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ

79- सूरह माइदा नाज़िल होने के बाद नबी (ﷺ) का (मोज़ों या जुराबों पर) मसह करना

611 -حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ :رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، قَالَ :فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَمْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ، قَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلاَّ بَعْدَ الْمَائِدَةِ.

611 - शह्र बिन हौशब (رحمه الله) कहते हैं कि मैंने जरीर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) को देखा उन्होंने वुज़ू किया और अपने मोजों पर मसह किया, मैंने इस बारे में कोई बात कही तो उन्होंने फ़र्माया: ''मैंने नबी (ﷺ) को देखा आप ने वुज़ू किया तो अपने दोनों मोजों पर मसह किया था'' मैंने उन से कहा सूरह माइदा के नाज़िल होने से पहले या बाद में? उन्होंने फ़र्माया: ''मैं सूरह माइदा के नाज़िल होने के बाद ही मुसलमान हुआ हूँ।''

सहीह: तख़रीज के लिए देखिए हदीस नम्बर 94.

612 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ النَّحْوِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَهُ.

612 - (अबू ईसा कहते हैं) हम से मुहम्मद बिन हुमैद अर्राज़ी ने कहा कि हमें नुऐम बिन मैसरह अन् नहवी ने ख़ालिद बिन ज़ियाद से इस जैसी हदीस बयान की है।

तख़रीज के लिए हदीसे साबिक़ व हदीस नम्बर 94 देखिए.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। इस तरह से सिर्फ़ मुक़ातिल बिन हय्यान ही शह्र बिन हौशब से बयान करते हैं।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الرُّخْصَةِ لِلْجُنُبِ فِي الأَكْلِ وَالنَّوْمِ إِذَا تَوَضَّأَ.

613 -حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءٍ الخُرَاسَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَمَّارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَشْرَبَ، أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ.

80- जुन्बी शख़्स के लिए वुज़ू के बाद खाने और सोने की इजाज़त है

613 - सय्यदना अम्मार(رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ)ने जुन्बी आदमी को रूख़सत दी कि जब वह खाने पीने या सोने का इरादा करे तो नमाज़ के वुज़ू जैसा वुज़ू कर ले।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 225. तयालिसी:646. मुसनद अहमद: 4/ 320.

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الصَّلاَةِ.

614 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ القَطَوَانِيُّ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا غَالِبٌ أَبُو بِشْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ الطَّائِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعِيذُكَ بِاللَّهِ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ مِنْ أُمَرَاءَ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي، فَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ فَصَدَّقَهُمْ فِي كَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلاَ يَرِدُ عَلَيَّ الحَوْضَ، وَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ أَوْ لَمْ يَغْشَ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِي كَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي

81 - नमाज़ की फ़ज़ीलत

614 - सय्यदना काब बिन उज्रा(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ)ने मुझ से फ़र्माया ''ऐ काब बिन उज्रा मैं तुम्हें अपने बाद वाले हाकिमों से अल्लाह की पनाह देता हूँ, जो शख़्स उनके दरवाजों पर गया और उनके झूट की तस्दीक की और उनके ज़ुल्म पर तआवुन किया तो वह मुझ से और मैं उससे नहीं हूँ और न ही वह हौज़े कौसर पर मेरे पास आ सकेगा। और जो शख़्स उनके दरवाजों पर जाए या न जाए लेकिन उनके झूट की तस्दीक नहीं करता और न ही उनके ज़ुल्म पर तआवुन करता है तो वह मुझसे और मैं उससे हूँ और अनकरीब मेरे हौज़े कौसर पर भी आयेगा। ऐ काब बिन उज्रा नमाज़ दलील है, रोज़ा एक मज़बूत ढाल है और सदका गलतियों को इस तरह ख़त्म कर देता है

وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الحَوْضَ، يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ الصَّلاَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّوْمُ حَصِينَةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لاَ يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ.

जैसे पानी आग को बुझा देता है ऐ काब बिन उज्रा बेशक जो गोश्त भी हराम के साथ पला आग ही उसके हक में लायकतर है।

सहीह: मुसनद अहमद: 4/243. इब्ने हिब्बान:279.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। हमें सिर्फ़ उबैदुल्लाह बिन मूसा की इसी सनद से मिलती है और अय्यूब बिन आइज़ अत् ताई को जईफ कहा गया है नीज़ कहा जाता है कि यह मुर्जिआ का हम ख़याल था।

(तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं) मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल अल बुख़ारी (رحمه الله) से इस हदीस के बारे में पूछा तो वह भी सिर्फ़ उबैदुल्लाह बिन मूसा के तरीक से ही उसे पहचानते थे और उन्होंने इस (हदीस की सनद) को इन्तिहाई गरीब कहा है।

तौजीह 'جُنَّةٌ'; जंग में तलवार के वार से बचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लोहे कि ढाल।

'حَصِينَةٌ' ये लफ़्ज़ حصن से निकला है जिसका मानी किला होता है , इससे मुराद मज़बूत है

615 -وقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ غَالِبٍ بِهَذَا

615 - मुहम्मद फ़रमाते हैं हमें इब्ने नुमैर ने भी बवास्ता उबैदुल्लाह बिन मूसा, ग़ालिब से यह हदीस बयान की है।

हुक्म व तख़रीज के लिए हदीसे साबिक़ देखें.

616 -حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ :حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ فَقَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ

616 - सय्यदना अबू उमामा(رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) हज्जतुल्विदा के मौके पर इरशाद फ़रमा रहे थे तो मैंने सुना आप फ़रमा रहे थे :अपने परवदिगार अल्लाह से डरो, अपनी नमाजें अदा करो अपने रमजान के महीने के रोज़े रखो, और अपने हाकिमों की इताअत करो यह काम करोगे तो अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे।

أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، قَالَ: فَقُلْتُ لأَبِي أُمَامَةَ :مُنْذُ كَمْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَذَا الحَدِيثَ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثِينَ سَنَةً.

सहीह: मुसनद अहमद: 5/251. अबू दाऊद: 1955.

सुलैम बिन आमिर (رحمه الله) कहते हैं: मैंने सय्यदना अबू उमामा(رضي الله عنه) से कहा आपने रसूलुल्लाह(ﷺ) से यह हदीस कब सुनी थी? उन्होंने फ़रमाया, ''जब मैं तीस साल का था तब सुनी थी।''

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

ख़ुलासा

- जुमा के दिन क़ुबूलियत वाली घड़ी पाने के लिए खूब मेहनत करनी चाहिए।
- जुमा के दिन ग़ुस्ल मुस्तहब अमल है।
- जुमा की अदायगी के लिये जल्दी मस्जिद जाना चाहिए।
- ख़ुत्बा पूरी तवज्जोह गौर तथा इन्हिमाक (ध्यानपूर्वक) सुनें।
- ईदैन की नमाज के लिए पैदल चलकर जाना अफ़ज़ल है।
- नमाज़े ईद की पहली रकअत में सात और दूसरी में पांच तकबीरें होती हैं।
- ईद में खवातीन भी भरपूर तरीक़े से शिरकत करें।
- ईदगाह में आते-जाते रास्ता तब्दील करना सुन्नत है।
- सफर में तीन फ़रसख़ के बाद नमाज क़स्र की जा सकती है और क़स्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत उन्नीस दिन है।
- बारिशें ना हो रही हों तो बाहर निकलकर इस्तिस्का की नमाज पढ़ना मस्नून अमल है।
- सूरज या चांद ग्रहण के वक़्त नमाज़े कुसूफ़ का एहतमाम किया जाए।
- सज्द-ए-तिलावत वाजिब नहीं लेकिन मुस्तहब अमल है।
- नमाज में इमाम से पहल ना करें।
- मसाजिद को साफ सुथरा रखा जाए और खुशबू का एहतमाम किया जाए।
- इस उम्मत के लोगों के वुज़ू वाले आज़ा (अंग) क़यामत के दिन रोशन होंगे।
- नमाज़ वक़्त पर अदा की जाए।
- सिला रहमी, तक़वा और नमाज़ हुसूले जन्नत का ज़रिया है।

मज़मून नम्बर 5.

كتاب الزكاة عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह(ﷺ)से मर्वी ज़कात के अहकाम व मसाइल

38 अबवाब और 64 अहादीस पर मुश्तमिल इन उनवान में आप पढ़ेंगे कि...

- ज़कात क्या है?
- किन- किन चीजों से अदा की जाएगी?
- निसाब और मिक़दार क्या है?
- ज़कात व सदक़ात का माल किन किन के लिए हलाल है और किन के लिए हराम
- नफ़्ली सदक़ा की फ़ज़ीलत.
- फ़ित्राना की अहमियत व फर्ज़िय्यत और मिक़दार.

1. بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ مِنَ التَّشْدِيدِ

617 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ، قَالَ: فَرَآنِي مُقْبِلاً، فَقَالَ: هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ، قَالَ:

1 - ज़कात न देने पर रसूलुल्लाह (ﷺ) से मंक़ूल वईद.

617 - सय्यदना अबू ज़र (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास गया, आप(ﷺ) काबा के साए में बैठे हुए थे। आप(ﷺ) ने मुझे आते हुए देखकर फ़र्माया: ''काबा के रब की क़सम क़यामत के दिन वह लोग़ नुकसान उठाने वाले होंगे। अबू ज़र (رضي الله عنه) कहते हैं कि मैंने अपने दिल में कहा हो सकता है शायद मेरे बारे में कोई वह्य नाज़िल हुई हो, मैंने

فَقُلْتُ: مَا لِي لَعَلَّهُ أُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمُ الأَكْثَرُونَ، إِلاَّ مَنْ قَالَ: هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يَمُوتُ رَجُلٌ، فَيَدَعُ إِبِلاً أَوْ بَقَرًا، لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، إِلاَّ جَاءَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

अर्ज़ की ऐ अल्लाह के रसूल! आप पर मेरे मां बाप कुर्बान हों वह कौन लोग हैं तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़र्माया: ''वह माल की कसरत रखने वाले हैं मगर जो शख़्स इधर उधर इस तरह खर्च करे, आप(ﷺ) ने दायें बाएं दोनों हाथों के लप भर कर इशारा किया फिर आप(ﷺ) ने फ़र्माया : ''उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है जो शख़्स ऊँट या गाय को इस हालत में छोड़ कर मरा कि उनकी ज़कात अदा न करता था तो क़यामत के दिन वह जानवर पहले से बड़े और मोटे होकर आयेंगे और उसे अपने खुरों के साथ रौन्देंगे और उसे अपने सींगों से मारेंगे, जब आखिरी जानवर गुज़र जाएगा तो पहला जानवर फिर वापस आ जाएगा, यहाँ तक कि लोगों के दर्मियान फ़ैसला होने तक यह काम होता रहेगा।

बुख़ारी: 1460. इब्ने माजा: 1785. निसाई:2440.

वजाहत: इस मसले में अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से इसी तरह मर्वी है और अली बिन अबी तालिब से मर्वी है कि सदक़ा रोकने वाले पर लानत की गई है, नीज़ क़बीसा बिन हुल्ब की अपने बाप, जाबिर बिन अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से भी रिवायत है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं अबू ज़र (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और अबू ज़र का नाम जुन्दुब बिन सकन (رضي الله عنه) है इब्ने जुनादा भी कहा जाता है। नीज़ हमें अब्दुल्लाह बिन मुनीब ने उबैदुल्लाह बिन मूसा से उन्होंने सुफियान सौरी से बवास्ता हकम बिन दैलम, ज़ह्हाक बिन मज़ाहिम से रिवायत की है। फ़रमाते हैं: माल की कसरत रखने वाले वह हैं जिनके पास दस हज़ार दिरहम हो। (इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं): अब्दुल्लाह बिन मुनीर मर्वज़ी नेक आदमी थे।

2. بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ

2 - जब आपने ज़कात अदा कर दी तो अपने जिम्मा वाजिब हक़ को अदा कर दिया

618 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.

618 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब तुमने अपने माल की ज़कात अदा कर दी तो तुम अपने जिम्मा वाजिब हक़ को अदा कर दिया।

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 1788. इब्ने खुज़ैमा: 2471. इब्ने हिब्बान:3216.

वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ नबी(ﷺ) से बहुत से सनदों के साथ मर्वी है कि आपने ज़कात का तज़्किरा किया तो एक आदमी ने कहा: ''ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! क्या मेरे ज़िम्मा इसके अलावा भी कुछ वाजिब है? तो आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''वाजिब नहीं है लेकिन तू बतौरे नफ़ल कर सकता है।'' इब्ने हुजैरह का नाम अब्दुर्रहमान बिन हुजैरह अल बसरी है।

619 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا نَتَمَنَّى أَنْ يَبْتَدِئَ الأَعْرَابِيُّ العَاقِلُ فَيَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذْ أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ، فَجَثَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَسُولَكَ

619 - सय्यदना अनस बिन मालिक (ﷺ) फ़रमाते हैं: ''हमारी ख्वाहिश होती थी कि कोई अक़्लमंद देहाती आए और जब हम आप(ﷺ) के पास हों तो वह नबी(ﷺ) से सवाल करे हम इसी सोच में थे कि अचानक एक देहाती आप(ﷺ) के पास आया और नबी(ﷺ) के सामने दो ज़ानू पर बैठ कर कहने लगा ऐ मुहम्मद(ﷺ) आप का क़ासिद हमारे पास आया था उसने हमें बताया कि आप कहते हैं: ''अल्लाह तआला ने आपको भेजा है? तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: ''हां ! देहाती कहने

أَتَانَا فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، قَالَ: فَبِالَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ، وَبَسَطَ الأَرْضَ، وَنَصَبَ الجِبَالَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :نَعَمْ. قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي السَّنَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَدَقَ. قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا فِي أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا الحَجَّ إِلَى البَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :نَعَمْ. قَالَ:

लगा: ''उस ज़ात की क़सम जिस ने आसमान को बलंद किया ज़मीन फैलाई और उसमें पहाड़ों को गाड़ा कि अल्लाह तआला ने आपको रसूल बनाया है? नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: ''हां'' उसने कहा: ''आप के क़ासिद ने यह भी बताया कि आप फ़रमाते हैं कि हमारे ज़िम्मे दिन और रात में पाँच नमाज़ें हैं? तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: ''हाँ'' उसने कहा: ''क़सम है उस ज़ात की जिसने आपको रसूल बनाया क्या उस ज़ात ने आपको इसका हुक्म दिया है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया: ''हां'' उसने कहा : ''आपके क़ासिद का कहना है कि आप ने फ़रमाया है: ''साल में हमारे ऊपर एक महीने के रोज़े फर्ज हैं तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: ''उसने सच कहा है। उसने कहा: ''उस ज़ात की क़सम जिसने आपको रसूल बनाया है क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: ''उसने सच कहा है। उसने कहा आपके क़ासिद का कहना है कि आप फ़रमाते हैं हमारे ज़िम्मा हमारे मालों की ज़कात भी वाजिब है? तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: ''उसने सच कहा है। ''उसने कहा उस ज़ात की क़सम जिसने आप को रसूल बनाया क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: ''हाँ ! उसने कहा: आपके क़ासिद के मुताबिक आप फ़रमाते हैं: ''जो शख़्स ज़ादे राह की ताक़त रखता है उस पर बैतुल्लाह का हज भी वाजिब

فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ. فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لاَ أَدَعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا وَلاَ أُجَاوِزُهُنَّ، ثُمَّ وَثَبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ صَدَقَ الأَعْرَابِيُّ دَخَلَ الجَنَّةَ.

है? तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: ''हाँ'' उसने कहा: ''उस ज़ात की क़सम जिसने आपको रसूल बनाकर भेजा क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? तो नबी ने फ़रमाया: ''हां''। तो उस देहाती ने कहा उस ज़ात की क़सम! जिसने आप को हक़ देकर भेजा! ना मैं उनसे कोई चीज़ छोड़ूंगा और ना ही इन से आगे बढ़ूंगा फिर चल दिया तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: ''अगर इस देहाती ने सच कहा है तो यह जन्नत में चला जाएगा।

बुख़ारी: 63. मुस्लिम: 12. अबू दाऊद: 488. इब्ने माजा: 1402. निसाई: 2091.

वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ इसके अलावा भी (और सनदों के साथ) और अहादीस भी अनस (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से रिवायत करते हैं।

मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी को यह फ़रमाते हुए सुना कि बाज़ अहले इल्म कहते हैं इस हदीस से यह बात समझ में आती है कि शागिर्द का उस्ताज़ के सामने पढ़ना सिमा (सुनना) की तरह जायज़ है उनकी दलील यह है कि देहाती ने नबी(ﷺ) को बातें सुनाई तो नबी(ﷺ) ने उनका इक़रार किया।

3. بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ

3 - सोने और चांदी की ज़कात.

620 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ: مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا

620 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''मैंने अल्लाह के हुक्म से घोड़े और गुलाम की ज़कात को माफ़ कर दिया सो तुम चांदी की ज़कात लाओ हर चालीस दिरहम में से एक दिरहम, और एक सौ नव्वे (190 दिरहम) में (कुछ) ज़कात नहीं है तो जब दो सौ (200 दिरहम) हो जायेंगे तो उनमें पांच दिरहम ज़कात हैं।

دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.

सहीह: अबू दाऊद: 1572. इब्ने माजा: 1790.निसाई: 2477.

वज़ाहत: इस मसला में अबु बकर और उमर बिन हज़्म (رضي الله عنه) से भी मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस हदीस को आमश और अबू अवाना वग़ैरह ने अबू इस्हाक़ से बवास्ता हारिस, सय्यदना अली (رضي الله عنه) से रिवायत की है। जबकि सुफियान सौरी, इब्ने उयय्ना और दीगर रावियों ने अबू इस्हाक़ से बवास्ता हारिस सय्यदना अली (رضي الله عنه) से रिवायत की है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से इस हदीस की सनद के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़र्माया मेरे नज़दीक अबू इस्हाक़ से दोनों ही सहीह हैं। हो सकता है अबू इस्हाक़ ने (आसिम बिन ज़म्रा और हारिस) दोनों से रिवायत ली हो।

तौज़ीह: الورق: را के नीचे ज़ेर है इसका मतलब है चांदी अगर "را" के ऊपर ज़बर हो तो उसका मानी कागज़ होता है।

4. بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الإِبِلِ وَالغَنَمِ

621 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ البَغْدَادِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الهَرَوِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِيُّ، المَعْنَى وَاحِدٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، وَعُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، وَكَانَ فِيهِ: فِي

4 - ऊंटों और बकरियों की ज़कात.

621 - सालिम अपने बाप (सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सदक़ात की तहरीर लिखी लेकिन इसे अपने आमिलों की तरफ़ ना भेज सके यहां तक कि आप की वफात हो गई और लिखने के बाद आपने उसे अपनी तलवार के साथ रख दिया था फिर जब आप की वफात हुई तो अबू बक्र (رضي الله عنه) ने इस तहरीर पर अमल किया, यहां तक कि वह भी फौत हो गए। फिर उमर (رضي الله عنه) ने अपनी शहादत तक इस पर अमल किया, इस तहरीर में था कि 5 ऊंटों में एक बकरी, 10 में 2, 15 में तीन, 20 में 4 बकरियां और 25 से लेकर 35 ऊंटों तक तक 1 साल की

خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ،وَفِي الشَّاءِ :فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ فَثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةِ شَاةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةِ شَاةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَيْبٍ.

ऊँटनी ज़कात है। जब ऊंटों की तादाद इससे बढ़ जाए तो 45 तक 2 साल की ऊँटनी है। फिर इस से ऊपर 60 तक 3 साल की ऊँटनी है। जब इस से बढ़ जाए तो 75 तक 4 साल की ऊँटनी है। जब इससे आगे 90 तक तादाद हो जाए तो इसमें 2 साल की 2 ऊँटनियाँ ज़कात है। इससे ऊपर 120 तक तीन- तीन साल की 2 ऊँटनियाँ हैं। तो जब तादाद 120 से बढ़ जाए तो हर 50 में 3 साल की ऊँटनी और 40 में 2 साल की ऊँटनी होगी। और बकरियों में 40 से 120 तक बकरियों की तादाद में एक बकरी ज़कात होगी। इससे आगे 200 तक दो बकरियां इससे ज्यादा तादाद हो जाए। तो 300 तक तीन बकरियां जब तादाद 300 से बढ़ जाए तो हर 100 बकरियों में एक बकरी ज़कात होगी फिर 400 पूरी होने तक (3 से ज्यादा) कुछ ज़कात नहीं होगी और सदक़ा ज़कात के डर से जुदा- जुदा (रेवड़ो) को इकट्ठा न किया जाए और इकट्ठे रेवड़ को अलग- अलग न किया जाए और जो मवेशी दो शरीकों के होंगे तो वह बराबरी के साथ तय कर लेंगे और सदक़ा में बूढ़ी या ऐब वाली बकरी ना दी जाए।

सहीह अबू दाऊद: 1568. इब्ने माजा: 1798.

वज़हात:ज़ोहरी फ़रमाते हैं:जब सदक़ा वसूल करने वाला आये तो बकरियों को तीन हिस्सों में तकसीम करे। तीसरा हिस्सा उम्दा जानवर, तीसरा हिस्सा दमिर्याना और तीसरा हिस्सा नाक़िस जानवर और

सदक़ा वसूल करने वाला दमियाने जानवरों से ले ले और जोहरी ने गाय की ज़कात का ज़िक्र नहीं किया।

इस मसले में अबू बक्र सिद्दीक़ बहज़ बिन हकीम अपने बाप के वास्ते के साथ अपने दादा से, अबू ज़र और अनस भी रिवायत करते हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन है और आम फ़ुकहा का इसी पर अमल है। नीज़ यूनुस बिन यज़ीद और दीगर राவियों ने जोहरी से बवास्ता सालिम इस हदीस को मर्फ़ूअ बयान नहीं किया। इसे सिर्फ़ सुफ़ियान बिन हसन ने मर्फ़ूअ रिवायत किया है।

तौज़ीह: ज़कात में अदा की जाने वाली ऊँटनियों की उम्र के एतबार से नाम हदीस में ज़िक्र हुए हैं यहाँ उनकी उम्रें दर्ज की जाती हैं।

बिन्ते मख़ाज़:- जिस मादा ऊँटनी की उम्र एक साल पूरी हो जाए और दूसरे में शुरू हो।
बिन्ते लबून:- दो साल पूरा करके तीसरे में दाखिल हो।
हिक्क़ा:- तीन साल मुकम्मल करके चौथे में दाखिल हो।
जज़आ:- चार साल मुकम्मल करके पांचवीं में दाखिल हो।

5 - गाय की ज़कात का बयान.

5. بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ البَقَرِ

622 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''तीस गायों में से एक साल का बछड़ा या बछड़ी (ज़कात बनती है) और हर चालीस में दो बरस की गाय।''

सहीह: इब्ने माजा: 1804. मुसनद अहमद: 1/411. बैहक़ी:4/99.

622 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فِي ثَلاَثِينَ مِنَ البَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अब्दुस्सलाम बिन हर्ब ने खुसैफ़ से इसी तरह की रिवायत की है जब कि अब्दुस्सलाम सिक़ह और हाफ़िज़ रावी है। नीज़ शरीक ने यह हदीस खुसैफ़ से बवास्ता अबू उबैदा उन्होंने अपने बाप के ज़रिये अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत की है और अबू उबैदा बिन अब्दुल्लाह ने अपने बाप से सिमा (सुनना) नहीं किया।

तौज़ीह: تَبِيعٌ: एक साल का बछड़ा और تَبِيعَةٌ: मुअन्नस के लिए है जबकि मुसन्ना उस जानवर को कहते हैं जिसकी उम्र दो साल हो जाए।

623 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ :بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ.

623 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे यमन भेजा तो आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं हर तीस गायों में से एक साल का बछड़ा या बछड़ी और हर चालीस में से दो साल की गाय (बतौरे ज़कात) लूं, और हर जवान आदमी से एक दीनार या उसके बराबर कपड़ा (बतौरे जिज़्या) वसूल करूं।

सहीह: अबू दाऊद: 1578. इब्ने माजा: 1803. निसाई: 2450

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। नीज़ बाज़ रावियों ने इस हदीस को सुफ़ियान से आमश के हवाले से बवास्ता अबू वाइल, मस्रूक़ से रिवायत किया है कि नबी(ﷺ) ने मुआज़ को यमन भेजा और उन्हें हुक्म दिया कि ज़कात वसूल करे। यह हदीस ज़्यादा सहीह है।

तौज़ीह: यमन के क़बीला मुआफ़िर की तरफ़ निस्बत की वजह से इस कपड़े को मुआफिरी कहा जाता था।

624 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ: هَلْ تَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا.

624 - अम्र बिन मुर्रा कहते हैं, मैंने अबू उबैदा से पूछा: क्या आपको अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) की कुछ बातें याद हैं उन्होंने कहा नहीं।

सहीह। मुहक़्क़िक़ ने इस पर तख़रीज ज़िक्र नहीं की.

6. بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَخْذِ خِيَارِ الْمَالِ فِي الصَّدَقَةِ

6 - सदक़ा में उम्दा उम्दा माल लेना मना है।

625 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ، قَالَ :

625 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुआज़ को यमन की तरफ़ रवाना किया तो उनसे

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

फ़र्माया: ''बेशक तुम अहले किताब क़ौम के पास जा रहे हो, सो तुम उन्हें अल्लाह के एक और मेरे रसूल होने की गवाही देने की दावत देना अगर वह तुम्हारी यह बात मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह तआला ने उन के ऊपर मालों का सदक़ा (ज़कात) वाजिब किया है जो उनके मालदारों से वसूल करके फ़क़ीरों को दे दिया जाएगा, पस अगर वह तुम्हारी यह बात मान लें तो उनके उम्दा- उम्दा मालों को लेने से बचना और मजलूम की बद्दुआ से भी बचना क्योंकि उसकी (बद्दुआ) और अल्लाह के दर्मियान कोई पर्दा नहीं होता।

बुख़ारीः 1496. मुस्लिम:19. अबू दाऊद: 1584. इब्ने माजा: 1783. निसाई:2435.

वजाहत: इस मसले में सनाबिही से भी रिवायत है। इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और अबू माबद अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) के आज़ादकर्दा थे उनका नाम नाफ़िज़ था।

7. بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ وَالْحُبُوبِ

7 - फसलों फलों और गल्ले की ज़कात.

626 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

626 - सय्यदना अबू सईद अल- ख़ुदरी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: पांच से कम ऊंटों में सदक़ा नहीं है, पांच ओक़िया से कम चांदी और पांच वसक़ से कम (अनाज

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

और गल्ले) में भी सदक़ा नहीं है।''

बुख़ारी: 1405. मुस्लिम: 979. अबू दाऊद: 1558. इब्ने माजा:1793.निसाई:2435.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, इब्ने उमर, जाबिर और अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से भी अहादीस मर्वी हैं।

तौज़ीह: اوقيه: एक ओक़िया चांदी में चालीस दिरहम होते हैं इस तरह पांच ओक़िया के दो सो दिरहम बनते हैं। وسق: एक वसक साठ साअ का होता है और साअ ढाई किलोग्राम का तो इस तरह पांच वसक तीन सौ साअ या सात 750 किलो ग्राम हुए.

627 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى.

627 - सुफ़ियान, शोबा, और मालिक बिन अनस (रज़ि.) अम्र बिन यह्या से इसी तरह वह अपने बाप के वास्ते के साथ अबू सईद अल-ख़ुदरी से वह नबी(ﷺ) से अब्दुल अज़ीज़ की अम्र बिन यह्या से बयान कर्दा हदीस की रिवायत करते थे।

तहक़ीक़ व तख़रीज के लिए पिछली हदीस देखिए.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अबू सईद अल-ख़ुदरी (रज़ि.) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ और भी बहुत सनदों के साथ मर्वी है। उलमा का इसी पर अमल है कि पांच वसक से कम (अनाज और गल्ले) में सदक़ा वाजिब नहीं है। एक वसक साठ साअ का होता है। इसी तरह पांच वसक तीन सौ साअ बनते हैं और नबी(ﷺ) का साअ पांच रित्ल मुकम्मल और एक तिहाई रित्ल का होता था जबकि अहले कूफा का साअ आठ रित्ल का है। नीज़ पांच ओकिया से कम में सदक़ा नहीं है एक ओक़िया चालीस दिरहम का होता है और ओक़िया दो सौ दिरहम बनते हैं। और पांच ज़ौद का मतलब है पांच से कम ऊंटों में सदक़ा वाजिब नहीं है तो जब ऊंटों की तादाद 25 हो जाएगी तो इस में एक साल की एक ऊँटनी होगी जबकि तादाद 25 से कम हो तो हर पांच ऊंटों में एक बकरी।

8. بَابُ مَا جَاءَ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ

8 - घोड़े और गुलाम में ज़कात वाजिब नहीं है।

628 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ، وَلَا فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ.

628 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''मुसलमान पर उसके घोड़े और गुलाम में सदक़ा (वाजिब) नहीं है। ''

बुख़ारी: 1463. मुस्लिम: 982. अबू दाऊद: 1594. इब्ने माजा:1812. निसाई:2467.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अम्र और अली (رضی اللہ عنہ) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म का इसी पर अमल है कि घर में बंधे हुए घोड़ों और खिदमत करने वाले गुलामों पर सदक़ा नहीं है हाँ! अगर यह तिजारत की गरज से हों तो उनकी कीमतों में साल गुज़रने पर ज़कात वाजिब होगी।

9. بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ

9 - शहद की ज़कात

629 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيُّ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَسَلِ: فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ.

629 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''शहद के दस मश्कीज़ों में एक मश्कीज़ा (ज़कात) है। ''

सहीह: बैहक़ी: 4/ 126. तबरानी फ़िल औसत: 4372.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, अबू सय्यारा अल-मुतई और अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से भी मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) की हदीस की सनद में (ज़ोअफ़ पर) गुफ़्तगू की गई है और इस मसले में नबी(ﷺ) से कोई बड़ा हुक्म साबित नहीं है। जबकि अक्सर अहले इल्म का इसी पर अमल है इमाम अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) भी यही कहते हैं (लेकिन) बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि शहद में ज़कात नहीं है।

और सदक़ा बिन अब्दुल्लाह हाफ़िज़ रावी नहीं है। नीज़ सदक़ा बिन अब्दुल्लाह की नाफ़े से ली गई इस रिवायत में इख़्तिलाफ़ किया गया है।

तौज़ीह: زِقٌ: चमड़े का वह मश्कीज़ा जिसका मुंह ऊपर वाली जानिब हो।

630 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ عَنْ صَدَقَةِ العَسَلِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا عِنْدَنَا عَسَلٌ نَتَصَدَّقُ مِنْهُ، وَلَكِنْ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي العَسَلِ صَدَقَةٌ.

فَقَالَ عُمَرُ: عَدْلٌ مَرْضِيٌّ، فَكَتَبَ إِلَى النَّاسِ أَنْ تُوضَعَ، يَعْنِي عَنْهُمْ.

630 - नाफ़े (ﷺ) कहते हैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (ﷺ) ने मुझ से शहद की ज़कात के बारे में पूछा (तो) मैंने कहा: हमारे पास इतना शहद नहीं होता जिसे हम ज़कात दें लेकिन हमें मुग़ीरा बिन हकीम ने बताया है कि शहद में सदक़ा नहीं है तो उमर (बिन अब्दुल अज़ीज़ (ﷺ) ने कहा यह तो पसन्दीदा अदल (वाली बात) है। (फिर) उन्होंने लोगों को लिख दिया कि यह (शहद की ज़कात) ख़त्म कर दी जाए।

सहीहुल इस्नाद: इब्ने अबी शैबा:3/ 142. अब्दुर्रज्जाक़.6967

10. بَابُ مَا جَاءَ لاَ زَكَاةَ عَلَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ

10 - बग़ैर मेहनत के हासिल शुदा माल में साल गुजरने से पहले ज़कात नहीं है।

631 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

631 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया:

الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ.

''जिसने बग़ैर कोई मेहनत के माल हासिल किया तो जब तक उस माल को उसके मालिक के पास एक साल ना गुज़रा ज़कात वाजिब न होगी।''

सहीह दार क़ुत्नी: 2/90. बैहक़ी: 4/104.

वज़ाहत: इस मसले में सुराआ बिन्ते नबहान अल-गंविय्या से भी मर्वी है।

तौज़ीह: माले मुस्तफ़ाद से मुराद वह माल है जो ख़ुद बख़ुद हाथ आये जैसे मीरास या हिबा वग़ैरह।

632 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ.

632 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) फ़रमाते हैं: ''जिसने बग़ैर कोई मेहनत के माल हासिल किया तो जब तक उस माल को उसके मालिक के पास एक साल ना गुज़रा ज़कात वाजिब न होगी।''

सहीहुल इस्नाद मौक़ूफ़ व हुआ फ़िल हुक्मिल मर्फ़ूअ. अब्दुर्रज्ज़ाक़: 7030. इब्ने अबी शैबा: 3/159.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह (हदीस) अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम की हदीस से ज़्यादा सहीह है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अय्यूब, उबैदुल्लाह बिन उमर और दीगर रावियों ने अब्दुल्लाह बिन नाफ़े के वास्ते के साथ अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मौक़ूफ़ रिवायत की है। और अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम हदीस में ज़ईफ़ है। इसे अहमद बिन हंबल, अली बिन मदीनी और दीगर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ कहा है यह बहुत गलतियाँ करने वाला था।

नीज़ नबी(ﷺ) के बहुत से सहाबा (ﷺ) से मर्वी है कि माले मुस्तफ़ाद में साल गुज़रने से पहले ज़कात नहीं है। मालिक बिन अनस, शाफ़ेई, अहमद बिन हंबल और इस्हाक़ (ﷺ) भी यही कहते हैं।

बाज़ उलमा कहते हैं कि जब उसके पास इतना माल हो जिसमें ज़कात वाजिब होती है तो उसमें ज़कात वाजिब होगी और अगर माले मुस्तफ़ाद के अलावा उतना माल नहीं है कि जिसमें ज़कात वाजिब होती है तो माले मुस्तफ़ाद में साल गुज़रने से पहले ज़कात वाजिब नहीं होगी अगर उसे साल गुज़रने से पहले माले मुस्तफ़ाद हासिल हुआ तो वह अपने उस माल जिस में ज़कात वाजिब हो चुकी है के साथ माले मुस्तफ़ाद से भी ज़कात अदा करेगा। सुफ़ियान सौरी और अहले कूफ़ा भी यही कहते हैं।

11 - मुसलमानों पर जिज़्या नहीं है।

11. بَابُ مَا جَاءَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ

633 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ.

633 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''एक मुल्क में दो किब्ले दुरुस्त नहीं हो सकते और मुसलमानों पर जिज़्या नहीं है।''

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3032. मुसनद अहमद: 1/223. बैहक़ी: 9/199.

तौज़ीह: मुसलमानों की हुकूमत में ग़ैर मुस्लिम अपने दीन पर रहना चाहें तो वह उन्हें जिज़्या की रक़म दे कर रह सकते हैं।

634 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

634 - अबू कुरैब कहते हैं कि हमें जरीर ने काबूस से इस सनद के साथ इस जैसी रिवायत बयान की है।

(ज़ईफ़:)

वज़ाहत: इस मसले में सईद बिन ज़ैद (رضي الله عنه) और हर्ब बिन उबैदुल्लाह सक्फी के दादा से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस काबूस बिन अबी ज़ब्यान से उनके बाप के वास्ते के साथ नबी(ﷺ) से मुर्सल मर्वी है। नीज़ आम उलमा के नज़दीक इसी पर अमल है कि ईसाई जब मुसलमान हो जाए तो उसकी गर्दन का जिज़्या ख़त्म हो जाएगा और नबी(ﷺ) के फ़रमान: मुसलमानों पर उश्री या जिज़्या नहीं है से मुराद उसकी ज़ात का जिज़्या। और इस बात की तफ़सीर हदीस में भी है। आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''उश्री जिज़्या यहूद व नसारा पर है जबकि मुसलमानों पर उश्री जिज़्या नहीं है।''

12 - ज़ेवरात की ज़कात

12. بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الحُلِيِّ

635 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) की बीवी ज़ैनब (ﷺ) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें खुत्बा दिया तो फ़र्माया: ''ऐ औरतों की जमाअत! सदक़ा करो, ख्वाह अपने ज़ेवरात से ही करना पड़े क्योंकि क़यामत के दिन जहन्नम वालों में तुम्हारी अक्सरियत होगी।

सहीह लिमा बाद: मुसनद अहमद: 6/363. इब्ने माजा:1834.

635 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ :خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ.

636 - ज़ैनब (ﷺ) के बेटे अम्र बिन हारिस ने सय्यदा ज़ैनब ज़ौजा अब्दुल्लाह बिन मसऊद की नबी(ﷺ) से ऐसी ही रिवायत बयान की है।

बुख़ारी: 1466.मुस्लिम: 1000. निसाई: 2583

636 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू मुआविया की हदीस से यह ज़्यादा सहीह है। क्योंकि अबू मुआविया ने बयान करते वक़्त वहम किया है उसने कहा है : ''अम्र बिन हारिस ने ज़ैनब (ﷺ) के भतीजे से रिवायत की है। हालांकि सहीह बात यह है कि अम्र बिन हारिस ही ज़ैनब के भतीजे हैं।

नीज़ अम्र बिन शोऐब अपने बाप से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने ज़ेवरात की ज़कात का हुक्म दिया है। लेकिन इसकी सनद में गुफ्तगू की गई है नीज़ इस मसले में अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है।

नबी(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से बाज़ उलमा के मुताबिक़ ज़ेवरात में से सोने और चांदी की ज़कात होगी, सुफ़ियान सौरी और अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمه الله) भी यही कहते हैं।

जबकि नबी(ﷺ) के बाज़ सहाबा जिनमें इब्ने उमर, आयशा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह और अनस बिन मालिक (رضي الله عنهم) भी शामिल हैं कहते हैं कि ज़ेवरात में ज़कात नहीं है और बाज़ ताबेईन से भी इसी तरह मर्वी है नीज़ मालिक बिन अनस, शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हैं।

637 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَيْدِيهِمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟، قَالَتَا: لاَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟، قَالَتَا: لاَ، قَالَ: فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ.

637 - अम्र बिन शोऐब अपने बाप से और वह अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अम्र(رضي الله عنه)) से रिवायत करते हैं कि दो औरतें रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आयीं, उनके हाथों में सोने के दो कंगन थे। आप(ﷺ) ने फ़र्माया: क्या तुम उसकी ज़कात अदा करती हो?'' उन्होंने कहा : नहीं, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन से फ़र्माया: ''क्या तुम चाहती हो कि अल्लाह तआला तुम्हें आग के दो कंगन पहना दे ?'' उन्होंने कहा : नहीं। तो आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''(फिर) तुम उनकी ज़कात अदा किया करो।''

हसन बिगैरि हाज़ल्लफ़्ज़: अबू दाऊद: 1563. निसाई: 2479.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस हदीस को मुसन्ना बिन सबाह ने अम्र बिन शोऐब से इसी तरह रिवायत किया है।

जबकि मुसन्ना बिन सबाह और इब्ने लहीया हदीस में दोनों ज़ईफ़ समझे जाते हैं और इस बारे में नबी(ﷺ) से कोई भी सहीह हदीस साबित नहीं है।

13. بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الخَضْرَاوَاتِ

13 - सब्जियों की ज़कात.

638 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ

638 - सय्यदना मुआज़ (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी(ﷺ) को ख़त लिख कर

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الخَضْرَاوَاتِ وَهِيَ البُقُولُ؟ فَقَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ.

ख़ज़्रावात यानी सब्जियों की ज़कात के बारे में पूछा तो आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''इन में कोई चीज़ वाजिब नहीं है।''

दार क़ुत्नी: 2/97. बैहक़ी:4/99.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं इस हदीस की सनद सहीह नहीं है और इस मसले में नबी(ﷺ) से कुछ भी सहीह साबित नहीं है। क्योंकि यह हदीस मूसा बिन तल्हा से मुर्सल बयान हुई है। और उलमा का इसी पर अमल है कि सब्जियों वग़ैरह में सदक़ा वाजिब नहीं है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हसन, अम्मारा का बेटा है और मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ रावी है, इसे शोबा (رحمه الله) ने ज़ईफ़ और अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمه الله) ने मतरूक कहा है।

14. بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ فِيمَا يُسْقَى بِالأَنْهَارِ وَغَيْرِهَا

14 - जिन फसलों को नहरों वग़ैरह से सैराब किया जाता है उनकी ज़कात.

639 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَدِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ.

639 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जिस फसल को आसमान (की बारिश) और चश्मे सैराब करें इस में दस्वाँ और जिस फ़सल को खींच कर पानी दिया जाए उसमें दस्वीं का आधा (बीस्वाँ) हिस्सा है।''

सहीह इब्ने माजा: 1816. तबरानी फ़िल औसत: 4940.

वज़ाहत: इस मसले में अनस बिन मालिक, इब्ने उमर और जाबिर (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी फ़र्माते हैं यह हदीस बुकैर बिन अब्दुल्लाह बिन अल अशज़, सुलैमान बिन यसार और

बुस्र बिन सईद भी नबी(ﷺ) से मुर्सल रिवायत करते हैं। गोया यह हदीस ज़्यादा सहीह है नीज़ इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर (رضی اللہ عنہ) की बयान कर्दा रिवायत भी सहीह है और आम फ़ुकहा के नज़दीक इसी पर अमल है।

तौज़ीह: यानी जिस फ़सल को कुएं या आज के दौर में ट्यूबवेल वग़ैरह की मदद से सैराब किया जाए।

640 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرَ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفَ العُشْرِ.

640 - सालिम अपने वालिद (अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि०) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने आसमान की बारिश और चश्मों से सैराब होने वाली या छोटे खालों के ज़रिया सींची जाने वाली (ज़मीन की पैदावार) से दस्वाँ का आधा (बीस्वाँ हिस्सा) मुक़र्रर किया।

बुख़ारी:483.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

तौज़ीह: उश्री ज़मीन से मुराद वह ज़मीन है जिसे आसूर के ज़रिया सैराब किया जाए आसूर का मतलब छोटे खाल जिन से सब्जियों वग़ैरह को पानी दिया जाता है।

15. بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ مَالِ اليَتِيمِ

15 - यतीम के माल की ज़कात

641 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَلاَ مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ.

641 - अम्र बिन शोऐब अपने बाप से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने लोगों को ख़ुत्बा दिया तो फ़र्माया: ''ख़बरदार! जो शख़्स किसी मालदार यतीम का वारिस बने तो उसके माल में तिजारत करे और ऐसे ही न छोड़े रखे यहाँ तक कि उसे सदक़ा खा जाए।''

ज़ईफ़: दार क़ुत्नी: 2/ 110. बैहक़ी: 4/ 107.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस इसी सनद से मर्वी है और इसमें कलाम किया गया है क्योंकि मुसन्ना बिन सबाह हदीस में ज़ईफ़ है। जबकि बाज़ ने यह हदीस अम्र बिन शोऐब से रिवायत की है कि उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) ने फ़र्माया: इसके आगे यह हदीस ही बयान की है।

इस मसले में अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है। नबी(ﷺ) के बहुत से सहाबा जिन में उमर, अली, आयशा और इब्ने उमर (رضي الله عنهم) भी शामिल हैं कहते हैं कि यतीम के माल में ज़कात वाजिब है। इमाम मालिक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) भी यही कहते हैं। जबकि अहले इल्म की एक जमाअत कहती है: यतीम के माल में ज़कात नहीं है सुफ़ियान सौरी और अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمهما الله) भी यही कहते हैं। नीज़ अम्र बिन शोऐब यह मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस के बेटे हैं। शोऐब ने अपने दादा सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (رضي الله عنه) से सुना है। यह्या बिन सईद अल-क़त्तान ने अम्र बिन शोऐब की रिवायत के बारे में कलाम करते हुए कहा है कि हमारे नज़दीक इसकी हदीस कमज़ोर है। और जिस ने उसे ज़ईफ़ कहा है वह इसलिए कहा है कि यह अपने परदादा अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) के सहीफा से रिवायत करते हैं।

लेकिन अक्सर मुहद्दिसीन अम्र बिन शोऐब की हदीस को हुज्जत समझते हैं और इसे साबित कहते हैं, जिन में इमाम अहमद और इस्हाक़ (رحمهما الله) भी शामिल हैं।

16. بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

16 - जानवर का लगाया हुआ ज़ख्म रायगाँ है और रिकाज़ में पांचवां हिस्सा (सदक़ा) होगा.

642 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ :حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

642 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जानवर का लगाया हुआ ज़ख्म रायगाँ है। खान और कुँए (में मरने वाले का खून भी) रायगाँ है और रिकाज़ में पांचवां हिस्सा है।

बुख़ारी: 1499.मुस्लिम: 1710. अबू दाऊद: 3085.इब्ने माजा: 2509. निसाई: 2495.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में अनस बिन मालिक, अब्दुल्लाह बिन अम्र, उबादा बिन सामित, अम्र बिन औफ़ अल-मुज़नी और जाबिर (رضي الله عنهم) से भी रिवायात मर्वी है।
इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

तौज़ीह: इंसान अगर किसी इंसान को ज़ख्म लगाता है या क़त्ल करता है तो उसकी दियत होती है लेकिन जानवर ज़ख्म लगा दे या कोई शख़्स खान या कुँए में काम करते हुए मर जाए तो मालिक से दियत का मुतालबा नहीं किया जा सकता।

...رِكَازِ अहले कुफ्र व जाहिलियत के दफ़नशुदा ख़ज़ाने को رِكَاز कहा जाता है। अगर ऐसा ख़ज़ाना किसी को मिल जाए तो वह उस में से पांचवां हिस्सा इस्लामी बैतुल माल में जमा करवा के बाकी इस्तेमाल कर सकता है।

17 - फ़सल की पैदावार का अंदाजा लगाना.

17. بَابُ مَا جَاءَ فِي الخَرْصِ

643 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ، يَقُولُ :جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا فَحَدَّثَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ.

643 - अब्दुर्रहमान बिन मसऊद बिन नियार कहते हैं सय्यदना सहल बिन अबी हस्मा (رضي الله عنه) हमारी मजलिस में आये तो उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) फ़रमा रहे थे: ''जब तुम खड़ी फ़सल की पैदावार का अंदाजा लगाओ तो तीसरा हिस्सा छोड़ दो, और अगर तीसरा हिस्सा न छोड़ सको तो चौथा हिस्सा लाजमी छोड़ दो।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 1605. निसाई: 2491.

वजाहत: इस मस्अले में आयशा, अत्ताब बिन उसैद और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: पैदावार का अंदाजा लगाने में अक्सर उलमा के नज़दीक सहल बिन अबी हस्मा (رضي الله عنه) की हदीस पर अमल है। और सहल बिन अबी हस्मा के मुताबिक़ ही इमाम अहमद और इस्हाक़ का मौकिफ़ है, और अंदाज़े का मतलब यह है कि जब खुजूर और अंगूर की पैदावार जिस में ज़कात वाजिब होती है पक जाने के करीब हो तो हाकिम एक अंदाजा लगाने वाला भेजे जो अंदाजा लगाए और अंदाजा यह है कि वह इस फसल को देख कर कहे इस में इतना मुनक्क़ा निकलेगा, इस से

इतनी खुजूर निकलेगी वह शुमार करके बताता जाए और इस से दस्वाँ हिस्सा देखकर वह भी उन पर मुक़र्रर कर दे फिर मालिकों को छोड़ दे, वह फलों के साथ जो चाहें करें फिर जब फल पक जायेंगे तो उनसे दस्वाँ हिस्सा ले लिया जाएगा। बाज़ उलमा ने यही तफ़सीर की है। नीज़ मालिक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) भी यही कहते हैं।

644 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو الحَذَّاءُ الْمَدِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ.

644 - सय्यदना अत्ताब बिन उसैद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) लोगों के पास ऐसा शख़्स भेजते जो उनके अंगूरों और फलों का अंदाजा लगाता नीज़ इसी सनद के साथ यह भी मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने अंगूरों की ज़कात के बारे में फ़रमाया कि उसकी पैदावार का भी फलों की तरह अंदाजा लगाया जाए फिर मुनक्क़ा की सूरत में इसकी ज़कात अदा की जाए जिस तरह ख़ुजूर में ख़ुश्क ख़ुजूर दी जाती है।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 1603. इब्ने माजा: 1819. निसाई: 2619.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

नीज़ इब्ने जुरैज़ ने इस हदीस को इब्ने शिहाब से बवास्ता उर्वा, सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत किया है और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़र्माया: इब्ने जुरैज की हदीस गैर महफ़ूज़ है जबकि सईद बिन मुसय्यब की अत्ताब बिन उसैद से रिवायतकर्दा हदीस ज़्यादा साबित और ज़्यादा सहीह है।

18. بَابُ مَا جَاءَ فِي العَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالحَقِّ

18 - हक़ के साथ सदक़ा वसूल करने वाले आमिल का बयान.

645 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ

645 - सय्यदना नाफ़े बिन ख़दीज (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: ''सदक़ा को हक़ के साथ

عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: العَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالحَقِّ كَالغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ.

वसूल करने वाला आमिल घर लौटने तक अल्लाह के रास्ते में गज़वा करने वाले की तरह होता है।''

हसन सहीह अबू दाऊद: 2936. इब्ने माजा: 1809. मुसनद अहमद: 4/ 143.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: राफ़े बिन ख़दीज की हदीस हसन सहीह है। और यजीद बिन इयाज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। जबकि मुहम्मद बिन इस्हाक़ की हदीस ज़्यादा सहीह है।

19. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ

19 - ज़कात वसूल करने में ज़्यादती करने वाला

646 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا

646 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''सदक़ा वसूल करने में ज़्यादती करने वाला इस सदक़ा को रोकने वाले की तरह है।''

हसन: अबू दाऊद: 1585. इब्ने माजा: 1808. इब्ने खुजैमा: 2335

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, उम्मे सलमा और अबू हुरैरा (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ अनस (رضي الله عنه) की हदीस ग़रीब है।

इमाम अहमद बिन हंबल (رحمه الله) ने साद बिन सिनान के बारे में क़लाम किया है। नीज़ लैस बिन साद भी यजीद बिन अबी हबीब से बवास्ता साद बिन सिनान, सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से इसी तरह रिवायत करते हैं। और वह अपनी रिवायत में कहते हैं अम्र बिन हारिस और इब्ने लहीआ दोनों यजीद बिन अबी ज़ैद से बवास्ता सिनान बिन साद अनस (رضي الله عنه) से बयान करते हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : मैंने मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी रहिमहुल्लाह) से सुना वह फ़रमा रहे थे। सहीह नाम सिनान बिन साद है। (साद बिन सिनान नहीं) और आप(ﷺ) के फ़रमान कि ''सदक़ा

वसूल करने में ज़्यादती करने वाला रोकने वाले की तरह है इस का मतलब है कि वसूल करने में ज़्यादती करने वाले पर भी इतना ही गुनाह होगा जितना सदक़ा को रोकने वाले पर होता है।

20. सदक़ा वसूल करने वाले को राजी करना.

20. بَابُ مَا جَاءَ فِي رِضَا الْمُصَدِّقِ

647 - सय्यदना जरीर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब तुम्हारे पास सदक़ा लेने वाला आए वह तो तुम से राजी हो कर ही जाए।''

मुस्लिम: 989. अबू दाऊद:1589. इब्ने माजा: 1802. निसाई:2460

647حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلاَ يُفَارِقَنَّكُمْ إِلاَّ عَنْ رِضًا.

648 - अबू ईसा कहते हैं: हमें अबू अम्मार हुसैन बिन हुरैस ने उन्हें सुफ़ियान बिन उयय्ना ने दाऊद से बवास्ता शाबी सय्यदना जरीर (رضي الله عنه) से नबी(ﷺ) का फ़र्मान इसी तरह बयान किया है।

सहीह तोहफतुल अशराफ़: 3215.

648 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: दाऊद की शाबी से बयान कर्दा रिवायत मुजालिद की हदीस से ज़्यादा सहीह है क्योंकि मुजालिद को बाज़ उलमा ने ज़ईफ़ कहा है। वह बहुत गलतियाँ करने वाला था।

21 - सदक़ा मालदारों से लेकर ग़रीबों पर लौटा दिया जाए.

21. بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تُؤْخَذُ مِنَ الأَغْنِيَاءِ فَتُرَدُّ فِي الفُقَرَاءِ

649 - औन बिन अबू जुहैफ़ा अपने बाप जुहैफ़ा (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि हमारे पास नबी(ﷺ) का (मुक़र्रर किया हुआ आदमी) सदक़ा वसूल करने आया तो उसने मालदारों से ज़कात वसूल की और ग़रीबों में तकसीम कर

649 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا، فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا، وَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا، فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا.

दी मैं एक यतीम लड़का था। उसने मुझे भी एक जवान ऊँटनी दी।

ज़ईफुल इस्नादः दार कुत्नी 2/ 136. इब्ने खुज़ैमा:2362

वज़ाहतः इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू जुहैफ़ा (رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है।

तौज़ीहः قلوص: मज़बूत जिस्म की जवान ऊँटनी (नवीं साल की उम्र तक क़लूस इसके बाद नाक़ा कहलाती है)।

22. بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ

22 - ज़कात का माल किसके लिए हलाल है।

650 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، وَقَالَ عَلِيٌّ :أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، وَالمَعْنَى وَاحِدٌ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ، أَوْ خُدُوشٌ، أَوْ كُدُوحٌ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ.

650 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: जिस ने बक़द्रे किफायत माल होते हुए भी लोगों से सवाल किया तो वह शख़्स क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका सवाल करना उसके चेहरे में ख़राशों का बाइस बना होगा।'' (रावी को शक है कि) आप(ﷺ) ने خُمُوشٌ का लफ़्ज़ बोला या خُدُوش का या كُدُوح कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! कितना माल उसे काफी है? आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''50 दिरहम या उसकी क़ीमत का सोना।''

सहीह अबू दाऊदः 1626. इब्ने माजा: 1840. निसाई: 2592

वज़ाहतः इस मसले में अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से भी मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) की हदीस हसन है। और शोबा ने इस हदीस की वजह से हकम बिन ज़ुबैर पर कलाम किया है।

तौज़ीहः यह तीनों अलफ़ाज़ क़रीबुल मानी हैं यानी उस आदमी का चेहरा ख़राशों और ज़ख्मों के साथ छिला हुआ होगा।

651 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ بِهَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ صَاحِبُ شُعْبَةَ: لَوْ غَيْرُ حَكِيمٍ حَدَّثَ بِهَذَا، فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ: وَمَا لِحَكِيمٍ لاَ يُحَدِّثُ عَنْهُ شُعْبَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّثُ بِهَذَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ

651 - यह्या बिन आदम कहते हैं कि हमें सुफ़ियान ने हकम बिन जुबैर के हवाले से यह हदीस बयान की तो शोबा के साथी अब्दुल्लाह बिन उस्मान ने उनसे कहा: काश यह हदीस हकीम के अलावा कोई और शख़्स बयान करता तो सुफ़ियान ने कहा : हकीम को किया है क्या शोबा इनसे रिवायत नहीं करते थे? तो उन्होंने कहा: ''हाँ'' सुफ़ियान कहते हैं मैंने जुबैदा को सुना वह यह हदीस मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन यजीद के हवाले से बयान करते हैं।

मुहक्क़िक़ ने इस पर हुक्म ज़िक्र नहीं किया.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं): हमारे बाज़ साथियों के नज़दीक इसी पर अमल है। नीज़ सौरी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, अहमद और इस्हाक़ (رحمہ اللہ) भी यही कहते हैं कि जब बन्दे के पास 50 दिरहम हों तो उसके लिए सदक़ा हलाल नहीं है। जबकि बाज़ उलमा हकम बिन जुबैर की हदीस की तरफ़ नहीं गए, वह इसमें वुस्अत रखते हुए कहते हैं : जब किसी के पास 50 दिरहम या ज़्यादा रक़म हो लेकिन उसे फिर भी ज़रुरत हो तो वह ज़कात ले सकता है। यह कौल इमाम शाफ़ेई और दीगर फ़ुकहा व उलमा का है।

23. بَابُ مَا جَاءَ مَنْ لاَ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

23 - सदक़ा किस के लिए हलाल नहीं है?

652 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ (ح) وحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

652 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''मालदार और ताक़तवर तंदुरुस्त के लिए सदक़ा हलाल नहीं है।''

सहीह: अबू दाऊद: 1634. तयालिसी: 2271. दारमी:1646. अब्दुर्रज़्ज़ाक 7175.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, हुब्शी बिन जुनादा और क़बीसा बिन मुखारिक़ (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) की हदीस हसन है और शोबा ने भी साद बिन इब्राहीम से इस हदीस को इसी सनद के साथ रिवायत किया है लेकिन मर्फ़ूअ ज़िक्र नहीं किया।

नीज़ इसके अलावा भी नबी(ﷺ) से मर्वी है कि मालदार और कवी तंदुरुस्त शख़्स के लिए सदक़ा (का माल) हलाल नहीं है।

लेकिन जब कवी शख़्स ज़रुरतमंद हो और उसके पास भी कुछ न हो तो उलमा के नज़दीक सदक़ा करने वाले के लिए उस पर सदक़ा करना जायज़ है और बाज़ उलमा के नज़दीक इस हदीस का मतलब है कि उसे मांगना जायज़ नहीं है।

653 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ، فَأَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ، فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ، فَأَعْطَاهُ وَذَهَبَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ حَرُمَتِ الْمَسْأَلَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ، إِلاَّ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ، كَانَ خُمُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ.

653 - सय्यदना हुब्शी बिन जुनादा अस्सलूली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) हज्जतुल विदा के मौक़े पर अरफ़ा में खड़े हुए थे कि अचानक एक देहाती ने आकर आप(ﷺ) की चादर का किनारा पकड़ा और आप(ﷺ) से कुछ माँगा तो आप ने दे दिया और वह चला गया, उस वक़्त ही सवाल करना हराम हो गया, मैंने सुना रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया ''यकीनन मालदार और क़वी व तंदुरुस्त शख़्स के लिए सिवाए तबाह कुन फ़क़ीरी या सख्त ज़रुरत के सवाल करना हलाल नहीं है। और जो शख़्स अपना माल बढ़ाने के लिए लोगों से माँगता है तो यह चीज़ क़यामत के दिन उसके चेहरे में ज़ख्मों का बाइस और जहन्नम का गर्म पत्थर होगी जिसे वह खाएगा। जो शख़्स चाहे उन पत्थरों को कम करे और जो चाहे ज़्यादा।

ज़ईफ़: अल-कमाल ले इब्ने अदी: 2/849. तबरानी फ़िल कबीर: 3504.

तौज़ीह: رَضْفًا: गर्म पत्थर के साथ दाग़ लगाना या किसी चीज़ को उसके साथ भूनना।

654 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سُلَيْمَانَ نَحْوَهُ.

654 - तिर्मिज़ी कहते हैं हमें महमूद बिन गैलान ने (वह कहते हैं) हमें यह्या बिन आदम ने अब्दुर्रहीम बिन सुलैमान से इसी तरह हदीस बयान की है।

मुहक्क़िक़ ने इस पर तहक़ीक़ व तख़रीज ज़िक्र नहीं की. लेकिन यह रिवायत ज़ईफ़ है। इसे तबरानी ने अल-मोजमुल कबीर में ज़िक्र किया है। तफसील के लिए देखिए: जामे तिर्मिज़ी तबा दारुस्सलाम रियाज़: प.220.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद के साथ ग़रीब है।

24. بَابُ مَا جَاءَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَارِمِينَ وَغَيْرِهِمْ

24 - मकरूज़ क़िस्म के लोगों में से जिन के लिए सदक़ा जायज़ है।

655 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ.

655 - सय्यदना अबू सईद अल- ख़ुदरी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में एक आदमी ने फल खरीदे उसे नुकसान हो गया तो उस पर क़र्ज़ बहुत ज़्यादा हो गया। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''उस पर सदक़ा करो'' लोगों ने सदक़ा किया लेकिन यह माल उसके क़र्ज़ को पूरा ना कर सका तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने उसके क़र्ज़ ख्वाहों से कहा: ''जो तुम्हें मिल रहा है उसे ले लो, इसके अलावा तुम्हारे लिए और कुछ नहीं है।''

मुस्लिम: 1556. अबू दाऊद: 3469. इब्ने माजा:2356. निसाई:4530.

वज़ाहत: इस मसले में आयशा, जुवैरिया और अनस (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: ''अबू सईद (رضي الله عنه) की हदीस सहीह है।''

तौज़ीह: غُرَمَائِهِ : जिन लोगों को उससे अपनी रक़म लेनी थीं। क़र्ज़ ख्वाह क़र्ज़ का तक़ाज़ा करने वाले।

25 - نبی(ﷺ) آپ کے اہلے بیت اور

25- بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَمَوَالِيهِ

25 - नबी(ﷺ) आप के अहले बैत और गुलामों के लिए ज़कात हलाल नहीं है।

656 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الضُّبَعِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِشَيْءٍ سَأَلَ: أَصَدَقَةٌ هِيَ، أَمْ هَدِيَّةٌ؟، فَإِنْ قَالُوا :صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قَالُوا: هَدِيَّةٌ أَكَلَ.

656 - बहज़ बिन हकीम अपने बाप के वास्ते के साथ अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास जब कोई चीज़ आती तो आप पूछ लेते कि यह सदक़ा है या तोहफ़ा? अगर लोग बताते कि यह सदक़ा है तो आप न खाते और अगर कहते कि यह तोहफा है तो आप खा लेते।

हसन सहीह निसाई: 2613. मुसनद अहमद:5/ 5.

__वज़ाहत:__ इस मसले में सलमान, अबू हुरैरा, अनस, हसन बिन अली, मुअर्रफ़ बिन वासिल के दादा अबू उमैरह जिनका नाम रसमा बिन मालिक था, मैमून बिन मेहरान, इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अम्र, अबू राफ़े और अब्दुर्रहमान बिन अल्क़मा (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं।

नीज़ इसी तरह यह हदीस अब्दुर्रहमान बिन अल्क़मा से बवास्ता अब्दुर्रहमान बिन अबू अक़ील नबी(ﷺ) से रिवायत की गई है। और बहज़ बिन हकीम के दादा का नाम मुआविया बिन हैदा अल क़ुशैरी (رضي الله عنه) है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:बहज़ बिन हकीम की हदीस हसन ग़रीब है।

657 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لأَبِي رَافِعٍ:

657 - सय्यदना अबू राफ़े (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक आदमी को सदक़ा वसूल करने पर आमिल बना कर भेजा तो उसने अबू राफ़े से कहा: ''तुम भी मेरे साथ चलो ताकि तुझे भी कुछ मिल जाए तो उन्होंने कहा (तब तक) नहीं जब तक मैं

اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا، فَقَالَ: لاَ، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास जाकर पूछ न लूं। वह नबी(ﷺ) के पास गए और आप से पूछा तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''बेशक सदक़ा हमारे लिए हलाल नहीं है और बेशक किसी भी कौम का आज़ाद किया गया गुलाम उन्हीं में से एक होता है।''

सहीह अबू दाऊद: 1650. निसाई: 2612.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और नबी(ﷺ) के गुलाम अबू राफ़े का नाम असलम और इब्ने अबी राफ़े, उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़े है और अबू राफ़े अली बिन अबी तालिब (رضی اللہ عنہ) के कातिब थे।

26. بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ

26 - क़राबतदारों पर सदक़ा करने की अहमियत

658 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ.

658 - सलमान बिन आमिर नबी(ﷺ) से रिवायत करते हैं आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जब कोई शख़्स रोज़ा इफ़्तार करे तो उसे चाहिए कि खुजूर पर इफ़्तार करे क्योंकि वह बाबरकत (फल) है अगर उसे खुजूर न मिले तो पानी (के साथ) क्योंकि वह पाकीज़ा चीज़ है। और आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''मिस्कीन पर सदक़ा करने से एक सदक़ा (का अज्र मिलता) है और रिश्तेदार पर करने से दो (कामों) का अज्र मिलता है। सदक़ा और रिश्तेदारी को मिलाने का।

इज़ा अफ्तरा... आखिर तक बात आप[के कौल से ज़ईफ़ जबकि फ़ेल से सहीह साबित और सदक़ा.... आखिर तक. सहीह है। अबू दाऊद:2356. इब्ने माजा:1699. निसाई:2582.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मसऊद की बीवी ज़ैनब, जाबिर और अबू हुरैरा (رضی الله عنه) से भी रिवायत की गई है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सलमान बिन आमिर (رضی الله عنه) की हदीस हसन है। और रबाब उम्मुर्राएह बिन्ते सुलैअ हैं।

नीज़ सुफ़ियान सौरी ने भी आसिम से हफ़्सा बिन्ते सीरीन के हवाले से रबाब के वास्ते के साथ सलमान बिन आमिर (رضی الله عنه) से नबी(ﷺ) की हदीस इस तरह बयान की है। जब कि शोबा ने आसिम से हफ़्सा बिन्ते सीरीन के वास्ते से सलमान बिन आमिर से रिवायत की है तो इसमें रबाब का ज़िक्र नहीं है लेकिन सुफ़ियान सौरी और इब्ने उयय्ना की हदीस ज़्यादा सहीह है (क्योंकि) इब्ने औन और हिशाम बिन हस्सान ने भी हफ़्सा बिन्ते सीरीन से बवास्ता रबाब सलमान बिन आमिर (رضی الله عنه) से रिवायत की है।

27 - माल में ज़कात के अलावा भी हक़ है।

27. بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

659 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدُّوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ، أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} الآيَةَ.

659 - सय्यदा फ़ातिमा बिन्ते कैस (رضی الله عنها) कहती हैं कि मैंने सवाल किया या नबी(ﷺ) से ज़कात के बारे में सवाल किया गया तो आप(ﷺ) ने फ़र्माया: बेशक माल में ज़कात के अलावा भी हक़ है। ''फिर आपने सूरह बकरा की यह आयत तिलावत की (तर्जुमा) नेकी यह नहीं कि तुम अपने चेहरे।।।''

ज़ईफ़: इब्ने माजा:1789. दारमी: 16440.दार क़ुत्नी:2/ 125.

660 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ.

660 - सय्यदा फ़ातिमा बिन्ते कैस (رضی الله عنها) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''बेशक माल में ज़कात के अलावा भी हुकूक़ हैं।''

ज़ईफ़.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद मज़बूत नहीं। अबू हम्ज़ा मैमून अल आवर को ज़ईफ़ कहा गया है। जबकि बयान और इस्माईल बिन सालिम ने भी शाबी से इस हदीस को ऐसे ही रिवायत किया है और यह सहीह है।

28 - सदक़ा करने की फ़ज़ीलत.

28. بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّدَقَةِ

661 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जो शख़्स अपने हलाल कमाई से सदक़ा करता है और अल्लाह तआला भी हलाल ही को कुबूल करते हैं तो रहमान उसे अपने दाएं हाथ से पकड़ता है अगरचे वह खुजूर ही हो। रहमान की हथेली में बढ़ने लगती हैं यहां तक कि पहाड़ से भी बड़ी हो जाती है खुजूर ऐसे ही परवरिश पाती है जैसे कोई शख़्स अपने घोड़े के बच्चे या गाय के बच्चे की परवरिश करता है।

बुख़ारी: 1410. मुस्लिम:1014. इब्ने माजा:1842. निसाई:2525.

661 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ :حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ، إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً تَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ، حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الجَبَلِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ.

वज़ाहत: इस मसले में आयशा, अदी बिन हातिम, अनस, अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा, हारसा बिन वहब, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और बुरैदा (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

तौज़ीह: فُلُوَّهُ: घोड़े का बच्चा जिसका दूध छुड़ा दिया गया हो वह एक साल का हो गया हो उसकी जमा :أفلاء: आती है। فَصِيلَ:: ऊँटनी या गाय का वह बच्चा जिसका दूध छुड़ा कर मां से अलग कर दिया गया हो इसकी जमा فُصلان و فِصلان و فِصال : आती है।

662 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''बेशक अल्लाह तआला सदक़ा कुबूल करता है और

662 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ

مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ، حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ}، وَ {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ.}

इसे दायें हाथ में पकड़ता है। (फिर) उसे आदमी के लिए इस तरह बढ़ाता है जैसे तुम में से कोई शख़्स अपने घोड़े के बच्चे की परवरिश करता है यहाँ तक कि सदक़ा में दिया गया एक लुक़्मा उहुद पहाड़ की तरह हो जाता है। और इस बात की तस्दीक अल्लाह तआला की किताब में भी है। (तर्जुमा) ''वह अल्लाह अपने बन्दों की तौबा कुबूल करता है और सदक़ात लेता है। ''और (तर्जुमा) ''अल्लाह सूद को मिटाता और सदक़ात को बढ़ाता है। ''

व तस्दीकु जालिका...आख़िर तक के अलावा बाकी हदीस सहीह है। मुसनद अहमद:2/268. इब्ने खुजैमा:24260.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है नीज़ सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) ने भी नबी(ﷺ) से इसी तरह रिवायत की है।

बहुत से उलमा इसे और इस जैसी दीगर अहादीस जिन में अल्लाह तआला की सिफ़ात और हर रात आसमाने दुनिया पर उतरने का ज़िक्र है के बारे में फ़रमाते हैं: इस मसले में कई रिवायात साबित हैं जिन पर ईमान लाया जाएगा और शक नहीं किया जाएगा और न ही कैफियत का सवाल किया जा सकता है।

इमाम मालिक बिन अनस, सुफ़ियान बिन उयय्ना और अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمهم الله) से भी इसी तरह मर्वी है वह कहते हैं उन अहादीस को बग़ैर कैफियत के सवाल के पढ़ो नीज़ अहले सुन्नत वल जमाअत के उलमा भी यही कहते हैं।

लेकिन जहमिया इन रिवायात का इनकार करते हुए कहते हैं कि यह तशबीह है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में कई मक़ामात पर हाथ, समाअत और बसारत का तज़्किरा किया है।

लेकिन जहमिया इन आयात की तफ़सीर अहले इल्म की तफ़सीर से हट कर करते हैं। और कहते हैं कि अल्लाह तआला ने आदम को अपने हाथ से पैदा नहीं किया। हाथ से मुराद क़ुव्वत है।

इस्हाक़ बिन इब्राहीम कहते हैं: तशबीह तो तब होगी जब कोई कहे कि हाथ जैसा हाथ या हाथ की तरह, या समाअत की तरह समाअत। जब समाअत की तरह बसारत की तरह'' के अलफ़ाज़ कहें तब तशबीह

होगी। जब अल्लाह तआला कहते हैं कि हाथ, समाअत बसारत और कैफियत या किसी की मिस्ल का ज़िक्र न करे तो यह तशबीह नहीं कहला सकती और यह ऐसे ही है जैसे अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: ''अल्लाह की मिस्ल कोई चीज़ नहीं और वह सुनने वाला जानने वाला है।

तौज़ीह: जहमिया फिर्क़ा जहम बिन सफ़वान की तरफ़ मंसूब है। उनका अकीदा था कि अल्लाह का इल्म क़दीम नहीं है और रूनुमा होने वाली चीज़ों को अल्लाह पहले नहीं जानता था। (मआज़ अल्लाह) इस अकीदे के लोग इमाम तिर्मिज़ी के शहर तिर्मिज़ और अब्दुल्लाह बिन मुबारक के शहर मर्व में रहते थे। यह लोग अल्लाह की सिफ़ात के भी इन्कार करने वाले थे। सलम बिन अहवज़ अल्माज़िनी ने जहम को क़त्ल कर दिया था।

663 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: شَعْبَانُ لِتَعْظِيمِ رَمَضَانَ، قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ.

663 – सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी अकरम(ﷺ) से सवाल किया गया कि रमज़ान के बाद कौन से रोज़े फ़ज़ीलत वाले हैं? आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''रमज़ान की ताजीम की वजह से शाबान के रोज़े रखना।'' (सवाल करने वाले ने कहा : कौन सा सदक़ा अफज़ल है? आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''रमज़ान में सदक़ा करना।''

ज़ईफ़: अबू याला:343. शरहुल मआनी:2/83. इब्ने अबी शैबा:3/103.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और सदक़ा बिन मूसा के यहाँ कवी रावी नहीं है।

664 - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسَى الْخَزَّازُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ.

664 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''बेशक सदक़ा रब के ग़ज़ब को बुझा देता है और नागवार हालत की मौत को हटा देता है।''

सहीहुल अशर अल-अव्वल मिन्हू: इब्ने हिब्बान: 3309.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस ग़रीब है।

29 - सवाल करने वाले के हक़ का बयान.

29.بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ السَّائِلِ

665 - नबी(ﷺ) के हाथ पर बैअत करने वाली खातून सय्यदा उम्मे बुजैद (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से अर्ज़ किया: मिस्कीन मेरे दरवाज़े पर आकर खड़ा होता है, मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होता, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''अगर तुझे उसे देने के लिए जले हुए खुर के अलावा कुछ ना मिले तो वही उसके हाथ में दे दो।''

सहीह अबू दाऊद: 1667. निसाई:2565.

665 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ :حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ، وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ :يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِيهِ إِيَّاهُ إِلاَّ ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ.

वज़ाहत: इस मसले में अली, हुसैन बिन अली, अबू हुरैरा और अबू उमामा (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: उम्मे बुजैद (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है।

30 - (नव मुस्लिमों के) दिलों को तसल्ली देने के लिए (उन्हें) देना.

30.بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

666 - सय्यदना सफ़वान बिन उमय्या (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हुनैन के दिन मुझे माल दिया बिला शुब्हा मख़लुक़ में सब से ज़्यादा नापसन्दीदा मुझे आप थे। आप(ﷺ) मुझे देते रहे यहाँ तक कि मुझे तमाम मखलूक़ में सब से ज़्यादा महबूब हो गए।

मुस्लिम:2313.

666 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَإِنَّهُ لأَبْغَضُ الخَلْقِ إِلَيَّ، فَمَا زَالَ يُعْطِينِي، حَتَّى إِنَّهُ لأَحَبُّ الخَلْقِ إِلَيَّ

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मुझे मुजाकरह(डिस्कस) के दौरान हसन बिन अली ने इसी तरह हदीस बयान की थी। नीज़ इस मसले में अबू सईद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सफ़वान (رضي الله عنه) की हदीस को मामर वग़ैरह ने जोहरी से बवास्ता सईद बिन मुसय्यब बयान किया है कि सफ़वान बिन उमय्या फ़रमाते हैं: मुझे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने (माल) दिया। गोया यह हदीस ज़्यादा सहीह है क्योंकि सईद बिन मुसय्यब ने ज़िक्र किया है कि सफ़वान बिन उमय्या (رضي الله عنه) ने कहा है।

तालीफे क़ल्ब के लिए माल देने में अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है बाज़ उलमा कहते हैं कि उन्हें माल ना दिया जाए और वह यह कहते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में एक कौम को इस्लाम पर (उभारने के लिए) माल दिया जाता था, यहाँ तक कि वह मुसलमान हो गए। उनके मुताबिक आज के दौर में ज़कात के माल से इस मक़सद के लिए नहीं दिया जा सकता। यह कौल सुफ़ियान सौरी, अहले कूफा और दीगर लोगों का है। नीज़ अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी यही कहते हैं।

जब कि बाज़ कहते हैं अगर आज भी कोई इस हालत पर हो तो इमाम उन्हें इस्लाम पर (उभारने के लिए) कुछ देना चाहे तो दे सकता है। यह कौल इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) का है।

31. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَصَدِّقِ يَرِثُ صَدَقَتَهُ

31 - सदक़ा करने वाला अगर अपने सदके के माल का वारिस बन जाए तो.

667 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ، قَالَتْ: يَا

667 - अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने बाप (सय्यदना बुरैदा (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि मैं नबी(ﷺ) के पास बैठा हुआ था कि अचानक एक औरत आकर कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल मैंने अपनी मां पर एक लौंडी का सदक़ा किया अब मेरी वालिदा फौत हो गई हैं आप(ﷺ) ने फ़र्माया: तुम्हारा अज्र भी साबित हो गया और मीरास ने उस लौंडी को भी तेरे पास वापस लौटा दिया है। उस औरत ने

رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: صُومِي عَنْهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ :نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا.

कहा: ''ऐ अल्लाह के रसूल! उन्होंने कभी हज नहीं किया, किया मैं उनकी तरफ़ से हज कर सकती हूँ? आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''हाँ तुम उसकी तरफ़ से हज करो।''

मुस्लिम: 1149. अबू दाऊद:1656. इब्ने माजा:1759.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है और बुरैदा (رضي الله عنه) से सिर्फ़ इसी सनद के साथ मिलती है और अब्दुल्लाह बिन अता अहले इल्म के नज़दीक सिक़ह रावी है। नीज़ अक्सर उलमा के नज़दीक इसी पर अमल है कि आदमी जब कोई सदक़ा करे फिर उसका वारिस बन जाए (तो) वह उसके लिए हलाल है।

बाज़ कहते हैं : सदक़ा तो एक ऐसी चीज़ है जिसे उसने अल्लाह के लिए दिया था तो जब वह उसका वारिस बन जाए तो उस पर वाजिब है कि उसे ऐसे ही किसी काम में सर्फ़ करे। नीज़ सुफ़ियान सौरी और ज़ुहैर बिन मुआविया ने भी यह हदीस अब्दुल्लाह बिन अता से रिवायत की है।

32. بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ العَوْدِ فِي الصَّدَقَةِ

32 - सदक़ा करके वापस लेना मना है।

668 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ.

668 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि उमर(رضي الله عنه) ने अल्लाह के रास्ते (जिहाद) में किसी को घोड़ा दिया, फिर उसे फ़रोख्त होते हुए देखा तो उसे खरीदने का इरादा किया (मगर) नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''अपने सदक़ा में मत लौटो।''

बुख़ारी:2971. मुस्लिम:1621. अबू दाऊद: 1593 इब्ने माजा:2390. निसाई:2617.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अक्सर उलमा के नज़दीक इसी पर अमल है।

33 मय्यत की तरफ़ से सदक़ा करना

33. بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

669 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी वालिदा फौत हो गयीं हैं अगर मैं उनकी तरफ़ से सदक़ा करूं तो क्या उन्हें फ़ायदा होगा? नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''हाँ! (तो) उस आदमी ने कहा मेरा एक बाग़ है मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मैंने उसे अपनी वालिदा की तरफ़ से सदक़ा कर दिया है।

बुख़ारी:2756. अबू दाऊद:2882. निसाई:3654.

669 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ، أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا، فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है नीज़ उलमा भी यही कहते हैं कि मय्यत को सिर्फ़ सदक़ा और दुआ पहुंचती है।

बाज़ रुवात ने यह हदीसे नबवी अम्र बिन दीनार से बवास्ता इक्रिमा मुर्सल रिवायत की है। तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: مَخْرَفًا का मानी बाग़ है।

34 - बीवी का अपने खाविंद के घर से (अल्लाह के रास्ते में) ख़र्च करना.

34. بَابٌ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

670 - सय्यदना अबू उमामा अल बाहिली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को हज्जतुल विदा में खुत्बा इरशाद फ़रमाते हुए सुना : ''कोई औरत अपने खाविंद के घर से अपने शौहर की इजाज़त के बगैर कोई चीज़ (अल्लाह के रास्ते में) ख़र्च ना करे।'' कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या खाना भी

670 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ: لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ

شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلاَ الطَّعَامُ، قَالَ :ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.

नहीं? आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''यह तो हमारा सबसे बेहतरीन माल है।''

हसन: अबू दाऊद:3565.इब्ने माजा:2295 मुसनद अहमद:5/267.

वज़ाहत: इस मसले में साद बिन अबी वक्कास, अस्मा बिन्ते अबी बकर, अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन अम्र और आयशा (رضي الله عنه) से भी मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू उमामा अल बाहिली (رضي الله عنه) की हदीस हसन है।

671 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا بِهِ أَجْرٌ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلاَ يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا، لَهُ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ.

671 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब औरत अपने खाविंद के घर से सदक़ा करती है तो उसके लिए अज्र होता है इसी तरह खाविंद और खजांची के लिए भी और इन में से कोई भी दूसरे के अज्र को कम नहीं करता, शौहर के लिए कमाने का सवाब और बीवी के लिए ख़र्च करने का सवाब है।

बुख़ारी: 1425. मुस्लिम:1024. अबू दाऊद:1685.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

672 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِطِيبِ نَفْسٍ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِ، لَهَا مَا نَوَتْ حَسَنًا، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ.

672 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब औरत अपने शौहर के घर से कोई चीज़ दिल की ख़ुशी के साथ खराबी से बच कर (अल्लाह के रास्ते में) देती है तो उसके लिए भी शौहर की तरह अज्र है उसके लिए नेकी की निय्यत का अज्र है। और खाज़िन के लिए भी इसी तरह अज्र है।''

सहीह अबू दाऊद: 1685. इब्ने माजा:2294.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और यह हदीस अम्र बिन मुर्रा की अबू वाइल से बयान कर्दा हदीस ज़्यादा सहीह है क्योंकि अम्र बिन मुर्रा अपनी हदीस (की सनद) में मसरूक का ज़िक्र नहीं करते।

35 - सदक़-ए-फ़ित्र (फ़ित्राना)

35. بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ

673 - सय्यदना अबू सईद अल- ख़ुदरी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह(ﷺ) हम में मौजूद थे तो हम फ़ित्र की ज़कात खाने, जौ, खुजूर, मुनक्का और पनीर से एक साअ ही निकाला करते थे। हम इसी तरह ही निकालते रहे यहाँ तक कि मुआविया (رضي الله عنه) मदीना में आये तो उन्होंने लोगों से जो बातें कीं उन में यह बात भी थी कि मेरे ख़याल में शाम की गंदुम के दो मुद खुजूरों के एक साअ के बराबर हैं। (अबू सईद (رضي الله عنه) कहते हैं: लोगों ने इसी बात को ले लिया, फ़र्माते हैं: मैं तो जैसे पहले निकालता था उसी तरह निकालता रहूंगा।''

बुख़ारी: 1508. मुस्लिम:985. अबू दाऊद:1616.इब्ने माजा:1829. निसाई:2513.

673 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَتَكَلَّمَ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ إِنِّي لأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और बाज़ अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए हर चीज़ से एक साअ की राय देते हैं यह कौल शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का है। लेकिन नबी(ﷺ)के सहाबा और दीगर लोगों में बाज़ उलमा कहते हैं कि गंदुम के अलावा बाक़ी अशिया से एक साअ होगा क्योंकि इसका आधा साअ ही काफी है। सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक और अहले कूफा भी गंदुम के निस्फ़ साअ को काफी समझते हैं।

674 - अम्र बिन शोऐब अपने बाप से और वह अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه)) से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने मक्का की गलियों में ऐलान करने वाला भेजा, (उसका

674 - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ سِوَاهُ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ.

ऐलान था) ''खबरदार! सदक़ा फ़ित्र (फ़ित्राना) हर मुसलमान मर्द, औरत, आज़ाद, गुलाम, छोटे और बड़े पर वाजिब है। गंदुम के दो मुद और उसके अलावा खाने से एक साअ।''

ज़ईफुल इस्नाद:दार कुत्नी:2/ 141.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब हसन है और अम्र बिन हारून ने इस हदीस को इब्ने जुरैज से बयान करते वक़्त अब्बास बिन ज़िया से नबी(ﷺ) की हदीस बयान की है। (इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं): हमें जारूद ने अम्र बिन हारून के हवाले से यह हदीस रिवायत की है।

675 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

675 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सदक़-ए-फ़ित्र (फ़ित्राना) मर्द, औरत, आज़ाद और गुलाम पर खुजूर या जौ का एक साअ मुक़र्रर किया था। फिर लोग इसके बजाये गंदुम के आधे साअ की तरफ़ चल दिए।

बुख़ारी:1503.मुस्लिम:984. अबू दाऊद: 1611 इब्ने माजा:1825. निसाई:2505.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस मसले में अबू सईद इब्ने अब्बास, हारिस बिन अब्दुर्रहमान बिन अबू ज़ुबाब के दादा, सअल्बा बिन अबी सगीर और अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से भी अहादीस मर्वी हैं।

676 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

676 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने रमज़ान का सदक़-ए-फ़ित्र खुजूर या जौ से एक साअ मुसलमानों में से हर आज़ाद, गुलाम, मर्द, औरत पर मुक़र्रर किया है।

सहीह अबू दाऊद:1611. इब्ने माजा:1825.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। इमाम मालिक ने भी नाफ़े के वास्ते के साथ अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से नबी(ﷺ) की हदीस अय्यूब की हदीस की तरह बयान की है और इसमें भी मुसलमानों का ज़िक्र है। लेकिन बहुत से रावियों ने नाफ़े से रिवायत करते वक़्त मुसलमानों का ज़िक्र नहीं किया।

इस मसले में अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है। बाज़ कहते हैं जब किसी के पास गैर मुस्लिम गुलाम हों तो वह उनकी तरफ़ से सदक़-ए-फ़ित्र अदा नहीं करेगा। यह कौल इमाम मालिक, शाफ़ेई और अहमद (رحمه الله) का है। जबकि बाज़ कहते हैं : ''अगर गैर मुस्लिम भी हों तो उनकी तरफ़ से (फ़ित्राना) अदा करेगा।'' यह कौल सौरी, इब्ने मुबारक और इस्हाक़ (رحمه الله) का है।

36 - इस (सदक़-ए-फ़ित्र) को नमाज़े (ईद) से पहले अदा करना.

36. بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْدِيمِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ

677 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ईदुल फ़ित्र के दिन नमाज़ के लिए जाने से पहले ज़काते फ़ित्र (फित्राना) अदा करने का हुक्म देते थे।

बुख़ारी:1509.मुस्लिम:986. अबू दाऊद:1610. निसाई:2504.

677 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ أَبُو عَمْرٍو الْحَذَّاءُ الْمَدِينِيُّ قَالَ :حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْغُدُوِّ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब हसन है और उलमा इसी को पसंद करते हैं कि आदमी सदक़-ए-फ़ित्र नमाज़ के लिए जाने से पहले अदा करे।

37 - वक़्त से पहले ज़कात अदा करना.

37. بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

678 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि अब्बास (رضي الله عنه) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सदक़ा (ज़कात) वाजिब होने से पहले अदा करने का पूछा तो आप(ﷺ) ने उन्हें इस काम

678 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ

بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ.

की रुख़सत दे दी।

हसन: अबू दाऊद:1624. इब्ने माजा:1795. इब्ने खुजैमा:2331.

679 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ جَحْلٍ، عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ: إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الأَوَّلِ لِلْعَامِ.

679 - सय्यदना अली (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने उमर (रज़ि.) से फ़र्माया: ''हमने अब्बास के माल की इस साल की ज़कात भी पिछले साल ले ली थी।

हसन: दार कुत्नी:1/ 124.

वाजाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास (रज़ि.) से भी हदीइस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फ़रमाते हैं: ज़कात को वक़्त से पहले अदा करने की हदीस मुझे सिर्फ़ इस्राईल से बवास्ता हज्जाज बिन दीनार इसी सनद के साथ मिली है। और मेरे नज़दीक इस्माईल बिन ज़करिया की हज्जाज से बयान कर्दा हदीस इस्राईल की हज्जाज से बयान कर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह है। नीज़ हकम बिन उत्बा से भी नबी(ﷺ) की यह हदीस मुर्सल रिवायत की गई है।

अहले इल्म का ज़कात वाजिब होने से पहले अदा करने में इख़्तिलाफ़ है। उलमा की एक जमाअत कहती है कि वक़्त से पहले न अदा करे। सुफ़ियान सौरी भी यही कहते हैं कि मैं वक़्त से पहले न अदा करने को पसंद करता हूँ। जब कि अक्सर उलमा कहते हैं कि अगर वाजिब से पहले ही अदा कर दे तो जायज़ है। यह कौल शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (रह.) का है।

38. بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

38 - सवाल करना (मांगना) मना है।

680 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ

680 – सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को फ़रमाते हुए सुना : ''तुम में से कोइ शख़्स सुबह के वक़्त जाए और अपनी कमर पर लकड़ियाँ उठा कर लाये फिर उस से सदक़ा करे और लोगों के माल से

فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

बेपरवाह हो जाए यह काम उसके लिए उस चीज़ से बेहतर है कि वह किसी के पास जाकर सवाल करे। वह उसे दे या न दे। बेशक ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है और तू (सदक़ा की) इब्तिदा उन से कर जिनकी तू परवरिश करता है।''

बुख़ारी:1470 मुस्लिम:1042. निसाई:2589

वज़ाहत: इस मसले में हकीम बनी हिज़ाम, अबू सईद अल-ख़ुदरी जुबैर बिन अव्वाम, अतिय्या अस-सअदी, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, मसऊद बिन अम्र, इब्ने अब्बास, सौबान, ज़्याद बिन हारिस अस-सुदाई, अनस, हुब्शी बिन जुनादा, क़बीसा बिन मुखारिक़, समुरा और इब्ने उमर (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह गरीब है। इसे बयान की कैस से रिवायत की वजह से गरीब तसव्वुर किया गया है।

तौज़ीह: فَيَحْتَطِبَ : यह लफ़्ज़ حطب से निकला है और حطب बतौर ईंधन जलायी जाने वाली लकड़ी को कहा जाता है।

681 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ.

681 - सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''बेशक लोगों से मांगना एक ज़ख्म लगाने का आला है जिसके साथ आदमी क़यामत के दिन अपने चेहरे को ज़ख्मी करता है। मगर यह कि आदमी हाकिम से या किसी इन्तिहाई ज़रुरत की वजह से मांगे।''

सहीह: अबू दाऊद: 1639. निसाई:2599.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

तौज़ीह: كَدٌّ: का मानी होता है मेहनत और कोशिश के साथ कोई काम करना, यहाँ पर मुराद यह है कि अपने ही हाथों के साथ बड़ी मेहनत से अपना चेहरा ज़ख्मी करना।

ख़ुलासा

- ज़कात इस्लाम का तीसरा अहम् रुक्न है।
- ज़कात अदा न करना कबीरा गुनाह है और क़यामत के दिन उस पर बहुत सख़्त सज़ा होगी।
- ज़कात सोने, चांदी, ऊँट, बकरी, गाय, सामान और कारोबार से हासिलशुदा आमदनी पर वाजिब है।
- फसलों और और सब्जियों में बीस्वाँ हिस्सा ज़कात बनती है।
- जाहिलियत का दफ़नशुदा माल मिले तो पांचवां हिस्सा इस्लामी बैतुलमाल का है।
- मुहम्मद(ﷺ) और आप की आल के लिए सदक़ा हलाल नहीं है।
- क़राबतदारों पर सदक़ा करने से दोहरा अज्र मिलता है।
- अल्लाह तआला के हाथ, समाअत व बसारत और दीगर सिफात पर ईमान रखना ज़रूरी है।
- सवाल करने वाले को कुछ न कुछ ज़रूर देना चाहिए।
- सदक़ा देकर वापस नहीं लिया जा सकता।
- सदक़-ए-फित्र (फ़ित्राना) वाजिब है।
- मांगना एक घटिया हरकत है।

मज़मून नम्बर 6

اَبْوَابُ الصَّوْمِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्वी रोज़ों के अहकाम व मसाइल

तआरुफ़

(127) अहादीसे रसूल के साथ (83) अबवाब पर मुश्तमिल इस बयान में आप पढ़ेंगे कि

- माहे रमज़ान की फ़ज़ीलत क्या है?
- किन- किन मौक़ों पर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है?
- रोज़े में किन उमूर से मना किया गया है?
- नफ्ली रोज़े कौन से दिनों में मुस्तहब हैं?
- किन अय्याम (दिनो) के रोजों से मना किया गया है?
- एतकाफ़ किया है? और इन में किन बातों का ख़याल रखना ज़रूरी है?
- लैलतुल क़द्र कौन सी रात होती है?

1. بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

682 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ

1 - रमज़ान के महीने की फ़ज़ीलत

682 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब रमज़ान के महीने की पहली रात होती है (तो) शयातीन और सरकश जिन्नात को जकड़ दिया जाता है और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, उनमें किसी भी दरवाज़े को नहीं खोला जाता और जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है उनमें एक भी दरवाज़े को बंद नहीं किया जाता और एक

مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ.

ऐलान करने वाला ऐलान करता है कि ऐ भलाई को तलाश करने वाले! आगे बढ़! और ऐ बुराई के मुतलाशी! ठहर जा! और अल्लाह अपने बन्दों को जहन्नम की आग से आज़ाद करता है, और यह (मामला) हर रात होता है।

सहीह इब्ने माजा:1642. इब्ने खुज़ैमा:1883. इब्ने हिब्बान:3435. हाकिम:1/421.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुर्रहमान बिन औफ़, इब्ने मसऊद और सलमान (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं।

तौज़ीह: مَرَدَة: मारद की जमा है जिसका मतलब है इन्तिहाई शरीर और सरकशी वाला।

---

683 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَالمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

683 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जिसने ईमान की हालत और सवाब की निय्यत के साथ रमज़ान के रोज़े रखे और क़याम किया उसके पहले गुनाह मुआफ़ कर दिए जायेंगे और जिसने ईमान और सवाब की निय्यत से लैलतुल क़द्र का क़याम किया उसके भी पहले गुनाह मुआफ़ कर दिए जायेंगे।''

बुख़ारी:1901. मुस्लिम:760. अबू दाऊद: 1372 इब्ने माजा:1326. निसाई:1602

वज़ाहत: यह हदीस सहीह है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की वह हदीस जिसे अबू बक्र बिन अयाश ने आमश और अबू सालेह की तरीक के साथ अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत किया है इस सनद के साथ वह गरीब है और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी रहिमहुल्लाह) से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: हमें हसन बिन रूबैअ ने (वह कहते हैं) हमें अबुल अहवस ने बवास्ता आमश मुजाहिद से यह कौल बयान किया है कि ''जब माहे रमज़ान की पहली रात होती है। ''फिर वही हदीस बयान की। मुहम्मद (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ''मेरे नज़दीक यह रिवायत अबू बक्र बिन अयाश की बयान कर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह है। ''

तौज़ीह: सौम का लफ़्ज़ी मानी है: रुक जाना । इस्तिलाह में तुलूए फज्र से गुरूबे आफ़ताब तक खाने पीने, हमबिस्तरी, और तमाम मुफ्तिरात से रुक जाने को सौम (रोज़ा) कहा जाता है।

2 - रमज़ान के महीने का रोज़े के साथ इस्तिक़बाल न करो.

2.بَابُ مَا جَاءَ لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصَوْمٍ

684 – सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ' रमज़ान के महीने से एक या दो दिन पहले रोज़ा न रखो सिवाए उस शख़्स के जो पहले भी (सोमवार या जुमेरात का) रोज़ा रखता है तो वह दिन उस के मुवाफिक़ आ जाए, उस (चाँद) को देख कर रोज़ा रखो और उसे देख कर रोज़े ख़त्म करो पस अगर बादल हो जाएँ तो तीस की गिनती पूरी करके फिर रोजों को ख़त्म करो।

सहीह बुख़ारी: 1914. मुस्लिम:1082. अबू दाऊद:2335. इब्ने माजा:1650. निसाई: 2172 तोहफतुल अशराफ़:15057.

684 ـ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلاَ بِيَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا.

वज़ाहत: इस मसले में नबी करीम(ﷺ) के किसी और सहाबी से हदीस मर्वी है। हमें मन्सूर बिन मोतमिर ने बवास्ता रिबई बिन हराश नबी(ﷺ) के किसी सहाबी से नबी(ﷺ) की हदीस बयान की।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और उलमा इसी पर अमल करते हुए माहे रमज़ान शुरू होने से पहले रमज़ान (के इस्तिक्बाल) की खातिर रोज़े रखने को मकरूह कहते हैं और अगर कोई आदमी पहले भी (सोमवार या जुमेरात का) रोज़ा रखता है तो वह दिन रमज़ान से एक या दो दिन पहले आ जाए तो उनके नज़दीक वह रोज़े रखने में कोई हर्ज नहीं है।

685 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''माहे रमज़ान से एक या दो दिन पहले रोज़ा

685 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ :حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ

أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ.

न रखो मगर जो आदमी पहले कोई (नफ़ली) रोज़े रखता हो वह रख सकता है।

सहीह.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है।

3. بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

03 शक के दिन का रोज़ा रखना मना है

686 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

686 - सिला बिन ज़ुफ़र (رحمه الله) कहते हैं कि हम सय्यदना अम्मार बिन यासिर (رضي الله عنه) के पास थे कि एक भुनी (रोस्ट की) हुई बकरी लायी गई तो उन्होंने फ़र्माया: ''खा लो'' तो एक आदमी पीछे हट गया और कहने लगा: मेरा रोज़ा है: अम्मार (رضي الله عنه) ने फ़र्माया: ''जिस ने ऐसे दिन का रोज़ा रखा जिस में लोगों को शक है (कि चाँद नज़र आया या नहीं) तो उसने अबुल क़ासिम(ﷺ) की नाफ़रमानी की।''

सहीह अबू दाऊद:2334. इब्ने माजा:1645. निसाई:2188.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : अम्मार (رضي الله عنه) की हदीस सहीह है और नबी(ﷺ) के सहाबा और ताबेईन में से अक्सर लोगों का इसी पर अमल है। नीज़ सुफ़ियान सौरी, मालिक बिन अनस, अब्दुल्लाह बिन मुबारक शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी शक वाले दिन का रोज़ा रखने को मकरूह कहते हैं और जुम्हूर के मुताबिक़ अगर उसने रोज़ा रखा अगरचे वह रमज़ान के महीने से ही था (तो शक की वजह से) उसकी जगह एक दिन की क़ज़ा देगा।

04 रमज़ान के लिये शअबान का चाँद शुमार करो

4. بَابُ مَا جَاءَ فِي إِحْصَاءِ هِلَالِ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ

687 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''रमज़ान के लिए शाबान के चाँद को गिनते रहो।''

हसन: दार क़ुत्नी: 2/ 162. हाकिम: 1/ 425.

687 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَجَّاجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस को हम सिर्फ़ अबू मुआविया की सनद से ही जानते हैं और सहीह रिवायत वह है जिसे मुहम्मद बिन अम्र ने बवास्ता अबू सलमा, सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत किया है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''रमज़ान के महीने से एक या दो दिन पहले रोज़ा न रखो।'' मुहम्मद बिन अम्र अल-लैसी की रिवायत की तरह यह्या बिन अबी कसीर से भी बवास्ता अबू सलमा सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से नबी(ﷺ) की हदीस मर्वी है।

5 - रोजों की इब्तिदा और इख़्तिताम का तअल्लुक़ चाँद के देखने से है।

5. بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّوْمَ لِرُؤْيَةِ الهِلَالِ وَالإِفْطَارَ لَهُ

688 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''तुम रमज़ान से पहले रोज़ा ना रखो इस (चाँद) को देखकर रोज़े रखना शुरू करो और उसे देख कर ही रोज़े छोड़ो, पस अगर उसके आगे बादल आ जायें तो तीस दिन पूरे करो।''

सहीह: अबू दाऊद:2327. निसाई: 12127.

688حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ، فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا.

इस मसले में अबू हुरैरा, अबू बकरह और इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है और उनसे कई सनदों से मर्वी है।

6. بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

6 - महीना उन्तीस दिन का भी होता है।

689 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا صُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ.

689 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: ''मैंने नबी(ﷺ) के साथ उन्तीस रोज़े तीस रोजों की निस्बत ज़्यादा रखे हैं।''

सहीह: अबू दाऊद:2322. मुसनद अहमद:1/397. इब्ने खुजैमा:1922.

वज़ाहत: इस मसले में उमर, अबू हुरैरा, आयशा, साद बिन अबी वक्क़ास, इब्ने अब्बास, इब्ने उमर, अनस, जाबिर, उम्मे सलमा, और अबू बकर (رضی اللہ عنہ) से भी अहादीस मर्वी हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''महीना उन्तीस का भी होता है।''

690 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.

690 - सय्यदना अनस (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपनी बीवियों से एक महीने का ईला किया तो आप(ﷺ) एक बालाई कमरे में उन्तीस दिन ठहरे, लोगों ने कहा: ''ऐ अल्लाह के रसूल! आपने तो एक महीने का ईला किया था?'' तो आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''महीना उन्तीस दिन का भी होता है।''

बुख़ारी:1911. निसाई:3456.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

तौज़ीह: إيلاء : अपनी बीवियों के पास न जाने की क़सम उठा लेने को ईला कहा जाता है।

07 चाँद (देखने) की गवाही पर रोज़ा रखना

7. بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ بِالشَّهَادَةِ

691 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الهِلَالَ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَا بِلَالُ، أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا.

691 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि एक देहाती नबी(ﷺ) के पास आकर कहने लगा कि मैंने चाँद देखा है। आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''क्या तुम गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है? क्या तुम गवाही देते हो कि मुहम्मद(ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं? उसने कहा जी हाँ। आप(ﷺ) ने फ़र्माया: ''ऐ बिलाल! लोगों में ऐलान कर दो कि कल रोज़ा रख लें।''

ज़ईफ़: अबू दाऊद:2340.इब्ने माजा:1652. निसाई:2112.

वज़ाहत: (अबू ईसा कहते हैं:) हमें अबू कुरैब ने हुसैन जुअफ़ी से बवास्ता ज़ायदा सिमाक से इस सनद के साथ इसी तरह रिवायत की है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस (की सनद) में इख़्तिलाफ़ है। सुफ़ियान सौरी वग़ैरह ने सिमाक बिन हर्ब से बवास्ता इक्रिमा, नबी(ﷺ) से मुर्सल रिवायत की है और सिमाक के बहुत से शागिर्द भी सिमाक से रिवायत करते वक़्त मुर्सल रिवायत करते हैं।

नीज़ अक्सर अहले इल्म के नज़दीक इसी पर अमल है कि रोज़े में एक आदमी की गवाही कुबूल की जाएगी। इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और अहले कूफा भी यही कहते हैं। इस्हाक़ (رحمه الله) फ़रमाते हैं: रोज़ा दो आदमियों की गवाही के साथ रखा जाएगा। लेकिन रोज़े छोड़ने में उलमा का इख़्तिलाफ़ नहीं है इसमें दो आदमियों की गवाही ही कुबूल की जायगी।

8 - ईद के दोनों महीने कम नहीं होते.

8. بَابُ مَا جَاءَ شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ

692 - अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र अपने बाप (सय्यदना अबू बक्र) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ)ने फ़रमाया, ''ईद के दोनों महीने रमज़ान और ज़ुल्हिज्जा कम नहीं होते।''

692 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ، وَذُو الحِجَّةِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू बक्र (رضي الله عنه) की हदीस हसन है। नीज़ यह हदीस अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र नबी(ﷺ) से मुर्सल भी बयान करते हैं। अहमद (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ईद के दोनों महीने कम नहीं होते इस हदीस का मतलब यह है कि दोनों इकट्ठे साल में (गिनती में) कम नहीं होते अगर एक कम हो (यानी 28 दिन का) तो दूसरा पूरा तीस दिन का होता है।

इस्हाक़ (رحمه الله) फ़रमाते हैं कम न होने का मतलब है अगर उन्तीस का भी हो तो मुकम्मल होता है कमी नहीं होती (यानी सवाब तीस का दिया जाता है) और इस्हाक़ (رحمه الله) के मौक़िफ़ के मुताबिक़ एक साल में दोनों इकट्ठे कम दिनों वाले हो सकते हैं।

9 - हर शहर वालों के लिए उनका देखना है।

9. بَابُ مَا جَاءَ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ

693 - कुरैब (رحمه الله) कहते हैं कि उम्मे फ़ज़ल बिन्ते हारिस (رضي الله عنها) ने उन्हें शाम में मुआविया (رضي الله عنه) के पास भेजा (रावी) कहते हैं मैं शाम में गया वहाँ उम्मे फ़ज़ल का काम किया। मैं शाम में ही था कि रमज़ान का चाँद नज़र आ गया और हमने जुमा की रात को चाँद देखा फिर महीने के आखिर में, मैं मदीने आया तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) ने मुझसे पूछा फिर चाँद का तज़्किरा किया और कहने लगे कि तुम लोगों ने चाँद कब देखा था? मैंने

693 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، أَنَّ أُمَّ الفَضْلِ بِنْتَ الحَارِثِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ هِلاَلُ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْنَا الهِلاَلَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ،

فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الهِلاَلَ، فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الهِلاَلَ، فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَأَنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ؟ فَقُلْتُ: رَآهُ النَّاسُ، وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، قَالَ :لَكِنْ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا، أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَلاَ تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ، قَالَ: لاَ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

कहा: हमने तो जुमा की रात को देखा था। उन्होंने कहा: तुमने जुमा की रात को देखा था? मैंने कहा: लोगों ने देख कर रोज़ा रखा और मुआविया (رضي الله عنه) ने भी रोज़ा रखा था, उन्होंने कहा: लेकिन हमने तो हफ्ते की रात देखा था हम तो तीस रोज़े पूरे करेंगे। मैंने कहा: क्या आपको मुआविया (رضي الله عنه) का चाँद देखना और रोज़ा रखना काफी नहीं है? उन्होंने फ़र्माया: नहीं बल्कि हमें रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इसी तरह हुक्म दिया है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह गरीब है। और अहले इल्म का इसी हदीस पर अमल है कि हर एक शहर या मुल्क वालों के लिए उनका देखना ही मोतबर होगा।

10. بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ عَلَيْهِ الإِفْطَارُ

10 - किस चीज के साथ रोज़ा इफ़्तार करना बेहतर है?

694 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ، وَمَنْ لاَ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ.

694 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जिस शख़्स को खुजूर मिल जाए तो वह उस पर इफ़्तार करे और जिसे न मिले वह पानी के साथ इफ़्तार कर ले बेशक पानी पाकीज़ा चीज़ है।''

ज़ईफ़: ज़ईफ़ अबी दाऊद:2/264. इब्ने खुजैमा:2066. बैहक़ी:4/239.

वज़ाहत: इस मसले में सलमान बिन आमिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमारे इल्म के मुताबिक़ अनस (رضي الله عنه) की हदीस को शोबा से सईद बिन आमिर के अलावा किसी ने

बयान नहीं किया. और यह हदीस गैर महफ़ूज़ है। क्योंकि अब्दुल अज़ीज़ बिन सोहैब से अनस (رضي الله عنه) की हदीस की सनद नहीं मिलती. जबकि शोबा के शागिर्दों ने इस हदीस को शोबा से आसिम अल-अहवल फिर हफ़्सा बिन्ते सीरीन फिर रबाब के वास्ते के साथ सलमान बिन आमिर के हवाले से नबी(ﷺ) से रिवायत की है और यह सईद बिन आमिर की हदीस से ज़्यादा सहीह है और इसी तरह शोबा ने आसिम से बवास्ता हफ़्सा बिन्ते सीरीन, सलमान से रिवायत की है और शोबा ने इसमें रबाब का ज़िक्र नहीं किया। सहीह रिवायत वह है जिसे सुफ़ियान सौरी, इब्ने उयय्ना और दीगर रावियों ने आसिम अल-अहवल से बवास्ता हफ़्सा बिन्ते सीरीन से रबाब के हवाले से सलमान बिन आमिर से रिवायत किया है।

इब्ने औन कहते हैं: उम्मे रायह बिन्ते सुलैअ, सलमान बिन आमिर से रिवायत करती है। और रबाब ही उम्मे रायह है।

695 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ (ح) وحَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ.

695 - सय्यदना सलमान बिन आमिर अज़्ज़बी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जब तुम में से कोई शख़्स रोज़ा इफ़्तार करे तो उसे चाहिए कि खुजूर के साथ करे'' इब्ने उयय्ना ने रिवायत में यह इज़ाफ़ा बयान किया है: ''अगर उसे खुजूर न मिले तो पानी के साथ इफ़्तार करे बेशक वह पानी पाकीज़ा चीज़ है।''

ज़ईफ़:

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं यह हदीस हसन सहीह है।

696 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ.

696 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) नमाज़ से पहले कुछ तर खुजूरों के साथ (रोज़ा इफ़्तार) करते, अगर नर्म और तर खुजूरें न होती तो चन्द खुश्क खुजूरें (खाते) अगर खुश्क खुजूरें न होतीं तो पानी के साथ चन्द घूँट पी लेते थे।

सहीह अबू दाऊद:2356.

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) कहते हैं यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ यह भी मर्वी है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) सर्दियों में खुजूरों और गर्मियों में पानी के साथ इफ़्तार करते थे।

11 - रोज़ा उस दिन है जब तुम सब रोज़ा रखो और ईदुल-फ़ित्र वह है जिस दिन तुम सब रोज़े छोड़ दो और अज़्हा वह दिन है जब तुम कुर्बानी करते हो.

11. بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْفِطْرَ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

697 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया ; (रमज़ान का) का रोज़ा उसी दिन है जब तुम सब रखते हो और ईदुलफित्र का दिन वह है जब (रमज़ान के बाद) तुम सब रोज़ा छोड़ते हो और अज़्हा वह दिन है जब तुम सब कुर्बानी करते हो .

सहीह अबू दाऊद:2324. इब्ने माजा:1660. दार कुत्नी:2/ 163.

697 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ.

वज़ाहत : इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं ; ये हदीस गरीब हसन है। और बाज़ उलमा ने इस हदीस की वज़ाहत करते हुए कहा है कि इस हदीस का मतलब यह है कि रोज़ा और ईदुल-फित्र जमाअत और तमाम लोगों की शमूलियत के साथ (मशरूत) है।

12- जब दिन ख़त्म और रात शुरू हो जाए तो रोज़ेदार के इफ़्तार का वक़्त हो गया.

12. بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

698 - सय्यदना उमर बिन ख़ताब (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, जब रात शुरु हो जाये 'दिन ख़त्म

698 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ (ح (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

مُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرْتَ.

हो जाये और सूरज गुरूब हो जाये तो तुम्हारे इफ़्तार का वक़्त हो गया।''

बुख़ारी:1954. मुस्लिम:1100. अबू दाऊद:2351.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अबी औफ़ा और अबू सईद (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

13 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ

13 - रोज़ा इफ़्तार करने में जल्दी करना.

699 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ (ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قِرَاءَةً عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ.

699 - सय्यदना सहल बिन साद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जब तक लोग इफ़्तार में जल्दी करते रहेंगे उस वक़्त तक भलाई के साथ रहेंगे।''

बुख़ारी: 1957. मुस्लिम:1098. इब्ने माजा:1697.

वज़ाहत : इस मसले में अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास, आयशा और अनस बिन मालिक (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : सहल बिन साद (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है, नीज़ नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म ने इसी को इख़्तियार करते हुए इफ़्तारी में जल्दी करने को मुस्तहब कहा है। इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हैं.

700 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ،

700 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: ''अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: मेरे बन्दों में

عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا.

मुझे सब से प्यारा वह है जो उनमें जल्दी इफ़्तार करने वाला है। ''

ज़ईफ़: मुसनद अहमद:2/ 237. इब्ने खुज़ैमा:2062.इब्ने हिब्बान:3507.

701 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَأَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

701 - तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: हमें अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान ने (वह कहते हैं) हमें अबू आसिम और अबू अल- मुग़ीरा ने औज़ाई से इसी सनद के साथ इसी तरह हदीस बयान की है। (ज़ईफ़.)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है।

702 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ، وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ، وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ، وَيُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ، قَالَتْ: أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ؟ قُلْنَا: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَتْ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالآخَرُ أَبُو مُوسَى.

702 - अबू अतिय्या (رحمہ اللہ) बयान करते हैं कि मैं और मस्रूक़ ने सय्यदा आयशा के पास जा कर कहा: ऐ उम्मुल- मोमिनीन! मुहम्मद(ﷺ) के दो सहाबी हैं: उन में से एक इफ़्तार और नमाज़ में जल्दी दूसरा इफ़्तार और नमाज़ में ताखीर करता है? उन्होंने फ़र्माया: ''इफ़्तार और नमाज़ में जल्दी कौन करता है? हमनें कहा: सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضی اللہ عنہ) फ़रमाने लगीं: ''रसूलुल्लाह(ﷺ) भी इसी तरह किया करते थे. और दुसरे सहाबी सय्यदना अबू मूसा (رضی اللہ عنہ) थे.

मुस्लिम: 1099. अबू दाऊद:2354. निसाई:2160.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है । अबू अतिय्या का नाम मालिक बिन अबू आमिर अल-हमदानी है जबकि मालिक बिन आमिर अल-हमदानी भी कहा जाता है और यही नाम ज़्यादा सहीह है।

14 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ السُّحُورِ

703 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَ قَدْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً.

704 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، بِنَحْوِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ :قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةً.

14. सहरी में ताख़ीर करना

703 - सय्यदना ज़ैद बिन साबित (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ सहरी की फिर नमाज़ के लिए खड़े हुए। (रावी अनस बिन मालिक ने) कहा : उसके दर्मियान कितना वक़्फ़ा था? (तो) उन्होने कहा : पच्चास आयात पढ़ने जितना।

बुख़ारी: 575. मुस्लिम:1097. इब्ने माजा: 1694 निसाई:2155.

704 - (तिर्मिज़ी (रहिमहुल्लाह) कहते हैं: हमें हन्नाद ने (वह कहते हैं: हमें वकीअ ने हिशाम से इसी तरह की हदीस रिवायत की है लेकिन उन्होंने पच्चास आयतों की किरअत जितना वक़्फ़ा बयान किया। (यानी किरअत का लफ्ज़ बढ़ाया है)

मुहक्क़िक़ ने तख़रीज व तहक़ीक़ ज़िक्र नहीं की. लेकिन यह भी सही है हदीसे साबिक़ा देखिए.

वज़ाहत: इस मसले में हुजैफ़ा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:ज़ैद बिन साबित (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज़ शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी सहरी में ताखीर को मुस्तहब कहते हैं.

15.بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيَانِ الفَجْرِ

705 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَّ

15 - फज्र के वाज़ेह होने का बयान

705 - सय्यदना तल्क बिन अली (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''सहरी खाते पीते रहो और फैलने और चढ़ने वाली रोशनी तुम्हें (सहरी से) न

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُوا وَاشْرَبُوا، وَلاَ يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ.

उठाए. बल्कि चौड़ाई में फैलने वाली सुर्ख रोशनी ज़ाहिर होने तक खाते पीते रहो.

हसन सही: अबू दाऊद:2348. मुसनद अहमद:4/23. इब्ने खुज़ैमा:1923.

वज़ाहत: इस मसले में अदी बिन हातिम, अबू ज़र और समुरा (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ तल्क़ बिन अली (رضي الله عنه) की हदीस हसन गरीब है। और उलमा का इसी पर अमल है कि रोज़ेदार पर खाना पीना उस वक़्त तक हराम नहीं होता जब तक चौड़ाई में फैलने वाली सुर्ख रोशनी ज़ाहिर ना हो. नीज़ आम उलमा भी यही कहते हैं।

तौज़ीह: هيد :لا يهيدنكم : का असल मानी हरकत होता है यानी फज्रे काज़िब को देखकर सहरी खाने से उठो।

706 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ، وَلاَ الفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ، وَلَكِنِ الفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الأُفُقِ.

706 - समुरा बिन जुन्दुब (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''तुम्हें बिलाल की अज़ान और ऊपर चढ़ने वाली फज्र सहरी से न रोके लेकिन उफ़ुक़ पर चौड़ाई में फैलने वाली फ़ज्र (देखकर सहरी ख़त्म कर दो)''

मुस्लिम:1094. अबू दाऊद:2346. निसाई:2181.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

तौज़ीह: इस से मुराद फज्रे सादिक या सुबहे सादिक है।

16. بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الغِيبَةِ لِلصَّائِمِ

16 - रोज़ेदार के लिए गीबत का गुनाह.

707 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ :وَأَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي

707 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''जो शख़्स झूठी बात कहना और उस पर अमल करना न छोड़े तो अल्लाह तआला को

هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

उसके खाने पीने को छोड़ने की कोई ज़रुरत नहीं है।

बुख़ारी: 1903. अबू दाऊद:2362. इब्ने माजा:1689.

वज़ाहत: इस मसले में अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

17. بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ السَّحُورِ

17 - सहरी करने की फ़ज़ीलत.

708 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.

708 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, ''सहरी किया करो'' (क्योंकि) सहरी में बरकत होती है। ''

बुख़ारी: 1923. मुस्लिम:1095. इब्ने माजा:1692. निसाई:2146, 1433.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, इब्ने अब्बास, अम्र बिन आस, इर्बाज़ बिन सारिया, उत्बा बिन अब्द और अबू दर्दा (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अनस (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज यह भी रिवायत की गई है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, ''हमारे और अहले किताब के रोज़ों में सिर्फ़ सहरी खाने का फ़र्क है''

709 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ العَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ.

709 - (अबू ईसा (رحمه الله) कहते हैं:) हमें कुतैबा ने वह कहते हैं:) हमें लैस ने मूसा बिन अली से अपने बाप के वास्ते के साथ अम्र बिन आस (رضي الله عنه) के आज़ादकर्दा गुलाम अबू कैस के हवाले से सय्यदना अम्र बिन आस (رضي الله عنه) की नबी(ﷺ) से मर्वी यह हदीस बयान की है।

मुस्लिम: 1096. अबू दाऊद:2343. निसाई:2166.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अहले मिस्र (रिवायत करते वक़्त) सिर्फ़ मूसा बिन अली कहते हैं जबकि अहले इराक मूसा बिन अली बिन रबाह अल-लख्मी कहते हैं.

18 - सफ़र में रोज़ा रखना मकरूह है।

18. بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

710 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि फतहे मक्का के साल रसूलुल्लाह(ﷺ) मक्का की तरफ़ निकले तो आप(ﷺ) ने और लोगों ने भी आपके साथ रोज़ा रखा. यहाँ तक की आप كراع الغميم : जगह पहुंचे तो आप को बताया गया रोज़ा लोगों पर तकलीफ़ का बाइस बन गया है और लोग इन्तिज़ार कर रहे हैं कि आप क्या करते हैं तो आप(ﷺ) ने असर के बाद पानी का प्याला मंगवा कर पिया. (तो) लोग आप(ﷺ) की तरफ़ देख रहे थे. कुछ ने रोज़ा खोल दिया और कुछ ने रोज़ा न खोला. आप(ﷺ) को यह खबर पहुंची कि कुछ लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''यही लोग नाफ़रमान हैं.''

710 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَشَرِبَ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ، وَصَامَ بَعْضُهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا، فَقَالَ: أُولَئِكَ العُصَاةُ.

मुस्लिम:1114.निसाई:2262.

वाजाहत: इस मसले में काब बिन आसिम, इब्ने अब्बास और अबू हुरैरा (رضي الله عنهم) से भी दो अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज नबी(ﷺ) से यह भी मर्वी है कि सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं है। सफ़र में रोज़ा रखने के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है।

नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ अहले इल्म के मुताबिक सफ़र में रोज़ा न रखना अफ़ज़ल है। बाज़ तो यहाँ तक कहते हैं कि जब वह सफ़र में रोज़ा रखता है तो दोबारा रखना वाजिब है। अहमद और इस्हाक़ (رحمهما الله) भी सफ़र में रोज़ा छोड़ने को पसंद करते हैं।

जबकि नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ अहले इल्म कहते हैं: अगर ताक़त है तो रोजा रखना बेहतर है और यही अफज़ल अमल है अगर ना रखे तो भी बेहतर अमल है यह कौल सुफ़ियान सौरी, मालिक बिन अनस, और अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمهم الله) का है।

इमाम शाफ़ेई (ﷺ) फ़रमाते हैं: फ़रमाने नबवी ''सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं है।'' और जब आपको कुछ लोगों के रोज़ा इफ़्तार न करने की खबर पहुंची थी तो आप(ﷺ) के फ़रमान ''यही लोग ना फ़रमान हैं'' का मतलब यह है कि यह हुक्म तब है जब उसका दिल अल्लाह तआला की रुखसत को क़ुबूल ना करे. लेकिन जो शख़्स (सफ़र में) रोज़ा छोड़ने को मुबाह समझता है और ताक़त होने पर रोज़ा रख भी लेता है तो मुझे ज़्यादा पसंद है।

तौज़ीह: मक्का और मदीना के दर्मियान, अस्फान से आगे आठ मील के फासले पर एक वादी का नाम : كراع الغميم : है वल्लाह तआला आलम. عاصي (ना फ़रमान) की जमा عصاة आती है जैसे راوي की जमा رواة है।

19 - सफ़र में रोज़ा रखने की रुख्सत.

19. بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

711 - सय्यदा आयशा (ﷺ) रिवायत करती हैं कि हम्ज़ा बिन अम्र अल- अस्लमी (ﷺ) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सफ़र में रोज़ा रखने के बारे में सवाल किया और वह लगातार रोज़ा रखा करते थे तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''तुम चाहो तो रोज़ा रख लो अगर चाहो तो छोड़ दो.''

बुख़ारी:1942. मुस्लिम: 1121.अबू दाऊद: 2402 इब्ने माजा:1662. निसाई:2305, 2308. तोहफतुल अशराफ:17071.

711 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، وَكَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.

वज़ाहत: इस मसले में अनस बिन मालिक, अबू सईद, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अब्दुल्लाह बिन अम्र, अबू दर्दा और हम्ज़ा बिन उमर अल-अस्लमी (ﷺ) के रसूलुल्लाह(ﷺ) से सवाल करने वाली सय्यदा आयशा (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है।

712 - सय्यदना अबू सईद अल- खुदरी (ﷺ) रिवायत करते हैं कि हम रमज़ान के महीने में रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ सफ़र करते थे तो (कोई शख़्स) रोज़ेदार के रोज़े पर

712 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، فَمَا يَعِيبُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمَهُ، وَلاَ عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارَهُ.

और रोज़ा ना रखने वाले पर छोड़ने का एतराज़ नहीं करता था.

मुस्लिम: 1117. निसाई:2309.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

713 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلاَ يَجِدُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، وَلاَ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَحَسَنٌ، وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَحَسَنٌ.

713 - सय्यदना अबू सईद अल- खुदरी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ सफ़र करते थे हम में रोज़ा रखने वाले भी होते थे और छोड़ने वाले भी, रोज़ा छोड़ने वाला रखने वाले पर और रखने वाला छोड़ने वाले पर गुस्सा नहीं करता था और वह यही समझते थे कि जिस में कुव्वत है वह रोज़ा रख ले तो अच्छा है और जो कमज़ोर हो वह छोड़ दे तो अच्छा है।

सहीह मुस्लिम: 1116.तोहफतुल अशराफ़:4325.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

20. بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ لِلْمُحَارِبِ فِي الإِفْطَارِ

20 - जंग करने वाले को रोज़ा न रखने की इजाज़त है।

714 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَحَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:

714 - मअमर बिन अबू हबीबा (رحمه الله) से रिवायत है कि उन्होंने इब्ने मुसय्यब (رحمه الله) से सफ़र में रोज़ा रखने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बयान किया कि उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, ''हमें रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ

غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَتَيْنِ فِي رَمَضَانَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَالفَتْحِ، فَأَفْطَرْنَا فِيهِمَا.

मिलकर रमज़ान में दो जंगें बद्र और फ़तहे मक्का की थीं तो हमने उनमें रोज़ा छोड़ा था।''

ज़ईफ़ुल इस्नाद:मुसनद अहमद: 1/ 22. बज़्ज़ार: 296.

इस मसले में अबू सईद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी(رحمه الله) फ़रमाते हैं: उमर (رضي الله عنه) की हदीस को हम सिर्फ़ इसी सनद से ही जानते हैं। नीज अबू सईद (رضي الله عنه) से मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने एक ग़ज़वा में रोज़ा छोड़ने का हुक्म दिया था और उमर (رضي الله عنه) से भी इसी तरह ही मर्वी है कि उन्होंने दुश्मन से लड़ाई के वक़्त रोज़ा छोड़ने की रुख़सत दी थी. बाज़ अहले इल्म भी इसी के क़ायल हैं.

21. بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الإِفْطَارِ لِلْحُبْلَى وَالمُرْضِعِ

21 - हामिला और दूध पिलाने वाली औरत को रोज़ा न रखने की इजाज़त.

715 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُهُ يَتَغَدَّى، فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: ادْنُ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ، أَوِ الصِّيَامِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلاَةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ، وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلَيْهِمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا، فَيَا لَهْفَ نَفْسِي أَنْ لاَ أَكُونَ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

715 - क़बीला बनू अब्दुल्लाह बिन काब के एक आदमी अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के शहसवारों ने हमारे (क़बीले के लोगों) पर हमला किया तो मैं आप के पास आया और आप(ﷺ) को सुबह का खाना खाते हुए पाया. आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''करीब होकर खाना खाओ तो मैंने कहा मेरा रोज़ा है आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''करीब हो जाओ मैं तुम्हें रोज़े के बारे में भी बताता हूँ. बेशक अल्लाह तआला ने मुसाफिर से रोज़ा और आधी नमाज़ ख़त्म कर दी है। और हामिला या दूध पिलाने वाली औरत से रोज़ों को (ख़त्म कर दिया है)'' रावी कहते हैं: अल्लाह की क़सम कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने दोनों का ज़िक्र किया या एक का अफ़सोस मुझ पर! मैंने नबी(ﷺ) का खाना क्यों न खाया.

हसन सहीह अबू दाऊद: 2408. इब्ने माजा:1667.

वज़ाहत: इस मसले में अबू उमैया (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अनस बिन मालिक अल-काबी (رضي الله عنه) की हदीस हसन है और हमारे इल्म के मुताबिक अनस बिन मालिक अल-काबी (رضي الله عنه) से नबी(ﷺ) की यही एक हदीस मर्वी है। और बाज़ उलमा के नज़दीक इसी पर अमल होगा।

बाज़ उलमा कहते हैं कि हामिला या दूध पिलाने वाली औरत रोज़ा छोड़ सकती हैं और उसकी कजा देंगी और (मिस्कीनों को) खाना खिलायेंगी.सुफ़ियान सौरी, मालिक, शाफ़ेई, और अहमद (رحمه الله) इसके क़ायल हैं।

और बाज़ कहते हैं कि रोज़ा छोड़ कर (अपनी जगह किसी मिस्कीन को) खाना खिला दें (तो) उन पर कजा वाजिब नहीं होगी, अगर चाहें तो कजा कर लें (फिर) खाना खिलाना ज़रूरी नहीं होगा. इस्हाक़ भी यही कहते हैं।

तौज़ीह: सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) : यह अनस बिन मालिक अल-काबी (رضي الله عنه) हैं। यह गैर मारूफ हैं क्योंकि इन से सिर्फ़ यही एक हदीस मर्वी है जबकि दुसरे अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) बहुत बड़े आलिम सहाबी थे और आप(ﷺ) के खादिम थे. उनकी वालिदा का नाम उम्मे सुलैम (رضي الله عنها) था।

22 - मय्यत की तरफ़ से रोज़ा रखना.

716 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि एक औरत नबी(ﷺ) की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगी: मेरी बहन फौत हो गई है और उसके जिम्मा लगातार दो महीने के रोज़े थे? आप(ﷺ) ने फ़रमाया: ''यह बताओ अगर तुम्हारी बहन पर क़र्ज़ होता तो क्या तुम उसे अदा करती? उसने कहा: जी हाँ'' तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया: पस अल्लाह का हक़ (रोज़ा क़ज़ा का) ज़्यादा हक़दार है। ''

बुख़ारी: 1953. मुस्लिम:1148. अबू दाऊद:3310. इब्ने माजा:1758. निसाई:3816.

22. بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ

716 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، وَمُسْلِمٍ البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ :فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ.

वज़ाहत: इस मसले में बुरैदा, इब्ने उमर और आयशा (رضي الله عنها) से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

717 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

717 - अबू ईसा कहते हैं;) हमें अबू कुरैब ने (वह कहते हैं) हमें अबू खालिद अल-अह्मर ने आमश से इसी सनद के साथ ऐसी ही रिवायत बयान की है।

तख़रीज के लिए हदीसे साबिक़ देखिये.

वज़ाहत: तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद (बिन इस्माईल अल-बुख़ारी रहिमहुल्लाह) से सुना वह कह रहे थे की अबू ख़ालिद अल-अह्मर ने आमश से बड़े उम्दा तरीक़े से यह हदीस रिवायत की है।

तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू मुआविया और दीगर राविया ने इस हदीस को आमश से मुस्लिम अल-बतीन के हवाले से बवास्ता सईद बिन जुबैर, इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से और उन्होंने नबी(ﷺ) से रिवायत किया है। और इसमें सलमा बिन कुहैल, अता और मुजाहिद का ज़िक्र नहीं किया. नीज अबू ख़ालिद का नाम सुलैमान बिन हय्यान है।

23 - (रोज़ों के) कफ्फ़ारा का बयान.

23. بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الكَفَّارَةِ

718 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ القَاسِمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.

718 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया; ''जो शख़्स फौत हो जाए और उसके जिम्मे (रमज़ान के) महीने के रोज़े हों तो (उसका वारिस) उसकी तरफ़ से हर दिन एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा''

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 1757.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله)) फरमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की हदीस सिर्फ इसी सनद के साथ मर्फूअ है। जबकि सहीह अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से मौकूफन रिवायत है कि यह उनका कौल है। अहले इल्म ने इस मसले में इख़्तिलाफ़ किया है। बाज़ कहते हैं कि मय्यत की तरफ से रोज़े रखे जाएँ. अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हैं कि जब मय्यत के ज़िम्मे नज़र के रोज़े हों तो (उसका वारिस) उसकी तरफ़ से रोज़े रखे। और जब उसके ज़िम्मे रमज़ान (के रोज़ों) की कजा हो तो (वारिस) उसकी तरफ से खाना खिलाये।

मालिक सुफियान और शाफ़ेई कहते हैं कि कोई किसी दूसरे की तरफ से रोज़ा नहीं रख सकता। (सनद में ज़िक्रकर्दा) अशअश, सेवार के बेटे हैं और मुहम्मद, अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला के बेटे हैं।

24 - अगर रोज़ेदार को गलबा के साथ ख़ुद-बख़ुद क़ै आ जाए.

24. بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَذْرَعُهُ القَيْءُ

719 - सय्यदना अबू सईद अल- खुदरी (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''तीन चीजें रोज़ेदार का रोज़ा नहीं तोड़तीं, सिंगी (हजामा), क़ै, और एह्तलाम.

ज़ईफ़: दार क़ुत्नी: 2/183. बैहक़ी:4/220.

719 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :ثَلاَثٌ لاَ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الحِجَامَةُ، وَالقَيْءُ، وَالاِحْتِلاَمُ.

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू सईद अल- खुदरी (ﷺ) की हदीस गैर महफूज़ है। नीज अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन असलम और अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद वगैरह ने यह हदीस ज़ैद बिन असलम से मुर्सल रिवायत की है। इस में अबू सईद अल खुदरी (ﷺ) का ज़िक्र नहीं किया और अब्दुर्रहम्मान बिन ज़ैद बिन असलम को हदीस में ज़ईफ़ कहा गया है।

तिर्मिज़ी (ﷺ) कहते हैं: मैंने अबू दाऊद अस- सजज़ी को सुना वह कह रहे थे कि मैंने अहमद बिन हंबल (ﷺ) से अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, ''उसके भाई अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (की रिवायत लेने) में कोई हर्ज नहीं है। नीज मैंने मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना कि अली बिन मदीनी कहते हैं अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अस्लम सिक़ह रावी हैं जबकि अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम ज़ईफ़ है। मुहम्मद फ़रमाते हैं, मैं उसकी तरफ़ से कुछ भी रिवायत नहीं करता।

25 - जो शख़्स जान बूझ कर क़ै करे.

25. بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا

720 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जिसे ख़ुद- बख़ुद क़ै आ जाए उस पर क़ज़ा नहीं है (यानी रोज़ा कायम रहता है) जो शख़्स जान

720 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ.

बूझ कर ख़ुद क़ै करे तो वह क़ज़ा दे (यानी रोज़ा टूट गया)''

सहीह अबू दाऊद: 2380. इब्ने माजा:1676. मुसनद अहमद:2/498.

वज़ाहत: इस मसले में अबू दरदा, सौबान और फोज़ालह बिन उबैद (रज़ि.) से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फ़रमाते हैं। अबू हुरैरा (रज़ि.) की हदीस हसन गरीब है यह हदीस हिशाम से बवास्ता इब्ने सीरीन अबू हुरैरा (रज़ि.) के हवाले से नबी(ﷺ) से सिर्फ़ ईसा बिन यूनुस की सनद से ही मिलती है। मुहम्मद (बिन इस्माईल अल-बुख़ारी (रह.) फ़रमाते हैं: मेरे मुताबिक यह महफ़ूज़ नहीं है।

इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फ़रमाते हैं: नबी(ﷺ) की यह हदीस सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) से कई सनदों से मर्वी है लेकिन सहीह नहीं है। नीज अबू दर्दा और फोज़ालह बिन उबैद से मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने क़ै की तो रोज़ा इफ़्तार कर दिया. लेकिन इस हदीस का मतलब है कि नबी(ﷺ) ने नफ़ली रोज़ा रखा हुआ था आप ने क़ै की तो कमज़ोरी हो गई इस वजह से आप(ﷺ) ने रोज़ा इफ़्तार किया था। बाज़ अहादीस में इसी तरह सराहत के साथ मर्वी है।

अहले इल्म का अबू हुरैरा (रज़ि.) की हदीस पर ही अमल है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया: ''रोज़ेदार को जब ख़ुद-बख़ुद क़ै आ जाए तो उस पर क़ज़ा नहीं है और जब वह जान बूझ कर क़ै करे तो क़ज़ा करे.'' शाफ़ेई, सुफ़ियान सौरी, अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हैं.

तौज़ीह: زرعہ : गलबा के साथ ख़ुद क़ै आ जाए उसे उस पर इख़्तियार न हो. إستقاء : क़ै को तलब करे यानी ख़ुद हलक़ में उंगली वगैरह दाखिल करके क़ै करे.

26. بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ نَاسِيًا

26 - रोज़ेदार अगर भूल कर खा पी ले.

721 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلاَ يُفْطِرْ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ.

721 - सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जिसने भूल कर खा पी लिया तो वह रोज़ा ना तोड़े, वह तो एक रिज्क था जो अल्लाह ने उसको अता किया था.''

बुख़ारी: 1933. मुस्लिम: 1155. अबू दाऊद:2398. इब्ने माजा:1673.

722 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَخِلاَسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، أَوْ نَحْوَهُ.

722 - इब्ने सीरीन और ख़ल्लास अबू हुरैरा के हवाले से नबी(ﷺ) से इस जैसी या इसके क़रीब- क़रीब हदीस बयान करते हैं.

सहीह: अबू दाऊद: 2398. इब्ने माजा: 1673.

वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद और उम्मे इस्हाक़ अल- गनविय्या से भी रिवायत मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं। अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और अक्सर उलमा के नज़दीक इसी पर अमल है। नीज सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) भी यही कहते हैं जबकि मालिक बिन अनस (رحمه الله) कहते हैं: ''जब रमज़ान में भूल कर खाले तो उस पर क़ज़ा होगी'' लेकिन पहला कौल ज़्यादा सहीह है।

27. بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِفْطَارِ مُتَعَمِّدًا

27 - जान बूझकर रोज़ा छोड़ना

723 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلاَ مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ.

723 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जिसने रमज़ान के एक दिन का रोज़ा बगैर रुख़सत और बीमारी के छोड़ा तो अगर वह सारी ज़िंदगी भी रोज़े रखे तो उसकी क़ज़ा नहीं बन सकते.''

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2396.इब्ने माजा: 1672.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हमें सिर्फ़ इसी सनद से ही मिलती है। और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) से सुना वह फ़रमा रहे थे कि अबुल मतूस का नाम यजीद बिन मतूस है और मेरे इल्म में इस हदीस के अलावा इसकी और कोई हदीस नहीं है।

28- रमज़ान में रोज़ा तोड़ने का कफ़्फ़ारा.

28. بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الفِطْرِ فِي رَمَضَانَ

724 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، وَأَبُو عَمَّارٍ وَالمَعْنَى وَاحِدٌ وَاللَّفْظُ لَفْظُ أَبِي عَمَّارٍ قَالاَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟، قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟، قَالَ: لاَ، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟، قَالَ: لاَ، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟، قَالَ: لاَ، قَالَ: اجْلِسْ، فَجَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، وَالعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ :مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَحَدٌ أَفْقَرَ مِنَّا، قَالَ: فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، قَالَ: فَخُذْهُ، فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

724 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि आप(ﷺ) के पास एक आदमी आकर कहने लगा: ''ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने रमज़ान में (रोज़े की हालत में) अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ली है। ''आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''क्या तुम एक गुलाम आज़ाद करने की ताक़त रखते हो?'' उसने कहा : ''नहीं''। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''क्या तुम दो महीने के लगातार रोज़े रखने की ताक़त रखते हो?'' उसने कहा : ''नहीं'' आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''क्या तुम साठ मिस्कीनों को खाना खिलाने की ताक़त रखते हो?'' उसने कहा नहीं? तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''बैठ जाओ'' तो वह बैठ गया, (फिर) नबी(ﷺ) के पास एक ''अर्क'' लाया गया जिसमें खुजूरें थीं ''अर्क'' बड़े टोकरे को कहते हैं। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''इसे सदका कर दो'' उसने कहा: ''इस मदीना के दोनों काले पहाड़ों के दर्मियान हमसे ज़्यादा मोहताज कोई नहीं है। (रावी कहते हैं:) नबी(ﷺ) इस क़दर मुस्कुराये कि आप(ﷺ) की दाढ़ें नज़र आने लगीं आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''फिर इसे ले लो और अपने घर वालों को खिला दो.''

बुख़ारी: 1936. मुस्लिम: 1111. अबू दाऊद:2390, 2392. इब्ने माजा:1671.

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और रमज़ान में जान बूझ कर जिमा (हमबिस्तरी) के साथ रोज़ा तोड़ने वाले शख़्स के बारे में उलमा का इसी हदीस पर अमल है लेकिन जो शख़्स जान बूझ कर खा पी कर रोज़ा तोड़ता है तो इसमें अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है। बाज़ कहते हैं कि उस पर क़ज़ा और कफ्फ़ारा दोनों चीज़ें होंगी और उन्होंने खाने पीने को जिमा (हमबिस्तरी) के साथ तशबीह दी है। यह कौल सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबाराक और इस्हाक़ का है।

लेकिन बाज़ कहते हैं कि उसके ज़िम्मा क़ज़ा होगी कफ्फ़ारा नहीं, क्योंकि नबी(ﷺ) से जिमा (हमबिस्तरी) के बारे में कफ्फ़ारे का ज़िक्र मिलता है लेकिन खाने पीने के मामले में नहीं। वह कहते हैं कि खाना पीना जिमा (हमबिस्तरी) के मुशाबेह नहीं है यह कौल शाफ़ेई और अहमद का है।

इमाम शाफ़ेई मजीद फ़रमाते हैं जिस रोज़ा तोड़ने वाले शख़्स पर आपने सदका किया था उसके लिए नबी(ﷺ) का फ़रमान: ''इसे ले लो और अपने घर वालों को खिला दो.'' कई मानी का एह्तामाल रखता है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कफ्फ़ारा उस शख़्स पर वाजिब है जो उसकी ताक़त रखता हो. और यह आदमी कफ्फ़ारा अदा करने पर क़ादिर नहीं था. जब नबी(ﷺ) ने उसे किसी चीज़ का मालिक बना दिया तब उसने कहा कि हम से ज़्यादा मोहताज कोई नहीं है तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, ''इसे ले लो और अपने घर वालों को खिला दो.'' क्योंकि कफ्फ़ारा तब वाजिब होता है जब उसके पास ज़रुरत से ज़्यादा की ताक़त हो. और इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) ने ऐसे आदमी के लिए ख़ुद खा लेने को ही पसंद किया है। और कफ्फ़ारा उस पर कर्ज़ होगा फिर जिस दिन भी वह किसी चीज़ का मालिक बन जाए कफ्फ़ारा अदा कर दे।

तौज़ीहः मुसलसल और लगातार रोज़ों का मतलब है कि उनमें नागा (छुट्टी) न हो अगर नाग़ा हो गया तो गिनती दोबारा से शुरू की जाएगी।

29 - रोज़ेदार का मिस्वाक करना.

29. بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

725 - अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबीआ अपने वालिद (सय्यदना आमिर बिन रबीआ (رضي الله عنه)) से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी(ﷺ) को बे शुमार मर्तबा रोज़े की हालत में मिस्वाक करते हुए देखा था।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2364. तयालिसी: 1144. हुमैदी: 141. मुसनद अहमद:3/445.

725 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لاَ أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ.

वज़ाहत: इस मसले में सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: आमिर बिन रबीआ की हदीस हसन है और उलमा इसी पर अमल करते हुए रोज़ेदार के लिए मिस्वाक करने में कोई हर्ज ख़याल नहीं करते मगर बाज़ उलमा रोज़ेदार के लिए ताज़ा टहनी की मिस्वाक को मकरूह समझते हैं और दिन के आख़िरी हिस्सा में भी मकरूह समझते हैं.

इमाम शाफ़ेई (رحمہ اللہ) दिन के पहले या आखिर में मिस्वाक करने में कोई हर्ज नहीं समझते लेकिन अहमद और इस्हाक़ (رحمہ اللہ) आख़िरी हिस्से में मकरूह कहते हैं।

30 - रोज़ेदार के लिए सुर्मा का इस्तेमाल.

30. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

726 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी(ﷺ) के पास आकर कहने लगा: मेरी आँख में तकलीफ़ है। क्या मैं सुर्मा लगा सकता हूँ?'' जबकि मेरा रोज़ा भी है?'' आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''हाँ.''

ज़ईफ़.

726 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَاتِكَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اشْتَكَتْ عَيْنِي، أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.

वज़ाहत: इस मसले में अबू राफे से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: अनस (رضی اللہ عنہ) की हदीस की सनद कवी नहीं है और न इस बारे में नबी(ﷺ) से कोई चीज़ सहीह सनद के साथ साबित है और अबू आतिका ज़ईफ़ रावी है। नीज रोज़ेदार के सुर्मा लगाने के बारे में अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है। बाज़ इसे मकरूह कहते हैं। यह कौल सुफ़ियान, इब्ने मुबारक, अहमद और इस्हाक़ का है। और बाज़ उलमा रोज़ेदार को सुर्मा लगाने की इजाज़त देते हैं। यह कौल शाफ़ेई का है।

31 - रोज़ेदार का अपनी बीवी को बोसा देना.

31. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

727 - सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) रिवायत करती हैं कि नबी(ﷺ) रोज़ों के महीने में बोसा दिया करते थे.

बुख़ारी: 1927. मुस्लिम: 1106. अबू दाऊद:2382. इब्ने माजा:1683.

727 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَقُتَيْبَةُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ.

वज़ाहत: इस मसले में उमर बिन खत्ताब, हफ्सा, अबू सईद, उम्मे सलमा, इब्ने अब्बास, अनस और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है। नीज नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म ने रोज़ेदार के बोसा देने के मुताल्लिक़ इख़्तिलाफ़ किया है।

नबी करीम(ﷺ) के कुछ सहाबा (رضي الله عنهم) बूढ़े शख़्स को बोसा देने की इजाज़त देते हैं और नौजवान को इस बात के डर से रुखसत नहीं देते कि कहीं उसका रोज़ा फासिद ना हो जाए और उनके नज़दीक मुबाशिरत (जिस्म के साथ जिस्म मिलाना) तो बहुत सख्त चीज़ है।

लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं कि बोसा अज्र में कमी करता है रोज़े को तोड़ता नहीं. उनके मुताबिक अगर रोज़ेदार अपने आप पर काबू रख सकता है तो बोसा दे दे और जब उसे अपने आप पर खौफ़ हो (कि कहीं हम बिस्तारी न कर बैठे) तो बोसा न ले ताकि उसका रोज़ा सलामत रहे. यह कौल सुफ़ियान सौरी और शाफ़ेई का है।

32 - रोज़ेदार का (बीवी के साथ) बोसो कनार करना.

32. بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الصَّائِمِ

728 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) रोज़े की हालत में मेरे साथ बोसो कनार कर लिया करते थे और आप(ﷺ) तुम सब से ज़्यादा अपनी शहवत को काबू में रखने वाले थे.

बुख़ारी: 1927. मुस्लिम:1106. अबू दाऊद:2382. इब्ने माजा:1687.

728 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُنِي وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ.

तौज़ीह: लफ़्ज़ी मानी अ़ज़्व है उसकी जमा آراب आती है। लेकिन यहाँ पर हाजत, ख्वाहिश और शहवत के मानी में है।

729 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) रोज़े की हालत में बोसा और मुबाशिरत कर लिया करते थे. और

729 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ،

وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ.

आप(ﷺ) तुम सब से ज़्यादा अपनी शहवत को काबू में रखने वाले थे.

सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस देखें.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू मैसरह का नाम अम्र बिन शुरहबील है नीज أ ر ة का मानी है अपने आप पर।

तौज़ीह: मुबाशिरत से मुराद मियाँ बीवी का एक दूसरे के जिस्म के साथ जिस्म लगाना।

33. بَابُ مَا جَاءَ لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمْ مِنَ اللَّيْلِ

33 - जो शख़्स रात को नियत नहीं करता उसका रोज़ा नहीं.

730 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ، فَلاَ صِيَامَ لَهُ.

730 - सय्यदा हफ्सा (رضي الله عنها) रिवायत करती है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जिस शख़्स ने सुबह सादिक से पहले रोज़े की नियत नहीं की उसका कोई रोज़ा नहीं.''

सहीह: अबू दाऊद: 2454. इब्ने माजा:1700. निसाई:2341, 2331.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदा हफ्सा (رضي الله عنها) की हदीस सिर्फ़ इसी इस्नाद के साथ मर्फ़ूअ है। नीज नाफे से अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) का कौल भी मर्वी है और वह ज़्यादा सहीह है। और इसी तरह यह हदीस जोहरी से मौकूफ भी रिवायत की गई है। और यह्या बिन अय्यूब के अलावा हम किसी को नहीं जानते जिसने इसे मर्फ़ूअ रिवायत किया हो. बाज़ उलमा के नज़दीक इसका मानी यह है कि जो रमज़ान, क़जाए रमज़ान या नज़र के रोज़े की नियत रात तुलूए फज्र से पहले नहीं करता तो उसका रोज़ा नहीं होगा.लेकिन नफ्ली रोज़े की नियत सुबह के बाद भी जायज़ है। यह कौल इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का है।

34 - नफ्ली रोज़ा तोड़ना

34. بَابُ مَا جَاءَ فِي إِفْطَارِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ

731 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي، فَقَالَ: وَمَا ذَاكِ؟، قَالَتْ: كُنْتُ صَائِمَةً، فَأَفْطَرْتُ، فَقَالَ :أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْتِ تَقْضِينَهُ، قَالَتْ: لاَ، قَالَ: فَلاَ يَضُرُّكِ.

731 - सय्यदा उम्मे हानी (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि मैं नबी(ﷺ) के पास बैठी हुई थी कि आप(ﷺ) के पास कोई मशरूब लाया गया. आप(ﷺ) ने उस में से पिया, फिर मुझे पकड़ा दिया, मैंने भी पिया (फिर) मैंने कहा: मैंने गुनाह किया है। आप मेरे लिए बख़्शिश मांगें. आप(ﷺ) ने फर्माया: ''क्या हुआ?'' कहने लगीं: मेरा तो रोज़ा था और तोड़ बैठी हूँ, आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''क्या किसी रोज़े की क़ज़ा दे रही थीं?'' कहने लगीं: ''नहीं'' फिर आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''तुझे कोई नुकसान नहीं:''

सहीह: अबू दाऊद: 2456.

वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद और आयशा (رضي الله عنها) से भी अहादीस मर्वी है।

732 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ يَقُولُ: أَحَدُ بَنِي أُمِّ هَانِئٍ حَدَّثَنِي فَلَقِيتُ أَنَا أَفْضَلَهُمْ وَكَانَ اسْمُهُ جَعْدَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ هَانِئٍ جَدَّتَهُ، فَحَدَّثَنِي عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَا إِنِّي

732 - सिमाक बिन हर्ब कहते हैं कि मुझे उम्मे हानी की औलाद में से किसी शख़्स ने हदीस बयान की (बाद) में मैं उन में से अफज़ल आदमी को मिला जिसका नाम जादा था और उम्मे हानी (رضي الله عنها) उसकी दादी थीं. उसने मुझे अपनी दादी के हवाले से बयान किया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) उनके पास तशरीफ़ लाए और कोई मशरूब मंगवाया (और) पिया, फिर उन्हें पकड़ा दिया उन्होंने ने भी पिया (फिर) कहने लगीं: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा तो रोज़ा था,

كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''नफ़्ली रोज़ा रखने वाला अपनी ज़ात का है, अगर चाहे रोज़ा पूरा करे और चाहे तो छोड़ दे.''

सहीह।: मुसनद अहमद:6/431. दार क़ुत्नी:2/175. बैहक़ी:4/276.

वज़ाहत: शोबा कहते हैं: मैंने (सिमाक बिन हर्ब से) कहा: क्या आपने उम्मे हानी से सुना है? उन्होंने ने कहा: नहीं (बल्कि) मुझे अबू सालेह और हमारे घर वालों ने उम्मे हानी के हवाले से बयान किया है। और हम्माद बिन सलमा ने यह हदीस सिमाक बिन हर्ब से सय्यदा उम्मे हानी (رضي الله عنها) के नवासे हारून के वास्ते के साथ उम्मे हानी (رضي الله عنها) से रिवायत की है। और शोबा की रिवायत ज़्यादा बेहतर है।

इसी तरह महमूद बिन गैलान ने अबू दाऊद से ''अमीनु नफ्सिही'' के अलफ़ाज़ नक़ल किए हैं और महमूद के अलावा बाकी रावियों ने अबू दाऊद से शक के सेगा के साथ अमीरू नफ्सिही और अमीनु नफ्सिही के अलफ़ाज़ बयान किए हैं। लेकिन शोबा से भी इसी तरह शक के साथ أمير نفسه और أمين نفسه मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: उम्मे हानी (رضي الله عنها) की हदीस में कलाम किया गया है। नीज नबी(ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنهم) और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है कि नफ़्ली रोज़ा रखने वाला, जब इफ़्तार करे। उस पर क़ज़ा वाजिब नहीं। हाँ अगर वह ख़ुद उसकी क़ज़ा करना चाहे। सुफ़ियान सौरी, अहमद, इस्हाक़ और शाफ़ेई (رحمهم الله) का भी यही कौल है।

35. بَابُ صِيَامِ الْمُتَطَوِّعِ بِغَيْرِ تَبْيِيتٍ

35 - रात को निय्यत किए बगैर नफ्ली रोज़ा रखना.

733 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟، قَالَتْ: قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ

733 - उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह(ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाए और फ़रमाने लगे: क्या तुम्हारे पास (खाने के लिए) कोई चीज़ है? कहतीं हैं कि मैंने कहा : ''नहीं'' (तो) आप(ﷺ) ने फ़र्माया, ''फिर मेरा रोज़ा है।''

मुस्लिम: 1154. अबू दाऊद:2455.

734 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي، فَيَقُولُ: أَعِنْدَكِ غَدَاءٌ؟، فَأَقُولُ: لاَ، فَيَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَتْ: فَأَتَانِي يَوْمًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، قَالَ: وَمَا هِيَ؟، قَالَتْ: قُلْتُ: حَيْسٌ، قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا، قَالَتْ: ثُمَّ أَكَلَ.

734 - उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि नबी(ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाते तो फ़रमाते : ''क्या तुम्हारे पास खाना है?'' अगर मैं कहती कि नहीं तो आप फ़रमाते: ''फिर मेरा रोज़ा है।'' फ़रमाती हैं एक दिन मेरे पास आए तो मैंने कहा: ''ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे लिए तोहफा आया है। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''क्या चीज़ है?'' मैंने कहा: حيس है आप(ﷺ) ने फ़रमाया मैंने सुबह रोज़ा रखा था'' फ़रमाती हैं;'' फिर आप ने तनावुल फ़रमा लिया।''

मुस्लिम: 1154. अबू दाऊद:2455.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

तौज़ीह: حيس हमारे यहाँ हलवे की तरह का खाना है जिसे अरब लोग खुजूर पनीर और घी मिला कर तैयार करते हैं.

36. بَابُ مَا جَاءَ فِي إِيجَابِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ

36 - इस (नफ्ली रोज़ा तोड़ने) पर क़ज़ा वाजिब है।

735 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَدَرَتْنِي إِلَيْهِ حَفْصَةُ، وَكَانَتْ ابْنَةَ أَبِيهَا،

735 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं: मैं और हफ्सा (رضي الله عنها) दोनों रोज़े से थीं तो हमें खाना पेश किया गया जिसकी हमें चाहत भी थी हमने खा लिया। रसूलुल्लाह(ﷺ) तशरीफ़ लाए तो मुझ से पहले हफ्सा आप(ﷺ) के पास पहुँच गयीं और वह अपने होशियार बाप की होशियार बेटी थीं. कहने लगीं ऐ अल्लाह के रसूल! हम दोनों रोज़े से

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ، فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، قَالَ: اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ.

थीं हमारे पास खाना आया जिसकी हमें ख्वाहिश भी थी तो हम ने वह खा लिया। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''इसकी जगह एक और दिन में क़ज़ा करो.''

ज़ईफ़: अबू दाऊद:2457. मुस्नद अहमद:6/ 141. शरह मआनी:2/ 108.

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सालेह बिन अबू अल-अख्ज़र और मुहम्मद बिन अबी हफ्सा ने इस हदीस को जोहरी से बवास्ता उर्वा, सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से इसी तरह रिवायत किया है। जबकि मालिक बिन अनस, मामर, उबैदुल्लाह बिन उमर, जियाद बिन साद और दीगर हुफ्फाज़ रावियों ने जोहरी के वास्ते के साथ आयशा (رضي الله عنها) से मुर्सल रिवायत किया है और इसमें उर्वा का ज़िक्र नहीं किया और यह ज़्यादा सहीह है क्योंकि इब्ने जुरैज से मर्वी है कि मैंने जोहरी से पूछा कि आप को उर्वा ने आयशा (رضي الله عنها) की तरफ़ से (यह) हदीस बयान की है? उन्होंने कहा: मैंने इस मसले में उर्वा से कुछ नहीं सुना लेकिन मैंने सुलैमान बिन अब्दुल मलिक की खिलाफ़त में लोगों से उस आदमी के हवाले से सुना था जिसने उस हदीस के बारे में आयशा (رضي الله عنها) से पूछा था।

735 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ البَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ الحَدِيثَ.

735 - (इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:) हमें अली बिन ईसा बिन यजीद अल-बगदादी ने (वह कहते हैं) हमें रौह बिन उबादा ने इब्ने जुरैज से यही हदीस बयान की है।

सहीह: अबू दाऊद:2336 इब्ने माजा:1648 निसाई: 2175

नीज नबी करीम(ﷺ) के सहाबए किराम (رضي الله عنهم) और दीगर लोगों में अहले इल्म इसी हदीस पर अमल करते हुए नफ्ली रोज़े को तोड़ने की क़ज़ा ज़रूरी समझते हैं, मालिक बिन अनस (رحمه الله) भी इसी के कायल हैं।

37. بَابُ مَا جَاءَ فِي وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

37 - शाबान (के रोज़ों) को रमज़ान के साथ मिलाना

736 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ

736 - सय्यदा उम्मे सलमा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को शाबान और रमज़ान के अलावा लगातार दो महीनों के रोज़े रखते हुए नहीं देखा था।

أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ.

बुख़ारी: 1969. मुस्लिम: 1156.अबू दाऊद: 2434. इब्ने माजा:1710. निसाई: 2171, 2177.

वज़ाहत: इस मसले में सय्यदा आयशा (ؓ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ؒ) फ़रमाते हैं: उम्मे सलमा (ؓ) की हदीस हसन है। नीज यह हदीस इसी तरह अबू सलमा के वास्ते के साथ आयशा (ؓ) से भी मर्वी है कि मैंने नबी(ﷺ) को शाबान से बढ़कर किसी महीने में रोज़े रखते नहीं देखा. आप बहुत थोड़े दिन छोड़ते बाकी रोज़े रखते बल्कि पूरा महीना ही रोज़े रखते।

737 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ.

737 - अबू ईसा कहते हैं:) हमें हन्नाद ने (वह कहते हैं:) हमें अब्दा ने मुहम्मद बिन अम्र से (वह कहते हैं:) हमें अबू सलमा ने बवास्ता सय्यदा आयशा (ؓ) नबी(ﷺ) से यह हदीस बयान की है।

सहीह अबू दाऊद:2337. इब्ने माजा: 1651. अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 7325.

वज़ाहत: सालिम अबुन नज़्र और दीगर रावियों ने भी इस हदीस को अबू सलमा के वास्ते के साथ सय्यदा आयशा (ؓ) से मुहम्मद बिन अम्र की रिवायत की तरह रिवायत किया है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक से इस हदीस के बारे में मर्वी है कि कलामे अरब में जायज़ है कि जब कोई आदमी महीने में ज़्यादा दिन रोज़े रखता है तो कहा जाता है उसने सारे महीने के रोज़े रखे। नीज यह भी कहा जाता है कि फलां शख़्स ने सारी रात क़याम किया हो सकता है उसने खाना भी खाया हो और भी बाज़ उमूर सर अंजाम दिए हों। गोया इब्ने मुबारक दोनों हदीसों को एक दुसरे के साथ मुत्तफिक समझते हैं वह कहते हैं कि इसका मतलब है कि आप इस में अक्सर रोज़ा रखा करते थे।

38. بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي مِنْ شَعْبَانَ لِحَالِ رَمَضَانَ

38 - रमज़ान की वजह से शाबान के आख़िरी 15 दिनों में रोज़ा रखना मना है।

738 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ العَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ: إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ تَصُومُوا.

738 - सय्यदना अबू हुरैरा (ؓ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जब शाबान आधा रह जाए तो रोज़ा ना रखो.''

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। इन अलफ़ाज़ के साथ सिर्फ़ इसी सनद से साबित है। ''

और बाज़ उलमा के नज़दीक इसका मतलब है कि आदमी पहले तो रोज़ा न रखे लेकिन जब शाबान के कुछ दिन रह जाएं तो रमज़ान के इस्तिकबाल के लिए रोज़े शुरू कर दे. नीज अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से नबी(ﷺ) की एक हदीस उनके कौल से मिलती जुलती मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, ''रोज़े के साथ रमज़ान का इस्तिकबाल न करो. हाँ अगर कोई रोज़ा रखता है तो उसका रोज़ा मुवाफ़िक़ आ जाए (तो कोई क़बाहत नहीं) इस हदीस में जानबूझ कर रमज़ान के इस्तिकबाल के लिए रोज़े रखने वाले के ख़िलाफ़ कराहत की दलील है।

39 - शाबान की पन्द्रहवीं रात का बयान.

39. بَابُ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

739 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि एक रात मुझे रसूलुल्लाह(ﷺ) घर में नज़र न आए. मैं निकली तो देखा आप बक़ी में थे. आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''कि तुम इस बात से डरती थी कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे ऊपर ज़ुल्म करेंगे?'' मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा ख़याल था आप अपनी किसी और बीवी के पास चले गए होंगे तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''अल्लाह अज्ज़ जल्ल शाबान की दर्मियानी (यानी पंद्रहवीं) रात आसमाने दुनिया पर उतरते हैं और क़बीला बनू कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा लोगों को बख़्शते हैं.''

ज़ईफ़। इब्ने माजा: 1389. मुसनद अहमद: 6/238. अब्द बिन हुमैद: 1509.

739 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ، فَإِذَا هُوَ بِالبَقِيعِ، فَقَالَ: أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ.

वज़ाहत: इस मसले में अबू बकर सिदीक (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) की हदीस सिर्फ़ हज्जाज की सनद से ही मर्फ़ूअ मिलती है और मैंने मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी रहिमहुल्लाह) को इस हदीस को ज़ईफ़ कहते हुए सुना है। और वह कहते हैं कि यहया बिन अबी कसीर का उर्वा से सिमा (सुनना) नहीं किया है इसी तरह फ़रमाते हैं कि हज्जाज ने भी यह्या बिन अबी कसीर से सिमा (सुनना) नहीं किया.

तौज़ीह: يحيف : ज़ुल्म व सितम करना, ज़्यादती करना, हक़ तलफी करना, यानी क्या तुम्हें यह गुमान था कि मैं तुम्हारे दिन में किसी और बीवी के पास चला जाउंगा. वल्लाहु तआला आलम.

40 - मुहर्रम के रोज़ों का बयान.

40. بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

740 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''माहे रमज़ान के बाद सब से अफज़ल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं।''

मुस्लिम: 1163. अबू दाऊद: 2429. इब्ने माजा:1742.

740 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ.

741 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं उनसे एक आदमी ने सवाल किया कि माहे रमज़ान के बाद आप मुझे किस महीने के रोजे रखने का हुक्म देते हैं? (तो अली (رضي الله عنه) ने) उससे कहा: इस मसले के बारे में मैंने किसी आदमी को सवाल करते नहीं सुना सिवाये एक आदमी कि वह रसूलल्लाह(ﷺ) से सवाल कर रहा था और मैं भी आपके पास बैठा हुआ था उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! माहे रमज़ान के बाद आप मुझे किस महीने के रोजे रखने का हुक्म देते हैं आप(ﷺ) ने फ़रमाया: ''अगर तुम रखना

741 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ لَهُ: مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَسْأَلُ عَنْ هَذَا، إِلاَّ رَجُلاً سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي

أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ، فِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ، وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ.

चाहते हो मुहर्रम के रोज़े रखो, क्योंकि वह अल्लाह का महीना है, उस में एक दिन है जिसमें अल्लाह तआला ने एक कौम की तौबा भी कुबूल की थी और दूसरी कौम की तौबा भी अल्लाह इसमें कुबूल करेगा।

ज़ईफ़: इब्ने अबी शैबा: 3/41. दारमी:1763.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।

41. بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

41 - जुमा के दिन का रोज़ा.

742 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، وَطَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

742 - अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) हर महीना के पहले तीन दिनों का रोजा रखते थे और आप जुमा के दिन का रोजा कम ही छोड़ते थे।

हसन: अबू दाऊद: 2450. इब्ने माजा: 1725. निसाई:2368.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में इब्ने उमर और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नीज फ़रमाते हैं अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) की हदीस हसन गरीब है। उलमा की एक जमाअत ने जुमा के रोजे को मुस्तहब कहा है और मकरूह तब है जब सिर्फ़ जुमा का रोजा रखा जाए और उससे पहले और बाद में रोजा ना रखा जाए।

फ़रमाते हैं: शोबा ने आसिम से इस हदीस को मर्फ़ूअ रिवायत नहीं किया।

तौज़ीह: :غرة : हर चीज़ का पहला और उम्दा हिस्सा। (अल-कामूसुल वहीद: पृष्ठ 1161)

42. بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ

42-सिर्फ़ जुमा के दिन का रोजा रखना मकरूह है।

743 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

743 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: ''तुम में से कोई शख़्स सिर्फ़ जुमा के दिन का

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ.

रोजा ना रखे बल्कि उसके साथ एक दिन पहले या एक दिन बाद का भी मिला कर रखे।''

बुख़ारी: 1985. मुस्लिम: 1144. अबू दाऊद: 2420. इब्ने माजा: 1723.

वज़ाहत: इस मसले में अली, जाबिर, जुनादह अल-अजदी, जुवैरिया, अनस और अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنهم) से भी हदीसें मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए किसी भी शख़्स के लिए सिर्फ़ जुमा के दिन के रोज़े को मकरूह समझते हैं जब वह उससे पहले या बाद में रोज़ा ना रखे। अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी इसी के कायल हैं।

43. بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ

43 - हफ्ते के दिन का रोजा

744 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ.

744 - अब्दुल्लाह बिन बुस्र (رضي الله عنه) अपनी बहन से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: ''सप्ताह के दिन सिर्फ़ वही रोजा रखो जो अल्लाह तआला ने तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया है अगर तुम में से किसी शख़्स को सिर्फ़ अंगूर की छाल या दरख्त की टहनी ही मिले तो वह उसे चबा ले।

सहीह अबू दाऊद: 2421. इब्ने माजा: 1726. मुसनद अहमद: 6/369.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और कराहत उस सूरत में है जब सिर्फ़ हफ्ता का रोजा ख़ास करें क्योंकि यहूदी हफ्ते के दिन की ताज़ीम करते हैं।

तौज़ीह: لحا: किसी भी दरख़्त के छिलके को कहा जाता है।

44 - सोमवार और जुमेरात का रोजा.

44. بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ

745 - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ، عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الفَلاَّسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ الجُرَشِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَرَّى صَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ.

745 - सय्यदा आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि नबी(ﷺ) सोमवार और जुमेरात के रोजे का एहतमाम करते थे।

सहीह इब्ने माजा: 1739. निसाई: 2361, 2363.

वज़ाहत: इस मसले में हफ्सा, अबू क़तादा, अबू हुरैरा और उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) से भी हदीसें मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: आयशा (ﷺ) की हदीस इस सनद के साथ हसन ग़रीब है।

746 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ، وَالأَحَدَ، وَالاثْنَيْنِ، وَمِنَ الشَّهْرِ الآخَرِ الثُّلاَثَاءَ، وَالأَرْبِعَاءَ، وَالخَمِيسَ.

746 - सय्यदा आयशा (ﷺ) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ)एक महीने हफ्ते, इतवार और सोमवार का रोज़ा रखते थे और दुसरे महीने मंगल, बुध और जुमेरात का रोज़ा रखते थे।

ज़ईफ़.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और इस हदीस को अब्दुर्रहमान बिन महदी ने भी सुफ़ियान से रिवायत किया है लेकिन इसे मर्फ़ूअ ज़िक्र नहीं किया।

747 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ.

747 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''सोमवार और जुमेरात को आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं मैं चाहता हूं कि जब मेरे आमाल पेश किए जाएं तो मैं रोज़े से हूं।

मोत्ता मालिक: 18977. मुस्लिम:8/ 11. अब्दुर्रज्ज़ाक़.7914.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में बयान कर्दा सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है।

45. بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ وَالخَمِيسِ

45 - बुध और जुमेरात के रोजे का बयान.

748 - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُرَيْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيْهِ قَالاَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَلْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ القُرَشِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ، أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ؟ فَقَالَ: إِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صُمْ رَمَضَانَ، وَالَّذِي يَلِيهِ، وَكُلَّ أَرْبِعَاءَ وَخَمِيسٍ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ وَأَفْطَرْتَ.

748 - उबैदुल्लाह बिन मुस्लिम अल- कुर्शी अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी(ﷺ) से सवाल किया फिर आपसे साल भर के रोजे रखने के बारे में सवाल किया गया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया: ''बेशक तेरी बीवी का भी तुझ पर हक़ है फिर आप(ﷺ) ने फ़रमाया: ''रमज़ान के रोजे रखो और उसके साथ वाले महीने से छः दिनों के और और बुध और जुमेरात को तब ऐसे ही होगा जैसे तुमने सारे साल के रोजे रखे भी और छोड़ भी लिए।''

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2432.

वज़ाहत: इस मसले में आयशा (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मुस्लिम अल-कुर्शी की हदीस ग़रीब है और बाज़ रावियों ने हारून बिन सलमान से बवास्ता मुस्लिम बिन उबैदुल्लाह उनके बाप से रिवायत की है।

46. بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

46 - अ़रफा के दिन के रोज़ों की फजीलत.

749 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صِيَامُ يَوْمِ

749 - सय्यदना अबू क़तादा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अ़रफा के दिन के बारे में मुझे अल्लाह पर उम्मीद है कि वह उससे बाद वाले और पहले साल के गुनाह मिटा दे।''

عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ.

मुस्लिम:1162. अबू दाऊद:2425. इब्ने माजा:1730.

वज़ाहत: इस मसले में अबू सईद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू क़तादा (رضي الله عنه) की हदीस हसन है। और अहले इल्म अ़रफा के दिन के रोज़े अ़रफा के सिवा (बाकी जगहों पर) मुस्तहब कहते हैं।

तौज़ीह: यौमे अ़रफा से मुराद नौ ज़ुल्हिज्जा का दिन है।

47 بَابُ كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

47 - अ़रफा के दिन मैदाने अ़रफा में रोज़ा रखना मकरूह है।

750 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ، وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الفَضْلِ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ.

750 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने मैदाने अ़रफा में रोज़ा छोड़ा और उम्मे अल- फ़ज़ल (رضي الله عنها) ने आप को दूध भेजा तो आप(ﷺ) ने नोश फ़रमाया।

मुस्लिम: 1123. अबू दाऊद:2441.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा, इब्ने उमर और उम्मे अल- फ़ज़ल (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज इब्ने उमर (رضي الله عنه) कहते हैं कि मैंने नबी(ﷺ) के साथ हज किया तो आप(ﷺ) ने अ़रफा के दिन रोज़ा नहीं रखा। अबू बकर, उमर और उस्मान (رضي الله عنهم) के साथ भी हज किया उन्होंने भी रोज़ा नहीं रखा था।

और अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए मैदाने अरफ़ात में रोज़ा छोड़ने को मुस्तहब कहते हैं ताकि उसके साथ आदमी को दुआ करने की कुव्वत हासिल हो और बाज़ उलमा ने अ़रफा के दिन मैदाने अरफात में रोज़ा रखा भी है।

751 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ

751 - इब्ने अबी नजीह अपने बाप से रिवायत करते हैं कि सय्यदना अब्दुल्लाह

Sherkhan
9825 696 131

إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ :حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لاَ أَصُومُهُ، وَلاَ آمُرُ بِهِ، وَلاَ أَنْهَى عَنْهُ.

बिन उमर (ﷺ) से मैदाने अरफात में यौमे अरफा के रोजे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फ़रमाया: ''मैंने नबी(ﷺ)के साथ हज किया आपने यह रोजा नहीं रखा, अबू बक्र के साथ किया उन्होंने भी नहीं रखा उमर के साथ किया उन्होंने नहीं रखा उस्मान के साथ किया उन्होंने भी रोजा नहीं रखा- मैं न रखता हूं न इसका हुक्म देता हूं और न ही इस से मना करता हूं।

सहीह: मुसनद अहमद: 2/74.दारमी:1772. इब्ने हिब्बान:3604.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और अबू नजीह का नाम यसार था। इब्ने उमर से उन्हें सिमा (सुनना) हासिल है। नीज यह हदीस इसी तरह इब्ने अबी नजीह से उनके बाप के हवाले से एक आदमी के वास्ते से भी इब्ने उमर (ﷺ) से मर्वी है।

48بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى صَوْمِ عَاشُورَاءَ

48 - आशूरा के रोजे की तरगीब.

752 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ :صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ.

752 सय्यदना अबू क़तादा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: ''आशूरा के दिन के रोजे के बारे में मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि यह पिछले साल के गुनाह मिटा देता है। ''

मुस्लिम: 1162. अबू दाऊद: 2425. इब्ने माजा: 1738.

वज़ाहत: इस मसले में अली, मुहम्मद बिन सैफी, सलमा बिन अक्वा, हिन्द बिन अस्मा, इब्ने अब्बास, रूबैअ बिन्ते मुअव्विज़ बिन अफरा, अब्दुर्रहमान बिन सलमा अल-ख़ुज़ाई अपने चचा से, और अब्दुल्लाह बिन जुबैर (ﷺ) भी ज़िक्र करते हैं कि नबी(ﷺ) ने आशूरा के दिन रोज़ा रखने की तरगीब दी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमें किसी रिवायत से यह मालूम नहीं हुआ कि आप ने फ़रमाया हो कि आशूरा के दिन का रोजा एक साल के गुनाहों का कफ्फ़ारा है सिवाये अबू क़तादा की हदीस के और अहमद व इस्हाक़ (رحمه الله) भी अबू क़तादा की हदीस के मुताबिक फ़तवा देते हैं।

तौज़ीह: عاشورا: दस मुहर्रम को कहा जाता है लेकिन इस दिन की अहमियत व फ़ज़ीलत का वाक़िए कर्बला से कोई ताल्लुक़ नहीं है।

49 - आशूरा के दिन रोजा छोड़ने की रुख़्सत.

49 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

753 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، صَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الفَرِيضَةُ، وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

753 सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि कुरैश जाहिलियत में आशूरा के दिन का रोजा रखते थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) भी उस का रोजा रखते थे। फिर जब आप मदीना में आए खुद भी उसका रोजा रखा और लोगों को भी रखने का हुक्म दिया। फिर जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो रमज़ान के रोज़े फ़रीज़ा बन गए और आशूरा को छोड़ दिया गया। फिर जिसने चाहा उसका रोजा रख लिया और जिसने चाहा छोड़ दिया।

बुखारी: 1592. मुस्लिम: 1125. अबू दाऊद:2442. इब्ने माजा:1733.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, कैस बिन साद, जाबिर बिन समुरा, इब्ने उमर और मुआविया (رضي الله عنهم) से भी हदीसें मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अहले इल्म का हदीसे आयशा (رضي الله عنها) पर ही अमल है और यह हदीस सहीह है। (उलमा) आशूरा के रोज़े को वाजिब नहीं समझते मगर उसकी फ़ज़ीलत की वजह से जो उसके रोज़े में रगबत रखता है (वह रख ले)।

50 - आशूरा कौन सा दिन है?

50 بَابُ مَا جَاءَ عَاشُورَاءُ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ

754 - हकम बिन अल आरज (رحمه الله) कहते हैं कि मैं सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) के पास गया वह ज़मज़म के पास अपनी चादर सर के नीचे रखे हुए थे तो मैंने उनसे कहा आप मुझे बतलाइए की आशूरा का दिन कौन सा है जिसका मैं रोजा रखूँ? तो उन्होंने फ़रमाया: ''जब तुम मुहर्रम का चांद देख लो- तो दिनों को गिनते रहो फिर नौवें दिन की सुबह रोजे की हालत में करो- रावी कहते हैं मैंने कहा: मुहम्मद(ﷺ) भी ऐसे ही रोज़ा रखते थे? उन्होंने फ़रमाया, ''हाँ''.

मुस्लिम: 1133. अबू दाऊद:2446.

754 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَيُّ يَوْمٍ أَصُومُهُ؟ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلاَلَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ، ثُمَّ أَصْبِحْ مِنَ التَّاسِعِ صَائِمًا، قَالَ: فَقُلْتُ: أَهَكَذَا كَانَ يَصُومُهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

तौज़ीह: مُتَوَسِّدٌ:توسد : से इस्म फ़ाइल है जिसका मानी है सर के नीचे कोई चीज़ रखना, किसी चीज़ पर सर टेकना, सहारा लेना, (अल-क़ामूसुल वहीद: प. 1847)

755 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने आशूरा का रोज़ा दस तारीख को रखने का हुक्म दिया।

सहीह तयालिसी: 2625. हुमैदी: 515. मुसनद अहमद:1/291. मुस्लिम:3/149. बुख़ारी: 3/57. मिन तरीक़ सईद बिन जुबैर अन इब्ने अब्बास बे नहवेही.

755 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ يَوْمُ عَاشِرٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज आशूरा के दिन के मुताल्लिक़ अहले इल्म में इख़्तिलाफ़ है।

बाज़ कहते हैं कि यह नवां है और बाज़ कहते हैं कि दस्वाँ दिन है। इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से यह भी मर्वी है कि यहूदियों की मुख़ालिफ़त करते हुए नौ और दस का रोज़ा रखो।

इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी इसी हदीस के मुताबिक अमल है।

51 - अशर-ए- ज़ुल्हिज्जा के रोज़ों का बयान.

51. بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ العَشْرِ

756 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि मैंने नबी(ﷺ) को (ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई) दस दिनों में कभी रोज़े की हालत में नहीं देखा।

मुस्लिमः 1176. अबू दाऊद:2439. इब्ने माजा:1729.

756 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي العَشْرِ قَطُّ.

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: बहुत से रावियों ने आमश से इब्राहीम के हवाले से बवास्ता अस्वद, सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से इसी तरह की रिवायत की है जबकि सौरी वगैरह ने यह हदीस मंसूर से बवास्ता इब्राहीम बयान की है कि नबी(ﷺ) को अशर-ए- ज़ुल्हिज्जा में रोज़े की हालत में नहीं देखा गया।

नीज अबुल-अहवस ने मंसूर से बवास्ता इब्राहीम, आयशा (رضي الله عنها) से भी रिवायत की है और इस सनद में अस्वद का ज़िक्र नहीं किया। और इस हदीस में (मुहद्दिसीन ने) मंसूर पर इख़्तिलाफ़ किया है। जबकि आमश की रिवायत ज़्यादा सहीह और मज़बूत सनद वाली है। (तिर्मिज़ी) फ़रमाते हैं: मैंने अबू बकर मुहम्मद बिन अबान को फ़र्माते हुए सुना कि वक़ीअ कहते हैं : आमश, इब्राहीम की इस्नाद को मंसूर से ज़्यादा याद रखने वाले थे।

52- अशर-ए- ज़ुल्हिज्जा में नेक आमाल करना

52. بَابُ مَا جَاءَ فِي العَمَلِ فِي أَيَّامِ العَشْرِ

757 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنهما) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''उन (ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई दस) दिनों से किसी दिन में किया जाने वाला अमले सालेह अल्लाह को ज़्यादा महबूब नहीं है। '' (लोगों ने कहा): ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं मगर वह आदमी जो अपनी जान और अपना माल ले कर

757 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ هُوَ البَطِينُ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.

निकला फिर किसी भी चीज़ के साथ वापस न आया (यानी शहीद हो गया)''

बुख़ारी:969. अबू दाऊद:2438. इब्ने माजा:1727.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन अम्र और जाबिर (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब सहीह है।

758 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنْ نَهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ.

758 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया; ''अल्लाह तआला को ज़ुल्हिज्जा के दस दिनों से बढ़ कर किसी दिन में की जाने वाली उसकी इबादत ज़्यादा महबूब नहीं है। उसके एक दिन का रोज़ा एक साल के रोज़ों और हर एक रात का क़याम लैलतुल क़द्र के क़याम के बराबर है।

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 1728.

वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे सिर्फ़ वासिल से बवास्ता नुहास ही जानते हैं।

नीज फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी) से इस हदीस के बारे में पूछा तो वह इसी तरह इस सनद से ही उसे जानते थे और फ़र्माते हैं, क़तादा से भी सईद बिन मुसय्यब के वास्ते से नबी(ﷺ) से मुर्सल रिवायत की गई है और यह्या बिन सईद ने नुहास बिन क़ोहम के हाफिजा की वजह से इस में कलाम किया है।

53. بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

53- शव्वाल के छ: रोजो का बयान

759 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ

759 - सय्यदना अबू अय्यूब रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद

بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ.

शव्वाल के छः दिन के रोज़े रखे तो यह (उसके लिए सवाब के लिहाज़ से) साल के रोज़े होंगे।''

मुस्लिम:1164. अबू दाऊद:2433. इब्ने माजा:1718.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, अबू हुरैरा और सौबान (رضي الله عنه) से भी हदीसें मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू अय्यूब रज़ि०) की हदीस हसन सहीह है और उलमा की एक जमाअत इसी हदीस की वजह से शव्वाल के छः दिनों के रोज़े रखने को मुस्तहब कहती है।

इब्ने मुबारक (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हर महीने के तीन रोज़ों की तरह यह भी बेहतरीन अमल है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक फ़रमाते हैं: बाज़ अहादीस में मर्वी है कि उनको रमज़ान के साथ मिलाया जाए (इस लिए) इब्ने मुबारक का मज़हब है कि यह रोज़े शव्वाल के शुरू में हों नीज उनसे यह भी मर्वी है कि अगर शव्वाल के छः रोज़े अलग-अलग रख ले तो भी जायज़ है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद ने भी सफ़वान बिन सुलैम और साद बिन सईद से बवास्ता उमर बिन साबित, अबू अय्यूब (رضي الله عنه) से नबी(ﷺ) की यह हदीस रिवायात की है और शोबा ने वर्का बिन उमर से बवास्ता साद बिन सईद इस हदीस को रिवायत किया है।

साद बिन सईद, यह्या बिन सईद अल-अंसारी के भाई हैं और बाज़ मुहद्दिसीन ने साद बिन सईद के बारे में हाफिजा की वजह से कलाम किया है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमें हन्नाद ने (वह कहते हैं) हमें हुसैन बिन अली अल-जुअफी ने इस्राइल से बवास्ता अबू मूसा हसन बसरी से बयान किया है कि जब उनके पास शव्वाल के छः रोज़ों का तजकिरा होता तो वह फ़र्माते: अल्लाह की क़सम! यक़ीनन अल्लाह तआला पूरे साल के रोज़ों के बदले इस माह के रोज़ों से राजी होगा (यानी इस माह के रोज़े साल भर के बराबर हैं।)

54.بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

54 - हर महीने तीन रोज़े रखना.

760 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

760 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने मुझे तीन नसीहतें कीं: (पहली यह कि) मैं वित्र पढ़े बगैर ना सौऊँ, दूसरी- हर महीने तीन रोज़े रखने की और

وَسَلَّمَ ثَلاثَةً: أَنْ لاَ أَنَامَ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ، وَصَوْمَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَأَنْ أُصَلِّيَ الضُّحَى.

तीसरी- यह कि मैं चाश्त की नमाज़ अदा करूं।

बुख़ारी: 1178. मुस्लिम: 721. अबू दाऊद: 1432. निसाई: 1677.

761 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَامٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ.

761 - मूसा बिन तल्हा कहते हैं कि मैंने सय्यदना अबू ज़र (رضي الله عنه) से सुना वह फ़रमा रहे थे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''ऐ अबू ज़र! जब तुम हर महीने तीन रोज़े रखना चाहो तो 13, 14 और 15 तारीख को रखो।''

हसन सहीह निसाई: 2424. इब्ने खुज़ैमा: 2128. इब्ने हिब्बान: 3655.

वज़ाहत: इस मसले में अबू क़तादा, अब्दुल्लाह बिन अम्र, कुर्रा बिन इयास अल-मुज्नी, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अबू अकरब, इब्ने अब्बास, आयशा, क़तादा बिन मल्हान, उस्मान बिन अबिल-आस और जरीर (رضي الله عنهم) से भी हदीसें मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू ज़र (رضي الله عنه) की हदीस हसन है। नीज बाज़ अहादीस में है कि जिसने हर महीने तीन रोज़े रखे तो वह सारा साल रोज़े रखने वाले की तरह है।

762 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ: {مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} اليَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ.

762 - सय्यदना अबू ज़र (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''हर महीने तीन रोज़े रखो तो यह साल भर के रोज़े बन जायेंगे, फिर अल्लाह तआला ने अपनी किताब में इसकी तस्दीक नाजिल फर्मा दी (तर्जुमा) ''जो कोई एक नेकी करे तो उसके लिए दस गुना है'' (अल-अन्आम - 160) (इसी तरह) एक दिन दस दिनों के बराबर हो गया।

सहीह: इब्ने माजा: 1708. निसाई: 2409.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज शोबा ने इस हदीस को अबू शमर और अबू अत्तियाह से बवास्ता अबू उस्मान, सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से उन्होंने नबी(صلى الله عليه وسلم) रिवायत किया है।

763 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ :أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ مِنْ أَيِّهِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: كَانَ لاَ يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ صَامَ.

763 - मुआजह (رحمها الله) कहती हैं मैंने सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से कहा: क्या अल्लाह के रसूल(صلى الله عليه وسلم) हर महीने तीन रोज़े रखते थे? फ़रमाने लगीं: हाँ! मैंने कहा (महीने के) किन दिनों में रखते थे? उन्होंने फ़रमाया, कोई परवाह नहीं करते थे जब चाहते रख लेते थे।

मुस्लिम: 1160. अबू दाऊद:2453. इब्ने माजा:1709

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और यजीद अर्रश्क ही यज़ीद अज़्ज़बई हैं उन्हें ही यज़ीद बिन कासिम कहा जाता है। अल- किसाम भी यही हैं।और बसरह वालों की ज़बान में रश्क भी किसाम (तकसीम करने वाले) को ही कहते हैं।

55. بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ

55 - रोज़े की फ़ज़ीलत.

764 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ: كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ. وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ.

764 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(صلى الله عليه وسلم) ने फ़रमाया, ''बेशक तुम्हारा परवरदिगार फ़रमाता है, हर नेकी का बदला दस से लेकर सात सौ गुना तक होता है और रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। रोज़ा जहन्नम से ढाल है और रोज़ेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी से भी ज़्यादा अच्छी है और अगर कोई जाहिल तुम्हारे किसी आदमी के जहालत (का काम या बात) करे और वह रोज़ा की हालत में हो तो कहे मैं रोज़े से हूँ।

बुख़ारी: 1894. मुस्लिम:1151. अबू दाऊद: 2363 इब्ने माजा:1638. निसाई:2219.

वज़ाहत: इस मसले में मुआज़ बिन जबल, सहल बिन साद, काब बिन उज्रह, सलामा बिन कैसर और बसीर बिन अल-खसासिया (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी है। बशीर (رضي الله عنه) का नाम ज़हम बिन माबद है। खसासिया उनकी मां थी।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (رضي الله عنه) की हदीस इस सनद से हसन ग़रीब है।

तौज़ीह: المسك : (कस्तूरी) हिरन के नाफ़ा से निकलने वाला खुशबूदार माद्दा। (अल-कामूसुल वहीद-प 1553)

765 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَبَابًا يُدْعَى الرَّيَّانَ، يُدْعَى لَهُ الصَّائِمُونَ، فَمَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِمِينَ دَخَلَهُ، وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا.

765 - सय्यदना सहल बिन साद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, ''बेशक जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रय्यान कहा जाता है इस (दरवाज़े से दाखिल होने) के लिए सिर्फ़ रोज़ेदारों को ही बुलाया जाएगा, जो शख़्स रोज़ेदारों में से होगा और जो उसमें (से) दाखिल हो गया उसे कभी प्यास नहीं लगेगी।

बुख़ारी: 1896. मुस्लिम: 1152. इब्ने माजा: 1640. निसाई: 2235.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

766 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ.

766 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''रोज़ेदारों के लिए दो खुशियाँ हैं एक खुशी इफ़्तार के वक़्त और एक खुशी (तब होगी) जब वह अपने रब से मिलेगा।''

बुख़ारी: 1904. मुस्लिम: 1151. इब्ने माजा: 1638. निसाई: 2214.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

56-हमेशा रोज़े रखते रहना

56 بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ

767 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ بِمَنْ صَامَ الدَّهْرَ؟ قَالَ: لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ، أَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ.

767 - सय्यदना अबू क़तादा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ) ! हमेशा रोज़ा रखने वाले आदमी का अमल कैसा है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''न उसने रोज़ा का अज्र हासिल किया और न ही इफ़्तार की लज्ज़त को पाया।''

मुस्लिम:1162. अबू दाऊद: 2425. निसाई:2383.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अम्र, अब्दुल्लाह बिन शेखर, इमरान बिन हुसैन और अबू मूसा (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू क़तादा (رضي الله عنه) की हदीस हसन है। उलमा की एक जमाअत सारा साल रोज़ा रखने को मकरूह जबकि दूसरी जमाअत जायज़ कहती है। और वह कहते हैं कि साल भर रोज़े तब होंगे जब वह ईदुल फ़ित्र, ईदुल अज़्हा और अय्यामे तशरीक (11, 12 और 13 ज़ुल्हिज्जा) में भी रोज़ा न छोड़े तो जो शख़्स इन पांच अय्याम में रोज़ा छोड़ देता है। वह कराहत की हद से निकल जाएगा। (इस तरह) उसने सारे साल के रोज़े नहीं रखे। मालिक बिन अनस (رضي الله عنه) से इसी तरह मर्वी है और यही शाफ़ेई (رحمه الله) का कौल है। इमाम अहमद और इस्हाक़ भी इसके करीब करीब ही कहते हैं। नीज वह दोनों कहते हैं उन पांच दिनों ईदुल फ़ित्र, ईदुल अज़्हा और अय्यामे तशरीक जिनसे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मना किया है के अलावा बाकी अय्याम में रोज़ा छोड़ना वाजिब नहीं है।

57 - पे दर पे रोज़े रखना.

57 بَابُ مَا جَاءَ فِي سَرْدِ الصَّوْمِ

768 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ،

768 - अब्दुल्लाह बिन शकीक कहते हैं: मैंने सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से नबी(ﷺ) के नफ्ली रोज़ों के बारे में पूछा तो वह फ़रमाने लगीं: आप(ﷺ) रोज़े रखते रहते यहाँ तक की हम कहतीं की आप(ﷺ) ने खूब रोज़े रखे हैं। और आप रोज़े छोड़ते यहाँ तक कि

قَالَتْ: وَمَا صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلاً إِلاَّ رَمَضَانَ

हम कहते आप(ﷺ) ने खूब रोज़े छोड़े हैं। और वही फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह(ﷺ) ने रमज़ान के अलावा किसी महीने के रोज़े मुकम्मल नहीं रखे।

बुख़ारी: 1969. मुस्लिम: 1156.अबू दाऊद: 2434. इब्ने माजा: 1710. निसाई: 1641.

वज़ाहत: इस मसले में अनस और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है।

769 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لاَ يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لاَ يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكُنْتَ لاَ تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًا، وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ نَائِمًا.

769 - हुमैद कहते हैं कि अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से नबी(ﷺ) के नफ़ल रोज़ों के बारे में पूछा गया (तो) उन्होंने फ़रमाया कि आप(ﷺ) किसी महीने रोज़े रखते यहाँ तक कि ख़याल किया जाता कि आप उस महीने से रोज़ा छोड़ने का इरादा नहीं रखते और किसी महीने रोज़े न रखते यहाँ तक कि ख़याल होता की आप उस से रोज़े रखना नहीं चाहते और तुम अगर आप(ﷺ) को रात के वक़्त नमाज़ पढ़ते हुए देखना चाहते तो देख सकते थे और अगर सोने की हालत में देखना चाहते तो देख सकते थे।

बुख़ारी: 1141. मुस्लिम: 1158. निसाई: 1227

वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

770 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي العَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ

770 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया; ''बेहतरीन रोज़ा मेरे भाई दाऊद (अलैहि.) का रोज़ा था। वह एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन छोड़ते थे और जब दुश्मन से (मैदाने जंग में) मिलते तो भागते नहीं थे।''

الصَّوْمِ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى.

बुख़ारी: 1977. मुस्लिम: 1159. अबू दाऊद: 2427. इब्ने माजा: 1712. निसाई: 1630.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबुल अब्बास, शाइर था मक्का का रहने वाला नाबीना शख़्स था उसका नाम साइब बिन फर्रूख था। और बाज़ उलमा कहते हैं कि बेहतरीन रोज़ा यही है कि एक दिन रोज़ा रखे और एक छोड़े, नीज यह भी कहा जाता है कि यह सब से सख़्त रोज़ा है।

58. بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ يَوْمَ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ

58 - ईदुल फ़ित्र और कुर्बानी के दिन रोज़ा रखना मना है।

771 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ‘‘ يَنْهَى عَنْ صَوْمِ هَذَيْنِ اليَوْمَيْنِ، أَمَّا يَوْمُ الفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَعِيدٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا يَوْمُ الأَضْحَى فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ نُسُكِكُمْ.

771 - सय्यदना अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رضي الله عنه) के आज़ादकर्दा अबू उबैद (رحمه الله) बयान करते हैं कि मैं सय्यदना उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) के साथ कुर्बानी वाले दिन (ईदगाह में) मौजूद था उन्होंने खुत्बा से पहले नमाज़ पढाई, फिर फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को इन दोनों के रोज़े से मना करते हुए सुना है। ईदुल फ़ित्र का दिन तो तुम्हारे रोज़ों से इफ़्तारी और मुसलमानों के लिए ईद (का दिन) है और ईदुल अज़्हा के दिन में तुम अपनी कुर्बानियों (के जानवरों) का गोश्त खाओ।

बुख़ारी: 1990. मुस्लिम: 1137. अबू दाऊद: 2417 इब्ने माजा: 1721.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू उबैद मौला अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رضي الله عنه) का नाम साद है। उन्हें अब्दुर्रहमान बिन अजहर का मौला भी कहा जाता है और अब्दुर्रहमान बिन अजहर सय्यदना अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رضي الله عنه) के चचा जाद थे।

772 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامَيْنِ: يَوْمِ الأَضْحَى، وَيَوْمِ الفِطْرِ وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَأَنَسٍ.

772 - सय्यदना अबू सईद अल- खुदरी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने दो (दिन के) रोज़ों से मना फ़रमाया है: (एक) कुर्बानी के दिन और (दुसरे) ईदुल फ़ित्र के दिन के रोज़े से।

बुख़ारी: 1197. मुस्लिम: अबू दाऊद:2416. इब्ने माजा:1722.

वज़ाहत: इस मसले में उमर, अली, आयशा, अबू हुरैरा, उक़्बा बिन आमिर और अनस (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू सईद अल- खुदरी (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और उलमा का इसी पर अमल है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अम्र बिन यह्या उमारा बिन अबी हसन अल्माज़िनी के बेटे हैं। यह सिक़ह रावी थे उनसे सुफ़ियान सौरी, शोबा और मालिक बिन अनस रिवायत करते हैं।

59 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

59 - अय्यामे तशरीक़ में रोज़े रखने की मनाही

773 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ، عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.

773 - सय्यदना उक़्बा बिन आमिर रज़ि०) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, यौमे अरफा, यौमे नहर और अय्यामे तशरीक़ हम अहले इस्लाम के लिये ईद (के अय्याम) हैं और यह खाने पीने के दिन हैं।''

सहीह अबू दाऊद: 2419. निसाई:3004.

वज़ाहत: इस मसले में साद, अबू हुरैरा, जाबिर, नबीशा, बिश्र् बिन सहीम, अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा, अनस, हम्ज़ा बिन अम्र, अल अस्लमी, काब बिन मालिक, आयशा अम्र बिन आस, और अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: उक़्बा बिन आमिर रज़ि०) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए अय्यामे तशरीक में रोज़े रखने को मकरूह समझते हैं। लेकिन नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से एक जमाअत रुखसत देती है कि अगर हज्जे तमत्तोअ करने वाले को कुर्बानी न मिले और वह पहले दस दिनों में रोज़े न रख सके तो अय्यामे तशरीक में रख ले। मालिक बिन अनस, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) भी यही कहते हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अहले इराक (सनद बयान करते हुए) मूसा बिन अली बिन रबाह और अहले मिस्र मूसा बिन उलय्या कहते हैं, नीज फ़रमाते हैं। मैंने कुतैबा से सुना वह फ़रमाते थे कि लैस बिन साद कहते हैं, मूसा बिन अली कहा करते थे मैं किसी ऐसे शख़्स को मुआफ़ नहीं करूंगा जो मेरे बाप के नाम को तसगीर के साथ कहेगा।

तौज़ीह: उनका इशारा मिस्रियों की तरफ़ है जो उनके वालिदे मोहतरम अली को उलय्या कहते थे और तसगीर का मतलब होता है छोटापन बयान करना।

यौमे अ़रफा 9 ज़ुल्हिज्जा यौमे नहर 10 और अय्यामे तशरीक़ 11, 12 और 13 में कुल पांच दिन बनते हैं। 9 से 13 ज़ुल्हिज्जा तक।

60 - रोज़ेदार को सींगी लगवाना मना है।

60.بَابُ كَرَاهِيَةِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

774 - सय्यदना राफे बिन ख़दीज कहते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, ''सींगी लगाने और लगवाने वाले (दोनों) का रोज़ा टूट गया।''

सहीह: मुसनद अहमद: 3/465. इब्ने खुजैमा:1964. अब्दुर्रज्जाक़: 7523.

774 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ.

वज़ाहत: इस मसले में साद, अली, शद्दाद बिन ऑस, सौबान, उसामा बिन ज़ैद, आयशा, माकिल बिन यसार जिन्हें माकिल बिन सिनान भी कहा जाता है और अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास, अबू मूसा, और बिलाल (رضي الله عنهم) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: राफे बिन ख़दीज की हदीस हसन सहीह है और अहमद बिन हंबल (رحمه الله) से ज़िक्र किया जाता है वह फ़रमाते हैं कि इस मसले में सबसे सहीह हदीस राफे बिन खदीज (رضي الله عنه) की है। जबकि अली बिन अब्दुल्लाह (मद्फीनी) कहते हैं कि सबसे सहीह हदीस सौबान और शद्दाद बिन औस की है क्योंकि यह्या बिन अबी कसीर ने अबू किलाबा से सौबान और शद्दाद बिन ऑस (رضي الله عنهما) दोनों की हदीस इकट्ठी बयान की है।

नीज नबी(ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنهم) और दीगर लोगों में से अहले इल्म रोज़ेदार के लिए सींगी को मकरूह समझते हैं।यहाँ तक कि बाज़ सहाबा जिन में अबू मूसा अशअरी और अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنهم) भी शामिल हैं, रात को सींगी लगवाते थे। इब्ने मुबारक भी इसी के क़ायल हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि इस्हाक़ बिन मंसूर, अब्दुर्रहमान बिन महदी का कौल ज़िक्र करते हैं कि जो शख़्स रोज़ा की हालत में सींगी लगवाता है तो उस पर क़ज़ा वाजिब होगी। अहमद बिन हंबल और इस्हाक़ बिन इब्राहीम (رحمه الله) भी इसी तरह कहते हैं। अबू ईसा फ़रमाते हैं: मुझे हसन बिन मुहम्मद अज़-ज़ाफरानी ने बयान किया की शाफ़ेई फ़रमाते हैं: नबी(ﷺ) से मर्वी है कि आप(ﷺ) ने रोज़े की हालत में सींगी लगवाई। और यह भी मर्वी है कि आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''सींगी लगाने और लगवाने वाले का रोज़ा टूट गया।'' तो मैं नहीं जानता इन दोनों हदीसों में से कौन सी साबित है? अगर कोई शख़्स रोज़े की हालत में सींगी लगवाने से परहेज़ करे तो बेहतर है और अगर कोई आदमी रोज़े में सींगी लगवा लेता है तो मेरा ख़याल है कि उसका रोज़ा नहीं टूटेगा।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इमाम शाफ़ेई बग़दाद में ऐसा ही किया करते थे लेकिन मिस्र में जाकर रुख़्सत की तरफ़ मायल हो गए और रोज़ेदार के लिए सींगी लगवाने में हर्ज नहीं समझते थे। और उनकी दलील यह थी कि नबी(ﷺ) ने हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर रोज़े और एहराम की हालत में सींगी लगवाई थी।

61. हालते रोज़ा में सींगी लगवाने की रुख़्सत

61. بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

775 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हालाते एहराम और रोज़े में सींगी लगवाई।

बुख़ारी: 1938. अबू दाऊद: 1868.

775 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। वुहैब ने भी अब्दुल वारिस की तरह रिवायत की है और इस्माईल बिन इब्राहीम ने बवास्ता अय्यूब, इक्रिमा से मुर्सल रिवायत की है। उस (सनद) में इब्ने अब्बास (رضي الله عنهما) का ज़िक्र नहीं किया।

776 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.

776 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने रोज़े की हालत में सींगी लगवाई।

सहीह अल-इर्वा 932. मुसनद अहमद: 1/315.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन ग़रीब है।

777 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ.

777 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने मक्का और मदीना के दर्मियान एहराम और रोज़े की हालत में सींगी लगवाई थी।

इन अलफ़ाज़ के साथ यह रिवायत मुन्कर है। अबू दाऊद:2373. इब्ने माजा: 1682.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में अबू सईद, जाबिर और अनस (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी है।

नीज फ़र्माते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ अहले इल्म इसी हदीस के मुताबिक़ मज़हब रखते हुए रोज़ेदार के लिए सींगी में कुछ हर्ज नहीं समझते। सुफ़ियान सौरी, मालिक बिन अनस, और शाफ़ेई (رحمه الله) भी यही कहते हैं।

62. بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الوِصَالِ لِلصَّائِمِ

62 - रोज़ेदार के लिए विसाल की कराहत का बयान.

778 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، وَخَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُوَاصِلُوا، قَالُوا: فَإِنَّكَ

778 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''(रोजों में) विसाल न करो'' सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप भी तो विसाल करते हैं। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''मैं तुम में से

تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنَّ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي.

किसी आदमी की तरह नहीं हूँ, बेशक मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है। ''

बुख़ारी: 1961. मुस्लिम: 1104.

वज़ाहत: इस मसले में अली, अबू हुरैरा, आयशा, इब्ने उमर, जाबिर, अबू सईद, और बिश्र बिन अल-खसासिया (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अनस (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और बाज़ उलमा इसी पर अमल करते हुए रोज़ों में विसाल को मकरूह समझते हैं। नीज अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (رضي الله عنه) से मर्वी है कि वह कई दिनों तक विसाल करते और इफ़्तार नहीं करते थे।

तौज़ीह: विसाल- इफ़्तारी और सहरी में कुछ खाए बगैर दो या तीन दिन का लगातार रोज़ा रखना।

63. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّوْمَ

63 - जुन्बी आदमी को सुबह हो जाए और रोज़ा भी रखना चाहता हो तो.

779 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، وَأُمُّ سَلَمَةَ، زَوْجَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَصُومُ.

779 - नबी (ﷺ) की दो बीवियां आयशा और उम्मे सलमा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि नबी (ﷺ) को अपनी बीवी से सोहबत करने की वजह से हालते जनाबत में ही सुबह हो जाती थी फिर आप गुस्ल करके रोज़ा रखते।

बुख़ारी: 1926. मुस्लिम: 1109. अबू दाऊद: 2388. इब्ने माजा: 1703.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: आयशा और उम्मे सलमा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है और नबी (ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है। सुफ़ियान, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) भी यही कहते हैं।

जबकि ताबाईन (رحمه الله) की एक जमाअत कहती है कि जब आदमी जुन्बी हालत में सुबह करे तो उस दिन (के रोज़े) की क़ज़ा दे (लेकिन) पहला कौल ज़्यादा सहीह है।

64 - रोज़ेदार दावत क़ुबूल करे.

64. بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الصَّائِمِ الدَّعْوَةَ

780 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जब तुम में से किसी शख़्स को खाने की दावत दी जाती है तो वह उसे क़ुबूल करे। अगर वह रोज़े से हो तो दुआ कर दे।''

मुस्लिम: 1431. अबू दाऊद: 2460.

780 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ، يَعْنِي: الدُّعَاءَ.

781 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जब तुम में से किसी शख़्स को खाने की दावत दी जाए और वह रोज़े से हो तो कह दे कि मेरा रोज़ा है।''

मुस्लिम: 1150. अबू दाऊद: 2461. इब्ने माजा: 1750.

781 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में अबू हुरैरा से मर्वी दोनों हदीसें हसन सहीह हैं।

65 - औरत का शौहर की इजाज़त के बग़ैर (नफ़्ली) रोज़ा रखना मना है।

65. بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا

782 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, ''खाविंद की मौजूदगी में औरत माहे रमज़ान के अलावा एक दिन का (नफ़्ली) रोज़ा भी उसकी इजाज़त के बग़ैर न रखे।

बुख़ारी: 5192. मुस्लिम: 1026. अबू दाऊद:2458. इब्ने माजा: 1761.

782 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ، إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास और अबू सईद (رضي الله عنه) से भी मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा की हदीस हसन सहीह है। नीज यह हदीस अबुज़्ज़िनाद ने मूसा बिन अबू उस्मान से बयान की है वह अपने बाप से बवास्ता अबू हुरैरा नबी(ﷺ)से रिवायत करते हैं।

66. بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

66 - रमज़ान (के रोज़ों) की क़ज़ा में ताख़ीर करना

783 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

783 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) की वफात तक मैं रमज़ान के अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा रोज़ों की क़ज़ा शाबान में देती रही हूँ।

बुख़ारी:1950. मुस्लिम: 1146. अबू दाऊद: 2399.इब्ने माजा: 1169. निसाई:2178.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हैं। नीज यह्या बिन सईद अंसारी ने भी अबू सलमा के वास्ते से सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से इसी तरह की हदीस रिवायत की है।

67. بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ

67 - जब रोज़ेदार के पास खाना खाया जाता है तो उस (के सब्र करने) की फ़ज़ीलत.

784 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ لَيْلَى، عَنْ مَوْلاَتِهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّائِمُ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ الْمَفَاطِيرُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ.

784 - लैला अपनी आज़ाद करने वाली ख़ातून (सय्यदा उम्मे उमारा(رضي الله عنها) से रिवायत करती है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, ''रोज़ेदार के पास जब बे रोज़ा लोग खाते हैं तो फ़रिश्ते उस (रोज़ेदार) के लिए रहमत की दुआएं करते हैं।''

ज़ईफ़: इब्ने माजा: 1748. अब्दुर्रज्ज़ाक़: 7911. मुसनद अहमद: 6/365.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: शोबा ने इस हदीस को हबीब बिन ज़ैद से बवास्ता लैला हबीब की दादी उम्मे उमारा (رضي الله عنها) के ज़रिया नबी(ﷺ) से इसी तरह ही बयान किया है।

785 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلَاةً لَنَا يُقَالُ لَهَا: لَيْلَى تُحَدِّثُ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلِي، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرُغُوا، وَرُبَّمَا قَالَ: حَتَّى يَشْبَعُوا.

785 - सय्यदा उम्मे उमारा बिन्ते काब अल-अन्सारिया (رضي الله عنها) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) उनके यहाँ तशरीफ़ लाए तो उन्होंने आपको खाना पेश किया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''तुम भी खाओ।'' कहने लगीं: ''मेरा रोज़ा है। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''रोज़ेदार के पास जब खाना खाया जाता है तो खाने वालों के फ़ारिग़ होने तक फ़रिश्ते उसके लिए दुआए रहमत करते हैं।''

ज़ईफ़

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हैं और शरीक की हदीस ज्यादा सहीह है।

तौज़ीह: फरिश्तों के सलात से मुराद रहमत व बख़्शिश की दुआ करना होता है।

786 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مَوْلَاةٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهَا :لَيْلَى، عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: حَتَّى يَفْرُغُوا أَوْ يَشْبَعُوا.

786 - शोबा हबीब से उनकी आज़ादकर्दा लौंडी लैला के वास्ते के साथ उम्मे उमारा बिन्ते काब (रज़ि0) से नबी(ﷺ) की हदीस इसी तरह रिवायत करते हैं लेकिन उसमें खाने से फ़ारिग़ या सैर होने का ज़िक्र नहीं है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: उम्मे उमारा (رضي الله عنها) ही हबीब बिन ज़ैद अंसारी की दादी हैं।

68. بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ الْحَائِضِ الصِّيَامَ دُونَ الصَّلَاةِ

68 - हाइज़ा औरत रोज़ों की क़ज़ा देगी नमाज़ की नहीं.

787 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ

787 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में हमें हैज़ आता फिर (हैज़ से) पाक होतीं तो

الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ نَطْهُرُ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ، وَلاَ يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.

आप(ﷺ) हमें रोज़ों की क़ज़ा का हुक्म देते थे नमाज़ की क़ज़ा का नहीं।

मुस्लिम: 335. इब्ने माजा: 1670.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और बवास्ता मुआज़ा भी आयशा (رضي الله عنها) से इसी तरह मर्वी है। नीज अहले इल्म का इसी पर अमल है और हमारे इल्म में उनके दर्मियान इस बात में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है कि हाइज़ा औरत रोज़ों की क़ज़ा देगी नमाज़ की नहीं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: उबैदा बिन मोतब अज्ज़बी अल-कूफी है जिनकी कुनियत अबू अब्दुल करीम थी।

69. بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مُبَالَغَةِ الاِسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ

69 - रोज़ेदार को (दौराने वुज़ू) नाक में पानी दाखिल करने में मुबालगा करना मना है।

788 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الحَكَمِ الوَرَّاقُ، وَأَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءِ؟ قَالَ: أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

788 - आसिम बिन लकीत बिन सबुरह अपने बाप (सय्यदना लकीत बिन सबुरह (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप(ﷺ) मुझे वुज़ू (के तरीक़े) के बारे में बतलाइए आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''अच्छी तरह मुकम्मल वुज़ू करो और उँगलियों के दर्मियान खिलाल करो और रोज़े के अलावा बाक़ी हालतों में नाक में पानी दाखिल करने में मुबालगा करो।''

सहीह अबू दाऊद: 142. इब्ने माजा:407. निसाई:87.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। नीज अहले इल्म ने रोज़ेदार के लिए नाक में दवाई डालने को मकरूह कहा है और उनका ख़याल है कि इस से रोज़ा टूट जाएगा और अहादीस में उनके कौल को मज़बूत करने वाले दलाइल भी मौजूद हैं।

70 - जो शख़्स किसी के यहाँ मेहमान जाए तो उनकी इजाज़त के बग़ैर (नफ्ली) रोज़ा न रखे.

70. بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلاَ يَصُومُ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ

789 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जो शख़्स किसी कौम के यहाँ जाए तो उनकी इजाज़त के बग़ैर (नफ्ली) रोज़ा न रखे।

ज़ईफ़ जिद्दा: इब्ने माजा: 1763. अल-कामिल: 1/ 348.

789 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ وَاقِدٍ الْكُوفِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلاَ يَصُومَنَّ تَطَوُّعًا إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस मुन्कर है। हमारे इल्म के मुताबिक हिशाम बिन उर्वा से किसी सिक़ह रावी ने इसे रिवायत नहीं किया और मूसा बिन दाऊद ने भी अबू बकर अल-मदनी से हिशाम बिन उर्वा से उन्होंने अपने बाप से बवास्ता सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) नबी(ﷺ) से इसके करीब-करीब रिवायत की है ।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: लेकिन यह हदीस भी ज़ईफ़ हैं (क्योंकि) अबू बकर मुहद्दिसीन के यहाँ ज़ईफ़ रावी है। और अबू बकर अल-मदनी जिसने जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से उनका नाम फ़ज़्ल बिन मुबश्शिर था और वह उस (अबू बकर) से ज़्यादा सिक़ह और पहले वक़्त के रावी हैं।

71 - एतकाफ़ का बयान.

71. بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِعْتِكَافِ

790 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि नबी(ﷺ) अपनी वफात तक रमज़ान के आख़िरी दस दिनों का एतकाफ़ करते रहे हैं।

बुख़ारी:2044.मुस्लिम:1173. अबू दाऊद:2466. इब्ने माजा:1769.

790 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ.

वज़ाहत: इस मसले में उबय बिन काब, अबू लैला, अबू सईद, अनस और इब्ने उमर (رضي الله عنهم) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा और सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है।

791 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ.

791 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब एतकाफ़ का इरादा करते तो नमाज़े फज्र पढ़ कर अपने एतकाफ़ की जगह में दाख़िल हो जाते।

बुख़ारी: 2033. मुस्लिम: 1173. अबू दाऊद: 2464. इब्ने माजा: 1771. निसाई:709.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस यह्या बिन सईद से बवास्ता अम्रह नबी(ﷺ) से मुर्सल भी रिवायत की गई है। इसे मालिक और दीगर मुहद्दिसीन ने बवास्ता यह्या बिन सईद अमरह से मुर्सल बयान किया है। और औज़ाई ने सुफ़ियान और दीगर रावियों से उन्होंने यह्या बिन सईद से बवास्ता अम्रा सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत किया है।

बाज़ मुहद्दिसीन इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जब आदमी एतकाफ़ का इरादा रखता है तो फज्र पढ़ कर अपने एतकाफ़ की जगह में दाख़िल हो जाए। यह कौल अहमद बिन हंबल और इस्हाक़ बिन इब्राहीम (رحمه الله) का है।

बाज़ कहते हैं कि जब एतकाफ़ का इरादा रखता हो तो जिस दिन के एतकाफ़ का इरादा है उसकी रात का सूरज गुरूब होने से पहले एतकाफ़ में बैठ जाए। यह कौल सुफ़ियान सौरी और मालिक बिन अनस का है।

72.بَابُ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ

72 - लैलतुल क़द्र का बयान.

792 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

792 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) रमज़ान के आख़िरी दस दिन का एतकाफ़ करते थे और आप(ﷺ) फ़रमाते: ''लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आख़िरी दस दिनों में तलाश करो।''

बुख़ारी:2020. मुस्लिम: 1169.

वज़ाहत : इस मसले में उमर, उबय बिन काब, जाबिर बिन समुरा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, इब्ने उमर, फल्तान बिन आसिम, अनस, अबू सईद, अब्दुल्लाह बिन अनस अज़-ज़ुबैरी, अबू बक्रा, इब्ने अब्बास, बिलाल और उबादा बिन सामित (رضي الله عنهم) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है और उनके कौल يجاور का मतलब है एतकाफ़ करते थे। और नबी(ﷺ) से ज़्यादातर रिवायात में यह है कि आप(ﷺ) ने फ़रमाया; ''उस (लैलतुल क़द्र) को आख़िरी दस दिनों में हर ताक रात में तलाश करो। नीज नबी(ﷺ) से मर्वी है कि क़द्र की रात 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं और रमज़ान की आखिरी रात (में से कोई एक रात) है। ''शाफ़ेई कहते हैं: हकीक़त तो अल्लाह ही जानता है लेकिन मेरे नज़दीक यह है कि नबी(ﷺ) सवाल के मुताबिक़ जवाब देते थे। आप(ﷺ) से पूछा जाता : क्या हम फुलां रात में उसे तलाश करें? तो आप फ़रमा देते: ''उसे फुलां रात में तलाश करो।'' नीज फ़रमाते हैं: ''मेरे नज़दीक सब से कवी रिवायत 21 की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदना उबय बिन काब (رضي الله عنه) से मर्वी है कि वह क़सम उठा कर कहा करते थे कि (लैलतुल क़द्र) 27वीं रात है। और फ़रमाते हैं: हमें रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसकी अलामात बतायीं थीं तो हमने गिना और याद रखा। अबू किलाबा (رضي الله عنه) से मर्वी है: लैलतुल क़द्र आख़िरी दस रातों में मुन्तकिल होती रहती है। हमें यह बात अब्द बिन हुमैद ने (वह कहते हैं) हमें अब्दुर्रज़ाक ने मामर से बवास्ता अय्यूब अबू किलाबा से बयान की है।

793 - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ قَالَ: قُلْتُ لأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّى عَلِمْتَ أَبَا الْمُنْذِرِ أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، قَالَ: بَلَى أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا لَيْلَةٌ صَبِيحَتُهَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ، فَعَدَدْنَا، وَحَفِظْنَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَلَكِنْ كَرِهَ أَنْ يُخْبِرَكُمْ فَتَتَّكِلُوا.

793 - ज़िर्र(رحمه الله) कहते हैं मैंने सय्यदाना उबय बिन काब (رضي الله عنه) से कहा: ''ऐ अबू मुन्ज़िर आपको कैसे पता चला कि वह 27वीं रात है? उन्होंने कहा : कैसे पता न चलता, हमें रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बताया था कि वह ऐसी रात है कि उसकी सुबह को जब सूरज निकलता है तो उसकी शुआ (और किरण) नहीं होती तो हमने शुमार करके याद रखा। अल्लाह की क़सम! यकीनन अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) को पता है कि वह रमज़ान में है और 27वीं रात है लेकिन वह तुम्हें बताना इसलिए ना पसंदीदा समझते हैं कि तुम भरोसा कर लोगे।

मुस्लिम:762. अबू दाऊद:1378.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

794 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ذُكِرَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ: مَا أَنَا مُلْتَمِسُهَا لِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: التَمِسُوهَا فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي خَمْسٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي ثَلاَثِ أَوَاخِرِ لَيْلَةٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُصَلِّي فِي الْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ كَصَلاَتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ، فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ.

794 - उयय्ना बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत है कि मेरे बाप कहते हैं: अबू बक्रा के पास लैलतुल क़द्र का तजकिरा हुआ तो उन्होंने फ़रमाया, ''जब से मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से एक चीज़ सुनी है मैं उसे आख़िरी दस रातों में ही तलाश करता हूँ मैंने सुना आप(ﷺ) फ़रमा रहे थे: ''उसे तलाश करो जब नौ रातें बाकी रह जाएं या सात बाकी रह जाएं या पाँच बाकी रह जाएँ या आख़िरी तीन रातों में।'' रावी कहते हैं: सय्यदना अबू बकरा (رضي الله عنه) रमज़ान के बीस दिनों में तो सारे साल की तरह ही नमाज़ पढ़ते थे जब आख़िरी अशरा शुरू हो जाता तो खूब मेहनत करते।

सहीह: इब्ने अबी शैबा: 3/76. मुसनद अहमद:5/36. इब्ने खुजैमा:2175.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

73.بَابٌ مِنْهُ

73 - उसी से मुताल्लिक एक और बाब.

795 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

795 - सय्यदाना अली (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि नबी(ﷺ) रमज़ान के आख़िरी दस रातों में अपने घर वालों को (भी क़याम के लिए) जगाते थे।

सहीह तयालिसी:118. अब्दुर्रज्ज़ाक़:7703. मुसनद अहमद:1/98.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

796 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا.

796 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जिस क़दर आख़िरी दस रातों में मेहनत करते थे उतनी बाकी अय्याम में नहीं करते थे।

मुस्लिम: 1175. इब्ने माजा: 1767.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है।

74. بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي الشِّتَاءِ

74 - सर्दी में रोज़ों का बयान.

797 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نُمَيْرِ بْنِ عَرِيبٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ.

797 - आमिर बिन मसऊद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़र्माया: ''सर्दी का रोज़ा ठंडी गनीमत है।''

सहीह: इब्ने अबी शैबा:3/100. मुसनद अहमद:4/335.इब्ने खुज़ैमा:2145.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस मुर्सल है क्योंकि आमिर बिन मसऊद ने नबी(ﷺ) के ज़माना को नहीं पाया और यह इब्राहीम बिन आमिर अल-क़ुर्शी के वालिद हैं जिनसे शोबा और सुफ़ियान सौरी रिवायत करते हैं।

75. بَابُ مَا جَاءَ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}

75 - फ़र्माने इलाही जो लोग फिद्‌या की ताक़त रखते हैं.

798 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ،

798 - सय्यदना सलमा बिन अल अक्वा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि जब आयत ''और वह लोग जो ताक़त रखते हैं उन पर एक मिस्कीन के खाने का फिद्‌या है'' नाजिल हुई

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ} :وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ، حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا.

तो हम में से जो चाहता रोज़ा छोड़ देता और फिद्या दे देता यहाँ तक कि उसके बाद वाली आयतें नाजिल हो कर उस हुक्म को मंसूख कर दिया।

बुख़ारी: 4507. मुस्लिम:1145. अबू दाऊद:2315. निसाई:2316.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। नीज यजीद अबू उबैदा के बेटे और सलमा बिन अक्वा के मौला हैं।

76. بَابُ مَنْ أَكَلَ ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ سَفَرًا

76 - रमज़ान में खाना खा कर सफ़र पर निकलना.

799 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ :أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا، وَقَدْ رُحِلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ، وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ؟ قَالَ: سُنَّةٌ ثُمَّ رَكِبَ.

799 - मुहम्मद बिन काब (رحمه الله) रिवायत करते हैं कि मैं रमज़ान में अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) के पास गया वह सफ़र करना चाहते थे उनकी ऊँटनी को तैयार कर दिया गया और उन्होंने सफ़र के कपड़े पहन लिए थे फिर उन्होंने खाना मंगवा कर खाया तो मैंने उनसे कहा: क्या यह सुन्नत है? उन्होंने फ़रमाया, हाँ। फिर (सवारी) पर सवार हो गए।

सहीह बैहक़ी:4/ 247.

800 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنُ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

800 - मुहम्मद बिन काब (رحمه الله) फ़रमाते हैं मैं रमज़ान में अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) के पास गया (फिर) उन्होंने मज़कूरा रिवायत जैसी हदीस बयान की।

मुहक्क़िक़ ने हुक्म ज़िक्र नहीं किया लेकिन यह भी गुज़िश्ता हदीस की तरह है। तोहफतुल अशराफ़:1473.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और मुहम्मद बिन जाफर बिन अबी कसीर मदीनी और सिक़ह रावी है यह इस्माईल बिन जाफर के भाई हैं जबकि अब्दुल्लाह बिन जाफर नजीह के बेटे हैं। वह अली बिन मदीनी के वालिद थे और उन्हें यह्या बिन मईन ज़ईफ़ कहते हैं: नीज बाज़ उलमा इसी हदीस की तरफ़ रुझान रखते हुए कहते हैं कि मुसाफिर (सफ़र पर) निकलने से पहले अपने घर इफ़्तार कर सकता है। लेकिन शहर या बस्ती की दीवारों से बाहर निकलने तक नमाज़ को कस्र करना जायज़ नहीं है। यह कौल इस्हाक़ बिन इब्राहीम अल-हंज़ली का है।

77 - रोज़ेदार का तोहफा.

77. بَابُ مَا جَاءَ فِي تُحْفَةِ الصَّائِمِ

801 - सय्यदना हसन बिन अली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''रोज़ेदार का तोहफा तेल और अंगेठी है।''

मौज़ू:अबू याला:6763.

801 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ مَأْمُونٍ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تُحْفَةُ الصَّائِمِ الدُّهْنُ وَالمِجْمَرُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। इसकी सनद की कुछ हैसियत नहीं। और हमें सिर्फ़ साद बिन तरीफ़ के तरीक से ही मिलती है। और साद बिन तरीफ़ ज़ईफ़ रावी है। नीज (उमैर बिन मामून को) उमैर बिन मामूम भी कहा जाता है।

तौज़ीह: المجمر : जिसमें किसी चीज़ की धूनी दी जाए, उमूमन लोग खुश्बूदार लकड़ी की धूनी दिया करते थे। (तफसील के लिए अल-कामूसुल वहीद- 278)

78 - ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा कब होती हैं?

78. بَابُ مَا جَاءَ فِي الفِطْرِ وَالأَضْحَى مَتَى يَكُونُ؟

802 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया; ''ईदुल फ़ित्र का दिन वह है जिसमें लोग रोज़ों का इफ़्तार करते हैं और ईदुल अज़्हा (वह दिन है जिसमें) लोग जानवरों को) कुर्बान करते हैं।''

सहीह.

802 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اليَمَانِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا: قُلْتُ لَهُ :مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ؟

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से पूछा कि क्या मुहम्मद बिन मुन्कदिर ने सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से सिमा (सुनना) किया है? उन्होंने फ़रमाया, ''हाँ, (क्योंकि) वह अपनी हदीस में कहते हैं: मैंने आयशा (رضي الله عنها) से सूना, इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से हसन ग़रीब सहीह है।

79 -अगर एतक़ाफ़ के दिन गुजर जाएँ तो

79. بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاعْتِكَافِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ

803 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी अकरम(ﷺ) रमज़ान के आख़िरी दस दिनों में एतकाफ़ कर लिया करते थे आप एक साल एतकाफ़ न कर सके तो आइन्दा साल बीस रातों का एतकाफ़ किया।

सहीह: मुसनद अहमद:3/104. इब्ने खुजैमा: 2226 बैहक़ी:4/314.

803 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है और अहले इल्म ने निय्यत के मुताबिक एतकाफ़ पूरा किए बगैर एतकाफ़ तोड़ देने वाले आदमी के बारे में इख़्तिलाफ़ किया है।

बाज़ उलमा कहते हैं जब उसने अपना एतकाफ़ तोड़ दिया है तो उस पर क़ज़ा वाजिब है और उनकी दलील यह हदीस है कि नबी करीम(ﷺ) एतकाफ़ से निकल गए थे तो आप(ﷺ) ने शव्वाल के दस दिन का एतक़ाफ़ किया था। यह कौल इमाम मालिक का है। बाज़ कहते हैं कि अगर नज़्र का या ऐसा एतकाफ़ नहीं है जिसे उसने अपने ऊपर वाजिब किया है या वह नफ्ली एतकाफ़ है उसे तोड़ दे तो क़ज़ा वाजिब नहीं है अगर अपने तौर पर करना चाहे तो कर सकता है। यह कौल इमाम शाफ़ेई का है। शाफ़ेई (मजीद) फ़रमाते हैं! हज और उम्रा के अलावा किसी भी अमल को शुरू करने के बाद अगर (पूरा होने से पहले) आप उस से निकल जाते हैं तो आप पर क़ज़ा वाजिब नहीं है। नीज इस मसले में अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

80 - क्या एतकाफ़ करने वाला ज़रुरत के तहत बाहर निकल सकता है या नहीं.

80. بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَخْرُجُ لِحَاجَتِهِ أَمْ لَا

804 - सय्यदना आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब एतकाफ़ करते थे तो आप(ﷺ) अपने सरे मुबारक को

804 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ، قِرَاءَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ،

وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنَى إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ.

मेरी तरफ़ झुका देते थे मैं उसे कंघी कर देती। और आप(ﷺ) घर में सिर्फ़ ज़रुरते इंसानी के लिए ही दाख़िल होते थे।

बुख़ारी: 2029. मुस्लिम: 297. अबू दाऊद:2467. इब्ने माजा:633.निसाई:275.

तौज़ीह: ज़रूरते इंसानी से मुराद पेशाब वगैरह की हाजत के लिए।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और बहुत से रावियों ने मालिक बिन अनस से बवास्ता इब्ने शिहाब, उर्वा और अम्रा (दोनों) सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत करते हैं।

लैस बिन साद ने भी इब्ने शिहाब से बवास्ता उर्वा और अम्रा सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से इसी तरह रिवायत की है।

805 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،

805 - (अबू ईसा कहते है:) हमें कुतैबा ने लैस से यही हदीस बयान की है।

सहीह।: तख़रीज के लिए हदीसे साबिक़ देखिए: तोहफतुल अशराफ़: 16579

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: उलमा का इसी पर अमल है कि आदमी जब एतकाफ़ करे तो अपने एतकाफ़ (की जगह) से सिर्फ़ हाजते इंसानी के लिए ही निकले। और उनका इस बात पर इज्मा है कि वह पेशाब-पाखाने की हाजत पूरी करने के लिए निकल सकता है। फिर अहले इल्म ने मोतकिफ़ के बीमार की इयादत करने, जुमा और जनाज़े में शिरकत करने में इख़्तिलाफ़ किया है। नबी करीम(ﷺ) के सहाबा किराम (رضي الله عنهم) और दीगर लोगों में से बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि मरीज़ की इयादत भी कर सकता है, जनाजे के पीछे भी जा सकता है और जुमा में भी शिरकत कर सकता है, बशर्ते कि उसने उस चीज़ की शर्त लगाई हो। सुफ़ियान सौरी और इब्ने मुबारक का भी यही कौल है।

और बाज़ कहते हैं कि उनमें से कोई भी काम नहीं कर सकता और उनके मुताबिक जब किसी ऐसे शहर में है जहां जुमा (का इज्तिमा) होता है तो वह सिर्फ़ जामा मस्जिद में ही एतकाफ़ कर सकता है क्योंकि वह उसके लिए जुमा में शिरकत के लिए एतकाफ़ की जगह से निकलने को मकरूह कहते हैं और जुमा छोड़ने की इजाज़त भी नहीं देते वह कहते हैं: सिर्फ़ जामा मस्जिद में ही एतकाफ़ करे ताकि उसे हाजते इंसानी के अलावा किसी और काम के लिए अपने मोतकिफ़ (एतकाफगाह) से निकलना न पड़े उन उलमा के नज़दीक (हाजते इंसानी के अलावा किसी और काम के लिए निकलना) एतकाफ़ को तोड़ देता है। यह कौल इमाम मालिक और शाफ़ेई (رحمه الله) का है।

इमाम अहमद (ﷺ) फ़रमाते हैं: हदीसे आयशा (ﷺ) की वजह से न मरीज़ की इयादत करे और न ही जनाज़े के पीछे जाए।

इमाम इस्हाक़ फ़रमाते हैं: अगर वह (एतकाफ़ की निय्यत में) उन कामों की शर्त लगा लेता है तो जनाज़े के पीछे जाना और मरीज़ की इयादत करना जायज़ है।

81.بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

81 - रमज़ान के महीने का क़याम.

806 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفُضَيْلِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا، حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ، وَقَامَ بِنَا فِي الخَامِسَةِ، حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهْرِ، وَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ، وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الفَلَاحَ، قُلْتُ لَهُ: وَمَا الفَلَاحُ، قَالَ: السُّحُورُ.

806 - सय्यदना अबू ज़र (ﷺ) फ़रमाते हैं कि हम ने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ रोज़ा रखा तो आप ने हमें (तरावीह की) नमाज़ न पढाई, यहाँ तक कि जबी महीने से सात दिन बाकी रह गए तो आप(ﷺ) ने हमें तिहाई रात गुज़र जाने तक क़याम करवाया, फिर जब छः रातें बाकी रह गई थीं तो क़याम न करवाया और जब पांच रातें रह गयीं तो आधी रात तक क़याम करवाया, हमने आप(ﷺ) से अर्ज़ की : ऐ अल्लाह के रसूल! हमारी आरज़ू है कि बाकी रात भी हमें नफ़ल पढ़ाते तो आप(ﷺ) ने इरशाद फ़रमाया, ''जो शख़्स इमाम के साथ उसके फ़ारिग़ होने तक क़याम करता है उसके लिए पूरी रात का कयाम लिख दिया जाता है '' रावी कहते हैं, फिर हमें आप ने क़याम न करवाया। यहाँ तक कि महीने से तीन रातें रह गयीं और जब तीसरी रात थी तो आप ने नमाज़ पढाई और अपने अहल और बीवियों को बुला कर हमें क़याम करवाया। यहाँ तक कि हमें फलाह के रह जाने का डर लगने लगा। (जुबैर कहते हैं) मैंने उनसे कहा:

फलाह किसे कहते हैं? उन्होंने फ़रमाया, सहरी को।

सहीह: अबू दाऊद: 1375 इब्ने माजा: 327 निसाई: 1364

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज अहले इल्म ने क़यामे रमज़ान के बारे में इख़्तिलाफ़ किया है। बाज़ के मुताबिक वित्र समेत 41 रकअत पढ़े। यह कौल अहले मदीना का है और उनके यहाँ मदीना में इसी पर अमल है। और अक्सर अहले इल्म सय्यदना अली, सय्यदना उमर और दीगर सहाबए किराम (رضي الله عنهم) से मर्वी अहादीस की वजह से कहते हैं कि बीस रकअतें हैं। यह कौल सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक और शाफ़ेई का है। शाफ़ेई मजीद फ़रमाते हैं: मैंने अपने शहर मक्का में इसी तरह (लोगों को) बीस 20 रकअते पढ़तें हुए पाया।

अहमद (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में कई क़िस्म की रिवायात मर्वी हैं और वह इस में कोई फैसला नहीं करते।

इस्हाक़ (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हम उबय बिन काब (رضي الله عنه) की रिवायत की वजह से 41 रकअतों को इख़्तियार करते हैं। नीज इब्ने मुबारक, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) ने माहे रमज़ान में (क़यामे रमज़ान की) नमाज़ इमाम के साथ पढने को पसंद किया है। और शाफ़ेई इस बात को पसंद करते हैं कि जब बन्दा कारी है तो अकेला पढ़े। इस मसले में आयशा, नौमान बिन बशीर, और इब्ने अब्बास से भी अहादीस मर्वी हैं।

82 - (किसी का रोज़ा) इफ़्तार करवाने वाले की फजीलत.

82.بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

807 - सय्यदना ज़ैद बिन ख़ालिद अल-जुहनी(رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, जो शख़्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ़्तार करवाता है (तो) उसके लिए उस (रोज़ा रखने वाले) की तरह ही अज्र होता है जबकि रोजेदार के अपने अज्र से भी कुछ कमी नहीं होती।

सहीह इब्ने माजा: 1476. हुमैदी: 818. मुसनद अहमद: 4/114. इब्ने खुज़ैमा: 2064

807 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

83.بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الفَضْلِ

83 - क़यामे रमज़ान की तरगीब और उसकी फजीलत.

808 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ، وَيَقُولُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

808 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) सहाबए किराम (رضي الله عنهم) को ताकीदी हुक्म दिए बगैर क़यामे रमज़ान की तरगीब देते हुए फ़र्माते, ''जिसने हालते ईमान और उम्मीदे सवाब से रमज़ान (की रातों) का क़याम किया (तो) उसके पहले गुनाह बख्श दिए जायेंगे।'' रसूलुल्लाह(ﷺ) फौत हुए तो यह (क़यामे रमज़ान का) मुआमला इसी (तरीक़े) पर रहा। फिर खिलाफ़ते सय्यदना अबी बकर और सय्यदना उमर (رضي الله عنهما) की शुरू की खिलाफ़त में भी ऐसे ही रहा।

बुख़ारी: 2009. मुस्लिम:759. अबू दाऊद:1371. निसाई:2198.

वज़ाहत: इस मसले में सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है। नीज यह हदीस जोहरी से भी इसी तरह ही बवास्ता आयशा (رضي الله عنها) नबी(ﷺ) से मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

ख़ुलासा

- माहे रमज़ान के रोज़े और क़याम गुनाहों की बख़्शिश का ज़रिया हैं.
- चाँद देख कर रोज़ों की इब्तिदा और इंतिहा होती है।
- इस्तिकबाले रमज़ान के रोज़े मना हैं।
- सहरी खाना बाईसे बरकत है।
- इफ़्तार में जल्दी और सहरी में ताखीर मुस्तहब है।
- मुसाफिर, हामिला और दूध पिलाने वाली रोज़े को क़ज़ा कर सकते हैं.
- मय्यत की तरफ़ से रोज़े रखे जाएँ।
- ख़ुद बख़ुद क़ै आने से रोज़ा नहीं टूटता।
- हालते रोज़ा में सुर्मा और मिस्वाक का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- रमज़ान के अलावा भी नफ़ल रोज़े रखना बाइसे फ़ज़ीलत है।
- सोमवार, जुमेरात, आशूरा, अय्यामे बीज और अ़रफा के दिनों के रोज़े बाइसे फ़ज़ीलत हैं।
- लगातार और पे दर पे रोज़े रखना मना है।
- औरत अपने खाविंद की इजाज़त के बग़ैर नफ़ली रोज़ा नहीं रख सकती।
- हाइज़ा औरत रोज़ा न रखे बल्कि बाद में क़ज़ा करे।
- एतकाफ़ के अहकाम को मद्दे नज़र रखकर एतकाफ़ किया जाए।
- किसी का रोज़ा इफ़्तार करवाना बहुत फ़ज़ीलत वाला अमल है।

मज़मून नंबर- 7

اَبْوَابُ الحَجِّ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

रसूलुल्लाह(ﷺ)से मर्वी हज के अहकाम व मसाइल

तआरुफ़

(116) अबवाब की तकसीम पर मुश्तमिल (156) अहादीसे रसूल में आप पढेंगे कि:

- हज और उम्रा क्या हैं?
- हज और उम्रा के तफ़्सीली अहकामात।
- बैतुल्लाह और उसके साथ जुड़ी चीजों के बारे में मालूमात।
- मक्का की हुर्मत और उसमें आने जाने के आदाब।
- मवाकीते हज व उम्रा कौन कौन से हैं?
- नबी करीम(ﷺ) के हज और उम्रा की तफ़्सीलात?

1 - मक्का की हुर्मत का बयान.

1. بَابُ مَا جَاءَ فِي حُرْمَةِ مَكَّةَ

809 - सईद बिन अबू सईद अल- मक़्बुरी से रिवायत है कि अम्र बिन सईद जब मक्का की तरफ़ लश्करों को भेज रहा था तो अबू शुरैह अदवी ने कहा: ऐ अमीरे मोहतरम मुझे इजाज़त दें मैं आपको वह बात बताता हूँ जिसका बयान करने के लिए रसूलुल्लाह(ﷺ) फ़तहे मक्का के दिन खड़े हुए थे। इस बात को मेरे कानों ने सुना दिल ने याद रखा और आप(ﷺ) को बयान करते हुए मेरी आँखों ने देखा। आप(ﷺ) ने

809 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ العَدَوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ البُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ، أُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغَدَ مِنْ يَوْمِ الفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ

عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ أَنَّهُ: حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، وَلاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فِيهَا دَمًا، أَوْ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكَ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهِ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ. فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ بِذَلِكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الحَرَمَ لاَ يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ، وَلاَ فَارًّا بِخَرْبَةٍ.

अल्लाह की हम्दो सना बयान की फिर फ़रमाया, ''बेशक मक्का को अल्लाह तआला ने हुर्मत वाला बनाया था। लेकिन लोगों ने इसे हुर्मत वाला ना समझा, अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखने वाले शख़्स के लिए इस मक्का में खून बहाना या दरख़्त काटना हलाल नहीं है। अगर कोई शख़्स अल्लाह के रसूल के किताल की वजह से रूख़सत दे तो तुम उस से कहना यकीनन अल्लाह तआला ने अपने रसूल को तो इजाज़त दी थी लेकिन तुम्हें इजाज़त नहीं दी और अल्लाह तआला ने मुझे भी दिन की एक घड़ी में इजाज़त दी थी और आज इसकी हुर्मत ऐसे ही वापस आ गई है जिस तरह कल उसकी हुर्मत थी और यहाँ पर हाज़िर शरीक शख़्स को चाहिए कि गैर मौजूद शख़्स को बात पहुंचा दे।'' रावी कहते हैं:) अबू शुरैह से पूछा गया कि अम्र बिन सईद ने आपको जवाब देते हुए क्या कहा?'' उसने कहा: ''ऐ अबू शुरैह! मैं इस बात को आप से भी ज़्यादा जानता हूँ! लेकिन हरम किसी नाफ़रमान, क़त्ल करके भागे हुए और जुर्म करके भागे हुए को पनाह नहीं देता।

बुख़ारी: 104. मुस्लिम: 1354. निसाई:2876.

तौज़ीह: فارا بدم : खून करके यानी क़त्ल करके भागने वाला। بِخَرْبَةٍ : का असल मानी ऊँट चोरी करना है लेकिन यह हर क़िस्म के कुसूर और ज़ुर्म पर भी इस्तेमाल होता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ''ज़िल्लत के साथ भागा हुआ'' के अलफ़ाज़ भी मर्वी हैं। नीज इस मसले में अबू हुरैरा और सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنهم) से भी हदीसें मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू शुरैह (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और अबू शुरैह अल-ख़ुज़ाई का नाम खुवैलिद बिन अम्र (رضي الله عنه) था, अल-अदवी और अल-काबी हैं।

: فارا خرة का मानी ज़ुर्म है इसका मतलब यह था कि जो शख़्स ज़ुर्म या क़त्ल करके हरम की तरफ़ आ जाए तो उस पर हद काइम की जाएगी।

2. हज और उम्रा का सवाब

2 - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثواب الحج والعمرة

810 - अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''पे दर्पे हज और उम्रा करते रहो क्योंकि यह दोनों फक्र और गुनाहों को ऐसे ख़त्म कर देते हैं जैसे भट्टी लोहे, सोने और चांदी की मैल को ख़त्म कर देती है और हज्जे मबरूर का सवाब और बदला जन्नत ही है।''

हसन सहीह: निसाई:2631. मुसनद अहमद:1/387. अबू याला:4976.

810 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الجَنَّةُ.

तौज़ीह: पे दर पे यानी हज के बाद उम्रा और उम्रा के बाद हज बहुत अजीम अमल है। (الْمَبْرُورَة) वह हज जिसमें गलतियों और माआसी का इर्तिकाब ना किया जाए अहकामात को सामने रख कर मनासिके हज अदा किए जाएँ। रफ़स, फिस्क और फुजूर से बचा जाए ऐसा हज ही अल्लाह के यहाँ मकबूल होता है और उसे ही हज्जे मबरूर कहा जाता है।

वज़ाहत: इस मसले में सय्यदना उमर, सय्यदना आमिर बिन रबीया, सय्यदना अबू हुरैरा, सय्यदना अब्दुल्लाह बिन हुब्शी, सय्यदा उम्मे सलमा और सय्यदना जाबिर (رضي الله عنهم) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) की हदीस अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) की सनद से हसन सहीह है।

811 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

811 - सय्यदना अबू हुरैरा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जिसने इस तरह से हज किया कि उसमें न शहवत की बातें कीं और ना ही नाफ़रमानी की तो उसके पहले गुनाहों को बख़्श दिया जाता है। ''

बुख़ारी: 1521. मुस्लिम: 1350.इब्ने माजा: 2889. निसाई:2627.

तौज़ीह: رفث : से मुराद शहवत का हर वह काम और बात है जो आदमी को अपनी बीवी से मतलूब हो।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है और अबू हाजिम कूफी अल-अश्जई हैं उनका नाम सलमान था (और) उज़्ज़ा अल-अश्जइया के आज़ादकर्दा थे।

3- بَابُ مَا جَاءَ فِي التغليظ فی ترك الحج

3.(ताक़त के बावजूद) हज न करने की सज़ा.

812 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى القُطَعِيُّ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ البَاهِلِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.}

812 - सय्यदना अली (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जो शख़्स सफ़र के खर्च और बैतुल्लाह तक पहुंचा देने वाली सवारी का मालिक होने के बावजूद हज नहीं करता तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह यहूदी हो कर मरे या ईसाई होकर उसकी वजह यह है कि अल्लाह तआला अपनी किताब में फ़रमाते हैं: ''(तर्जुमा) और अल्लाह के लिए उन लोगों पर जो उसके घर की तरफ़ रास्ते के कूच की ताक़त रखते हैं हज करना फ़र्ज़ है। ''(आले इमरान: 97)

ज़ईफ़: अख़रजहू बज़्ज़ार: 861. व इब्ने अदी: 7/2580.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस ग़रीब है और इसकी सनद में गुफ्तगू की गई है (क्योंकि) हिलाल बिन अब्दुल्लाह मजहूल है और हारिस को हदीस में ज़ईफ़ कहा गया है।

4. بَابُ مَا جَاءَ فِي إِيجَابِ الحَجِّ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ

813 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يُوجِبُ الحَجَّ؟ قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ.

4 - जादे राह और सवारी हो तो हज वाजिब होता है।

813 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी(ﷺ) के पास आकर कहने लगा : ऐ अल्लाह के रसूल! हज को कौन सी चीज़ वाजिब करती है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जादे राह और सवारी''

ज़ईफ़: जिद्दा: इब्ने माजा:2896.

तौज़ीह: यानी जिसके पास रास्ते का ख़र्च मक्का में रहने के लिए राशन वग़ैरह और आने जाने के लिए सवारी का ख़र्च हो।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और उलमा का इसी पर अमल है कि आदमी जब जादे राह और सवारी का मालिक बन जाता है तो उस पर हज वाजिब हो जाता है। इब्राहीम इब्ने यजीद अल-खुजी अल-मक्की है बाज़ उलमा ने उसके हाफ़ज़े की वजह से कलाम की है।

5. بَابُ مَا جَاءَ كَمْ فُرِضَ الحَجُّ

814 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ، فَقَالُوا:

5 - हज कितनी दफा फ़र्ज़ है?

814 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं जब आयत (तर्जुमा) ''और अल्लाह के लिए उन लोगों पर जो उसके घर की तरफ़ रास्ते के ख़र्च की ताक़त रखते हैं हज करना फ़र्ज़ है। ''नाज़िल हुई तो सहाबए किराम (رضي الله عنهم) ने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हर साल फ़र्ज़ है? तो आप(ﷺ) खामोश रहे उन्होंने फिर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हर साल?

يَا رَسُولَ اللهِ، أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: لاَ، وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ, لَوَجَبَتْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ.}

आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''नहीं, अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल वाजिब हो जाता.'' फिर अल्लाह तआला ने यह आयात (तर्जुमा) '' ऐ ईमान वालो! ऐसी चीजों के बारे में मत पूछो जो अगर ज़ाहिर कर दी जाएँ तो तुम्हें बुरी लगें.'' (अल- माइदा : 101) नाजिल फर्मा दी.

ज़ईफ़: इब्ने माजा:2884. मुसनद अहमद:1/ 113. अबू याला:517.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी रिवायत मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: कि इस सनद से सय्यदना अली (رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है। और अबू अल- बख्तरी का नाम सईद बिन अबू इमरान था। उसे ही सईद बिन फ़िरोज़ कहते हैं।

6.بَابُ مَا جَاءَ كَمْ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ

6 - नबी(ﷺ)ने कितने हज किए?

815 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَجَّ ثَلاَثَ حِجَجٍ، حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، وَحَجَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ، وَمَعَهَا عُمْرَةٌ، فَسَاقَ ثَلاَثَةً وَسِتِّينَ بَدَنَةً، وَجَاءَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبَقِيَّتِهَا فِيهَا جَمَلٌ لأَبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَنَحَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبِضْعَةٍ، فَطُبِخَتْ، وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا.

815 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने तीन हज किए थे: दो हज हिजरत से पहले और एक हज हिजरत के बाद किया, इस हज के साथ उम्रा भी था। आप(ﷺ) 63 ऊँट ले कर गए और बाकी ऊँट सय्यदना अली (رضي الله عنه) यमन से लाए थे। उन में अबू जहल का एक ऊँट भी था जिसकी नाक में चांदी का कड़ा था। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन ऊंटों को ज़बह किया और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हर एक ऊँट के गोश्त के टुकड़े के बारे में हुक्म दिया तो इसे जमा कर के पकाया गया और आप ने इसका शोरबा पिया।

सहीह: इब्ने माजा: 3076. इब्ने खुज़ैमा:3056.

तौज़ीह: بُرَةٌ : नाक में डाला जाने वाला वह कड़ा या नकेल जिसके साथ लगाम को बांधा जाता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सुफ़ियान की सनद से (साबित) यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ ज़ैद बिन हुबाब से ही जानते हैं। और मैंने देखा कि अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अपनी किताबों में इस हदीस को अब्दुल्लाह बिन अबी ज़ियाद से रिवायत करते थे। और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) से इस बारे में पूछा तो वह भी सौरी की हदीस को जाफ़र से उनके बाप के वास्ते से सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) से नहीं पहचानते थे। और मैंने उन्हें देखा कि वह इस हदीस को महफ़ूज़ शुमार नहीं करते थे। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं:सौरी से बवास्ता अबू इस्हाक़, मुजाहिद से मुर्सल भी रिवायात की जाती है।

815 - م- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ :كَمْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: حَجَّةً وَاحِدَةً، وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةٌ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةُ الحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ، وَعُمْرَةُ الجِعِرَّانَةِ، إِذْ قَسَّمَ غَنِيمَةَ حُنَيْنٍ.

815 – क़तादा (رحمه الله) रिवायत करते हैं कि मैंने सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से कहा कि नबी करीम(ﷺ) ने कितने हज किए थे? तो उन्होंने फ़रमाया, ''एक हज किया था और चार उम्रा किए थे एक उम्रा ज़ुलकादा में, एक उम्रा हुदैबिया, एक उम्रा अपने हज के साथ और एक हुनैन की गनीमतें तक़सीम करके जिअराना से एहराम बाँध कर किया था।

बुख़ारी: 1778. मुस्लिम: 1253. अबू दाऊद: 1994

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज हिब्बान बिन हिलाल और अबू हबीब अल-बसरी जलीलुल क़द्र सिक़ह रावी हैं। यह्या बिन सईद अल-क़त्तान ने उनको सिक़ह कहा है।

7. بَابُ مَا جَاءَ كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

7- नबी करीम (ﷺ)ने कितने उमरा किए थे?

816 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةَ الحُدَيْبِيَةِ،

816 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने चार उम्रा किए थे: एक उम्रा हुदैबिया और दूसरा उम्रा आइन्दा साल ज़ुलकादा में किसास के उम्रा के तौर पर किया था और तीसरा उम्रा जिअराना से

وَعُمْرَةَ الثَّانِيَةِ مِنْ قَابِلٍ، وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةَ الثَّالِثَةِ مِنَ الجِعِرَّانَةِ، وَالرَّابِعَةِ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ.

(एहराम बाँध कर) और चौथा वह था जो अपने हज के साथ किया था।

सहीह: अबू दाऊद: 1993. इब्ने माजा: 303.

तौज़ीह: गो सुलह होने के बाद आप(ﷺ) को हुदैबिया से वापस मदीना आना पड़ा था लेकिन आप(ﷺ) ने वहीं पर सर मुंडवा कर एहराम खोल दिया था इस लिए इसे उम्रा का नाम दिया जाता है।

वज़ाहत: इस मसले में अनस, अब्दुल्लाह बिन अम्र और इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन ग़रीब है और इब्ने उयय्ना ने इस हदीस को अम्र बिन दीनार से बवास्ता इक्रिमा बयान किया है कि नबी करीम(ﷺ) ने ने चार उम्रा किए इस में इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) का ज़िक्र नहीं है।

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(अबू ईसा फ़रमाते है) हमें यही रिवायत सईद बिन अब्दुर्रहमान अल- मख्जूमी ने (वह कहते हैं:) हमें सुफ़ियान बिन उयय्ना ने बवास्ता अम्र बिन दीनार इक्रिमा से रिवायत की है कि नबी करीम(ﷺ) ने आगे इसी तरह ज़िक्र किया।

8. بَابُ مَا جَاءَ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ أَحْرَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

8 - नबी करीम (ﷺ) ने कहाँ से एहराम बांधा था?

817 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَجَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَلَمَّا أَتَى البَيْدَاءَ أَحْرَمَ.

817 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि जब नबी(ﷺ) ने हज का इरादा किया तो लोगों में ऐलान करवाया वह जमा हो गए जब आप(ﷺ) बैदा जगह पर पहुंचे आप ने एहराम बांधा (या तल्बिया शुरू किया)

मुस्लिम: 1218. अबू दाऊद: 1905. इब्ने माजा: 3047.

तौज़ीह: एहराम का मानी एहराम बांधना भी है और तल्बिया कहना भी इसी तरह एहलाल में भी दोनों मानी पाए जाते हैं। बहुत सी अहादीस से साबित है कि आप(ﷺ) ने एहराम ज़ुल-हुलैफ़ा से ही बांधा था और इसी को अहले मदीना के लिए मीकात मुक़र्रर किया है। तो इन अहादीस के दर्मियान तत्बीक़ की सूरत यह है कि आप(ﷺ) ने ज़ुल-हुलैफ़ा में एहराम बांधा था और बैदा पहुँच कर तल्बिया शुरू किया था।— (अल्लाह तआला बेहतर जानता है)

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, अनस और मिस्वर बिन मख्रमा (رضي الله عنهم) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

818 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الْبَيْدَاءُ الَّتِي يَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهِ مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ.

818 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि बैदा के मुताल्लिक़ तुम लोग रसूलुल्लाह(ﷺ) पर झूठ बोलते हो अल्लाह की क़सम! रसूलुल्लाह(ﷺ) ने (ज़ुल-हुलैफ़ा) की मस्जिद के करीब दरख़्त के पास एहराम बांधा था।

बुख़ारी: 1541. मुस्लिम: 1186. अबू दाऊद:1771. निसाई:2757.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

9. بَابُ مَا جَاءَ مَتَى أَحْرَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

9 - नबी करीम(ﷺ)ने किस वक़्त एहराम बांधा था.

819 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ.

819 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने नमाज़ के बाद एहराम बांधा था।

ज़ईफ़: निसाई: 2754. मुसनद अहमद: 2/285. दारमी: 1813. अबू याला:2512.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। अब्दुस्सलाम बिन हर्ब के अलावा हम किसी को नहीं जानते जिसने इसे रिवायत किया हो। और अहले इल्म इसी को मुस्तहब कहते हैं कि आदमी नमाज़ के बाद एहराम बांधे।

10 - हज्जे इफ़राद का बयान

10. بَابُ مَا جَاءَ فِي إِفْرَادِ الحَجِّ

820 - सय्यदा आयशा (ﷺ) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सिर्फ़ हज (का एहराम बाँध कर हज) किया था।

मुस्लिम: 1211. अबू दाऊद: 1777. इब्ने माजा:2964. निसाई: 2715.

820 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قِرَاءَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الحَجَّ.

तौज़ीह: इस्तिलाह में इसे हज्जे इफ़राद या मुफ़रद कहा जाता है। यह वह हज होता है जिसमें हज का ही एहराम बांधा जाए, उम्रा करने का इरादा या निय्यत ना हो।

वजाहत: इस मसले में जाबिर और इब्ने उमर (ﷺ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: सय्यदा आयशा (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। और बाज़ उलमा के नज़दीक इसी पर अमल है। नीज सय्यदना इब्ने उमर (ﷺ) से भी मर्वी है कि नबी करीम(ﷺ) ने हज्जे इफ़राद किया और अबू बकर, उमर व उस्मान (ﷺ) ने भी इफ़राद किया था।

(अबू ईसा कहते हैं:) हमें कुतैबा ने (वह कहते हैं:) हमें अब्दुल्लाह बिन नाफ़े अस- साइग ने उबैदुल्लाह बिन अम्र से बवास्ता नाफ़े सय्यदना इब्ने उमर (ﷺ) से यही रिवायत बयान की है।

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا.

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) कहते हैं: सौरी फ़रमाते हैं: अगर आप हज्जे इफ़राद करें तो ठीक है और अगर किरान करें तो भी बेहतर है और अगर तमत्तोअ़ करें तो भी बेहतर है। इमाम शाफ़ेई भी ऐसे ही फ़रमाते हैं और कहते हैं: हमें सब से ज़्यादा महबूब हज्जे इफ़राद है फिर तमात्तोअ फिर किरान।

11 - हज और उम्रा इकट्ठे (एक ही एहराम में) करना.

11. بَابُ مَا جَاءَ فِي الجَمْعِ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

821 - सय्यदना अनस (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को सुना आप फ़रमा रहे थे: ''ऐ अल्लाह! मैं हज और उम्रा के (इरादे के) साथ हाज़िर हूँ।''

बुख़ारी: 1551. मुस्लिम: 1232.अबू दाऊद: 1795. इब्ने माजा:2964. निसाई:2729.

821 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ.

तौज़ीह: इस्तिलाह में इसे हज्जे किरान कहा जाता है। किरान का मानी है मिलाना या जोड़ना तो इसमें हज और उम्रा को मिला कर इकट्ठा एहराम बांधा जाता है इसी लिए इसको किरान का नाम दिया गया है।

वज़ाहत: इस मसले में उमर और इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) से भी हदीसें मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदना अनस (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और बाज़ उलमा का भी यही मज़हब है। नीज अहले कूफा और दीगर लोग भी इसे ही अपनाते हैं।

12 - हज्जे तमत्तोअ का बयान

12. بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ

822 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) सय्यदना अबू बकर, सय्यदना उमर और सय्यदना उस्मान (رضي الله عنه) ने हज्जे तमत्तोअ किया था और सब से पहले इससे सय्यदना मुआविया (رضي الله عنه) ने मना किया था।

ज़ईफुल इस्नाद: निसाई:2737. मुसनद अहमद: 1/292.इब्ने अबी शैबा: 14/97.

822 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ.

तौज़ीह: तमत्तोअ का मानी है फ़ायदा या नफ़ा हासिल करना इस हज को तमत्तोअ इस लिए कहा जाता है कि हज करने वाला पहले सिर्फ़ उम्रा का एहराम बांधता है, फिर बैतुल्लाह पहुँच कर उम्रा करके एहराम खोल कर एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाता है इस दौरान वह अपनी बीवी से मुबाशिरत

वगैरह कर सकता है। और फिर आठ ज़ुल-हिज्जा को हज का एहराम बाँध लेता है। इस तरह हज और उम्रा भी हो गया और दर्मियान में एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो कर फ़ायदा भी हासिल कर लिया।

वज़ाहत: इस मसले में सय्यदना अली, सय्यदना उस्मान, सय्यदना साद, सय्यदा अस्मा बिन्ते अबी बकर और सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं।

823 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: لاَ يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلاَّ مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ.

823 - मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन नोफल (رحمه الله) बयान करते हैं कि उन्होंने साद बिन अबी वक्क़ास और ज़ह्हाक बिन कैस (رضي الله عنه) को उम्रा से हज तक फ़ायदा हासिल करने का तज़किरा करते हुए सुना। ज़ह्हाक कह रहे थे कि यह काम वही करता है जो अल्लाह तआला के हुक्म को नहीं जानता तो साद (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, ''ऐ भतीजे तुमने बुरी बात कही है। ज़ह्हाक बिन कैस ने कहा, उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) ने तो इस से रोक दिया था तो साद (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, ''ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तो इस (तमत्तोअ) को किया था और हमने भी आप के साथ किया था।

ज़ईफुल इस्नाद: निसाई: 2734. दारमी: 1821. मुसनद अहमद: 1/ 174.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

824 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ

824 - सालिम बिन अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं कि उन्होंने शाम वालों में से एक आदमी को अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से तमत्तोअ के बारे में पूछते हुए सुना तो अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, यह हलाल है। तो उस शामी ने कहा: आप के वालिद उमर (رضي الله عنه) ने तो इस से मना कर दिया था। तो अब्दुल्लाह बिन उमर

ال تَّمَتُّعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: هِيَ حَلَالٌ، فَقَالَ الشَّامِيُّ: إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ؟ أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(ﷺ) ने फ़रमाया, तुम यह बतलाओ कि अगर मेरे बाप ने मना किया है। और ख़ुद रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इस काम को किया है क्या मेरे बाप के हुक्म की पैरवी की जाएगी? या अल्लाह के रसूल के हुक्म की? उस आदमी ने कहा: रसूलुल्लाह(ﷺ) के हुक्म की, तो (अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) ने फ़रमाया, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने यह किया था।

सहीह मुसनद अहमद: 2/95. अबू याला: 5451. बैहक़ी:5/21.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास की हदीस (हदीस नम्बर 822) हसन है। नीज नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म लोगों की एक जमाअत ने उम्रा के साथ फ़ायदा उठाने को पसंद किया है।

और तमत्तोअ यह है कि आदमी हज के महीनों में उम्रा करे, फिर हज करने तक क़याम करे यह तो तमत्तोअ करने वाला होता है और उस पर जो भी मयस्सर हो कुर्बानी करना वाजिब है। अगर कुर्बानी नहीं मिलती तो तीन रोज़े (अय्यामे) हज में और सात रोज़े घर आने पर और तमत्तोअ करने वाले पर मुस्तहब अमल यह है कि जब वह अय्यामे हज में तीन रोज़े रखे तो पहले अशरा में रखे और आख़िरी रोज़ा अ़रफा का होना चाहिए। अगर वह इब्तिदाई अशरे में नहीं रख सका तो नबी करीम(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में अहले इल्म जिन में सय्यदना इब्ने उमर और आयशा (ﷺ) भी हैं के मुताबिक अय्यामे तशरीक में रोज़े रख ले। इमाम मालिक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) भी यही कहते हैं।

बाज़ कहते हैं कि अय्यामे तशरीक में रोज़े न रखे यह कौल अहले कूफा का है। इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: अहलुल हदीस (यानी मुहद्दिसीन) हज में उम्रा के साथ तमत्तोअ करने को पसंद करते हैं। इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और इमाम इस्हाक़ (ﷺ) का भी यही कौल है।

13.بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّلْبِيَةِ

825 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ تَلْبِيَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ.

13 - तल्बिया का बयान.

825 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी करीम(ﷺ) का तल्बिया यह था : ''हाज़िर हूँ मैं ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ तेरा कोई शरीक नहीं मैं हाज़िर हूँ, बेशक तारीफ़ और नेमत तेरी ही है और बादशाहत भी, तेरा कोई शरीक नहीं।''

बुख़ारी: 1549. मुस्लिम:1184. अबू दाऊद: 1812. इब्ने माजा: 2918. निसाई:2747.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, जाबिर, आयशा, इब्ने अब्बास और अबू हुरैरा (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और नबी करीम(ﷺ) के सहाबए किराम (رضي الله عنهم) और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है। सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है।

इमाम शाफ़ेई मजीद फ़रमाते हैं: अगर तल्बिया में अल्लाह तआला के ताजीमी कलिमात और भी बढ़ा दें तो अगर अल्लाह ने चाहा तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुझे यही बात ज़्यादा पसंद है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के तल्बिया पर इक्तिफा किया जाये। शाफ़ेई कहते हैं कि हमने जो ये कहा है कि अल्लाह तआला के ताज़ीमी कलिमात का इज़ाफ़ा करने में कोई बुराई नहीं है ये इस वजह से कहा है कि सय्यदना इब्ने उमर(رضي الله عنه) से मर्वी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से तल्बिया याद किया था और इब्ने उमर ने इसके बावजूद तो तल्बिया में अपनी तरफ़ से لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ का इजाफा किया।

826 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَهَلَّ فَانْطَلَقَ يُهِلُّ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ.

826 - नाफ़े रिवायत करते हैं कि सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) ने तल्बिया कहा तो इस तरह कहने लगे: ''मैं हाजिर हूं ऐ अल्लाह! मैं हाजिर हूं तेरा कोई शरीक नहीं मैं हाजिर हूं, बेशक हर तारीफ़ और नेअमत तेरी है और बादशाहत भी, तेरा कोई शरीक नहीं।''

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: هَذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يَزِيدُ مِنْ عِنْدِهِ فِي أَثَرِ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ.

रावी कहते हैं अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) फ़रमाया करते थे कि यह रसूलुल्लाह(ﷺ) का तल्बिया है। और रसूलुल्लाह(ﷺ) के तल्बिया के बाद अपनी तरफ़ से (यह अलफ़ाज़) बढ़ाते थे: ''मैं हाजिर हूं और तेरी खिदमत में (हुक्म बजा लाने को) हाजिर हूँ, भलाई तेरे दोनों हाथों में है, तेरी तरफ़ ही रगबत है और अमल भी (तेरे लिए ही है)।''

मुस्लिम: 1184. अबू दाऊद: 1812. इब्ने माजा:2918. निसाई:2850.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

14. بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّلْبِيَةِ وَالنَّحْرِ

14 - तल्बिया और कुर्बानी की फजीलत.

827 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ (ح) وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: العَجُّ وَالثَّجُّ.

827 - सय्यदना अबू बकर सिद्दीक (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा गया: कौनसा हज ज़्यादा फ़ज़ीलत वाला है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जिस में आवाज़ बलंद करके तल्बिया कहा जाए और कुर्बानी के जानवर का खून बहाया जाए।''

सहीह: इब्ने माजा: 2924. दारमी:1804. इब्ने खुजैमा:2631.

तौज़ीह: الحج : तल्बिया को बाआवाज़े बलंद कहना और الثج : जानवर के खून को बहाना।

828 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلاَّ لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ

828 - सय्यदना सहल बिन साद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जब कोई मुसलमान तल्बिया कहता है तो उसके दायें बाएं जानिब इधर उधर से ज़मीन की इंतिहा तक पत्थर, दरख़्त या

عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ، أَوْ شَجَرٍ، أَوْ مَدَرٍ، حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا.

कंकरीली मिट्टी भी तल्बिया कहती है।''

सहीह: इब्ने माजा:2921. इब्ने खुज़ैमा: 2634. हाकिम: 1/451.

वज़ाहत: (अबू ईसा (رحمه الله) फ़रमाते हैं:) हमें हसन बिन मुहम्मद अज्ज़फरानी और अब्दुर्रहमान बिन अस्वद अबू अम्र अल-बसरी दोनों ने बयान किया है कि हमें उबैदा बिन हुमैद ने उमारा बिन गाज़िया से (उन्होंने) अबू हाज़िम से बवास्ता सहल बिन साद (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) की हदीस इस्माईल बिन अयाश की रिवायत की तरह बयान की है।

इस मसले में इब्ने उमर और जाबिर (رضي الله عنهم) से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अबू बकर (رضي الله عنه) की हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इब्ने अबी फुदैक से बवास्ता ज़ह्हाक बिन उस्मान ही जानते हैं। और मुहम्मद बिन मुन्कदिर ने अब्दुर्रहमान बिन यर्बू से सिमा (सुनना) नहीं किया। नीज मुहम्मद बिन मुन्कदिर ने सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन यर्बू के वास्ते के साथ उनके बाप से इस हदीस के अलावा (और अहादीस) रिवायत की हैं, और अबू नुऐम अत्ताहान जिरार बिन सुर्द ने इब्ने अबी फुदैक से बवास्ता ज़ह्हाक बिन उस्मान बिन मुन्कदिर के हवाले से सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन यर्बू से उनके बाप के ज़रिया अबू बकर (رضي الله عنه) से नबी(ﷺ) की यह हदीस रिवायत की है। और इसमें जिरार बिन सुर्द ने ग़लती की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मैंने सुना इमाम अहमद बिन हंबल फ़रमा रहे थे जिसने इस हदीस (की सनद) में मुहम्मद बिन मुन्कदिर अन इब्ने अब्दुर्रहमान बिन यर्बू अन अबीह कहा तो उसने ग़लती की। (तिर्मिज़ी कहते हैं: मैंने इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी को ज़िरार बिन सुर्द की इब्ने फुदैक से बयान कर्दा हदीस ज़िक्र की तो उन्होंने फ़रमाया, यह कुछ भी नहीं है क्योंकि लोगों ने इसे इब्ने अबी फुदैक से रिवायत की है और इसकी सनद में सईद बिन अब्दुर्रहमान का ज़िक्र नहीं किया। (और फ़रमाते हैं:) मैंने (बुख़ारी को) ज़िरार बिन सुर्द को ज़ईफ़ कहते देखा। नीज الحج का मानी बलंद आवाज़ से तल्बिया कहना और الثج का मानी ऊंटों को कुर्बानी करना है।

15. بَابُ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

15 - तल्बिया बलंद आवाज़ से कहना.

829 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ

829 - खल्लाद बिन साइब बिन खल्लाद (رحمه الله) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''मेरे पास जिब्रील (अलैहिस्सलाम) आए (और) मुझे

الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ خَلاَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلاَلِ وَالتَّلْبِيَةِ.

हुक्म दिया कि मैं अपने सहाबा को हुक्म दूँ कि वह तल्बिया कहते वक़्त अपनी आवाजों को बलंद करें।''

सहीह अबू दाऊद: 1814. इब्ने माजा:2922. निसाई: 2753.

वज़ाहत: इस मसले में ज़ैद बिन ख़ालिद, अबू हुरैरा और इब्ने अब्बास (رضي الله عنهم) से भी रिवायात मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: खल्लाद की अपने वालिद से बयान कर्दा हदीस हसन सहीह है और बाज़ ने यह हदीस खल्लाद बिन साइब से बवास्ता ज़ैद बिन ख़ालिद (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से रिवायत की है, लेकिन वह सहीह नहीं है। और सहीह वही है जिसे खल्लाद बिन साइब अपने वालिद से रिवायत करते हैं और यह खल्लाद बिन साइब बिन खल्लाद बिन सुवैद अल-अंसारी हैं (जो) अपने बाप (साइब बिन खल्लाद) से रिवायत करते हैं।

16. بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِغْتِسَالِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

16 - एहराम बांधते वक़्त गुस्ल करना.

830 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَدَنِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلاَلِهِ وَاغْتَسَلَ.

830 - खारिजा बिन ज़ैद बिन साबित अपने बाप (सय्यदना ज़ैद बिन साबित(رضي الله عنه)) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी(ﷺ) को देखा आप(ﷺ) ने एहराम बाँधने के लिए कपड़े उतारे और गुस्ल किया।

सहीह लिग़ैरिही: अल-इर्वा: 1/178. तोहफतुल अशराफ़:3710.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और उलमा की एक जमाअत एहराम के वक़्त गुस्ल करने को मुस्तहब कहती है। शाफ़ेई का भी यही कौल है।

17 - दीगर ममालिक वालों के लिए एहराम बाँधने की जगह (1).

17. بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوَاقِيتِ الإِحْرَامِ لأَهْلِ الآفَاقِ

831 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने कहा: ''ऐ अल्लाह के रसूल! हम कहाँ से एहराम बांधें?'' आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''मदीना वाले ज़ुल-हुलैफ़ा[2] से शाम वाले जुहफ़ा[3] से, नज्द वाले कर्न[4] से और यमन वाले यलम्लम[5] से एहराम बांधें।''

सहीह बुख़ारी: 133. मुस्लिम:1182. अबू दाऊद:1737. इब्ने माजा:2914. निसाई:2651. तोहफतुल अशराफ़:7593.

831 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: مِنْ أَيْنَ نُهِلُّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ..

तौज़ीह: (1)مواقيت جمع ميقات : इस्तिलाह में हज व उम्रा के एहराम बाँधने के लिए मुक़र्रर की गई जगह को कहते हैं। (2) मदीना से तीन फ़रसख (नौ मील) के फ़ासले पर वाक़ेअ है इसका मौजूदा नाम बीरे अली (अली का कुवां) है। (3) शाम और मिस्र की तरफ़ से आने वालों के लिए है इसका नया नाम राबिग़ है। (4) नज्द और तायफ़ वालों के लिए मुक़र्रर किया गया मीकात है और इसे कर्नुल मनाज़िल और कर्नुस्सआलिब भी कहा जाता है। (5) यमन वालों के लिए इसी तरह जो लोग इधर से गुजरेंगे बर्रे सगीर वालों का मीकात भी यलमलम ही है।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, और अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की यह हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी पर अमल है।

832 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी करीम(ﷺ) ने मशरिक़ वालों के लिए अक़ीक़[1] को मीकात

832 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَشْرِقِ العَقِيقَ.

मुक़र्रर किया था

मुन्कर : ज़ाते अर्क सहीह है। अबू दाऊद: 1740 मुसनद अहमद: 1/344. बैहक़ी:5/28.

तौज़ीह: (1) इराक़ और मशरिक़ वालों के लिए ज़ाते अर्क को मुक़र्रर किया गया है शायद यह जगह भी उसके क़रीब है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है और मुहम्मद बिन अली यह अबू जाफर मुहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब हैं।

18. بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُهُ

18 - एहराम वाले को क्या चीजें पहनना जायज़ नहीं है।

833 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ :قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الحَرَمِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ الخِفَافَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلاَ الوَرْسُ، وَلاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الحَرَامُ، وَلاَ تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ.

833 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि एक आदमी खड़ा हुआ (और) कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप हमें हालते एहराम में किन कपड़ों को पहनने का हुक्म देते हैं? अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, ''तुम क़मीस शलवार या पजामा टोपी वाला कोट पगड़ी और मोज़े न पहनो, हाँ अगर किसी के पास जूते न हों तो वह मोज़े पहन ले और टखनों के नीचे से उनको काट लेना चाहिए। और न ही ऐसे कपड़े पहनो जिनको ज़ाफ़रान या वर्स लगी हो और एहराम वाली औरत न नक़ाब करे और न ही दस्ताने पहने।''

बुख़ारी:134. मुस्लिम:1177. निसाई:2666.

तौज़ीह: البرانس : इसके मुख़्तलिफ़ मआनी किए जाते हैं: बड़ी टोपी को भी बुर्नुस कहते हैं, इसी तरह वह कोट जिसके साथ सर ढांपने वाला हिस्सा जुदा हो वह भी बुर्नुस कहलाता है। البرانس की वाहिद برنس है। (तफसील के लिए देखिये अल-क़ामूसुल वहीद- पृष्ठ- 162.

इसका मतलब यह नहीं है कि औरत अपना चेहरा नंगा रखे, बल्कि औरत को हालते एहराम में भी चेहरा ढांपना ज़रूरी है इसका मतलब यह है कि जिस तरह गाउन और इस्कार्फ़ के ऊपर से अलग नकाब बांधा जाता है वह ना बांधे बल्कि वैसे ही चादर के साथ घूघंट वगैरह करले।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी पर अमल है।

19. بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ السَّرَاوِيلِ وَالْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ وَالنَّعْلَيْنِ

19 - जब एहराम बाँधने वाले के पास तहबन्द और जूते न हों तो वह सलवार और जूते पहन सकता है।

834 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُحْرِمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ.

834 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना एहराम बाँधने वाले को जब तहबन्द न मिले वह सलवार पहन ले और जब उसे जूते ना मिलें तो वह मोज़े पहन ले।

बुख़ारी: 1841. मुस्लिम: 1178. अबू दाऊद: 1829. इब्ने माजा:2931. निसाई:2671.

वज़ाहत: (अबू ईसा (رحمه الله) फ़रमाते हैं:) हमें कुतैबा ने (वह कहते हैं) हमें हम्माद बिन ज़ैद ने अम्र से इस जैसी हदीस रिवायत की है। इस मसले में इब्ने उमर और जाबिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और बाज़ अहले इल्म इसी के मुताबिक़ अमल करते हुए कहते हैं जब एहराम बाँधने वाले को तहबन्द (इज़ार) न मिले (तो) वह सलवार पहन ले और जब जूते न मिलें तो मोज़े पहन ले, यही कौल इमाम अहमद का है।

और बाज़ उलमा इब्ने उमर (رضي الله عنه) की नबी करीम(ﷺ) से रिवायतकर्दा हदीस की बिना पर कहते हैं कि जब उसे जूते ना मिलें तो मोज़े पहन ले (लेकिन) उन्हें टखनों के नीचे से काट दे। यह कौल सुफ़ियान सौरी और शाफ़ेई का है नीज इमाम मालिक भी यही कहते हैं।

20. بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ أَوْ جُبَّةٌ

20 - जो शख़्स क़मीस या जुब्बा के ऊपर एहराम बाँध ले.

835 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيًّا قَدْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا.

835 - सय्यदना यअला बिन उमय्या रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक आराबी (देहाती) को देखा उसने एहराम बांधा हुआ था (लेकिन) उसके ऊपर जुब्बा भी था तो आप(ﷺ) ने उसे हुक्म दिया कि उसे उतार दे।

सहीह: अबू दाऊद:1820. मुसनद अहमद:4/224. इब्ने हिब्बान:3878.

836 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ، وَهَذَا أَصَحُّ، وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ.

836 - (अबू ईसा रहिमहुल्लाह) कहते हैं: हमें इब्ने अबी उमर ने (वह कहते हैं:) हमें सुफ़ियान ने (उन्होंने) अम्र बिन दीनार से (उन्होंने) सफ़वान बिन यअला से उनके बाप (यअला बिन उमैया(رضي الله عنه)) के वास्ते से नबी करीम(ﷺ) से इसी के मफ़हूम की हदीस बयान है।

बुख़ारी: 1789. मुस्लिम: 1180. अबू दाऊद: 1819.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस (पहली से) ज़्यादा सहीह है और उसमें एक किस्सा भी है नीज़ क़तादा, हज्जाज बिन अर्तात और दीगर रावियों ने भी बवास्ता अता सय्यदना यअला बिन उमय्या (رضي الله عنه) से इसी तरह रिवायत की है। और सहीह वह है जो अम्र बिन दीनार और इब्ने जुरैज ने अता से बवास्ता सफ़वान उनके बाप के ज़रिया नबी करीम(ﷺ) से रिवायत की है।

21. بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

21. एहराम वाला किन जानवरों को मार सकता है

837 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ:

837 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, "पांच चीजें फ़ासिक़[1] हैं जिनको हरम में भी मारा जाएगा,

حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالغُرَابُ، وَالحُدَيَّا، وَالكَلْبُ العَقُورُ.

चुहिया, बिच्छू, कव्वा, और बावला कुत्ता।''

बुख़ारी: 1819. मुस्लिम: 1198. इब्ने माजा:3087. निसाई: 2881.

तौज़ीह: (1) फ़ासिक़ होने से मुराद ना पाक, खबीस और नुक्सानदेह होता है।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, इब्ने उमर, अबू हुरैरा, अबू सईद और इब्ने अब्बास (رضي الله عنهم) से भी रिवायात मर्वी हैं

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है।

838 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِيَ، وَالكَلْبَ العَقُورَ، وَالفَأْرَةَ، وَالعَقْرَبَ، وَالحِدَأَةَ، وَالغُرَابَ.

838 - सय्यदना अबू सईद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, ''एहराम वाला शख़्स काटने वाले दरिन्दे, बावले कुत्ते, चुहिया, बिच्छू, चील और कव्वे को मार सकता है। ''

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 1848. इब्ने माजा: 3089.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि एहराम वाला शख़्स काटने वाले दरिन्दे और कुत्ते को मार सकता है। सुफ़ियान सौरी और शाफ़ेई का भी यही कौल है। और शाफ़ेई (मजीद) फ़रमाते हैं कि हर वह दरिंदा जो लोगों पर या उनके जानवरों को हमला करे तो मुहरिम को उसे मारना जायज़ है।

22. بَابُ مَا جَاءَ فِي الحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

22 - हालते एहराम में सींगी लगवाना.

839 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ،

839 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने हालते एहराम में सींगी लगवाई।

وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

बुख़ारी: 1835. मुस्लिम: 1202. अबू दाऊद: 1835. इब्ने माजा: 1682. निसाई: 2845.

वज़ाहत: इस मसले में अनस, अब्दुल्लाह बिन बुहैना और जाबिर (ﷺ) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है। और उलमा की जमाअत के लोग मुहरिम के लिए सींगी लगवाने की रूख़सत देते हुए कहते हैं कि वह (सींगी लगवाने के लिए) अपने बाल न मुंडवाए।

इमाम मालिक (ﷺ) फ़रमाते हैं: मुहरिम शख़्स न सींगी लगवाए न ही बग़ैर ज़रुरत बाल उतारे। शाफ़ेई (ﷺ) फ़रमाते हैं: मुहरिम शख़्स को सींगी लगवाने में कोई क़बाहत नहीं (लेकिन) बाल ना उतारे।

23. بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ

23-एहराम वाले के लिए निकाह करना मकरुह है।

840 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ، فَبَعَثَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ بِمَكَّةَ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ، فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَلِكَ، قَالَ: لاَ أُرَاهُ إِلاَّ أَعْرَابِيًّا جَافِيًا، إِنَّ الْمُحْرِمَ لاَ يَنْكِحُ وَلاَ يُنْكَحُ، أَوْ كَمَا قَالَ. ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ.

840 - नुबैह बिन वहब (ﷺ) कहते हैं कि इब्ने मअमर (ﷺ) ने अपने बेटे का निकाह करना चाहा तो उन्होंने मुझे अबान बिन उस्मान (ﷺ) की तरफ़ भेजा जो कि मक्का में अय्यामे हज में अमीर थे। मैंने उनके पास जा कर कहा : ' बेशक आप के भाई (इब्ने उमर) अपने बेटे का निकाह करना चाहते हैं उनकी चाहत है कि आप भी उसमें शरीक हो तो (अबान बिन उस्मान ने) कहा: ''मेरे ख़याल में वह बेअक़ल देहाती है: ''बेशक एहराम वाला न अपना निकाह करे या जैसे भी कलिमात उन्होंने कहे। रावी कहते हैं फिर उन्होंने उस्मान (ﷺ) से ऐसी ही रिवायत बयान की।

मुस्लिम: 1409. अबू दाऊद: 1871. इब्ने माजा: 1966. निसाई: 2842.

वज़ाहत: इस मसले में अबू राफे और मैमूना (رضي الله عنها) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: उस्मान (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और नबी करीम(ﷺ) के बाज़ सहाबए किराम (رضي الله عنهم) जिन में उमर बिन ख़त्ताब, अली बिन अबी तालिब और इब्ने उमर (رضي الله عنهم) भी शामिल हैं का इसी पर अमल है। बाज़ ताबेई फ़ुक़हा का भी यही कौल है। नीज मालिक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हुए मुहरिम आदमी के निकाह को दुरुस्त नहीं समझते मजीद कहते हैं अगर वह निकाह कर ले तो उसका निकाह बातिल होगा।

841 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ الوَرَّاقِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولَ فِيمَا بَيْنَهُمَا.

841 - सय्यदना अबू राफ़े (رضي الله عنه) कहते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सय्यदा मैमूना (رضي الله عنها) से निकाह (भी) बगैर एहराम किया था और उनसे सोहबत भी बगैर एहराम की हालत में की थी और मैं दोनों के दर्मियान कासिद था।

मुसनद अहमद:6/392. दारमी:382.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और सिर्फ़ हम्माद बिन ज़ैद ही बवास्ता मतरुल वराक़ रबीआ से मुत्तसिल बयान करते हैं। और मालिक बिन अनस ने बवास्ता रबीआ, सुलैमान बिन यसार से रिवायत की है कि नबी करीम(ﷺ) ने मैमूना (رضي الله عنها) से निकाह किया (तो) आप(ﷺ) हालते एहराम में नहीं थे। मालिक ने इसे मुर्सल बयान किया है और इसी तरह सुलैमान बिन बिलाल ने भी रबीआ से मुर्सल रिवायत की है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यजीद बिन अनस से मर्वी है कि सय्यदा मैमूना (رضي الله عنها) फ़रमाती है: रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझ से शादी की तो आप एहराम में नहीं थे। और बाज़ ने यजीद बिन अनस से रिवायत की है कि नबी करीम(ﷺ) ने मैमूना (رضي الله عنها) से शादी की तो एहराम में नहीं थे।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यज़ीद बिन अनस (رحمه الله) सय्यदा मैमूना (رضي الله عنها) के भांजे थे।

24. بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

24 - उसकी रुख़्सत का बयान.

842 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ

842 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنهما) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने सय्यदा मैमूना (رضي الله عنها) से हालते एहराम में निकाह किया था। (1)

عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

बुख़ारी: 1837. मुस्लिम: 1410. अबू दाऊद: 1844. इब्ने माजा: 1965. निसाई: 2837.

मुहक़्क़िकीन की एक जमाअत कहती है: इसमें सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) को वहम हुआ है और हक़ीक़त यही है कि नबी करीम(ﷺ) ने सय्यदा मैमूना से एहराम की हालत में नहीं बल्कि एहराम खोलने के बाद निकाह किया था। जैसा कि वह ख़ुद भी बयान फ़रमाती हैं और इब्ने क़य्यिम (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि जिसका वाकिया होता है उसे उस बारे में बाक़ी लोगों से ज़्यादा इल्म होता है।

वज़ाहत: इस मसले में सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और बाज़ अहले इल्म के यहाँ इसी पर अमल है। नीज सुफ़ियान सौरी और अहले कूफा भी यही कहते हैं।

843 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

843 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने मैमूना (رضي الله عنها) से हालते एहराम में शादी की थी।

बुख़ारी: 4285. अबू दाऊद: 1844.

844 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

844 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने मैमूना (رضي الله عنها) से हालते एहराम में शादी की थी।

बुख़ारी: 5114. मुस्लिम: 1410.

वज़ाहत: तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू शाशा का नाम जाबिर बिन ज़ैद था।

(उलमा ने) नबी करीम(ﷺ) की सय्यदा मैमूना से शादी के बारे में इख़्तिलाफ़ किया है। क्योंकि नबी करीम (ﷺ) ने मक्का के रास्ते में उनसे शादी की थी। बाज़ कहते हैं कि आप ने बग़ैर एहराम के उनसे शादी की थी और इस निकाह का मामला उस वक़्त ज़ाहिर हुआ था जब आप एहराम में थे। फिर आपने एहराम खोलने के बाद उन से सोहबत की थी और आप उस वक़्त मक्का में सरिफ जगह पर थे। और सय्यदा

मैमूना (रज़ि०) सरिफ में उसी जगह फौत हुई, जहां रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ उनकी रुखसती हुई थी और सरिफ में ही उनको दफ़न किया गया।

845 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا فَزَارَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلاَلٌ، وَبَنَى بِهَا حَلاَلاً، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ، وَدَفَنَّاهَا فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا.

845 - सय्यदा मैमूना (रज़ि०) रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) उन से बगैर एहराम के ही शादी और बगैर एहराम ही सोहबत की थी। (रावी कहते हैं कि) वह सरिफ जगह फौत हुई और हमें उन्हें उसी साए की जगह में दफ़न किया जहां उनकी रुखसती हुई थी।

मुस्लिम: 1411. अबू दाऊद: 1843. इब्ने माजा: 1964.

वज़ाहत: तिर्मिज़ी (रह०) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और बहुत से रावियों ने इस हदीस को यज़ीद बिन असम्म से मुर्सल रिवायत किया है कि नबी करीम(ﷺ) ने मैमूना (रज़ि०) से बगैर एहराम के निकाह किया था।

25. بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

25 - मुहरिम का शिकार (का गोश्त) खाना.

846 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلاَلٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ.

846 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि०) से रिवायत है कि नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, ''खुश्की के शिकार (का गोश्त) तुम्हारे लिए हलाल है, जबकि तुम एहराम की हालत में भी हो जब तक तुमने ख़ुद शिकार ना किया हो या तुम्हारे लिए ना किया गया हो।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 1851. निसाई: 2827.

वज़ाहत: इस मसले में अबू क़तादा और तल्हा (रज़ि०) से भी मर्वी है। तिर्मिज़ी (रह०) फ़रमाते हैं: जाबिर (रज़ि०) की हदीस मुफस्सिर है और हमें मुत्तलिब के जाबिर (रज़ि०) से सिमा (सुनने) का इल्म नहीं है। और बाज़ उलमा इसी पर अमल करते हुए एहराम वाले शख़्स के शिकार (का गोश्त) खाने में मुजायका नहीं समझते कि जब उसने ख़ुद वह शिकार न किया हो या उसकी खातिर ना किया गया हो। इमाम शाफ़ेई (रह०) फ़रमाते हैं: इस मसले में सबसे अच्छी और कयास के मुवाफिक़ यह हदीस है। और इसी पर अमल है। इमाम अहमद और इस्हाक़ (रह०) का भी यही कौल है।

847 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ، فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ، فَأَبَوْا عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى الحِمَارِ، فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَأَدْرَكُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ.

847 - सय्यदना अबू क़तादा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि वह नबी करीम(ﷺ) के साथ थे। यहाँ तक कि मक्का के किसी रास्ते में अपने एहराम वाले साथियों के पीछे रह गए और उन्होने एहराम नहीं बांधा हुआ था, उन्होंने एक जंगली गधा देखा तो अपने घोड़े पर सवार हुए और अपने साथियों से कहा कि उन्हें उनका कोड़ा पकड़ा दें उन्होंने इनकार कर दिया, फिर उनसे नेजे का कहा तो उन्होंने उसका भी इनकार कर दिया, तो उन्होंने ख़ुद पकड़ा और गधे पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। नबी करीम(ﷺ) के बाज़ सहाबा ने उसे खा लिया और बाज़ ने इनकार कर दिया (फिर) उन्होंने नबी करीम(ﷺ) को भी पा लिया तो आप से उसके बारे में पूछा नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, ''यह एक खाना था जो अल्लाह तआला ने तुम्हें खिला दिया।''

बुख़ारी: 1821. मुस्लिम: 1196. अबू दाऊद: 1852. इब्ने माजा:3093. निसाई:2816.

848 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، فِي حِمَارِ الوَحْشِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟.

848 - ज़ैद बिन असलम बवास्ता अता बिन यसार, सय्यदना अबू क़तादा से जंगली गधे के बारे में अबुन- नज्र की हदीस की तरह ही बयान करते हैं लेकिन ज़ैद बिन असलम की हदीस में है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''क्या तुम्हारे पास इसका कुछ गोश्त है। ?''

सहीह.

वज़ाहत: तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

26.بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

26 - मुहरिम को शिकार का गोश्त खाना मकरूह है।

849 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَأَهْدَى لَهُ حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجْهِهِ مِنَ الكَرَاهِيَةِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ.

849 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं साब बिन जस्सामा ने उनको बताया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) अबवा या वद्दान में उनके पास से गुज़रे तो उन्होंने आप(ﷺ) को एक जंगली गधा हदिया के तौर पर दिया तो आप ने उसे वापस कर दिया, जब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनके चेहरे में परेशानी के आसार देखे तो फ़रमाया, ''हमें यह जानवर तुम्हें वापस करने की ज़रुरत नहीं थी लेकिन हम लोग एहराम में हैं। ?

बुख़ारी: 1825. मुस्लिम: 1193. इब्ने माजा: 3090. निसाई:2819.

वज़ाहत: तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और नबी करीम(ﷺ) के सहाबए किराम (رضي الله عنهم) और दीगर लोगों में से अहले इल्म की एक जमाअत इसी हदीस के मुताबिक मज़हब रखते हुए एहराम वाले के लिए शिकार का गोश्त खाना मकरूह समझते हैं।

इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हमारे नज़दीक इसकी तौज़ीह यह है आप(ﷺ) ने इस वजह से वापस किया था कि आपको गुमान हुआ था शायद यह उनकी वजह से शिकार किया गया है। और आपने तन्जीहन उसे छोड़ दिया था। जबकि जोहरी के बाज़ शागिर्द जब उनसे यह हदीस रिवायत करते हैं तो कहते हैं उसने आपको जंगली गधे का गोश्त तोहफा दिया था और यह गैर महफ़ूज़ है।

27.بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ البَحْرِ لِلْمُحْرِمِ

27 - मुहरिम के लिए समंदर के शिकार का हुक्म.

850 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ

850 - सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ हज या उम्रा के सफ़र में निकले तो हमारे सामने टिड्डियों का एक

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَاسْتَقْبَلَنَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ، فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُ بِسِيَاطِنَا وَعِصِيِّنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوهُ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ.

जत्था आ गया, हमें उन्हें अपने कोड़ों और लाठियों से मारना शुरू कर दिया तो नबी करीम(ﷺ) ने फ़रमाया, ''उसको खा लो क्योंकि यह समंदर का शिकार है।

ज़ईफ़: अबू दाऊद:1854. इब्ने माजा:3222.मुसनद अहमद:2/306.

वज़ाहत: तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ बवास्ता अबुल-महि्ज़म ही सय्यदना अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से हासिल करते हैं। और अबुल-महि्ज़म का नाम यजीद बिन सुफ़ियान था। शोबा ने इसके बारे में गुफ्तगू की है। नीज उलमा की एक जमाअत ने मुहरिम के लिए टिड्डी का शिकार करने और उसके खाने की रूख़्सत दी है। जबकि बाज़ कहते हैं कि अगर वह उसका शिकार करे या खाए तो उस पर (बतौर क़फ्फ़ारा) सदक़ा वाजिब होगा।

28. بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ

28 - अगर मुहरिम को ज़बुअ (जानवर) का शिकार मिले.

851 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ :نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

851 - इब्ने अबी अम्मार कहते हैं मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से कहा क्या ज़बुअ[1] शिकार है? उन्होंने फ़रमाया, हाँ! रावी कहते हैं मैंने कहा: क्या मैं उसे खा लिया करूं? उन्होंने फ़रमाया, हाँ। मैंने कहा: क्या यह रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया है? उन्होंने फ़रमाया, हाँ''

सहीह: अबू दाऊद:3801. इब्ने माजा:3805. निसाई:2836.

वज़ाहत: الضبع: लकड़बग्घा (Hyena) हिदुस्तानी लोग इसे लकड़बग्घा भी कहते हैं। यह केच्लुयों वाला मुरदार खोर जानवर है। जो अरब, पाकिस्तान, ईरान, भारत, अफगानिस्तान, और वस्त एशिया में

पाया जाता है, नर का वज़न तकरीबन 40 किलो ग्राम (एक मन) और मादा का वज़न इससे तकरीबन साढ़े चार किलो (10 पाउंड) कम होता है, बाज़ औकात यह कम उम्र वाले और छोटे क़द वाले जानवरों मसलन बकरी वगैरह पर हमला करके उठा ले जाता है।

वज़ाहत: तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। अली बिन मदीनी कहते हैं : यह्या बिन सईद का कहना है कि जरीर बिन हाजिम ने यह हदीस रिवायत की है तो बवास्ता जाबिर उमर से की है और इब्ने जुरैज की हदीस ज़्यादा सहीह है, इमाम अहमद और इस्हाक़ भी यही कहते हैं और बाज़ उलमा के नज़दीक इसी हदीस पर अमल है कि एहराम वाला शख़्स जब ज़बुअ (लकडबग्घा का शिकार करे तो उस पर कफ्फ़ारा होगा।

29 - मक्का में दाख़िल होने के लिए गुस्ल करना.

29. بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِغْتِسَالِ لِدُخُولِ مَكَّةَ

852 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने मक्का में दाख़िल होने के लिए फ़ख्ख जगह पर गुस्ल किया था।

فخ जगह के ज़िक्र के अलावा बाकी हदीस सहीह है। दार क़ुत्नी:2/221.

852 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِدُخُولِهِ مَكَّةَ بِفَخٍّ.

वज़ाहत: फ़ख्ख- एक जगह का नाम है।

वज़ाहत: तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस गैर महफ़ूज़ है और सहीह रिवायत वह है जिसे नाफ़े ने अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से बयान किया है कि वह मक्का में दाख़िल होने के लिए नहाया करते थे।

इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) भी यही कहते हैं कि मक्का में दाख़िल होने के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम हदीस में ज़ईफ़ है उसे अहमद बिन हंबल, अली बिन मदीनी और दीगर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया है। और यह हदीस सिर्फ़ उसी की सनद से मर्फ़ूअ मिलती है।

30 - नबी करीम (ﷺ) का मक्का में बालाई जानिब से दाख़िल होना और निचली जानिब से बाहर जाना.

30. بَابُ مَا جَاءَ فِي دُخُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ مِنْ أَعْلاَهَا وَخُرُوجِهِ مِنْ أَسْفَلِهَا

853 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि जब नबी करीम(ﷺ) मक्का आए तो उसकी बालाई जानिब से दाख़िल हुए और निचली जानिब से (वापसी के लिए) बाहर निकले थे।

बुख़ारी: 1577. मुस्लिम: 1258. अबू दाऊद: 1868.

853حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلاَهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन है।

31 - नबी करीम(ﷺ)मक्का में दिन के वक़्त दाख़िल होते थे.

31. بَابُ مَا جَاءَ فِي دُخُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ نَهَارًا

854 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी करीम(ﷺ) मक्का में दिन के वक़्त दाख़िल हुए थे।

सहीह: इब्ने माजा:2941. मुसनद अहमद:2/ 59.

854 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا.

वज़ाहत: तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

32. بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

855 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَيَرْفَعُ الرَّجُلُ يَدَيْهِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ؟ فَقَالَ :حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكُنَّا نَفْعَلُهُ؟

32 - बैतुल्लाह को देख कर हाथ बलंद करना मकरूह अमल है।

855 - मुहाजिर अल-मक्की रहिमहुल्लाह कहते हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से सवाल किया गया कि क्या आदमी बैतुल्लाह को देख कर अपने हाथ बलंद कर सकता है? तो उन्होंने फ़रमाया, हमने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ हज किया तो हम यह करते थे।

ज़ईफ़: अबू दाऊद:1870. निसाई:2895.

वज़ाहत: तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: बैतुल्लाह को देख कर हाथ उठाने (की कराहत) को हम सिर्फ़ शोबा की अबू क़ज़ाआ से बयान कर्दा रिवायत से ही पहचानते हैं। अबू क़ज़ाआ का नाम सुवैद बिन हजीर है।

33. بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ الطَّوَافُ

856 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ، ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ، فَرَمَلَ ثَلاَثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ، فَقَالَ:

33 - तवाफ़ करने का तरीक़ा.

856 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि जब नबी(ﷺ) मक्का आए आप मस्जिदे हराम में दाख़िल हुए तो हजरे अस्वद का इस्तिलाम[1] किया फिर अपने दायें जानिब चल दिए (और पहले) तीन चक्करों में रमल[2] किया और चार चक्करों में (आम चाल के साथ) चले, फिर मकामे इब्राहीम पर आए तो फ़रमाया, (तर्जुमा) '' तुम मकामे इब्राहीम को नमाज़ की जगह बना लो।'' (अल-बक्र 125) फिर आपने दो रकअतें इस तरह पढीं कि मकामे

{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ، ثُمَّ أَتَى الحَجَرَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا، أَظُنُّهُ قَالَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ.}

इब्राहीम आपके और बैतुल्लाह के दर्मियान में था। फिर आप दो रकअतें पढ़ने के बाद हजरे अस्वद के पास आए इसका इस्तिलाम किया, फिर सफा की तरफ़ चले गए। मेरा ख़याल है कि आपने यह आयत भी पढ़ी: (तर्जुमा) ' बेशक सफा व मरवह अल्लाह की निशानियों में से हैं।'' (अल- बक्र- 156)

मुस्लिम:अबू दाऊद:1905. इब्ने माजा:2951 निसाई:2939.

तौज़ीह: (1) हजरे अस्वद को बोसा देने, हाथ लगाने या इशारा करने को इस्तिलाम कहा जाता है। (2) तेज़ क़दमों के साथ हलकी दौड़ की तरह चलने को रमल कहा जाता है। लेकिन यह सिर्फ़ पहले तीन चक्करों में ही मशरूअ है।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल है।

34. بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّمَلِ مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ

34 - रमल हजरे अस्वद से शुरू करके यहीं ख़त्म होगा.

857 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا.

857 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी करीम(ﷺ) ने हजरे अस्वद से हजरे अस्वद तक तीन चक्करों में रमल किया और चार चक्करों में (आम चाल) चले।

मुस्लिम: 1218. अबू दाऊद:1905.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर

अमल है। शाफेई (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जब तवाफ़ करने वाला जान बूझ कर रमल छोड़ दे तो उसने गलत किया लेकिन उस पर कोई चीज़ (बतौर कफ्फ़ारा) वाजिब नहीं होती और अगर उसने पहले तीन चक्करों में रमल नहीं किया तो बाकी चक्करों में रमल न करे। बाज़ उलमा कहते हैं: मक्का वालों और यहाँ से एहराम बाँधने वालों पर रमल ज़रूरी नहीं है।

35. بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، وَالرُّكْنِ الْيَمَانِي دُونَ مَا سِوَاهُمَا

35 - इस्तिलाम सिर्फ़ रुक्ने यमानी और हजरे अस्वद का ही होता है बाकी कोनों का नहीं.

858 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيَةُ لاَ يَمُرُّ بِرُكْنٍ إِلاَّ اسْتَلَمَهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ إِلاَّ الحَجَرَ الأَسْوَدَ، وَالرُّكْنَ اليَمَانِيَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ البَيْتِ مَهْجُورًا.

858 - अबू तुफ़ैल (رضي الله عنه) कहते हैं कि मैं इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) के साथ था कि मुआविया (رضي الله عنه) जिस रुक्न के पास गुज़रते तो उसका इस्तिलाम करते तो इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) ने उनसे फ़रमाया, ''बेशक नबी करीम(ﷺ) ने सिर्फ़ हजरे अस्वद और रुक्ने यमानी का इस्तिलाम किया था।[1] तो मुआविया कहने लगे, बैतुल्लाह की किसी चीज़ को छोड़ा नहीं जाता।

बुख़ारी: 1608. मुस्लिम: 1269.

तौज़ीह: रुक्ने यमानी हजरे अस्वद से पिछ्ला कोना है इसे सिर्फ़ हाथ लगाया जा सकता है बोसा नहीं दिया जाएगा।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। अक्सर उलमा का इसी पर अमल है कि (तवाफ़ करने वाला) हजरे अस्वद और रूक्ने यमानी के अलावा किसी कोने का इस्तिलाम ना करें।

36 - नबी करीम(ﷺ) ने दायाँ कंधा नंगा करके तवाफ़ किया था.

36. بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ مُضْطَبِعًا

859 - इब्ने यअला अपने बाप (सय्यदना यअला बिन उमय्या रज़ि०) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम(ﷺ) ने अपना दायाँ कंधा नंगा[1] करके बैतुल्लाह का तवाफ़ किया था और आपके ऊपर एक चादर थी।

हसन: अबू दाऊद: 1883. इब्ने माजा:2954.

859 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالبَيْتِ مُضْطَبِعًا وَعَلَيْهِ بُرْدٌ.

तौज़ीह: (1) अपनी चादर को दायीं बगल के नीचे से निकाल कर बाएं कंधे के ऊपर डाल कर दायाँ कंधा नंगा कर लेने को इज़्तिबा कहा जाता है यह हालत सिर्फ़ तवाफ़ के दौरान ही होगी बाकी आमाल के वक़्त नहीं।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह सौरी की इब्ने जुरैज से बयान कर्दा हदीस है और सिर्फ़ उन्ही से इसकी सनद से मिलती है और यह हदीस हसन सहीह है। नीज अब्दुल हमीद जो जुबैर बिन शैबा के बेटे हैं वह इब्ने यअला से और वह अपने बाप से रिवायत करते हैं (और उनके बाप) यअला बिन उमैया (رضي الله عنه) थे।

37 - हजरे अस्वद को बोसा देना.

37. بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الحَجَرِ

860 - आबिस बिन रबीआ रहिमहुल्लाह रिवायत करते हैं कि मैंने सय्यदना उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) को देखा वह हजरे अस्वद को बोसा दे रहे थे और (उसे मुख़ातिब हो कर) कह रहे थे '' मैं तुम्हें बोसा दे रहा हूँ और मैं खूब जानता हूँ कि तू पत्थर है और अगर मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को तुझे बोसा देते हुए न देखा

860 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يُقَبِّلُ الحَجَرَ، وَيَقُولُ: إِنِّي أُقَبِّلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ لَمْ أُقَبِّلْكَ.

होता (तो) मैं भी तुम्हें बोसा न देता।

बुख़ारी:1507. मुस्लिम:1270. अबू दाऊद:1873. इब्ने माजा:2943. निसाई:2936.

वज़ाहत: इस मसले में अबू बकर और इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: उमर (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए हजरे अस्वद को बोसा देना मुस्तहब कहते हैं। और अगर उस तक पहुंचना मुमकिन न हो तो उसे अपने हाथ के साथ छू कर अपने हाथ को बोसा दे ले। अगर हाथ भी न पहुँच सके तो जब उसके बराबर पहुंचे तो उसकी तरफ़ मुंह करके अल्लाहु अकबर कहे यह कौल शाफ़ेई (رحمہ اللہ) का है।

861 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ اسْتِلاَمِ الحَجَرِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ عَلَيْهِ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ زُوحِمْتُ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِاليَمَنِ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.

861 - जुबैर बिन अरबी (رحمہ اللہ) से रिवायत है कि एक आदमी ने सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضی اللہ عنہ) से हजरे अस्वद के इस्तिलाम के बारे में पूछा तो उन्होंने ने फ़रमाया, ''मैं नबी करीम(ﷺ) को इस्तिलाम करते और बोसा देते हुए देखा था। तो उस आदमी ने कहा आप बतलाइये अगर मुझ पर गलबा हो जाए, अगर मैं भीड़ में आ जाऊं तो इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) ने फ़रमाया, ''अगर मगर को यमन में जाकर रखो, मैंने नबी(ﷺ) को इस्तिलाम करते और बोसा देते हुए देखा था।

बुख़ारी:1611. निसाई:2946.

वज़ाहत: (इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यह जो जुबैर बिन अरबी हैं उनसे हम्माद बिन ज़ैद रिवायत करते हैं और जुबैर बिन अरबी अल-कूफी उनकी कुनियत अबू सलमा थी। उन्होंने अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) और दीगर सहाबा से सिमा (सुनना) किया था, उनसे सुफ़ियान सौरी और दीगर अइम्मा रिवायत करते हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है। नीज उनसे और तुरूक़ (सनदों) से भी मर्वी है।

38.بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ

38-(सई में) सफा से शुरू करे मर्वा से नहीं

862 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، فَقَرَأَ} :وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى{، فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ، ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ قَالَ: نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا، وَقَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ.}

862 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) जब मक्का आए तो सात चक्करों के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और फिर मकामे इब्राहीम पर आकर आयत (तर्जुमा) '' और मकामे इब्राहीम को नमाज़ की जगह बना लो।'' (अल- बक्र- 125) पढ़ी। (फिर) मकामे इब्राहीम के पीछे (दो रकअत) नमाज़ पढ़ी, फिर हजरे अस्वद के पास आकर उसका इस्तिलाम किया, फिर फ़रमाया, ''हम भी वहीं से शुरू करें जिस जगह से अल्लाह ने शुरू किया है।'' और आप(ﷺ) ने आयत पढ़ी (तर्जुमा) '' बेशक सफा और मर्वा अल्लाह की निशानियों में से (निशानियाँ) हैं।

सहीह। तख़रीज के लिए देखिए हदीस नम्बर. 856.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म का इसी पर अमल है कि मर्वा की बजाये सफ़ा से (सई) शुरू करे। अगर सफ़ा के बजाये मर्वा से शुरू कर देता है तो जायज़ नहीं है और (फिर) सफ़ा से ही शुरू करे। जो शख़्स बैतुल्लाह का तवाफ़ करे और सफ़ा व मर्वा की सई ना करे उसी तरह लौट आए तो इस बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है।

बाज़ कहते हैं: अगर उसने सफ़ा व मर्वा की सई छोड़ दी यहाँ तक कि अपने शहर वापस आ गया यह तो जायज़ नहीं होगा। यह कौल शाफ़ेई का है। वह (मजीद) फ़रमाते हैं कि सफ़ा व मर्वा के दर्मियान सई करना वाजिब है उसके बग़ैर हज नहीं होता।

38-(सई में) सफा से शुरू करे मर्वा से नहीं

39. بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

863 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ.

863 - सय्यदना इब्ने अब्बास(رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा मर्वा के दर्मियान सई इसलिए की थी ताकि मुश्रिकीन को अपनी कुव्वत दिखाएँ।

सहीह बुख़ारी: 1649. मुस्लिम:1266. तोहफतुल अशराफ़:5741.

वज़ाहत: इस मसले में आयशा, इब्ने उमर और जाबिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

और अहले इल्म सफ़ा व मर्वा के दर्मियान सई (दौड़ने) को ही मुस्तहब कहते हैं। अगर वह सई नहीं करता बल्कि सफ़ा व मर्वा के दर्मियान (आम चाल से) चलता है तो वह उसे भी जायज़ कहते हैं।

864 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي فِي السَّعْيِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَمْشِي فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ :لَئِنْ سَعَيْتُ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى، وَلَئِنْ مَشَيْتُ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ.

864 - कसीर बिन जुम्हान रहिमहुल्लाह कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) को सई में (आम चाल से) चलते हुए देखा तो मैंने उनसे कहा: आप सफ़ा व मर्वा के दर्मियान सई में चल रहे हैं? उन्होंने फ़रमाया, अगर मैं सई करूं तो यकीनन मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को इस पर सई करते (दौड़ते) देखा है और अगर मैं (आम चाल) चलूँ तो तहकीक मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को चलते हुए देखा है और मैं बूढ़ा आदमी हूँ।

सहीह अबू दाऊद:1906. इब्ने माजा:2988. निसाई:2976. तोहफतुल अशराफ़:7379.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज सईद बिन जुबैर ने भी इब्ने उमर से इसी तरह रिवायत की है।

40. بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّوَافِ رَاكِبًا

38-(सई में) सफा से शुरू करे मर्वा से नहीं

865 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ.

865 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने अपनी सवारी के ऊपर तवाफ़ किया तो जब आप रुक्न (हजरे अस्वद) के पास पहुंचते तो उसकी तरफ़ इशारा करते।

बुख़ारी: 1607. मुस्लिम: 1272. अबू दाऊद: 1877. इब्ने माजा:2948. निसाई:713.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, अबू तुफ़ैल और उम्मे सलमा (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज अहले इल्म की एक जमाअत बगैर उज़्र बैतुल्लाह के तवाफ़ और सफ़ा मर्वा की सई सवार हो कर करने को मकरूह कहते हैं।यह कौल इमाम शाफ़ेई का भी है।

41. بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الطَّوَافِ

41 - तवाफ़ की फजीलत.

866 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ خَمْسِينَ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

866 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जो शख़्स पच्चास मर्तबा बैतुल्लाह का तवाफ़ करता है (तो) वह अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाता है जिस दिन उसकी मां ने जन्म दिया था।

ज़ईफ़: अल-कामिल:4/ 1338.

वज़ाहत: इस मसले में अनस और इब्ने उमर (رضي الله عنهم) से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस ग़रीब है। मैंने मुहम्मद (बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, यह इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से उनका कौल मर्वी है।

867 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، قَالَ: كَانُوا يَعُدُّونَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَفْضَلَ مِنْ أَبِيهِ، وَلِعَبْدِ اللهِ أَخٌ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا.

867- अय्यूब अस्सख़्तियानी रहिमहुल्लाह कहते हैं कि लोग सईद बिन जुबैर के बेटे अब्दुल्लाह को उनके बाप से अफ़ज़ल गर्दानते थे और उनका एक भाई था जिसका नाम अब्दुल मलिक बिन साद बिन जुबैर था, उन्होंने उनसे भी इसी तरह रिवायत की है।

सहीहुल इस्नाद.

42. بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ لِمَنْ يَطُوفُ

42-जो शख़्स तवाफ़ करता है तो उसके लिए फज्र और अस्र के बाद नमाज़ पढ़ना जायज़ है।

868 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

868 - सय्यदना जुबैर बिन मुतइम (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, ''ऐ बनी अब्दे मुनाफ़! तुम किसी शख़्स को न रोको जो रात या दिन की किसी भी घड़ी में बैतुल्लाह का तवाफ़ करना या नमाज़ पढ़ना चाहे।

सहीह: अबू दाऊद: 1894. इब्ने माजा:1254. निसाई: 585.

वज़ाहत : इस मसले में इब्ने अब्बास और अबू ज़र (رضي الله عنهما) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जुबैर बिन मुतइम (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। नीज अब्दुल्लाह बिन नजीह ने भी अब्दुल्लाह बिन रबाह से इसी तरह रिवायत की है।

मक्का में फज्र और असर की नमाज़ के बाद (नफल) नमाज़ पढ़ने के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है: बाज़ कहते हैं कि सुबह और असर के बाद नमाज़ पढ़ने और तवाफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है। यह कौल इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) का है और उन्होंने नबी(ﷺ) की इसी हदीस से दलील ली है।

बाज़ कहते हैं कि जब असर के बाद तवाफ़ करे तो सूरज गुरूब होने तक नमाज़ न पढ़े और उन्होंने इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस से दलील ली है कि उन्होंने सुबह की नमाज़ के बाद तवाफ़ किया तो नमाज़ न पढ़ी और मक्का से निकल कर ज़ी तवा में उतरे तो वहाँ सूरज निकलने के बाद नमाज़ पढ़ी यह कौल सुफ़ियान सौरी और मालिक बिन अनस (رحمهما الله) का है।

43 - तवाफ़ की दो रकअतों में क्या किरअत की जाए?

43. بَابُ مَا جَاءَ مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

869 - जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तवाफ़ की दो रकअतों में इख़्लास की दो सूरतें قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ और قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ पढ़ी।

मुस्लिम: 1218. अबू दाऊद:1905. इब्ने माजा:3074. निसाई:2963.

869 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ، قِرَاءَةً، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بِسُورَتَيِ الإِخْلاَصِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

870 - जाफ़र बिन मुहम्मद अपने बाप (मुहम्मद रहिमहुल्लाह) से रिवायत करते हैं कि वह तवाफ़ की दो रकअतों में قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، **और** قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ **को पढ़ना मुस्तहब समझते थे।** (सहीहुल इस्नाद मक़्तूअ.)

870 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस अब्दुल अज़ीज़ बिन इमरान की हदीस से ज़्यादा सहीह है और जाफ़र बिन मुहम्मद की अपने बाप से रिवायतकर्दा हदीस जाफ़र बिन मुहम्मद की अपने बाप के वास्ते से जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायतकर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह है। और अब्दुल अज़ीज़ बिन इमरान हदीस में ज़ईफ़ रावी है।

44 - नंगे बदन तवाफ़ करना मना है।

44. بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الطَّوَافِ عُرْيَانًا

871 - ज़ैद बिन उसैअ (رحمه الله) कहते हैं कि मैंने सय्यदना अली (رضي الله عنه) से पूछा आप को किस चीज़ (के ऐलान करने का हुक्म) के साथ भेजा गया था? उन्होंने फ़रमाया, चार चीजों के

871 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أُثَيْعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا بِأَيِّ شَيْءٍ

بُعِثْتَ؟ قَالَ: بِأَرْبَعٍ: لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَلاَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلاَ يَجْتَمِعُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ، وَمَنْ لاَ مُدَّةَ لَهُ فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ.

(हुक्म के साथ) जन्नत में सिर्फ़ मुसलमान जान ही जा सकेगा, कोई नंगा शख़्स बैतुल्लाह का तवाफ़ ना करे। इस साल के बाद मुसलमान और मुश्रिकीन इकट्ठे नहीं होंगे और जिसका नबी(ﷺ) के साथ मुआहिदा हो चुका है तो उसका मुआहिदा अपनी मुद्दत तक रहेगा, और जिस्की मुद्दत मुक़र्रर नहीं है तो (उसके लिए) चार महीने हैं।

सहीह: मुसनद अहमद: 1/79. दारमी: 1925.

वज़ाहत: इस मसले में अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अली (رضي الله عنه) की हदीस हसन है।

872 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَهُ، وَقَالاَ زَيْدُ بْنُ يُثَيْعٍ وَهَذَا أَصَحُّ. وَشُعْبَةُ وَهِمَ فِيهِ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ أُثَيْلٍ.

872 - इब्ने अबी उमर और नस्र बिन अली कहते हैं कि सुफ़ियान बिन उयय्ना ने अबू इस्हाक़ से इसी तरह रिवायत की है और वह दोनों कहते हैं कि ज़ैद बिन उसैल सहीह नाम है।

सहीह.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: शोबा ने इसमें वहम किया है उन्होंने ज़ैद बिन उसैल कहा है।

45. بَابُ مَا جَاءَ فِي دُخُولِ الكَعْبَةِ

45 -काबा के अन्दर दाख़िल होना

873 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِي وَهُوَ قَرِيرُ العَيْنِ، طَيِّبُ النَّفْسِ، فَرَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ حَزِينٌ،

873 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि नबी करीम(ﷺ) मेरे पास से गए तो आप की आँखें ठंडी और मिजाज़ खुश था (जब) लौटे तो आप ग़मज़दा थे मैंने आप(ﷺ) से (यह बात) कही तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''मैं काबा में दाख़िल हुआ और मैं चाहता हूँ कि मैं यह काम न करता मुझे डर है कि मैंने अपने बाद

فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي دَخَلْتُ الكَعْبَةَ، وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ أَتْعَبْتُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي.

अपनी उम्मत को थका दिया है।''

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2029. इब्ने माजा:3064.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

46. بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الكَعْبَةِ

46 - काबा के अन्दर नमाज़ पढ़ना.

874 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ بِلَالٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي جَوْفِ الكَعْبَةِ.

874 - सय्यदना बिलाल (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने काबा के अन्दर नमाज़ पढ़ी (जबकि) इब्ने अब्बास फ़रमाते हैं कि नमाज़ नहीं पढ़ी बल्कि ''अल्लाहु अकबर'' कहा था।

बुख़ारी: 398. मुस्लिम:1330. अबू दाऊद: 3023.इब्ने माजा:3063. निसाई:692.

वज़ाहत: इस मसले में उसामा बिन ज़ैद, फ़ज़ल बिन अब्बास, उस्मान बिन तल्हा और शैबा बिन उस्मान (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: बिलाल (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए काबा के अन्दर नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं समझते और वह काबा के अन्दर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने को मकरूह कहते हैं।

इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) फ़रमाते हैं: काबा के अन्दर फ़र्ज़ और नफल नमाज़, में कोई क़बाहत नहीं है क्योंकि फर्ज़ और नफ्ली नमाज़ में तहारत और किब्ले का हुक्म बराबर है।

47. بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْرِ الكَعْبَةِ

47 - काबा (की दीवारों) को तोड़ने का बयान.

875 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ

875 - अस्वद बिन यजीद (رحمه الله) कहते हैं कि इब्ने जुबैर (رضي الله عنه) ने उनसे कहा: मुझे वह बातें बयान करो जो उम्मुल मोमिनीन आयशा (رضي الله عنها) आप से बयान किया करती थीं तो उन्होंने कहा:

الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، قَالَ لَهُ: حَدِّثْنِي بِمَا كَانَتْ تُفْضِي إِلَيْكَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عَائِشَةَ، فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِالجَاهِلِيَّةِ، لَهَدَمْتُ الكَعْبَةَ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ قَالَ: فَلَمَّا مَلَكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ هَدَمَهَا وَجَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ.

उन्होंने मुझे बताया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन से फ़रमाया था, अगर तुम्हारी कौम ने जाहिलियत को नया-नया न छोड़ा होता तो मैं काबा को गिरा देता और उसके दो दरवाज़े बना देता। रावी कहते हैं: जब इब्ने जुबैर हाकिम बने तो उन्होंने काबा को गिरा दिया और उसके दरवाज़े बना दिए।

बुख़ारी: 1/43. मुसनद अहमद:6/102. अबू याला:4627.

48. بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ فِي الحِجْرِ

48 - हिज्र (हतीम) में नमाज़ पढ़ना.

876 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ البَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي الحِجْرَ، فَقَالَ: صَلِّي فِي الحِجْرِ إِنْ أَرَدْتِ دُخُولَ البَيْتِ، فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ البَيْتِ، وَلَكِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوهُ حِينَ بَنَوْا الكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنَ البَيْتِ.

876 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं मैं चाहती थी बैतुल्लाह में दाख़िल हो कर उसमें नमाज़ पढ़ूं तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मेरा हाथ पकड़ कर मुझे हतीम में दाख़िल कर दिया और फ़रमाया, ''अगर तुम बैतुल्लाह में दाख़िल होना चाहती हो तो हतीम में नमाज़ पढ़ लो, क्योंकि यह बैतुल्लाह का हिस्सा ही है लेकिन तुम्हारी कौम ने जब काबा को (नए सिरे से) बनाया था तो उसमें कमी करके उस (हतीम) को बैतुल्लाह से निकाल दिया था।

सहीह: अबू दाऊद:2028. निसाई:2912. मुसनद अहमद:6/92.

तौज़ीह: काबा के साथ मग़रिबी जानिब कुछ जगह है जिसको हतीम या हिज्र कहा जाता है गोलाई की शक्ल में तकरीबन छ: या सात हाथ जगह को क़ुरैश ने तामीरे नौ के वक़्त छोड़ दिया था जबकि इब्राहीम(عليه السلام) ने उसी बुनियाद पर काबा को बनाया था।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अल्क़मा बिन अबू अल्क़मा यह अल्क़मा बिन बिलाल हैं।

49.بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ، وَالرُّكْنِ، وَالمَقَامِ

49 - हजरे अस्वद रुक्ने यमानी और मकामे इब्राहीम की फजीलत.

877 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَزَلَ الحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الجَنَّةِ، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ.

877 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''हजरे अस्वद जन्नत से उतरा था और यह दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था। फिर आदम के बेटों के गुनाहों ने उसे सियाह कर दिया।''

सहीह: निसाई: 2935. मुसनद अहमद:1/307. इब्ने खुजैमा:2733.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अम्र और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी रिवायत मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

878 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَجَاءٍ أَبِي يَحْيَى، قَالَ :سَمِعْتُ مُسَافِعًا الحَاجِبَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرُّكْنَ، وَالمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الجَنَّةِ، طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا، وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا لأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ.

878 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को सुना आप फ़रमा रहे थे: ''बेशक रुक्न (हजरे अस्वद) और मुकामे इब्राहीम (का पत्थर) जन्नत के याकूतों में से दो याकूत हैं अल्लाह तआला ने उनकी रोशनी को मिटा दिया है और अगर वह उनकी रोशनी को ना मिटाता तो यह दोनों मशरिक़ और मग़रिब के दर्मियान को रोशन कर देते।

सहीह मुसनद अहमद: 2/213. हाकिम:1/456. बैहक़ी: 5/75.

तौज़ीह: याकूत : मशहूर क़ीमती पत्थर जो सुर्ख, नीला, ज़र्द और सफ़ेद रंग का होता है। (अल-कामूसुल वहीद प० 1915)

मिटा देना: खद्दो खाल व सूरत बदल देना और रोशनी मुन्कतअ कर देना सब मआनी आए हैं। तफ़सील के लिए देखिये: अल-क़ामूसुल वहीद: प. - 1013)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से मौकूफ़न उनका कौल भी रिवायत किया गया है। नीज इस मसले में अनस (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है और वह हदीस ग़रीब है।

50 - मिना की तरफ़ जाना और वहाँ ठहरना.

50. بَابُ مَا جَاءَ فِي الخُرُوجِ إِلَى مِنًى وَالمُقَامِ بِهَا

879 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मिना में हमें ज़ोहर, असर, मग़रिब, और इशा और फज्र की नमाज़ पढ़ाई फिर सुबह जल्दी अरफ़ात की तरफ़ चले गए।

सहीह इब्ने माजा:3004.

879 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الأَجْلَحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى الظُّهْرَ، وَالعَصْرَ، وَالمَغْرِبَ، وَالعِشَاءَ، وَالفَجْرَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस्माईल बिन मुस्लिम के हाफ़ज़े के बारे में मुहद्दिसीन ने गुफ़्तगू की है।

880 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मिना में हमें ज़ोहर, असर, मग़रिब, और इशा और फज्र की नमाज़ पढ़ाई फिर सुबह जल्दी अरफ़ात की तरफ़ चले गए।

सहीह: अबू दाऊद: 1911. मुसनद अहमद: 1/255. दारमी:1878. इब्ने खुजैमा:2799.

880 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الأَجْلَحِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالفَجْرَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन जुबैर और अनस (رضي الله عنه) से भी रिवायत मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मुक्सिम की इब्ने अब्बास से (रिवायतकर्दा) हदीस के बारे में अली बिन मदीनी यह्या से शोबा का कौल बयान करते हैं कि हकम ने मुक्सिम से सिर्फ़ पांच हदीसें सुनी हैं और उनको शुमार भी किया और जो अहादीस साद से ली गई थीं उनमें यह हदीस नहीं थी।

51 - मिना उसी के ठहरने की जगह है जो वहाँ पहले पहुँच जाए.

51.بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ

881 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ، أَلاَ نَبْنِي لَكَ بَيْتًا يُظِلُّكَ بِمِنًى؟ قَالَ: لاَ، مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ.

881 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि हमें अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! क्या हम आपके लिए कोई मकान न बना दें जो आपको साया दे सके? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''नहीं, उसी के सवारी बिठाने की जगह है जो पहले पहुँच जाए।''

ज़ईफ़: अबू दाऊद:2019. इब्ने माजा:3006.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

52 - मिना में नमाज़ को क़स्र करने का बयान.

52.بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْصِيرِ الصَّلاَةِ بِمِنًى

882 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى، آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَهُ رَكْعَتَيْنِ.

882 - सय्यदना हारिसा बिन वहब (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने मिना में बहुत से लोगों के साथ और अमन की हालत में नबी(ﷺ) के पीछे दो रकअतें पढ़ीं.

बुख़ारी: 1083. मुस्लिम:696.अबू दाऊद:1965. निसाई:1445.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने मसऊद, इब्ने उमर और अनस (رضی اللہ عنہم) से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: हारिसा बिन वहब (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है। नीज इब्ने मसऊद (رضی اللہ عنہ) भी फ़रमाते हैं कि मैंने नबी(ﷺ), अबू बकर, उमर, और उस्मान (رضی اللہ عنہم) के साथ शुरू ख़िलाफ़त में दो रकअतें ही पढीं थीं।

उलमा ने मक्का वालों के लिए मिना में नमाज़ को क़स्र करने के बारे में इख़्तिलाफ़ किया है। बाज़ उलमा कहते हैं: अहले मक्का के लिए मिना में नमाज़ को क़स्र करना जायज़ नहीं है सिर्फ़ वह जो मिना में मुसाफिर है (वह कर सकता है) यह कौल इब्ने जुरैज, सुफ़ियान सौरी, यह्या बिन सईद अल-क़त्तान, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ का है।

बाज़ कहते हैं कि मक्का वालों को मिना में क़स्र करने में कोई हर्ज नहीं है। यह कौल औज़ाई, मालिक, सुफ़ियान बिन उयय्ना और अब्दुर्रहमान बिन महदी का है।

53 - अरफ़ात में ठहरने और वहाँ दुआ करने का बयान.

53. بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ وَالدُّعَاءِ بِهَا

883 - यजीद बिन शैबान (رحمہ اللہ) कहते हैं कि हम अरफ़ात में वकूफ़ किए हुए थे कि हमारे पास सय्यदना अबू मिर्बा अल- अंसारी (رضی اللہ عنہ) आए, अम्र इसे ज़रा दूर बयान करते हैं: तो वह कहने लगे मैं तुम्हारी तरफ़ रसूलुल्लाह(ﷺ) का कासिद बन कर आया हूँ आप फ़रमा रहे हैं: तुम अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो, बेशक तुम इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की विरासत में से एक विरसे के ऊपर खड़े हो।''

सहीह: अबू दाऊद:1919. इब्ने माजा:3011. निसाई:3011.

883 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ، قَالَ: أَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ الأَنْصَارِيُّ وَنَحْنُ وُقُوفٌ بِالمَوْقِفِ مَكَانًا يُبَاعِدُهُ عَمْرٌو، فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ يَقُولُ: كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ، فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ.

वज़ाहत: इस मसले में अली, आयशा, जुबैर बिन मुतइम और शुरैद बिन सुवैद सक्फी (رضی اللہ عنہم) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने मिर्बा की हदीस हसन सहीह है हम इसे सिर्फ़ इब्ने उयय्ना से बवास्ता अम्र बिन दीनार ही जानते हैं। और इब्ने मिर्बा का नाम यजीद बिन मिर्बा अल-अंसारी है उनकी सिर्फ़ यही एक हदीस है।

884 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ كَانَ عَلَى دِينِهَا وَهُمُ الحُمْسُ يَقِفُونَ بِالمُزْدَلِفَةِ يَقُولُونَ: نَحْنُ قَطِينُ اللهِ، وَكَانَ مَنْ سِوَاهُمْ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}

884 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कुरैश और उनके दीन के ताबे लोग जो हुम्स[1] कहलाते थे। मुज़्दलिफा में वकूफ़ करते थे और कहते थे कि हम अल्लाह के घर के ख़ादिम (यहाँ रहने वाले हैं) और बाकी लोग अरफ़ात में वकूफ़ करते थे तो अल्लाह तआला ने यह आयत उतार दी: (तर्जुमा) ''फिर तुम भी वहीं से लौटो जहां से दूसरे लोग लौटते हैं।'' (अल-बकरा 199)

बुख़ारी: 4520. मुस्लिम: 1219. अबू दाऊद: 1910. इब्ने माजा: 3018. निसाई: 3012.

तौज़ीह: अपनी बहादुरी और शुजाअत की वजह से अपने आप को हुम्स कहलवाते थे जिसका मानी है बहादुर जरी शुजा।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इसका मफहूम यह है कि अहले मक्का हरम की हुदूद से बाहर नहीं निकलते थे जबकि अरफ़ा हरम से बाहर है और अहले मक्का मुज्दलिफ़ा में वकूफ़ करते थे और कहते हैं कि हम अल्लाह के ठहराये हुए हैं और अहले मक्का के अलावा बाकी लोग अरफ़ात में वकूफ़ करते थे तो अल्लाह तआला ने यह हुक्म उतार दिया (तर्जुमा) '' फिर तुम भी वहीं से लौटो जहां से दूसरे लोग लौटते हैं।'' और हुम्स से मुराद अहले हरम हैं।

54. بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ

54. अरफ़ा का सारा मैदान ठहरने की जगह है

885 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي

885 - सय्यदाना अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अरफ़ा में वकूफ़ किया तो आप ने फ़रमाया, ''यह अरफ़ा है। यही ठहरने की जगह है और अरफ़ा

رَبِيعَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: هَذِهِ عَرَفَةُ، وَهُوَ الْمَوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، ثُمَّ أَفَاضَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَجَعَلَ يُشِيرُ بِيَدِهِ عَلَى هِيْئَتِهِ، وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ يَمِينًا وَشِمَالاً، يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ، وَيَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ، ثُمَّ أَتَى جَمْعًا فَصَلَّى بِهِمُ الصَّلاَتَيْنِ جَمِيعًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى قُزَحَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هَذَا قُزَحُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، ثُمَّ أَفَاضَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ، فَقَرَعَ نَاقَتَهُ، فَخَبَّتْ حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِيَ فَوَقَفَ، وَأَرْدَفَ الفَضْلَ ثُمَّ أَتَى الجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى الْمَنْحَرَ، فَقَالَ: هَذَا الْمَنْحَرُ وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ.

وَاسْتَفْتَتْهُ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمٍ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الحَجِّ، أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: حُجِّي عَنْ أَبِيكِ. قَالَ: وَلَوَى عُنُقَ الفَضْلِ، فَقَالَ

सारे का सारा वकूफ़ की जगह है। ''फिर जब सूरज गुरूब हो चुका तो आप(ﷺ) वहाँ से लौटे और उसामा बिन ज़ैद को अपने पीछे बिठाया और आप(ﷺ) अपनी उसी हालत पर (लोगों को) अपने हाथ से इशारा कर रहे थे और लोग अपने (जानवरों को) मार रहे थे आप(ﷺ) दाएं और बाएं मुतवजह होकर फ़रमा रहे थे: ''ऐ लोगो अपने ऊपर सुकून और इत्मिनान को लाजिम रखो, ''फिर आप मुज़्दलिफा आए, वहां इकट्ठी दो नमाजें पढ़ाई जब सुबह हुई तो आपने कुज़ह[1] आकर वकूफ़ किया और फ़रमाया: ''यह कुज़ह है यह वकूफ़ की जगह है और मुज़्दलिफा सारे का सारा ही ठहरने की जगह है। ''फिर आप लौटे यहां तक की वादीये मुहस्सिर पहुंचे तो आपने अपनी ऊँटनी को कोड़ा (चाबुक) मारा और तेजी के साथ उस नाले को पार किया फिर आप ठहरे और फज़ल को अपने पीछे बिठाया, फिर जमरात पर आ कर उसे कंकर मारे फिर कुर्बानी की जगह आए तो फ़रमाया: ''यह कुर्बानी की जगह है और मिना सारा ही कुर्बानी की जगह है और खशअम कबीले की एक नौजवान लड़की ने आपसे मस्अला पूछा, कहने लगी : मेरा बाप बहुत बुढ़ा है, अल्लाह तआला का फ़रीज़- ए- हज उसे पहुंचा है, क्या मैं उनकी तरफ़ से हज करूं तो जायज़ है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''अपने बाप की तरफ़ से हज करो।'' अली (رضي الله عنه) कहते हैं:

العَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا.

ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ، قَالَ: احْلِقْ، أَوْ قَصِّرْ وَلاَ حَرَجَ.

قَالَ: وَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ارْمِ وَلاَ حَرَجَ.

قَالَ: ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ، ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَنْهُ لَنَزَعْتُ.

आप(ﷺ) ने फ़ज़ल की गर्दन को मोड़ा तो अब्बास ने कहा: ''ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने अपने चचा के बेटे की गर्दन को क्यों मोड़ा है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''मैंने एक नौजवान लड़की को देखा तो उनके ऊपर शैतान की तरफ़ से डर गया: ''(इसी बीच में) एक आदमी आप के पास आकर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने सर मुंडवाने से पहले तवाफ़े इफाजा कर लिया है आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''सर मुंडवा या बाल कतरवा ले कोई हर्ज नहीं।'' एक और आदमी आकर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल ! मैंने कंकर मारने से पहले कुर्बानी कर ली है, आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''(अब) कंकर मार लो। कोई हर्ज नहीं'' अली (رضي الله عنه) कहते हैं: फिर आप(ﷺ) बैतुल्लाह आए उसका तवाफ़ किया फिर जमजम के पास गए तो फ़रमाया, ''ऐ बनू अब्दुल मुत्तलिब अगर यह डर न हो कि लोग तुम्हारे ऊपर ग़ालिब आ जायेंगे (यानी भीड़ कर देंगे) तो मैं भी पानी खींचता।''

हसन: अबू दाऊद:1922.इब्ने माजा:3010.

तौज़ीह: क़ुज़ह: मुज़्दलिफा में उस जगह का नाम है जहां इमाम वकूफ़ करता है। (2) मुहस्सिर: यह एक नाले (वादी) का नाम है जहां पर अल्लाह तआला ने अब्रहा और उसके लश्कर को हलाक किया था।

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अली (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और सय्यदना अली (رضي الله عنه) से अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन अयाश की इसी सनद से ही मिलती है और दीगर रावियों ने भी सौरी से इसी तरह रिवायत की है। नीज उलमा का इसी पर अमल है कि अरफ़ा में ज़ोहर के वक़्त ज़ोहर और असर को जमा किया जाए और बाज़ उलमा कहते हैं अगर किसी आदमी ने अपने ठिकाने पर नमाज़ पढ़ ली और वह इमाम के साथ शरीक ना हुआ तो अगर

वह चाहे तो इमाम के मुताबिक दोनों नमाज़ों को जमा कर सकता है।

ज़ैद बिन अली यह हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) के बेटे हैं।

55 - अरफ़ात से लौटने का बयान.

55. بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ

886 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने वादीये मुहस्सिर में (सवारी को) दौड़ाया और बिश्र ने यह अलफ़ाज़ ज़्यादा किए हैं कि आप मुज़्दलिफा से लौटे तो आप पर इत्मिनान था और आप ने लोगों को सुकून और इत्मिनान (के साथ चलने) का हुक्म दिया कि गुठली के बराबर कंकर के साथ रमी करें और आप(ﷺ) ने फ़रमाया, शायद इस साल के बाद मैं तुम्हें न देख सकूं।

मुस्लिम:1218. अबू दाऊद:1905. इब्ने माजा:3023. निसाई:3054.

886 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَبِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.

वज़ाहतः इस बारे में उसामा बिन ज़ैद (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है।

56 - मुज्दलिफा में मग़रिब और इशा को जमा करना.

56. بَابُ مَا جَاءَ فِي الجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالمُزْدَلِفَةِ

887 - अब्दुल्लाह बिन मुबारक (رحمه الله) से रिवायत है कि सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) ने मुज्दलिफा में नमाज़ पढ़ी तो एक इक़ामत के साथ दो नमाज़ों को जमा किया और फ़रमाया, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा

887 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، صَلَّى بِجَمْعٍ فَجَمَعَ بَيْنَ

الصَّلاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ.

आप ने भी इस जगह इसी तरह किया था।

बुख़ारी: 1673. मुस्लिम:1288. अबू दाऊद:1926. इब्ने माजा:3021. निसाई:606.

888 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

888 - सईद बिन जुबैर (رحمه الله) भी बवास्ता इब्ने उमर (رضي الله عنه) नबी करीम(ﷺ) से इसी तरह रिवायत करते हैं। मुहम्मद बिन बश्शार कहते हैं कि यह्या (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सुफ़ियान की हदीस सहीह है।

सहीह अबू दाऊद: 1930. मुसनद अहमद:1/280. दारमी:1526.

वज़ाहत: इस मसले में अली, अबू अय्यूब, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, जाबिर और उसामा बिन ज़ैद (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस सुफ़ियान की सनद से बनिस्बत इस्माईल बिन अबी ख़ालिद की सनद ज़्यादा सहीह है।

नीज उलमा का इसी पर अमल है कि मुज़्दलिफा से पीछे मगरिब की नमाज़ न पढ़े जब मुज़्दलिफा पहुंचे तो वहाँ इक़ामत के साथ दोनों नमाज़ें पढ़े और दोनों के दर्मियान कोई नफल नमाज़ न पढ़े। बाज़ उलमा ने इसी को पसंद किया है और इसी पर मज़हब रखते हैं। सुफ़ियान सौरी का भी यही कौल है। सुफ़ियान (मजीद) कहते हैं: अगर चाहे तो मग़रिब पढ़ कर खाना खा ले और कपड़े वगैरह उतार ले, फिर इक़ामत कह कर इशा की नमाज़ पढ़ ले।

कुछ उलमा कहते हैं कि मुज़्दलिफा में एक अज़ान और दो इकामतों के साथ मग़रिब व इशा को जमा करे। मग़रिब की नमाज़ के लिए अज़ान दे और इक़ामत कह के मग़रिब की नमाज़ पढ़े फिर इक़ामत कह के इशा की नमाज़ पढ़े। यही कौल इमाम शाफ़ेई का है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस्राईल ने यह हदीस अबू इस्हाक़ से मालिक के दो बेटों अब्दुल्लाह और ख़ालिद के वास्ते से इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत की है। और सईद बिन जुबैर की इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायतकर्दा हदीस हसन सहीह है। सल्मा बिन कुहैल ने भी सईद बिन जुबैर से इसी तरह रिवायत की है। लेकिन अबू इस्हाक़ इसे मालिक के बेटों अब्दुल्लाह और ख़ालिद के वास्ते के साथ इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं।

57 - जिसने इमाम को मुज़्दलिफ़ा में पा लिया तो उसने हज को पा लिया.

57. بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ بِجَمْعٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ

889 - सय्यदना अब्दुर्रहमान बिन यामर (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नज्द के कुछ लोग रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आए और आप अरफ़ा में थे तो उन्होंने आप से (कोई मस्अला) पूछा आप ने एक ऐलान करने वाले को हुक्म दिया तो उसने ऐलान किया: हज अरफ़ा (में वकूफ़ करने का नाम) है। जो शख़्स मुज़्दलिफ़ा की रात तुलूए फज्र से पहले आ जाए तो उसने हज को पा लिया। मिना के दिन तीन हैं, जो शख़्स (पहले) दो दिन में जल्दी करके चला गया उस पर कोई गुनाह नहीं। और जो (तीसरे दिन) ताखीर करके गया उस पर भी कोई गुनाह नहीं, मुहम्मद बिन बश्शार कहते हैं: यह्या ने यह अलफ़ाज़ बयान किए हैं और आप(ﷺ) ने एक आदमी को (सवारी पर) पीछे बिठाया तो उसने यह ऐलान किया।

सहीह: अबू दाऊद:1949. इब्ने माजा:3015. निसाई:3019.

889 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَسَأَلُوهُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَى: الحَجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ، أَيَّامُ مِنًى ثَلاَثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ.

890 - सलमान बिन उयय्ना ने भी सुफ़ियान सौरी से बवास्ता बुकैर बिन अता, सय्यदना अब्दुर्रहमान बिन यामर (ﷺ) से नबी(ﷺ) की इसके मुताबिक ही हदीस बयान की है। इब्ने अबी उमर कहते हैं सुफ़ियान बिन उयय्ना फ़रमाते हैं: जिस हदीस को सुफ़ियान सौरी ने

890 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

وقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: وَهَذَا أَجْوَدُ حَدِيثٍ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ.

रिवायत किया है। बहुत उम्दा हदीस है।

सहीह: अबू दाऊद:1949. इब्ने माजा:3015. निसाई:3044.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: नबी(ﷺ) के सहाबा (ﷺ) और दीगर लोगों में से अहले इल्म का अब्दुर्रहमान बिन यामर(ﷺ) की हदीस पर ही अमल है कि जो शख़्स तुलूए फज्र से पहले अरफ़ात में वकूफ़ न कर सके तो उसका हज रह गया और तुलूए फज्र के बाद आने का फ़ायदा नहीं होगा वह उसे उम्रा बना ले और अगले साल हज करना पड़ेगा। यही कौल सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) का भी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: शोबा ने बुकैर बिन अता से सौरी की हदीस की तरह रिवायत की है और मैंने जारूद को कहते हुए सुना कि वक़ीअ ने भी इसको रिवायत किया है और वह फ़रमाते हैं: यह हदीस उम्मुल मानासिक (अरकाने हज में सब से जामेअ हदीस) है।

891 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، وَزَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامِ الطَّائِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً، أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ.

891 - सय्यदना उर्वा बिन मुज़र्रिस बिन औस बिन हारिस बिन लाम अत्ताई (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं मुज़्दलिफा में रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास गया, जब आप नमाज़ के लिए निकल रहे थे मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं तै कबीले के पहाड़ों से आया हूँ, मैंने अपनी सवारी को भी खूब दौड़ाया और अपने आप को भी थका दिया है। अल्लाह की क़सम! मैंने कोई टीला (या पहाड़) नहीं छोड़ा जिस पर मैं खड़ा ना हुआ हूँ क्या मेरा हज हो गया? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जो शख़्स इस जगह हमारी नमाज़ में शरीक हो गया और हमारे साथ लौटने तक वकूफ़ भी कर लिया और उसने उससे पहले एक दिन या रात को अरफ़ा में वकूफ़ भी किया था तो उसने अपना हज पूरा कर लिया और अपने मनासिक भी अदा कर लिए।''

सहीह: अबू दाऊद: 1950. इब्ने माजा:3016. निसाई:3039.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीजा फ़रमाते हैं कि تفثه से मुराद अरकाने हज और ''और हमने हर टीले पर वकूफ़ किया है'' जब टीला रेत का हो तो उसे (हबल) और जब पत्थरों का हो उसे जबल (पहाड़) कहा जाता है।

58 - कमजोरों को मुज़्दलिफा से रात को पहले ही रवाना कर देना.

58. بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْدِيمِ الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ

892 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنهما) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे सामान (वग़ैरह के काफिले) में रात को ही मुज़्दलिफा से रवाना कर दिया था।

बुख़ारी: 1677. मुस्लिम:1293. अबू दाऊद:1939. इब्ने माजा:3026. निसाई:3022.

892 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَقَلٍ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

तौज़ीह: कमजोरों: से मुराद औरतें और बच्चे हैं।

वज़ाहत: इस मसले में आयशा, उम्मे हबीबा, अस्मा बिन्ते अबी बकर और फ़ज़्ल बिन अब्बास (رضي الله عنهم) से भी रिवायात मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنهما) की हदीस कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे साजो सामान के साथ रात को ही मुज़्दलिफा में भेज दिया था, सहीह हदीस है (और) उनसे कई तुरूक़ से मर्वी है। नीज शोबा ने इस हदीस को मशाश से उन्होंने अता से बवास्ता इब्ने अब्बास, सय्यदना फ़ज़्ल बिन अब्बास (رضي الله عنهما) से रिवायत किया है कि नबी(ﷺ) ने अपने अहल के कमजोरों को रात को ही मुज़्दलिफा से रवाना कर दिया था। इस हदीस (की सनद) में ग़लती है। इसमें मशाश ने फ़ज़्ल बिन अब्बास का इजाफ़ा करके ग़लती की है, जबकि इब्ने जुरैज वग़ैरह ने इस हदीस को बवास्ता अता इब्ने अब्बास (رضي الله عنهما) से रिवायत किया है। उन्होंने इसमें फ़ज़्ल बिन अब्बास (رضي الله عنهما) का ज़िक्र नहीं किया। मशाश बसरी से शोबा रिवायत लेते हैं।

893 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، وَقَالَ: لاَ تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

893 - सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने अपने अहल के कमजोरों को (पहले ही) आगे भेज दिया था और आप ने फ़रमाया, ''जब तक सूरज न निकले जमरात को कंकर मत मारना।''

सहीह: अबू दाऊद: 1940. इब्ने माजा: 3025. निसाई:3064. तोहफतुल अशराफ़:6472.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (ﷺ) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी हदीस पर अमल है उनके मुताबिक बच्चों और औरतों को मुज़्दलिफा से रात को ही रवाना कर देने में कोई हर्ज नहीं है ताकि वह मिना पहुँच जाएँ।

अक्सर उलमा हदीसे नबवी की वजह से फ़रमाते हैं कि सूरज निकलने तक वह कंकर ना मारें और बाज़ ने रात को ही कंकर मारने की रूख्सत दी है लेकिन अमल नबी(ﷺ) की हदीस पर ही होगा कि वह रमी नहीं कर सकते, यह कौल सुफ़ियान सौरी और शाफ़ेई (ﷺ) का है।

59. بَابُ مَا جَاءَ فِي رَمْيِ يَوْمِ النَّحْرِ ضُحًى

59 - कुर्बानी के दिन चाश्त के वक़्त कंकर मारने का बयान.

894 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ، فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

894 - सय्यदना जाबिर (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने कुर्बानी के दिन चाश्त के वक़्त और उसके बाद (वाले दिनों में) सूरज ढलने के बाद कंकर मारे।

मुस्लिम: 1299. अबू दाऊद:1971. इब्ने माजा:3053. निसाई:3063.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अक्सर उलमा का इसी हदीस पर अमल है कि कुर्बानी के दिन के बाद (वाले अय्याम में) सूरज ढलने के बाद ही कंकर मारे।

60 - मुज़्दलिफा से सूरज निकलने से पहले निकलना.

60. بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الإِفَاضَةَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

895 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) सूरज निकलने से पहले मुज्दलिफा से निकले।

सहीह बादहू: मुसनद अहमद: 1/231.

895 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

वज़ाहत: इस मसले में सय्यदना उमर (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और अहले जाहिलियत इन्तिज़ार करते रहते यहाँ तक कि जब सूरज निकल आता तो (मुज़्दलिफा से) रवाना होते थे।

896 - अम्र बिन मैमून (رحمه الله) बयान करते हैं कि हम मुज़्दलिफा में ठहरे हुए थे तो उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) ने फ़रमाया, ''मुश्रिकीन सूरज निकलने तक रवाना नहीं होते थे और वह कहा करते थे ऐ सबीर रोशन हो जा और बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनकी मुखालफ़त की फिर उमर (رضي الله عنه) भी तुलूए शम्स से पहले रवाना हुए।

बुख़ारी: 1694. अबू दाऊद:1938.इब्ने माजा:3022. निसाई:3047.

896 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ، يُحَدِّثُ يَقُولُ: كُنَّا وُقُوفًا بِجَمْعٍ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَكَانُوا يَقُولُونَ :أَشْرِقْ ثَبِيرُ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ، فَأَفَاضَ عُمَرُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

तौज़ीह: मक्का में पांच पहाड़ ऐसे हैं जिनको सबीर कहा जाता है और जिस पहाड़ का यहाँ ज़िक्र है। यह मुज़्दलिफा से मिना जाते वक़्त दायें जानिब बहुत बड़ा पहाड़ है। जबकि सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो मुश्रिकीन मुज़्दलिफा से मिना की तरफ़ निकलते थे।

वज़ाहत: तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

61 - जिन कंकरों के साथ रमी की जाएगी वह खुजूर की गुठली के बराबर होने चाहिये.

61. بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الجِمَارَ الَّتِي يُرْمَى بِهَا مِثْلُ حَصَى الخَذْفِ

897 - सय्यदना जाबिर(ﷺ) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा आप गुठलियों के बराबर कंकरों से जमरात को मार रहे थे।

मुस्लिम: 1216. अबू दाऊद: 1905. इब्ने माजा:3023. निसाई:3054.

897 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ.

वज़ाहत: इस मसले में सलमान बिन अम्र बिन अल- अहवस की अपनी मां उम्मे जुन्दुब अल- अज़िया से इब्ने अब्बास, अब्दुर्रहमान बिन उस्मान अत्तैमी अब्दुर्रहमान बिन मुआज़ (ﷺ) की भी रिवायत है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म ने भी इसी को इख़्तियार किया है कि जिन कंकरों के साथ रमी की जाए वह गुठली के बराबर हों।

62 - सूरज ढलने के बाद कंकर मारना.

62. بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّمْيِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ

898 - सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) यौमुन्नहर के बाद) सूरज ढलने पर कंकर मारते थे।

सहीह बहदीसे जाबिर: 901. इब्ने माजा:3054. मुसनद अहमद: 1/ 248.

898 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

63 - पैदल या सवार हो कर जमरात को कंकर मारना.

63. بَابُ مَا جَاءَ فِي رَمْيِ الجِمَارِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا

899 – सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने कुर्बानी के दिन सवार होकर जमरात को कंकर मारे।

सहीह: इब्ने माजा:3034. मुसनद अहमद: 1/ 232.

899 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الحَجَّاجُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, कुदामा बिन अब्दुल्लाह और उम्मे सुलैमान बिन अम्र बिन अहवस (رضي الله عنه) से भी मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन है और बाज़ उलमा का इसी पर अमल है। जबकि बाज़ उलमा ने जमरात की तरफ़ पैदल चल कर जाने को पसंद किया है नीज इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी मर्वी है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जमरात की तरफ़ पैदल चल कर जाते थे।

हमारे नज़दीक उसकी तौजीह यह है कि किसी दिन आप(ﷺ) सवार हो कर इसलिए गए थे ताकि आप के अमल की इक़्तिदा हो सके। और उलमा के नज़दीक दोनों अहादीस पर अमल हो सकता है।

900 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) जब जमरात की रमी करते तो उनकी तरफ़ पैदल जाते और पैदल ही वापस आते।

सहीह 1960. मुसनद अहमद:2/ 114. बैहक़ी: 5/ 135. من طريق عد الله ن عمر العمري ن نافع ه.

900 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الجِمَارَ مَشَى إِلَيْهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और बाज़ ने इसी उबैदुल्लाह से रिवायत किया है मर्फ़ूअ रिवायत नहीं की। और अक्सर उलमा का इसी पर अमल है। जबकि बाज़ कहते हैं कि कुर्बानी के दिन सवार हो सकता है। और कुर्बानी के बाद वाले दिनों में पैदल चल कर जाए।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जिसने यह कहा है गोया उसने नबी(ﷺ) के फेअल की इत्तेबा की है। क्योंकि नबी(ﷺ) से मर्वी है कि कुर्बानी के दिन आप ने जहाँ जमरात को कंकर मारे थे वहाँ सवार हो कर गए और कुर्बानी के दिन सिर्फ़ जम्रातुल अक़बा को ही कंकर मारते थे।

64.بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ تُرْمَى الجِمَارُ

64 - जमरात को कंकर कैसे मारें?

901 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: لَمَّا أَتَى عَبْدُ اللهِ جَمْرَةَ العَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الوَادِيَ، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وَجَعَلَ يَرْمِي الجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، مِنْ هَاهُنَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ.

901 - अब्दुर्रहमान बिन यजीद रिवायत करते हैं कि जब सय्यदना अब्दुल्लाह (बिन मसऊद (رضي الله عنه)) जम्रातुल अक़बा पर आए तो वादी के दर्मियान में पहुँच कर बैतुल्लाह की तरफ़ मुंह किया और दायें अबरू के बराबर कंकरियाँ मारने लगे फिर सात कंकरियाँ मारीं और हर कंकर के साथ अल्लाहु अकबर कहते थे फिर फ़रमाया, ''उस अल्लाह की क़सम जिसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं! यहीं से उस ज़ात ने कंकर मारे थे जिन पर सूरह बकर नाजिल हुई थी।

बुख़ारी: 1747. मुस्लिम:1296. अबू दाऊद: 1974. इब्ने माजा:3030. निसाई:3070.

वज़ाहत: (अबू ईसा कहते है:) हमें हन्नाद ने (वह कहते हैं) हमें वक़ीअ ने मस्ऊदी से इसी सनद के साथ ऐसे ही रिवायत की है।

इस मसले में फ़ज़ल बिन अब्बास, इब्ने अब्बास, इब्ने उमर और जाबिर (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने मसऊद की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए इस बात को पसंद करते हैं कि आदमी नाले के दर्मियान से सात कंकरियाँ मारे, हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहे, बाज़ उलमा रूख़्सत देते हैं कि अगर नाले के दर्मियान से कंकर मारना मुमकिन ना हो तो जहां से फ़ेंक सकता हो फ़ेंक दे अगरचे वह नाले के दर्मियान में न ही हो।

902 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الجِمَارِ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ .

902 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, बेशक जमरात की रमी और सफ़ा व मर्वा के दर्मियान सई अल्लाह का ज़िक्र क़ायम करने के लिए मुक़र्रर की गई हैं।''

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 1888. मुसनद अहमद:6/64. दारमी: 186.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

65. بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ طَرْدِ النَّاسِ عِنْدَ رَمْيِ الجِمَارِ

65 - जमरात की रमी के वक़्त लोगों को धक्के देना मना है।

903 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الجِمَارَ عَلَى نَاقَةٍ لَيْسَ ضَرْبٌ، وَلاَ طَرْدٌ، وَلاَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ.

903 - सय्यदना कुदामा बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी(ﷺ) को ऊँटनी के ऊपर (बैठ कर) जमरात को रमी करते हुए देखा, (वहाँ पर) न (जानवरों को) मारना था न धक्के देना और न ही हटो बच्चू था।

सहीह: इब्ने माजा:3035. निसाई:3061.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन हंज़ला (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: कुदामा बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और सिर्फ़ इसी सनद से उसकी पहचान हुई है और यह हदीस हसन सहीह है। और ऐमन बिन नाबिल मुहद्दिसीन के नज़दीक सिक़ह रावी है।

66 - ऊँट और गाय में शरीक होना.

66. بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاشْتِرَاكِ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ

904 - सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि हमने हुदैबिया के साल रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ (मिल कर) गाय की कुर्बानी सात आदमियों की तरफ़ से की थी।

मुस्लिम: 1318.अबू दाऊद:2807. इब्ने माजा:3132. निसाई:4393.

904 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर, अबू हुरैरा, आयशा और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और नबी(ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنه) और दीगर लोगों में से अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए ऊँट और गाय की कुर्बानी सात आदमियों की तरफ़ से जायज़ समझते हैं। यह कौल सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई और अहमद (رحمه الله) का है। नीज इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से यह भी रिवायत करते हैं कि गाय सात आदमियों की तरफ़ से और ऊँट दस आदमियों की तरफ़ से हो सकता है। इस्हाक़ इसको दलील बना कर इसी के कायल हैं और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस सिर्फ़ एक ही सनद से मर्वी है।

905 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि हम नबी(ﷺ) के साथ सफ़र में थे। कि ईदुल अज़्हा आ गई तो हम गाय में सात और ऊँट में दस अफ़राद शरीक हुए।

सहीह इब्ने माजा:3131. निसाई:4392. मुसनद अहमद: 1/275.

905 - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الأَضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي البَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي الجَزُورِ عَشَرَةً.

वज़ाहत: . इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और यह हुसैन बिन वाकिद की बयान कर्दा है।

67 - कुर्बानी के ऊँट का इश्आर करना.

67. بَابُ مَا جَاءَ فِي إِشْعَارِ البُدْنِ

906 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّدَ نَعْلَيْنِ، وَأَشْعَرَ الهَدْيَ فِي الشِّقِّ الأَيْمَنِ بِذِي الحُلَيْفَةِ، وَأَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ.

906 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ)ने ज़ुल हुलैफ़ा में (कुर्बानी के जानवर के गले में) जूते बांधे और कुर्बानी के जानवर के दाएँ जानिब इश्आर किया और इस से खून साफ़ किया।

मुस्लिम: 1243. अबू दाऊद:1752. इब्ने माजा:3097.

तौज़ीह: इश्आर : बैतुल्लाह में जाने वाले ऊँट की कोहान के दाएँ किनारे को नेजा वगैरह से ज़ख्मी करके खून को वहाँ पर मल देने को इश्आर कहा जाता है, ताकि रास्ते में डाकू वगैरह उन्हें न छीने और अगर वह ऊँट रास्ता भूल जाए तो उन्हें बैतुल्लाह पहुंचा दिया जाए।

वज़ाहत: इस मसले में मिस्वर बिन मख्रमा (رضی اللہ عنہ) से भी रिवायत मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है। और अबू हस्सान अल-आरज का नाम मुस्लिम है। नीज नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है, वह भी इश्आर को ज़रूरी समझते हैं। सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمہ اللہ) भी यही कहते हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: यूसुफ़ बिन ईसा कहते हैं कि जब वक़ीअ ने इस हदीस को रिवायत किया तो कहने लगे: इस बारे में अहले राय के कौल को ना देखो, यकीनन इश्आर सुन्नत और उनका कौल बिदअत है। तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं: मैंने अबू साइब से सुना वह कह रहे थे कि हम वक़ीअ के पास थे कि उन्होंने अपने पास बैठे हुए अहले राय में से एक आदमी से कहा कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने खुद इश्आर किया है और अबू हनीफा कहते हैं कि यह मुस्ला है उस आदमी ने कहा: ''इब्राहीम नखई से भी मर्वी है कि उन्होंने इश्आर को मुस्ला कहा है (साइब) कहते हैं; मैंने देखा वक़ीअ को बहुत गुसा आ गया और फ़रमाने लगे: मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, और तुम कहते हो इब्राहीम ने कहा!! तुम इसी बात के हक़दार हो कि तुम्हे क़ैद कर दिया जाए और जब तक इस कौल से रुजू ना करो बाहर ना निकाला जाए।

68 - कुर्बानी खरीदना.

68.بَابٌ اشتراء الهدي

907 - सय्यदना इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने कुदैद जगह से कुर्बानी खरीदी थी।

ज़ईफुल इस्नाद:इब्ने माजा:3102.

907 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं : यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सौरी से सिर्फ़ यह्या बिन यमान की सनद से ही जानते हैं। और नाफ़े से मर्वी है कि इब्ने उमर ने कुदैद से (क़ुरबानी) खरीदी थी। तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह बात ज़्यादा सहीह है।

69 - मुकीम आदमी का जानवर के गले में हार डालना.

69.بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْلِيدِ الهَدْيِ لِلْمُقِيمِ

908 - सय्यदा आयशा (ﷺ) रिवायत करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) की कुर्बानी के जानवर के हार बंटे थे। फिर न आप ने एहराम बांधा और न ही अपने कपड़े (पहनना) छोड़े।

बुख़ारी: 1696. मुस्लिम: 1321. अबू दाऊद: 1757. इब्ने माजा:3094. निसाई:2775.

908 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَمْ يُحْرِمْ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। और बाज़ उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि जब आदमी जानवर को हार डाल दे और वह हज करना चाहता हो तो उस पर कपड़े और खुशबू वग़ैरह बगैर एहराम बांधे हराम नहीं होते जब कि बाज़ उलमा कहते हैं जब आदमी ने जानवर के गले में हार डाल दिया है तो उस पर वह काम वाजिब हो जाते हैं जो एहराम वाले पर होते होते हैं।

70.بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْلِيدِ الغَنَمِ

70 - बकरी को हार डालना.

909 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهَا غَنَمًا، ثُمَّ لاَ يُحْرِمُ.

909– सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) की कुर्बानी के लिए खरीदी हुई तमाम बकरियों के हार बनाती थी, फिर आप मुहरिम भी नहीं बनते थे।

बुखारी: 1701. मुस्लिम:1321. अबू दाऊद:1755. इब्ने माजा:3096. निसाई:2785.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। और नबी के सहाबा और दीगर लोगों में से बाज़ अहले इल्म बकारियों को हार डालना दुरुस्त कहते हैं।

71.بَابُ مَا جَاءَ إِذَا عَطِبَ الهَدْيُ مَا يُصْنَعُ بِهِ

71 - जब बैतुल्लाह की तरफ़ ले जाया जाने वाला जानवर मरने के करीब हो तो, उसका क्या किया जाए?

910 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ الخُزَاعِيِّ، صَاحِبِ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ البُدْنِ؟ قَالَ: انْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا، فَيَأْكُلُوهَا.

910 - नाजिया अल-ख़ुज़ाई (رضي الله عنه) रसूलुल्लाह(ﷺ) के सहाबी कहते हैं: मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! कुर्बानी का जानवर जो मरने के करीब हो जाए मैं उसका क्या करूं? आप(ﷺ) ने फ़रमाया: उसको ज़बह करदो फिर उसका जूता उसके खून में डुबो दो फिर उसके और लोगों के दर्मियान से रास्ता खोद दो ताकि वह उसे खा लें।''

सहीह: अबू दाऊद: 1762. इब्ने माजा:3106.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : इस मसले में अबू क़बीसा अल-ख़ुज़ाई (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : नाजिया अल-ख़ुज़ाई (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि हाजी का जानवर जब मरने के करीब हो तो (ज़बह करके) न वह ख़ुद खाए और ना ही उसके क़ाफिले वाले साथी खाए, बल्कि वह उसे छोड़ दे ताकि आम लोग खालें और कुर्बानी उसकी तरफ़ से हो गई। शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है। मजीद कहते हैं कि अगर उसने उस से कुछ खा लिया तो खाने के मुताबिक जुर्माना देगा। बाज़ कहते हैं कि जब कोई नफल कुर्बानी के जानवर से गोश्त खा लेता है तो जिसने खाया है तो वह उसका जामिन है। (यानी कीमत अदा करेगा)

72 - कुर्बानी के ऊँट पर सवार होना.

72. بَابُ مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ البَدَنَةِ

911 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि नबी(ﷺ) ने एक आदमी को देखा वह ऊँट को हांक रहा था तो आप(ﷺ) ने उससे फ़रमाया; ''उस पर सवार हो जा'' उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल यह कुर्बानी का ऊँट है। आप ने उस से तीसरी या चौथी मर्तबा फ़रमाया, ''अफ़सोस तुम्हारे ऊपर उस पर सवार हो जाओ।''

911 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ لَهُ: ارْكَبْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: ارْكَبْهَا وَيْحَكَ، أَوْ وَيْلَكَ.

तौजीह: रावी को शक है कि وَيْلَكَ का लफ़्ज़ कहा या وَيْحَكَ इन दोनों अलफ़ाज़ का मतलब होता है तुम्हारी बर्बादी या खराबी हो, यह आम बोला जाने वाला लफ़्ज़ है हकीकी मानी और बद्दुआ मुराद नहीं लिया जाता बल्कि बतौरे डाँट ये लफ़्ज़ बोला जाता है।

वज़ाहत: इस मसले में अली, अबू हुरैरा और जाबिर (رضي الله عنهم) से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : अनस (रज़ि) की हदीस हसन है। और नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से उलमा की एक जमाअत के लोग ज़रुरत के पेशे नज़र कुर्बानी के ऊँट पर सवारी करने की इजाज़त देते हैं। शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है।

बाज़ कहते हैं मजबूरी के अलावा इस पर सवारी न करे।

73 - सर के बाल किस तरफ़ से मुंडवाना शुरू करे?

73. بَابُ مَا جَاءَ بِأَيِّ الرَّأْسِ يَبْدَأُ فِي الحَلْقِ

912 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह(ﷺ) जम्रा को रमी की और कुर्बानी को ज़बह कराया, फिर आपने बाल मूंडने वाले के सामने अपने सर को दायें जानिब की, उसने बाल मूंडे तो आप ने वह (बाल) अबू तल्हा को दे दिए फिर आपने बाएं जानिब उसके आगे की उसने बाल उतारे तो आपने फ़रमाया, ''उन्हें लोगों में तक़सीम करदो।''

मुस्लिम: 1305. अबू दाऊद: 1981.

912 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :لَمَّا رَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجَمْرَةَ نَحَرَ نُسُكَهُ، ثُمَّ نَاوَلَ الحَالِقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ شِقَّهُ الأَيْسَرَ فَحَلَقَهُ، فَقَالَ :اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ.

वज़ाहत: अबू ईसा(رحمه الله) कहते है: हमें इब्ने अबी उमर ने भी बवास्ता सुफ़ियान बिन उय्यना, हिशाम से इसी तरह रिवायत की है।

74 - बाल मुंडाने और कतरवाने का बयान.

74. بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ

913 - सय्यदना इब्ने अबी उमर रज़ि०) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बाल मुंडवाए और आपके सहाबा की एक जमाअत ने भी बाल मुंडवाए और बाज़ ने बाल कतरवाए, इब्ने उमर फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह(ﷺ) ने दुआ करते हुए कहा: ''अल्लाह तआला सर मुन्डवाने वालों पर रहम करे'' एक या दो मर्तबा यह कहा, फिर कहा: ''बाल कतरवाने वालों पर भी।''

बुखारी: 1726. मुस्लिम: 1301. अबू दाऊद: 1979. इब्ने माजा: 3044.

913 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ المُحَلِّقِينَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: وَالمُقَصِّرِينَ.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, इब्ने उम्मुल हुसैन, मारिब, अबू सईद, अबू मरयम, हुब्शी बिन जुनादा और अबू हुरैरा (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन है। और अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए आदमी के लिए सर मुंडवाने या बाल कतरवाने को पसंद करते हैं, उनके मुताबिक़ यह जायज़ है यानी (कतरवाना)। सुफ़ियान सौरी शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है।

75. بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الحَلْقِ لِلنِّسَاءِ

75 - औरतों को बाल मुंडवाना मना है।

914 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْجُرَشِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا.

914 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने औरत को अपना सर मुंडवाने से मना फ़रमाया है।

ज़ईफ़: निसाई: 5049.

915 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ خِلَاسٍ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ.

915 - (अबू ईसा कहते हैं:) हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने (उन्हें) अबू दाऊद ने बवास्ता हम्माम, खिलास से इसी तरह रिवायत की है इस में अली (رضي الله عنه) का ज़िक्र नहीं है।

ज़ईफ़: तोहफतुल अशराफ़: 18617.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : अली (رضي الله عنه) की हदीस में इज़्तिराब है और यह हदीस हम्माद बिन सलमा से बवास्ता क़तादा, सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से भी मर्वी है कि नबी(ﷺ) ने औरत को अपना सर मुन्डवाने से मना किया नीज उलमा का इसी पर अमल है कि औरत बाल न मुंडवाए बल्कि बाल कतरवा ले।

76.جو शख़्स कुर्बानी करने से पहले सर मुंडवा दे या कंकर मारने से पहले कुर्बानी कर ले

76.بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، أَوْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ

916 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से रिवायात है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सवाल किया: कहने लगा मैंने ज़बह करने से पहले सर मुंडवाया है। तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''अब ज़बह कर लो कोई हर्ज नहीं है''और दुसरे आदमी ने सवाल किया कहने लगा: मैंने कंकर मारने से पहले कुर्बानी कर ली है। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''अब रमी कर लो कोई हर्ज नहीं है।''

बुख़ारी: 83. मुस्लिम:1306. अबू दाऊद: 2014.इब्ने माजा:3051.

916 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ: اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ، وَسَأَلَهُ آخَرُ، فَقَالَ: نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: ارْمِ وَلاَ حَرَجَ.

वज़ाहत: इस मसले में अली, जाबिर, इब्ने अब्बास, इब्ने उमर और उसामा बिन शरीक (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और अक्सर उलमा के नज़दीक इसी पर अमल है नीज अहमद और इस्हाक़ का भी यही कौल है।

बाज़ उलमा कहते हैं कि जब हज के किसी रुक्न को दुसरे रुक्न से पहले कर ले तो उस पर दम (कुर्बानी बतौरे कफ्फ़ारा) वाजिब है।

77 - एहराम खोलने के बाद तवाफ़े ज़ियारत से पहले खुशबू लगाना.

77.بَابُ مَا جَاءَ فِي الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْلاَلِ قَبْلَ الزِّيَارَةِ

917 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को एहराम बाँधने से पहले और कुर्बानी के दिन बैतुल्लाह का

917 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ يَعْنِي ابْنَ زَاذَانَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ، بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ.

तवाफ़ करने से पहले ऐसी खुशबू लगाई जिसमें कस्तूरी भी शामिल थी।

बुख़ारी:1539. मुस्लिम:1189. अबू दाऊद: 1745. इब्ने माजा:2926. निसाई:1745.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है और नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए यही कहते हैं कि एहराम वाला कुर्बानी के दिन जम्र-ए-अक़बा की रमी करे और कुर्बानी ज़बह करके सर मुंडवा ले, बाल कतरवा ले तो बीवियों के अलावा उस पर हराम होने वाली हर चीज़ हलाल हो जाती है। इमाम शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) भी यही कहते हैं।

उमर बिन खत्ताब (رضي الله عنه) से मर्वी है कि उसके लिए बीवियों और खुशबू के अलावा हर चीज़ हलाल होती है। जब कि नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा भी यही मज़हब रखते हैं। नीज अहले कूफा भी इसी के कायल हैं।

78. بَابُ مَا جَاءَ مَتَى تُقْطَعُ التَّلْبِيَةُ فِي الحَجِّ

78 - हज में तल्बिया कब मुन्क़तअ होता है?

918 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الجَمْرَةَ.

918 - सय्यदना फ़ज़ल बिन अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुज़्दलिफा से मिना तक मुझे अपने पीछे बिठाया फिर आप जम्र-ए-अक़बा की रमी करने तक तल्बिया कहते रहते।

बुख़ारी:1543. मुस्लिम:1281. अबू दाऊद: 1815. इब्ने माजा:3040. निसाई:3020.

वज़ाहत: इस मसले में अली, इब्ने मसऊद और इब्ने अब्बास (رضي الله عنهم) से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : फ़ज़ल बिन अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है। और नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है कि हज करने वाला जम्र-ए-अक़बा

की रमी करने तक तल्बिया मुन्कतअ़ ना करे। नीज इमाम शाफ़ेई, अहमद, और इस्हाक़ (رحمہ اللہ) का भी यही कौल है।

79.بَابُ مَا جَاءَ مَتَى تُقْطَعُ التَّلْبِيَةُ فِي الْعُمْرَةِ

79 - उम्रा में तल्बिया कब मुन्क़तअ होगा?

919 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، يَرْفَعُ الحَدِيثَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي العُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الحَجَرَ.

919 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضی اللہ عنہ) मर्फ़ूअ हदीस बयान करते हैं कि आप(ﷺ) उम्रा में हजरे अस्वद का इस्तिलाम करके तल्बिया कहने से रुक जाते थे।

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 1817. इब्ने खुजैमा: 2697. बैहक़ी:5/ 105.

वज़ाहत: इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضی اللہ عنہ) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं : इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) की हदीस हसन सहीह है। और अक्सर उलमा इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि उम्रा करने वाला हजरे अस्वद के इस्तिलाम तक तल्बिया मुन्क़तअ न करे।

बाज़ कहते हैं कि जब मक्का के घरों तक पहुंचे तो तल्बिया ख़त्म कर दे लेकिन अमल नबी(ﷺ) की हदीस पर होगा। सुफ़ियान, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمہ اللہ) भी इसी के क़ायल हैं।

80.بَابُ مَا جَاءَ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ بِاللَّيْلِ

80 - रात के वक़्त तवाफ़े ज़ियारत करना.

920 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ.

920 - सय्यदना इब्ने अब्बास और सय्यदा आयशा (رضی اللہ عنہا) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने तवाफ़े ज़ियारत को रात तक मुअख्खर (देरी) किया।

शाज़: अबू दाऊद: 2000. इब्ने माजा:3059.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمہ اللہ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। नीज बाज़ उलमा ने तवाफ़े ज़ियारत को रात तक मुअख्ख़र (देरी) करने की इजाज़त दी है और बाज़ ने कुर्बानी के दिन तवाफ़े

ज़ियारत करने को मुस्तहब कहा है और बाज़ ने वुस्अत दी है कि उसे मिना के आख़िरी दिन तक भी मुअख्ख़र (देरी) कर सकता है।

81 - वादी अब्तह में उतरने का बयान.

81. بَابُ مَا جَاءَ فِي نُزُولِ الأَبْطَحِ

921 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ), अबू बकर, उमर और उस्मान (رضي الله عنهم) अब्तह में पड़ाव किया करते थे।

मुस्लिम: 1310. इब्ने माजा: 3069.

921 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، يَنْزِلُونَ الأَبْطَحَ.

तौज़ीह: أَبْطَح : इस का लफ़्ज़ी मानी होता है दामने कोह, वादिए मुहस्सब जहां पर खफीफ बनी किनाना है उसे अब्तह कहते हैं और इस जगह उतरने को तहसीब कहा जाता है। यहाँ उतरना अरकाने हज में से नहीं है।

वज़ाहत: इस मसले में आयशा, अबू राफ़े और इब्ने अब्बास, (رضي الله عنهم) से भी रिवायात मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ अब्दुर्रज्ज़ाक से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन उमर ही जानते हैं। नीज बाज़ उलमा ने अब्तह में उतरने को मुस्तहब कहा है वाजिब नहीं है जो चाहे यह काम करे।

इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) कहते हैं: अब्तह में उतरना अरकाने हज में से नहीं है। यह तो सिर्फ़ एक जगह है जहां रसूलुल्लाह(ﷺ) ने पड़ाव किया था।

922 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मुहस्सब में पड़ाव करना ज़रूरी नहीं है बल्कि यह तो एक मंजिल थी जहां पर रसूलुल्लाह(ﷺ) उतरे थे।

बुख़ारी: 1766. मुस्लिम: 1312.

922 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :التَّحْصِيبُ: نُزُولُ الأَبْطَحِ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : अब्तह में पड़ाव करने को तहसीब कहते हैं। नीज फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है।

82.بَابُ مَنْ نَزَلَ الأَبْطَحَ

82 - जो अब्तह में उतरे उसकी दलील.

923 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَبْطَحَ لأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ.

923 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) अब्तह में तो इसलिए उतरे थे क्योंकि यहाँ से रवानगी आसान थी।

बुख़ारी: 1765. मुस्लिम:1311. अबू दाऊद:2008. इब्ने माजा:3067.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज हमें इब्ने अबी उमर ने भी बवास्ता सुफ़ियान, हिशाम बिन उर्वा से इसी तरह रिवायत की है।

83.بَابُ مَا جَاءَ فِي حَجِّ الصَّبِيِّ

83 - बच्चे के हज का बयान.

924 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ، قَالَ :نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ.

924 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि एक औरत अपने बच्चे को रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास लेकर आयी, कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या इसका भी हज हो जाएगा? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''हाँ और अज्र तुझे भी मिलेगा।''

सहीह इब्ने माजा: 2910. बैहक़ी:5/ 156.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। नीज जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस ग़रीब है।

925 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَجَّ بِي أَبِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ.

925 - सय्यदना साइब बिन यजीद (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मेरे बाप ने मुझे ले जाकर रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ मिलकर हज्जतुल विदा में हज किया और उस वक़्त मैं 9 साल का था।

सहीह बुख़ारी:1858. मुसनद अहमद:3/ 449.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज उलमा का इसी बात पर इज्मा है कि अगर बच्चे ने बालिग़ होने से पहले हज किया भी तो बालिग़ होने के बाद उस पर हज वाजिब होगा और यह हज्जे इस्लाम के तौर पर काफी होगा। इसी तरह गुलाम जब अपनी गुलामी में हज कर ले फिर आज़ाद हो जाए तो जब उसके पास जादे राह की ताक़त होगी तब उस पर हज करना वाजिब होगा। और हालते गुलामी में किया जाने वाला हज काफ़ी नहीं होगा। सुफ़ियान सौरी, शाफेई, अहमद, और इस्हाक़ भी यही कहते हैं।

926 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ البَاهِلِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

926 - कुतैबा कहते हैं: क़ज़आ बिन सुवैद अल्बाहिली, मुहम्मद बिन मुन्कदिर से और वह बवास्ता जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से मुहम्मद बिन तरीफ़ की बयान कर्दा हदीस की तरह रिवायत करते हैं।

सहीह मुसनद अहमद: 3/449.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: बवास्ता मुहम्मद बिन मुन्कदिर नबी(ﷺ) मुर्सल भी रिवायत की गई है।

84. بَابُ التلبية عن النساء والرمي عَنِ الصِّبْيَانِ.

84-मर्दों का औरतों की तरफ़ से तल्बिया कहना और बच्चों की तरफ़ से कंकर मारने का बयान

927 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الوَاسِطِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ نُمَيْرٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نُلَبِّي عَنِ النِّسَاءِ، وَنَرْمِي عَنِ الصِّبْيَانِ.

927 - सय्यदना जाबिर(رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हम जब नबी(ﷺ) के साथ हज कर रहे थे तो हम औरतों की तरफ़ से तल्बिया कहते और बच्चों की तरफ़ से रमी करते थे।

ज़ईफ़: इब्ने माजा:3038. मुसनद अहमद: 3/314.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से ही जानते हैं। नीज अहले इल्म का इस बात पर इज्मा है कि औरत की तरफ़ से कोई दूसरा तल्बिया ना कहे, बल्कि

वह ख़ुद अपनी तरफ़ से तल्बिया पुकारे लेकिन तल्बिया के साथ आवाज़ बलंद करना उसके लिए मकरूह है।

85 - बूढ़े शख़्स और मय्यत की तरफ़ से हज करना.

85. بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَجِّ عَنِ الشَّيْخِ الكَبِيرِ، وَالمَيِّتِ

928 - सय्यदना फ़ज़ल बिन अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि खस्अम की एक औरत कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल अल्लाह तआला के फ़रीज़े हज ने मेरे बाप को इस हालत में पाया है कि वह बूढ़े हैं वह ऊँट की पुश्त पर बैठ नहीं सकते (तो) आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''तुम उसकी तरफ़ से हज कर लो।''

बुख़ारी: 1513. मुस्लिम:1334. अबू दाऊद: 1809. इब्ने माजा:2909. निसाई:2634.

928 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الحَجِّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ البَعِيرِ، قَالَ: حُجِّي عَنْهُ.

वजाहत: इस मसले में अली, बुरैदा, हुसैन बिन औफ़, अबू रज़ीन अल-उकैली सौदा बिन्ते ज़मआ और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: फ़ज़ल बिन अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी बवास्ता हुसैन बिन औफ़ अल्मुज्नी (رضي الله عنه) नबी(ﷺ) से मर्वी है। नीज इसी तरह इब्ने अब्बास से सिनान बिन अब्दुल्लाह अल-जुहनी के वास्ते के साथ उनकी फूफी के ज़रिए नबी(ﷺ) से मर्वी है और इब्ने अब्बास भी नबी(ﷺ) से रिवायत करते हैं।

तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) से इन रिवायात के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, इस मसले में सब से सहीह रिवायत वह है जिसे इब्ने अब्बास ने फ़ज़ल बिन अब्बास (رضي الله عنه) के वास्ते के साथ नबी(ﷺ) से रिवायत किया है। मुहम्मद (बुख़ारी रहिमहुल्लाह) मजीद फ़रमाते हैं: हो सकता है कि इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़ज़ल बिन अब्बास (رضي الله عنه) और दीगर रावियों से नबी(ﷺ) की यह हदीस सुनी हो फिर मुर्सल करके ख़ुद नबी(ﷺ) से रिवायत कर दी हो और जिस से सुना हो उसका

नाम न ज़िक्र किया हो। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस मसले में नबी(ﷺ) से बहुत सी अहादीस मर्वी हैं। नीज नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है। इमाम सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़, (رحمه الله) भी यही कहते हैं कि मय्यत की तरफ़ से हज हो सकता है।

इमाम मालिक (رحمه الله) फ़रमाते हैं जब उसने वसियत की हो कि उसकी तरफ़ से हज किया जाए तो उसकी तरफ़ से हज किया जाएगा। और बाज़ ने ज़िन्दा आदमी की तरफ़ से हज करने की भी रूख़्सत दी है कि जब वह बूढ़ा हो या ऐसी हालत हो कि वह हज ना कर सके। यही कौल इब्ने मुबारक और शाफ़ेई (رحمه الله) का भी है।

86.بَابٌ مَا جَاءَ فِي الحج عن الميت

86 - मय्यत की तरफ़ से हज करना.

929 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ (ح) وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا.

929 - अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने बाप (बुरैदा (رضي الله عنه)) से रिवायत करते हैं कि एक औरत नबी(ﷺ) के पास आकर कहने लगी कि मेरी मां फौत हो गई है (और) वह हज नहीं कर सकी, क्या मैं उसकी तरफ़ से हज कर लूं? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, हाँ तुम उसकी तरफ़ से हज कर लो।''

मुस्लिम: 1149 अबू दाऊद:2877.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

87.بَابٌ مِنْهُ

87 - इसी मसले के मुताल्लिक़ बयान.

930 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ، أَنَّهُ

930 - सय्यदना अबू रज़ीन अल- उकैली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि वह नबी(ﷺ) के पास आकर कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे बाप बहुत बूढ़े हैं हज और उम्रा करने की

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الحَجَّ، وَلاَ العُمْرَةَ، وَلاَ الظَّعْنَ، قَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ.

ताक़त नहीं रखते और न ही सवारी करने की (तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, ''तुम अपने बाप की तरफ़ से हज और उम्रा करो।''

सहीह: अबू दाऊद: 1810. इब्ने माजा:2906. निसाई:2637.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और नबी(ﷺ) से सिर्फ़ इसी हदीस में ज़िक्र किया गया है कि आदमी किसी दुसरे की तरफ़ से हज कर सकता है। अबू रज़ीन अल- उकैली का नाम लकीत बिन आमिर (رضي الله عنه) है।

88. بَابُ مَا جَاءَ فِي العُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لاَ؟

88 - क्या उम्रा वाजिब है या नहीं?

931 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ العُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: لاَ، وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ.

931 - सय्यदना जाबिर रज़ि।) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) से पूछा गया कि उम्रा वाजिब है या नहीं? आप ने फ़रमाया, ''नहीं और तुम उम्रा कर लो तो बहुत अफज़ल है।''

ज़ईफुल इस्नाद:मुसनद अहमद: 3/316. अबू याला:1938. इब्ने खुजैमा:3068.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और बाज़ उलमा भी यही कहते हैं कि उम्रा वाजिब नहीं है। यह भी कहा जाता है (हज और उम्रा) दोनों हज हैं कुर्बानी का दिन हज्जे अकबर और छोटा हज उम्रा है।

इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) फ़रमाते हैं: उम्रा सुन्नत है और हमारे इल्म में कोइ एक आलिम भी ऐसा नहीं है जिसने उसे छोड़ने की रूख़सत दी हो और न ही कोई चीज़ साबित है जिस से पता चले कि यह नफल है। फ़रमाते हैं : जो हदीस नबी(ﷺ) से मर्वी है उसकी सनद ज़ईफ़ है जिसके साथ हुज्जत कायम नहीं हो सकती और हमें यह ख़बर पहुंची है कि इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) इसे वाजिब कहते हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह सारी बात इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) की हैं।

89. بَابٌ مِنْهُ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

89- क़यामत तक उम्रा हज में दाख़िल है।

932 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

932 - सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, ''उम्रा क़यामत तक हज में दाख़िल हो गया है।''

सहीह: अबू दाऊद: 1790. निसाई: 2815. मुसनद अहमद: 1/ 253.

वज़ाहत: इस मसले में सुराक़ा बिन मालिक बिन जोशम और जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से भी रिवायत मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (ﷺ) की हदीस हसन है और इस हदीस का मतलब यह है कि हज के महीनों में उम्रा करने में कोई हर्ज नहीं है। इमाम शाफ़ेई अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) भी इसी तरह कहते हैं और इस हदीस का मानी यह है कि अहले जाहिलियत हज के महीनों में उम्रा नहीं करते थे फिर जब इस्लाम आया तो नबी(ﷺ) ने इसकी रुख़सत देते हुए फ़रमाया कि क़यामत तक के लिए उम्रा हज में दाख़िल है यानी हज के महीनों के अन्दर उम्रा करने में कोई हर्ज नहीं है और हज के महीने शव्वाल, ज़ुल कादा और ज़ुल-हिज्जा के दस दिन हैं। आदमी सिर्फ़ हज के महीनों में हज का एहराम बाँध सकता है। और हुर्मत वाले महीने रजब, ज़ुल-कादा, ज़ुल-हिज्जा और मुहर्रम हैं। नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से बहुत से उलमा भी इसी तरह कहते हैं।

90. بَابُ مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الْعُمْرَةِ

90 - उम्रा की फजीलत.

933 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

933 - हज़रत अबू हुरैरा(ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़र्माया एक उम्रा दूसरे के दर्मियान के (गुनाहों) का कफ्फारा है (यानी छोटे- छोटे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं) और हज्जे

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ.

मबरूर का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है।

बुख़ारी: 1773. मुस्लिम:1349. इब्ने माजा:2888. निसाई:2622.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

91. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ مِنَ التَّنْعِيمِ

91 - तनईम से उम्रा करना.

934 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُعْمِرَ عَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيمِ.

934 - सय्यदना अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया था कि आयशा (رضي الله عنها) को तनईम से उम्रा करवाएं।

बुख़ारी:1784. मुस्लिम:1212. अबू दाऊद:1995. इब्ने माजा:299.

तौज़ीह: तनईम: हरम से तक़रीबन तीन मील के फासले पर वाक़ेअ है। आज यहाँ पर मस्जिदे आयशा बनी हुई है। यहाँ पर हुदूदे हरम ख़त्म होती है।

92. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ

92 - जिअराना से उम्रा करना.

935 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ لَيْلاً

935 - सय्यदना मुहर्रिश अल- काबी (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) रात के वक़्त जिअराना से उम्रा की नीयत के साथ निकले (और रात को ही मक्का में दाख़िल हुए और अपना उम्रा मुकम्मल किया, फिर रात को ही मक्का से निकले और जिअराना में सुबह की जैसे रात भी वहीं गुजारी हो, फिर जब अगली

مُعْتَمِرًا، فَدَخَلَ مَكَّةَ لَيْلاً، فَقَضَى عُمْرَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ لَيْلَتِهِ، فَأَصْبَحَ بِالجِعِرَّانَةِ كَبَائِتٍ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الغَدِ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ سَرِفَ، حَتَّى جَاءَ مَعَ الطَّرِيقِ طَرِيقِ جَمْعٍ بِبَطْنِ سَرِفَ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ خَفِيَتْ عُمْرَتُهُ عَلَى النَّاسِ.

सुबह सूरज ढल गया (तो) सरिफ़ के दर्मियान में जहां दो रास्ते जमा होते हैं वहाँ आए इसलिए लोगों पर आप का उम्रा पोशीदा रहा।

सहीह: अबू दाऊद: 1996. निसाई:2863.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और मुहर्रिश अल- काबी की इसके अलावा नबी(ﷺ) से कोई और हदीस हम नहीं जानते।

93. بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمْرَةِ رَجَبٍ

93 - रजब में उम्रा करना.

936 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ: فِي أَيِّ شَهْرٍ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: فِي رَجَبٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ وَهُوَ مَعَهُ، تَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ قَطُّ.

936 - उर्वा (رحمه الله) रिवायत करते हैं कि सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से पूछा गया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने किस महीने में उम्रा किया था? तो उन्होंने फ़रमाया, ''रजब में यह सुनकर सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) ने फ़रमाया, ''रसूलुल्लाह(ﷺ) ने जो भी उम्रा किया वह यानी इब्ने उमर उन के साथ थे और आप(ﷺ) ने रजब में कभी उम्रा नहीं किया।''

बुख़ारी: 1776. मुस्लिम: 1255. इब्ने माजा: 2998.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (رحمه الله) को सुना वह फ़रमा रहे थे हबीब बिन अबी साबित ने उर्वा बिन ज़ुबैर से सिमा (सुनना) नहीं किया।

937حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ.

937 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने चार उम्रा किए जिन में से एक रजब में था।

बुख़ारी:3/3 . मुस्लिम:4/61. मुसनद अहमद: 2/70.

94.بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمْرَةِ ذِي القَعْدَةِ

94 - ज़ुल-कादा के उम्रा का बयान.

938 - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ هُوَ السَّلُولِيُّ الكُوفِيُّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ فِي ذِي القَعْدَةِ.

938 - सय्यदना बरा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने ज़ुल- कादा में उम्रा किया था।

सहीह बुख़ारी: 1781. मुसनद अहमद: 4/298.अबू याला:166.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इस मसले में इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी मर्वी है।

95.بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ

95 - माहे रमज़ान के उम्रा का बयान.

939 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَعْقِلٍ، عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.

939 - सय्यदा उम्मे माक़िल (رضي الله عنها) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, ''रमज़ान में (किया जाने वाला) उम्रा हज के बराबर है। ''

सहीह अबू दाऊद: 1988. मुसनद अहमद: 6/375.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास, जाबिर, अबू हुरैरा, अनस और वहब बिन खम्बश (رضي الله عنه) से भी रिवायत मर्वी हैं इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) कहते हैं: इनको हरम बिन खम्बश भी कहा जाता है बयान और जाबिर, शाबी से नक़ल करते हैं कि रिवायत है वहब बिन खम्बश से जब कि दाऊद अल-ओदी; शाबी से हरम बिन खम्बश ज़िक्र करते हैं और वहब ज़्यादा सहीह है।

नीज इस सनद के साथ उम्मे माकिल (رضي الله عنها) की हदीस हसन ग़रीब है। इमाम अहमद और इस्हाक़ कहते हैं: नबी(ﷺ) से साबित हो चुका है कि रमज़ान में (किया जाने वाला) उम्रा हज के बराबर है।

इस्हाक़ फ़रमाते हैं: इसका मतलब वैसे ही है जैसे कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, ''قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ'' पढ़ी उसने एक तिहाई क़ुरआन पढ़ लिया।''

96 - जो शख़्स एहराम बाँधने के बाद ज़ख्मी या लंगड़ा हो जाए.

96. بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُهِلُّ بِالحَجِّ فَيُكْسَرُ أَوْ يَعْرَجُ

940 - सय्यदना हज्जाज बिन अम्र (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जिसका कोई अज़्व (अंग) टूट जाए या लंगड़ा हो जाए तो उसका एहराम खुल गया और उसके ज़िम्मा और हज वाजिब होगा।'' (इक्रिमा) कहते हैं: मैंने यह हदीस अबू हुरैरा और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से जिक्र की तो उन्होंने फ़रमाया, (हज्जाज ने) सच कहा है।

सहीह अबू दाऊद: 1862. इब्ने माजा:3077. निसाई:2860.

940 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالاَ: صَدَقَ.

वजाहत: (अबू ईसा कहते हैं:) हमें इस्हाक़ बिन मंसूर ने भी बवास्ता मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अंसारी, सय्यदना हज्जाज से इस तरह बयान किया है और वह कहते हैं: मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और बहुत से रावियों ने हज्जाज अस्सवाफ से इसी तरह हदीस बयान की है, जबकि मामर और मुआविया बिन सलाम ने इस हदीस को यह्या बिन अबी कसीर से उन्होंने इक्रिमा से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन राफे हज्जाज बिन अम्र (رضي الله عنه) से

और उन्होंने नबी(ﷺ) से रिवायत किया है। हज्जाज अस्सवाफ ने अपनी हदीस की सनद में अब्दुल्लाह बिन राफे का ज़िक्र नहीं किया। और हज्जाज अस्सवाफ मुहद्दिसीन के नज़दीक सिक़ह और हाफिज रावी है। मुहम्मद (अल-बुख़ारी रहिमहुल्लाह) फ़रमाते हैं: मामर और मुआविया बिन सलाम की रिवायत ज़्यादा सहीह है। (अबू ईसा कहते है:) हमें अब्द बिन हुमैद ने (वह कहते हैं) हमें अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने (वह कहते हैं) हमें मामर ने यह्या बिन अबी कसीर से (उन्होंने इक्रिमा) से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन राफे, हज्जाज बिन अम्र (رضي الله عنه) की नबी(ﷺ) की इसी तरह से हदीस बयान की है।

97 - हज में कोई शर्त लगाना.

97. بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاشْتِرَاطِ فِي الحَجِّ

941 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि ज़ुबाआ बिन्ते ज़ुबैर (رضي الله عنها) नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हो कर कहने लगीं: ऐ अल्लाह के रसूल मैं हज करना चाहती हूँ क्या मैं शर्त लगा सकती हूँ? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''हाँ'' वह कहने लगीं: मैं कैसे कहूं? आप(ﷺ) ने फ़रमाया: ''तुम कहो, मैं हाज़िर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, ज़मीन में मेरे एहराम खोलने की जगह वही है जहाँ तु मुझे रोक दे।''

मुस्लिम: 1208. अबू दाऊद:1776. इब्ने माजा:2938. निसाई:2766.

941 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ البَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ الحَجَّ، أَفَأَشْتَرِطُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: قُولِي لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ مَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي.

वज़ाहत: इस मसले में जाबिर, अस्मा बिन्ते अबी बकर और आयशा (رضي الله عنها) से भी रिवायात मर्वी हैं।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और बाज़ इसी पर अमल करते हुए कहते हैं: अगर वह शर्त लगा लेता है तो बीमारी या उज़्र की वजह से एहराम खोल कर एहराम से निकल सकता है। यह कौल इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का है।

जब कि बाज़ हज में शर्त लगाने को दुरुस्त नहीं समझते। वह कहते हैं: अगर वह शर्त लगा भी ले तो अपने एहराम से नहीं निकल सकता उनके मुताबिक वह शर्त न लगाने वाले की तरह ही है।

98 - इसी से पेवस्ता बयान.

98.بَابٌ مِنْهُ

942 - सालिम (رحمه الله) अपने बाप सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि वह हज में शर्त लगाने का इनकार करते थे और फ़रमाया करते थे कि क्या तुम्हें अपने नबी(ﷺ) की सुन्नत काफी नहीं है!!

बुख़ारी: 1810. निसाई:2769.

942 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الاِشْتِرَاطَ فِي الحَجِّ، وَيَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

99 - जिस औरत को तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद हैज़ आए.

99.بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

943 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से ज़िक्र किया कि सफिय्या बिन्ते हुय्यी (رضي الله عنها) को मिना के दिनों में हैज़ आ गया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''क्या यह हमें रोकने वाली है?'' लोगों ने कहा : उन्होंने तवाफ़े इफ़ाज़ा कर लिया है तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''फिर कुछ नहीं होता।

बुख़ारी:328. मुस्लिम:1328. अबू दाऊद: 2003. इब्ने माजा:3072. निसाई:391.

943 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ :حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حَاضَتْ فِي أَيَّامِ مِنًى، فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟، قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلاَ إِذًا.

तौज़ीह: इस मसले में इब्ने उमर और इब्ने अब्बास (رضي الله عنهم) से भी रिवायात मर्वी है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) की हदीस हसन सहीह है। और अहले इल्म का इसी पर अमल है कि जब औरत तवाफ़े इफ़ाज़ा कर ले फिर हाइज़ा हो जाए तो वह जा सकती है उस पर कुछ भी (कफ़्फ़ारा वगैरह) वाजिब नहीं है, सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी यही कौल है।

944 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ حَجَّ البَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ إِلاَّ الحُيَّضَ، وَرَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

944 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि जो शख़्स बैतुल्लाह का हज करे तो वह आखिर में बैतुल्लाह से हो कर जाए, सिवाए हाइज़ा औरतों के रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनको रूख़सत दी है।

सहीह इब्ने माजा: 3071. हाकिम: 1/469. तबरानी फ़िल कबीर: 13393.

तौज़ीह: इस से मुराद तवाफ़े विदा है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنه) की हदीस हसन सहीह है और अहले इल्म का इसी पर अमल है।

100. بَابُ مَا جَاءَ مَا تَقْضِي الحَائِضُ مِنَ الْمَنَاسِكِ

100 - हाइज़ा औरत कौन-कौन से मनासिके हज पूरे करे?

945 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الجُعْفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حِضْتُ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

945 - सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) रिवायत करती हैं कि मुझे हैज़ आ गया तो नबी(ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया कि मैं बैतुल्लाह के तवाफ़ के अलावा तमाम मनासिक अदा करूं।

सहीह: अबू दाऊद:1778. इब्ने माजा: 2963. निसाई: 2741.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: उलमा का इसी हदीस पर अमल है कि हाइज़ा औरत बैतुल्लाह के तवाफ़ के अलावा तमाम मनासिके हज पूरा करेगी। नीज यह हदीस आयशा (رضي الله عنها) कई सनदों के साथ इसी तरह मर्वी है।

945 - م- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ الجَزَرِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَ الحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّ النُّفَسَاءَ وَالحَائِضَ تَغْتَسِلُ، وَتُحْرِمُ، وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفَ بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ.

945 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) रसूलुल्लाह(ﷺ) से मर्फ़ूअ हदीस बयान करते हैं कि आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''निफास और हैज़ वाली औरत गुस्ल करे, एहराम बांधे और तमाम मनासिक पूरे करे लेकिन पाक होने तक बैतुल्लाह का तवाफ़ न करे।''

सहीह अबू दाऊद: 1744. मुसनद अहमद: 1/364.

101. بَابُ مَا جَاءَ مَنْ حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ

101 - हज या उम्रा करने वाले को चाहिए कि सबसे आखिर में बैतुल्लाह से होकर (तवाफ़ करके) आए.

946 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ البَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: خَرَرْتَ مِنْ يَدَيْكَ، سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ تُخْبِرْنَا بِهِ.

946 - सय्यदना हारिस बिन अब्दुल्लाह बिन ऑस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मैंने नबी(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना : ''जो शख़्स इस (अल्लाह के) घर का हज या उम्रा करे तो वह आखिर में बैतुल्लाह (खान-ए-काबा) से होकर आए।'' तो उमर (رضي الله عنه) ने उनसे कहा: तू अपने हाथों की वजह से ज़मीन पर गिर पड़े तुमने रसूलुल्लाह(ﷺ) से यह सुना लेकिन हमें नहीं बताया।

मुन्कर बिहाज़ा अल-लफ्ज़ा. सहीह बमाना दूना कौलिही. अस्सिलसिला अज़-ज़ईफा: 4585. अबू दाऊद:2004. मुसनद अहमद:3/416.

तौज़ीह: यानी तुमने बहुत गलत और बुरा काम किया यह जुम्ला किसी को शर्मिन्दा करने के लिए बोला जाता है।

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हारिस

बिन अब्दुल्लाह बिन औस (رضي الله عنه) की हदीस ग़रीब है और बहुत से रावियों ने भी हज्जाज बिन अर्तात से इसी तरह रिवायत की है। लेकिन इसी सनद से बाज़ ने हज्जाज के मुख़ालिफ़ भी रिवायत की है।

102 - हज्जे क़िरान करने वाला एक ही तवाफ़ कर ले।

102. بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ القَارِنَ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحِدًا

947 – सय्यदना जाबिर (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हज और उमरा को मिलाया तो उन दोनों के लिए एक ही तवाफ़ किया।

मुस्लिम: 1215. अबू दाऊद:1895. इब्ने माजा:2972. निसाई:2988.

947 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَنَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا.

वज़ाहत: इस मसले में इब्ने उमर और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की हदीस हसन है। और नबी(ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنه) और दीगर लोगों में से बाज़ अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए कहते हैं कि क़िरान करने वाला एक ही तवाफ़ करे। यह कौल इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمه الله) का भी है। लेकिन नबी(ﷺ) के सहाबा (رضي الله عنه) और दीगर लोगों में से बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि वह दो तवाफ़ और दो मर्तबा सई करे। यह कौल सौरी और अहले कूफा का है।

948 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''जिसने हज और उम्रा का इकट्ठा एहराम बांधा उसे एक तवाफ़ और एक सई ही काफी है यहाँ तक उन दोनों से इकट्ठा एहराम खोल दे।''

सहीह: मुस्नद अहमद: 2/67. दारमी: 1851. इब्ने माजा: 2975. इब्ने खुजैमा:2745.

948 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ البَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَسَعْيٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

वज़ाहत इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब सहीह है। सिर्फ़ दरावर्दी ने इसे इन अलफ़ाज़ के साथ रिवायत किया है, जब कि दीगर कई रावियों ने इसे उबैदुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत किया है और इसे मर्फूअ बयान नहीं किया और यह ज़्यादा सहीह है।

103 - मुहाजिर आदमी मनासिके हज अदा करने के बाद मक्का में तीन दिन ठहरे.

103. بَابُ مَا جَاءَ أَنْ يَمْكُثَ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصَّدَرِ ثَلاَثًا

949 - सय्यदना अला बिन हज़्रमी (रज़ियल्लाहु अन्हु) रिवायत करते हैं कि मुहाजिर आदमी मनासिके हज अदा करने के बाद मक्का में तीन दिन ठहरे।

बुख़ारी: 3933. मुस्लिम: 1352. अबू दाऊद: 2022. इब्ने माजा: 1073. निसाई: 1454.

949 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، سَمِعَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، عَنِ العَلاَءِ بْنِ الحَضْرَمِيِّ يَعْنِي مَرْفُوعًا، قَالَ: يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ بِمَكَّةَ ثَلاَثًا.

वज़ाहत इमाम तिर्मिज़ी (रहमतुल्लाह अलैह) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज इस सनद के साथ और तुरूक़ से भी हदीस मर्वी है।

104 - हज और उम्रा से लौटते वक़्त क्या कहे?

104. بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ عِنْدَ القُفُولِ مِنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

950 - सय्यदना इब्ने उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) जब जंग, हज या उम्रा से लौटते तो किसी भी बलंद जगह या चोटी पर चढ़ते वक़्त तीन मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते, फिर कहते अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं वह अकेला है उसका कोइ शरीक नहीं। उसी की बादशाहत है, उसके लिए तारीफ़ है और वह हर चीज़ पर क़ादिर है। (हम) लौटने वाले, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, सैर सियाहत से लौटने वाले और अपने रब की हम्द करने वाले हैं। अल्लाह ने अपना वादा सच कर

950 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَعَلاَ فَدْفَدًا مِنَ الأَرْضِ أَوْ شَرَفًا كَبَّرَ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَائِحُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ،

صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

दिखाया। अपने बन्दों की मदद की और अकेले ने तमाम लश्करों को शिकस्त दी।

बुख़ारी: 1797. मुस्लिम: 1344. अबू दाऊद:2770.

तौज़ीह: فَدْفَدًا: किसी भी बलंद और सख़्त जगह को कहते हैं।

वज़ाहत: इस मसले में बरा, अनस और जाबिर (رضي الله عنهم) से भी अहादीस मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (رضي الله عنهما) की हदीस हसन सहीह है।

105. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ فِي إِحْرَامِهِ

105 - मुहरिम आदमी अगर अपने एहराम में फौत हो जाए.

951 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُلاً قَدْ سَقَطَ مِنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُهِلُّ أَوْ يُلَبِّي..

951 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنهما) रिवायत करते हैं कि हम नबी(ﷺ) के साथ सफ़र में थे तो आप(ﷺ) ने एक आदमी को देखा जो अपने ऊँट से गिरा, उसकी गर्दन टूट गई, वह मर गया और वह मुहरिम (एहराम में) था। तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया, ''इस को पानी और बैरी के पत्तों के साथ गुस्ल दो और उसे उसके ही दो कपड़ों में कफ़न दे दो और उसके सर को मत ढांपना। बेशक यह क़यामत के दिन (जब) उठाया जाएगा तो तल्बिया कह रहा होगा।''

बुख़ारी: 1206. अबू दाऊद:3238. इब्ने माजा: 3084. निसाई: 1904.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और बाज़ उलमा का इसी पर अमल है। नीज सुफ़ियान सौरी, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ भी इसी के क़ायल हैं जबकि बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि जब आदमी फौत हो जाए तो उसका एहराम ख़त्म हो गया और उसके साथ भी ऐसे ही किया जाएगा जैसे आम आदमी के साथ किया जाता है।

106 - मुहरिम की आँखें खराब हों तो वह एल्वे का लेप कर सकता है।

106. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحْرِمِ يَشْتَكِي عَيْنَهُ فَيَضْمِدُهَا بِالصَّبِرِ

952 - नुबैह बिन वहब (رحمه الله) से रिवायत है कि उमर बिन उबैदुल्लाह बिन मामर (رحمه الله) की आँखें खराब हो गयीं और वह एहराम में थे तो उन्होंने अबान बिन उस्मान से पूछा, उन्होंने फ़रमाया उन पर एल्वे का लेप कर लो मैंने उस्मान बिन अफ्फान (رضي الله عنه) को सुना वह रसूलुल्लाह(ﷺ) की तरफ़ से इसका तज्किरह कर रहे थे। कि आपने फ़रमाया, ''इस पर एल्वे का लेप कर लो।''

मुस्लिम: 1202. अबू दाऊद: 1838. निसाई: 2711.

952 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَسَأَلَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، فَقَالَ :اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، يَذْكُرُهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ.

तौज़ीह: الصَّبِر: एल्वा: एक कड़वे पौधे का अर्क। (अल-कामूसुल वहीद: 909)

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इसी पर अहले इल्म अमल करते हुए मुहरिम आदमी के लिए ऐसी दवा के इस्तेमाल में हर्ज नहीं समझते जिस में खुशबू न हो।

107 - मुहरिम अगर दौराने एहराम सर मुंडवा दे तो उस पर क्या (कफ्फ़ारा) लाजिम है।

107. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحْرِمِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ فِي إِحْرَامِهِ مَا عَلَيْهِ

953 - सय्यदना काब बिन उजरह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) उसके पास से गुज़रे और वह एहराम की हालत में मक्का दाख़िल होने से पहले हुदैबिया में थे और हन्डिया के नीचे आग जला रहे थे और जुएं

953 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَحُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، وَعَبْدِ

الكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ، وَالقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ؟، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: احْلِقْ، وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، وَالفَرَقُ: ثَلَاثَةُ آصُعٍ، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ: أَوْ اذْبَحْ شَاةً.

उनके चेहरे पर गिर रही थीं तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, ''सर मुंडवा दो और एक फ़र्क छः मिस्कीनों के दर्मियान (तक्सीम करके उन्हें) खिला दो।'' और फ़र्क तीन साअ का होता है या तीन रोज़े रख लो या एक कुर्बानी दे दो।'' इब्ने अबी नजीह कहते हैं (कि आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'या बकरी ज़बह कर दो।''

बुख़ारी: 1814. मुस्लिम:1201. अबू दाऊद: 1856, 1860. इब्ने माजा:3079. निसाई:2851.

तौज़ीह: قَمْل: ق : पर ज़बर और م साकिन के साथ। जुएँ।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और नबी(ﷺ) के सहाबा और दीगर लोगों में से अहले इल्म का इसी पर अमल है कि मुहरिम जब सर मुन्डवा दे या ऐसे कपड़े पहन ले जो एहराम में पहनने जायज़ नहीं हैं या खुशबू लगा ले तो उस पर नबी(ﷺ) से मर्वी कफ्फारा लाजिम होगा।

108. بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا

108 - चरवाहों को रुख़्सत है कि एक दिन कंकरियां मार लें एक दिन छोड़ दें.

954 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي البَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ: أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا، وَيَدَعُوا يَوْمًا.

954 - अबू बद्दाह बिन अदी अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने चरवाहों को रुख़्सत दी थी कि एक दिन कंकर मार लें और एक दिन छोड़ दें।

सहीह: अबू दाऊद:1976. इब्ने माजा:3036. निसाई:3038.

तौज़ीह: اَلرِّعَاءُ: राई की जमा है। जानवर, मवेशी चराने वाले। यह लफ़्ज़ क़ुरआन में भी इस्तेमाल हुआ है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इब्ने उयय्ना ने भी इसी तरह रिवायत की है और मालिक बिन अनस ने भी अब्दुल्लाह बिन अबी बकर से उनके बाप के वास्ते के साथ अबू बद्दाह बिन आसिम बिन अदी से और उन्होंने अपने बाप से रिवायत की है। मालिक की रिवायत ज़्यादा सहीह है। नीज उलमा की एक जमाअत ने चरवाहों को एक दिन कंकर मार कर एक दिन छोड़ने की रूख़्सत दी है। शाफ़ेई भी यही कहते हैं।

955 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي البَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي البَيْتُوتَةِ: أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا، قَالَ مَالِكٌ: ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الأَوَّلِ مِنْهُمَا، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ.

955 - अबू बद्दाह बिन आसिम बिन अदी अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ऊंटों के चरवाहों को मिना में रात न गुज़ारने की इजाज़त दी कि वह कुर्बानी के दिन रमी कर लें फिर यौमुन्नहर के बाद वाले दो दिन की रमी को जमा करके एक दिन में रमी कर लें। इमाम मालिक कहते हैं: मेरा ख़याल है कि आप ने फ़रमाया, ''पहले दिन कर लें फिर वहाँ से कूच करने के दिन रमी कर लें।''

सहीह। अबू दाऊद: 1975. इब्ने माजा:3037. निसाई:3069.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और यह इब्ने उयय्ना की अब्दुल्लाह बिन अबी बकर से बयान कर्दा हदीस ज़्यादा सहीह है।

109. بَابٌ إهلال الرجل كاهلال النبي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

109 - नबी{ﷺ} के तल्बिया की तरह पुकारना.

956 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ :حَدَّثَنَا

956 - सय्यदना अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि सय्यदना अली (رضي الله عنه) यमन से (वापस) नबी(ﷺ) के पास आए तो

سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأَصْفَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اليَمَنِ، فَقَالَ: بِمَ أَهْلَلْتَ؟ قَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :لَوْلاَ أَنَّ مَعِي هَدْيًا لأَحْلَلْتُ .

आप(ﷺ) ने फ़रमाया, तुमने तल्बिया कैसे कहा है? उन्होंने कहा: मैंने ऐसे ही तल्बिया कहा (यानी हज की निय्यत की) जैसे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तल्बिया कहा। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''अगर मेरे पास कुर्बानी का जानवर न होता तो मैं एहराम खोल देता।''

बुख़ारी: 1558. मुस्लिम: 1250.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: इस सनद के साथ यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।

110. بَابُ مَا جَاءَ فِي يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ

110 - बड़े हज के दिन का बयान.

957 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ، فَقَالَ: يَوْمُ النَّحْرِ.

957 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से ''बड़े हज के दिन'' के बारे में सवाल किया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, ''(वह) कुर्बानी का दिन है।''

सहीह.

958 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ.

958 - सय्यदना अली (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं, हज्जे अकबर का दिन कुर्बानी का दिन है।

सहीह: देखिए पिछली हदीस.

वज़ाहत: रावी ने इस हदीस को मर्फ़ूअ ज़िक्र नहीं किया और यह पहली हदीस से ज़्यादा सहीह है। नीज इब्ने उयय्ना की मौकूफ़ रिवायत मुहम्मद बिन इस्हाक़ की मर्फ़ूअ रिवायत से ज़्यादा सहीह है।

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: कई हुफ्फाज़ रावियों ने इसी तरह अबू इस्हाक़ से बवास्ता हारिस, सय्यदना अली (رضي الله عنه) से मौकूफन रिवायत की है। शोबा रिवायत करते वक़्त अबू इस्हाक़ से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन मुर्रा, हारिस के ज़रिया अली (رضي الله عنه) से मौकूफन रिवायत करते हैं।

111 - हजरे अस्वद और रुक्ने यमानी दोनों रुक्नों को छोड़ने का बयान.

111. بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِلاَمِ الرُّكْنَيْنِ

959 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنْ أَفْعَلْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا وَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لاَ يَضَعُ قَدَمًا وَلاَ يَرْفَعُ أُخْرَى إِلاَّ حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً.

959 - इब्ने उबैद बिन उमर अपने बाप से रिवायत करते हैं कि सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) दोनों रुक्नों के पास खड़े होते थे और मैंने किसी और सहाबीए रसूल को यह करते हुए नहीं देखा था तो मैंने कहा: ऐ अबू अब्दुर्रहमान! आप दोनों रुक्नों के पास ठहरते हैं मैंने नबी(ﷺ) के किसी सहाबी को उसके पास ठहरते नहीं देखा तो उन्होंने फ़रमाया, ''अगर मैं यह करता हूँ तो (इसलिए कि) मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: ''उन दोनों को छूना गुनाहों का कफ्फ़ारा है। ''और मैंने आप(ﷺ) को यह फ़रमाते हुए भी सूना: ''जिस ने इस घर का सात मर्तबा तवाफ़ किया और उसे गिना तो यह एक गुलाम आज़ाद करने के बराबर है'' नीज मैंने आप (ﷺ) को यह फ़रमाते हुए सुना : ''आदमी जो क़दम रखता और उठाता है तो अल्लाह तआला उसके साथ एक गलती मिटाता और उसकी वजह से एक नेकी लिख देता है। ''

सहीह: इब्ने माजा:2956. निसाई:2919.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हम्माद बिन ज़ैद ने भी अता बिन साइब से बवास्ता इब्ने उबैद बिन उमैर सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से इसी तरह रिवायत की है लेकिन इस में उनके बाप का ज़िक्र नहीं है। नीज फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।

112 - दौराने तवाफ़ बात करना.

112. بَابُ مَا جَاءَ فِي الكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

960 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, ''बैतुल्लाह के इर्द गिर्द तवाफ़ करना नमाज़ की तरह ही है लेकिन तुम इस में बात कर सकते हो, जो इसमें बात करे तो वह सिर्फ़ भलाई की ही बात करे।''

सहीह: दारमी: 1854. अबू याला:2599. इब्ने खुजैमा:2739.

960 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ إِلاَّ بِخَيْرٍ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस इब्ने ताऊस वगैरह से बवास्ता ताऊस, इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मौकूफन मर्वी है और हमारे इल्म में सिर्फ़ अता बिन साइब की सनद से ही मर्वी है। नीज अक्सर अहले इल्म इसी पर अमल करते हुए इस बात को मुस्तहब कहते हैं कि आदमी दौराने तवाफ़ सिर्फ़ ज़रूरी बात ही करे या अल्लाह का ज़िक्र और इल्म की बात कर सकता है।

113 - हजरे अस्वद का बयान.

113. بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَجَرِ الأَسْوَدِ

961 - सय्यदना इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हजरे अस्वद के बारे में फ़रमाया, ''अल्लाह की क़सम! अल्लाह तआला उसे क़यामत के दिन ज़रूर खड़ा करेगा उसकी दो आँखें होंगी जिनके साथ देखता होगा और ज़बान होगी जिस से बात करके अपने छूने वाले के बारे में गवाही देगा।''

सहीह: इब्ने माजा:2944. मुसनद अहमद: 1/247. इब्ने खुजैमा:2735. दारमी:1846.

961 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الحَجَرِ: وَاللَّهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَى مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

114 - मुहरिम का तेल लगाना.

114. بَابٌ إدهان المحرم بِالزَّيْتِ

962 - सय्यदना इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) एहराम की हालत में ऐसा तेल लगाते थे जिसमें खुशबू शामिल नहीं होती थी।

ज़ईफुल इस्नाद:इब्ने माजा:3083. मुसनद अहमद: 2/25. इब्ने खुज़ैमा:2656.

962 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ :حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرِ الْمُقَتَّتِ: الْمُقَتَّتُ: الْمُطَيَّبُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: मुक़त्तत का मानी होता है खुशबूदार। नीज फ़रमाते हैं : यह हदीस ग़रीब है। यह सिर्फ़ फ़रक़द अस्सब्खी की सनद से ही सईद बिन जुबैर से मर्वी है। और यह्या बिन सईद ने फ़रक़द अस्सब्खी के बारे में कलाम की है लेकिन इस से लोगों ने रिवायत ली है।

115 - ज़म ज़म का पानी उठा कर (साथ) ले जाना.

115. بَابٌ ماجاء فِي حمل مَاءِ زَمْزَمَ

963 - हिशाम बिन उर्वा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) ज़मज़म का पानी उठा कर ले जाती थीं और बयान करती थीं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) भी उसे उठाते थे। (यानी साथ ले जाते थे)

सहीह: अस्सिलसिला अस्सहीहा: 883.

963 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَزِيدَ الجُعْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمِلُهُ.

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से जानते हैं।

116 - तर्विया के दिन ज़ोहर की नमाज़ कहाँ पढ़ी जाए?

116. بَابٌ أَيْنَ يصَلَّى الظُّهرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟

964 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الوَزِيرِ الوَاسِطِيُّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالاَ :حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى. قَالَ: قُلْتُ :فَأَيْنَ صَلَّى العَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ، ثُمَّ قَالَ : افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ.

964 - अब्दुल अज़ीज़ बिन रूफ़ैअ कहते हैं, मैंने सय्यदना अनस बिन मालिक (ﷺ) से कहा: आप मुझे वह चीज़ बयान करें जो आप ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से याद रखी हो कि आप(ﷺ) ने तर्विया के दिन ज़ोहर की नमाज़ कहाँ पढ़ी थी? उन्होंने फ़रमाया, मिना में, रावी कहते हैं : मैंने कहा: कूच करने के दिन असर की नमाज़ कहाँ पढ़ी थी? उन्होंने फ़रमाया, ''अब्तह में, फिर फ़रमाने लगे: तुम ऐसे ही करो जैसे तुम्हारे हाकिम करते हैं।

बुख़ारी:1653. मुस्लिम:1309. अबू दाऊद: 1912. निसाई:2997.

तौज़ीह: आठ ज़ुल्हिज्जा को तर्विया का दिन कहा जाता है।

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है (और) इस्हाक़ बिन यूसुफ़ अल-अजरक की सौरी से रिवायत के साथ ग़रीब समझी जाती है।

ख़ुलासा

- मक्का शहर को अल्लाह तआला ने हुर्मत वाला शहर बनाया है।
- जिसके पास जादे राह की ताक़त हो उस पर हज वाजिब है।
- नबी(ﷺ) ने एक हज और चार उम्रा किए थे।
- हज की तीन क़िस्में हैं: (1) इफ़राद (2) तमत्तोअ (3) किरान।
- मदीना वालों के लिए ज़ुल-हुलैफ़ा, शाम वालों के लिए जोहफा, नज्द वालों के लिए कर्नूल मनाज़िल और यमन वालों के लिए यलमलम को मीक़ात मुक़र्रर किया गया है।
- एहराम में सिर्फ़ दो चादरें होती हैं।
- तवाफ़ में पहले तीन चक्करों में रमल है और चार चक्कर आम चाल के साथ हैं।
- हजरे अस्वद का इस्तिलाम सुन्नत है।
- वक़ूफे अरफ़ा हज का सबसे बड़ा और अहम रुक्न है।
- ऊँट में दस और गाय में सात आदमी शरीक हो सकते हैं।
- सर के बाल मुन्डवाना अफज़ल जब कि कतरवाना जायज़ है।
- बूढ़े शख़्स और मय्यत की तरफ़ से हज किया जा सकता है।
- रमज़ान में किया जाने वाला उम्रा हज के बराबर सवाब रखता है।
- हाइज़ा औरत के लिए तवाफ़े विदा न करना जायज़ है।
- दौराने तवाफ़ दुनियावी बात न की जाए।